


पॉलिसी धारक की मित्र Policy Holder Friendly



Since 1947

**ओरिएण्टल
इंश्योरेंस**



**Oriental
Insurance**

पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, सबकी सुरक्षा हमारे पास
Prithvi, Agni, Jal, Akash, Sabki Suraksha Hamare Paas

**वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018-19**



विषय सूची

निदेशक और प्रबंधन	2
निदेशक मंडल	3
नोटिस	4
सर्वोच्च प्रबंधक दल	5
उप महाप्रबंधक दल	6
क्षेत्रीय प्रभारी दल	7
अध्यक्ष का वक्तव्य	10
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	19
सर्वोच्च प्रबंधन दल का लेख	78
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	152
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पियाँ	179
अग्नि बीमा राजस्व लेखा	191
मरीन बीमा राजस्व लेखा	192
विविध बीमा राजस्व लेखा	193
लाभ एवं हानि लेखा	194
तुलन-पत्र	196
अनुसूचियाँ	197
लेखा नीतियाँ और लेखा टिप्पियाँ	217
लेखे के हिस्से बनाने का नोट	229
वित्तीय विवरण पर प्रबंधन की रिपोर्ट	271
नकदी प्रवाह विवरण	279
दी इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (सब्सिडियरी)	
निदेशक एवं प्रबंधन	282
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	296
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पियाँ	308
तुलन-पत्र	311
लाभ एवं हानि लेखा	312
नकदी प्रवाह विवरण	313
अनुसूचियाँ	259
लेखा नीतियाँ और लेखा टिप्पियाँ	314
संभेकित वित्तीय विवरण	
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	324
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पियाँ	350
अग्नि, मरीन एवं विविध बीमा राजस्व लेखा	361
लाभ एवं हानि लेखा	364
तुलन-पत्र	366
अनुसूचियाँ	367
लेखा नीतियाँ और लेखा टिप्पियाँ	386
वित्तीय विवरण पर प्रबंधन की रिपोर्ट	448
नकदी प्रवाह विवरण	456

CONTENTS

Directors and Management	2
Board of Directors	3
Notice	4
Top Management Team	5
Team of Deputy General Managers	6
Team of Regional Incharges	7
Chairman's Statement	10
Report of the Board of Directors	19
Write-ups of the Top Management Team	78
Auditors' Report	152
Comments of the Comptroller & Auditor General of India	179
Fire Insurance Revenue Account	191
Marine Insurance Revenue Account	192
Miscellaneous Insurance Revenue Account	193
Profit & Loss Account	194
Balance Sheet	196
Schedules	197
Accounting Policies and Notes to Accounts	217
Note Forming Part of Accounts	229
Management Report on Financial Statements	271
Cash Flow Statement	279
The Industrial Credit Company Limited (Subsidiary)	
Directors and Management	282
Auditors' Report	296
Comments of the Comptroller & Auditor General of India	308
Balance Sheet	311
Profit & Loss Account	312
Cash Flow Statement	313
Accounting Policies and Notes to Accounts	314
Consolidated Financial Statements	
Auditors' Report	324
Comments of the Comptroller & Auditor General of India	350
Fire, Marine and Misc Insurance Revenue Accounts	361
Profit & Loss Account	364
Balance Sheet	366
Schedules	367
Accounting Policies and Notes to Accounts	386
Management Report on Financial Statements	448
Cash Flow Statement	456



निर्देशक और प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ए वी गिरिजाकुमार

निदेशक

मुकेश कुमार जैन
ललित कुमार चंदेल
सुश्री मुदिता मिश्रा
पंचानन नायक
असीम चावला
दिनेश आर. वघेला

महाप्रबंधक

बलवंत सिंह
दिनेश आर. वघेला
अतुल जेरथ
अजीत कुमार
अनिल श्रीवास्तव
सौम्य मुखर्जी
आरती माथुर
नवनीत डोडा
साकेत सिंघल

वित्तीय सलाहकार

अनिल श्रीवास्तव

मुख्य वित्तीय अधिकारी

दिनेश आर. वघेला

सीवीओ और महाप्रबंधक

एम पी नागपाल

उप महाप्रबंधक

मीनाक्षी तलवार
सबिता खन्ना
बी.पी. सिंह
रश्मि बाजपेयी
महेश कुमार मित्तल
मुकेश कुमार कपूर
विनय कुमार वर्मा
दुश्यंत कुमार बारगोटी
अरविंद कुमार सक्सेना

एक्चुरी नियुक्ति:

साकेत सिंघल

कंपनी सचिव

रश्मि बाजपेयी

लेखा परीक्षक

मैसर्स एच. के. चौधरी एंड कं.
एससीवी - एंड कं. एलएलपी

पंजीकृत कार्यालय:

'ओरिएंटल हाउस' ए -25 / 27,
आसफ अली रोड, नई दिल्ली -110 002
www.orientalinsurance.org.in
सीआईएन -U66010DL1947GOI007158

DIRECTORS AND MANAGEMENT

Chairman-cum-Managing Director

A.V. Girijakumar

Directors

Mukesh Kumar Jain
Lalit Kumar Chandel
Ms. Mudita Mishra
Panchanan Nayak
Aseem Chawla
Dinesh R. Waghela

General Managers

Balwant Singh
Dinesh R. Waghela
Atul Jerath
Ajit Kumar
Anil Srivastava
Soumya Mukherjee
Navneet Doda
Arti Mathur
Saket Singhal

Financial Advisor

Anil Srivastava

Chief Financial Officer

Dinesh R. Waghela

CVO & General Manager

M.P. Nagpal

Deputy General Managers

Meenakshi Talwar
Sabita Khanna
B.P. Singh
Rashmi Vajpai
Mahesh Kumar Mittal
Mukesh Kumar Kapoor
Vinay Kumar Verma
Dushyant Kumar Bargoti
Arvind Kumar Saxena

Appointed Actuary:

Saket Singhal

Company Secretary

Rashmi Bajpai

Auditors

M/s. H. K. Chaudhry & Co.
SCV & Co. LLP

Registered Office:

'Oriental House' A-25/27,
Asaf Ali Road, New Delhi -110 002
www.orientalinsurance.org.in
CIN - U66010DL1947GOI007158



निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ए वी गिरिजाकुमार
A.V. Girijakumar
Chairman-cum Managing Director



मुकेश कुमार जैन
निदेशक
Mukesh Kumar Jain
Director



ललित कुमार चंदेल
निदेशक
Lalit Kumar Chandel
Director



सुश्री मुदिता मिश्रा
निदेशक
Ms. Mudita Mishra
Director



पंचानन नायक
निदेशक
Panchanan Nayak
Director



असीम चावला
निदेशक
Aseem Chawla
Director



डी. आर. वघेला
निदेशक
D. R. Waghela
Director



दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
मुख्यालय, नई दिल्ली

नोटिस

नोटिस दिया जाता है कि 'दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' की 71वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितंबर, 2019 को सांय 3.15 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 'ओरिएंटल हाउस', ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य

1. निदेशकों की रिपोर्ट, दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा उसे अपनाना।
2. वर्ष 2019-20 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

बोर्ड के आदेश से

हस्ता / -

(रश्मि बाजपेयी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23 सितंबर, 2019

कंपनी सचिव
एफसीएस: 8799

टिप्पणियां

1. उपस्थिति होने और वोट करने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बजाय उपस्थिति होने और वोट करने के लिए एक प्राकसी नियुक्त करने का हकदार है। प्राकसी के लिए कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए।
2. प्राकसी को कंपनी के रजिस्ट्र कार्यालय में मीटिंग के शुरु होने के 48 घंटों से पहले जमा कर देना चाहिए।
3. इस बैठक को एक अल्प सूचना पर बुलाया गया

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE, NEW DELHI

NOTICE

Notice is hereby given that 71st Annual General Meeting of The Oriental Insurance Company Limited will be held at the Registered Office of the Company, at 'Oriental House', A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002 on **Monday, the 30th September 2019 at 3.15 p.m.** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Director' Report, the Audited Financial Statements for the year ended 31.3.2019 and Auditors' Report thereon.
2. To authorise the Board of Directors to fix the remuneration of Auditors, to be appointed by the CAG, for the year 2019-20.

By Order of the Board

Sd/-

PLACE: New Delhi

DATE: 23 September, 2019

(RASHMI BAJPAI)

COMPANY SECRETARY

FCS: 8799

NOTES:

1. A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a member of the Company.
2. The proxy should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.
3. This meeting is called at a shorter notice.



सर्वोच्च प्रबंधन दल / TOP MANAGEMENT TEAM



ए वी गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. Girijakumar
Chairman-cum Managing Director



बलवंत सिंह
महाप्रबंधक
Balwant Singh
General Manager



डी. आर. वघेला
महाप्रबंधक
D. R. Waghela
General Manager



अतुल जेराथ
महाप्रबंधक
Atul Jerath
General Manager



अजित कुमार
महाप्रबंधक
Ajit Kumar
General Manager



अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक
Anil Srivastava
General Manager



सौम्य मुखर्जी
महाप्रबंधक
Soumya Mukherjee
General Manager



नवनीत डोडा
महाप्रबंधक
Navneet Doda
General Manager



आरती माथुर
महाप्रबंधक
Arti Mathur
General Manager



ए.पी. नागपाल
महाप्रबंधक
M.P. Nagpal
General Manager



रश्मि वाजपेयी
कंपनी सचिव
Rashmi Bajpai
Company Secretary



प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक दल

TEAM OF DEPUTY GENERAL MANAGERS AT HEAD OFFICE



मीनाक्षी तलवार
Meenakshi Talwar



सविता खन्ना
Sabita Khanna



बी.पी. सिंह
B.P. Singh



रश्मि वाजपेयी
Rashmi Bajpai



महेश कुमार मित्रल
Mahesh Kumar Mittal



मुकेश कुमार कपूर
Mukesh Kumar Kapoor



विनय कुमार वर्मा
Vinay Kumar Verma



दुश्यंत कुमार बरगोटी
Dushyant Kumar Bargoti



अरविंद कुमार सक्सेना
Arvind Kumar Saxena



TEAM OF REGIONAL INCHARGES



अशोक कुमार जैन
सीआरएम, आरओ अहमदाबाद
Ashok Kumar Jain
CRM, RO - Ahmedabad



सतीश कत्याल
आरएमआई/सी, आरओ अम्बाला
Satish Katyal
RMI/C, RO - Ambala



के ज्यतिनाथन
उ.म.प्र.(प्र.) बैंगलूरु
K. Jothinathan
DGM I/C - Bengaluru



डॉ. जी.एन. सामल
आरएम (संयुक्त प्रभार), आरओ भुवनेश्वर
Dr. G. N. Samal
RM (Joint Charge), RO Bhubaneswar



सत्यनारायण नंदा
आरएम (संयुक्त प्रभार), आरओ भुवनेश्वर
Satyanarayana Nanda
RM (Joint Charge), RO - Bhubaneswar



गीथा सैन्थासीलन
डीजीएमआई/सी, आरओ चेन्नै
Geetha Santhaseelan
DGM I/C, Ro - Chennai



जे. एल. आहुजा
सीआरएम - चंडीगढ़
J L Ahuja
CRM - Chandigarh



के. एस. जॉन
सीआरएम, आरओ कोचिन
K. S. John
CRM, RO - Cochin



एस. पार्थीबन
डीजीएम आई/सी, आरओ कोचिन
S. Parthiban
DGM I/C, RO - Coimbatore



ए.के. अहमद
सीआरएम, आरओ - देहरादून
A. K. Ahmed
CRM, RO - Dehradun



अनिमेश मुखर्जी
सीआरएम, आरओ - गुवाहाटी
Animesh Mukherjee
CRM, RO - Guwahati



पी.एस. मूर्थी
सीआरएम, आरओ - हुबली
P. S. Murthy
CRM, RO - Hubli



क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी TEAM OF REGIONAL INCHARGES



आर.सी. बिरला
डीजीएम आई/सी - हैदराबाद
R. C. Birla
DGM I/C



डी.एन. सक्करवाल
सीआरएम, आरओ - जयपुर
D. N. Sakkarwal
CRM, RO - Jaipur



मनोज कुमार सिंह
आरएम (संयुक्त प्रभार) आरओ - लखनऊ
Manoj Kumar Singh
RM (Joint Charge), RO - Lucknow



संदीप थापा
आरएम (संयुक्त प्रभार) आरओ - लखनऊ
Sandeep Thapa
RM (Joint Charge), RO - Lucknow



ए. के. श्रीवास्तव
डीजीएम आई/सी, एमआरओ-2
A. K. Srivastava
DGM I/C, MRO-2



चेतन राउत
सीआरएम, एमआरओ-3
Chaitan Rout
CRM, MRO-3



जय सूर्या रपाका
सीआरएम, सीबीआरओ-मुंबई
Jayasurya Rapaka
CRM, CBRO - Mumbai



अरुण जयसवार
सीआरएम, आरओ- नागपुर
Arun Jaisawar
CRM, RO - Nagpur



पंकज खन्ना
डीजीएम, आई/सी, एनआरओ-1
Pankaj Khanna
DGM I/C, NRO-1



क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी TEAM OF REGIONAL INCHARGES



इश मुंजाल
डीजीएम, आई/सी, एनआरओ-2
Ish Munjal
DGM I/C, NRO-2



सनमीत सचदेवा
सीआरएम, सीबीआरओ- दिल्ली
Sanmeet Sachdeva
CRM, CBRO - Delhi



मिलाप चंद
डीजीएम, आई/सी, आरओ-कोलकाता
Milap Chand
DGM I/C, RO Kolkata



अरूप गोरलोसा
डीजीएम, आई/सी, आरओ पटना
Arup Gorlosa
DGM I/C, RO Patna



आर. आर. सिंह
डीजीएम, आई/सी, आरओ-पुणे
R. R. Singh
DGM I/C, RO - Pune



देबाशिष एंडो
सीआरएम, आरओ- रायपुर
Debashish Endow
CRM, RO - Raipur



दिनेश जादव
सीआरएम, आरओ- वडोदरा
Dinesh Jadav
CRM, RO - Vadodara



जे.ए.के. चिंताला
सीआरएम, आरओ- विजाग
J. A. K. Chintala
CRM, RO - Vizag



एम. पेरैस्वामी
सीआरएम, आरओ- मुंबई
M. Peraiswamy
CRM, RO - Mumbai



ए.वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

A.V. GIRIJAKUMAR
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

अध्यक्ष का संदेश

CHAIRMAN'S MESSAGE

प्रिय शेयरधारकों,

Dear Shareholders,

मैं आपकी कंपनी की 71वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

I welcome you all to the 71st Annual General Meeting of your Company.

मैक्रो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स- वर्ल्ड एंड इंडिया

Macro-Economic Developments—World and India

विश्व अर्थव्यवस्था

Global Economy

2017 में 4% के करीब मजबूत विकास और 2018 की शुरुआत में, ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी 2018 की दूसरी छमाही में काफी धीमी हो गई। ग्लोबल ग्रोथ 2018 में 3.6% पर बनी हुई है। 2019 के लिए ग्रोथ 3.2% पर होने की संभावना है और यह पूर्वानुमान है आईएमएफ के अनुसार 2020 में 3.5% तक बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ (डब्ल्यूईएसपी) की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास 2018-19 वित्तीय आवेश लगभग 2-2.5% तक घटने बढ़ने का अनुमान है।

After strong growth close to 4% in 2017 and early 2018, Global Economic activity slowed notably in the second half of 2018. Global growth has remained at 3.6% in 2018. For 2019, growth is likely to be muted at 3.2% and is forecast to go upto 3.5% in 2020, as per IMF. According to United Nations World Economic Situations & Prospects (WESP) report, Growth in USA is projected to decelerate to around 2 – 2.5% in 2019, as the impulse from fiscal stimulus in 2018 wanes.

यूरोपीय संघ के लिए 2.0% की स्थिर वृद्धि का अनुमान है, हालांकि जोखिम का झुकाव नीचे की ओर है, जिसमें ब्रेक्सिट

Steady growth of 2.0% is projected for the European Union, although risks are tilted to the downside,



से संभावित गिरावट भी शामिल है। चीन में विकास 2018 में 6.6% से 2019 में घटकर 6.3% रहने का अनुमान है। 2030 तक गरीबी उन्मूलन के लिए अफ्रीका में दोहरे अंकों की वृद्धि और आय असमानता में कमी दोनों की आवश्यकता होगी। आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित करने वाले संभावित जोखिमों में व्यापार नीति विवादों का बढ़ना, बहुपक्षीय दृष्टिकोण के लिए घटता समर्थन और बढ़ते जलवायु जोखिम और वित्तीय अस्थिरताएं ऋण के ऊंचे स्तर से जुड़ी हुई हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2018-19 में 6.8% की अनुमानित वृद्धि है, जबकि 2017-18 में 7.2% और 2016-17 में 8.2% थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति 2017-18 में 3.6% से घटकर 2018-19 में 3.4% रह गई। 2017-18 में भारत का करंट अकाउंट घाटा (सीएडी) जीडीपी के 1.9% से बढ़कर 2018-19 में जीडीपी का 2.6% हो गया, जिसका कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतें हैं। 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा 3.4% पर रहा।

2018-19 में कृषि विकास दर घटकर 2.9% रह गई है। पिछले वर्ष 278 मी.ट. के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन 284 मी.ट. था। 2018-19 में 6.9% की औद्योगिक वृद्धि 2017-18 (5.9%) से बेहतर है

2018-19 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि घटकर 7.5% रह गई, जबकि 2017-18 में 8.1% थी। वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवा क्षेत्र 6.2% (2017-18) के मुकाबले 2018-19 में 7.4% की वृद्धि हुई। बेरोजगारी की दर 6.10% थी, हालांकि औपचारिक रोजगार (स्रोत संख्या ईपीएफ, एनपीएस आदि) फरवरी 2018 में 4.9 लाख से बढ़कर मार्च, 2019 में 8.2 लाख हो गई।

31 मार्च, 2019 को 69.2 रुपये प्रति यूएस डॉलर की वसूली से पूर्व रुपये में 7.8% की गिरावट के साथ अर्थात् यूएस डॉलर, अक्टूबर, 2018 में 74.4 प्रति यूएस डॉलर छू लिया।

भारत में निवेश की दर घटकर 26.8% हो गई है और कुल मिलाकर बचत दर भी लगभग 30% है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है।

including potential fallout from Brexit. Growth in China is expected to moderate from 6.6% in 2018 to 6.3% in 2019. Eradicating poverty by 2030 will require both double-digit growth in Africa and steep reductions in Income inequality. Potential risks that can severely disrupt Economic activity include escalation of Trade Policy disputes, dwindling support for multilateral approaches and rising climate risks and Financial Instabilities linked to elevated levels of Debt.

Indian Economy

Gross Domestic Product (GDP) has an estimated growth of 6.8% in 2018-19 as compared to 7.2% in 2017-18 and 8.2% in 2016-17. Consumer Price Index (CPI) based inflation declined from 3.6% in 2017-18 to 3.4% in 2018-19. India's Current Account Deficit (CAD) increased from 1.9% of GDP in 2017-18 to 2.6% of GDP in 2018, attributable to International Crude Oil Prices. Fiscal Deficit for 2018-19 stood at 3.4%.

Agriculture Growth has declined to 2.9% in 2018-19. Food grains production touched 284 million as against 278 million previous year. Industrial Growth at 6.9% in 2018-19 is better than 2017-18 (5.9%)

Service Sector Growth has declined to 7.5% in 2018-19, as against 8.1% in 2017-18. Financial, Real Estate and Professional Services Sector grew at 7.4% in 2018-19, as against 6.2% (2017-18). Unemployment rate was at 6.10% though formal employment (Source Numbers EPF, NPS etc.) increased from 4.9 lakh in February, 2018 to 8.2 lakh in March, 2019.

Rupee depreciated by 7.8% vis-à-vis US Dollar, touched Rs.74.4 per US Dollar in October 2018, before recovering to Rs.69.2 per US Dollar at 31st March, 2019.

Investment rate in India has declined to 26.8% and Overall Savings Rate is also just about 30%. Consumption levels have been declining in both rural and urban areas.



निजी क्षेत्र की खपत जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण चालक है, सुस्त रही है।

स्वच्छ भारत मिशन ने अपशिष्ट प्रबंधन, ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) प्राप्ति और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार लाया है।

बीमा और पुनर्बीमा की दुनिया

2018 में 2373 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ग्लोबल नॉन-लाइफ प्रीमियम पिछले साल (2017) के मुकाबले 3% बढ़ा है, जिसमें इमर्जिंग मार्केट 7% तक बढ़े हैं। अंडरराइटिंग की स्थिति में निरंतर सुधार के कारण तकनीकी परिणाम सकारात्मक आए। नरम बाजार अभी भी अंडरराइटिंग परिणामों में लाभप्रदता अंतर को कम करने की अनुमति नहीं देते हैं। इमर्जिंग एशिया में प्रीमियम वृद्धि, धीमी आर्थिक वृद्धि और मोटर बीमा की कमजोर मांग के कारण मंदी देखी जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ यूएसडी 81 बिलियन वैश्विक संपत्ति बीमा दावों का एक तिहाई है।

भारतीय गैर-जीवन बीमा उद्योग

भारतीय गैर-जीवन बीमा उद्योग ने 2018-19 के दौरान 1,70,000 करोड़ रुपये की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय प्राप्त की, जबकि 2017-18 के मुकाबले 1,50,000 करोड़ रुपये 12% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। विकास दरों में मोटर ओन डैमेज सेगमेंट में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई जो केवल 0.5% बढ़ी। कुछ मोटर बीमा सेवा प्रदाता के संबंध में दिशानिर्देशों का महत्वपूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य मुख्य संचालक था। बीमा कंपनियाँ व्यापार को बढ़ाने और बढ़ी हुई ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल को अपना रही हैं।

2018-19 के दौरान ओरिएंटल इश्योरेंस

(i) बिजनेस ग्रोथ और मार्केट शेयर:

आपकी कंपनी ने भारतीय बाजार में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में वृद्धि के मामले में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। 2018-19 के लिए भारत में ओरिएंटल की जीडीपीआई 13200 करोड़ रुपये है, जिसमें 1748 करोड़ रुपये की वृद्धि और पिछले वर्ष से 15.26% की वृद्धि दर है। यह

Private Sector Consumption which is an important driver of growth in the economy has been sluggish.

Swachh Bharat Mission has brought about significant improvement in waste management, ODF (Open – Defecation Free) attainment and other health indicators.

World of Insurance & Reinsurance

Global Non-life Premiums at US\$ 2373 billion in 2018 have grown steadily up 3% over previous year (2017), with Emerging markets growing at 7%. Technical Results turned Positive due to continued improvement in underwriting conditions. Soft markets still do not allow to narrow profitability gap in underwriting results. Premium growth in Emerging Asia, is witnessing slowdown due to slower economic growth and weaker demand for Motor Insurance. At US\$ 81 Billion, natural catastrophes accounted for a third of global Property Insurance claims.

Indian Non-life Insurance Industry

Indian Non-life Insurance Industry achieved Gross Direct Premium Income of Rs. 1,70,000 crores during 2018-19 as against Rs.1,50,000 Crores 2017-18), registering a growth of more than 12%. Notable decline in the growth rate was observed in Motor Own Damage segment which grew only at 0.5%, due to soft rates and slowing down of auto sector. Importantly non-adherence to guidelines in respect of Motor Insurance Service Provider by certain players was observed . Health was the key-driver with growth of 20% over previous year. Insurance firms are embracing Digital to grow business and provide enhanced customer service.

Oriental Insurance during 2018-19

(i) Business Growth & Market Share:

Your Company has put up a noteworthy performance in terms of growth in Gross Direct Premium in Indian market. Oriental's GDPI in India



निम्नलिखित कारणों से एक विश्वसनीय प्रदर्शन है:

(क) ओरिएंटल 2018-19 के दौरान अपनी बाजार हिस्सेदारी में सुधार करने वाला एकमात्र पीएसयू है।

(ख) ऊपर उल्लिखित बाजार में चुनौतीपूर्ण और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, विशेष रूप से मोटर के प्रमुख पोर्टफोलियो में, एक समूह के रूप में पीएसयू कंपनियों ने निजी क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी खो दी थी।

(ग) हमारी विकास दर न केवल बाजार की विकास दर से ऊपर है, बल्कि हम सभी प्रमुख क्षेत्रों – फायर, मरीन, मोटर (कुल), स्वास्थ्य, फसल सहित विविध और व्यवसाय के विभिन्न चैनलों में वृद्धि दर्ज करने में सफल रहे – एजेंट, ब्रोकर्स, बैंकाइश्योरेंस, प्रत्यक्ष और ऑनलाइन चैनल। ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से वर्ष के कारोबार के दौरान वित्त वर्ष 2017-18 में 177 करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 552 करोड़ रुपये (200% से अधिक) हो गया है। इस अवधि के दौरान पोर्टल के माध्यम से बीमा की संख्या 368220 से बढ़कर 698705 हो गई है।

(घ) ग्रुप हेल्थ की निकट निगरानी, नवीनीकरण पर अग्रगामी खाता व मूल्य निर्धारण के सुधारों के हमारे सुव्यवस्थित उद्देश्यों की रिरन्तरता को बनाये रखने में उद्योग का हमारे स्वास्थ्य पोर्टफोलियों का विकास धीमा है तथा कम है।

(ङ) हमारे नेपाल, दुबई और कुवैत में 3 विदेशी कार्यालय हैं। हमने दुबई में काफी अच्छा व्यवसाय किया है और इसलिए हमारा विदेशी सकल घरेलू उत्पाद 285 करोड़ रूपए पर स्थिर है।

(ड) कुल मिलाकर, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 11737 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 13485 करोड़ रुपये पूरे किए हैं।

at Rs.13200 crores for 2018-19, with an accretion of Rs.1748 crores and a growth rate of 15.26% over previous years. It is a creditable performance for the following reasons :

(a) Oriental is the only PSU to improve its market share during 2018-19.

(b) Due to the challenging and unfavorable conditions in the Market mentioned above, especially in the key portfolio of Motor, PSU companies as a Group had lost market share to Private Sector.

(c) Our growth rate is not only above market growth rate, but we also succeeded in registering growth in all major segments – Fire, Marine, Motor (Total), Health, Miscellaneous including Crop and across channels of business – Agents, Brokers, Bancassurance, Direct and online channels. During the year business through On-line Portal has grown remarkably from Rs.177 crores in Financial Year 2017-18 to Rs.552 crores in 2018-19 (more than 200%). Numbers of policies through portal have risen from 368220 to 698705 during this period.

(d) Our Health portfolio growth is muted and is lower vis-à-vis Industry, in continuation of our avowed objective of closer monitoring of Group Health, Correction of Pricing aberrations on renewal and foregoing unviable accounts.

(e) We have 3 foreign offices in Nepal, Dubai and Kuwait. We have pruned unviable business in Dubai and yet our foreign GDPI remained constant at Rs.285 crores.

(f) In aggregate, your company has completed Rs.13485 crores for the Financial Year 2018-19 as against Rs.11737 crores for the Financial Year 2017-18.



(ii) दावा निपटान - 2018-19

हम खुद को "पॉलिसी होल्डर फ्रेंडली" ओरिएंटल इश्योरेंस कहते हैं। इस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, दावों के निपटान के क्षेत्र में बहुत प्रयास जारी रहे।

2177627 (सं.) गैर-सूट दावों की संख्या को निपटान के कुल 94% दावों के निपटान अनुपात के साथ निपटाया गया था। 93937 (सं.) सूट दावों की संख्या 48% के निपटान अनुपात में तय की गई। मंडल अनुमानित मैनुयुल के अनुसार मिलान निपटान के संबंध में टीपी ने सहायता की।

(iii) शिकायत

31.3.2019 को हमारा शिकायत निपटान शून्य पेडेंसी के साथ अनुकरणीय था।

(iv) परिचालन परिणाम

पिछले वर्ष की तुलना में पोर्टफोलियो ने स्थिर या बेहतर परिणाम दिखाए।

- समुद्री, इंजीनियरिंग, देयता, व्यक्तिगत दुर्घटना, अन्य विविध और स्वास्थ्य (स्वास्थ्य में और अधिक करने की आवश्यकता है)।

हालाँकि, निम्न पोर्टफोलियो उच्च घटनाओं और बड़े दावों या उच्च प्रावधान आवश्यकताओं से प्रभावित थे

- आग, मोटर और फसल बीमा।

वित्तीय परिणाम 2018-19 का विश्लेषण

- अग्निशमन विभाग में, उच्च आपदाओं सहित, भयावह नुकसान (केरल बाढ़) ने विशेष रूप से बीमित राशि के छोटे बैंडों में परिणामों को प्रभावित किया। आरआई कवर में पुनः बीमा कटौति योग्य पुनःस्थापना फायर डिपार्टमेंट के उच्च खर्चों को विशेषरूप से जोड़ा गया।
- मोटर ओडी के मामले में कुल उपगत दावे वृद्धि हुई हैं जो मुख्य रूप से बाजार में अधिक छूट और प्रतिस्पर्धा द्वारा एमआईएसपी उल्लंघनों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण है।

(ii) Claims Settlement - 2018-19

We call ourselves "Policy Holder Friendly" Oriental Insurance. In keeping with this commitment, a lot of effort continued in the area of claims settlement.

2177627 (Nos.) numbers of non-suit claims were settled with settlement ratio of 94% of total number of non-suit claims. 93937 (Nos.) numbers of Suit claims were settled at a settlement ratio of 48%. Conciliation settlements as per Board approved manual in TP helped in this regard.

(iii) Grievances

Our Grievances settlement was exemplary with 'NIL' pendency as at 31.3.2019.

(iv) Operational Results

Following Portfolios showed steady or improved results as compared to previous year.

- Marine, Engineering, Liability, Personal Accident, Other Miscellaneous & Health (though more needs to be done in Health).

However, the following portfolios were affected by higher incidences and larger claims or higher provisioning requirements

- Fire, Motor and Crop Insurance.

Analysis of Financial Results 2018-19

- In Fire Department, higher incidences, including catastrophic losses (Kerala floods) impacted the results, particularly in small bands of Sum Insured. Re-Insurance deductible and Reinstatement premiums in RI covers, significantly added to higher outgo in Fire Deptt.
- In case of Motor OD the total claim incurred has gone up which is predominantly due to higher discount prevailing in the market and adverse impact of MISP breaches by competitors.



- मोटर टीपी में किए गए कुल उपगत दावे में वृद्धि मुख्य कारण उच्च प्रावधान, धारा 163 क में संशोधन का प्रभाव, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की दूसरी अनुसूची और नैशनल इश्योरेंस कंपनी के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रावधान में हैं।
- बढ़े हुए दावों का कारण XOL की टीपी दावों के सूचकांक के प्रभाव के कारण 113 करोड़ रुपये की सीमा तक की वसूली हैं।
- हेल्थ इश्योरेंस में बैंकएश्योरेंस उत्पाद के मूल्य सुधार और जीएमसी के नवीकरण के बावजूद बैंकएश्योरेंस और जीएमसी प्रदर्शन के कारण शुद्ध उपगत दावा राशि बढ़ी है।
- फसल बीमा में शुद्ध उपगत दावा राशि 2016-17 से संबंधित हमारी आने वाली सह-बीमा हिस्सेदारी के कारण बढ़ी है।
- हमारे फसल पोर्टफोलियो को सूखे और संबंधित कारणों के कारण महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में नुकसान उठाना पड़ा।
- वित्तीय वर्ष में अन्य विविध कारकों जैसे कि आईएलएफएस प्रावधान आदि के कारण वित्तीय परिणाम भी प्रभावित हुए हैं।

कुल मिलाकर, उपरोक्त कारकों ने अंडरराइटिंग के नुकसान को काफी बढ़ा दिया है।

(v) ट्रेजरी इनकम

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में निवेश आय स्थिर रही।

2018-19 के दौरान व्यवसाय और लाभप्रदता के बावजूद कई चुनौतियों सामना करना पड़ा, दृढ़तापूर्वक कंपनी में सुधार के साथ मार्केट शेयर, बेहतर ग्राहक सेवा, विशेष रूप से क्लेम सेटलमेंट में और बेस्ट एक्चुरियल एस्टिमेंट्स (अप्रकाशित) के अनुसार तकनीकी रिजर्व के लिए उच्च

- In Motor TP the total claim incurred has gone up largely due to higher provisioning, impact of Amendment to Section 163A Second Schedule of Motor Vehicle Act 1988 and revision in provisioning on account of the Apex Court Judgment of National Insurance Company vs Pranay Sethi
- The increased claims are also on account of the impact of indexing of TP claims of XOL recoveries to the extent of Rs.113 crores.

In Health Insurance the net incurred claim amount has increased on account of Bancassurance and GMC performance in spite of price correction of the Bancassurance product and GMC on renewal.

- In Crop Insurance the net incurred claim amount has increased on account of our incoming co-insurance share pertaining to 2016-17.
- Our Crop portfolio suffered losses in Maharashtra, Haryana and Jharkhand on account of drought and related causes.
- Financial results have also been impacted in the current year on account of other miscellaneous factors like ILFS reserving etc.

In aggregate, the above factors have increased underwriting losses significantly.

(v) Treasury Income

Investment Income remained steady in comparison with Financial Year 2017-18.

Despite several challenges to business and profitability, faced during 2018-19, with perseverance company improved Market Share, Improved Customer Service, particularly in Claims settlement and made higher allocations to Technical reserves as per Best Actuarial Estimates (undiscounted) which we believe will stand the



आवंटन किए गए, जो हमें विश्वास है कि भविष्य में कंपनी अच्छी स्थिति में होगी।

इसके कारण रिजर्व 'भविष्य के लिए तैयार' तकनीकी विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के कारण कंपनी को 2018-19 के दौरान 294 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।

2019-20 के लिए कार्य योजना।

- चालू वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट का मुख्य ध्यान व्यावसायिक क्षेत्रों और दावों के प्रबंधन पर नियंत्रण होगा
- कॉर्पोरेट स्तर पर बिजनेस एनालिटिक्स डिपार्टमेंट का गठन विस्तृत विश्लेषण, नवीनीकरण प्रतिधारण, बिजनेस एट्रिशन विश्लेषण, हानि नियंत्रण और प्रभावी दावा प्रबंधन के लिए किया गया है।
- यह विभागों में जिम्मेदारियों के क्षेत्रों के साथ महाप्रबंधक के प्रभार के तहत केंद्रीकृत होगा
- अधिक दावों के मद्देनजर इस चालू वित्तीय में मोटर, स्वास्थ्य और फसल के दावों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- हम सामान्य जिलों में 50% से अधिक सीसीई और जोखिम बहुल जिलों के मामले में 70% से अधिक का सह-निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर अपनी फसल टीमों को मजबूत कर रहे हैं।
- हमने कर्नाटक और उत्तराखंड में आरडब्ल्यूबीसीआईएस को शामिल करके अपने फसल पोर्टफोलियो में विविधता लाई है।
- सभी अग्नि और आईएआर 500 करोड़ रुपये तक के बीमित राशि (पीडी + बीआई) का प्रस्ताव हैं, जिनका प्रदान कार्यालय में आईसीआर 100% से अधिक है। मुख्या कार्यालय द्वारा 500 करोड़ (पीडी+बीआई) पर फायर/आईएआर प्रस्ताव बीमित किया जाना है।
- दावों के अनुभव के आधार पर 37 व्यवसायों के लिए प्रीमियम दरों में वृद्धि की गई है जो फायर डिपार्टमेंट में नुकसान के अनुपात में सुधार करने में मदद करेगा।
- स्वास्थ्य में: व्यापार की खुदरा लाइन में मूल्य सुधार

company in good stead for future years.

Because of this "Future-ready" Prudent approach to Technical reserving, Company had a net loss of Rs.294 crores during 2018-19.

Action Plan for 2019-20.

- In the current financial year the main focus of the corporate would be loss control across business segments and claims management
- Business Analytics Department at the corporate level has been constituted for carrying out detailed analytics, renewal retention, business attrition analysis, loss control and effective claim management
- This will be a centralized vertical under the charge of General Manager with areas of responsibilities across departments
- Critical areas like Motor, Health and Crop claims would be given special attention in this current financial in view of heavy claim outgo.
- We are strengthening our Crop teams at Regional Office level to co-observe more than 50% CCEs in normal districts and more than 70% in case of risk prone districts.
- We have diversified our Crop portfolio by including exposure of RWBCIS in Karnataka and Uttrakhand.
- All Fire and IAR proposals upto 500 crores Sum Insured (PD + BI) having ICR above 100% to be centralized in Head Office. Fire / IAR proposal over 500 crores (PD + BI) to be underwritten by Head Office.
- Premium rates for 37 occupancies have been increased based on claims experience which will help in improvement of loss ratio in Fire Deptt .
- In Health: Price correction in retail line of



के साथ-साथ सभी जीएमसी बीमा में नवीनीकरण और नुकसान करने वाले समूह खातों को बदलना। गैर-पीपीएन शहरों में प्रदाता नेटवर्क की समीक्षा।

- मोटर में % सेवा केंद्रों में प्रदर्शन की निगरानी और नियंत्रण पर प्रभावी दावा प्रबंधन।
- प्रधान कार्यालय के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक विशेष हानि नियंत्रण कक्ष का निर्माण।
- चालू वर्ष में एक बार फिर लोक अदालत, सुलह और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से दावों का निपटाना होगा।
- चालू वर्ष का लक्ष्य इस मोड के माध्यम से 24000 दावों के निपटान पर निर्धारित है, जो बकाया टीपी दावों का 25% है।

पूंजी की आवश्यकता

1972 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, से ओरिएंटल इश्योरेंस 3.47 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ शुरू हुआ। इसके बाद पिछले 46 वर्षों में कोई कैपिटल इन्प्यूजन नहीं किया गया था, हालांकि प्रीमियम 1974 में 58 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019 में 13485 करोड़ रुपये हो गया। वर्षों से कंपनी ने बड़ी रकम भेजने के अलावा, पर्याप्त लाभांश भी लौटाए हैं। विभिन्न करों के माध्यम से। आपकी कंपनी का वर्तमान भुगतान शेयर पूंजी 200 करोड़ रुपये है और शेयर पूंजी में कुल वृद्धि बोनस शेयर और आंतरिक स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित की गई है। पुस्तकों के अनुसार कंपनी का निवल वर्थ, बाजार मूल्यों के लिए समायोजित (रियल एस्टेट सहित) 15000 करोड़ रुपये से अधिक है। हालांकि, सांविधिक सॉल्वेंसी कैपिटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से मोटर और स्वास्थ्य में व्यापार वृद्धि का समर्थन करने के लिए जहां बीमा पैठ अभी भी कम है और फसल बीमा के तहत किसानों के 50% को कवर करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, हमें इस वर्ष पूंजी की आवश्यकता होगी।

business as well as all GMC policies on renewal and shedding of loss making group accounts. Review of provider network in non - PPN cities.

- In Motor: Effective claims management by focused monitoring and control of performance in Service Centers.
- Creation of a special loss control cell at each Regional Office under direct supervision of Head Office.
- The focus in the current year would also once again be settlement of claims through Lok Adalat, Conciliation as well as alternate dispute resolution mechanism.
- The current year target fixed at 24000 claims settlement through this mode amounting to 25% of outstanding TP claims.

Capital requirement

Post nationalization in 1972, Oriental Insurance began with an initial capital of Rs. 3.47 Crores. Thereafter no Capital Infusion was done in the last 46 years though the premium has steadily gone up from Rs. 58 crores in 1974 to Rs. 13485 crores in 2019. Company, over the years, has returned substantial dividends, besides remitting sizable amount to ex-chequer by way of various Taxes. The current Paid Up Share Capital of your Company is Rs 200 crores and the entire increase in Share Capital has been funded through issuance of Bonus Shares and Internal Accruals. Net Worth of the Company as per Books, adjusted for Market Values (including Real Estate) exceeds Rs.15000 Crores. However, to meet Statutory Solvency Capital requirements, to support Business growth particularly in Motor and Health where Insurance penetration is still low and to meet Government's target of covering 50% of the farmers under Crop Insurance, we shall be requiring Infusion of Capital this year.



मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है।

हम अपने शेयरधारकों, वित्त मंत्रालय, IRDAI, निदेशक मंडल के सदस्यों, पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड को उनके समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं।

हमारे कर्मचारियों को हमारी ईमानदारी से धन्यवाद और शुभकामनाएं जिन्होंने अधिकतम सहयोग बढ़ाया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट आपके विचारार्थ रखी गई है।

Ministry is examining the same.

We express our gratitude to our shareholders, Ministry of Finance, IRDAI, Members of the Board of Directors, Ex-Officio Member, Audit Board for their support, guidance and encouragement.

Our sincere thanks and good wishes to our employees who extended maximum cooperation.

The Annual Report for the Financial Year 2018-19 is placed for your consideration.



दि ओरिएंटल इंड्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT 2013

सेवा में,
सदस्यगण,
आपके निदेशक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार तथा लेखों के संबंध में इकहत्तरवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

To,
The Members,
Your Directors have pleasure in presenting their Seventy First Annual Report on the business of the Company and the accounts for the Financial Year ended March 31, 2019.

1. कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन

1. Financial Performance of the Company

(रु. लाख में)

(Rs. in lakhs)

	Fire		Marine		Miscellaneous		Total	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct remium: In India	99060	92300	32938	29374	1187934	1023527	1319932	1145201
भारत से बाहर Outside India	7673	7363	1990	2090	18880	19030	28543	28483
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium Total	106732	99663	34928	31464	1206815	1042557	1348475	1173684
निवल प्रीमियम Net Premium	61952	58439	19781	21707	1002806	922677	1084539	1002823
निवल से सकल का अनुपात Ratio of Net to Gross	58.04 %	58.64 %	56.63 %	68.99 %	83.09 %	88.50%	80.43 %	85.44%
निवेश की बिक्री पर लाभ (पॉलिसी धारक) Profit on Sale of Investments (Policy Holders')	14669 (23.68%)	13999 (23.96%)	5024 (25.40%)	5474 (25.22%)	142229 (14.18%)	162263 (17.58%)	161922 (14.93%)	181736 (18.12%)
ब्याज/लाभांश/ किराया (पॉलिसी धारक) Int./Div./ Rent (Policy Holders')	9649 (15.57%)	9172 (15.70%)	3305 (16.70%)	3586 (16.52%)	93558 (9.33%)	106307 (11.52%)	106512 (9.82%)	119065 (11.87%)
कमीशन तथा अन्य लाभ (निवल आय (+)/ निवल आउटगो (-) Commission and other income (Net Income+)/ Net Outgo (-)	-8571 (-13.83%)	-9588 (-16.41%)	-2050 (-10.36%)	-2137 (-9.84%)	-55508 (-5.54%)	-51725 (-5.61%)	-66129 (-6.10%)	-63450 (-6.33%)
एनपीए (प्रावधान (-)/राइट बैक (+)) NPA (Provision -)/ Write back(+)	-635 (-1.02%)	72 (0.12%)	-218 (-1.10%)	28 (0.13%)	-6159 (-0.61%)	829 (0.09%)	-7012 (-0.65%)	929 (0.09%)
शेयर मूल्य में अवनति (-)/रिटर्न बैक (+) in value of shares (-)/ written back (+)	-43 (-0.07%)	13 (0.02%)	-14 (-0.07%)	5 (0.02%)	-418 (-0.04%)	150 (0.02%)	-475 (-0.04%)	168 (0.02%)
असमाप्त जोखिम रिजर्व में वृद्धि (-)/कमी(+) Increase -)/ Decrease (+) in unexpired risks reserve	-1757 (-2.84%)	599 (1.02%)	1058 (5.34%)	1308 (6.03%)	-23689 (-2.36%)	-41930 (-4.54%)	-24388 (-2.25%)	-40023 (-3.99%)
निवल दावे Net Incurred claims	-67716 (-109.30%)	-50957 (-87.20%)	-13890 (-70.22%)	-16091 (-74.13%)	-1043202 (-104.03%)	-755074 (-81.84%)	-1124808 (-103.71%)	-822122 (-81.98%)
प्रबंधन के व्यय Expenses of Management	-22176 (-35.80%)	-20402 (-34.91%)	-3215 (-16.25%)	-2953 (-13.60%)	-219473 (-21.89%)	-237588 (-25.75%)	-244864 (-22.58%)	-260943 (-26.02%)
परिषोधित व्यय Amortization expenses	-240 (-0.39%)	-192 (-0.32%)	-82 (-0.41%)	-75 (-0.35%)	-2331 (-0.23%)	-2226 (-0.24%)	-2653 (-0.24%)	-2493 (-0.25%)



	Fire		Marine		Miscellaneous		Total	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
बट्टे खाते में निवेश Investment Written off	-70 (-0.11%)	-105 (-0.18%)	-24 (-0.12%)	-41 (-0.19%)	-680 (-0.06%)	-1219 (-0.13%)	-774 (-0.07%)	-1365 (-0.13%)
प्रीमियम की कमी Premium Deficiency	-3610 (-5.83%)	0	0	439 (0.02%)	0	0	-3610 (-0.33%)	439 (0.04%)
निवल ऑपरेटिंग लाभ/(हानि) Net Operating Profit /(Loss)	-18548 (-29.94%)	1050 (1.80%)	9675 (48.91%)	11250 (51.83%)	-112867 (-11.25%)	102464 (11.10%)	-121740 (-11.22%)	114764 (11.44%)
ब्याज, लाभांश तथा किराया (होयरधारक) Interest, Dividends & Rent (Shareholders')							25201	12462
निवेश की बिक्री पर लाभ (होयरधारक) Profit on sale of Investments (Shareholders')							38310	19021
अन्य आय/आउटगो Other Income/ Outgo							10492	-6527
सीएसआर व्यय CSR Expenditure							-722	-669
कर पूर्व लाभ (+) हानि (-) Prior period Income / Expense							5560	-823
कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) Profit (+) / Loss (-) before Tax							-42899	138228
स्रोत पर काटा गया कर तथा कर का प्रावधान IT deducted at source and Provision for Tax							0	-24800
पूर्व के वर्षों के लिए कर का प्रावधान Provision for Tax for earlier years							13533	37561
कर पश्चात निवल लाभ/हानि Net Profit/ Loss after Tax							-29366	150989
सामान्य आरक्षित/आकस्मिक रिजर्व में अंतरण Transfer to General Reserve / Contingency Reserve							-29366	150989
लाभांश का प्रावधान Provision for Dividend							0	0
कारपोरेट लाभांश कर Corporate Dividend Tax							0	0

उपरोक्त प्रतिशत निवल प्रीमियम पर है।

Percentages mentioned above are to Net Premium.

(in Rs. Crores)

विभाग Department		Gross Premium			Net Premium			Incurred Claim Ratio			
		2018-19	2017-18	Growth %	2018-19	2017-18	Growth %	2018-19 %	2017-18 %	2018-19 %	2017-18 %
						GROSS		NET			
अग्नि	Fire	1067.32	996.62	7.09	619.52	584.39	6.01	116.24	65.69	109.30	87.20
मरीन कारगो	Marine Cargo	205.95	213.07	-3.34	159.24	176.59	-9.82	54.28	53.98	66.04	57.33
मरीन हल	Marine Hull	143.32	101.57	41.10	38.57	40.48	-4.73	58.46	49.46	87.47	147.40
मरीन कुल	Marine Total	349.28	314.64	11.01	197.81	217.07	-8.87	56.00	52.52	70.22	74.13
मोटर ओडी	Motor OD	1594.69	1668.49	-4.42	1518.52	1582.62	-4.05	88.05	70.78	88.05	71.35
मोटर टीपी-नैर पूल	Motor TP-Non Pool	3067.69	2828.26	8.47	2905.91	2680.00	8.43	89.06	110.15	120.35	68.94
मोटर टीपी पूल	Motor TP-Pool	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
मोटर टीपी डीआर पूल	Motor TP D.R. Pool	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
मोटर कुल	Motor Total	4662.38	4496.75	3.68	4424.42	4262.62	3.80	89.95	90.05	110.56	63.99



विभाग Department		Gross Premium			Net Premium			Incurred Claim Ratio			
		2018-19	2017-18	Growth %	2018-19	2017-18	Growth %	2018-19 %	2017-18 %	2018-19 %	2017-18 %
						GROSS		NET			
इंजीनियरिंग	Engineering	238.13	232.11	2.59	191.21	202.79	-5.71	7.52	23.28	-1.82	20.87
वर्कमैन कम्प.	Workman Comp.	61.99	61.38	1.00	58.74	58.47	0.46	24.00	34.96	23.61	34.38
विमानन	Aviation	116.14	88.12	31.80	54.60	22.63	141.23	81.93	97.35	144.07	136.26
व्यक्तिगत दुर्घटना	Pers. Accident	625.74	559.61	11.82	556.38	502.12	10.81	110.04	146.19	107.36	128.05
स्वास्थ्य	Health	4088.09	3608.44	13.29	3901.01	3415.15	14.23	102.31	105.76	101.47	106.22
दायित्व	Liability	78.43	72.78	7.76	60.82	56.66	7.35	12.95	5.53	17.19	11.12
फसल	Crop	1758.64	825.21	113.12	383.58	184.30	108.13	181.39	91.86	179.10	92.31
अन्य विविध	Other Misc.	438.61	481.18	-8.85	397.29	522.02	-23.89	57.60	56.28	49.86	54.15
कुल विविध	Total Misc.	12068.15	10425.57	15.76	10028.06	9226.77	8.68	104.79	94.75	104.03	81.84
कुल	Total	13484.75	11736.84	14.89	10845.39	10028.23	8.15	104.43	91.15	103.71	81.98

2. वर्ष के दौरान कंपनी का कार्य

व्यापार वृद्धि:

सकल प्रीमियम आय वित्तीय वर्ष 2017-18 में 11736.84 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर 13484.75 करोड़ रुपए हो गई है जिसमें 14.89 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने निवल प्रीमियम पर 8.15 प्रतिशत की वृद्धि भी हासिल की है। सभी व्यावसायिकों ने सकल आधार पर वृद्धि दर्ज की है।

पुनर्बीमाकरण संचालन

निवल सकल अनुपात (प्रतिधारण प्रतिशत) गत वित्तीय वर्ष में 85.44 प्रतिशत की तुलना में घटकर 85.43 प्रतिशत हो गया है।

परिचालन परिणाम

कंपनी के समग्र ऑपरेटिंग प्रदर्शन में वर्ष 2017-18 के दौरान 1147.64 करोड़ रुपए की लाभ की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन हानि 1217.40 करोड़ रुपए है। निवल दावे वर्ष 2017-18 के दौरान 81.98 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 103.71 प्रतिशत हो गए हैं।

2. Company's working during the year

Growth of Business:

The Gross Premium Income increased to Rs. 13484.75 crores during 2018-19 as compared to Rs. 11736.84 crores during 2017-18 thereby recording a positive growth of 14.89 %, on gross basis. The Company has also achieved a growth of 8.15 % on Net premium. All the business lines have registered growth on gross basis.

Reinsurance Operations

The net to gross ratio (retention percentage) decreased to 80.43 % as compared to 85.44 % during the last fiscal year,

Operating Results

The overall operating performance of the company has resulted in an operating loss of Rs. 1217.40 crores during the year under review as against operating profit of Rs. 1147.64 crores during the year 2017-18. The net incurred claims ratio increased to 103.71 % in 2018-19 from 81.98 % during the year 2017-18.



प्रबन्धन व्यय

कुल प्रबन्धन व्यय गत वर्ष के दौरान 2692.99 करोड़ रुपए (शुद्ध प्रीमियम का 26.85 प्रतिशत जिसमें से 2609.43 करोड़ रुपए पॉलिसीधारकों की निधियों के नाम लिखे गए और 83.5 करोड़ रुपए स्वीकार्य सीमा से अधिक होने के कारण शेयरधारकों की निधियों के नाम लिखे गए) की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 2465.51 करोड़ रुपए (शुद्ध प्रीमियम का 22.58 प्रतिशत जिसमें से 2448.64 करोड़ रुपए पॉलिसीधारकों की निधियों के नाम लिखे गए और 16.87 करोड़ रुपए स्वीकार्य सीमा से अधिक होने के कारण शेयरधारकों की निधियों के नाम लिखे गए) था।

समग्र प्रदर्शन

निवेश की बिक्री से अर्जित लाभ में 5.24 करोड़ रुपए की गिरावट और प्रबन्धन व्यय में 227.48 करोड़ रुपए की कमी आई। इससे ऑपरेटिंग लाभ और निवेश आय दोनों को ध्यान में लेने के पश्चात् गत वर्ष के दौरान 1382.28 करोड़ रुपए के कर पूर्व लाभ की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 428.99 करोड़ रुपए की कर पूर्व हानि दर्ज की गई। गत वर्ष के दौरान 1509.89 करोड़ रुपए के कर पश्चात् लाभ की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 293.66 करोड़ रुपए की हानि हुई।

ऋणशोधन सीमा

ऋणशोधन सीमा दिनांक 31.3.2019 के अनुसार 1.57 रही।

लाभान्तर

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निदेशक मंडल द्वारा किसी भी किसी भ भुगतान की सिफारिश नहीं की गई।

आरक्षित

लाभ एवं हानि समायोजन लेखे के अनुसार 293.66 करोड़ रुपए की कर पश्चात् निवल हानि तुलन-पत्र में सामान्य आरक्षित लेखे/आकस्मिक आरक्षित लेखे में अन्तर्गत की गई है। गत वर्ष 3156.69 करोड़ रुपए की तुलना में दिनांक 31.3.2019 को समाप्त अवधि के लिए निवल मूल्य 2863.03 करोड़ रुपए था।

Management Expenses:

Total Management Expenses for the current year were Rs. 2465.51 crores (Rs. 2448.64 crores debited to Policyholders' Funds & Rs. 16.87 crores debited to Shareholder's fund being excess over allowable limits and overall 22.58% of net premium) as against Rs. 2692.99 crores (Rs. 2609.43 crores debited to Policyholders' Funds & Rs. 83.56 crores debited to Shareholder's fund being excess over allowable limits and overall 26.85 % of net premium) for the previous year.

Overall Performance

The profits generated by sale of investments decreased by Rs. 5.24 crores and the management expenses decreased by Rs. 227.48 crores. This coupled with underwriting losses resulted in loss before tax of Rs 428.99 crores during the year under review compared to profit before tax of Rs. 1382.28 crores during the previous year, after taking into account both operating profit and investment income. The loss after tax was Rs. 293.66 crores during the year under review as compared to profit after tax of Rs. 1509.89 crores during the previous year.

Solvency Margin:

The solvency margin ratio stood at 1.57 as on 31.3.2019.

Dividend

The Board of Directors have not recommended any dividend for the financial year 2018-19.

Reserves

The amount of Rs. 293.66 crores being net loss after tax as per the Profit and Loss Appropriation Account is transferred to General Reserve Account / Contingency Reserve Account in the Balance Sheet. The net worth was Rs. 2863.03 crores for the period ending 31.03.2019 as against Rs.3156.69 crores last year.



विदेशों में संचालन

कंपनी ने विदेशों में संचालन से नेपाल, दुबई और कुवैत से गत वर्ष की 284.83 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 285.42 करोड़ रुपए का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अर्जित किया। गत वर्ष के 262.11 करोड़ रुपए की तुलना में निवल प्रीमियम 297.30 करोड़ रुपए था और विदेशों में संचालन के सम्बन्ध में इस वर्ष के दौरान निवल दावे 333.32 करोड़ रुपए थे तथा निवल दावा अनुपात 112.11 प्रतिशत अंकित किया गया (गत वर्ष 79.36 प्रतिशत पर 208.01 करोड़ रुपए)। हमारे विदेशों में संचालन से गत वर्ष के दौरान, 1.62 करोड़ रुपए के निवल लाभ की तुलना में इस वर्ष 13.37 करोड़ रुपए की निवल हानि रही।

निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (अधीनस्थ ऋण) जारी करना

पूंजीगत विनियमों के अन्य रूप, 2015 के तहत आईआरडीएआई के पत्र दिनांक 06.02.2019 और 18.02.2019 द्वारा कंपनी को आईआरडीएआई के तहत (पूंजी के अन्य रूप) अधीनस्थ ऋण के रूप में 750 करोड़ रुपये की राशि जुटाने के लिए मंजूरी दे दी गई थी।

आईआरडीएआई की उक्त स्वीकृति के अनुसार, 15 मार्च 2019 को एनएसई-ईबीपी प्लेटफॉर्म पर ई-बिडिंग के माध्यम से भाग लेने वाले निवेशकों को निजी प्लेसमेंट के आधार पर कंपनी ने 7500 रेटेड, अनसिक्योर्ड, सबऑर्डिनेटेड, फुल्ली पेड-अप, लिस्टेड, रिडीमेंबल और नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी किए हैं और 10,00,000 रुपये प्रत्येक एग्रीगेट पर 750.00 करोड़ रुपये 8.80% की कूपन दर से आवंटित किए हैं। कंपनी को इन एनसीडी के लिए क्रीसिल (AAA / स्टेबल) और आईसीआरए (AAA नेगेटिव आउटलुक के साथ) द्वारा रेट किया गया है।

कंपनी द्वारा एनसीडी का कार्यकाल 5 वर्षों के अंत में प्रयोग किए जाने वाले कॉल ऑप्शन के साथ 10 वर्ष है, आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदन के अधीन है। वार्षिक आधार पर ब्याज देय है।

Foreign Operations

The Company's foreign operations in Nepal, Dubai and Kuwait together yielded a Gross Direct Premium of Rs. 285.42 crores during the year 2018-19 as against Rs 284.83 crores during the previous year. The Net Premium was at Rs 297.30 crores as against Rs. 262.11 crores last year and the net Incurred Claims during this year in respect of foreign operations were Rs. 333.32 crores with a net Incurred Claims Ratio of 112.11 % (Rs. 208.01 crores at 79.36 % for the last year). Our foreign operations had finally resulted in a net deficit of Rs. 13.37 crores as against a net surplus of Rs 1.62 crores during the previous year.

Issuance of Non-convertible Debentures (subordinated debt) on private placement basis

The Company was accorded approval to raise an amount of Rs. 750 crores as subordinated debt under IRDAI (Other forms of Capital) Regulations, 2015 vide IRDAI letters dated 06.02.2019 & 18.02.2019.

In accordance with the said approval of IRDAI, the Company has issued and allotted 7500 Rated, Unsecured, Subordinated, Fully Paid-up, Listed, Redeemable and Non-Convertible Debentures (NCD) of Rs. 10,00,000 each aggregating Rs. 750.00 Crores at a Coupon rate of 8.80 % on private placement basis to investors who participated through e-bidding on NSE-EBP platform on 15th March 2019. The Company has been rated by CRISIL (AAA/Stable) and ICRA (AAA with Negative Outlook) for these NCDs.

The tenure of NCDs is 10 years with call option exercisable at the end of 5 years by the Company, subject to approval by IRDAI. Interest is payable on annual basis.



एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को डिबेंचर ट्रस्टी और आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा जारी नियमों के अनुसार एनसीडी को विमुद्रीकृत रूप में रखा जाता है और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) में लागू किया जाता है।

18.03.2019 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ आवंटन की वापसी फॉर्म पीएस-3 दायर की गई थी। 18.03.2019 को आवंटन के परिणामस्वरूप, 18 मार्च, 2019 के दौरान एनएसडीएल द्वारा लाभार्थियों के डीमैट खातों में एनसीडी को जमा किया गया।

20 मार्च 2019 से प्रभावी रूप से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर कंपनी को एनसीडी की सूची के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

19.03.2019 को इन डिबेंचरों पर स्टांप शुल्क के भुगतान के लिए डाक संग्रहकर्ता दिल्ली में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कंपनी के कार्यकलापों का विस्तृत प्रतिवेदन

कंपनी के वरिष्ठ प्रतिनिधि एकजीक्यूटिव संचालन के विक्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और कॉरपोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी प्रतिवेदन के साथ उनका प्रतिवेदन निदेशकों के प्रतिवेदन के भाग के रूप में संलग्न है।

3. वर्ष 2019-20 के लिए योजना

हमने कंपनी के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 'एकाधिक लक्ष्य' निर्धारित किया है, जिसमें 'व्यापार वृद्धि 15 प्रतिशत, संयुक्त अनुपात 100 प्रतिशत तथा प्रबंधन व्यय में 5% की कमी का है। कंपनी खुदरा प्रसार, निगरानी और प्रबंधन खर्चों को नियंत्रित करने, प्रभावी ढंग से त्वरित दावों के निपटारे और समग्र दावों के प्रबंधन की दिशा में निगरानी के लिए बीमा की संख्या में वृद्धि जारी रखेगी, इस प्रकार कंपनी पॉलिसीधारकों की सेवा में मजबूती से 8वें दशक में पहुँची है।

SBICAP Trustee Company Limited has been appointed as the Debenture Trustee and RCMC Share Registry Pvt. Ltd. have been appointed as Registrar & Transfer Agents. The NCDs are held in dematerialized form and admitted at National Security Depositories Limited (NSDL) & Central Depository Services Limited (CDSL) as per applicable provisions of Companies Act, 2013 and Regulations issued by Securities Exchange Board of India in this regard.

Return of Allotment in Form PAS-3 was filed on 18.03.2019 with Ministry of Corporate Affairs. Consequent to allotment on 18.03.2019, the NCDs have been credited to the Demat accounts of the Beneficiaries by NSDL on 18th March, 2019.

The Company received approval for listing of NCDs on National Stock Exchange of India Limited (NSE) with effect from 20th March 2019.

Application for payment of Stamp Duty on these Debentures, was submitted in the Office of Collector of Stamps, Delhi on 19.03.2019.

Detailed Report of Company's Activities

The Senior Executives of the Company are presenting their detailed report for the financial year 2018-19 on critical areas of operation and their reports together with the report on Corporate Governance are attached as part of the report of the Directors.

3. Plans for 2019-20

We have set 'Multi Targets' for the FY 2019-20 for the Company, which is 'Business Growth of 15%, combined ratio of 100%, and reduction in ME by 5%'. The Company will continue to focus on increasing the number of policies for retail spread, monitoring and controlling management expenses, effectively monitoring towards expeditious claims settlement and overall claims management, thus ensuring that the Company



4. व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं था।

5. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली वास्तविक परिवर्तन और वचनबद्धताएँ, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दिन तथा प्रतिवेदन के दिन को हुई हों

उपरोक्तानुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

6. उचितरूप से और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले विनियामक अथवा न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा जारी महत्वपूर्ण और वास्तविक आदेश का विवरण

शून्य

7. सहायक/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध कम्पनियों का विवरण

कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

marches from strength to strength in its 8th decade of service to policyholders.

4. Change in the nature of business, if any

There was no change in the nature of business carried out by the Company during the year under review.

5. Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report

No changes as aforesaid have taken place.

6. Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

None

7. Details of Subsidiary/Joint Ventures/Associate Companies

The Company has one wholly owned subsidiary as detailed below:

क्र. सं. S. No.	सहायक कंपनी का नाम Name of the Subsidiary	कुल भुगतान होयर पूंजी Total Paid up Share Capital	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की % होल्डिंग % Holding of the Oriental Insurance Company Limited
1	द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited	रु. 5 लाख Rs 5 Lakhs	100 %

क्र. सं. S. No.	संयुक्त उद्यम एसोसिएट कंपनी का नाम Name of the Joint Venture Associate Company	कुल भुगतान होयर पूंजी Total Paid up Share Capital	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की % होल्डिंग % Holding of the Oriental Insurance Company Limited
1	हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लि. Health Insurance TPA of India Limited	रु. 70 करोड़ Rs. 70 Crores	23.75 %
2	इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्रा. लिमिटेड सिंगापुर India International Insurance Pte Ltd. Singapore	एसजीडी 5 करोड़ SGD 5 Crores	20 %



8. समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सभी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति।

विवरण यहां दिए गए हैं:

8. Performance and financial position of each of the subsidiaries, associates and joint venture companies included in the consolidated financial statement.

The details are given hereunder:

		समेकित निवल संपत्ति के % रूप में As % of Consolidated Net Assets	राशि Amount (Rs'000)	समेकित लाभ / हानि के % के रूप में As % of Consolidated Profit/Loss	राशि Amount (Rs'000)
1		2	3	4	5
सहायक भारतीय	Subsidiary INDIAN				
1. इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	1.The Industrial Credit Company Limited	0.00	-12	0	-53
एसोसिएट्स (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)	Associates (Investment as per the equity method)				
भारतीय	Indian				
1. हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लि.	1. Health Insurance TPA of India Ltd.	0.63	203082	-0.17	-5007
विदेशी	Foreign				
1. इंडिया इंटरनैशनल इश्योरेंस प्रा. लि. सिंगापुर	1. India International Insurance Pte Ltd, Singapore	11.91	3864602	-0.12	-22583

9. जमा

कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की गई थी।

9. Deposits

No deposits were accepted by the Company during the year under review.

10. सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एच.के. चौधरी एण्ड कंपनी, नई दिल्ली तथा एससीवी एंड कं. एलएलपी, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

10. Statutory Auditors

M/s. H. K. Chaudhry & Co., New Delhi and M/s. SCV & Co. LLP, New Delhi, were appointed as Central Statutory Auditors for the year 2018-19 by the Comptroller and Auditor General of India under Sec 139 of the Companies Act 2013 and also as auditors of Consolidated Financial Statements under section 139 read with section 129(4) of the Companies Act, 2013:



सभी प्रभागीय कार्यालयों में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। हम, हमारे सभी लेखापरीक्षकों का उनके मूल्यवान सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

11. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियाँ और उन पर हमारा उत्तर निम्नानुसार है:-

प्रबंधन द्वारा योग्य मत पर उत्तर

1) बीमा/पुनर्बीमा कारोबार करने वाले व्यक्तियों या निकायों से/उनके देय राशियों का शेष सीडिंग कंपनियों के पास जमा रिजर्व, एजेंट शेष, प्रीमियम जमा और एजेंटों का प्रीमियम, विविध देनदार, विविध लेनदार, अंतर-कार्यालय शेष, अज्ञात डेबिट और क्रेडिट बैंक खातों में प्रविष्टियां, कर्मचारी शेष और अग्रिम शेष वसूली/पुष्टि कुछ मामलों में लंबित हैं (नोट नंबर अनुसूची 16 का ख22 देखें)। परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, 31 मार्च, 2019 को उपरोक्त राजस्व खाते, लाभ और हानि खाते, भंडार और अधिशेष और परिसंपत्तियों और देनदारियों के ऊपर पुष्टि/सामंजस्य पर समायोजन, पता लगाने योग्य नहीं हैं और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

कंपनी का उत्तर – सामान्य प्रबंधक की देखरेख में एक सुव्यवस्थित प्रणाली पहले ही नियमित रूप से है जिनके साथ ओरिएंटल व्यापार साझाकरण व्यवस्था में है जो अन्य निकायों/व्यक्तियों से बकाया, संतुलन की पुष्टि और पुनर्प्राप्ति को प्रभावित करने के लिए उचित वसूली करती है। जीआई काउंसिल की देखरेख में, एक अलग सॉफ्टवेयर, ई-टीएसएस वर्ष 2016-17 में शुरू किया गया था और वर्ष 2017-18 से अंतर-कंपनी लेनदेन आंशिक रूप से सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया है। कंपनी को उम्मीद है कि निरंतर प्रयासों के साथ 31.03.2019 को अधिकतम शेष राशि, की पुष्टि चालू वर्ष 2019-20 के सितंबर

At all the Divisional Offices and Regional Offices, auditors were appointed for the year 2018-19 by the Comptroller and Auditor General of India. We convey our thanks to all our auditors for their valuable cooperation and guidance.

11. Auditors' Report

The comments by Auditors and our Replies thereto are as hereunder;

Management reply to Qualified Opinion

(i) Balances of amounts due to/from other persons or bodies carrying on insurance/reinsurance business, reserve deposit with ceding companies, agent balances, premium deposits and agent's premium, sundry debtors, sundry creditors, inter office balances, unidentified debit/ credit entries in bank accounts, employee balances and advances balances are pending reconciliation/confirmation in certain cases. (Refer Note B22 of Schedule 16). Consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/reconciliation of above on revenue accounts, profit and loss account, reserves and surplus and assets and liabilities as on 31st March, 2019, are not ascertainable and cannot be commented upon.

Reply of the Company - In order to exercise due diligence in pursuing recoveries from other bodies/ persons with whom Oriental is entering into business sharing arrangements, a well-organized system, under the supervision of a General Manager, is already in place for regular follow up, for obtaining confirmation of balances and effecting recoveries. Under the supervision of GI Council, a separate software, E-TASS was started in the year 2016-17 and the inter-company transactions from the year 2017-18 has been uploaded in the software. The Company is hopeful that with the continuous efforts maximum balance outstanding as on 31.03.2019 would



अंत तक की जाएगी। एजेंट के शेष राशि, प्रीमियम जमा और एजेंट के प्रीमियम, विविध देनदार, विविध लेनदारों, अंतर कार्यालय शेष, अज्ञात डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियों के बैंक खातों की 100% पुष्टि और पहचान प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में कर्मचारी शेष और अग्रिमों की शेष राशि का मिलान/पुष्टि लंबित है, जो सितंबर के अंत तक होने की संभावना है। कंपनी को उम्मीद है कि निरंतर प्रयासों के साथ, वर्तमान वर्ष 2019-20 में अधिकतम शेष राशि की पुष्टि की जाएगी। समय-समय पर एजेंटों, विविध ऋणी/लेनदारों से प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। कर्मचारियों से/को देय राशि की प्राप्ति/वसूली होने के कारण वेतन के माध्यम से समायोजित/वसूली की जाती है अंतर-कार्यालय शेष का मिलान किया जा रहा है और पहचान किए गए लेनदेन के संबंध में प्रविष्टियां पास कर दी गई हैं। अज्ञात डेबिट खाता 9901 के तहत दिखाई देने अज्ञात डेबिट वाली राशियों की पहचान वर्तमान वर्ष में संबंधित कार्यालयों द्वारा की गई है और प्रविष्टियों को चालू वर्ष में पुस्तकों में पास किया जा रहा है।

- ii) इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड वित्तीय विवरणियों हेतु सिंगापुर कंपनी अधिनियम, अध्याय 50 द्वारा आवश्यक के रूप में सिंगापुर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (एफआरएस) के अनुसार एक सहयोगी तैयार किया गया है, जो होल्डिंग कंपनी के वित्तीय की तैयारी में ढांचे से अलग है समायोजन कंपनी के खातों को संरेखित करने के लिए समेकन की प्रक्रिया के दौरान लेखांकन नहीं किया गया है, जिसका प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।

कंपनी का उत्तर:

विदेशी कंपनी के खातों का लेखापरीक्षण किया जाता है और उसके बाद की रिपोर्टिंग संबंधित देश के लेखा परीक्षकों द्वारा उक्त देश के नियमों के अनुसार की जाती है।

be confirmed in the current year 2019-20 by September end. Efforts are being made to get the 100% confirmations and identifications of outstanding balances of agent balances, premium deposits and agent's premium, sundry debtors, sundry creditors, inter office balances, unidentified debit/ credit entries in bank accounts. Employee balances and advances' balances are pending reconciliation/ confirmation in certain cases which are likely to be done by September end. The Company is hopeful that with the continuous efforts, maximum balances would be confirmed in the current year 2019-20. Certificates are also obtained from agents, sundry debtors/ creditors from time to time. Balances due from/ due to employees are adjusted / recovered through salary. Inter-office balances are being reconciled and entries have been passed in respect of identified transactions. Amounts appearing under unidentified debits a/c 9901 have been identified by the concerned offices in the current year and entries are being passed in the books in the current year.

- ii) The financial statements for the India International Insurance Pte Ltd, an associate have been prepared in accordance with Singapore Financial Reporting Standards (FRS) as required by the Singapore Companies Act, Chapter 50 which is different from the framework used in preparation of financials of Holding company, during the process of consolidation accounting adjustment have not been made to align the accounts of company, the effect of which is not ascertainable.

Reply of the company-

The accounts of Foreign Company are audited and the reporting thereon is done by the auditors at respective country as per the regulations of said country.



मुख्य मामलों पर प्रबंधन का उत्तर:

हम वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) पिछले वर्ष में मोटर एक्सओएल संधियों की वसूली योग्य दिखाए गए मोटर पूल और डीआर पूल के दावों की अनजाने बुकिंग के कारण उस पर निवल आईबीएनआर प्रभाव तथा 3596500 (हजार में) से कम वसूली योग्य हैमोटर एक्सओएल राशि के संबंध में अनुसूची 16 का नोट संख्या बी4(ख) परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में नुकसान उस सीमा तक से अधिक है।

कंपनी का उत्तर

यह पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बुक की गई अतिरिक्त वसूलियों को उलट कर खातों की सच्ची और सही तस्वीर दिखाने के लिए किया गया था।

ख) कंपनी के पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन ट्रस्टों के आईएलएंडएफएस ग्रुप में रुपये 770000 (हजार में) (एक्सपोजर के बारे में अनुसूची 16 का नोट नंबर बी 20.9) और वर्ष के अंत में लेखा मानक एएस-15 के अनुसार पीएफ, पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना करते समय 'सेवानिवृत्ति लाभ' किसी भी तरह की हानि पर विचार नहीं किया गया है।

कंपनी का जवाब

चूंकि खातों को अंतिम रूप देने के समय विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए इसमें किए आवश्यक कार्य नहीं किए जा सकते थे। कंपनी वर्ष 2019-20 में समीक्षा करेगी और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी।

ग) कुछ संपत्तियों के शीर्षक दस्तावेजों की गैर-उपलब्धता के बारे में और अचल संपत्तियों सहित अचल संपत्तियों के संबंध में अनुसूची 16 के नोट सं. बी-21 रिकॉर्ड पूर्ण नहीं हैं और कुछ मामलों में आवश्यक के रूप में/या बनाए नहीं रखा गया है।

Management reply on Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters in the Notes to the financial statements:

a) Note No. B4 (b) of Schedule 16 regarding Motor XOL amount recoverable lower by Rs. 3596500 (In Thousand) and consequential effect on Net IBNR thereon, due to the inadvertent booking of claims of Motor Pool and DR Pool shown as recoverable in XOL treaties in previous year. Consequently, loss for the year ended 31st March, 2019 is higher to that extent.

Reply of the Company

This was done to show a true and correct picture of accounts by reversing excess recoveries booked during the previous financial year.

b) Note No. B20.9 of Schedule 16 regarding exposure of the Company's P.F., Gratuity and Pension Trusts in IL&FS Group amounting to Rs. 770000 (In thousand) and not considering the impairment, if any while calculating P.F., Pension and Gratuity provisions as per Accounting Standard AS-15 "Retirements Benefits" at the year end.

Reply of the Company

Since detailed data was not available at the time of finalization of accounts, necessary working for the same could not be carried. The Company will review the same in the year 2019-20 and will take necessary steps in this regard.

c) Note No. B21 of Schedule 16 regarding non availability of title documents of certain properties and records of fixed assets including immovable properties are not complete and/or not maintained as required in certain cases.



कंपनी का जवाब

कंपनी के पास संपत्ति के स्वामित्व का सबूत देने वाले दस्तावेज हैं जैसे कि शेयर प्रमाणपत्र, बिक्री के कार्य या संपत्तियों के पंजीकरण विवरण।

- घ) वर्ष के दौरान प्रयोग किए जा रहे यूपीआर में द्विभाजन के बजाय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कुल प्रीमियम की बुकिंग के संबंध की लेखांकन पॉलिसी में परिवर्तन के संबंध में अनुसूची 16 का बी 25 (बी) (i) पालन किया जा रहा है। परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए नुकसान 1637608 रुपये (हजार में) से कम है।

कंपनी का जवाब

आईआरडीएआई परिपत्र संख्या आईआरडीएआई-एफएंडए-सीआईआर-एफए-126-07-2013, दि. 3 जुलाई, 2013 में छोटी अवधि की नीतियों के मामले में वर्ष के दौरान कुल प्रीमियम की पॉलिसी का प्रावधान है जहां पॉलिसी की अवधि वर्ष के दौरान समाप्त हो गई है। अप्रैल 2018 से नवंबर 2018 तक छोटी अवधि के लिए अलग-अलग अवधि के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-खरीफ के तहत विभिन्न पॉलिसियों जारी की गई हैं। जैसा कि पॉलिसी की अवधि समाप्त हो गई है और सभी दावे फरवरी 2019 तक प्राप्त हुए हैं, किसी भी दावे की आगे कोई संभावना नहीं है। इसलिए, कंपनी ने लेखांकन नीति को बदलने का फैसला किया है और खरीफ के लिए 100% प्रीमियम बुक किया है।

- ड़) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य बीमा बीमा जारी करने के बारे में अनुसूची 16 के नोट 25 (ग) में गुजरात राज्य से 45%, 45% और 10% की 3 किस्तों में प्रीमियम प्रदान किया गया। कंपनी ने हालांकि चालू वित्त वर्ष में उक्त पॉलिसी पर पूरे प्रीमियम का हिसाब है, जबकि रु. 422782

Reply of the Company

The Company is in possession of documents evidencing the ownership of property e.g. Share Certificates, Sale Deeds or registration particulars of properties.

- d) Note No. B25 (b) (i) of Schedule 16 regarding change in accounting policy of booking of entire premium of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – Kharif during the year instead of bifurcation into UPR being followed hitherto. Due to the change the loss for the year is lower by Rs. 1637608 (in thousand).

Reply of the Company

IRDAI circular no IRDA-F&A-CIR-FA- 126-07-2013 Dt.3rd July, 2013 provides for booking of entire premium during the year in case of short terms policies where policy period has expired during the year. Various policies under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna-Kharifhas been issued for varying periods ranging from April 2018 to November 2018 for shorter period. As policy period has expired and all claims have been received by February 2019, there is no further possibility of any claim. So, company has decided to change accounting policy and booked 100% premium for Kharif.

- e) Note No. 25(c) of Schedule 16 regarding issue of “Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana” healthcare insurance cover to the State of Gujarat with the premium receivable in 3 instalments of 45%, 45% and 10%. The Company however has accounted for the entire premium on the said policy in the current financial year, though the second and third instalments (net impact Rs. 422782 (in thousand)) are



(हजार में) दूसरी और तीसरी किस्त (शुद्ध प्रभाव) वित्तीय वर्ष में शीघ्र वसूलनीय है।

कंपनी का जवाब -

कंपनी ने 44.85 लाख परिवारों के कवरेज के साथ "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के तहत हेल्थकेयर बीमा कवर के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसमें अक्टूबर, 2018 से 30 सितंबर, 2019 तक कुल 01.83 करोड़ रुपये का कुल प्रीमियम 161.83 करोड़ रुपये है। चूंकि सभी परिवार का बीमा पहले दिन से लागू है, इसलिए कंपनी ने वर्ष के दौरान 100% प्रीमियम यानी 161.83 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। भुगतान की शर्तों के अनुसार, सरकार गुजरात में प्रीमियम की भुगतान की सुविधा को 45%, 45% और 10% की 3 किस्तों में बढ़ाया गया है। तदनुसार 72.82 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है और शेष राशि 89.01 करोड़ रुपये 31 मार्च, 2019 तक बकाया रहा।

- च) पुनर्बीमा बीमा प्रीमियम की राशि के बारे में अनुसूची 16 का नोट नं बी 28 (बी) उन दावों के खाते पर संगत प्रभाव होने से उनकी पुष्टि नहीं की जा सकता है।

कंपनी का जवाब -

अग्नि और इंजीनियरिंग पॉलिस के प्रावधानों के अनुसार, बीमा राशि को पॉलिसी अवधि के दौरान बनाए रखा जाना चाहिए और बीमित व्यक्ति को पॉलिसी की अनपेक्षित अवधि के लिए निर्धारित दावे की राशि पर यथानुपात प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसलिए, दावा किए गए दावे की राशि पर पॉलिसी की शेष अवधि के लिए दावा राशि की वसूली के लिए पुनर्स्थापना प्रीमियम वसूली योग्य है। लेकिन ऐसा प्रीमियम तब होता है जब दावा किया जाता है।

receivable in immediately succeeding financial year.

Reply of the Company -

The Company has entered into an agreement with the Government of the State of Gujarat to provide healthcare insurance cover under the "Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana" with coverage of 44.85 lacs families, with a total premium of Rs. 161.83 crore for the period 01st October, 2018 to 30th September, 2019. Since all families are covered from 1st day of the policy, the company has booked 100% premium i.e. 161.83 crore during the year. As per terms of payment agreed, Govt. of Gujrat has been extended the facility of payment of premium in 3 instalments of 45%, 45% and 10%. Accordingly an amount of Rs. 72.82 crores has been received and balance amount of Rs 89.01 crore remained outstanding as on 31st March, 2019.

- f) Note No. B28(b) of Schedule 16 regarding amount of reinstatement insurance premium remains unaccounted having corresponding effect on the claims incurred account for which quantum remains indeterminate.

Reply of the Company -

As per provisions of fire and engineering policies, sum insured has to be maintained throughout the policy period and insured need to pay pro rata premium on the amount of claim settled for the unexpired period of policy. Therefore, reinstatement premium is recoverable out of claim amount for balance period of policy on the amount of claim settled. But such premium becomes due only when claim is paid.



हमारे कोर बीमा आवेदन, इनलियाज में दावे के भुगतान के समय संबंधित बीमा खंड को जमा करके पुनर्स्थापना प्रीमियम के स्वयंमेव लेखांकन का प्रावधान है। हालांकि इस तरह के प्रीमियम का निर्धारण दावे के देय राशि के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए, इस तरह के प्रीमियम का भुगतान सही दावा राशि के विवरण के लिए अनगिनत रहता है।

- छ) जनरल इश्योरेंस (कर्मचारी) पेंशन संशोधन योजना, 2019 नोट नं बी 31 (2) (ग) अनुसूची 16 के बारे में अधिसूचना सं. एस.ओ. 1627 (ई) दिनांक 23 अप्रैल 2019 को देखें। कंपनी ने उन सभी कर्मचारियों के डेटाबेस के संकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके लिए इस योजना ने पेंशन योजना का विकल्प चुनने का विकल्प दिया है। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कंपनी का दायित्व उन कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो निर्दिष्ट अवधि के भीतर योजना का चयन करते हैं और उसी के अनुसार हिसाब लगाया जाएगा।

कंपनी का जवाब -

रोल पर कर्मचारियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22.07.2019 और सेवानिवृत्त लोगों और उनके परिवार के लिए 22.10.2019 है। इसलिए, पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की वास्तविक संख्या को इन नियत तारीखों के बाद ही जाना जाएगा, तभी कंपनी कर्मचारियों के प्रति अपने दायित्व को निभा सकती है। कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के बाद, कंपनी वर्ष 2019-20 में बहीखातों में आवश्यक प्रावधान करेगी।

- ज) कर्मचारी के वेतन संशोधन की देयता के गैर प्रावधान के बारे में अनुसूची 16 के नोट संख्या बी 31 (एफ) के कारण। 2017/08/01।

Our core insurance application, INLIAS, has provision for automatic accounting of reinstatement premium by crediting the concerned insurance segment at the time of payment of claim. However such premium can be determined only after claim amount payable is determined. So, such premium remains unaccounted for want of details of exact claim amount payable.

- g) Note No. B31 (2) (c) of Schedule 16 regarding Notification no. S.O. 1627 (E) dated 23rd April 2019 on General Insurance (Employees) Pension Amendment Scheme, 2019. The Company has started the process of compilation of databases of all the employee to whom the scheme has given an option for opting for pension scheme. The obligation of the Company in respect of such employees would be determined on the basis of the number of employees who opt for the scheme within the specified period and would be accounted for accordingly.

Reply of the Company -

Last date of application for employees on roll is 22.07.2019 and for retirees and their family is 22.10.2019. So, actual number of employees opting for pension scheme will be known after these due dates only when company can work out its obligation towards employees. After determining the number of employees, the company will make necessary provision in books of accounts in the year 2019-20.

- h) Note No. B31(f) of Schedule 16 regarding non provision of liability of employee's wage revision due w.e.f. 01.08.2017.



कंपनी का जवाब -

कर्मचारियों का वेतन संशोधन 01.08.2017 से देय हो गया है। हालांकि, कर्मचारियों को इसके प्रस्ताव के बारे में एमओएफ से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, इस संबंध में बहीखातों में कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है। कंपनी एमओएफ से आवश्यक संकेतक/निदेश प्राप्त करने के बाद खाते में आवश्यक प्रावधान करेगी।

- झ) सरकार की ओर से 1957 रुपये (हजार) थी। आरएसबीवाई से प्राप्त प्रीमियम प्राप्य के संबंध में अनुसूची 16 की नोट संख्या बी39।

कंपनी का जवाब

पिछले वर्षों के दौरान अपने कार्यालय द्वारा बुक किए गए आरएसबीवाई प्रीमियम के कारण केंद्र और राज्य सरकारों से कुल 19.57 करोड़ रुपये की वसूली की जा सकती है। इस संबंध में कोई संदिग्ध ऋण का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इस राशि केंद्र और राज्य सरकारों की स्वायत्त गारंटी रहती है।

- ण) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के संबंध में अनुसूची 16 की नोट संख्या बी41।

कंपनी का जवाब -

माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के कारण की देय राशि के संबंध में जानकारी कंपनी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है और इसलिए, राशियों तथा कथित अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित देय/अदेय ब्याज के साथ एक साल के अंत में भुगतान किए गए ब्याज/ देय के रूप में अवैतनिक राशि से संबंधित है, यदि कोई हो उक्त अधिनियम के तहत आवश्यक खातों में नोट नहीं दिए गए हैं।

Reply of the Company -

Wage revision of employees has become due from 01.08.2017. However, no advises has been received from MOF regarding its offer to employees. So, no provision could be made in books of accounts in this regard. The company will make necessary provision in account after receiving necessary indicators/advises from MOF.

- i) Note No. B39 of Schedule 16 regarding premium receivable of RSBY amounting to Rs. 1957 (In Thousand) from Government.

Reply of the Company

A total sum of Rs. 19.57 crore is recoverable from Central and State Governments on account of RSBY premium booked by its office during the previous years. No bad debt provision has been made in this regard since this amount enjoy sovereign guarantee of central and state governments.

- j) Note No. B41 of Schedule16 regarding the Company not complying with the requirements of disclosure under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

Reply of the Company -

The information as to amount due to suppliers under the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 is not readily available with the company and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year-end together with interest paid/ payable as required under the said Act have not been given in notes to accounts.



हालांकि, यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी ने कोई चूक नहीं की है, और न ही किसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के कारण किसी भी भुगतान में देरी की है, जिससे वह आपूर्ति या सेवा प्राप्त कर रहा है।

- त) इस रिपोर्ट के साथ निपटाए गए वित्तीय विवरणों में शामिल विदेशी शाखाओं और एजेंसियों के रिटर्न के संबंध में अनुसूची 16 के नोट नंबर बी 49 की आमतौर पर संबंधित स्थानों/देशों में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर मिलान किया जाता है। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का अनुपालन इन विदेशी शाखा/एजेंसियों के संबंध में लंबित है, जिनके प्रभाव का पता नहीं चला है। इसके अलावा विदेशी शाखा के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आईआरडीएआई विनियम 2002 के अनुसार बताई गई जानकारी शामिल नहीं है।

कंपनी का जवाब -

- थ) विदेशी कार्यालय के संबंध देश के विनियमों के अनुसार अपने देश में काम करते हैं और उनके द्वारा तैयार किए गए खाते केवल स्थानीय नियमों के अनुसार होते हैं। इसलिए विदेशी कार्यालयों के खातों में आईआरडीएआई विनियम 2002 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित जानकारी शामिल नहीं है।

हालांकि, इन विदेशी कार्यालयों के सांविधिक लेखा परीक्षक सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और सीएजी द्वारा निर्धारित प्रारूपों में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

- द) 31 मार्च, 2019 को आईएल एंड एफएस समूह में 3583861 रुपये (हजार में) के निवेश और कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान के बारे में अनुसूची 16 का नोट संख्या बी 20.8।

However, it is confirmed that the Company has not defaulted, nor has it has delayed any payment due to any micro, small and medium enterprise from which it has been procuring supplies or availing service.

- k) Note No. B 49 of Schedule 16 regarding returns of foreign branches and agencies incorporated in the financial statements dealt with by this report, are compiled based on the accounting principles generally accepted at the respective locations/countries. Compliance of Generally Accepted Accounting Principles in India is pending in respect of these foreign branch/agencies, effect of which has not been ascertained. Further the auditor's report in respect of foreign branch do not contain the information required to be stated in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with IRDAI Regulations 2002.

Reply of the Company -

- l) Foreign offices work in their respective country according to regulations of the country and accounts prepared by them are in accordance with local regulations only. So foreign offices accounts do not contain the information required to be stated in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with IRDAI Regulations 2002.

However, statutory auditors of these foreign offices are appointed by CAG and submit the report in formats prescribed by CAG.

- m) Note No. B20.8 of Schedule 16 regarding the Company having an investment exposure of Rs. 3583861 (in Thousand) in IL&FS Group as on 31st March, 2019 and the provision made by the Company.



कंपनी का जवाब

कंपनी का 31.03.2019 तक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल-एफएस) समूह में 35828.33 लाख रुपये का कुल निवेश है। आईएल-एफएस समूह की कंपनियों ने 31 मार्च 2019 को देय मूल राशि ब्याज का भुगतान आईएल-एफएस समूह के सभी निवेशों को आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान है और इसलिए कंपनी ने निवेश पर 9004.17 लाख रुपये (यानी 2980.46 लाख रुपये सुरक्षित हिस्से पर 10% और 6023.71 लाख रुपये और असुरक्षित हिस्से पर 100%) का प्रावधान किया है। निवेश के अन्य संबंधित मामलों के अनुसार उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मास्टर सर्कुलर आईआरडीएआई (इन्वेस्टमेंट) रेगुलेशन 2016.

12. वार्षिक रिटर्न का सार

वार्षिक रिटर्न का सार फॉर्म संख्या एमजीटी-9 में बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी किसी निर्माण गतिविधि में शामिल नहीं है और कंपनी के कार्यकलाप ऊर्जा से सम्बन्धित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी नई प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया गया है। अतः जहाँ तक ऊर्जा संरक्षण अथवा प्रौद्योगिकी अवशोषण का सम्बन्ध है, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक कोई विवरण नहीं है।

ख. विदेशी मुद्रा आय और आउटगो:

वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की विदेशी मुद्रा आय 469.47 करोड़ रुपये है जबकि विदेशी मुद्रा में आउटगोइंग 468.41 करोड़ रुपये है।

Reply of the Company

The Company has an aggregate investment exposure of Rs. 35828.33 Lakhs in Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. (IL&FS) group as on 31.03.2019. Companies in IL&FS group have defaulted payment of interest and principle which was due up to 31st March 2019. All investments in the IL&FS group, therefore, is categorized as sub-standard asset as per Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and other related matters of Investment-Master Circular IRDA (Investment) Regulations 2016. The company has therefore made a provision of Rs. 9004.17 Lakhs (i.e. Rs. 2980.46 lakhs at 10% on secured portion and Rs. 6023.71 Lakhs i.e. 100% on unsecured portion) of investment.

12. Extract of the annual return

The extract of the annual return in Form No. MGT - 9 is annexed to the Board's report

13. Conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo

A. Conservation of energy, technology absorption

The Company is not engaged in any manufacturing activity and the operations of the Company are not energy intensive. Further, no new technology has been absorbed by the Company. Hence no particulars required as such to be disclosed under the Companies (Accounts) Rules, 2014 with regard to conservation of energy or technologies absorption are required to be given.

B. Foreign Exchange Earnings and Outgo:

The Company's foreign exchange earnings for the year 2018-19 are Rs. 469.47 crores whereas the outgo in the foreign currency has been Rs. 468.41 crores.



14. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनियों के नियम 9 (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पॉलिसी) नियम, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण निदेशक की रिपोर्ट में संलग्न किए गए हैं।

15. निर्देशक:

क) निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

निदेशक मंडल और इसकी समितियां (28.05.2019 को)

कंपनी के निदेशक मंडल में बीमा, बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना और रूपरेखा निम्नानुसार है:

1. श्री ए. वी. गिरिजाकुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री मुकेश कुमार जैन, पदेन निदेशक
3. श्री ललित कुमार चंदेल, सरकार नामित निदेशक
4. सुश्री मुदिता मिश्रा, सरकार नामित निदेशक
5. श्री पंचानन नायक, गैर-सरकारी निदेशक
6. श्री असीम चावला, गैर-सरकारी निदेशक
7. श्री दिनेश वाघेला, वेलेटाइम निदेशक

बोर्ड ने पिछले बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख यानी 17 मई, 2018 से अपनी संरचना में निम्नलिखित बदलाव किए हैं

नियुक्तियां:

1. श्री दिनेश वाघेला को कंपनी के पूर्ण-कालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 01.06.2018 को शामिल हुए।

सेवानिवृति:

1. श्री बलवंत सिंह, पूर्ण-कालिक निदेशक, 30 अप्रैल, 2019 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक को सेवानिवृति की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हुए।
2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, सरकार के नामित निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय,

14. Corporate Social Responsibility (CSR)

The disclosures as per Rule 9 of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 are annexed to the Director's Report

15. Directors:

A) Board of Directors and Key Managerial Personnel

BOARD OF DIRECTORS & ITS COMMITTEES (as on 28.05.2019)

The Board of Directors of the Company consists of a perfect blend of experts from the fields of Insurance, Banking and Finance. The present composition and profile of the Board of Directors of the Company is as under:

1. Shri A. V. Girijakumar, Chairman-cum-Managing Director
2. Shri Mukesh Kumar Jain, Ex-Officio Director
3. Shri Lalit Kumar Chandel, Government Nominee Director
4. Ms. Mudita Mishra, Government Nominee Director
5. Shri Panchanan Nayak, Non-Official Director
6. Shri Aseem Chawla, Non-Official Director
7. Shri Dinesh Waghela, Wholetime Director

The Board underwent the following changes in its composition since the date of last Board's report i.e. 17th May, 2018

APPOINTMENTS

1. Shri Dinesh Waghela was appointed as Whole-time Director of the Company and he joined on 01.06.2018.

CESSATIONS

1. Shri Balwant Singh, Whole-time Director, ceased to be a Director on the Board of the Company on 30th April, 2019 consequent to retirement on attaining age of superannuation.
2. Dr. N. Srinivasa Rao, Government Nominee Director, ceased to be a Director on the Board of the Company vide Notification



भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 08 मई 2019 को जारी की गई अधिसूचना के अग्रसर कंपनी के बोर्ड के एक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

dated 08th May 2019 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

बोर्ड बैठक विवरण:

वर्ष के दौरान, मंडल की 17 मई 2018, 30 जुलाई, 2018, 21 अगस्त 2018, 19 नवंबर, 2018, 14 फरवरी 2019 और 26 फरवरी 2019 को 6 बैठकें हुईं उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

BOARD MEETING DETAILS:

During the year, the Board met six (6) times viz. on 17th May 2018, 30th July, 2018, 21st August 2018, 19th November, 2018, 14th February 2019 and 26th February 2019. The attendance of the Directors at the said meetings is as below:

निदेशक	Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held in his / her tenure	बैठकों की संख्या में भाग लिया No. of Meetings attended
श्री ए. वी. गिरिजाकुमार	Shri A. V. Girijakumar	6	6
श्री मुकेश कुमार जैन	Shri Mukesh Kumar Jain	6	6
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	Dr. N. Srinivasa Rao	6	1
सुश्री मुदिता मिश्रा	Ms. Mudita Mishra	6	1
श्री पंचानन नायक	Shri Panchanan Nayak	6	6
श्री असीम चावला	Shri Aseem Chawla	6	5
श्री बलवंत सिंह	Shri Balwant Singh	6	5
श्री दिनेश वघेला	Shri Dinesh Waghela	5	5

निदेशक मंडल की 448 वीं बैठक वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों की मंजूरी के लिए 28 मई 2019 को आयोजित की गई थी।

The 448th Meeting of Board of Directors was held on 28th May 2019, for approval of Audited Financial Statements for the financial year 2018-19.

बोर्ड कमेटी का विवरण:

BOARD COMMITTEE DETAILS:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बोर्ड समिति:

BOARD COMMITTEES AS PER COMPANIES ACT, 2013:

लेखापरीक्षा समिति का विवरण

AUDIT COMMITTEE DETAILS:

लेखापरीक्षा कमेटी बोर्ड को आंतरिक लेखा परीक्षण और संबंधित कार्य प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग की देखरेख भी करती है।

The Audit Committee inter-alia oversees the financial statements and financial reporting before submission to the Board, Internal audit function and the related work.

श्री मुकेश कुमार जैन समिति के अध्यक्ष हैं और श्री असीम चावला समिति के वैकल्पिक अध्यक्ष हैं।

Shri Mukesh Kumar Jain is the Chairman of the Committee and Shri Aseem Chawla is the Alternate Chairman of the Committee.



वर्ष के दौरान, समिति की 17 मई 2018, 30 जुलाई, 2018, 21 अगस्त 2018, 19 नवंबर, 2018, 14 फरवरी 2019 और 26 फरवरी 2019 को 6 बैठकें हुईं। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

During the year, the Committee met six (6) times viz. on 17th May 2018, 30th July, 2018, 21st August 2018, 19th November, 2018, 14th February 2019 and 26th February 2019. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

निदेशक/समिति सदस्य	Director / Committee Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held in his / her tenure	बैठकों की संख्या में भाग लिया No. of Meetings attended
श्री मुकेश कुमार जैन	Shri Mukesh Kumar Jain	6	6
श्री असीम चावला	Shri Aseem Chawla	6	5
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	Dr. N. Srinivasa Rao	6	1
श्री पंचानन नायक	Shri Panchanan Nayak	5	5
श्री बलवंत सिंह	Shri Balwant Singh	5	4

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति विवरण

बोर्ड की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 के अनुसार किया गया था, दिनांक 27 फरवरी, 2014 को कंपनी के सीएसआर नीति को मंजूरी देने और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। राकीय अधिसूचना सं. जीएसआर 129(ई) द्वारा अधिसूचित किया गया था।

श्री ए. वी. गिरिजाकुमार समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति चार बैठकें 17 मई 2018, 30 जुलाई, 2018, 19 नवंबर, 2018 और 14 फरवरी 2019 को हुईं। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE DETAILS

The Corporate Social Responsibility Committee of the Board was constituted in terms of the Section 135 of Companies Act 2013 notified vide Gazette notification no. G. S. R. 129 (E) dated 27th February, 2014 issued by Ministry of Corporate Affairs to approve the CSR Policy of the Company and ensure its implementation.

Shri A. V. Girijakumar is the Chairman of the Committee.

During the year, the Corporate Social Responsibility Committee met four (4) times viz. on 17th May 2018, 30th July, 2018, 19th November, 2018 and 14th February 2019. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:



निदेशक / समिति सदस्य	Director / Committee Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held in his / her tenure	बैठकों की संख्या में भाग लिया No. of Meetings attended
श्री ए. वी. गिरिजाकुमार	Shri A. V. Girijakumar	4	4
श्री मुकेश कुमार जैन	Shri Mukesh Kumar Jain	4	4
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	Dr. N. Srinivasa Rao	4	1
सुश्री मुदिता मिश्रा	Ms. Mudita Mishra	4	0
श्री बलवंत सिंह	Shri Balwant Singh	3	2

आईआरडीएआई निगमित शासकीय विनियम, 2016 के अनुसार मंडल की समितियां:

निवेश समिति का विवरण:

निवेश समिति की संरचना आईआरडीएआई (निवेश) विनियम 2000 के समय-समय पर संशोधन के प्रावधानों आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

श्री ए.वी. गिरिजाकुमार समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान, निवेश समिति की पांच बैठकें 17 मई 2018, 30 जुलाई, 2018, 21 अगस्त 2018, 19 नवंबर, 2018 और 14 फरवरी 2019 को हुईं। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

BOARD COMMITTEES AS PER IRDAI CORPORATE GOVERNANCE REGULATIONS 2016:

INVESTMENT COMMITTEE DETAILS:

The composition of Investment Committee is in accordance with the provisions of the IRDAI (Investment) Regulations 2000 as amended and the Guidelines issued thereby by IRDAI from time to time.

Shri A.V. Girijakumar is the Chairman of the Committee.

During the year, the Investment Committee met five (5) times viz. on 17th May 2018, 30th July, 2018, 21st August 2018, 19th November, 2018 and 14th February 2019. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

निदेशक / समिति सदस्य	Director / Committee Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held in his / her tenure	बैठकों की संख्या में भाग लिया No. of Meetings attended
श्री ए. वी. गिरिजाकुमार	Shri A. V. Girijakumar	5	5
श्री मुकेश कुमार जैन	Shri Mukesh Kumar Jain	5	4
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	Dr. N. Srinivasa Rao	2	1
श्री पंचानन नायक	Shri Panchanan Nayak	5	5
श्री असीम चावला	Shri Aseem Chawla	3	2
श्री बलवंत सिंह	Shri Balwant Singh	4	3
श्री दिनेश वाघेला	Shri Dinesh Waghela	3	3
श्री अतुल जेरथ	Shri Atul Jerath	3	3
श्री अजीत कुमार	Shri Ajit Kumar	2	1
श्री सौम्या मुखर्जी	Shri Soumya Mukherjee	2	2
श्री नवनीत डोडा	Shri Navneet Doda	2	2
श्री साकेत सिंघल	Shri Saket Singhal	5	5



जोखिम प्रबंधन समिति विवरण

आईआरडीएआई द्वारा 5 अगस्त 2009 को जारी इसकी परिपत्र सं. सीआईआर/025/2009-10 कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया।

श्री ए.वी. गिरिजाकुमार समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें 17 मई 2018, 30 जुलाई, 2018, 19 नवंबर, 2018 और 14 फरवरी 2019 को हुईं। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है।

निदेशक / समिति सदस्य	Director / Committee Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held in his / her tenure	बैठकों की संख्या में भाग लिया No. of Meetings attended
श्री ए. वी. गिरिजाकुमार	Shri A. V. Girijakumar	4	4
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	Dr. N. Srinivasa Rao	4	1
श्री असीम चावला	Shri Aseem Chawla	4	3
श्री बलवंत सिंह	Shri Balwant Singh	3	2
श्री दिनेश वाघेला	Shri Dinesh Waghela	2	2

पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति का विवरण

पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा 5 अगस्त, 2009 को जारी इसके परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएंडए/सीआईआर/025/2009-10 द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

श्री पंचानन नायक समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति की चार बैठकें 17 मई 2018, 30 जुलाई, 2018, 5 नवंबर, 2018 और 13 फरवरी 2019 को हुईं। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE DETAILS

The Risk Management Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

Shri A. V. Girijakumar is the Chairman of the Committee.

During the year, the Risk Management Committee met four (4) times viz. on 17th May 2018, 30th July, 2018, 19th November, 2018 and 14th February 2019. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

POLICYHOLDERS' PROTECTION COMMITTEE DETAILS

The Policyholders' Protection Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

Shri Panchanan Nayak is the Chairman of the Committee.

During the year, the Policyholders' Protection Committee met four (4) times viz. on 17th May 2018, 30th July, 2018, 5th November, 2018 and 13th February 2019. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:



निदेशक / समिति सदस्य	Director / Committee Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held in his / her tenure	बैठकों की संख्या में भाग लिया No. of Meetings attended
श्री ए. वी. गिरिजाकुमार	Shri A. V. Girijakumar	4	4
श्री पंचानन नायक	Shri Panchanan Nayak	4	4
श्री असीम चावला	Shri Aseem Chawla	4	3
श्री बलवंत सिंह	Shri Balwant Singh	3	2
श्री दिनेश वाघेला	Shri Dinesh Waghela	2	2

मंत्रालय के निर्देशानुसार मंडल समितियां:

संपत्ति समीक्षा समिति का विवरण

मंडल की संपत्ति समीक्षा कमेटी का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया गया था, ताकि कंपनी के पास रखी संपत्ति से संबंधित मामलों और अन्य एस्टेट से संबंधित की समीक्षा की जा सके।

श्री ए. वी. गिरिजाकुमार समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान, संपत्ति की समीक्षा समिति की चार बैठकें 17 मई 2018, 30 जुलाई, 2018, 5 नवंबर, 2018 और 13 फरवरी 2019 को हुईं। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है।

BOARD COMMITTEES AS PER MINISTRY GUIDELINES:

PROPERTY REVIEW COMMITTEE DETAILS

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from the Ministry of Finance to review the matters of properties held by the Company and other Estate related Matters.

Shri A. V. Girijakumar is the Chairman of the Committee.

During the year, the Property Review Committee met four (4) times viz. on 17th May 2018, 30th July, 2018, 5th November, 2018 and 13th February 2019. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

निदेशक/समिति सदस्य	Director / Committee Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held in his / her tenure	बैठकों की संख्या में भाग लिया No. of Meetings attended
श्री ए. वी. गिरिजाकुमार	Shri A. V. Girijakumar	4	4
श्री पंचानन नायक	Shri Panchanan Nayak	4	4
श्री बलवंत सिंह	Shri Balwant Singh	3	2
श्री दिनेश वाघेला	Shri Dinesh Waghela	2	2



**पारिश्रमिक समिति (सीएमडी के पीएलआई के लिए)
का विवरण**

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 20 जुलाई 2007 पत्र सं. एफ नं. एस-11012/01/2007 निर्देशित सं. पर प्रदर्शन लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) के भुगतान के लिए चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था।

डॉ. एन. श्रीनिवास राव समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान, समिति 30 जुलाई, 2018 की एक बैठक हुई। उक्त बैठक में समिति के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

निदेशक / समिति सदस्य	Director / Committee Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held in his / her tenure	बैठकों की संख्या में भाग लिया No. of Meetings attended
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	Dr. N. Srinivasa Rao	1	1
श्री मुकेश कुमार जैन	Shri Mukesh Kumar Jain	1	1
सुश्री मुदिता मिश्रा	Ms. Mudita Mishra	1	0
श्री पंचानन नायक	Shri Panchanan Nayak	1	1
श्री असीम चावला	Shri Aseem Chawla	1	1

अन्य मंडल समितियां:

सूचना पोद्यौगिक समिति का विवरण

समिति का गठन कंपनी के सू.प्रौ. पहलों पर अधिक ध्यान देने तथा सुनिश्चित करने के लिए कि सू.प्रौ. के प्रयास से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया था।

श्री ए. वी. गिरिजाकुमार समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान, सू.प्रौ. समिति की पांच बैठकें 17 मई 2018, 30 जुलाई, 2018, 21 अगस्त, 2018, 5 नवंबर, 2018 और 13 फरवरी 2019 को हुईं। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

**REMUNERATION COMMITTEE (FOR CMD'S
PLI) DETAILS**

The Remuneration Committee was constituted to evaluate performance of the Chairman-cum-Managing Director, for payment of Performance Linked Incentive (PLI) as directed by The Department of Financial Services, Ministry of Finance, vide letter Ref. No. F.No.S-11012/01/2007-Ins.III dated 20th July, 2007.

Dr. N. Srinivasa Rao is the Chairman of the Committee.

During the year, the Committee met once (1) on 30th July, 2018. The attendance of the Members of the Committee at the said meeting is as below:

OTHER BOARD COMMITTEES:

IT COMMITTEE DETAILS

The Committee was constituted to lend more focus to the IT initiatives of the Company and also to ensure that the IT initiatives are in tune with the business objectives.

Shri A. V. Girijakumar is the Chairman of the Committee.

During the year, the IT Committee met five (5) times viz. on 17th May 2018, 30th July, 2018, 21st August, 2018, 5th November, 2018 and 13th February 2019. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:



निदेशक / समिति सदस्य	Director / Committee Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held in his / her tenure	बैठकों की संख्या में भाग लिया No. of Meetings attended
श्री ए. वी. गिरिजाकुमार	Shri A. V. Girijakumar	5	5
श्री असीम चावला	Shri Aseem Chawla	5	4
श्री बलवंत सिंह	Shri Balwant Singh	4	3
श्री दिनेश वाघेला	Shri Dinesh Waghela	3	3
श्री अनिल श्रीवास्तव	Shri Anil Srivastava	5	5

अपील और मेमोरियल समिति विवरण

बोर्ड की उप-समिति को कर्मचारियों / मामलों की कुछ श्रेणियों के लिए अपीलीय प्राधिकरण और मेमोरियल के लिए प्राधिकरण के रूप में निर्धारित किया गया है। उप-समिति का गठन सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 में संशोधन, जिसे 23.12.2004 को आयोजित 351वीं बोर्ड बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था, के फलस्वरूप किया गया था सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 को के स्थान पर अब ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 2014 है, जिसे 24/04/2014 को आयोजित मंडल की 419वीं बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था।

डॉ. एन. श्रीनिवास राव समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान, समिति की चार बैठकें 30 जुलाई, 2018, 19 नवंबर, 2018, 14 फरवरी, 2019 और 26 फरवरी 2019 को हुईं। उक्त बैठक में समिति के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

निदेशक / समिति सदस्य	Director / Committee Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held in his / her tenure	बैठकों की संख्या में भाग लिया No. of Meetings attended
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	Dr. N. Srinivasa Rao	4	1
श्री मुकेश कुमार जैन	Shri Mukesh Kumar Jain	4	4
सुश्री मुदिता मिश्रा	Ms. Mudita Mishra	4	1
श्री पंचानन नायक	Shri Panchanan Nayak	4	4

APPEAL & MEMORIAL COMMITTEE DETAILS:

The sub-committee of the Board has been prescribed as the Appellate Authority and the Authority for Memorial for certain categories of employees / cases. The Sub-committee was constituted, consequent upon the amendment of General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 which was duly approved in the 351st Board Meeting held on 23.12.2004. The General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 is now replaced with The Oriental Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014 which were duly approved in the 419th Board Meeting held on 24/04/2014.

Dr. N. Srinivasa Rao is the Chairman of the Committee.

During the year, the Committee met four (4) times on 30th July, 2018, 19th November, 2018, 14th February, 2019 and 26th February 2019. The attendance of the Members of the Committee at the said meeting is as below:



प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक परिदृश्य

कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पढ़े गए) अधिनियम 2013 की धारा 203 (1) के अनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का विवरण निम्नानुसार है:

1. श्री ए. वी. गिरिजाकुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (31.05.2017 से)
2. श्रीमती रश्मि बाजपेई, कंपनी सचिव (20.08.2007 से)
3. श्री दिनेश वाघेला, पूर्णकालिक निदेशक और महाप्रबंधक (30.07.2018 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किए गए थे)
4. श्री अजय गुप्ता, उप महाप्रबंधक (31.05.2018 तक मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किए गए थे)

ख) स्वतंत्र निदेशक के द्वारा घोषणा और फिर से नियुक्ति, यदि कोई हो

श्री मुकेश कुमार जैन, श्री पंचानन नायक और श्री असीम चावला, निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की घोषणा की थी।

ग) औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

सरकारी कंपनी होने के नाते छूट दी गई।

घ) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

11.02.2018 को आयोजित मंडल की 441वीं बैठक में, गैर-अधिकारी निदेशकों को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनी बैठक आयोजित करने की आवश्यकता बताई गई थी। कंपनी को यह पता नहीं है कि वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक समीक्षा हेतु आयोजित की गई थी या नहीं। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक कंपनी को सूचित किए बिना बैठक आयोजित कर सकते हैं।

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Pursuant to Section 203(1) of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial personnel) Rule 2014, the Key Managerial Personnel are as detailed hereunder:

1. Shri A. V. Girijakumar, Chairman-cum-Managing Director (from 31.05.2017)
2. Mrs. Rashmi Bajpai, Company Secretary (from 20.08.2007)
3. Shri Dinesh Waghela, Whole-time Director & General Manager (was designated as Chief Financial Officer from 30.07.2018)
4. Shri Ajay Gupta, Deputy General Manager (was designated as Chief Financial Officer up to 31.05.2018)

B) Declaration by the Independent Director(s) and re- appointment, if any

Shri Mukesh Kumar Jain, Shri Panchanan Nayak & Shri Aseem Chawla, Directors had furnished declaration of meeting the criteria of independence for the FY 2018-19, as provided in sub-section (6) of Section 149 of the Companies Act, 2013.

C) Formal Annual Evaluation

Exempted, being a Government Company.

D) Meeting of Independent Directors

In the 441st Board Meeting held on 11.02.2018, the Non-officio Directors were informed the requirements of holding their Meeting in accordance with provisions of Companies Act 2013. The Company is not aware whether any meeting of Independent Directors was held during the year under review. As per provisions of Companies Act 2013, the Independents Directors can hold the meeting without informing the Company.



16. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति, बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

17. धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कोई नहीं

18. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण:

फॉर्म एओसी-2 का विवरण निदेशक की रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

19. प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

क) कंपनी के 5 (2) के अनुसार कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का विवरण (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014

कोई नहीं

ख) कोई भी निदेशक जो कंपनी से किसी कमीशन की प्राप्ति में है और जो कंपनी का प्रबंध निदेशक या पूरा समय निदेशक है, किसी भी होल्डिंग कंपनी या ऐसी कंपनी के सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करेगा जो कंपनी के बोर्ड की रिपोर्ट में इसके प्रकटीकरण के अधीन होगा।

कोई नहीं

ग) (i) सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

16. Details of establishment of vigil mechanism for directors and employees

The whistle blower policy of the Company, duly approved by the Board, is available on the Company's website.

17. Particulars of loans, guarantees or investments under section 186

None

18. Particulars of contracts or arrangements with related parties:

The details in Form AOC -2 are annexed to the Director's Report.

19. Managerial Remuneration:

A) Details of the every employee of the Company as required pursuant to 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

None

B) Any director who is in receipt of any commission from the company and who is a Managing Director or Whole-time Director of the Company shall receive any remuneration or commission from any Holding Company or Subsidiary Company of such Company subject to its disclosure by the Company in the Board's Report.

None

C) (i) The details of the remuneration paid to CMD & Whole-time directors is given here under:



डायरेक्टर सैलरी (वित्त वर्ष 2018-19)

DIRECTOR'S SALARY (FY 2018-19)

S.No.	नाम	NAME	SALARY	PF/ PENSION CONTRI- BUTION	TOTAL	VALUE OF PERQUI- SITES
1	श्री ए. वी. गिरिजाकुमार (01.04.2018 से 31. 03.2019)	Shri A. V. Girijakumar (01.04.2018 to 31.03.2019)	36,94,142	2,55,810	39,49,952	21,600
2	श्री बलवंत सिंह (02.04.2018 से 31.03.2019)	Shri Balwant Singh (02.04.2018 to 31.03.2019)	22,99,113	1,46,692	24,45,805	2,37,993
3	श्री दिनेश वाघेला (01.06.2018 से 31.03.2019)	Shri Dinesh Waghe- la (01.06.2018 to 31.03.2019)	18,43,186	1,22,126	19,65,312	2,11,883
	कुल	Total	78,36,441	5,24,628	83,61,069	4,71,476

(ii) निष्पादित मापदण्डों सहित प्रोत्साहन स्थायी अवयव से जुड़े निष्पादन का ब्यौरा;

30.07.2018 को हुई अपनी बैठक में पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुमोदित अनुमोदन के अनुसार, श्री ए. वी. गिरिजाकुमार, सीएमडी को 6 लाख रुपये की निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। इसे धारा 19 (सी) (i) में बताए गए कुल वेतन में शामिल किया गया है।

(iii) स्टॉक विकल्प विवरण, यदि कोई हो, और क्या यह छूट के साथ-साथ उस अवधि में जारी किया गया है, जिस अवधि में उपार्जित किया गया है और किस पर प्रयोग किया जा सकता है।

शून्य

(ii) Details of fixed component and performance linked incentives along with the performance criteria;

Performance Linked incentive of Rs. 6 lakhs was paid to Shri A. V. Girijakumar, CMD, as per the approval accorded by Remuneration Committee in its meeting held on 30.07.2018. The same has been included in total salary stated in section 19 (c) (i).

(iii) Stock option details, if any, and whether the same has been issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable.

NIL

20. सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट

कंपनी के वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षण मेसर्स नीलम गुप्ता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी द्वारा की गई थी। उनकी रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट में संलग्न है। रिपोर्ट प्रकृति में स्वयं स्पष्ट है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट

20. Secretarial Audit Report

The Secretarial Audit for FY 2018-19 of the Company was conducted by M/s. Neelam Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries. Their report is annexed to the Board's report. The report is self-explanatory in nature.

The Secretarial Audit report for the FY 2018-19



को 28 मई 2019 को आयोजित 448वीं बोर्ड बैठक में विधिवत रखा गया।

was duly placed in 448th Board meeting held on 28th May 2019.

21. जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी के जोखिम प्रबंधन नीति को शुरू में 19 अप्रैल, 2012 को आयोजित 401 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था। संशोधित जोखिम प्रबंधन नीति को 10 नवंबर, 2016 को आयोजित 433 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था।

21. Risk Management policy

The Risk Management Policy of the Company was initially approved in the 401st Board Meeting held on 19th April, 2012. The revised Risk Management Policy was approved in the 433rd Board meeting held on 10th November, 2016.

22. आईआरडीआई पंजीकरण का नवीनीकरण

मार्च, 2015 में संसद के दोनों सदनों द्वारा बीमा संशोधन विधेयक के पारित होने के साथ, IRDAI द्वारा लाइसेंस के नवीकरण का वार्षिक प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता दूर हो गई थी। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए शुल्क को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को भेज दिया गया था और उसी के तहत दिनांक 11.12.2018 को रसीद सं. 1400002395 द्वारा प्राप्त रसीद की स्वीकृति दी गई थी।

22. Renewal of IRDAI Registration

With the passing of the Insurance Amendment Bill by both the houses of Parliament in March, 2015, the requirement of issuing Annual Certificate of Renewal of License by IRDAI was done away with. The fee for renewal of annual registration for the FY 2019-20 was remitted to Insurance Regulatory & Development Authority of India and same was acknowledged vide receipt no. 1400002395 dated 11.12.2018.

23. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

हम इसकी पुष्टि करते हैं

(क) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री के भर्जन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय दिए और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में तथा उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि; सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

(ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए

23. Directors' Responsibility Statement

We confirm that

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;



उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक चिंताजनक आधार पर तैयार किया था; तथा

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह की व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से चल रही थी।

24. स्वीकृतियाँ

निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा विभाग), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II, गवर्निंग बॉडी ऑफ इश्योरेंस काउंसिल (जीबीआईसी) और जनरल इश्योरर्स पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जीआईपीएसए) और अन्य सरकारी और नियामक एजेंसियों को उनके मूल्यवान दिशानिर्देशों और पूरे वर्ष कंपनी को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल मूल्यवान ग्राहकों बैंकरों, एजेंटों, सर्वेक्षणकर्ताओं, हितधारकों और जनता के संरक्षण और कंपनी में बड़े पैमाने पर विश्वास के लिए आभारी है।

निदेशक मंडल प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा को रिकॉर्ड करता है। कंपनी के समग्र विकास और विकास में प्रत्येक स्टाफ सदस्य द्वारा प्रदर्शित भागीदारी और समर्पण की भावना और आने वाले वर्ष में कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर समर्थन और पूरे दिल से सहयोग के लिए तत्पर हैं।

निदेशक मंडल की ओर से तथा के लिए

ए. वी. गिरिजाकुमार

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

जगह: नई दिल्ली

दिनांक: 28 मई 2019

(d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

24. Acknowledgements

The Board of Directors thanks Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (Insurance Division), Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI), the Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board – II, Governing Body of Insurance Council (GBIC) and General Insurers' Public Sector Association of India (GIPSA) and other government and regulatory agencies for their valuable guidelines and continuous support provided to the company throughout the year.

The Board of Directors are also grateful to the valued customers. Bankers, agents, surveyors, stakeholders and public at large for the patronage and confidence reposed in the Company.

The Board of Directors places on record their appreciation for the commitment. Sense of involvement and dedication exhibited by each staff member in the overall development and growth of the Company and look forward to the continued support and whole hearted cooperation for the realization of the corporate goals in the year ahead.

For and on behalf of the Board of Directors

A. V. Girijakumar

CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

Place: New Delhi

Date: 28 May, 2019



फॉर्म संख्या एओसी-1

(कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 सहित पठित खण्ड 129 के उप-खण्ड 3 के प्रथम प्रावधानों के अनुसरण में)

सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं युक्त विवरण

भाग "ए": सहायक

(प्रत्येक सहायक के संबंध में सूचना राशि रुपये में के साथ प्रस्तुत की गई है)

FORM AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/associate companies/joint ventures

Part "A": Subsidiaries

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in Rs.)

Sl. No.	विवरण	Particulars	Details
1	सहायक का नाम	Name of the Company	The Industrial Credit Company Ltd
2	संबंधित होल्डिंग के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग से अलग है	Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	-
3	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्ट।	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign-subsiidiaries	N.A.
4	शेयर पूंजी	Share capital	500000
5	भंडार और अधिशेष	Reserves & surplus	-953129
6	कुल संपत्ति	Total assets	564909
7	कुल देयताएँ	Total Liabilities	1018038
8	निवेश	Investments	-
9	टर्नओवर	Turnover	-
10	कराधान से पहले लाभ	Profit before taxation	-53416
11	कराधान के लिए प्रावधान	Provision for taxation	NIL
12	कराधान के बाद लाभ	Profit after taxation	-53416
13	प्रस्तावित लाभांश	Proposed Dividend	NIL
14	शेयरहोल्डिंग का %	% of shareholding	100%

नोट्स: निम्नलिखित जानकारी कथन के अंत में प्रस्तुत की जाएगी:

- सहायक कंपनियों के नाम जो अभी तक संचालन शुरू नहीं कर रहे हैं
- सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान समाप्त या बेचा गया है।

Notes: The following information shall be furnished at the end of the statement:

- Names of subsidiaries which are yet to commence operations
- Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year.



भाग 'ख': एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार वक्तव्य

Part "B": Associates and Joint Ventures

Statement pursuant to Section 129 (3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यमों का नाम	Name of associates/Joint Ventures	India International Insurance Pte Ltd	Health Insurance TPA of India Ltd.
1. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तिथि	1. Latest audited Balance Sheet Date	31.12.2018	31.03.2019
2. साल के अंत में कंपनी द्वारा आयोजित एसोसिएट/संयुक्त उद्यमों के शेयर सं.	2. Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end No.	10000000	28500000
एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	Amount of Investment in Associates/Joint Venture	39110460	285000000
होलिडिंग: का विस्तार	Extend of Holding%	20%	23.75%
3. महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है इसका विवरण	3. Description of how there is significant influence	Our Shareholding	Our Shareholding
4. सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित क्यों नहीं है	4. Reason why the associate/joint venture is not consolidated	-	-
5. नेटवर्थ नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरहोलिडिंग के लिए जिम्मेदार है	5. Net worth attributable to shareholding as per latest audited Balance Sheet	3864602000	203081998
6. वर्ष के लिए लाभ / हानि	6. Profit/Loss for the year	244911966	21738501
i. समेकन में माना जाता है	i. Considered in Consolidation	22583238	5006998
ii. समेकन में नहीं माना जाता है	ii. Not Considered in Consolidation	222328728	16731503

1. सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जो अभी तक संचालन शुरू नहीं कर रहे हैं।
2. सहयोगी या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान समाप्त या बेचा गया है।

नोट: इस फॉर्म को उसी तरीके से प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसमें बैलेंस शीट को प्रमाणित किया जाना है।

1. Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations.
2. Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year.

Note: This Form is to be certified in the same manner in which the Balance Sheet is to be certified.



फॉर्म एओसी-2

(कंपनी (लेखा) नियम 2014 के अधिनियम और नियम 8(2) के खंड 134 के उपखंड 3 की धारा (एच) के अनुसार)

कंपनी द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध/व्यवस्था के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म, जिसमें तृतीय परंतुक के अंतर्गत विभिन्न आर्म्सलैंग लेन-देन समर्पित है।।

1. अनुबंध या व्यवस्था या लेन-देन का विवरण आर्म्सलैंग आधार पर नहीं: अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण वित्तीय वर्ष के आर्म्सलैंग लिए आधार पर 01/04/2018 से 31/03/2019 तक नहीं है: शुन्य

संबंधित पार्टी का नाम Name(s) of the related party	संबंध की प्रकृति Nature of relationship	लेन-देन की अवधि Duration of the transactions	मुख्य शर्तें Salient terms	ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो Date(s) of approval by the Board, if any	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि Amount paid as advances	वह तिथि, जिस पर विशेष प्रस्ताव को सामान्य बैठक में पारित किया गया था, जो कि धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक था Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188
अनुबंध की प्रकृति Nature of Contract							
लागू नहीं /N.A.	लागू नहीं /N.A.	लागू नहीं /N.A.	लागू नहीं /N.A.	लागू नहीं /N.A.	लागू नहीं /N.A.	लागू नहीं /N.A.	लागू नहीं /N.A.

2. लंबाई के आधार पर भौतिक अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण: वित्तीय वर्ष 01/04/2018 से 31/03/2019 के लिए आर्म्सलैंग के आधार पर सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण:

2. **Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:** Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis for the financial year 01/04/2018 to 31/03/2019:

संबंधित पक्ष का नाम Name(s) of the related party	Nature of relationship	Duration of the transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Date(s) of approval by the Board, if any	Amount (in INR Lacs)
अनुबंध की प्रकृति इक्विटी में निवेश	Nature of Contract Investment in equity instrument				
इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	The Industrial Credit Company Limited	सहायक Subsidiary	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	Refer Note No. 1 5.00
भारतीय स्वास्थ्य बीमा टीपीए लिमिटेड	Health Insurance TPA of India Ltd.	एसोसिएट्स Associates	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	Refer Note No. 2 1980.75
इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्रा. लिमिटेड	India International Insurance Pte. Ltd	एसोसिएट्स Associates	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	Refer Note No. 3 391.10
दिया गया अग्रिम	Advance given				
इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	The Industrial Credit Company Limited	सहायक Subsidiary	31 मार्च 2019 तक Upto 31 st March, 2019	असुरक्षित Unsecured	Refer Note No. 4 9.42
लाभान्ण प्राप्त हुआ	Dividend received				
इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड	India International Insurance Pte. Ltd	Associates	Not Applicable	Not Applicable	Refer Note No. 3 263.99



ध्यान दें:

1. इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड— जीआईबीएनए-1972 के अनुसरण में ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी है।
2. हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड। निवेश के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति 11 अप्रैल 2013 को आयोजित 411वीं बोर्ड बैठक में दी गई थी। 01/01/2014 को मूल निवेश किया गया और उसके बाद विभिन्न राइट्स इश्यू में निवेश हुआ।
3. इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्रा. सिंगापुर— मूल निवेश 8 जनवरी, 1988 को किया गया था और इसके बाद बोनस शेयर और राइट्स इश्यू किया गया था।
4. कंपनी ने 17/05/2018 को आयोजित 81 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ICC के साथ संबंधित पार्टनर लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन की मांग की।

ह/-
ए. वी. गिरिजा कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह/-
अनिल श्रीवास्तव
वित्तीय सलाहकार एवं महाप्रबंधक

दिनांक: 28/05/2019

Sd/-
A.V.GIRIJA KUMAR
Chairman-cum Managing Director

Sd/-
ANIL SRIVASTAVA
Financial Adviser & General Manager

Date: 28/05/2019

Note:

1. The Industrial Credit Company Limited- is a subsidiary of The Oriental Insurance Company Limited by virtue of GIBNA-1972.
2. Health Insurance TPA of India Ltd. In principle approval for investment was given at the 411th Board Meeting held on 11th April 2013. Original Investment made on 01/01/2014 and was followed by various Rights issue.
3. India International Insurance Pte., Singapore- Original investment was made on 8th January, 1988 and was followed by Bonus shares and Rights issue.
4. The Company sought Omnibus approval for related party transactions with ICC for FY 2018-19 in 81st Audit Committee Meeting held on 17/05/2018.

ह/-
डी. आर. वघेला
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

ह/-
रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव

Sd/-
D.R.WAGHELA
Director .General Manager & CFO

Sd/-
RASHMI BAJPAI
Company Secretary



फॉर्म संख्या एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी के तत्व
जैसा कि वित्तीय वर्ष 31/03/2018 को समाप्त हुआ था
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और नियम
12(1) के अनुसार कंपनियां (प्रबंधन और प्रशासन)
नियम, 2014]

FORM NO. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31/03/2019
[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act 2013
and rule 12(1) of the
Companies (Management and Administration) Rules,
2014]

1. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे:

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	सीआईएन:- CIN :-	U66010DL1947GOI007158
ii)	पंजीकरण की तिथि Registration Date	12/9/1947
iii)	कंपनी का नाम Name of The Company	दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
iv)	कंपनी का श्रेणी / उप-श्रेणी Category/Sub-Category of The Company	सरकारी कंपनी GOVERNMENT COMPANYY
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और दूरभाष विवरण Address of the Registered office and contact details	"ओरिएंटल हाउस" ए-25/27 आसफ अली रोड नई दिल्ली-110002 दूरभाष / फैक्स: 011.23287204 "ORIENTAL HOUSE", A-25/27 ASAF ALI ROAD, DELHI-110002 TEL/FAX: 011-23287204, WEB:WWW.ORIENTALINSURANCE.ORG.IN E-MAIL: RASHMIBAJPAI@ORIENTALINSURANCE.CO.IN
vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है हां/नहीं Whether listed company	Equity- Unlisted, Debentures- Listed on NSE
vii)	रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट का नाम पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो Name , Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लिमिटेड बी-24/1, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र-II, नई दिल्ली-110020 फोन नंबर:- 01126387320 फैक्सरू 01126387322 ई-मेल: investor.services@rcmcdelhi.com RCMC SHARE REGISTRY PRIVATE LIMITED B-24/1, FIRST FLOOR, OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE II, NEW DELHI-110020 PHONE NO.:- 01126387320 FAX: 01126387322 E-MAIL: investor.services@rcmcdelhi.com



II. कंपनी की मुख्य व्यापार गतिविधियां

कंपनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत अथवा अधिक का अंशदान करने वाली व्यापार गतिविधियां:-

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

क्र. स. SI No.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण Name and Description of main products/services	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/ service	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत % to total turnover of the company
1	गैर जीवन बीमा NON-LIFE INSURANCE	6512	100%

III. धारक, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी का विवरण

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-

क्र. स. S. No.	कंपनी का नाम और पता Name and Address of The Company	सीआईएन/जीएलएन CIN/GLN	धारक/ सब्सिडरी एसोसिएट Holding/ Subsidiary/ Associate	धारित शेयरों का प्रतिशत % of Shares Held	लागू धारा Applicable Section
1	THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED REGD ADDRESS "ORIENTAL HOUSE", A-25/27 ASAF ALI ROAD, DELHI-110002	U65921DL1930GOI00216	SUBSIDIARY	100%	SEC 2(46)
2	INDIA INTERNATIONAL INSURANCE PTE. LTD., 64, CECIL STREET, IOB BUILDING #04/#05, SINGAPORE-049711	N/A	ASSOCIATE	20%	SEC 2(6)
3	HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LIMITED, NBCC CENTRE, OFFICE NO. 301, MA ANAND MAI MARG, OKHLA PHASE-I, NEW DELHI-110020	U85100DL2013PLC256581	ASSOCIATE	23.75%	SEC 2(6)



IV. शेयरहोल्डिंग प्रतिरूप

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

IV. SHARE HOLDING PATTERN

(Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

शेयरधारकों की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष की अंत में धारित शेयरों की संख्या No. of shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान बदलाव अनुपात %Change during the year
		डिमेंट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर में बदलाव अनुपात % of Total Share	डिमेंट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर में बदलाव अनुपात % of Total Share	
क) प्रमोटर	A. Promoters									
1) भारतीय	(1) Indian									
क) वैयक्तिक / एचयूएफ	a) Individual/HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केन्द्र सरकार	b) Central Govt.	0	200,000,000	200,000,000	100%	0	200,000,000	200,000,000	100%	0
ग) राज्य सरकार	c) State Govt(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) निकाय निगम	d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) बैंक / एफआई	e) Banks/ FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) अन्य कोई	f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (क) (1):-	Sub-total (A) (1):-	0	200,000,000	200,000,000	100%	0	200,000,000	200,000,000	100%	0
(2) विदेशी	(2) Foreign									
क) एनआरआई – वैयक्तिक	a) NRIs- Individuals	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ख) अन्य – वैयक्तिक	b) Other-Individuals	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ग) निकाय निगम	c) Bodies Corp.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
घ) बैंक / एफआई	d) Banks/FI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ङ) अन्य कोई	e) Any Other..	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
उप-योग (क) (2):-	Sub-total (A) (2):-	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
प्रमोटर की कुल शेयरहोल्डिंग	Total Shareholding of Promoter A= (A) (1)+(A)(2)	0	200,000,000	200,000,000	100%	0	200,000,000	200,000,000	100%	0%
क= (क)(1)+(क)(2)										
ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग	B. Public Shareholding									
1. संस्थाएं	1. Institutions									
क) म्यूचुअल फंड	a) Mutual Funds	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ख) बैंक / एफआई	b) Banks/FI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ग) केन्द्र सरकार	c) Central Govt	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
घ) राज्य सरकार	d) State Govt(s)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ङ) वेंचर कैपिटल फंड	e) Venture Capital Funds	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
च) बीमा कंपनियां	f) Insurance Companies	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
छ) एफआईआईएस	g) FIs	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	h) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
झ) अन्य (उल्लेख करें)	i) Others (Specify)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
उप-योग (ख) (1)	Sub-total (B) (1):-	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
2. गैर- संस्थाएं	2. Non-Institutions									
क) निकाय निगम	a) Bodies Corp.									
i) भारतीय	i) Indian	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ii) विदेशी	ii) Overseas	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ख) वैयक्तिक	b) Individuals									
i) 1 लाख रुपए तक आंशिक शेयर पूंजी धारी वैयक्तिक शेयर होल्डर	i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 Lakh	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%



शेयरधारकों की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष की अंत में धारित शेयरों की संख्या No. of shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान बदलाव अनुपात %Change during the year
		डिमाट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर में बदलाव अनुपात % of Total Share	डिमाट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर में बदलाव अनुपात % of Total Share	
ii) 1 लाख रुपए से अधिक आंशिक शेयर पूंजी धारी वैयक्तिक शेयर होल्डर	ii) Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 Lakh	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ग) अन्य (उल्लेख करें)	c) Others (specify)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
उप-योग (ख) (2):-	Sub-total (B) (2):-	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग ख = (ख)(1)+(ख)(2)	Total Public Shareholding B=(B)(1) + (B)(2)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ग) जीडीआर और एडी. आर. के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	C. SHARES HELD BY CUSTODIAN FOR GDRs & ADRs	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
सकल योग (क+ख+ग)	GRAND TOTAL (A+B+C)	0	200,000,000	200,000,000	100%	0	200,000,000	200,000,000	100%	0%

ii) प्रमोटरों का शेयरहोल्डिंग

ii) Shareholding of Promoters

क्र.सं. SI No.	शेयरहोल्डर का नाम Shareholders Name	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the end of the year			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन % change in shareholding during the year
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	शेयरों का % कुल शेयरों के लिए वचनबद्ध / एकत्रित % of shares Pledged/encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	शेयरों का % कुल शेयरों के लिए वचनबद्ध / एकत्रित % of shares Pledged/encumbered to total shares	
1	भारत के राष्ट्रपति PRESIDENT OF INDIA	200000000	100%	0%	200000000	100%	0%	0%
	कुल / Total	200000000	100%	0%	200000000	100%	0%	0%

iii) प्रमोटरों के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (कृपया निर्दिष्ट करें, अगर कोई बदलाव नहीं है) - कोई परिवर्तन नहीं

iii) Change in Promoters' Shareholding (Please Specify, if there is no change) No Change

SI No.	विवरण	Particulars	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year		वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year	
			शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company
1	वर्ष के आरंभ में	At the beginning of the year	200,000,000	100%	200,000,000	100%
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की तारीख-वार शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी अर्थात आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि कारणों के उल्लेख सहित	Date wise increase/Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):	0	0%	0	0%
	वर्ष के अंत में	At the End of the year	200,000,000	100%	200,000,000	100%



iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग पद्धति (जीडीआर तथा एडीआर के निदेशकों, प्रमोटर्स तथा धारकों के अलावा)

iv) **Shareholding Pattern of top ten Shareholders (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):**

SI No.	विवरण	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. Of Shares	%of total shares of the company	No. Of Shares	%of total shares of the company
	सर्वोत्तम 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	For Each of the TOP 10 Shareholders				
1	वर्ष के आरंभ में	At the beginning of the year	0	0%	0	0%
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की तारीख-वार शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी (उदाहरण आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी इत्यादि)	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):	0	0%	0	0%
3	वर्ष के अंत में (अथवा यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हों तो पृथकीकरण की तारीख)	At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year)	0	0%	0	0%

नोट: 40 इक्विटी शेयरों को भारत के राष्ट्रपति की ओर से नॉमिनी शेयरहोल्डर्स के रूप में निदेशकों / महाप्रबंधकों (प्रत्येक में 4 शेयर रखने वाले 10 सदस्य) द्वारा धारित किया जाता है।

Note: 40 Equity Shares are held by Directors/ General Managers (10 Members holding 4 shares each) as Nominee Shareholders on behalf of President of India.

v) निदेशकों तथा प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग

v) **Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

SI No.	विवरण	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. Of Shares	%of total shares of the company	No. Of Shares	%of total shares of the company
	निदेशकों और केएमपी प्रत्येक के लिए	For Each of the Directors and KMP				
1	वर्ष के आरंभ में	At the beginning of the year	0	0%	0	0%
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की तारीख-वार शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि) कारणों के उल्लेख सहित	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease(e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):	0	0%	0	0%
3	वर्ष के अंत में (अथवा यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हों तो पृथकीकरण की तारीख)	At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year)	0	0%	0	0%

Note: 40 Equity Shares are held by Directors/ General Managers (10 Members holding 4 shares each) as Nominee Shareholders on behalf of President of India.



V. ऋणग्रस्तता

बकाया/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment

		Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans*	Deposits	Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष के आरंभ में इनडेबिटनेस	Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) मूलधन राशि	i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) देय परंतु भुगतान नहीं किया गया ब्याज	ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज	iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	Total (i+ii+iii)	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान इनडेबिटनेस में परिवर्तन	Change in indebtedness during the financial year				
*जमा	* Addition	0	7,500,000,000	0	7,500,000,000
*कमी	* Reduction	0	0	0	0
निवल परिवर्तन	Net Change	0	7,500,000,000	0	7,500,000,000
वित्तीय वर्ष के अंत में इनडेबिटनेस	Indebtedness at the end of the financial year				
i) मूलधन राशि	i) Principal Amount	0	7,500,000,000	0	7,500,000,000
ii) देय परंतु भुगतान नहीं किया गया ब्याज	ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज	iii) Interest accrued but not due (For 14 Days from 18/03/2019 to 31/03/2019)	0	25,315,068	0	25,315,068
कुल (i+ii+iii)	Total (i+ii+iii)	0	7,525,315,068	0	7,525,315,068

* कंपनी ने 10 साल के लिए प्रति वर्ष 8.80% की दर से 1000000 रुपये प्रत्येक के रेटेड, अनसिक्योर्ड, सबऑर्डिनेटेड, फुल पेड-अप, लिस्टेड, रिडीमैबल और नॉन-कवर्टिबल डिबेंचर जारी करके 750 करोड़ रुपये जुटाए थे जिसमें 5 वर्ष पर कॉल ऑप्शन था।

* The company had raised Rs 750 Crores by issuing Rated, Unsecured, Subordinated, Fully Paid-up, Listed, Redeemable and Non-Convertible Debentures of Rs. 10,00,000 each @ 8.80% per annum for a tenure of 10 years with Call Option at 5 years.



VI. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का पारिश्रमिक:

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

SI No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager			TOTAL
			1	2	3	
			Shri A.V. GIRIJAKUMAR (01/04/2018 to 31/03/2019) (See Note-1)	Shri BALWANT SINGH (02/04/2018 to 31/03/2019)	Shri DINESH R WAGHELA (01/06/2018 to 31/03/2019) (See Note-2)	
1	सकल वेतन/Gross salary	Gross salary				
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act 1961	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act 1961	3,694,142	2,299,113	1,843,186	7,836,441
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परक्यूसिट का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act 1961	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act 1961	21,600	237,993	211,883	471,476
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) वेतन के लिए लाभ (c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961	-	-	-	0
2	स्टॉक आप्शन/Stock Option	Stock Option	-	-	-	0
3	स्वीट इक्विटी / Sweat Equity	Sweat Equity	-	-	-	0
4	कमीशन / Commission	Commission	-	-	-	0
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में - as % of Profit	- as % of Profit	-	-	-	0
	- अन्य, उल्लेख करें - others, specify	- others, specify	-	-	-	0
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें Others, please specify	Others, please specify (Pension/PF Contribution)	255,810	146,692	122,126	524,628
	कुल (क) Total (A)	Total (A)	3,971,552	2,683,798	2,177,195	8,832,545
	अधिनियम के अनुसार Ceiling as per the Act	Ceiling as per the Act				

ध्यान दें:

- 1) श्री ए.वी. गिरिजाकुमार, सीएमडीको भुगतान किए गए 6 लाख रुपये के लाभ से जुड़े प्रोत्साहन गिरिजाकुमार, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ऊपर वर्णित वेतन में शामिल है।
- 2) श्री दिनेश आर वाघेला को भुगतान किया गया, पूरे समय निदेशक निदेशक और सीएफओ की क्षमता में है, और इसलिए इसे खंड ए और सी दोनों में दिखाया गया है।

Note:

- 1) Profit linked Incentive of Rs 6 Lakhs paid to Shri A V. Girijakumar, CMD during the FY 2018-19 is included in the salary stated above.
- 2) Salary paid to Sh Dinesh R. Waghela, Whole Time Director is in capacity of Director & CFO, and hence is shown in both the section A & C.



ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

B. Remuneration to Other Directors:

Sl No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	निदेशक का नाम Name of Directors			कुल TOTAL
		1	2	3	
1.	1) स्वतंत्र निदेशक 1) Independent Directors	श्री पंचानन नायक (01/04/2018 से 31/03/2019 तक) Shri PANCHANAN NAYAK (01/04/2018 to 31/03/2019)	श्री असीम चावला (2 (01/04/2018 से 31/03/2019 तक) Shri ASEEM CHAWLA (01/04/2018 to 31/03/2019)	श्री मिलिंद खरात (03/05/2018 से बोर्ड का त्याग) Shri MILIND ANNA KHARAT (RESIGNED FROM THE BOARD ON 03/05/2018)	
	*बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस *Fee for attending Board committee meetings	350,000	280,000	0	630,000
	*कमीशन / *Commission	0	0	0	0
	*अन्य, कृपया उल्लेख निदेशक *Others, please specify	0	0	0	0
	कुल (1) Total (1)	350,000	280,000	0	630,000
2.	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक Other Non-Executive Directors	डॉ. एन. श्रीनिवास राव (सरकारी नामित निदेशक) DR. N. SRINIVASA RAO (Government Nominee Director)	सुश्री मुदिता मिश्रा (सरकारी नामित निदेशक) MS. MUDITA MISHRA (Government Nominee Director)	श्री मुकेश कुमार जैन (पदेन निदेशक) Shri MUKESH KUMAR JAIN (Ex-Officio Director)	कुल TOTAL
	*बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस *Fee for attending Board committee meetings	0	0	0	0
	*कमीशन *Commission	0	0	0	0
	*अन्य, कृपया उल्लेख *Others, please specify	0	0	0	0
	कुल (2) /Total (2)	0	0	0	0
	कुल (ख)=(12) Total (B)=(1+2)	350,000	280,000	0	630,000

ग. एमडी/प्रबंधक/डिप्युटी सी से इतर प्रमुख प्रबंधकी कार्मिक का पारिश्रमिक

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sl. No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total	
		COMPANY SECRETARY	CFO			
		सुश्री रश्मि बाजपेयी (01/04/2018 से 31/03/2019) Ms Rashmi Bajpai (01/04/2018 To 31/03/2019)	श्री अजय गुप्ता (01/04/2018 से 31/03/2019) Shri AJAY GUPTA (01/04/18 TO 31/05/18)	श्री दिनेश आर वाघेला (सीएफओ के रूप में नियुक्त 30/07/2018 से) अनुसूची-1 देखें) Shri DINESH R WAGHELA (Appointed as CFO on 30/07/2018) (See Note-1)		
1	सकल वेतन क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के अनुसार वेतन	Gross Salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	2,043,338	339,891	1,843,186	4,226,415



Sl. No.	पारिश्रामिक का विवरण	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total
			COMPANY SECRETARY	CFO		
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में तहत परक्यूसिट का मूल्य	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income -tax Act, 1961	454,320	3,600	211,883	669,803
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के लिए लाभ	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961	-	-	-	0
2	स्टॉक ऑप्शन	Stock Option	-	-	-	0
3	स्वीट इक्विटी	Sweat Equity	-	-	-	0
4	कमीशन	Commission	-	-	-	0
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	- as % of Profit	-	-	-	0
	- अन्य, उल्लेख करें	- others, specify	-	-	-	0
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	Others, please specify (Pension/PF Contribution)	126,196	22,464	122,126	270,786
	कुल	Total	2,623,854	365,955	2,177,195	5,167,004

नोट: 1) श्री दिनेश आर. वाघेला, पूर्णकालिक निदेशक को भुगतान किया गया, वे निदेशक और सीएफओ की क्षमता में हैं, और इसलिए दोनों ए और सी अनुभाग में दिखाया गया है।

Note: 1) Salary paid to Sh Dinesh R. Waghela, Whole Time Director is in capacity of Director & CFO, and hence is shown in both the section A & C.

VII. PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

प्रकार	Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fee imposed	Authority (RD/ NCLT/COURT)	Appeal made if any (give Details)
ए. कंपनी	A. COMPANY					
दंड	Penalty		कंपनी अधिनियम के तहत कोई दंड नहीं लगाया गया			
सजा	Punishment		No Penalty imposed under Companies Act			
कंपाउंडिंग	Compounding					
बी. निर्देशक	B. DIRECTORS					
दंड	Penalty		कंपनी अधिनियम के तहत कोई दंड नहीं लगाया गया			
सजा	Punishment		No Penalty imposed under Companies Act			
कंपाउंडिंग	Compounding					
सी. अन्य अधिकारी डिफॉल्ट में	C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
दंड	Penalty		कंपनी अधिनियम के तहत कोई दंड नहीं लगाया गया			
सजा	Punishment		No Penalty imposed under Companies Act			
कंपाउंडिंग	Compounding					
	DINESH R WAGHELA					
	Director & General Manager					



सीएसआर गतिविधियों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट (बोर्ड की बैठक का अनुबंध)

1. किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के अवलोकन सहित कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरण और सीएसआर नीति के वेब लिंक और परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का संदर्भ

कंपनी की सीएसआर नीति दिनांक 23 सितम्बर, 2014 को आयोजित बोर्ड की सीएसआर उपसमिति की बैठक में अनुमोदित की गई थी और निदेशक मण्डल के दिनांक 25 सितम्बर, 2014 के परिपत्र संकल्प संख्या बी-8/2014 द्वारा अनुमोदित की गई थी। दिनांक 30 नवम्बर, 2015 और दिनांक 29 जनवरी, 2016 को आयोजित बोर्ड की बैठक में बोर्ड की सीएसआर उपसमिति द्वारा सीएसआर नीति में 3 संशोधनों की सिफारिश की गई थी जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा क्रमशः दिनांक 29 जनवरी, 2016, 2 मई, 2016 और 5 मई, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया।

सीएसआर नीति कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह वृहत रूप से समाज और निःशक्तजनों के लाभ पर केन्द्रित है।

सीएसआर नीति सीएसआर पहलुओं पर केन्द्रित है जो ओरिएंटल इश्योरेंस के लिए समुदाय की भावना तैयार करती है और कंपनी की सकारात्मक एवं सामाजिक जिम्मेदारी की तस्वीर पैदा करती है। पॉलिसी में चुने गए प्रमुख क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसरण में हैं। प्रस्तावित सभी परियोजनाएँ भी कंपनी के अधिनियम की अनुसूची-VII पर आधारित हैं। संचालन सम्भार तन्त्रों के दिशानिर्देश सीएसआर पॉलिसी में दिए गए हैं।

एसआर नीति के आधार पर सीएसआर रणनीति और वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक कार्ययोजना (चरणबद्ध) सीएसआर उपसमित द्वारा दिनांक 17 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित की गई थी।

कंपनी द्वारा कंपनी के वेब पोर्टल होम पेज “www.orientalinsurance.org.in पर “सीएसआर” शीर्षक के तहत अपने वेब लिंक को पुनः डिजाइन किया गया है।

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES

(ANNEXURE TO BOARD'S REPORT)

1. A brief outline of the Company's CSR Policy including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference in the web-link to the CSR Policy and projects or programs.

The CSR Policy of the Company was approved by the CSR Sub committee of the Board in its meeting held on 23rd September, 2014 and Board of Directors vide circular resolution no. B-8/2014 dated 25th September, 2014. Three amendments to CSR policy were recommended by CSR Committee of the Board in its meetings held on 30th November, 2015, 29th January, 2016 & 5th May 2017 which were duly approved by the Board of Directors in its meetings held on 29th January, 2016, 2nd May 2016 and 5th May 2017, respectively.

The CSR Policy is in alignment with the Vision of the Company and focuses on the benefits of society at large and those who need special assistance.

The CSR Policy focuses on CSR Initiatives which create community goodwill for ORIENTAL INSURANCE and help to build a positive and socially responsible image of the Company. The Thrust Areas selected in the Policy are in compliance with the Schedule VII of the Company's Act, 2013. All the projects proposed are also based on the Schedule VII of the Company's Act. The guidelines for operational modalities have been spelt out in the CSR Policy.

The CSR Strategy and Annual Action Plan are worked out based on the CSR Policy. Annual Action Plan for FY 2018-19 was approved by CSR Sub-Committee in its Meeting held on 17th May 2018.

The Company updated its weblink under 'CSR' head on the company's web portal home page “www.orientalinsurance.org.in’



2. सीएसआर समिति की रचना

निदेशक मण्डल की एक उपसमिति "सीएसआर समिति" का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में किया गया था और दिनांक 13 फरवरी, 2017 को आयोजित बोर्ड की 434वीं बैठक में इसका पुनर्गठन किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2017 को बोर्ड की सीएसआर समिति निम्नानुसार गठित है:

क्र. स.	समिति की संरचना निदेशक मंडल में स्थिति	समिति सदस्य का नाम	समितियों में स्थिति
1.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अधिकारी)	श्री ए वी गिरिजाकुमार	समिति के अध्यक्ष
2.	सरकारी नामांकित निदेशक	डॉ एन श्रीनिवास राव	सदस्य
3.	बैंक नामांकित निदेशक	श्री एम. के. जैन	सदस्य
4.	सरकारी नामांकित निदेशक	सुश्री मुदिता मिश्रा	सदस्य
5.	पूर्णकालिक निदेशक	श्री बलवंत सिंह	सदस्य
6.	महा प्रबंधक (सीएसआर)	श्री अनिल श्रीवास्तव	समिति को स्थायी आमंत्रित

3. गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ:

(रुपये लाख में)

	2015-16	2016-17	2017-18	TOTAL
कर पूर्व लाभ	18991	-198743	138228	-41524
घटा: विदेश ऑपरेशन से लाभ	-12540	-4208	159	-16589
घटा: सीएसआर से पहले से रत कंपनियों की लाभांश आय (वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए)	21797	23539	24626	69962
अंतिम परिणाम				-94897
तीन वित्तीय वर्षों का कुल परिणाम				-94897
तीन वित्तीय वर्षों का औसत परिणाम				-31632
पिछले तीन वर्षों के औसत परिणाम का दो प्रतिशत				-633

2. The composition of the CSR Committee.

The CSR Committee, a sub-committee of the Board of Directors in accordance with provisions of Section 135 of Companies Act, 2013 was last reconstituted in the 442nd Board Meeting held on 17th May 2018. The details of the CSR Committee of the Board as on 31st March 2019 are detailed hereunder:

S.No.	Composition of the Committee (position in Board of Directors)	Name of the Committee member	Position in the Committee
1.	Chairman-cum-Managing Director	Shri A. V. Girijakumar	Chairman of the Committee
2.	Government Nominee Director	Dr. N. Srinivasa Rao	Member
3.	Bank Nominee Director	Shri M.K.Jain	Member
4.	Government Nominee Director	Ms. Mudita Mishra	Member
5.	Whole Time Director	Shri Balwant Singh	Member
6.	General Manager (CSR)	Shri Anil Srivastava	Permanent Invitee to the Committee

3. Average net profit of the company for last three financial years.

	2015-16 (Rs. In lakhs)	2016-17 (Rs. In lakhs)	2017-18 (Rs. In lakhs)	TOTAL (Rs. In lakhs)
Profit Before Tax	18991	-198743	138228	-41524
Less :Profit from overseas operations	-12540	-4208	159	-16589
Less : Dividend income from Companies already engaged in CSR (For FY's 2013-14 to 2015-16)	21797	23539	24626	69962
FINAL RESULT				-94897
Total result of three FY's				-94897
Average Result of Three FY's				-31632
Two % of Average result of last three years				-633



4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद संख्या 3 में दी गई राशि का 2 प्रतिशत)

शून्य (कंपनी द्वारा किए गए शुद्ध घाटे को देखते हुए (उपरोक्त मद संख्या 3 में विस्तृत)

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण

क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि

रुपये 3.09 करोड़ (गत वित्त वर्ष की सीएसआर बजट से अव्यय राशि)

ख. अव्यय, अगर कोई है:

शून्य

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ब्योरा नीचे दिया गया है:

विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न हैं। हालांकि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान खर्च की जाने वाली राशि केवल 3.09 करोड़ रुपये थी, कंपनी ने विशेष स्वीकृति ली और वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 5.32 करोड़ रुपये की राशि खर्च की, इस प्रकार 3.09 करोड़ रुपये का पूरा उपयोग बिना बजट के किया जा रहा है। पिछले वर्षों और निदेशक मंडल द्वारा विशेष अनुमोदन से 2.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करना। इसके अलावा, कार्यान्वयन के तहत सीएसआर गतिविधियों के लिए पहले से स्वीकृत 0.41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि 2019-20 में जारी की जानी है।

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण प्रदान करे।

लू नहीं

4. Prescribed CSR expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above)

NIL (In view of Net Loss incurred by the Company as detailed in item no. 3 above)

5. Details of CSR spent during the financial year.

a. Total amount to be spent for the financial year :

Rs. 3.09 crores

(i.e. being unspent amount carried over from CSR budget from the previous years.)

b. Amount unspent, if any:

NIL

c. Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below :

The details are annexed to this report. Though the amount to be spent during the FY 2018-19 was Rs.3.09 crores only, the Company took special approval and spent an amount of Rs.5.32 crores on CSR activities during the year, thus fully utilizing the Rs. 3.09 crores being the unutilized budget of previous years & also spending additional amount of Rs. 2.23 crores out of special approval accorded by Board of Directors. Further, an additional amount of Rs.0.41 crores already approved for CSR activities under implementation is to be released in 2019-20.

6. In case the company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report.

Not Applicable.



7. सीएसआर समिति बयान है कि सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

सीएसआर समिति पुष्टि करता है कि कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

हस्ता / -

ए वी गिरिजाकुमार

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और
सीएसआर समिति के अध्यक्ष

दिनांकित: 31.03.2019

7. **A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR Objectives and Policy of the Company.**

The CSR Committee confirms that the implementation and monitoring of CSR activities of the Company are in compliance with the CSR Objectives and Policy of the Company.

Sd/-

A. V. Girijakumar

Chairman-cum Managing Director and
Chairman of CSR Committee

Dated: 31.03.2019



वित्त वर्ष 2017-18 में सीएसआर गतिविधियां निभाई गई
CSR ACTIVITIES UNDERTAKEN IN FY 2018-19

क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान CSR Project or activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है Sector in which the project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम Projects or Programs		राष्ट्रीय परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (रु. में) Amount spent on projects or programs sub-heads	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे व्यय (रु. में) Direct expenditure on projects or programs (In Rs.)	ओवरहेड्स (रु. में) Overheads (In Rs.)	रिपोर्टिंग अवधि के लिए संचयी व्यय (रु. में) Cumulative expenditure up to the reporting period (In Rs.)	व्यय राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यालयगत एजेंसी के जरिए Amount spent: Direct or through Implementing Agency
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य Local area or other	राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम संचालित किए गए Specify the State and district where projects or programs was undertaken					
1	अनाथ और वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम Educational events for orphans & underprivileged children	शिक्षा Education	स्थानीय Local	नोएडा NOIDA	180600	180600	180600	प्रत्यक्ष Direct	
2	स्वास्थ्य शिविर Health camps	स्वास्थ्य Healthcare	अखिल भारत All India	दिल्ली, पुरगवाल, जम्मू और कश्मीर Delhi, Pargwal, Jammu & Kashmir	775218	775218	775218	प्रत्यक्ष Direct	
3	शहरी मलिन बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को शैक्षिक सामग्री और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना Providing educational material & infrastructural facilities to schools in urban slums & rural areas	शिक्षा Education	अखिल भारत All India	विभिन्न जिले और राज्य Multiple districts & States	2735602	2735602	2735602	प्रत्यक्ष Direct	
4	विशेष बच्चों के लिए स्कूलों में शैक्षिक सामग्री और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना और अलग-अलग तरीके से पालन करना Providing educational material & infrastructural facilities to schools for special children & differently abled	शिक्षा Education	अखिल भारत All India	विभिन्न जिले और राज्य Multiple districts & States	2453935	2453935	2453935	प्रत्यक्ष Direct	



क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान CSR Project or activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है Sector in which the project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम Projects or Programs		राष्ट्रीय परियोजना (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (रु. में) Amount outlay (budget) project or programs wise (In Rs.)	परियोजनाओं या कार्यक्रम उप-कार्यक्रमों पर व्यय राशि Amount spent on the projects or sub-heads programs (रु. में) Direct expenditure on projects or programs (In Rs.)		परियोजना अवधि के लिए संचयी व्यय (रु. में) Cumulative expenditure up to the reporting period (In Rs.)	व्यय राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यालयन एजेंसी के जरिए Amount spent: Direct or through Implementing Agency
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य Local area or other	राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम संचालित किए गए Specify the State and district where projects or programs was undertaken		परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे व्यय (रु. में) Direct expenditure on projects or programs (In Rs.)	ओवरहेड (रु. में) Overheads (In Rs.)		
5	अनाथालयों, वृद्धाश्रम आदि को बचावगत सुविधाएं प्रदान करना। Providing infrastructural facilities to orphanages, Old Age Homes, etc.	स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा आदि Healthcare, Sanitation, Education etc.	अखिल भारत All India	विभिन्न जिले और राज्य Multiple districts & States	412387	412387	412387	प्रत्यक्ष Direct	
6	अलग से खाल उपकरण प्रदान करना Providing aids appliances to differently abled	स्वास्थ्य Healthcare	स्थानीय Local	दिल्ली और आसपास के क्षेत्र Delhi & adjoining areas	9974293	9974293	9974293	एलिमको ALIMCO	
7	अंग्रेजी अखबार के बच्चों के संस्करण के माध्यम से शिक्षा और भाषा कौशल को बढ़ावा देना Promoting education & language skills through Children's edition of English newspaper	शिक्षा Education	अखिल भारत All India	विभिन्न जिले और राज्य Multiple districts & States	7357660	7357660	7357660	द हिंदू इन स्कूल समाचार पत्र (कस्तूरी एड सन) The Hindu in School Newspaper (Kasturi & Sons)	
8	कौशल विकास Skill Development	कौशल विकास Skill Development	अखिल भारत All India	विभिन्न जिले और राज्य Multiple districts & States	1273866	1273866	1273866	तिलक विहार सामाजिक केंद्र, लड़कियों के लिए खुशी घर, लड़कियों के लिए किलकारी घर, उममेद अमन घर, अशोक लीलेड संस्थान, एक्लव्य फाउंडेशन Tilak Vihar Community Center, Khushi Home for Girls, Kilkari Home for girls, Umeed Aman Ghar, Ashok Leyland Institute, Eklavya Foundation	
9	बाढ़ पीड़ितों का राहत और पुनर्वास Relief & Rehabilitation of Flood victims	स्वास्थ्य Healthcare	अन्य Other	Kerala	10000000	10000000	10000000	मुख्यमंत्री राहत कोष CM's Relief Fund	



क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान CSR Project or activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है Sector in which the project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम Projects or Programs		राष्ट्रीय परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (रु. में) Amount outlay (budget) project or programs wise (In Rs.)	परियोजनाओं या कार्यक्रम उप-कार्यक्रमों पर व्यय राशि Amount spent on the projects or programs sub-heads		रिपोर्टिंग अवधि के लिए कुल व्यय (रु. में) Cumulative expenditure up to the reporting period (In Rs.)	व्यय राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए Amount spent: Direct or through Implementing Agency
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य Local area or other	राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम संचालित किए गए Specify the State and district where projects or programs was undertaken		परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे व्यय (रु. में) Direct expenditure on projects or programs (In Rs.)	ओवरहेड (रु. में) Overheads (In Rs.)		
10	दिल्ली महिलाओं के लिए बिल्डि इकाई की स्थापना Setting up Tailoring Unit for underprivileged women	कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण Skill Development & Women Empowerment	अन्य Other	आइजोल, मिजोरम Aizawal, Mizoram	148711	148711	148711	148711	गुडविल फाउंडेशन Goodwill Foundation
11	स्कूलों में (जल, स्वच्छता और स्वच्छता) WASH (Water, Hygiene & Sanitation) in schools	स्वास्थ्य, स्वच्छता Healthcare, Sanitation	अन्य Other	वारंगल, तेलंगाना Warangal, Telangana	8618698	8618698	8618698	8618698	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद Administrative Staff College of India, Hyderabad
12	स्कूलों में (जल, स्वच्छता और स्वच्छता) WASH (Water, Hygiene & Sanitation) in schools	स्वास्थ्य, स्वच्छता Healthcare, Sanitation	अन्य Other	नरसापुर, पलाकोल, कोव्वुरु, आंध्र प्रदेश Narsapur, Palacole, Kovvur, Andhra Pradesh	531150	531150	531150	531150	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद Administrative Staff College of India, Hyderabad
13	कैंसर से प्रभावित बीपीएल परिवारों के बच्चों की सहायता करना Assisting children of BPL families affected with cancer	स्वास्थ्य Healthcare	अन्य Other	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra	888414	888414	888414	888414	कैंसर रोगी एसएस एसोसिएशन Cancer Patients Aids Association
14	समाज के कमजोर वर्गों के कैंसर रोगियों को प्रशामक देखभाल और सहायता Palliative care & support to cancer patients of weaker sections of society	स्वास्थ्य Healthcare	स्थानीय Local	दिल्ली Delhi	2782635	2782635	2782635	2782635	कैंसर सपोर्ट Cansupport



क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान CSR Project or activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है Sector in which the project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम Projects or Programs		राष्ट्रीय परिस्य (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹. में) Amount outlay (budget) project or programs wise (In Rs.)	परियोजनाओं या कार्यक्रम उप-कार्यों पर व्यय राशि Amount spent on the projects or sub-heads programs		रिपोर्टिंग अवधि के लिए संचयी व्यय (₹. में) Cumulative expenditure up to the reporting period (In Rs.)	व्यय राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यालयन एजेंसी के जरिये Amount spent: Direct or through Implementing Agency
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य Local area or other	राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम संचालित किए गए Specify the State and district where projects or programs was undertaken		परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे व्यय (₹. में) Direct expenditure on projects or programs (In Rs.)	ओवरहेड (₹. में) Overheads (In Rs.)		
15	स्कूलों में स्वच्छ आराम पहल Swachchh Bharat Initiatives in Schools	स्वास्थ्य, स्वच्छता Healthcare, Sanitation	अन्य Other	पोट्टियूर, नागरकोइल, तमिलनाडु Pottiyur, Nagercoil, Tamil Nadu	300000	300000	300000	प्रत्यक्ष Direct	
16	वंचितों का इलाज करते हुए अस्पताल में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करना Providing Medical Equipment to Hospital treating underprivileged	स्वास्थ्य Healthcare	अन्य Other	मुंबई- महाराष्ट्र, नौलाकोट्टई- तमिलनाडु Mumbai -Maharashtra, Nilakottai-Tamilnadu	3135080	3135080	3135080	प्रत्यक्ष Direct	
17	सीएसआर क्षमता का निर्माण Building CSR capacities	क्षमता निर्माण Capacity development	स्थानीय Local	विभिन्न जिले और राज्य Multiple districts & States	33500	33500	33500	प्रत्यक्ष Direct	
18	इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं Infrastructure facilities for Institution for Insurance Education	शिक्षा Education	अन्य Other	Pune, Maharashtra	264772	264772	264772	National insurance Academy, Pune	
19	मुक्ति आश्रम में लड़कों के घर के लिए बुनियादी सुविधाएं Infrastructure facilities for Boys Home at Mukti Ashram	शिक्षा Education	स्थानीय Local	Delhi	1301300	1301300	1301300	Bachpan Bachao Andolan	
	कुल योग GRAND TOTAL				53167821	53167821	53167821	0	



नीलम गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

फार्म नं. एमआर 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (एल) और कंपनियों के नियम 9 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के लिए उद्देश्य)

सेवा,
सदस्य
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
ए -25/27, आसफ अलीरोड
नई दिल्ली -110002

मैंने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बाद में 'कंपनी' / 'ओआईसीएल' कहा जाता है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के सचिवीय ऑडिट का संचालन किया है, सचिवीय ऑडिट एक तरीके से किया गया था जो हमें प्रदान करता था। कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में मेरी राय व्यक्त करने का उचित आधार।

कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, मिनटों की पुस्तकों, प्रपत्रों, रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों के सत्यापन के आधार पर और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान दी गई जानकारी, मैं इसकी जानकारी देता हूँ। मेरी राय में, कंपनी के पास 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने की ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं हैं और हद तक जगह पर अनुपालन तंत्र है, इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके और विषय में:

मैंने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पुस्तकों, पत्रों, मिनटों की पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है:

NEELAM GUPTA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT (For the Financial Year ended 31st March, 2019)
[Pursuant to Section 204(l) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members
The Oriental Insurance Company Limited
A-25/27, Asaf Ali Road
New Delhi-110002

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by The Oriental Insurance Company Limited (hereinafter called "the Company" / "OICL"), Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the books, papers, minute books, forms, returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the Financial Year ended on 31st March, 2019, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by OICL for the year ended on 31" March, 2019 according to the provisions of:



- | | |
|--|---|
| <p>I. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;</p> <p>II. सिक्क्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और इसके तहत बनाए गए नियम;</p> <p>III. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और विनियमों और उपनियमों को फंसाया गया;</p> <p>IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और नियमों और विनियमों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा तक कर दिया;</p> <p>V. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: –</p> <p>(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);</p> <p>(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;</p> <p>(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू ओटी कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2009 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);</p> <p>(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2011 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);</p> <p>(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, २०० 2008;</p> <p>(च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम के बारे में और ग्राहक के साथ व्यवहार (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);</p> <p>(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);</p> | <p>I. The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder;</p> <p>II. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;</p> <p>III. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;</p> <p>IV. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Overseas Direct Investment;</p> <p>V. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act 1992 ('SEBI Act'):-</p> <p>(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (Not applicable to the Company during the Audit period);</p> <p>(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;</p> <p>(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (Not applicable to the Company during the Audit Period);</p> <p>(d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2011 (Not applicable to the Company during the Audit Period);</p> <p>(e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;</p> <p>(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (Not applicable to the Company during the Audit Period);</p> <p>(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Company during the Audit Period);</p> |
|--|---|



- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं); तथा
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015।
- V. जनरल इश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972; इश्योरेंस एक्ट 1938 और इश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1999 और रूल्स एंड रेगुलेशंस में गड़बड़ी हुई।
- (i) निम्नलिखित के लागू क्लॉस के साथ बो जांच का अनुपालन किया है:
- (i) भारत के कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक;
- (ii) इश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ("IRDA") द्वारा जारी भारत में बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश 18 ' मई, 2016 (मसपदमे दिशानिर्देश १६) को अपडेट किया गया।
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Company during the Audit Period); and
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- V. General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972; the Insurance Act 1938 and the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder.
- (i) have a bo examined compliance with the applicable clauses of following:
- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India;
- (ii) Corporate Governance Guidelines for Insurers in India issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDA") updated 18* May, 2016 ('Guidelines').

समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन कला, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. OICL बीमा क्षेत्र में एक सरकारी कंपनी है और यह IRDAI और इसी तरह के लागू कानूनों द्वारा शासित है। धारा 16 (1) (डी) और 16 (1) (ई) जनरल इश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों और कंपनी के संघ के लेखों के तहत, केंद्र सरकार के पास निर्णय लेने की एकमात्र शक्ति है कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना, यानी बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने के लिए शक्ति। वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है:

बोर्ड संरचना: - 31/03/2019 से

During the year under review the Company has complied with the provisions of the Art, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

1. The OICL is a Government Company in the Insurance Sector and is also governed by IRDAI and similar applicable laws. Under the provisions of Sections 16(1)(d) and 16(1)(e) of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 and the Articles of Association of the Company, the Central Government has the sole power to decide upon the composition of the Board of Directors of the Company, i.e. power to appoint and Directors on the Board. The composition of the Board during the year under:

Board Composition: From - 31/03/2019



क्र.सं. Sr. No.	व्यक्ति का नाम	Name Of Person	अपॉइंटमेंट की तिथि Date of Appointment	समाप्ति की तिथि Date of cessation	पद *; आधिकारिक क्षमता	Designation*; Official Capacity
1	श्री गिरिजाकुमार वेंकट अंगारा	Mr. Girijakumar Venkata Angara	31/05/2017		अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (कार्यकारी निदेशक)	Chairman Cum Managing Director (Executive Director)
2.	श्री मुकेश कुमार जैन "	Mr. Mukesh Kumar Jain"	06/01/2018		गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	Non-official Director (Independent Director)
3.	डॉ. श्रीनिवास राव नागार्जुन	Dr. Srinivasa Rao Nagarjuna	16/07/2013		निदेशक (गैर-कार्यकारी नामित निदेशक)	Director (Non-Executive Nominee Director)
4.	सुश्री मुदिता मिश्रा	Ms. Mudita Mishra	23/12/2015		निदेशक (गैर-कार्यकारी नामित निदेशक)	Director (Non-Executive Nominee Director)
5	श्री मिलिंद अन्ना खरात *	Mr. Milind Anna Kharat*	29/09/2017	04/03/2018	गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	Non-official Director (Independent Director)
6.	श्री पंचानन नायक *	Mr. Panchanan Nayak*	29/09/2017		गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	Non-official Director (Independent Director)
7.	श्री असीम चावला *	Mr. Aseem Chawla*	29/09/2017		गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	Non-official Director (Independent Director)
8.	श्री बलवंत सिंह	Mr. Balwant Singh	02/04/2013		पूरे समय निदेशक (कार्यकारी निदेशक)	Whole Time Director (Executive Director)
90.	श्री दिनेश वाघेला *	Mr. Dinesh Waghela*	01/06/2018		पूरे समय निदेशक (कार्यकारी निदेशक) और सीएफओ '	Whole Time Director (Executive Director) and CFO*

* पार्ट टाइम नॉन - बोर्ड पर डायरेक्टिंग डायरेक्टर, श्री मुकेश कुमार जैन (ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एमडी और सीईओ) को छोड़कर, किसी भी सरकारी निकाय या उपक्रम के पास कोई पद या रोजगार नहीं है।

31 जनवरी, 2018 को वित्त मंत्रालय के आदेश के पूर्ण समय के निदेशक के रूप में नियुक्त एस श्री दिनेश वाघेला, 31 मई, 2018 को जीआईसी, मुंबई से मुक्त होने के बाद 01.06.2018 को कंपनी में शामिल हो गए।

@ मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त (CFO)- 3 जुलाई, 2018 से लागू

*Part time Non - Officiating Directors on the Board, except Mr. Mukesh Kumar Jain (MD and CEO of Oriental Bank of Commerce), do not hold any position or employment with any Government body or undertaking.

S Mr. Dinesh Wnghela, appointed as Whole Time Director vide Ministry of Finance order dated 31st January. 2015, joined Company on 01,06.2018 after being relieved from GIC, Mumbai on 31" May, 2018.

@ Appointed as Chief Financial Officer (CFO) w.e.i. 30th July, 2018,



2. यह पुष्टि नहीं की जा सकती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची प्त के प्रावधानों के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक, वर्ष के दौरान आयोजित की गई थी, गैर-सरकारी निदेशकों को उनकी बैठक आयोजित करने की आवश्यकता के बारे में विधिवत सूचित किया गया है कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, जो कंपनी को जानकारी के बिना आयोजित किया जाता है।
3. कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन प्त्। द्वारा जारी भारत में बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है:
 - क) श्री दिनेश वाघेला एक साथ तीन प्रमुख प्रबंधन पदों को संभाल रहे हैं। कंपनी में संपूर्ण समय के निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य जोखिम अधिकारी, दिशानिर्देशों के खंड 3 ए (2) का उल्लंघन जो यह बताता है कि श्रममुख प्रबंधन व्यक्ति एक साथ बीमा कंपनी में दो पदों को नहीं रखेगा जो संघर्ष या संभावित विवादों को रोक सकता है। ब्याज कीश। प्रबंधन का विचार है कि उक्त पद 1न्व।प नियमों के अनुपालन में केवल पदनाम हैं और विशिष्ट नियुक्तियां नहीं हैं और यह किसी भी संभावित हितों के टकराव को बढ़ावा देता है।
 - ख) कंपनी टायर के क्लॉज 5.1 में निर्धारित नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रही है, भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) के आदेश द्वारा नियुक्त निदेशकों को दिशानिर्देश। प्रबंधन का विचार है कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए निदेशकों की ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी पर उक्त धारा लागू नहीं है।

1KDA द्वारा जारी भारत में बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन में कोई भी डिफॉल्ट बीमा अधिनियम 1938 की धारा 102 के प्रावधानों के तहत जुर्माना आकर्षित कर सकता है।
2. It could not be confirmed whether or not separate meeting of Independent Directors, required under the provisions of Schedule IV of the Companies Act 2013, was held during the year, The Non-Officio Directors are duly informed of the requirement of holding their Meeting in accordance with provisions of Companies Act 2013, **which con be held without information to the Company.**
3. The Company has complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurers in India issued by IRDA subject to the following observations:
 - a) Mr. Dinesh Waghela is holding three key management positions simultaneously viz. Whole Time Director, Chief Financial Officer and Chief Risk Officer in the Company, contravention of Clause 3A(2) of the guidelines which prescribes that 'Key Management Person shall not simultaneously hold two positions in the insurance company that could lend to conflict or potential conflicts of interest'. The Management is of the view that the said positions are mere designations in compliance of 1UDAI regulations and not specific appointments and does nut lead to any potential conflict of interest.
 - b) The Company is not issuing appointment letters prescribed in Clause 5.1 of tire said Guidelines to the Directors appointed by the order of President of India, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (Insurance Division). The Management is of the view that the said Clause is not applicable to the Company for such appointment of Directors made by the Central Government.

Any default in compliance with the Corporate Governance Guidelines for Insurers in India issued by 1KDA may attract penalty under the provisions of Section 102 of the Insurance Act 1938.



मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

- क. बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को सात दिन अग्रिमरूप से कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान की गई है और बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और हासिल करने के लिए और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली विद्यमान है।।
- ख. बहुमत से लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के मदों को रखकर कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखबद्ध कर लिया जाता है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी ने ऑडिट की अवधि के दौरान 10,00,000 रुपये के प्रत्येक कूपन पर रु. 750.00 करोड़ रुपये प्रत्येक कुल मिलाकर कंपनी द्वारा 5 वर्षों के अंत में कॉल विकल्प के साथ 10 वर्षों के कार्यकाल के लिए: और। कंपनी ने ब्बउचंदल 5 बीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 'को डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है और एनसीडी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ सूचीबद्ध किया है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) में लागू प्रावधानों के अनुसार भर्ती कराया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा जारी विनियम। फॉर्म पीएस-3 में आवंटन की वापसी 18 मार्च, 2019 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रस्तुत की गई थी। इन एनसीडी को 18 मार्च, 2019 को NSDL में जमा किया गया है। इन डिबेंचरों पर स्टॉप ड्यूटी के भुगतान के लिए आवेदन, जो 19 मार्च, 2019 को प्रस्तुत किया गया था, कलेक्टर स्टैम्प के कार्यालय में लंबित है।

I further report that:

- a. Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- b. Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit period the Company has issued and allotted the Rated, Unsecured, Subordinated, Fully Paid-up, Listed, Redeemable and Non-Convertible Debentures of Rs. 10,00,000 each aggregating Rs. 750.00 Crores at a Coupon rate of 8.80 % and for a tenure of 10 years with call option exercisable at the end of 5 years by the Company. The Company has appointed '5BICAP Trustee Company Limited' as the Debenture Trustee and has listed the NCDs with National Stock Exchange (NSE) and admitted the same at National Securities Depository Limited (NSDL) & Central Depository Services Ltd (CDSL) as per applicable provisions of Companies Act, 2013 and Regulations issued by Securities Exchange Board of India in this regard. Return of Allotment in Form PAS-3 was submitted with Ministry of Corporate Affairs (MCA) on 18th March, 2019. These NCDs have been credited at NSDL on 18th March, 2019. Application for payment of Stamp Duty on these Debentures, which was submitted on 19th March, 2019, is pending in the office of Collector of Stamps, Delhi.



मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी मेरे मतानुसार और उपर्युक्त अवलोकनों के अध्यक्षीन, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की अंतर्गत बनाए गए निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित के प्रावधानों और कंपनी के ज्ञापन और कंपनी अंतर नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

- क) विभिन्न वैधानिक रजिस्ट्रों और दस्तावेजों का रखरखाव और उसमें अपेक्षित प्रविष्टियां करना;
- ख) सदस्यों के रजिस्टर को बंद करना;
- ग) कंपनियों और केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार के साथ दाखिल करने के लिए आवश्यक फॉर्म, रिटर्न, दस्तावेज और संकल्प;
- घ) कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखा परीक्षकों और कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों को जारी करना;
- ङ) निदेशकों की बोर्ड बैठकों और समिति की बैठकों की सूचना;
- च) निदेशकों और निदेशकों की बैठकें जिनमें संचलन द्वारा प्रस्तावों को पारित करना शामिल है;
- छ) वार्षिक आम बैठक और असाधारण आम सभा;
- ज) बोर्ड और उसकी समिति की बैठकों की सामान्य बैठक की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग मिनट;
- झ) जहां कहीं भी आवश्यक हो, सदस्यों, निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों और सरकारी अधिकारियों के अनुमोदन प्राप्त करना;
- ण) निदेशक मंडल, निदेशक, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और प्रबंध निदेशक और पूरे समय के निदेशकों सहित पुनः नियुक्ति, निदेशक मंडल/समिति का गठन;
- त) प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान,
- थ) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक;
- द) कंपनी के शेयरों का हस्तांतरण और शेयर प्रमाण पत्रों का निर्गमन और प्रेषण;

I further report that the Company has, in my opinion and subject to the above mentioned observations, during the audit year complied with the provisions of the Companies Act, 2013 as notified by Ministry of Corporate Affairs and the Memorandum and Articles of Association of the Company, with regard to:

- a) maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
- b) closure of the Register of Members;
- c) forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies and the Central Government;
- d) service of documents by the Company on its Members, Auditors and the Registrar of Companies;
- e) notice of Board meetings and Committee meetings of Directors;
- f) the meetings of Directors and Committees of Directors including passing of resolutions by circulation;
- g) holding of Annual General Meeting and Extra Ordinary General Meeting;
- h) recording minutes of proceedings of General Meetings and of the Board and its Committee meetings;
- i) obtaining approvals of the Members, the Board of Directors, the Committees of Directors and the government authorities, wherever required;
- j) constitution of the Board of Directors / Committee(s) of Director, appointment, retirement and reappointment of Directors including the Managing Director and Whole-time Directors;
- k) payment of remuneration to Directors including the Managing Director and Whole-time Directors,
- l) appointment and remuneration of Auditors;
- m) transfers of the Company's shares and issue and dispatch of certificates of shares;



- | | |
|---|--|
| <p>ध) लाभांश की घोषणा और भुगतान;</p> <p>न) कंपनी के निधियों का निवेश जिसमें निवेश और अन्य को ऋण शामिल हैं;</p> <p>प) बीमा अधिनियम, 1938 आईआरडीएआई विनियम 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित वर्गों द्वारा अपेक्षित खातों और सूचनाओं का रूप;</p> <p>फ) निदेशकों की रिपोर्ट;</p> <p>ब) अनुबंध, सामान्य मुहर, पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के नाम का प्रकाशन; तथा</p> <p>भ) आम तौर पर, अधिनियम और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अन्य सभी लागू प्रावधान।</p> | <p>n) declaration and payment of dividends;</p> <p>o) investment of the Company's funds including investments and loans to others;</p> <p>p) form of accounts and information required by the Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations 2002 and the relevant sections of Companies Act, 2013;</p> <p>q) Directors' report;</p> <p>r) contracts, common seal, registered office and publication of name of the Company; and</p> <p>s) Generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules made under the Act.</p> |
|---|--|



दिनेश आर. वाघेला

महाप्रबंधक

वित्त एवं लेखा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, कंपनी ने 13485 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 11737 करोड़ रुपये) का सकल प्रीमियम प्राप्त किया, जिसमें 1748 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 14.89% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2018-19 का शुद्ध प्रीमियम 8.15% की वृद्धि दर के साथ 10845 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10028 करोड़ रुपये) था, जिसके परिणामस्वरूप 817 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अर्जित प्रीमियम 10.11% की वृद्धि दर के साथ 10601 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9628 करोड़ रुपये) था, जिसके परिणामस्वरूप 973 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

शुद्ध प्रतिधारण 80.43% (पिछले वर्ष 85.44%) घटकर 5.01% घट गया। 91.15% की तुलना में सकल आईसीआर 104.43% दर्ज किया गया, इस प्रकार 13.28% की वृद्धि हुई।

DINESH R. WAGHELA

GENERAL MANAGER

FINANCE AND ACCOUNTS

For the financial year 2018-19, the Company procured the gross premium of Rs. 13485 crores (Rs. 11737 crores previous year), recording a growth of 14.89% with an accretion of Rs. 1748 crores. The net premium for the FY 2018-19 was Rs. 10845 crores (previous year Rs. 10028 crores) with a growth rate of 8.15% resulting in an increase of Rs. 817 crores. The earned premium for the FY 2018-19 was Rs. 10601 crores (previous year Rs. 9628 crores) with a growth rate of 10.11% resulting in an increase of Rs. 973 crores.

The net retention decreased to 80.43% (previous year 85.44%) resulting in a decrease of 5.01%. The Gross ICR was recorded at 104.43% as compared to 91.15%,



शुद्ध आईसीआर 81.98% की तुलना में 103.71% हो गया है, जिसमें 21.73% की वृद्धि हुई है। यह मुख्य रूप से मोटर टीपी सेगमेंट में मुख्य रूप से अतिरिक्त प्रावधानों और आईबीएनआर देनदारियों के कारण था।

समग्र सकल प्रीमियम में अग्नि, मोटर, स्वास्थ्य और फसल व्यापार लाइनें प्रमुख योगदान थीं। हालांकि, शुद्ध कमीशन अनुपात 6.33% की तुलना में घटकर 6.10% हो गया, जबकि बीमालेखन घाटा 1847 करोड़ रुपये से बढ़कर 3771 करोड़ रुपये हो गया, जो मुख्य रूप से प्रावधानों और आईबीएनआर देनदारियों में वृद्धि के कारण था।

प्रबंधन व्यय 2609 करोड़ रुपये के मुकाबले घटकर 2449 करोड़ रुपये हो गया, जो 3.44% की कमी है। संयुक्त अनुपात 16.63% बढ़कर 118.60% हो गया है। कंपनी ने पिछले वर्ष 1510 करोड़ रुपये के लाभ के मुकाबले 294 करोड़ रुपये के कर के बाद शुद्ध घाटा दर्ज किया।

सक्रिय रूप से कारोबार वाले इक्विटी शेयरों के पोर्टफोलियो में प्रशंसा का प्रतिनिधित्व करने वाला उचित मूल्य परिवर्तन खाता बाजार की स्थितियों के कारण 7586 करोड़ रुपये (8657 करोड़ रुपये पीवाई) पर रहा।

फायर, मरीन और विविध खंडों के तहत कंपनी (IRDA विनियमों के अनुसार) के परिचालन परिणाम नीचे दिए गए हैं:

रुपये करोड़ में

वर्ष	अग्नि	मरीन	विविध	कुल
2018-19	-185	97	-1129	-1217
2017-18	11	113	1024	1148
2016-17	-111	33	-2322	-2400

हम सॉल्वेंसी मार्जिन पर IRDA नियमों का अनुपालन कर रहे हैं और यह 31.03.2019 तक 1.57 है

आंतरिक लेखा परीक्षा

वर्ष की शुरुआत में 6467 आंतरिक ऑडिट पैरा लंबित थे। वर्ष के दौरान आयोजित ऑडिट के परिणामस्वरूप 14695 पैरा जोड़े गए। लंबित पैरा की अधिकतम संख्या का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में लंबित पैरा की संख्या 3583 तक कम हो गई है, 83% की निकासी दर। यह पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक निकासी दर है।

thus an increase of 13.28 %. The net ICR has increased to 103.71 % as compared to 81.98 %, showing a rise of 21.73 %. This was largely due to the additional provisions and IBNR liabilities mainly in Motor TP segment.

Fire, Motor, Health & Crop business lines were major contributors to the overall gross premium. Though the net commission ratio decreased to 6.10 % as against 6.33 %, the underwriting loss went up by Rs. 1847 crores from Rs. 1923 crores to Rs. 3771 crores, mainly on account of increase in provisions & IBNR liabilities.

The management expenses decreased to Rs. 2449 crores as against Rs. 2609 crores, recording a decrease of 3.44 %. The combined ratio has gone up by 16.63 % to 118.60 %. The Company recorded a net loss after tax of Rs. 294 crores as against a profit of Rs. 1510 crores last year.

The Fair value change account representing appreciation in the portfolio of actively traded equity shares stood at Rs. 7586 crores (Rs. 8657 crores PY) on account of market conditions.

The operating results of the Company (as per IRDA Regulations) under the Fire, Marine and Miscellaneous segments are as detailed below:

Rs. in rores

Year	Fire	Marine	Misc	Total
2018-19	-185	97	-1129	-1217
2017-18	11	113	1024	1148
2016-17	-111	33	-2322	-2400

We are complying with the IRDA regulations on Solvency Margin and it is 1.57 as on 31.03.2019

INTERNAL AUDIT COMPLIANCE

At the beginning of the year **6467** Internal Audit paras were pending. During the year **14695** paras were added as a result of audits conducted. Special efforts were made to ensure compliance of maximum number of pending paras. As a result the number of pending paras at the end of the year has reduced drastically to **3583, a clearance rate of 83%**. This is the highest clearance rate in last five years.



मुंबई कार्यालय

मुंबई शहर, जो लचीलापन और व्यावसायिकता के लिए जाना जाता है। वित्तीय संस्थानों के लिए पसंदीदा स्थान है। हम मुंबई में अपनी उत्पत्ति के लिए ओरिएंटल इश्योरेंस पर गर्व करते हैं; चूंकि कंपनी को 12 सितंबर, 1947 को बॉम्बे में शामिल किया गया था। प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट फॉर एम्प्लाइज ऑफ ओरिएंटल के कर्मचारी अभी भी मुंबई से संचालित हैं। मुंबई के बीमा बाजार में 4 क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवा है, जिनमें से प्रत्येक में व्यापार और बिचौलियों का एक अनूठा मिश्रण है। साथ में वे कंपनी की घरेलू प्रीमियम आय का लगभग 16% योगदान करते हैं।

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय-1 को अग्रणी और भारत की वित्तीय राजधानी में कंपनी के प्रतिष्ठित क्षेत्रीय कार्यालय में से एक होने का अनूठा गौरव प्राप्त है।

2018-2019 के दौरान इसने रेमंड, जॉनसन एंड जॉनसन, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जेट एयरवेज वेदांता ग्रुप, वेलस्पन, गोदरेज, एफकॉन्स, एचपीसीएल, एयर इंडिया, मैडरमॉट, जीएमआर, लिगारे, जूमेयर, एस्सार ग्रुप और यशराज फिल्मस अन्य जैसे कॉरपोरेट प्रतिष्ठित और लंबे समय तक ग्राहकों को अपने साथ जोड़ना जारी रखा।

एमआरओ-1 भी आला बीमा क्षेत्रों में विशेषज्ञता है जैसे खेल बीमा, फिल्मस बीमा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दीर्घकालिक और टेलर-मेड, व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा और साइबर अपराध बीमा। यह विशेष एविएशन अंडरराइटिंग सेल और हल अंडरराइटिंग का भी प्रबंधन करता है।

कोर संचालन के अलावा, एमआरओ-1 के पास कंपनी के लिए कुल भविष्य निधि, पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए जीएसटी सेल और मुंबई में कंपनी की सभी अचल संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

2018-2019 के दौरान 620 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध इसने 622.66 करोड़ रुपये का प्रीमियम पोर्टफोलियो हासिल किया है। 108.87% के संयुक्त अनुपात के साथ 18% की वृद्धि दर्ज करना जो 110% के निर्धारित मानदंडों के भीतर है।

MUMBAI OFFICES

The City of Mumbai, known for its Resilience and Professionalism is the preferred location for financial institutions. We at Oriental Insurance are proud to have our origins in Mumbai; as the Company was incorporated in Bombay on 12th September, 1947. Provident Fund Trust for Employees of Oriental is still operated from Mumbai. Insurance Market of Mumbai is serviced by 4 Regional Offices each having a unique blend of business and intermediaries. Together they contribute about 16% of the Company's Domestic Premium Income.

MRO1 has the unique distinction of being the pioneer and one of the prestigious Regional Office of the Company in the financial capital of India.

During 2018-2019 it continued to add to the Corporate prestige through its tied and long standing corporate clientele such as Raymond, Johnson & Johnson, Shipping Corporation of India, Jet Airways Vedanta Group, Welspun, Godrej, Afcons, HPCL, Air India, Mcdermott, GMR, Ligare, Zoomair, Essar Group & Yash Raj Films among others.

MRO-1 is also specialising in niche Insurance Sectors like Sports Insurance, Films Insurance, Electronic Media, Long Term and Tailor made liability, Professional Indemnity Insurance and Cyber Crime Insurance among others. It also manages the specialised Aviation Underwriting Cell and Hull Underwriting.

Apart from core operations, MRO 1 is also having the responsibility of managing the entire Provident Fund for the Company, GST Cell for the entire State of Maharashtra and all immovable properties of Company in Mumbai.

During 2018-2019 it has achieved a premium portfolio of Rs 622.66 Crs. against the target of Rs 620 Crs. registering the growth of 18% with combined ratio of 108.87% which is well within the stipulated norms of 110 %.



एमआरओ II देश में ओआईसी का सबसे बड़ा राजस्व अर्जन है। इसे MRO-I से रिलायंस, एचसीएल, अदानी पावर, ब्रिटानिया, L&T प्रोजेक्ट्स, IPCA, ACC, CIDCO, JB Chemicals आदि जैसे कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर बनाया गया था।

उनके पास करीब 500 एजेंटों की एक मजबूत एजेंसी दल है। इनमें से 10 को सीएमडी क्लब के सदस्यों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

वे कॉर्पोरेट एजेंटों के साथ भी काम करते हैं: ग्रेटर बॉम्बे को-ऑप बैंक लिमिटेड और महांगर को-ऑप बैंक लिमिटेड, जो संपत्ति खंड में पर्याप्त प्रीमियम योगदान करते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। उनके कुछ बीमित बैंक एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेन ऑपरेशंस और अन्य कॉर्पोरेट सेक्टर और अनुसूचित बैंक हैं। हम महत्वाकांक्षी आईबीए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं।

यह क्षेत्रीय कार्यालय ज्वैलर्स ब्लॉक, स्टॉक ब्रोकर्स पॉलिसी, ऑटोमोबाइल एक्सटेंडेड वॉरंटी, ऑटो निर्माता के लिए टेल-मेड PA कवर, स्पेशलाइज्ड इवेंट/फेस्टिवल कवर जैसी विशेष पॉलिसियों में शामिल है।

एमआरओ III मुख्य रूप से एक उपनगरीय क्षेत्रीय कार्यालय है जिसमें खुदरा और व्यक्तिगत बीमा क्षमता में समृद्ध व्यापक भौगोलिक विस्तार है।

मोटर व्यवसाय में उनका मुख्य है;

1. महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर्स, ठाणे में नोडल ऑफिस में 79.52 करोड़ रुपये के प्रीमियम के साथ
2. 72.08% की वृद्धि दर पर 29.08 करोड़ रुपये के प्रीमियम के साथ कवरफॉक्स ब्रोकर्स

अन्य पहल

मारुति ने छोटी शुरुआत के रूप में टाई-अप किया और 65.70 लाख रुपये का प्रीमियम हासिल किया

2018-19 के दौरान 91.92% के निपटान दर के साथ 8845 से अधिक दावों को संभालने वाले मोटर और गैर मोटर एसवीसी

MRO II is the largest Revenue Earner of OIC in the Country. It was carved out of MRO I with few corporates like Reliance, HCL, Adani Power, Britannia, L&T projects, IPCA, ACC, CIDCO, JB Chemicals etc.

They have a strong Agency Force of around 500 agents. Out of these 10 are recognised as CMD Club members.

They also work with Corporate Agents: The Greater Bombay Co-op Bank Ltd. & The Mahangar Co-op Bank Ltd., who contribute substantial premium in property segment.

The Banking Sector is largely serviced by this Regional Office. Some of their Insured Banks are Axis, HDFC, Kotak Mahindra, Union Bank of India, Central Bank, Bank of Baroda Foreign Operations, and other Corporate Sectors & Scheduled Banks. We are also participating in the ambitious IBA Health Insurance Programme.

This RO is involved in specialised policies such as Jewellers Block, Stock Brokers Policy, Automobile Extended Warranty, Tailor-made PA cover for Auto Manufacturer, Specialised Events/Festivals covers.

MRO III is predominantly a suburban Regional Office with extensive Geographical Stretch rich in Retail and Personal Insurance Potential.

Their thrust in Motor Business is spearheaded by;

1. Mahindra & Mahindra Automobile Manufacturer with Premium of Rs 79.52 crores at Thane Nodal Office
2. Coverfox Brokers with Premium of Rs 29.08 crores at Growth Rate of 72.07%

Other Initiatives

Started Maruti tie-up as a small beginning and achieved premium of Rs 65.70 Lacs

Started Motor and Non Motor SVC which has handled more than 8845 claims with settlement rate of 91.92% during 2018-19



की शुरुआत की।

51% से अधिक की विकास दर के साथ अपने अस्तित्व के 1 वर्ष में 75 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ ब्रोकरों द्वारा संचालित व्यवसाय के लिए जोगेश्वरी डीओ में से सृजित किया गया और 63.3% की वृद्धि दर के साथ 80.15 करोड़ रुपये हासिल किए।

1. पिछले पांच सालों में पहली बार प्रति कर्मचारी उत्पादकता 96 लाख रुपये से बढ़ाकर 132 लाख रुपये की गई, जिसके परिणामस्वरूप 33.68 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।
2. नीतियों की संख्या में वृद्धि 27%
3. संयुक्त अनुपात 91.57%

एमआरओ 3 ने एचओ द्वारा निर्धारित सभी मील के पत्थर को प्रीमियम में 35.42% की वृद्धि से पूरा किया है। सही मायने में यह मुंबई का 'सूर्योदय' क्षेत्र है।

कॉर्पोरेट व्यवसाय क्षेत्रीय कार्यालय (सीबीआरओ)—पूर्ववर्ती परियोजना डीओ जो 2010 में सीबीआरओ को दी गई थी। उनकी व्यावसायिक संरचना में प्रत्यक्ष 70% और ब्रोकर्स 30% शामिल हैं।

सीबीआरओ ने बड़े कॉरपोरेट्स जैसे एलएंडटी ग्रुप, एस्सार ग्रुप, टाटा स्टील, सुजलॉन, मैरिको आदि को खानपान सेवाएं प्रदान की। वित्त वर्ष 2017-18 में सीबीआरओ ने लाभ मार्जिन रु. 59.11 करोड़ है जो लगभग उनके सकल प्रीमियम का 30% है। सीबीआरओ एसएमई संपत्ति व्यवसाय की अपार संभावनाओं को टैप करने की कोशिश कर रहा है। वे इस वर्ष यथोचित सफल रहे हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान:

कॉर्पोरेट दुनिया में निराशाजनक रूझानों बावजूद और पारंपरिक साझेदारों से प्रीमियम की निराशाजनक गिरावट हुई जैसे एस्सार सीबीआरओ ने 2017-18 में 201.36 करोड़ रुपये के मुकाबले 2018-19 में कुछ गैर-व्यवहार्य जीएमसी खातों को बंद करने के बाद भी 228.37 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूरा किया। व्यवसाय के सभी सेगमेंट में हेल्थ सेगमेंट को छोड़कर परिचालन अधिशेष दिखाया गया है, जिसके कारण कुल मिलाकर/संयुक्त अनुपात 104% था। उल्लेखनीय रूप

Carved out DO at **Jogeshwari** for brokers driven business with an ambitious target of Rs 75 crores in 1st year of its existence with a growth rate of more than 51% and achieved Rs 80.15 crores with growth rate of 63.3%

1. The productivity per employee was increased from Rs 96 Lakhs to Rs 132 lakhs resulting into profit of Rs 33.68 crores for the first time in last five years
2. Growth in number of policies 27 %
3. Combined ratio 91.57 %

MRO 3 has exceeded all the milestones set by HO by completing growth in premium by 35.42 %. In the true sense this is the "sunrise" sector of Mumbai.

Corporate Business Regional Office (CBRO) – Erstwhile Project DO which was elevated to CBRO in 2010. Their business composition consists of Direct 70% & Brokers 30%.

CBRO has been catering to Large Corporates such as L&T Group, Essar Group, Tata Steel, Suzlon, Marico etc. In the FY 2017-18 CBRO has improved profit margin to Rs. 59.11 crores which is approx. 30% of their Gross Premium. CBRO has been trying to tap the immense potential of SMEs property business. They have been reasonably successful this year.

During FY 2018-19:

Despite turbulent phase in corporate world and resultant dismal trend of the premium from traditional partners like Essar, CBRO completed a premium of Rs.228.37 crores, even after shedding off some non-viable GMC accounts, in 2018-19 as against Rs.201.36 crores in 2017-18. All Segment of business has shown operating surplus except Health Segment which caused shooting up of overall/combined ratio to 104%. Remarkably, even GMCs of RRBs have yielded good profit. The Claim settlement Ratio of CBRO recorded highest (95.22%) claim settlement ratio across the country.



से, यहां तक कि आरआरबी के जीएमसी को भी अच्छा लाभ मिला है। सीबीआरओ का दावा निपटान अनुपात पूरे देश में उच्चतम (95.22%) दावा निपटान अनुपात दर्ज किया गया।

उत्पाद विकास

2018-19 उत्पादों का एक वर्ष था, जिसमें कई लाइनों के व्यापार (LoB) के उत्पादों को IRDAI की मंजूरी के लिए डिजाइन और दायर किया गया था।

नए उत्पादों को बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था, कुछ उत्पादों को IRDAI के निर्देशों के अनुसार और कुछ सरकारी योजनाओं को भी दायर किया गया था। विभाग ने 2018-19 में निम्नलिखित 28 उत्पाद डिजाइन और दायर किया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान उत्पादों की एलओबी-वार सूची निम्नानुसार है:

1. मोटर:

एड-ऑन – प्रमुख प्रतिस्थापन और उपभोग्य कवर, स्टैंड-अलोन अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (मालिक-चालक)

इसके अलावा, 6 दीर्घावधि टीपी व्यापक, बंडल और स्टैंड-अलोन टीपी दोनों दोपहिया और निजी कारों के लिए, इन उत्पादों के साथ 13 एड-ऑन दायर किए गए थे। ये फाइलिंग आईआरडीएआई के निर्देश के अनुसार वाहनों के लिए दीर्घकालिक थर्ड पार्टी कवरेज को अनिवार्य बना रही थी।

2. स्वास्थ्य:

- पिछले साल दायर सुपर हेल्थ टॉप-अप को मंजूरी मिली
- आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (यूटी ऑफ दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली)
- आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (गुजरात राज्य)
- स्वच्छ मित्रा सुरक्षा बीमा योजना

3. अभियांत्रिकी:

अव्यक्त दोष बीमा पॉलिसी (एलडीआई)

4. ग्रामीण:

एक्वाकल्चर (झींगा / झींगा) बीमा

PRODUCT DEVELOPMENT

2018-19 was a year of products, with products of many Lines of Business (LoB) being designed and filed for IRDAI approval.

New products were designed in keeping up with market requirements, some products were filed as per IRDAI directives and some Government schemes were also filed. The Department has designed and filed following 28 products in 2018-19. LoB-wise list of products during FY 2018-19 is as below:

1. Motor:

Add-ons - Key Replacement & Consumables Cover, Stand-alone Compulsory Personal Accident (owner-Driver)

In addition, 6 long-term TP comprehensive, Bundled and Stand-alone TP both for two-wheelers and Private Cars, alongwith 13 Add-ons to these products were filed. These filings were pursuant to the IRDAI directive making long-term Third Party coverage mandatory for vehicles.

2. Health:

- Approval received of Super Health Top-Up filed last year
- Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (UT of Daman, Diu & Dadra and Nagar Haveli)
- Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (State of Gujarat)
- Swachhta Mitra Suraksha Bima Yojana

3. Engineering:

Latent Defects Insurance Policy (LDI)

4. Rural:

Aquaculture (Shrimp/Prawn) Insurance



5. विविध:

ट्रेड क्रेडिट इश्योरेंस

हमने ऊपर उल्लेखित पिछले दो उत्पादों को छोड़कर दायर सभी उत्पादों के लिए आईआरडीएआई की स्वीकृति प्राप्त की।

आईआरडीएआई कई बार उत्पादों पर विनियमों के संबंध में एक्सपोजर ड्राफ्ट के साथ सामने आता है, जिसकी विभाग द्वारा जांच की जाती है और इसका जवाब दिया जाता है। मंत्रालय/आईआरडीएआई नए उत्पादों के संबंध में हुई प्रगति की निगरानी भी करता है और उत्पाद से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी गौर करता है और समय-समय पर जानकारी चाहता है, जो विभाग की जिम्मेदारी भी है।

विभाग अपने स्वयं के उत्पादों पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया की निगरानी करने के साथ-साथ बाजार में प्रतियोगियों के उत्पादों को बारीकी से देखता है। संभव हद तक, हम अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए अच्छी विशेषताओं को शामिल करने और प्रतिक्रिया तंत्र का उपयोग करने का प्रयास करते हैं।

विभाग का प्रयास है कि दस्तावेजों को सरल और आसानी से जनता द्वारा समझा जा सके। इस फोकस के साथ, सेल्स लिटरेचर प्रश्न-उत्तर प्रारूप पर ध्यान रखना है, हर सवाल का ध्यान रखना जो जिज्ञासु जनता से आ सकता है। इससे गलत बिक्री की गुंजाइश भी कम हो जाती है।

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण को वेन कैसियो द्वारा परिभाषित किया गया है, प्रशिक्षण में कर्मचारी ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम शामिल हैं ताकि संगठन का प्रदर्शन काफी सुधरे। प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम कर्मचारियों को उनकी गुणवत्ता में सुधार करने में बहुत मदद करते हैं। काम, उनकी वृद्धि को बढ़ाता है, उद्योग में नए रुझानों पर ध्यान केंद्रित करके अप्रचलन को रोकता है, और योजना और कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटता है। हमारा दृष्टिकोण हमेशा कॉर्पोरेट व्यवसाय रणनीति और लक्ष्यों के साथ प्रशिक्षण गतिविधियों को संरेखित करना रहा है, और इसका मुख्य ध्यान विकासशील दक्षताओं पर है ताकि हमारे कार्यबल प्रतिस्पर्धी और प्रेरित रहें।

5. Miscellaneous:

Trade Credit Insurance

We received IRDAI approval for all the products filed except for the last two products mentioned above.

IRDAI at times comes out with Exposure Drafts in respect of Regulations on Products, which are examined by the department and responded to. The Ministry / IRDAI also monitor the progress made in respect of new products and also look into other product related issues and seeks periodic information, which is also the responsibility of the department.

The department keenly watches the competitors' products in the market, at the same time monitoring customer feedback on our own products. To the extent possible, we try to incorporate the good features and utilize the feedback mechanism to improve our products.

The department has endeavored on keeping documents simple and easy to be understood by the masses. With this focus, Sales Literature is on question-answer format, taking care to have every question that might come from the inquisitive public. This also reduces the scope for mis-selling.

TRAINING

Training is defined by Wayne Cascio as "training consists of planned programs undertaken to improve employee knowledge, skills, attitude, and social behavior so that the performance of the organization improves considerably." Training and development programs greatly help the employees to improve their quality of work, enhances their growth, prevents obsolescence by focusing on new trends in the Industry, and bridges the gap between planning and implementation. Our approach has always been to align training activities with the corporate business strategy & goals, and its main focus is on developing competencies so that our workforce remains competitive and motivated.



कॉर्पोरेट प्रशिक्षण विभाग विशेष प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करके कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपरोक्त दर्शन को अपनाता है।

हमारी प्रशिक्षण पद्धति केवल क्लास-रूम प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य सहायक विधियाँ भी हैं जैसे कि कार्यशालाएँ, सम्मेलन और सेमिनार आदि। हमारी गतिविधियों के लिए, कार्यक्रम सामग्री और प्रतिभागी प्रोफाइल के आधार पर, हमारे पास 4 प्रकार की सुविधाएँ हैं। ये हैं:-

- ओरिएंटल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, फरीदाबाद और चेन्नई
- 24 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र 30 क्षेत्रीय कार्यालयों को कवर करते हैं
- राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे
- अन्य व्यावसायिक संस्थान

ओएसटीसी फरीदाबाद

वित्त वर्ष 2018-19 में OSTC द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैं -

नव भर्ती डीआर के लिए बुनियादी प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, नए पदोन्नती स्केल-1 अधिकारियों पैमाने के लिए फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए कार्यक्रम, एजेंसी कोच के लिए कार्यक्रम, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग में योग्य उम्मीदवारों के लिए पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण स्केल-IV में नए पदोन्नत के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम। पैमाने वी अधिकारी और विजन प्रशिक्षण कार्यक्रम। ओएसटीसी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में पांच बुनियादी प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 2018 बैच के 249 निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसके अलावा, संबंधित विषयों पर प्र.का. के विभिन्न विभागों के सहयोग से ओएसटीसी में कार्यशालाएँ, जैसे - फसल बीमा, स्वास्थ्य, जीएसटी और आरटीआई आयोजित की गईं।

अपनी मुख्य गतिविधियों यानी प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, ओएसटीसी कंपनी के संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहा है और कंपनी के अधिकारियों को तकनीकी

The Corporate Training Department adopts above philosophy for improving quality of workforce by arranging specialized training and development programs.

Our training methodology is not limited to class-room training but it consists of other ancillary methods also such as Workshops, Conferences and Seminars etc. For our activities, depending upon program content & participant profile, we have 4 types of facilities. These are:-

- Oriental Staff Training College, Faridabad and Chennai
- 24 Regional Training Centers covering 30 Regional Offices
- National Insurance Academy, Pune
- Other Professional Institutes

OSTC FARIDABAD

Some of the important Training Programmes organised by OSTC in the financial year 2018-19 are as under -

Basic Induction Training Programme for newly recruited DRs, Foundation Training Programme for newly promoted scale I Officers, Programme for retiring Executives, Programme for Agency Coaches, Pre Promotion Training for eligible candidates in the cadre of scale III & IV, Transition Training Programmes for newly promoted scale V officers & Vision Training Programme. OSTC conducted five Basic Induction Training Programme in the financial year 2018-19 wherein 249 DRs of 2018 batch were imparted training.

Also, workshops on relevant subjects, like - Crop Insurance, Health, GST & RTI, were also conducted by in collaboration with various departments of HO at OSTC.

In addition to its core activities i.e. imparting training, OSTC has also been functioning as a resource & knowledge hub of the company & provides technical



सहायता प्रदान करता है और उन्हें बीमालेखन और दावों से संबंधित उनके प्रश्नों को हल करने में हर मुमकिन मदद करता है।

वर्ष 2018-19 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं का विवरण निम्नानुसार है:

support to the officers of the company & helps them in resolving their queries related to underwriting & claims, to the extent possible.

The details of the Training Programmes/workshops conducted in the year 2018-19 are as under:

2018-19 के दौरान OSTC फरीदाबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएं / बैठकें / सम्मेलन												
Training Programs / Workshops / Meet / Conferences arranged by OSTC Faridabad during 2018-19												
स्केलवार / Scale Wise						लिंगवार/ Gender Wise			वर्गवार / Category Wise			
I	II	III	IV	V	Total	Male	Female	Total	SC	ST	OBC	UR
690	251	210	97	159	1407	1086	321	1407	276	99	223	809

	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या Number of Programs conducted	अधिकारियों की संख्या भग लेने वाले Number of Officers Attended
प्रशिक्षण Training	32	1087
वर्कशॉप / सेमिनार Workshop / Seminar	09	320
कुल/ TOTAL	41	1407

ओएसटीसी चेन्नई

ओएसटीसी चेन्नई को 2013-14 में कंपनी के दक्षिणी कार्यालयों में तैनात अधिकारियों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। अब यह नए बुनियादी ढांचे में आधुनिक ढांचे के साथ है। ओएसटीसी चेन्नई द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं –

- विवेकपूर्ण बीमालेखन और पोर्टफोलियो वार व्यापार के प्रतिधारण पर प्रशिक्षण।
- एजेंसी प्रबंधकों/एजेंसी कोच/नोडल अधिकारियों/मोटर प्रबंधकों के लिए कार्यशाला।
- अर्ध न्यायिक जांच पर प्रशिक्षण।
- बढ़ती विपणन पर प्रशिक्षण और बाजार में परम हिस्सेदारी हासिल करना।

स्वास्थ्य बीमा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एसआरएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने हमारे परिसर में सभी प्रतिभागियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया।

OSTC CHENNAI

OSTC Chennai was established in 2013-14 to cater to the training needs of the officers posted in Southern offices of the company. Now it is in the newly modernized premises with good infrastructure. Some of the important training Programs conducted by OSTC Chennai are -

- Training on prudent U/W & retention of Portfolio wise business.
- Workshop for Agency Managers/ Agency Coach/ Nodal officers/ Motor managers.
- Training on Quasi Judicial Inquiry.
- Training on aggressive marketing and achieving ultimate market share.

During Health Insurance training program SRM Medical College and Hospital conducted free Health check up camp for all the participants at our premises.



ओएसटीसी चेन्नई में वर्ष 2018-19 के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं का विवरण इस प्रकार है—

The details of training programs/ workshops conducted for the year 2018-19 at OSTC Chennai are as under-

2018-19 के दौरान OSTC फरीदाबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएं / बैठकें / सम्मेलन												
Training Programs / Workshops / Meet / Conferences arranged by OSTC Chennai during 2018-19												
स्केलवार / Scale Wise						लिंगवार/ Gender Wise			वर्गवार / Category Wise			
I	II	III	IV	V	Total	Male	Female	Total	GC	OBC	SC	ST
115	76	21	11	0	223	150	73	223	102	50	59	12

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र श्रेणी II, III, IV की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और स्केल-I कैंडर के लिए कुछ प्रशिक्षण आरटीसी में भी आयोजित किए जाते हैं। आरटीसी एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के लिए प्री-प्रमोशन प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सभी कर्मचारियों के लिए नियमित (तकनीकी/गैर-तकनीकी) प्रशिक्षण, द्वितीय श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों और एजेंटों के लिए प्रशिक्षण भी नियमित आधार पर आयोजित किए जाते हैं। आरटीसी में 2018-19 में आयोजित प्रशिक्षणों से संबंधित डेटा इस प्रकार है: -

REGIONAL TRAINING CENTRES

Regional Training centers cater to the training needs of Class II,III, IV and few trainings for Scale I cadre are also conducted at RTC. RTCs conduct training Programmes on Pre-Promotion training for SC/ST/OBC employees, regular (technical/ non- technical) trainings for all the employees, retiring employees training for Class II, III and IV employees and Training for agents are also conducted on regular basis. The data pertaining to trainings conducted at RTC in 2018-19 is as follows:-

प्रशिक्षण कार्यक्रम 2018-19 के दौरान आरटीसी द्वारा आयोजित किए गए														
Training Programs Conducted by RTCs during 2018-19														
स्केलवार/श्रेणी वार Scale/ Class Wise							लिंगवार/ Gender Wise			वर्गवार / Category Wise				
S-I	S-II	S-III	S-IV	Class-II	Class-III	Class-IV	Total	Male	Female	Total	GC	OBC	SC	ST
1413	825	374	95	149	1359	309	4524	3160	1364	4524	1947	912	1168	497

राष्ट्रीय बीमा अकादमी

एनआईए, पुणे बीमा क्षेत्र में प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों को चलाने के लिए प्रमुख संस्थानों में से एक है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 589 अधिकारियों को तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्यक्रमों में एनआईए में प्रशिक्षण दिया गया था। एनआईए प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:—

NATIONAL INSURANCE ACADEMY

NIA, Pune is of one of the premier institutions for imparting Training & Development activities in Insurance sector. During 2018-19, 589 officers were imparted training at NIA in Technical and Non-technical Programmes. The details of NIA Trainings are as under:-

प्रतिभागियों की कुल संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य	पुरुष	स्त्री
TOTAL NO. OF PARTICIPANTS	SC	ST	OBC	GEN	MALE	FEMALE
589	126	79	31	353	464	125

विशिष्ट प्रशिक्षण गतिविधियाँ-

Specific Training Activities-

— नए उत्पाद विकास पर प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों को भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई भेजा गया।

- Officers were sent to Insurance Institute of India, Mumbai for Training on New Product Development.



— हमारे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रशिक्षण शामिल है।

कंपनी स्तर पर 2018-19 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है: —

प्रशिक्षण केन्द्र	NO. OF. OFFICERS/ EMPLOYEES TRAINED
ओएसटीसी फरीदाबाद	1407
ओएसटीसी चेन्नई	223
आरटीसी	4524
एनआईए, पुणे	589
अन्य व्यावसायिक संस्थान	96
कुल	6839

- In our all training programs, Anti Money Laundering Training is included.

The Details of the employees Trained during 2018-19 at Company Level are as under:-

TRAINING CENTRES	NO. OF. OFFICERS/ EMPLOYEES TRAINED
OSTC Faridabad	1407
OSTC Chennai	223
RTC	4524
NIA, Pune	589
Other Professional Institutes	96
Total	6839



अतुल जेरथ
महाप्रबंधक

विविध विभाग

व्यवसाय की विविध रेखा में बीमा की व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों लाइनों में विविध प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। विकसित बाजारों के साथ तालमेल बनाए रखने और हमारे ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सेगमेंट ने नए उत्पादों को पेश किया है और बाजार के नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उचित कौशल विकसित किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 में, विविध सेगमेंट ने 1024.54 करोड़ रुपये का सकल प्रीमियम किया है और 1112317 पॉलिसी बेची हैं। LOB के भीतर, हम वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत दुर्घटना

ATUL JERATH
GENERAL MANAGER

MISCELLANEOUS DEPARTMENT

Miscellaneous Line of Business includes a diverse range of products in both commercial and personal lines of insurance. Keeping in pace with the evolving markets and to meet the needs of our customers, the segment has introduced new products and appropriate skills have accordingly been developed to pave the way to lead the market.

In the financial year 2018-19, the Miscellaneous Segment has done a gross premium of Rs. 1024.54 Crores and sold 1112317 number of policies. Within



बीमा के लिए प्रीमियम के मामले में पीएसयू बीमा कंपनियों में से पहले हैं। देयता व्यवसाय में हम प्रीमियम के मामले में पीएसयू बीमा कंपनियों के बीच अपनी तीसरी स्थिति बनाए रखते हैं और वृद्धि के मामले में दूसरे स्थान पर हैं।

विविध विभाग के व्यवसाय प्रदर्शन का एक स्नैपशॉट नीचे प्रस्तुत किया गया है:

अनुभाग	SEGMENT	प्रीमियम लाख में		वृद्धि GROWTH (%)	उपगत दावे अनुपात		पॉलिसी की संख्या NO. OF POLICIES SOLD
		PREMIUM IN LAKHS			Incurred Claims Ratio (%)		
		2017-18	2018-19		2017-18	2018-19	
निजी दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	49872.95	54454.27	9.20	139.43	105.10	585356
नियोक्ता दायित्व	EMPLOYER'S LIABILITY	5748.85	5774.38	0.44	33.61	27.35	47970
अन्य देयता	OTHER'S LIABILITY	6800.14	6244.78	-8.16	3.85	12.71	63697
अन्य विविध	OTHER MISC	39544.71	35980.69	-8.93	37.71	38.65	474975

स्वास्थ्य बीमा

हेल्थ इश्योरेंस कंपनी का प्रमुख पोर्टफोलियो और प्रमुख विकास धुरी है। 2018-19 में 13.18% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि के साथ इसने जीडीपीआई के 30% से अधिक का योगदान दिया। आईसीआर (टीपीए के प्रभार में शामिल) को 2017-18 में 102% से अधिक घटाकर 2018-19 में 100% कर दिया गया है। रिटेल सेगमेंट में आईसीआर को 2017-18 में 86.43% से घटाकर 84.79% कर दिया गया है।

हमने आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पॉलिसियों के तहत रु .166.26 करोड़ का प्रीमियम भी बुक किया, जो 01 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक गुजरात और दमन दीव और नगर हवेली में एक प्रबंधनीय 19.06% आईसीआर के साथ सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं।

स्वास्थ्य बीमा LOB के लिए प्रदर्शन निम्नानुसार था:

स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो	वित्त वर्ष 2018-19 (रुपये करोड़ में)
सकल प्रीमियम-भारतीय	4053.70
सकल प्रीमियम-विदेशी	34.39
सकल प्रीमियम-वैश्विक	4088.09
प्रीमियम सीडेड	187.08
निवल प्रीमियम	3901.01
अनपेक्षित जोखिम में परिवर्तन के लिए समायोजन	242.92
अर्जित प्रीमियम निवल	3658.08

the LOB, we are the first amongst the PSU insurance companies in terms of premium for the Personal Accident Insurance, during the financial year. In Liability business we maintain our third position amongst the PSU Insurance Companies in terms of premium and are second in terms of growth.

A snapshot of the business performance of the Miscellaneous Department is presented below:

HEALTH INSURANCE

Health Insurance is key portfolio and major growth engine of Company. It contributed more than 30% of GDPI in 2018-19 with an impressive growth over 13.18%. The ICR (inclusive of TPA charges) has been reduced from more than 102% in 2017-18 to 100% in 2018-19. The ICR in retail segment has been brought down from 86.43% in 2017-18 to 84.79%.

We also booked a premium of Rs.166.26 crores under the AB-PMJAY (Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) policies which are successfully being implemented since 01st October 2018 in the state of Gujarat and Daman Diu and Nagar Haveli with a manageable ICR of 19.06% as of 31st March 2019.

The performance for the Health Insurance LOB was as under:

Health Insurance Portfolio	FY 2018-19 (Rs in Crore)
Gross Premium-Indian	4053.70
Gross Premium-Foreign	34.39
Gross Premium-Global	4088.09
Premium Ceded	187.08
Net Premium	3901.01
Adjustment for changes in unexpired risk	242.92
Earned Premium Net	3658.08



वित्त वर्ष 2018-19 के लिए खुदरा खंड में वृद्धि 3.60% थी और हमने 1286.87 करोड़ रुपये के आधार पर 1333.15 करोड़ रुपये का प्रीमियम दर्ज किया। आठ आरओ (अहमदाबाद, वडोदरा, एमआरओ -2, एनआरओ -1, एमआरओ -3, डीआरओ -2, कोलकाता और बेंगलूर) का खुदरा व्यापार में लगभग 70% का योगदान है। अकेले गुजरात का लगभग 25% खुदरा व्यापार में योगदान है, जहां उच्च आईसीआर हमारे लिए एक प्रमुख मान्यता प्राप्त चुनौती है और हम नियमित रूप से हेड ऑफिस से इसकी निगरानी कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए समूह खंड में वृद्धि 8.96% थी और हमने 2138.13 करोड़ रुपये के मुकाबले 2329.73 करोड़ रुपये का प्रीमियम दर्ज किया। चार महानगरों के साथ पुणे, बेंगलूर और हैदराबाद समूह का कुल स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का लगभग 92% योगदान करते हैं। व्यवसाय की अच्छे आरेख ग्राहकों के साथ सार्थक जुड़ाव और वितरण के सभी चैनलों को दर्शाती है और आकर्षित करती है।

वित्त वर्ष 2018-19 में एजेंटों ने 83% पॉलिसी विक्रय और वॉल्यूम में 35% (1416.80 करोड़ रुपये) का योगदान दिया। ब्रोकर्स ने 28.87% यानि 1337.24 करोड़ रुपये और प्रत्यक्ष बिक्री टीम ने 31.65% यानी 1246.83 करोड़ रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का योगदान दिया।

हिटपा (हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड) सहित ग्यारह टीपीए, हमारी खुदरा पॉलिसी सेवा में हैं। हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल को पुनर्गठित किया गया ताकि कारोबार करने में आसानी हो और एसपीए (सर्विस लेवल एग्रीमेंट) के अनुरूप टीपीए पर उचित नियंत्रण हो। अब प्रत्येक मंडल कार्यालय में नियमित आधार पर टीपीए सेवित दावा फाइलों की समीक्षा के लिए एक स्वास्थ्य अधिकारी है। प्रत्येक आरओ में, हेल्थ मैनेजर और आरएम (हेल्थ) टीपीए के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं और अस्पतालों की नीतियों और उपयोग रिपोर्ट के ट्रिगर और परिणामों के आधार पर स्वास्थ्य समीक्षा करते हैं।

हेल्थ मार्केटिंग पर ध्यान देने के साथ व्यापार के एक अलग वर्ग के रूप में हमारे स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र कार्य, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग पॉलिसी के अनुसार विवेकपूर्ण अंडरराइटिंग, नियमित स्वास्थ्य समीक्षाओं के माध्यम से लागत नियंत्रण, टीपीए सेवित दावों के प्रबंधन और नेटवर्क प्रदाताओं के साथ सहयोग। हमारी टीम ने हमें और विभिन्न कानूनी मंचों पर सुनाए गए मामलों में से की गई शिकायतों से सार्थक जानकारी ली।

Growth in Retail segment for FY 2018-19 was 3.60% and we wrote Rs 1333.15 crore premium against the base of Rs 1286.87 crore. Eight ROs (Ahmedabad, Vadodara, MRO-2, NRO-1, MRO-3, DRO-2, Kolkata & Bangalore) contribute approximately 70% of Retail business. Gujarat alone contributes approximately 25% of retail business, where high ICR is a major recognized challenge for us and we are regularly monitoring the same from Head Office.

Growth in group segment for FY 2018-19 was 8.96% and we wrote Rs 2329.73 crore premium against Rs 2138.13 crore. Four Metros with Pune, Bangalore & Hyderabad contribute approximately 92% of the total group Health Insurance business. Health line of business recognizes and calls for meaningful engagement with clients and all channels of distribution.

In FY 2018-19 the agents contributed 83% in number of policies sold and 35% in volume (Rs 1416.80 crore). Brokers contributed 28.87% i.e. Rs 1337.24 crore and direct sales team contributed 31.65% i.e. Rs. 1246.83 crore of Health Insurance premium.

Eleven TPAs, including HITPA (Health Insurance TPA of India Ltd.), service our Retail policies. The Health Insurance vertical was restructured to bring ease of doing business and having proper control over TPAs in line with SLA (Service Level Agreement). Now every Divisional Office has one Health officer to review the TPA serviced claim files on regular basis. At every RO, Health Manager & RM (Health) supervise the performance of TPAs and conduct Health reviews based on triggers and outcomes of the policies and utilization reports of hospitals.

Our Health Vertical functions as a separate class of business with focus on Health marketing, prudent underwriting as per Board approved Underwriting Policy, cost containment through regular health reviews, management of TPA serviced claims and collaboration with network providers. Our team takes meaningful insight from grievances reported to us and from the adjudicated cases at various legal forums.



हमारे पास हर टीपीए के साथ एसएलए (सर्विस लेवल अग्रीमेंट) हैं और क्लेम के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। हमारे पॉलिसीधारकों के लिए पूर्व-संधारित दर समझौतों के अलावा मानकीकृत प्रोटोकॉल और मानक बिलिंग प्रक्रियाओं के लिए नेटवर्क प्रदाताओं के साथ त्रि-पक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

हम टीपीए द्वारा संसाधित दावों और अस्पतालों और बीमितों के लिए भुगतान के खिलाफ सीबीएस से सीधे भुगतान मोड में सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो गए हैं, जो हमारी प्रमुख चुनौती थी और यह सफलतापूर्वक काम कर रहा है।

बैंच आश्वासन उत्पादों और मूल्य सुधार के संशोधन के अलावा, दोनों उत्पादों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और केवल संशोधित नीतियां 01 अप्रैल 2019 से बेची जा रही हैं। बैंकिंग पार्टनर के साथ हमारे कोर टर्मिनलों के सफल एकीकरण के साथ यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक ऑनलाइन वास्तविक समय बीमालेखन और प्रस्तावित बैंक खाताधारकों और ग्राहकों को पॉलिसी जारी करने में सक्षम किया गया है।

वर्ष के दौरान हमने अपना ओरिएंटल हेल्थ सुपर टॉप-अप उत्पाद भी लॉन्च किया था जिसे बाजार ने अच्छी तरह से स्वीकार किया है और हमने 5189 नीतियों से 2.27 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र किया था। हमारा ध्यान ग्राहक आनंद पर रहा है, उन्हें नवीन समाधानों और सेवाओं के साथ सशक्त बनाना है।

वर्ष 2019-20 में हम अपने मौजूदा उत्पादों के मूल्य संशोधन को पूरा करने का प्रस्ताव रखते हैं। ट्रैवल इश्योरेंस के पुनरुद्धार सहित नए खुदरा उत्पादों को लॉन्च करने के लिए भी काम शुरू हो गया है ताकि रिटेल सेगमेंट में उपलब्ध स्थान पर कब्जा किया जा सके।

खुदरा स्वास्थ्य उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रोकर्स और वेब एग्रीगेटर्स के साथ एकीकरण वर्ष 2019-20 में भी जारी है।

विमानन

नरम बाजार की स्थिति के एक दशक के बाद वैश्विक स्तर पर एविएशन इश्योरेंस मार्केट में अब तबाही और अटेंडेंस के नुकसान की वजह से सख्ती देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई अंडरराइटर्स द्वारा बीमा क्षमता की वापसी के

We have in place SLAs (Service Level Agreements) with every TPA and Claim guidelines have also been issued. Tri-partite agreements have also been signed with Network providers for standardized protocols and standard billing procedures in addition to pre-negotiated rate agreements for our policyholders.

We have successfully shifted to direct payment mode from CBS for payment against claims processed by TPAs and payable to Hospitals and Insured, which was our major challenge and it is successfully working.

In addition to revision of Banc assurance products and price correction, both the products have been successfully launched and only revised policies are being sold since 01st April 2019. With successful integration of our core terminals with banking partner's i.e. Oriental Bank of Commerce and Punjab National Bank online real time underwriting and issuance of the policy to the proposed bank account holders and customers has been enabled.

During the year we had also launched our Oriental Health Super Top-Up Product which has been well accepted by the market and we had collected premium of Rs. 2.27 cr from 5189 policies. Our focus has been on customer delight, empowering them with innovative solutions and services.

In the year 2019-20 we propose to complete price revision of our existing products. Work has also commenced for launching of new Retail Products including revamp of Travel Insurance so as to capture available space in the Retail segment.

Integration with Brokers and web aggregators for pushing retail Health Products is also on the anvil in the year 2019-20.

Aviation

The Aviation Insurance market globally after a decade of soft market conditions is now witnessing hardening on account of catastrophic and attritional losses. A number of mergers & acquisitions have taken place



साथ-साथ कई विलय और अधिग्रहण किए गए हैं, जिसके कारण बाजार की क्षमता में कमी आई है।

इंडियन एविएशन इंड्योरेंस इंडस्ट्री भी एयरलाइंस कारोबार के संबंध में सख्त रुख देख रही है, लेकिन जनरल एविएशन मार्केट स्थिर बना हुआ है। वर्ष 2018-19 के दौरान, एविएशन सेगमेंट में उद्योग का प्रीमियम 33.60% की वृद्धि दर के साथ रु. 544.07 करोड़ था। पीएसजीआईसी की बाजार में हिस्सेदारी 74.38% थी, जिसकी वृद्धि दर 33.72% थी। बाजार के लिए, ओरिएंटल 31.80% की दर से रु. 116.14 के प्रीमियम और 21.34% की बाजार हिस्सेदारी के साथ बढ़ा।

सुश्री। जेट एयरवेज हमारा सबसे मूल्यवान ग्राहक है जिसे हम वर्ष 1993 में अपनी स्थापना के बाद से ही सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा, हम सभी घरेलू एयरलाइनों में या तो सिक्के चलाने या पुनर्बीमा के माध्यम से भाग ले रहे हैं। जहां तक जनरल एविएशन का संबंध है, हम प्रशिक्षण, चार्टर, निजी, आनंद, चिकित्सा निकासी, औद्योगिक सहायता और वीआईपी परिवहन आदि के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जा रहे सभी प्रकार के हवाई जहाजों का बीमा कर रहे हैं, इसके अलावा वर्ष के दौरान, हमने अपने सभी नवीकरण को सुरक्षित किया। कुछ नए ग्राहकों ने हमें बाजार में अपना दूसरा स्थान बनाए रखने में मदद की।

टेक्नो मार्केटिंग

अग्नि और इंजीनियरिंग विभाग

कंपनी का प्रॉपर्टी इंड्योरेंस सेगमेंट लगातार प्रतिस्पर्धात्मक और कठिन बाजार की स्थिति और व्यापार वृद्धि को प्रभावित करता रहा।

सभी बाधाओं के बावजूद, हम अग्नि में 7.33% की वृद्धि और व्यावसायिक खरीद में इंजीनियरिंग विभागों में 2.12% की वृद्धि बनाए रखने में सक्षम हैं। हमारा व्यवसाय प्रदर्शन अर्थात् बाजार में हिस्सेदारी और उद्योग दोनों विभागों में समग्र प्रदर्शन निम्नानुसार है:

in the international market along with withdrawal of insurance capacity by some of the underwriters which have led to reduction in market capacity.

The Indian Aviation Insurance industry is also witnessing hardening trend in respect of Airlines business but the General Aviation market remains stable. During the year 2018-19, the industry premium in Aviation segment was Rs.544.07CrS witnessing a growth rate of 33.60%. The PSGICs had a market share of 74.38% with a growth rate of 33.72%. Commensurate to the market, Oriental grew at a rate of 31.80% with a premium of Rs.116.14CrS and a market share of 21.34%.

M/s. Jet Airways is our most valued client which we have been servicing since their inception in the year 1993. Besides, we have been participating in all the domestic airlines either by way of coinsurance or reinsurance. As far as General Aviation is concerned we have been insuring all types of aircrafts being used for the purposes of training, charter, private, pleasure, medical evacuation, industrial aid and VIP transportation etc. During the year, besides securing all our renewals we added few new clients which helped us to maintain our second position in the market.

Techno Marketing

Fire and Engineering Department

The Property Insurance segment of the company continued to witness intense competitive and tough market conditions and stunted business growth.

Despite all odds, we have been able to maintain a growth of 7.33% in Fire and a growth of 2.12% in Engineering Departments in business procurement. Our business performance viz-a-viz market share and industry overall performance in both the departments is as under:



(व्यापार की उपलब्धि) (Business Performance)

Deptt.	ओरिएण्टल Oriental		उद्योग Industry			सकल प्रीमियम Gross Premium (Rs. In Cr)		मार्केट शेयर Market Share (%)	
	Premium (Rs. in Cr.)	Growth (%)	Premium (Rs. in Cr)	Growth (%)	Oriental Share (%)	PSU	PVT	PSU	Oriental Share
अग्नि Fire	990.58	7.33	11742.27	8.91	8.44	5259.43	6482.84	44.79	18.83
इंजीनियरिंग Engineering	231.12	2.12	2468.49	10.51	9.36	1357.28	1111.21	54.98	17.03

हम अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की तुलना में अग्निशमन विभाग में उच्चतम विकास हासिल करने में सक्षम हैं।

हालांकि, हमने ऐसे समाधानों को डिजाइन और वितरित करना जारी रखा जो जोखिम को प्रबंधित करते हैं, लाभों का अनुकूलन करते हैं और कंपनी को मजबूत करने के लिए पूंजी की शक्ति का विस्तार करते हैं। संपत्ति की रेखाओं में चल रही गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही और संपत्ति की दरें और गिर गईं। मौजूदा जोखिमों के लिए मूल्य निर्धारण प्रमुख विभेदक रहा।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, फायर एंड इंजीनियरिंग विभाग में निश्चित मात्रा में स्थिरता लाने के लिए एनएटी-सीएटीदरों (एसटीएफआई एंड ईक्यू) को संशोधित किया गया। अग्निशमन विभाग में, 8 अधिसूचित भत्तों के लिए दरें: -टेक्स्टाइल्स, प्लास्टिक, रबर गुड्स मैनुफैक्चरिंग, केमिकल मैनुफैक्चरिंग (32 डिग्री सेल्सियस से नीचे), स्टोरेज श्रेणी 3 गुड्स, ट्रांसपोर्ट गोडाउन, इस्टील प्लांट्स एंड पॉवर प्लांट्स को उप-विभाजित किया गया है। 37 अधिभोग, न्यूनतम प्लेट दरों से भी कम कर दिए गए हैं मार्च 2019. दर वृद्धि मोटे तौर पर प्रतिकूल जोखिम प्रोफाइल के लिए ही संचालित की गई।

हमारी कंपनी का ध्यान उचित जोखिम मूल्यांकन के बाद सर्वोत्तम संभव दरों की पेशकश करने वाले लाभदायक खंडों की अवधारण पर जारी रहा। यह पर्याप्त मूल्य निर्धारण, प्रभावी क्षमता उपयोग और जोखिम के चयन द्वारा प्राप्त किया गया।

इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया गया है, जिसका इस्तेमाल लेंट डिफेक्ट इश्योरेंस (एलडीआई) नाम से किया गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 में प्रॉपर्टी इश्योरेंस में हमारा ध्यान खुदरा व्यापार के विकास, नए उत्पादों के लॉन्च, जोखिम चयन, उचित हानि नियंत्रण उपाय और शीघ्र दावा निपटान पर होगा।

We have been able to achieve the Highest Growth in Fire Department as compared to other PSUs.

However, we continued to design and deliver solutions that manage risk, optimize benefits and expand the power of capital to strengthen the company. In property lines the ongoing decline rate trend continued and property rates had fallen further. Pricing remained major differentiator for existing risks.

To bring certain amount of stability in Fire and Engineering Department, during the current Financial Year, the NAT-CAT rates (STFI & EQ) were revised. In Fire Department, rates for 8 notified occupancies namely:- Textiles, Plastics, Rubber Goods Manufacturing, Chemical Manufacturing (below 32 deg C), Storage Category 3 Goods, Transport Godowns, 'Steel Plants and Power Plants' which is sub-divided into 37 occupancies, are also freezed to minimum of IIB rates w.e.f. March 2019. Rate increases were driven largely only for adverse risk profiles.

Our Company's focus continued on retention of profitable segments offering best possible rates after proper risk assessment. This was achieved by adequate pricing, effective capacity utilization and selection of risk.

A new product in Engineering Department has also been launched in Use and file named Latent Defect Insurance (LDI).

In the financial year 2019-20 our focus in Property Insurance will be on development of retail business, launch of new products, risk selection, appropriate loss control measure and expeditious claim settlement.



अजित कुमार
महाप्रबंधक

AJIT KUMAR
GENERAL MANAGER

विपणन

वर्ष 2018-19 उत्कृष्ट विकास दर के कारण उल्लेखनीय रहा है जिसे कंपनी वर्ष के दौरान खरीद पाने में सक्षम थी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त करने में सक्षम हुई है। कंपनी ने भारतीय बाजार से 13199.33 करोड़ रुपये का प्रीमियम अर्जित किया है, जो 15.26% की वृद्धि का साक्षी है जो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सबसे अधिक है तथा बीमा उद्योग के औसत से अधिक है। भारी छूट और दर में कटौती के कारण बाजार में गला काट प्रतिस्पर्धा देखी गई है। हालाँकि, इस समय बहुत ही आक्रामक प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों और वातावरण के बावजूद, हमारी बाजार हिस्सेदारी 7.60% से बढ़कर 7.77% हो गई है।

MARKETING

Year 2018-19 has been remarkable because of excellent growth rate which the company was able to procure during the year. During the financial year 2018-19, the company has generated a premium of Rs. 13199.33 crores from Indian market, witnessing a growth of 15.26% which is above the industry average and highest in the public sector companies. The market has witnessed cut throat competition due to huge discounts & rate-cuts. However even at the time of this very aggressive competitive conditions & environment, our market share has increased from 7.60% to 7.77%.



सम्पूर्ण देश में कंपनी का प्रदर्शन हमारे मार्केटिंग दल के संयुक्त संगठित और ठोस प्रयासों का परिणाम है प्रीमियम उपापत्रि के लिए हमारे चैनलों को मजबूत करने के लिए डीजीएम/सीआरएम के साथ-साथ म. शाखा कंपनियों के साथ नियमित व्यापार समीक्षा बैठकें आयोजित की गई है। कंपनी का “पॉलिसी होल्डर्स फ्रेंडली” दृष्टिकोण ग्राहकों के साथ जुड़ने और विश्वास का संबंध बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर चुका है। हमारे विभिन्न वितरण चैनल जैसे कि एजेंट, ब्रोकर और कॉर्पोरेट एजेंटों ने इस वर्ष में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और कंपनी के विकास में योगदान किदया। विस्तृत चैनलवार प्रदर्शन निम्नानुसार है।

The performance of the company is the result of the joint organized and concrete efforts of our marketing force all over the country. Regular business review meetings have been organized with DGMs/CRMs as well Divisional / Branch Offices to strengthen our channels for premium procurement. The company’s “Policyholders Friendly” approach has gone a long way to connect and build a relationship of trust with the customers. Our various distribution channels namely Agents, Brokers and Corporate Agents continued to perform well in this year and contributed to the company’s growth. The detailed channel wise performance is as under:-

		प्रीमियम Premium			कंपनी को प्रीमियम का % % to Co. Premium	
		2017-18	2018-19	GR%	2017-18	2018-19
व्यक्तिगत एजेंट	Individual Agents	5258	5363	1.97	45.91	40.63
कॉर्पोरेट एजेंट-बैंक	Corporate Agents-Banks	265	285	7.55	2.31	2.16
कॉर्पोरेट एजेंट-अन्य	Corporate Agents-Others	90	110	22.22	0.79	0.83
ब्रोकर्स	Brokers	2430	2645	8.85	21.22	20.05
प्रत्यक्ष बिक्री	Direct Selling	3345	4732	41.46	29.21	35.85
वेब एग्रीगेटर्स	Web Aggregators	64	64	0	0.56	0.48
कुल	TOTAL	11452	13199	15.26	100.00	100.00

एजेंसी दल का प्रदर्शन

इस चैनल का योगदान कंपनी के कुल प्रीमियम का 40.63% होने के साथ 5363 करोड़ रुपये था। हेड ऑफिस द्वारा शुरू की गई एजेंसी भर्ती अभियान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए ऑपरेटिंग कार्यालयों ने 4446 नए एजेंटों की भर्ती की। एजेंटों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन तथा क्लब सदस्यता तथा प्रेरक बैठक योजनाओं के आरंभ कर उन्हें गला काट प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद की है।

77 सीएमडी क्लब के सदस्य एजेंट और 112 जीएम क्लब के सदस्य एजेंटों ने 421 करोड़ रुपये का योगदान दिया और औसत प्रीमियम 2.22 करोड़ रुपये और 38.77 के आईसीआर औसत के साथ। हमने अपनी एजेंसी दल को सशक्त बनाने और उन्हें मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय और कदम उठाए हैं, जैसे कि उन्हें अतिरिक्त छूट प्रदान करना, पोर्टल पर अंडरराइटिंग के लिए नीतियों की संख्या में वृद्धि,

Performance of the Agency Force

The contribution of this channel was Rs.5363 Crores being 40.63% of company’s total premium. Responding positively to the agency recruitment drive launched by Head Office, the Operating offices recruited 4446 new agents. Introduction of various incentive and club membership schemes for the agents and motivational meetings have helped them to improve their performance in cut throat competition.

77 CMD Club members agents and 112 GM club member agents contributed Rs.421 Crores and with an average premium of Rs. 2.22 Crores and an average ICR of 38.77. We have taken various measures and steps to empower and strengthen our agency force by way of providing them additional facilities such as enhanced discounts, increase in number of policies



INLIAS में सीडी खाते खोलना, पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन का भुगतान आदि। ।

बैंकाइश्योरेंस चैनल

बैंकाइश्योरेंस चैनल का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है और इस चैनल का कुल योगदान 265 करोड़ रुपये के आधार पर 285 करोड़ रुपये था। पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पोर्टल को हमारी कंपनी के पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। अब इन बैंक शाखाओं से ऑनलाइन पॉलिसियां जारी की जा सकती हैं, जो बैंकाइश्योरेंस चैनल के आगे विकास में मदद करेंगी। मौजूदा टाई अप को न केवल मजबूत करने के लिए प्रयास किए गए बल्कि कंपनी के नए टाई अप में भी बदलाव लाया गया।

एजेंट और ब्रोकर विशेष कार्यालयों का प्रदर्शन

ब्रोकर्स के माध्यम से कंपनी ने 8.85% की वृद्धि दर के साथ 2645 करोड़ रुपये का प्रीमियम खरीदा। कंपनी के कुल प्रीमियम में इस चैनल का योगदान 20.04% है। मुंबई और बंगलोर में ब्रोकर डिवीजनों ने 11.02% की वृद्धि दर के साथ 477.54 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूरा किया

समीक्षा के तहत इस वर्ष के दौरान ब्रोकर्स और अन्य संबंध निर्माण प्रक्रियाओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, हम ब्रोकर उपस्थिति और व्यवसाय के पूर्व प्रभुत्व वाले शहरों में अधिक ब्रोकर कार्यालय खोलने की संभावना की जांच कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र का प्रीमियम और सामाजिक क्षेत्र का प्रदर्शन

कंपनी ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपने वैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए इसे आगे बढ़ा रही है। वर्ष 2018-19 में, ग्रामीण प्रीमियम का कुल योगदान 7% की वैधानिक अपेक्षा से और आगे बढ़कर 24.08% रहा।

सामाजिक क्षेत्र में कंपनी ने 7.77 करोड़ व्यक्तियों की बीमा सुरक्षा प्रदान की, जो कि 1.35 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, इस क्षेत्र के प्रदर्शन का विवरण निम्नानुसार है:

for underwriting on Portal, opening of CD accounts in INLIAS, payment of incentive for using portal etc.

Bancassurance Channel

The performance of Bancassurance channel has been satisfactory and the total contribution from this channel was Rs.285 Crores against a base of Rs.265 Crores. The portal of Punjab National Bank and Oriental Bank of Commerce has been integrated with the portal of our company. Now online policies can be issued from these bank branches which will help in further development of Bancassurance channel. The efforts were made to not only strengthen the existing tie ups but also bring in the fold of the company new tie ups.

Performance of Brokers and Broker Specialized offices

Through the brokers channel the company procured a premium of Rs.2645 Crores with a growth rate of 8.85%. The contribution of this channel to the total premium of the company is 20.04%. Broker Divisions at Mumbai and Bangalore completed a premium of Rs.477.54 crores with a growth rate of 11.02%

Regular meetings with brokers & other relationship building exercises were carried out with this business source during the year under review. Further, we are examining the possibility of opening more Broker Offices in the cities with pre-dominance of broker presence and business.

Rural Sector Premium and Social Sector Performance

The company continues to fulfill and surpass its statutory obligations towards the rural and social sector. In the year 2018-19, the contribution of rural premium to the total was 24.08% well above the statutory requirement of 7%.

In the social sector, the company provided insurance protection to 7.77crore lives much above minimum requirement of 1.35Crore lives. During the period under review, the details of performance of this sector are as under:



		2017-18	2018-19
1	कुल सकल प्रीमियम बीमा लेखन (रु. करोड़ में)	11452	13199
2	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा लेखन कुल पॉलिसियां	2209965	1960553
3	ग्रामीण क्षेत्रों में सकल प्रीमियम यू/डब्ल्यू (रु. करोड़ में)	1823.91	3178.05
4	ग्रामीण व्यवसाय का %	15.93	24.08
5	क्या ग्रामीण क्षेत्र की शर्त पूरी हुई (हां/नहीं)	हां	हां
6	सामाजिक क्षेत्र में कवर व्यक्तियों की संख्या	7.08	7.77
7	सामाजिक क्षेत्र की पूर्ति हुई या नहीं (हां / नहीं)	हां	हां

व्यापार केंद्र और सीबीयू का प्रदर्शन

970 व्यापार केंद्रों ने 75.24% की वृद्धि दर के साथ 793.56 करोड़ रुपये के आधार पर 1390.66 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूरा किया। 06 मंडल कार्यालयों को कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट के रूप में नामित किया गया है और उन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 में 0.78% की वृद्धि दर के साथ 414.64 करोड़ रुपये के प्रीमियम का योगदान दिया। सीबीयू में समर्पित मैत्री टीम कॉर्पोरेट ग्राहकों पर अपने प्रयासों को केंद्रित करना जारी रखी हुई है।

संगठनात्मक संरचना

कंपनी के 30 क्षेत्रीय कार्यालयों, 361 मंडलीय कार्यालयों, 501 शाखा कार्यालयों, 970 सेवा केंद्रों के साथ 28 सेवा केंद्रों और 43 तृतीय पक्ष केंद्रों के अलावा प्रधान कार्यालय और ओएसटीसी के साथ 1935 कार्यालय हैं, जो सभी भारत जनता के लिए बीमा हेतु समर्पित हैं। इन कार्यालयों में 325 विपणन अधिकारी, 659 विकास अधिकारी (विपणन) सहित 12544 से अधिक कर्मचारी सदस्य हैं और 46000 से अधिक एजेंट एक नई वृद्धि प्रक्षेपवक्र के लिए पिछले दशकों में रखी गई समेकित नींव को मजबूत करने में मदद करते हैं। कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए कार्यालयों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है। तदनुसार, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बड़े परिचालन कार्यालय, वेब एग्रीगेटर्स, ब्रोकर्स के लिए विशेष कार्यालय और सेवा केंद्र और टीपी हब और अधिक संख्या में खोले जाएंगे।

		2017-18	2018-19
1	Total Gross premium Underwritten (Rs. in crore)	11452	13199
2	Policies u/w in rural areas (in no.)	2209965	1960553
3	Gross premium u/w in rural areas (Rs.in crore)	1823.91	3178.05
4	%age of Rural Business	15.93	24.08
5	Whether Rural Sector stipulation met (Yes/No)	YES	YES
6	No. of lives covered in Social sector	7.08	7.77
7	Whether Social Sector stipulation met (Yes/No)	YES	YES

Performance of the Business Centres & CBUs

970 Business centers completed a premium of Rs.1390.66 crores against a base of Rs.793.56 crores with a growth rate of 75.24%. 06 Divisional Offices have been designated as Corporate Business Units and they contributed a premium of Rs. 414.64 Crores with a growth rate of 0.78% in FY 2018-19. The dedicated relationship teams at CBUs continue to focus their efforts on corporate clients.

Organizational Structure

The company has 1935 offices with 30 Regional Offices, 361 Divisional Offices, 501 Branch Offices, 970 Business Centres in addition to 28 Service Centres and 43 Third Party Hubs besides HO and OSTC, all dedicated to the insuring public of India. These offices along with 12544+ staff members including 325 Marketing Officers, 659 Development Officers(MKtg.) and more than 46000 agents help to consolidate the strong foundation laid over the last decades for a new growth trajectory. The company is considering reorganization of offices to provide better service to its customers. Accordingly big operational offices, specialized offices for web aggregators, brokers and more number of service centre and TP hub will be opened to provide better service to the customers.



मोटर ओडी

2018-19 भारतीय मोटर बीमा में विनियामक सुधारों का वर्ष था। आईआरडीएआई कई सुधारों के साथ सामने आया, जिसने मोटर बीमा उद्योग में काफी बदलाव किया है। परिदृश्य को बदलने वाले घटक निम्न वर्णित हैं: –

3 साल और 5 साल के लिए नई कारों और दोपहिया वाहनों के लिए **दीर्घकालिक देयता कवर**।

मालिक-चालक कवरेज के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना कवर 15.00 लाख रुपये तक बढ़ाया गया, और जोखिम को धारणा के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) विनियमन आईआरडीएआई द्वारा नवंबर 2017 में ग्राहकों की लागत पर मोटर डीलरों को उच्च भुगतान पर रोक लगाने और एक समान अवसर प्रदान करने के इरादे से लाया गया था, लेकिन यह अपना इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका। इसने बीमा उद्योग को गंभीर रूप से प्रभावित किया। उद्योग का मोटर वर्टिकल 8.8% बढ़ा जबकि ओरिएंटल की विकास दर 4.4% थी। हम एकमात्र पीएसयू कंपनी थे जिसने ग्रोथ प्राप्त की।

भारतीय कारोबार में हमारी कंपनी ने 4534 करोड़ रुपये का कुल मोटर प्रीमियम अर्जित किया, जिसमें से ओडी प्रीमियम 1477 करोड़ रुपये और टीपी प्रीमियम 3057 करोड़ रुपये था। कंपनी के कुल प्रीमियम में मोटर ने 34.20% का योगदान दिया।

अभिवृद्धि के प्रोत्साहन तत्व:

हमने अभिवृद्धि के लिए तीन विस्तृत रणनीति का पालन किया, अर्थात् (i) खुदरा व्यापार के लिए पारंपरिक चैनलों पर ध्यान केंद्रित (ii) मोटर टाई-अप को मजबूत करना और (iii) हमारे डिजिटल वितरण नेटवर्क में सुधार करना।

एक कमजोर वितरण नेटवर्क और टियर III शहरों में प्रवेश करने में असमर्थता हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी, हम भौगोलिक रूप से देश के पूरे हिस्से को कवर करने में कामयाब रहे हैं और ऐसे शहरों से बड़े पैमाने पर प्रीमियम का बीमालेखन किया है।

तकनीकी रूप से दक्ष बीमाकर्ता, बीमा उद्योग परिवर्तन में तेजी ला रहे हैं और हमने यह सुनिश्चित करने के लिए लाभ उठाया

MOTOR OD

2018-19 was the year of regulatory reforms in the Indian Motor Insurance. IRDAI came out with a slew of reforms that has significantly altered the motor insurance industry. The game changers are listed below:-

Long term liability cover for new cars and two-wheelers for 3 years and 5 years, respectively.

Compulsory Personal accident cover for Owner-driver coverage enhanced to Rs 15.00 lacs, and premium to be rated as per risk perception.

Motor Insurance Service Provider (MISP) Regulation was brought-in by IRDAI in November 2017 with an intention to curb high pay-outs to motor dealers at the cost of customers and to create a level playing field but it could not achieve its intended result. It impacted the industry in serious manner. Motor vertical of industry grew at 8.8% while Oriental's growth rate was 4.4%. We were the only PSU Company which had a growth.

In Indian business, our Company procured total motor premium of Rs.4534 crore, out of which OD premium was Rs.1477 Crore and TP premium was Rs.3057 Crore. Motor contributed 34.20% to the total premium of the Company.

Growth Initiatives:

We followed a three pronged strategy for growth i.e. (i) focus on traditional channels for retail business, (ii) strengthening the Motor tie-ups and (iii) improving our digital distribution network.

A weak distribution network and inability to penetrate into Tier III cities was one of the biggest challenges posed to us, we have managed to geographically cover the entire stretch of the country and have underwritten sizeable premium from such cities.

Insurtechs' are accelerating the Industry transformation and we ensured to leverage that as we added 10 New Portal tie-ups with Web Aggregators/ Web Portals,



है कि उसी प्रकार हमने वेब एग्रीगेटर्स/वेब पोर्टल के साथ 10 नए पोर्टल टाई-अप जोड़े, जिससे हमारी पहुंच में और सुधार हुआ। वास्तव में मोटर पोर्टफोलियो में, कुल बिक्री का 16.71% ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से बीमालिखित किया जा रहा है। इसके अलावा, मोटर ने कंपनी के डायरेक्ट पोर्टल की बिक्री में 56.5% का योगदान दिया।

डिजिटलीकरण गतिविधि के हर क्षेत्र में हो रहा है – वितरण और बिक्री से लेकर बिक्री के बाद तक जो निकट भविष्य में गेम चेंजर हो सकता है। हमारे डिजिटलीकरण के एक भाग के रूप में हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से प्री इंस्पेक्शन के साथ शुरू किया है जो हमें समय अंतराल को कम करने में मदद करेगा।

इस साल हमने निजी कार सेगमेंट के लिए 'इंजन प्रोटेक्ट' की रिप्लेसमेंट और 'कंज्यूमेबल' को शामिल किया है।

दावा निपटान

कंपनी के दावों के निपटान में एक महत्वपूर्ण अंतर के रूप में उभरने के लिए एसवीसी प्रभावी दावा सेवाओं के उपकरणों से लैस थे। विभाग ने मोटर ओडी में एक स्वस्थ 94% दावों के निपटान अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए व्व दावों के तेजी से, समय पर और पारदर्शी निपटान पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि वे कहते हैं कि एक अच्छा दावा अनुभव वफादारी का निर्माण करता है, हम परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारे दावे प्रबंधन रणनीति कुशल सर्वेक्षक प्रबंधन प्रणाली, इन्लियास प्रणाली के माध्यम से सर्वेक्षणकर्ताओं के प्रदर्शन की समीक्षा, कार्यशाला के दौरों के आसपास केंद्रित है।

मोटर टी.पी.

वित्तीय वर्ष 2018-19 मोटर टीपी विभाग के परिणामों के संबंध में उत्कृष्ट और बहुत संतोषजनक था। गतिविधियों को एक समान दृष्टिकोण और समयबद्धता बनाए रखने के लिए कार्य योजना के माध्यम से रणनीतिक किया जाता है। कार्य योजनाओं में मापदंडों और विभाग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्दिष्ट किया गया है। कॉर्पोरेट प्रबंधन का संदेश संचार और अखिल भारतीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से संप्रेषित है। टीपी टीमों को हमारे लक्ष्य और रणनीति से

improving our reach further. In fact in Motor Portfolio, 16.71% of total premium is being underwritten through online sales. Also, Motor contributed 56.5% to the Company's Direct Portal sales.

Digitization is happening in every sphere of activity – from distribution and sales to post sales which could be a game changer in the near future. As part of our digitization we have started with the Pre Inspection through Mobile App which will help us reducing the time lag.

This year we launched the much sought after 'Engine Protect', 'Key Replacement' and 'Consumables' Add on cover for private car segment.

Claim Settlement

SVCs were equipped with effective claim services tools to make the Company emerge as a key differentiator in settlement of claims. The department focussed on faster, timely and transparent settlement of OD Claims to ensure a healthy 94% claims settlement ratio in Motor OD. As they say a good claims experience builds loyalty, we are committed to carrying forward the tradition.

Our claims management strategy revolved around efficient surveyor management system, review of performance of surveyors through the INLIAS system, workshop visits.

MOTOR TP

The Financial Year 2018-19 was wonderful and very satisfying regarding results for the Motor TP department. The activities are strategized through an Action Plan for a uniform approach and maintaining timelines. The action plans has specified the parameters and the targets sought to be achieved by the department. The message of the corporate management is communicate and also reinforced through a number of All India and Zonal Conferences. The TP teams are made aware of our targets and strategy to achieve the same.



अवगत कराया जाता है।

टीपी क्लेम रिव्यू पर केंद्रित मोटर टीपी कार्य योजना के दावा पुनःरीक्षण अपील मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए डेटा क्लीन पर केंद्रित है। विशेष रूप से लोक अदालत के माध्यम के आधार पर निपटान करना एक मुख्य केंद्र बिन्दु रहा है। हमारे अनुभव को जारी रखते हुए और पिछले अनुभव के साथ पुष्टि करते हुए, टीपी हब बड़ी संख्या में दावा प्रक्रिया कार्यालय है।

कठिनाइयों का सामना करने वाले क्षेत्रीय कार्यालय में व्यक्तिगत दौरे और आवश्यक कार्रवाई के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के बाद एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के लिए प्रधान कार्यालय की टीम द्वारा गहन निगरानी की आवश्यकता होती है। लोक अदालतों के माध्यम से समझौता आधार पर निपटान के लिए एक और सक्षम निर्णय सभी संवर्गों में वित्तीय अधिकारों की बढ़ाना था। एक संशोधित समझौता मैनुअल पेश किया गया था जो व्यावहारिक है और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर आधारित है। इस तरह के उपायों से तेजी से निर्णय लिए गए हैं। हमारे सभी बकाया मामलों में संशोधित समझौता मैनुअल के अनुप्रयोग से बहुत अधिक समझौता किया जा सकता है।

इस दृष्टिकोण से हमें वित्तीय वर्ष के दौरान निश्चित परिणाम प्राप्त हुए हैं। डेटा समीक्षा और डेटा क्लीयरिंग के परिणामस्वरूप 60,291 मामलों का निपटान हुआ और बकाया दावों की कुल संख्या पिछले वर्ष के 1,16,257 से घटकर 95,749 हो गई, जो 38.64% की आनुपातिक निपटान एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हमारे समझौते बढ़कर 19,843 (PY 17,012) हो गया है और अधिक टीपी हब में एक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने वाली टीम का विकास हुआ है जो केस हैंडलिंग की गुणवत्ता में सुधार करता है। 2018-19 में अतिरिक्त 9 हब को मंजूरी दी गई थी, अब कुल हब 57 हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिशा के मोटर टीपी के दावों को टीपी हब में लाया गया, टीपी के मामलों को पूरी तरह से हब द्वारा नियंत्रित किया गया है न कि किसी अन्य ऑपरेटिंग ऑफिस द्वारा।

जैसा कि कार्य योजना ने उत्कृष्ट परिणाम दिखाए गए हैं, हम इसे अगले वित्तीय वर्ष तक विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं। हमारा वित्त वर्ष 2019-20 में टीपी हब के तहत सभी मोटर टीपी दावों को लाने का विचार है। अखिल भारतीय आधार पर

The Motor TP Action Plan focused on TP Claims review, data cleansing with special focus on appeal matters. Compromise settlements, especially through Lok Adalats have been a focus area. Continuing with our belief and substantiated with the past experience, a large number of claim processing offices under the umbrella of TP Hubs so that quality defense and handling of TP cases can be focused upon.

Implementation of the Action Plan necessitated close monitoring by the Head Office team followed by personal visits to ROs facing difficulties and to motivate employees for the required action. Another enabling decision for increasing compromise settlements through Lok Adalats was enhancement of financial authorities across all cadres. A revised Compromise Manual was introduced that is practical and based on the decision of current Supreme Court Judgements. Such measures have yielded in speedier decisions. A lot more compromised can be achieved by application of the Revised Compromise Manual to all our outstanding cases.

This approach has given us definite results during the Financial Year. Data review and data cleansing resulted in disposal of 60,291 cases and the total number of outstanding claims has reduced to 95,749 from 1,16,257 in the previous year, a notable achievement with a settlement ratio of 38.64%. Our compromises have increased to 19,843 (PY 17,012). More TP Hubs results into development of one team granting a focused approach that improves the quality of case handling. In 2018-19 an additional 9 Hubs were sanctioned increasing the total TP Hubs to 57.

During the current financial year, the Motor TP claims of Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, Gujarat, Bihar, Jharkhand, Odisha were brought into TP hubs, the TP cases are handled entirely by Hubs and not by any other operating offices.

As the Action Plan has showed excellent results we plan to extend it to the next Financial Year. We intend to bring all the Motor TP Claims under TP Hubs in FY 2019-20. The Action Plan is being driven with great enthusiasm by motivated teams on an All India basis.



प्रेरित टीमों द्वारा कार्य योजना को बड़े उत्साह के साथ संचालित किया जा रहा है।

संपदा विभाग

कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति का प्रबंधन

हमारा संपदा विभाग, प्रधान कार्यालय, हमारे सभी कंपनी स्वामित्व वाले परिसरों को नया रूप देने के अपने प्रयासों के साथ चल रहा है, जिसमें आवश्यक सुविधाओं के साथ विभिन्न परिसरों का आधुनिकीकरण किया गया है। इरादा और वादा हमारे मानव संसाधन के लिए आरामदायक और अनुकूल काम करने वाला वातावरण प्रदान करता है। हमारे विभाग का ध्यान हमारे ऑपरेटिंग कार्यालयों में इष्टतम उपयोग द्वारा लागत में कटौती के उपायों पर केंद्रित किया जाता है, कंपनी की स्वामित्व वाली फालतू पड़ी व्यावसायिक जगह को किराये पर देने और हमारी कंपनी के 'इको-पॉलिसी' का गठन करके बिजली के खर्च को बचाने के तरीके का अनुपालन किया जा रहा है। हमारे सभी कार्यालयों के साथ-साथ आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों जैसे कि सौर ऊर्जा प्रणाली, अग्निशमन प्रणाली आदि को नियोजित करना पर केंद्रित हो। कार्यालय संपत्ति रिकॉर्ड बनाने के लिए, हमारी कंपनी ने कंपनी के स्वामित्व वाली सभी संपत्ति शीर्षक दस्तावेजों को डिजिटल कर दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के हितों की रक्षा के लिए कानूनी मुद्दों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

कार्यालय परिसर का नवीनीकरण

संपदा विभाग, प्रधान कार्यालय पूरे देश में अपनी ब्रांड छवि बढ़ाने के साथ-साथ अपने कर्मचारियों को एक उपयुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए अपने सभी प्रशासनिक और परिचालन कार्यालयों के आधुनिकीकरण के अपने दृष्टिकोण का कड़ाई से पालन कर रहा है। विभाग लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमने कंपनी के विभिन्न कार्यालयों का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया है, जिनमें प्रमुख आरओ जयपुर और एमआरओ-मुंबई हैं। इन प्रमुख नवीकरण परियोजनाओं के अलावा, विभाग ने देश भर के विभिन्न परिचालन कार्यालयों में नवीनीकरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

ESTATE DEPARTMENT

Management of Company Owned Property

Our Estate Department, Head Office whilst carrying on with its efforts of giving facelift to all our Company owned premises has modernized various premises with necessary amenities. Intent and promise being providing comfortable and conducive working environs for our human resource. Department is focussed on cost cutting measures by optimum space utilization in our operating offices, generating revenues from Company Owned Properties by way of letting out surplus Commercial space and saving of electricity expenses by forming "Eco-Policy" of our Company which is being followed in all our offices as well as employing modern equipment and technologies like solar energy system, firefighting systems etc. To build up office property records, our Company has digitized all Company Owned property Title documents. In addition to this, legal issues are being vigorously followed up on a day-to-day basis to ensure that interests of the Company are protected.

Renovation of Office Premises

The Estate Dept., Head Office is rigorously pursuing its vision of modernizing all its administrative as well as operational offices, across the Country to enhance its brand image as well as to provide its employees with a suitable working environment. The Department is continuously advancing in this direction and we have completed the modernization of various offices of the Company, major ones being RO Jaipur & MRO-I Mumbai. Besides these major renovation projects, the Department has taken up and successfully completed the renovation of various operational offices across the country.



किदवई नगर ईस्ट, नई दिल्ली में नया प्रधान कार्यालय परिसर

सम्पदा विभाग ने बहुत पहले नई दिल्ली के किदवई नगर ईस्ट में मेसर्स एनबीसीसी (आई) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे पॉश कॉम्प्लेक्स में कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस को देने का मार्ग प्रशस्त किया था। हमने एक चार स्टोरी ब्लॉक में 84,644 वर्गफुट वाला क्षेत्र खरीदा है। ब्लॉक की संरचना लगभग पूरी हो चुकी है और हम बहुत जल्द ही इस पर अधिकार कर लेंगे, ताकि अगले वित्तीय वर्ष में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय का इंटीरियर वर्क्स को शुरू किया जा सके।

कार्यालय परिसर – लीज संबंधी मामले

पिछले वर्षों के फोकस के टेम्पो को बनाए रखते हुए, विभाग ने पट्टे के समझौतों के समय पर नवीनीकरण, उपयुक्त प्राप्तिकरण के साथ उनके पंजीकरण और कार्यालयों में अतिरिक्त क्षेत्र की पहचान की है। कार्यालयों के कब्जे वाले अतिरिक्त क्षेत्र का लाभकारी उपयोग एक जोरदार क्षेत्र रहा है जहाँ समर्पण संभव नहीं है और कार्यालय का स्थानांतरण विभिन्न कारणों से संभव नहीं है।

संपत्ति विभाग के प्रमुख कार्यालय परिसर समिति (एसओपीसी) की सिफारिशों के आधार पर, इस वित्तीय वर्ष के दौरान, मानकों से परे पट्टे के आधार पर नए परिसर का अधिग्रहण, विभिन्न कारण से कार्यालयों की शिफ्टिंग और कई अन्य विविध मामले, पट्टे के नवीनीकरण से संबंधित 83 प्रस्तावों के लिए मंजूरी दी गई।

अनधिकृत रहने वालों का प्रमाण

अनधिकृत रहने वालों की पहचान करने के एक विशाल अभ्यास के बाद, क्षेत्रीय कार्यालय—मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता को 50 अनधिकृत रहने वालों (मुंबई में 12 अनधिकृत रहने वाले और कोलकाता में 38 अनधिकृत कब्जे) के खिलाफ निष्कासन कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप किराये की आय के साथ-साथ हमारे अपने उपयोग के लिए फ्लैटों/परिसरों की उपलब्धता भी होगी। विभाग। विभाग मुंबई में 2570 वर्गफुट क्षेत्र पर कब्जा करने में भी सक्षम है, जिसमें से 1743 वर्गफुट का एक क्षेत्र पहले से ही बाजार किराये की दर पर किराये पर दिया है।

New Head Office Premises at Kidwai Nagar East, New Delhi

The Estate Department had long ago paved the way for housing the Corporate Office of the Company in a posh complex being developed by M/s NBCC (I) Ltd. at Kidwai Nagar East, New Delhi. We have purchased an area admeasuring 84,644 sq.ft. in the said complex in the shape of a four storeyed block. The structure of the block is almost complete and we will very soon take over the possession, so as to initiate the Interior Works to house the Corporate Office of the Company in the next fiscal.

Office Premises – Lease Matters

Maintaining the tempo of the previous years' focus, Department has closely monitored the timely renewal of lease agreements, their registration with appropriate authorities and also surrendering of the excess carpet area in offices. Gainful utilization of the excess area occupied by offices has been a thrust area wherever surrendering is not possible and shifting of office is not feasible owing to various reasons.

Based on recommendations of the Estate Department Head Office Premises Committee (HOPC), during this fiscal year, accorded its approval for as many as 83 proposals pertaining to renewal of lease beyond norms, acquiring new premises on leasehold basis, shifting of offices owing to various reasons and several other miscellaneous matters.

Eviction of unauthorized occupants

After a mammoth exercise of identifying unauthorised occupants, Regional Office –I Mumbai and Regional Office Kolkata have been advised to start eviction proceeding against as many as 50 unauthorized occupants (12 unauthorized occupants at Mumbai and 38 unauthorized occupants at Kolkata). This exercise will result in generation of rental income as well as availability of flats/premises for our own use. Deptt. also has been able to recover possession of 2570 sq.ft. area at Mumbai out of which an area of 1743 sq.ft. has already



पुनर्गठन और नवीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, हम मुंबई के प्रमुख स्थान में 5000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र को छोड़ सकते हैं, जिससे हमें अच्छे किराये मिल सकते हैं।

दक्षिण मुंबई में कंपनी के स्वामित्व वाली इमारतों से संचालित होने वाले कार्यालयों की पुनः संरचना

विभाग पुनर्गठन के लिए कुछ कार्यालयों की पहचान की गई है और तदनुसार इन कार्यालयों को कम किराये के भुगतान वाले परिसर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। विभाग उन परिसर की भी पहचान कर रहा है जिसे अधिक किराये पर दिया जा सकता है।

सरकारी योजनाएं (पीएमएसबीवाई)

जन धन योजना के तहत हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जून 2015 को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। हमारे प्रधान मंत्री ने इस दुर्घटना बीमा योजना को प्रत्येक भारतीय को 12 रुपये प्रति वर्ष के किफायती प्रीमियम पर समर्पित किया। पॉलिसी में 2,00,000 रुपये की बीमा राशि के लिए दुर्घटना मृत्यु और स्थायी विकलांगता और 1,00,000 रुपये की राशि के लिए आंशिक विकलांगता बीमा शामिल है। 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक शुरू होने वाली नीति के पहले चरण में हमने 9660919 जीवन को कवर किया है और 11,59,31,028 रुपये का प्रीमियम प्राप्त किया है। 1 जून 2018 से शुरू होकर 31 मार्च 2019 तक तीसरे चरण के दौरान कवरेज की यह संख्या बढ़कर 1,33,93,072 हो गई और प्रीमियम 16,07,16,864 रुपये हो गया। 31 मार्च 2019 तक 4997 परिवारों को तेजी से दावा निपटान के माध्यम से लाभ प्रदान किए गए हैं, जो कि 98,88,000,00 हैं। हमारी यह कोशिश है कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

स्थापना विभाग

स्वच्छ भारत अभियान

विभाग हमारे सभी कार्यालयों के बीच नियमित आधार पर उचित रखरखाव, स्वच्छता, गैर-सुधार योग्य फर्नीचर और पूंजीगत वस्तुओं, पुराने रिकॉर्ड के निपटान, के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक कार्यालय में महिलाओं के लिए अलग शौचालय हो। हमारा मुख्य ध्यान कंपनी की 'इको पॉलिसी' के पालन और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन पर था। विभाग ने कार्यालय परिसर में पर्यावरण

been let out at prevailing market rental rate. Through the process of restructuring & renovation, we have been able to spare more than 5000 sq.ft of carpet area in prime location of Mumbai which can fetch us handsome rental.

Re-structuring of offices operating from Company owned buildings at South Mumbai

Deptt. has identified some offices for restructuring and accordingly proposed shifting of these offices to lesser rental payout premises. The Deptt. is also identifying the premises which can be let out at higher rentals.

GOVT. SCHEMES (PMSBY)

Padhan Mantri Suraksha Bima Yojana launched by our Hon'ble Prime Minister Narendra Modi on 1st June 2015 under Jan Dhan Yojana. Our Prime Minister dedicated this accidental insurance scheme to every Indian at an affordable premium of Rs. 12 per annum. Policy covers Accidental Death and Permanent Disability for sum insured of Rs. 2,00,000/- and Partial Disability for sum insured of Rs. 1,00,000. In the first phase of the policy starting from 1st June 2015 to 31st May 2016 we have covered 9660919 lives and received premium of Rs. 11,59,31,028/-. During the 3rd Phase starting from 1st June 2018 till 31st March 2019 this number of coverage has increased to 1,33,93,072 lives and premium to Rs. 16,07,16,864/-. Till 31st March 2019 accidental benefits provided to 4997 families through fast claims settlement which amounts to Rs. 98, 88, 000, 00/-. It is our endeavor to provide social security to common man through Govt. Schemes.

ESTABLISHMENT DEPARTMENT

SWACHH BHARAT ABHIYAN

The Department has been creating awareness amongst all our offices about proper upkeep, cleanliness, disposal of old records, unserviceable furniture and capital items on regular basis. It was also ensured that each office has a separate toilet for women. Our main focus was on adherence to Company's 'Eco policy'



के अनुकूल इनडोर प्लांट लगाने के लिए भी पहल की और हमारे कार्यालयों द्वारा परिसर के बाहर पौधे लगाने के प्रयास भी किए गए।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, विभाग ने पैन इंडिया के आधार पर प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उत्कृष्ट निष्पाद को उपयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था।

सूचना का अधिकार

हमारी कंपनी ने कई मायनों में अपनी असली भावना में आरटीआई अधिनियम को सही ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। 2009 में ओरिएंटल इश्योरेंस, आरटीआई मामलों को विकेंद्रीकृत करने में अग्रसर है। परिणामस्वरूप, आरटीआई आवेदन और साथ ही प्रथम अपीलें देश के प्रधान कार्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों में प्राप्त की जाती हैं। हमारे पास प्रधान कार्यालय और हमारे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अलग-अलग केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) हैं। आरटीआई मामलों को वैधानिक समय के भीतर तेजी से निपटाया जाता है।

हमने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग से 01.05.2015 के निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आरटीआई आवेदन/अपील दायर करने के लिए अपनी प्रणाली को एकीकृत किया है। इस पर हम सभी को गर्व है कि हमारी कंपनी आरटीआई मामलों के संबंध में ऑनलाइन होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम बीमा कंपनी है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) द्वारा अपेक्षानुसार अनिवार्य प्रकटीकरण किए गए हैं और जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर डाल दी गई है। इसी तरह आरटीआई विभाग के संबंध में, सांख्यिकीय डेटा, केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से अपलोड किया जा रहा है।

पूरे भारत में हमारे विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपील का विवरण निम्नानुसार है:

and implementation of Swachh Bharat Mission. The department also took initiatives to have environment friendly indoor plants in office premise and efforts were also made by our offices to plant saplings outside the premises.

As per the directions of Government of India, to create awareness about the Swachh Bharat Mission ,the department had organised competition on Pan India basis and top performers were suitably awarded.

RIGHT TO INFORMATION

Our Company has played a leading role in implementing the RTI Act in its true spirit in many ways. Oriental Insurance was one of the pioneers of decentralizing the RTI matters, way back in the year 2009. As a result, RTI Applications as well as First Appeals thereon are received both at Head Office and various Regional Offices across the length and breadth of the country. We have separate Central Public Information Officers (CPIOs) and First Appellate Authorities (FAAs) for Head Office and each of our Regional Offices. RTI matters are attended to/ disposed of expeditiously, within the statutory time.

We have integrated our system for filing online RTI Applications/Appeals as per directions of Ministry of Finance, Department of Financial Services w.e.f. 01.05.2015. It makes all of us proud that our Company is the first Public Sector Insurance Company to have gone online in respect of RTI matters.

Mandatory disclosures, as required by Sec. 4(1)(b) of Right to Information Act, 2005, have been made and information put on website of the Company. Likewise, statistical data, with respect to the RTI Department, is being regularly uploaded, on quarterly basis, on the website of the Central Information Commission.

Details of RTI Applications and First Appeals received and dealt with by our various Offices all over India is as under:



	आवेदन	अपील
कंपनी द्वारा प्राप्त कुल आवेदन / अपील (01.04.2018 से 31.03.2019)	2656	380
कंपनी द्वारा निपटाए गए कुल आवेदन / अपील (01.04.2018 से 31.03.2019)	2619	316

आवेदन/अपील प्राप्त करने के अलावा, हेड ऑफिस और क्षेत्रीय कार्यालयों में आरटीआई विभाग के अधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न सुनवाई में भाग ले रहे हैं। सीआईसी के सभी आदेशों के साथ-साथ समय-समय पर इसके द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों की भी जांच की जा रही है।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार की आधिकारिक भाषा नीति के अनुसार दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी का निरंतर प्रयास रहा है। हिंदी में मूल पत्राचार और भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुपालन के लिए, हमने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। हम, कंपनी में, हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में हमारे सभी कॉर्पोरेट, ग्रामीण क्षेत्र और व्यक्तिगत ग्राहकों की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने अपने कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित करने के लिए हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की हैं। हमने भारत सरकार द्वारा दिए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार अच्छी संख्या में हिंदी पुस्तकें खरीदी हैं। हमारी गृह पत्रिका 'ओरिएंटल संवाद' भी हेड ऑफिस स्तर पर त्रैमासिक रूप से प्रकाशित की जा रही है।

कंपनी के सभी कार्यालयों में 14-28 सितंबर, 2018 के दौरान, 'हिंदी पखवाड़ा' और 14 सितंबर, 2018 को 'हिंदी दिवस' आयोजित किया गया था। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। इस अवसर पर 13 कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए नकद प्रोत्साहन योजना के तहत नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वित्तीय वर्ष

	Applications	Appeals
Total Applications/ Appeals received by the Company (01.04.2018 to 31.03.2019)	2656	380
Total Applications/ Appeals disposed of by the Company (01.04.2018 to 31.03.2019)	2619	316

Apart from receiving Applications/Appeals, Officials of RTI department at Head Office and Regional Offices, are attending various hearings held by Central Information Commission. All the orders of the CIC as well as various directives issued by it from time to time are being complied with scrupulously.

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

It has been Company's continuous endeavor to encourage the use of Hindi in day-to-day office work in accordance with the official language policy of Government of India. For original correspondence in Hindi and compliance of Section 3(3) of the Official Language Act of Government of India, we have made remarkable progress during the year. We, in the Company, are committed to meet the insurance requirements of all our corporate, rural sector and individual clients through Hindi as well as Regional languages. We have conducted Hindi workshops to train and motivate our employees to work in Hindi. We have purchased a good number of Hindi Books as per annual programme given by Government of India. Our House magazine "Oriental Samvaad" is also being published quarterly at Head Office level.

During 14-28 September, 2018, "Hindi Fortnight" and on 14 September, 2018 "Hindi Day" was organized in all the Offices of the Company. A large number of employees participated and won prizes in various Hindi Competitions organized during the Hindi Fortnight. On this occasion 13 employees have been awarded cash prizes under cash incentive scheme for working in Hindi. In the Financial Year 2018-19,



2018-19 में, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हर महीने के प्रक्रम कार्य दिवस पर केवल हिंदी में अपना आधिकारिक काम करने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके अलावा, सभी RTCs और OSTC फरीदाबाद को सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिंदी कार्यान्वयन प्रशिक्षण के लिए एक सत्र आवंटित करने का निर्देश दिया गया था। हमने रणथंभौर, स्वाईमाधोपुर में अखिल भारतीय हिंदी अधिकारी सम्मेलन का भी आयोजन किया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान संसद की आधिकारिक भाषा की समिति ने हमारे डीओ अलपुझा, डीओ भोपाल, बीओ सुरेंद्रनगर, डीओ तूतीकोरिन और आरओ-1 मुंबई के कार्यों का निरीक्षण किया। राजभाषा विभाग, वित्त मंत्रालय ने आरओ-1 और आरओ-2, नई दिल्ली, डीओ गुरुग्राम और प्रधान कार्यालय नई दिल्ली जैसे विभिन्न कार्यालयों के काम का निरीक्षण किया। उन्होंने इन कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन पर कंपनी के प्रयासों की सराहना की।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और मॉरीशस सरकार के संयुक्त सहयोग से 18 से 20 अगस्त, 2018 को गोस्वामी तुलसीदास नगर, पोर्ट लुइस, मॉरीशस में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हिंदी विद्वानों, लेखकों, फिल्म निर्माताओं, प्रकाशकों, मंत्रालयों के अधिकारियों, भारत सरकार के उद्यमों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री अजीत कुमार, महाप्रबंधक (राजभाषा), प्रधान कार्यालय और श्री गौतम कुमार मीणा, सहायक प्रबंधक (राजभाषा) एनआरओ-॥ नई दिल्ली ने कंपनी के प्रतिनिधियों के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया।

all the Officers and employees were motivated to do their official work only in Hindi on the 1st Working Day of every month. In addition, All RTCs and OSTC Faridabad were instructed to allot one session for Hindi implementation training in all the training programmes. We have also organized All India Hindi Officers Conference at Ranthambore, SwaiMadhopur.

During the year 2018-19, Committee of Parliament on Official Language inspected the work of our D.O.Alpuzah, DO Bhopal, BO Surendernagar, DO Tuticorin & RO-1 Mumbai. Official Language Department, Ministry of Finance, inspected the work of various offices like RO-1 and RO-2, New Delhi, DO Gurugram and Head Office New Delhi. They appreciated the efforts of the Company on Official Language Implementation in these offices.

11th Vishva Hindi Sammelan was successfully organized in Mauritius, the Mini India, with the joint co-operation of Ministry of External Affairs, Govt of India and Mauritius Government from 18th to 20th August, 2018 in Goswami Tulsidas Nagar, Port Louis, Mauritius. Representatives of Hindi Scholars, Writers, Filmmakers, Publishers, Officials of Ministries, Enterprises of Govt. of India and various organizations participated in this Sammelan. Sh. Ajit Kumar, General Manager (Rajbhasha), Head Office and Sh. Gautam Kumar Meena, Asstt. Manager (Rajbhasha) NRO-II New Delhi attended this conference as representatives of the Company.



अनिल श्रीवास्तव

महाप्रबंधक

ANIL SRIVASTAVA

GENERAL MANAGER

सूचना प्रौद्योगिकी

‘ओरिएण्टल’ में आईटी सेटअप हमारे व्यापार के संचालन के लिए सुरक्षित, मजबूत और कुशल सहायता प्रदान करता है और आईटी सक्षम सेवाओं के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि पर जोर जारी है। पूर्व की भांति यह हमारा निरंतर प्रयास है कि आईटी के बुनियादी ढाँचे और अनुप्रयोगों को अद्यतन रखने के लिए और बाजार में आईटी कार्यान्वयन में बाजार के अग्रणी बने रहने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएँ।

हमारी कंपनी ने एक व्यापक उद्यम ‘एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट’ (ECM) समाधान को लागू करके एक बड़ा कदम उठाया है। ECM समाधान को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को संग्रहीत करने और बनाए रखने और व्यावसायिक कार्यों के समर्थन के लिए उनकी आसानी से पुनर्प्राप्ति के लिए लागू किया गया है। ECM को हमारे मुख्य बीमा एप्लिकेशन के साथ और हमारे वेब

INFORMATION TECHNOLOGY

The IT setup at “Oriental” continues to provide secure, robust and efficient support to our business operations and the thrust continues to be on client satisfaction through IT enabled services. As in the past, it is our constant endeavour to take proactive measures to keep the IT infrastructure and Applications updated and to remain a market leader in IT implementation.

Our Company has taken a major step forward by implementing an enterprise wide “Enterprise Content Management” (ECM) solution. The ECM solution has been implemented for archiving and maintaining the documents in electronic form and their easy retrieval for supporting the business operations. The ECM has been integrated with our core insurance application



पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है जो परिचालन कार्यालयों को ऑनलाइन दस्तावेजों को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और संदर्भित करने में सक्षम बनाता है ताकि दावों के निपटान में प्रतिक्रिया समय को कम किया जा सके और हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवाओं की सुविधा मिल सके। यह प्रणाली ग्राहकों, सर्वेक्षणकर्ताओं और अन्य हितधारकों को हमारे कार्यालयों द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए हमारे पोर्टल के माध्यम से दस्तावेजों को अपलोड / स्टोर करने के लिए आसान पहुंच प्रदान करती है। इस प्रकार हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से अपलोड किए गए दस्तावेज हमारे मुख्य बीमा आवेदन में वास्तविक समय में सुलभ हैं और यह बदले में तेजी से प्रतिक्रिया समय और लेनदेन के तेजी से प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है।

कंपनी ने आईटी सुरक्षा परिदृश्य की भी समीक्षा की है और उद्योग में सर्वोत्तम प्रक्रियों द्वारा अंतराल को सक्रिय रूप से भर रहा है ताकि एक मजबूत IT सुरक्षा ढांचा हो। समग्र आईटी सुरक्षा ढांचे में विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ अंत बिंदु और साइबर सुरक्षा और व्यावसायिक महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा भी शामिल है। इस संबंध में व्यापार महत्वपूर्ण डेटा की पर्याप्त सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। कुछ पहलुओं में डाटा एन्क्रिप्शन, डेटा वॉल्ट, डेटा लॉस प्रिवेंशन सेटअप, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी), डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) के खिलाफ सुरक्षा और सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना के उन्नत स्तर शामिल हैं।

मौजूदा सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा भी की गई है और 'सूचना और साइबर सुरक्षा नीति 2018' के रूप में अपनाया गया है। यह सूचना और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समग्र रूपरेखा प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण घटकों में सूचना परिसंपत्ति प्रबंधन, डेटा सुरक्षा, उद्यम सुरक्षा, सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानव संसाधन सुरक्षा, प्रणाली अधिग्रहण विकास और रखरखाव, एप्लीकेशन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, प्लेटफॉर्म/इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा शामिल हैं। क्रिप्टोग्राफी और मुख्य प्रबंधन, सुरक्षा लॉगिंग और प्रबंधन, दुर्घटना प्रबंधन, संपूर्ण सुरक्षा, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड सुरक्षा और मोबाइल सुरक्षा।

and also with our Web Portal which enables the operating offices to store, retrieve and refer to the documents online so as to minimize the response time in settlement of claims and facilitates improved services to our customers. The system also provides easy access to the customers, surveyors and other stakeholders to upload / store documents through our Portal for further processing by our offices. Thus the documents uploaded through our Web Portal are accessible in real time in our core insurance application and this in turn ensures a quicker response time and faster processing of transactions.

The Company has also reviewed the IT security landscape and is proactively bridging the gaps vis-à-vis the best practices in the Industry so as to have a robust I.T. security framework in place. The overall IT Security framework encompasses various critical components which inter alia includes end point and cyber security as also the protection of business critical data. In this regard various measures are being taken to adequately safeguard business critical data. Some of the initiatives include enhanced levels of Data Encryption, Data Vault, Data Loss Prevention setup, Network Access Control (NAC), protection against Distributed Denial of Service (DDOS) and Setting up of Security Operation Centre (SOC).

The existing Information Security Policy has been reviewed and adopted as "Information and Cyber Security Policy 2018". This provides the overall framework related with various facets of information and cyber security. Some of the critical components include Information Asset Management, Data Security, Enterprise Security, Information Security Risk Management, Physical and Environmental Security, Human Resource Security, System Acquisition development and maintenance, Application Security, Cyber Security, Platform/ Infrastructure Security, Network Security, Cryptography & Key Management, Security Logging and Management, Incident Management, Endpoint Security, Virtualization, Cloud Security and Mobile Security.



‘ओरिएंटल’ ने एक व्यापक ‘व्यावसायिक निरंतरता और प्रबंधन नीति’ और ‘साइबर संकट प्रबंधन नीति’ को निर्मित और लागू किया गया है।

पूर्व की भांति यह हमारा निरंतर प्रयास है कि आईटी बुनियादी ढांचे को अद्यतन रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएं। इसे देखते हुए हमने पहले ही अपने डेटा केंद्रों में आईटी बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार किया है। कंपनी की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए आईटी सेट अप में अत्याधुनिक तकनीक है। आईटी परिदृश्य को अपग्रेड किया गया है और डिजास्टर रिकवरी साइट्स पर 100% उपलब्धता प्रदान करने के लिए सिस्टम को कॉन्फिगर किया गया है।

हमारे मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान को क्लासिक समाधान के एक राज्य द्वारा बदल दिया गया है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एमपीएलएस नेटवर्क/इंटरनेट के माध्यम से संगठन के भीतर और बाहर निर्बाध कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान करता है। मोबाइल उपकरणों (एंड्रॉइड/आईओएस), लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन प्रस्तुतियों और मल्टी-पार्टी कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से कनेक्ट करने की सुविधा उपलब्ध है।

एक व्यापक उद्यम, व्यापक और केंद्रीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) लागू किया गया है जो मानव संसाधन से संबंधित गतिविधियों के पूरे स्पेक्ट्रम को पूरा करता है। SAP इन्वेस्टमेंट सिस्टम जो कंपनी के संपूर्ण निवेश संचालन को संभालता है, डिजास्टर रिकवरी सेटअप होने से भी मजबूत हुआ है।

विभिन्न ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से हमारी बिक्री निरंतर गति से बढ़ रही है और 2018-19 के दौरान, विभिन्न ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से 45.81 लाख नीतियां जारी की गईं, जिसमें हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से बिक्री है, डीलर केंद्रों (एमआईएसपी) पर पॉलिसियों को ऑनलाइन जारी करना, मोटर के साथ एकीकरण। ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) साझेदार, और वेब एग्रीगेटर और ब्रोकर पोर्टल्स के साथ एकीकरण शामिल हैं। वर्ष 2018-19 में उपरोक्त चैनलों के माध्यम से कुल ऑनलाइन बिक्री 3051 करोड़ रुपये थी। हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2018-19 में 221% बढ़ी है और बिक्री स्थिर गति से बढ़ रही है। वर्ष के दौरान, चयनित व्यवसायों के लिए

“Oriental” has also formulated and adopted a comprehensive “Business Continuity and Management Policy” and “Cyber Crisis Management Policy”.

As in the past, it is our constant endeavour to take proactive measures to keep the IT infrastructure updated. With this in view we have already carried out a revamp of the IT infrastructure at our Data Centres. The new IT set up has state of the art technology to cater to the present and future requirements of the Company. The IT landscape has been upgraded and the systems have been configured to provide 100% availability at the Disaster Recovery sites.

Our existing Video Conferencing solution has been replaced by a state of the art VC Solution which provides seamless conferencing facilities within and outside the organization, through the MPLS Network / Internet to the users. The facility to connect through mobile devices (Android / iOS), live video streaming, online presentations and multi-party conferencing facilities have been enabled.

An enterprise wide, comprehensive and centralized Human Resource Management System (HRMS) has been implemented which caters to the entire spectrum of HR related activities. The SAP Investment System which handles the entire Investment operation of the Company has also been strengthened by having a Disaster Recovery setup.

Our sales through various online channels continue to grow at a steady pace and during 2018-19, 45.81 lakh policies were issued through various online channels which includes sales through our Web Portal, online issuance of policies at Dealer points (MISPs), integration with Motor OEM (Original Equipment Manufacturer) partners, and integration with Web Aggregator & Broker Portals. In the year 2018-19, the overall online sales through the above channels were Rs. 3051 Crores. The online sales through our Web Portal went up by 221% in 2018-19 over the previous financial year and the sales continue to grow at a steady pace. During the year online sales of Marine



मरीन सिंगल वॉयेज इनलैंड ट्रांजिट पॉलिसी, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पर्ल्स पॉलिसी की ऑनलाइन बिक्री, ओरिएंटल हेल्थ सुपर टॉप अप पॉलिसी, ओरिएंटल हैप्पी कैश निश्चित रहिन पॉलिसी को हमारे वेब पोर्टल पर सक्षम किया गया और बैंकाइंश्योरेंस भागीदार के साथ एकीकरण भी लागू किया गया। पेटीएम ऐप के माध्यम से पॉलिस के नवीकरण के लिए प्रीमियम के भुगतान की सुविधा को सिस्टम स्तर एकीकरण के माध्यम से भी सक्षम किया गया था। इसके अलावा ई-मेल पे और एसएमएस पे के माध्यम से ऑनलाइन प्रीमियम के भुगतान की सुविधा भी हमारे ग्राहकों की आसानी के लिए सक्षम की गई है।

एंडरॉइड प्लेटफॉर्म पर मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं को और बढ़ाया गया है। यह आवेदन नई पॉलिसियों के ऑनलाइन जारी करने, पॉलिसियों के नवीकरण, दावों की सूचना, डैशबोर्ड सुविधाओं, दावा दस्तावेजों के अपलोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, निवल बैंकिंग, ई-वॉलेट्स, आईएमपीएस और यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रदान करता है। मोबाइल एप्लिकेशन हमारे ग्राहकों, एजेंटों, ब्रोकर्स, सर्वेयरों और कर्मचारियों के लिए लॉगिन प्रदान करता है। हमारा मुख्य बीमा आवेदन वेब एग्रीगेटर्स और ब्रोकर्स के पोर्टल्स के साथ-साथ प्रमुख ऑटो ओईएम के सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है ताकि ऑनलाइन बिक्री, दावों के त्वरित निपटान और व्यापक सेवाओं के स्तर पर कुशल वितरण प्रदान किया जा सके। स्वास्थ्य TPA को हमारे मूल बीमा एप्लिकेशन में डेटा अपलोड करने के लिए ऑनलाइन एक्सेस के साथ प्रदान किया गया है जिसने निर्धारित समय को काफी कम कर दिया है और दावों के त्वरित निपटान में मदद की है।

आईटी कार्यान्वयन और आईटी सक्षम सेवाओं के संदर्भ में प्रमुख प्रयास हमारे ग्राहक और सभी हितधारकों को कुशल ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने पर रहेगा। डिजिटल फुटप्रिंट या ओरिएंटल की बीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार है और यह हमारा निरंतर प्रयास होगा कि हम अपने परिचालनों के सभी क्षेत्रों में डिजिटल इंटरफेस को बढ़ाएँ।

डिजिटल विपणन

वर्तमान प्रतिस्पर्धी बीमा कारोबारी माहौल में, डिजिटल परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल चैनलों के माध्यम से सहज ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की बढ़ती बढ़ती जरूरतों

Single Voyage Inland Transit policy, Standard Fire and Special Perils Policy for selected occupancies, Oriental Health Super Top Up Policy, Oriental Happy Cash Nischint Rahein Policy were enabled on our Web portal and integration with Bancassurance Partners was also implemented. The facility of payment of premium for renewals of policies through Paytm App was also enabled through a system level integration. Further the facility of payment of online premium through “E-Mail Pay” and “SMS Pay” has also been enabled for the ease of our customers.

The online services have been further extended through a Mobile Application on Android platform. This application provides for online issuance of new policies, renewal of policies, intimation of claims, Dashboard features, upload of claim documents, online payments through Credit Cards, Debit Cards, Net Banking, E-Wallets, IMPS and UPI. The Mobile Application provides for logins for our Customers, Agents, Brokers, Surveyors and Employees. Our core insurance application has been integrated with the Portals of Web Aggregators and Brokers as also with the systems of major Auto OEMs so as to provide wider presence for online sales, quicker settlement of claims and efficient delivery of services. The Health TPAs have also been provided with online access for uploading data into our core insurance application which has significantly reduced the turnaround time and has helped in quicker settlement of claims.

The major thrust in terms of IT implementation and IT enabled services will continue to be on providing efficient online services to our customer and all stakeholders. The digital footprint or “Oriental” has a significant presence in the insurance domain and it shall be our constant endeavour to enhance the digital interface in all spheres of our operations.

DIGITAL MARKETING

In the present competitive insurance business environment, digital transformation has a pivotal role to play. The ever growing need to provide seamless



ने बीमाकर्ताओं के लिए डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने तथा त्वरित एवं कुशल सेवाओं के लिए मौजूदा और भावी ग्राहकों तक पहुंचने के अवसरों को खोल दिया है। विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार और सेवाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ तकनीकी संवर्द्धन को अपनाने में ओरिएंटल एक सबसे आगे रहा है। सभी उत्पादों को बनाए रखने के लिए पॉलिसियों के ऑनलाइन जारीकरण को लगभग सक्षम किया गया है और ग्राहकों द्वारा 100 से अधिक उत्पादों का नवीनीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है। हमारे वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से मध्यस्थों के लिए इसी तरह की सुविधाओं को बढ़ाया गया है। इस प्रकार पॉलिसियों का निर्गमन/नवीनीकरण एक ऑनलाइन तरीके से हो रहा है और वर्ष 2018-19 में संख्या तेजी से बढ़ी है। प्रस्ताव सीधे ग्राहकों/मध्यस्थों द्वारा दिया जाता है और पॉलिसियों तुरंत कोर इश्योरेंस सॉल्यूशन द्वारा जारी की जाती हैं और पॉलिसियों को मध्यस्थों के साथ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे/व्यवस्था के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के बाद ई-मेल के माध्यम से भेजा जाता है। वर्ष 2018.19 के दौरान 45 लाख से अधिक पॉलिसियां ऑन लाइन (डीलर बिंदुओं पर जारी एकीकरण और नीतियों सहित) जारी की गईं, जो ओआईसीएल द्वारा जारी कुल नीतियों का लगभग 42% है। संबंध ऑनलाइन प्रीमियम का आंकड़ा 3051 करोड़ रुपये था जो कुल सकल घरेलू प्रीमियम का लगभग 23% है। ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से खरीदे गए प्रीमियम में पॉलिसियों की संख्या में 201.67% और 259.15% की वृद्धि हुई है। हमारे वेब के माध्यम से 10.66 लाख जारी किए गए पॉलिसियों से 551 करोड़ रुपये प्रीमियम प्राप्त हुआ। इस प्रकार जारी की गई पॉलिसियों की संख्या के हिसाब से 189.74% की वृद्धि दर्ज की गई और प्रीमियम प्राप्ति में 211.71% की वृद्धि हुई।

मोटर वाहन ओईएम, मारुति, टाटा, महिंद्रा, टीवीएस, निसान आदि जैसे बिजनेस पार्टनर, वेब एग्रीगेटर्स जैसे पॉलिसी बाजार, कवरफोक, ब्रोकर्स, सीएससी, बैंकासुरेंस पार्टनर्स— पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेट्स जैसे टेक महिंद्रा, एनआरएल, पेटीएम को पॉलिसियों के ऑनलाइन जारी करने के लिए ओआईसीएल पोर्टल/कोर बीमा समाधान प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है। इसलिए हम पहचान किए गए भागीदारों के साथ ऑनलाइन दावा करने की

online services through digital channels has opened up opportunities for the insurers to enhance the digital footprint and to reach out to the existing and prospective customers for quick and efficient services. Oriental has been a front runner in adoption of technological enhancements with a focus on promoting online business and services through various digital channels. The online issuance of policies has been enabled for almost all retain products and renewals of over 100 products can be done online by the Customers. Similar facilities have been extended to the intermediaries through our Web Portal and the Mobile App. Thus issuance / renewal of policies is happening in an online fashion and the number has grown sharply in the year 2018-19. The proposal is fed directly by Customers / Intermediaries and the Policies are issued immediately by the Core Insurance Solution and the Policies are sent through e-mail after realising the payments through online payment gateways / arrangement with the intermediaries... During the year 2018-19 more than 45 Lakh Policies were issued on line (including integrations and policies issued at Dealer points) amounting to around 42% of the total policies issued by OICL. The corresponding online premium figure was Rs 3051 which is around 23% of the total gross domestic premium. There has been a growth of 201.67% in the number of Policies and 259.15% in the Premium procured through on line channels. The Premium procured through our Web was Rs. 551 Crores with 10.66 Lakh Policies issued, thus registering a growth of 189.74% in terms of number of Policies issued and 211.71% in Premium procured.

The business partners such as Motor vehicle OEMs viz Maruti, Tata, Mahindra, TVS, Nissan etc., Web Aggregators like Policy Bazaar, Coverfox, brokers, CSC,, Bancassurance partners – Punjab National Bank and Oriental Bank Of Commerce , corporates such as Tech Mahindra, NRL, Paytm have been integrated with OICL Portal / Core Insurance solution systems for online issuance of policies.so. We are also in the process of integrating the claim servicing online with identified



प्रक्रिया को एकीकृत करने की प्रक्रिया में हैं। प्रत्यक्ष ग्राहकों और मध्यस्थों द्वारा खरीद के लिए अतिरिक्त उत्पादों जैसे कि फायर, मरीन (इनलैंड ट्रांजिट –सिंगल वॉयज), ओरिएंटल सुपर हेल्थ टॉप अप पॉलिसी, हैप्पी कैश आदि को भी हमारे पोर्टल पर सक्षम किया गया है।

आईआरडीएआई अनुपालन/आईआईबी डेटा अनुपालन/जीआई परिषद का ईटीएसएस

आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित बीमा विनियम और डेटा आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी सक्रिय रूप से आवश्यक अनुपालन कर रही है और डेटा जमा करने सहित विभिन्न रिटर्न प्रस्तुत करने को सुनिश्चित कर रही है।

मोटे तौर पर, अनुपालन को दो में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) आवधिक रिटर्न/आईआरडीएआई को डेटा जमा (ii) बीमा सूचना ब्यूरो (IIB) को डेटा जमा करना

आईआरडीएआई रिटर्न/बीएपी (बिजनेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट):

ये निर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार विभाग-वार डेटा/सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य विनियामक रिटर्न हैं। ये रिटर्न हमारे संचालन के लगभग सभी पहलुओं को कवर करते हैं और विभिन्न उत्पादों और व्यापार के संदर्भ में निष्पादन का एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। आईआरडीएआई द्वारा अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण भी आम जनता की जानकारी के लिए हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक और वार्षिक आंकड़ों को निर्दिष्ट फॉर्मेट भी ऑनलाइन रूप में आईआरडीएआई के बिजनेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट (बीएपी) पोर्टल के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाता है।

आईआईबी डेटा सबमिशन:

प्रत्येक बीमा और दावे के लिए उत्पाद-वार बीमांकन और दावों से संबंधित डेटा आईआईबी (बीमा सूचना ब्यूरो) के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। एक मोटर अंडरराइटिंग डेटा को ऑनलाइन रूप में मोटर निजी क्षति (ऑन डैमेज) दैनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए वेब सेवाओं के माध्यम से डेटा के एकीकरण को स्वचालित रूप से प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न उत्पादों के संबंध में विस्तृत बीमालेखन और दावों से संबंधित आंकड़े मासिक आधार पर IIB के पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं।

partners. Additional products such as Fire, Marine (Inland Transit –Single Voyage), Oriental Super Health Top up policy, Happy Cash etc. have also been enabled on our Portal for purchase by the direct customers and intermediaries.

IRDAI Compliance / IIB Data compliance/ ETASS of GI Council

In terms of the Insurance Regulations and data requirements as laid down by IRDAI, the Company has been taking up the required compliance in a proactive manner and ensuring timely submission of various returns including submission of data.

Broadly, the compliances can be categorized into two: (i) Periodic Returns / Data submission to IRDAI (ii) Data submission to Insurance Information Bureau (IIB)

IRDAI Returns / BAP (Business Analytics Project):

These are mandatory regulatory returns for submission of department-wise data / information, as per the specified formats. These returns cover almost all facets of our operations and provide a clear view of the performance in terms of various products and lines of business. The required Public Disclosures as mandated by IRDAI are also done through our web portal for information of the general public at large. Moreover the submission of Monthly / Quarterly/ Half-yearly and annual data as per the specified formats is also carried out through the Business Analytics Project (BAP) Portal of IRDAI in an online fashion.

IIB Data submission:

The product wise underwriting and claims related data for each policy and claim is uploaded to the Portal of IIB (Insurance Information Bureau). The submission of data has also been automated by way of integration through web services for daily submission of Motor underwriting data and Motor OD (Own Damage) claims data in an online manner. The detailed underwriting and claims related data in respect of various products is submitted through the



डेटा की विशाल मात्रा के बावजूद हम यह सुनिश्चित करते हैं कि डेटा को आगे के विश्लेषण के लिए आईआईबी को निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्रदान किया गया है।

ईटीएसएस (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रशासन और निपटान प्रणाली)

जीआई परिषद द्वारा लागू सेटअप के अनुसार, सहबीमा लेन-देन (अंडरराइटिंग और दावों) से संबंधित पूरा डेटा ईटीएसएस (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रशासन और निपटान प्रणाली) में प्रणाली स्तर में समीकरण वेब सेवाओं द्वारा ऑटोमेटिड ऑनलाइन रूप से अपडेट किया गया है तथा इसने ईटीएसएस के माध्यम से बीमाकर्ताओं के बीच सहबीमा से संबंधित डेटा का एक सहज आदान-प्रदान सुनिश्चित किया है और मैनुअल मिलान की आवश्यकता को लगभग समाप्त कर दिया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

प्रधान कार्यालय स्थित आंतरिक लेखा परीक्षण और निरीक्षण विभाग (IAID) क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अपने 27 लेखा परीक्षा प्रकोष्ठों द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक की मदद से, प्रबंधन को पैन इंडिया स्थित अपने परिचालन कार्यालयों के कामकाज की जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम हुआ है।

वर्ष 2018-19 में, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग ने 30 क्षेत्रीय कार्यालयों, 359 मंडल कार्यालयों, 498 शाखा कार्यालयों और 820 व्यापार केंद्रों का नियमित ऑडिट किया। इसके अलावा, इसने 27 एसवीसी (सर्विस सेंटर) और 46 टीपी हब (थर्ड पार्टी क्लेम हब) का ऑडिट किया। सेवा केंद्र और टीपी हब का ऑडिट छमाही आधार पर किया जाता है, इसलिए एसवीसी के ऑडिट के 54 और टीपी हब के ऑडिट का 78 संचालन किया गया। सभी सेवानिवृत्त / मृतक कर्मचारियों से संबंधित पेंशन की 2163 फाइलों की समवर्ती लेखा परीक्षण, जिसमें नियमित पेंशन, पारिवारिक पेंशन आदि शामिल हैं, को भी वर्ष के दौरान किया गया था।

परिचालन कार्यालयों के नियमित लेखा-परीक्षण के अलावा, प्रमुख कार्यालय के सभी विभागों का लेखा-जोखा और HRMS, सम्पदा, प्रतिष्ठान, ग्रामीण बीमा, लेखा, निवेश संचालन, पुनर्बीमा संधि, पुनर्बीमा लेखा, ग्राहक सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, विविध

Portal of IIB on a monthly basis. Despite the mammoth volume of data we ensure that the data is provided as per the stipulated timelines to IIB for further analysis.

ETASS (Electronic Transaction Administration and Settlement System)

In accordance with the setup implemented by GI Council, the entire data relating to coinsurance transactions (underwriting and claims) is updated into ETASS (Electronic Transaction Administration and Settlement System) in an automated online manner by way of system level integration through web services. This has ensured a seamless exchange of coinsurance related data among the insurers through ETASS and has almost eliminated the need for manual reconciliations.

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit & Inspection Department (IAID) at Head Office with the help of the feedback made available by its 27 Audit Cells functioning at Regional Centres has been able to provide information to the Management on the functioning of its operational offices situated pan India.

In the year 2018-19, Internal Audit Department conducted Regular Audit of 30 Regional Offices, 359 Divisional Offices, 498 Branch Offices and 820 Business Centres. In addition, it carried out audit of 27 SVCs (Service Centres) and 46 TP Hubs (Third Party Claim Hubs). The audit of Service Centres and TP Hubs is conducted on a half yearly basis, hence 54 no. of audit of SVCs and 78 no. of audit of TP Hubs was conducted. Concurrent Audit of 2163 files of Pension pertaining to all retired/deceased employees which consist of regular pension, family pension etc was also carried out and during the year.

In addition to regular audits of operating offices, audit of all departments of Head Office viz. Personnel & HRMS, Estate, Establishment, Rural Insurance, Accounts, Investment Operations, Reinsurance Treaty, Reinsurance Accounts, Customer Service, Information



लेखन और दावे, आदि मार्केटिंग, प्रचार, मरीन कार्गो और हल, मोटर (टीपी), मोटर (ओडी) अंडरराइटिंग और दावों, एसवीसी पर्यवेक्षण, मोटर (विपणन) जिसमें डीलर टाई-अप, फायर एंड इंजीनियरिंग, हेड ऑफिस के स्वास्थ्य विभाग और ओरिएंटल स्टाफ कॉलेज फरीदाबाद शामिल हैं। केपीए 2018-19 के अनुसार भी आयोजन किया गया है। विभिन्न लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अनुपालन/निपटान किया गया है और उचित जवाबों की प्राप्ति पर विभिन्न लंबित लेखापरीक्षा रिपोर्टों को भी बंद कर दिया गया है।

फाइल और उपयोग पर आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के तकनीकी ऑडिट त्रैमासिक आधार पर किए गए थे और निष्कर्ष (अपवाद रिपोर्ट) ऑडिट कमेटी/बोर्ड के समक्ष रखे/प्रस्तुत किए गए थे।

वर्ष की शुरुआत में 395 सीएंडएजी पैरा लंबित थे और वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट से उत्पन्न 95 नए पैरा जोड़े गए थे। क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रधान कार्यालय विभागों से सीएंडएजी को लंबित पैरा के उत्तरों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और आरंभ किए गए हैं। पैरा 367 के संबंध में जवाबों का उनके विचार के लिए वर्ष के दौरान सीएंडएजी को प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 231 पैरा सीएंडएजी द्वारा निपटाए गए हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में 259 पैरा लंबित हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीएजी पैरा की लंबन को नीचे लाने के लिए हेड ऑफिस द्वारा साउथ ज़ोन और ईस्ट ज़ोन की ऑडिट कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। सभी प्रयास किए गए और फलस्वरूप बड़ी संख्या में पैरा PDCA द्वारा निपटाए गए और बंद किए गए। क्षेत्रीय प्रभारी/प्रधान कार्यालय विभागों के साथ निरंतर और बढ़ते अनुपालन और सी एंड एजी अधिकारियों के साथ बातचीत के कारण, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में, सीएजी पैराओं के लम्बन में उल्लेखनीय कमी हासिल की गई थी। लम्बन 259 पैरा पर आ गई जो पिछले पांच सालों में सबसे कम है।

01/04/2018 को, 6467 आंतरिक लेखा परीक्षण मद लंबित थे और वर्ष के दौरान 14695 मद जोड़े गए थे, जिनमें से 17579 मदों का निपटान और समापन किया जा चुका है। शुरू

Technology, Miscellaneous Underwriting & Claims, Marketing including Publicity, Marine Cargo & Hull, Motor (TP), Motor (OD) underwriting & claims, SVC Supervision, Motor (Marketing) including Dealer Tie-ups, Fire & Engineering, Health Departments of Head Office and Oriental Staff Training College Faridabad have also been conducted as per KPA 2018-19. Compliance/settlement of various Audit Reports have been made and also closed various pending audit reports on receipt of tenable replies.

As per IRDA guidelines on File & Use, Technical Audits of all the Regional Offices were conducted on a quarterly basis and the findings (Exception Reports) were placed / submitted before the Audit Committee / Board.

At the beginning of the year, as many as 395 C&AG Paras were pending and 95 new paras were added arising out of audits conducted during the year. Special efforts have been made and initiated to ensure submission of replies of maximum number of pending paras to C&AG from Regional Offices / Head Office Departments. Replies in respect of 367 Paras were submitted to C&AG during the year for their consideration, out of which 231 paras have been settled by C&AG. At the end of Financial Year 259 paras are pending. During the Financial Year 2018-19 Audit Committee Meetings of South Zone and East Zone were convened by Head Office to bring down the pendency of CAG paras. All out efforts were made and consequently a large numbers of paras were settled and closed by PDCA. Due to the constant and rigorous follow up with Regional Incharges / Head Office Departments and interaction with the C&AG officials, particularly in the last quarter of the financial year, a remarkable reduction in the pendency of CAG Paras was achieved. The pendency came down to 259 paras which is the lowest in the last five years.

As on 01/04/2018, 6467 Internal Audit points were pending and during the year 14695 points were added out of which 17579 points have been settled and closed. Special efforts initiated and all out efforts



किए गए विशेष प्रयासों और पुराने ऑडिट मदों को स्पष्ट करने और लंबित ऑडिट मदों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए सभी प्रयासों के फलदायक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष के अंत में लंबित लेखापरीक्षा मदों की संख्या में 3583 के निम्न स्तर पर गिरावट रिकॉर्ड की गई है।

सीएंडएजी पैरा और IAD अंक की स्थिति को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के पास तिमाही आधार पर रखा जाता है।

विदेशी संचालन

कंपनी के नेपाल, कुवैत और दुबई में विदेशी परिचालन हैं। हम नेपाल में शाखा स्तर पर काम करते हैं, जबकि हमारे पास दुबई और कुवैत में एजेंसी संचालन हैं।

हमने वर्ष 2018-19 के दौरान 297.29 करोड़ रुपये का विदेशी कारोबार पूरा किया है, जो कि वर्ष 2017-18 में 262.11 करोड़ रुपये के मुकाबले 13.42% की बेहतर है।

चालू वर्ष के लिए हमारी संकल्प यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सभी कार्यों में वृद्धि हो और सभी कार्यालय अधिशेष उत्पन्न करें। वर्तमान वर्ष में हमारा ध्यान लाभप्रदता के साथ विकास के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी व्यावसायिक रणनीति और संचालन के मॉडल को फिर से विकसित करना है।

हमारे विदेशी परिचालन का विस्तृत प्रदर्शन निम्नानुसार है: -

made to clear the old audit points and to ensure compliance of pending audit points have shown fruitful results. The number of audit points pending at the end of the year has come down drastically to a record low figure of 3583.

The status of C&AG paras and IAD Points is placed before the Audit Committee of the Board on a quarterly basis.

Foreign Operations

The Company has foreign operations in Nepal, Kuwait and Dubai. We operate in Nepal on a branch model while we have agency operations in Dubai and Kuwait.

During the year 2018-19 we have completed a foreign business of Rs 297.29 crores against Rs262.11 crores in the year 2017-18, growing at a healthy rate of 13.42%.

Our vision for the current year is to ensure that there is growth in all our operations and all offices generate surplus. Our focus in the current year is to revamp our business strategy and model of operations to ensure a turnaround to achieve the twin objectives of growth with profitability.

The detailed performance of our foreign operations is as under:-

INR in crores

प्रमुख खाता	Account Head	2018-19							
		Nepal		Dubai		Kuwait		Total	
		Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (आरआईए सहित)	Gross Direct Premium (incl. RIA)	53.97		211.14		71.07		336.18	
प्रीमियम (निवल)	Premium (Net)	43.99	81.51	184.52	87.39	68.78	96.78	297.29	88.43
कमीशन (निवल)	Commission (Net)	-1.72	-3.91	48.48	26.27	21.93	31.88	68.69	23.11
उपगत दावा (निवल)	Incurred Claims (Net)	22.69	51.58	228.63	123.91	81.79	118.92	333.11	112.05
रिजर्व स्ट्रेन	Reserve Strain	0.44	1.00	7.38	4.00	9.11	13.25	16.93	5.69
प्रबंधन व्यय	M. E.	10.86	24.69	8.09	4.38	3.65	5.31	22.60	7.60
यू/डब्ल्यू अधिशेष/कमी	U/w Surplus/Deficit	11.72	26.64	-108.06	-58.56	-47.7	-69.35	(-)144.04	(-)48.45
ब्याज और अन्य	Interest & Other Inc.	10.82	24.60	6.52	3.53	-3.52	-5.12	13.82	4.64
शुद्ध अधिशेष (+) / कमी (-)	Net Surplus(+)/ Deficit(-)	22.54	51.24	-101.54	-55.03	-51.22	-74.47	(-)130.22	(-)43.80



निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सीएसआर गतिविधियों के लिए 8.56 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था।

अपने संचालन के पांचवें वर्ष में कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग द्वारा पूरी तरह से अपने बल पर देश भर से सीएसआर पहल करने की रणनीति ने सभी सीएसआर गतिविधियों को पूरा करना सुनिश्चित किया, और इसके परिणामस्वरूप सीएसआर गतिविधियों का लाभ काफी हद तक समाज के वंचितों और जरूरतमंद वर्गों के लाभार्थियों को प्राप्त हुआ।

शहरी मलिन बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में, विशेष बच्चों के लिए स्कूल, वंचितों और आदिवासी बच्चों के लिए कौशल विकास केंद्र, कैंसर रोगियों (उपशामक देखभाल और बच्चे) आदि के लिए समाचार पत्र और भाषा कौशल को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया गया। द हिंदू के तीसरे वर्ष के लिए देश भर के चुनिंदा स्कूलों में द हिंदू इन स्कूल 'समाचार पत्र, स्कूलों में बुनियादी ढाँचा और वाटर कूलर उपलब्ध कराना, बेघर व्यक्तियों और समाज के पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना, कम विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के सहयोग से वारंगल के सभी 217 स्कूलों में WASH (जल, स्वच्छता और स्वच्छता) का चरण-II को पूरा करना और आंध्र प्रदेश के अन्य शहरों के स्कूलों में WASH के चरण-III की शुरुआत, स्वच्छ भारत निर्माण के लिए विशेष पहल पोटीयार, कन्याकुमारी में स्कूलों में शौचालय, ६ वनि उपकरण एवं सहयोग हेतु एलिम्को के साथ सहयोग एड्स के वितरण के लिए ALIMCO के साथ सहयोग जम्मू में शारीरिक रूप से अक्षम, कैंसर के बारे में जागरूकता और जम्मू में स्क्रीनिंग शिविर, कैंसर प्रभावित व्यक्तियों के परीक्षण के लिए सोनोग्राफी मशीन प्रदान करना, केरल बाढ़ के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योगदान देना, आदि।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित सीएसआर प्रयास:

1. वंचित बच्चों को जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्या और बाल विद्यालयों की चार शाखाओं से प्रायोजित शैक्षिक यात्राएँ।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

In the financial year 2018-19, a budget of Rs. 8.56 crores was allocated for CSR activities.

In the fifth year of its operation, the strategy of undertaking CSR initiatives entirely on its own strength by the Corporate CSR department ensured completion of all the CSR activities undertaken across the Country, and this resulted in passing the benefit of CSR activities to a substantial number of beneficiaries from the underprivileged and needy sections of the society.

The activities were undertaken at schools in urban slums & rural areas, schools for special children, skill development centres for the under privileged and tribal children, cancer patients (palliative care & children) etc., promoting reading of newspapers and language skills by associating for "The Hindu In School" newspapers in select schools across the Country for the third year in succession, providing infrastructure and water coolers at schools, organizing health camps for homeless persons and children from backward section of the society, educational events for under privileged children, completion of phase II of WASH (water, hygiene and sanitation) in all the 217 schools in Warangal in association with Administrative Staff College of India and initiating phase III in of WASH in schools of other cities of Andhra Pradesh, special initiatives undertaken for Swachh Bharat by building toilets in schools in Pottiyor, Kanyakumari, associating with ALIMCO for distribution of aids & appliances to physically disabled, cancer awareness & screening camps at Jammu, providing Sonography machine for testing cancer affected persons, contributing for rehabilitation of victims of Kerala floods, etc.

The Company undertook following CSR initiatives in the financial year 2018-19:

1. Sponsored educational trips to underprivileged children of four branches of Vidya & Child Schools run by Jaiprakash Narayan Trust.



2. असीम्स लाइब्रेरी के अनाथ/वंचित बच्चों के लिए कंप्यूटर कौशल विकास कार्यक्रम का समर्थन किया
 3. साई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, नोएडा को बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान की।
 4. अशोक लेलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, चित्रकूट, मध्य प्रदेश के सहयोग से समाज के आर्थिक / सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रायोजित एलएमवी ड्राइविंग कोर्स।
 5. तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के लिंगपुर में समाज के सीमांत खंड हेतु जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र की पहली मंजिल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।
 6. सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास (एसपीएमएम) द्वारा चलाए जा रहे दिल्ली के रैन बसेरों में रहने वाले बेघर लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया।
 7. ग्वालियर, असम में गुडविल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कटिंग एंड टेलरिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर।
 8. मुक्ति आश्रम, दिल्ली में पुस्तकालय और सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की और बचाए गए बच्चे/बंधुआ मजदूरों के लिए एक पुनर्वास पुनर्वास-सह-शिक्षा केंद्र।
 9. वारंगल, तेलंगाना के सभी 217 सरकारी विद्यालयों में ग्रेटर वारंगल मुनिकपाल कॉर्पोरेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद के सहयोग से WASH (जल, स्वच्छता और स्वच्छता) के चरण II को पूरा किया गया।
 1. आंध्र प्रदेश के नरसापुर, पलाकोल और कोव्वुर कस्बों में 18 स्कूलों की किशोरियों को भोजनालय और सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए।
 2. कैंसर से पीड़ित 15 बच्चों को अपनाया और एक वर्ष के लिए उनके चिकित्सा खर्च को प्रायोजित किया।
 3. दिल्ली के नजफगढ़ में कैंसर रोगियों की देखभाल करने के लिए 2 शांतिप्रद होमकेयर टीमों को प्रायोजित किया।
2. Supported Computer Skill Development Program of orphan / underprivileged children of Aseem's Library.
 3. Provided infrastructure support to Sai Vocational Training Centre, Noida.
 4. Sponsored LMV Driving course for the economically / socially weaker sections of the society in association with Ashok Leyland Driving Training & Research Center, Chitrakoot, Madhya Pradesh.
 5. Provided financial assistance for the construction of first floor of Tribal Training Center for the marginalized section of the society at Lingapur, Adilabad District of Telangana.
 6. Organised health camps for the homeless people staying in night shelters of Delhi, run by Society for Promotion of Youth & Masses (SPYM).
 7. Sponsored Cutting and Tailoring Skill Development Center run by Goodwill Foundation at Gwalior, Assam.
 8. Provided financial assistance for the construction of Library & Community Hall at Mukti Ashram, Delhi, a transit rehabilitation-cum-education centre for rescued child/bonded labourers.
 9. Completed Phase II of WASH (Water, Sanitation & Hygiene) initiatives in all the 217 Government schools of Warangal, Telangana in association with Greater Warangal Municipal Corporation and Administrative Staff College of India, Hyderabad.
 1. Provided incinerators and Sanitary Napkins to the adolescent girl students of 18 schools in Narsapur, Palacole & Kovvur towns of Andhra Pradesh.
 2. Adopted 15 children afflicted with cancer and sponsored their medical expenses for a year.
 3. Sponsored 2 Palliative Homecare teams to take care of the cancer patients at Najafgarh, Delhi.



4. जम्मू जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के दूरदराज के गांवों में कैंसर जागरूकता और पहचान शिविर प्रायोजित किया।
5. पूरे देश में एनजीओ इकाइयों को बुनियादी ढांचा आइटम, चिकित्सा उपकरण, कक्षा फर्नीचर प्रदान किया।
6. शहरी झुग्गियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में कक्षा फर्नीचर, कंप्यूटर, शैक्षिक आइटम, वाटर कूलर और अन्य बुनियादी ढांचा आइटम प्रदान किए।
7. अलग-अलग विकलांग बच्चों के लाभ के लिए चलाए जाने वाले विशेष स्कूलों को भौतिक चिकित्सा उपकरण, शैक्षिक आइटम, खेल उपकरण और बुनियादी ढांचा आइटम प्रदान किए।
8. विकलांगों के लिए ज्ञानज्योति ट्रस्ट बंगलुरु को ब्रेल प्रिंटर प्रदान किया, नेत्रहीन छात्रों को किताबें आपूर्ति के लिए।
9. सेवा मंदिर के 1000 बच्चों को स्कूल बैग वितरित करके दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी समुदायों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन किया
10. सामाजिक उत्थान और विकास के लिए हेल्थ एक्शन (SUADHA) द्वारा संचालित वलिवारे ट्राइबल स्कूल को कक्षा फर्नीचर प्रदान किया गया।
11. कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर मरीजों की सहायता संस्था, मुंबई को सोनोग्राफी मशीन प्रदान की।
12. देश भर के चुनिंदा सरकारी स्कूलों के छात्रों को 'द हिंदू इन स्कूल न्यूजपेपर' वितरित किया।
13. कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) के सहयोग से दिव्यांगजन को सहायक उपकरण वितरित किए।
14. स्वच्छ भारत पहल के तहत सरकारी स्कूल, पोट्टियूर, तमिल नाडु में शौचालय का निर्माण।
4. Sponsored cancer awareness & detection camp at remote villages of border area of Jammu District.
5. Provided infrastructure items, medical equipments, classroom furniture to NGO units all over the country.
6. Provided classroom furniture, computers, educational items, water coolers and other infrastructure items in Schools situated in urban slums and rural areas.
7. Provided Physiotherapy equipments, educational items, sports equipments and infrastructure items to Special schools run for the benefit of differently abled children.
8. Provided Braille printer to Gnanajyoti Trust for the disabled, Bengaluru for supplying books to the visually challenged students.
9. Supported education of children from Tribal Communities in Southern Rajasthan by distributing School Bags to 1000 children of Seva Mandir
10. Provided classroom furniture to Valivare Tribal school run by Social Upliftment and Development for Health Action (SUADHA).
11. Provided sonography machine to Cancer Patients Aid Association, Mumbai for early detection of cancer.
12. Distributed "The Hindu in School Newspaper" to students of select Government schools across the country.
13. Distributed Aids and Appliances to Divyangjan in association with Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO).
14. Constructed Toilets at Government School, Pottiyoor, Tamil nadu under Swachch Bharat initiatives.



15. केरल के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में सहायता के लिए मुख्यमंत्रियों की राहत कोष में योगदान दिया गया।

उपर्युक्त सीएसआर पहल के परिणामस्वरूप देश भर में अधिक स्थानों पर सीएसआर गतिविधियों का प्रसार करके लगभग 71094 वंचित और जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। 8.56 करोड़ रुपये के आवंटित बजट में से 5.32 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। 2018-19 में विभिन्न सीएसआर प्रयासों के लिए समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लगभग 3000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए 0.41 करोड़ रुपये की और मंजूरी दी गई है, जो वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान लागू होने जा रहे हैं।

15. Contributed to Chief Ministers Distress Relief Fund to aid the rehabilitation of flood victims of Kerala.

The above stated CSR initiatives resulted in benefitting around 71094 underprivileged and needy persons by spreading CSR activities in more locations across the Country. An amount of Rs. 5.32 crores was spent out of the budget allocated of Rs. 8.56 crores. Further approvals amounting to Rs. 0.41 crores benefitting approximately 3000 people from underprivileged and weaker sections of the society were accorded for various CSR initiatives in 2018-19 which are going to be implemented during the financial year 2019-20.



सौम्य मुखर्जी

महाप्रबंधक

ग्राहक सेवा

कंपनी के पास कॉर्पोरेट कार्यालय में एक निष्ठावान शिकायत विभाग के साथ शिकायत निवारण तंत्र की एक मजबूत प्रणाली है और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रबंधकों (शिकायत) की देखरेख में शिकायत नोडल अधिकारियों (GNO) की समर्पित टीम है। शाखा कार्यालयों और प्रभागीय कार्यालयों के प्रमुख भी सक्रिय रूप से कॉर्पोरेट कार्यालय की निगरानी में परिचालन कार्यालय स्तर पर नोडल अधिकारियों की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

कंपनी ने आधुनिक संचार प्रणाली के सभी तरीके जैसे ईमेल, निष्ठावान शिकायत पोर्टल, ट्विटर के साथ-साथ पारंपरिक तरीके जैसे फोन कॉल, पत्र और पॉलिसीधारकों की प्रत्यक्ष बैठकों को अपनाया है।

कंपनी ओआईसीएल पोर्टल और आईआरडीएआई पोर्टल (IGMS), PG पोर्टल (CPGRAMS) और INGRAM पोर्टल (जागो

SOUMYA MUKHERJEE

GENERAL MANAGER

CUSTOMER SERVICE

The company has a robust system of Grievance redressal mechanism with a dedicated Grievance Department at Corporate office and having dedicated team of Grievance Nodal Officers (GNO) under supervision of Regional Managers (Grievance) at all Regional Offices. Heads of Branch Offices & Divisional Offices are also actively discharging the role of Nodal Officers at the operating office level under the monitoring of Corporate Office.

The company has adopted all modes of modern communication system like emails, dedicated Grievance portal, twitter along with the traditional modes like phone calls, letters and direct meets of policyholders.

The company is also taking full-fledged care to redress the grievances reported in OICL portal & IRDAI portal



ग्रहाक जागो) में दर्ज शिकायतों का निवारण करने के लिए पूर्ण सावधानी बरत रही है।

पिछले वर्ष आईजीएमएस में (99.78%) के निपटान अनुपात के साथ 6 पीजी पोर्टल में (98.53%) के निपटान अनुपात के साथ (11) तथा इन्ग्राम पोर्टल में (89.80%) का निपटान अनुपात में (26) की तुलना में इस वर्ष हमने 31 मार्च 2019 तक 100% डिस्पोजल अनुपात के साथ शून्य शिकायत अर्जित किया है।

शिकायतों को कारण वार निपटाना यह दर्शाता है कि दावा सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है लेकिन पिछले साल (78.18%) के मुकाबले 55.39% के साथ का नेतृत्व जारी है।

इसके अतिरिक्त, विभाग सीएसडी के लिए ट्विटर में विशेष मंच रखते हुए सोशल मीडिया पर भी समर्पित रूप से भाग ले रहा है और दावा प्रक्रिया, पोर्टल उपयोग, बीमा लाभ, आदि जैसे अतिरिक्त गतिविधियों के बारे में पॉलिसी धारकों को शिक्षित करने की शिकायतों का निवारण करता है।

दूसरे वर्ष के लिए, कंपनी ने सभी गैर-दावा राशि का हिसाब रखा है जो 30.09.2018 को पॉलिसी धारकों के फंड खाते में पड़ी हुई थी और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष अधिनियम, 2015 के अनुसार दिनांक 25.07.2017 के विनियामक दिशानिर्देशों में एससीडब्ल्यूएफ में 5.79 करोड़ रुपये जमा किए, इसकी सूची को कंपनी के वेब पोर्टल में प्रदर्शित किया गया है।

समुद्री

दावों की बढ़ी हुई आवृत्ति और गंभीरता को देखते हुए मरीन कार्गो बाजार कम अनुमानित हो गया है, और लाभप्रदता में सुधार के लिए जोखिमों की अधिक बारीकी से जांच की जा रही है। लॉयड में एक कसाव जारी है, जिसमें कुछ सिंडिकेट्स कार्गो स्पेस से बाहर निकल रहे हैं और ग्रोथ के बजाय बुक हेल्थ पर फोकस बढ़ा रहे हैं। पीएसजीआईसी और निजी कंपनियों के बीच अथक मूल्य युद्ध का चलन जारी रहा, जिससे प्रीमियम दरों में गिरावट आई। पर्याप्त पुनर्बीमा सुरक्षा और प्रभावी दावों के प्रबंधन से सावधानी पूर्ण बीमालेखन के साथ, हम ICR को लगभग 58% तक सीमित करने में सक्षम थे, जो उद्योग में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।

समुद्री पोत, तेल और ऊर्जा क्षेत्र में, वित्त वर्ष 18 के अंत तक प्रमुख भारतीय बंदरगाहों की क्षमता 1,452 मिलियन टन

(IGMS), PG Portal (CPGRAMS) and INGRAM Portal (Jago Grahak Jago), last two are maintained by Government of India.

This year we have achieved a zero grievance pendency with 100 % Disposal Ratio as on 31st March 2019 in all the above portals comparing to last year pendency of (6) with disposal ratio of (99.78%) in IGMS, (11) with disposal ratio of (98.53%) in PG Portal and (26) with disposal ratio of (89.80%) in INGRAM portal.

The Cause wise Break up of grievances shows the claim servicing has a tremendous improvement but continuing to lead the table with 55.39% against last year (78.18%).

In addition to this the department is also dedicatedly participating on the social media having exclusive platform in twitter for CSD and redressing the grievances giving special attention along with the add-on activity of educating the policy holders with claim process, portal use, policy benefits, etc.

For the second year, the company has accounted for all unclaimed amount that was lying in policy holders fund account as on 30.09.2018 and deposited Rs. 5.79 cr. in SCWF in compliance of Regulators guidelines dt. 25.07.2017 in consonance with the Senior Citizen Welfare Fund Act, 2015. The list thereof has been displayed in the company's web portal.

Marine

With an increased frequency and severity of claims, the Marine Cargo market has become less predictable, and risks are being scrutinized more closely to improve profitability. At Lloyd's there continues to be a tightening, with some syndicates exiting the cargo space and an increased focus on book health rather than growth. The ongoing trend of relentless price war amongst the PSGICs and Private Companies continued thus resulting into decline in premium rates. With cautious underwriting equipped with adequate reinsurance protection and effective claims management, we were able to restrain ICR to around 58% which is among the best in the industry.



थी और उनका शुद्ध लाभ 3,413 करोड़ रुपये था। भारतीय बंदरगाहों के क्षेत्र के लिए निवेश और कार्गो यातायात केंद्र बढ़ाया जा रहा है। ऑपरेशन और रखरखाव, विमान संचालन और शरण देना और समुद्री संपत्ति जैसे बार्ज और ड्रेजर जैसी सेवाओं के प्रदाता इन निवेशों से लाभान्वित हो रहे हैं। तेल और ऊर्जा क्षेत्र में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण विकास हुआ है और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और रिफाइनरियों के क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है। इस खंड ने वित्त वर्ष 2018 में 21.07% की बाजार वृद्धि देखी है। वित्त वर्ष 2018 के लिए हमारी कुल समुद्री विकास दर 10.16% की बाजार हिस्सेदारी के साथ 11.01% थी और हमने समुद्री पोत और समुद्री कार्गो में पीएसजीआईसी के बीच अपना दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा है। क्रमशः मरीन कार्गो खंड।

फसल बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य अनदेखी घटनाओं से उत्पन्न फसल की हानि/क्षति को आर्थिक रूप से मदद कर किसानों को लाभ पहुंचाना है। सरकार द्वारा बार-बार जोर देने से पीएमएफबीवाई द्वारा बोए गए क्षेत्र में 31% तक बीमा पैठ सुधारने में मदद हुई। इन परिवर्तनों के संयुक्त प्रभाव के रूप में – प्रीमियम सब्सिडी स्कीम से एक्चुअरिअल प्राइसिंग स्कीम में बदलाव, उद्योग में भारी वृद्धि देखी गई है।

हमारी कंपनी को 02.06.2016 को PMFBY और RWBCIS के कार्यान्वयन के लिए सूचीबद्ध किया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 की 371% वृद्धि के दौरान 521 करोड़ रुपये के मुकाबले 1933 करोड़ रुपये (ACF के आवेदन के बाद) का सीधा फसल बीमा कारोबार किया है। सह-बीमा शेयरों और ACF (आवक और आउटगोइंग) को 2018-19 के लिए कुल प्रीमियम 858.22 करोड़ रुपये के प्रीमियम के बदले 1758.63 करोड़ रुपये है (आने वाले सह-बीमा शेयर को शामिल करने के बाद) यदि हम तुलना करें तो 21% की वृद्धि सह-बीमा शेयर का समावेश है।

In the Marine Hull, Oil & Energy sector, by the end of FY18, the major Indian Ports had a capacity of 1,452 million tonnes and their Net profit was Rs.3,413 crores. Increasing investments and cargo traffic point towards a healthy outlook for the Indian ports sector. Providers of services such as Operation and Maintenance, Pilotage and Harbours and marine assets such as barges and dredgers are benefiting from these investments. Oil & Energy sector has witnessed growth on account of increased crude oil prices and investments are increasing in the areas of natural gas, petroleum products and refineries. This segment has witnessed a market growth of 21.07% in FY 18. Our overall Marine growth rate for FY 18 was 11.01% with a market share of 10.16% and we have retained our second and third position among the PSGICs in the Marine Hull and Marine Cargo segment respectively.

Crop Insurance

The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and the Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme are the flagship Schemes of the Central Government which aim at financially supporting farmers who suffer crop loss /damage arising out of unforeseen events. Strong push by the Government helped the PMFBY improve the insurance penetration to 31% of the sown area. As a combined effect of these changes – the shift from premium subsidy scheme to an actuarial pricing scheme, Industry has seen immense growth.

Our Company was empanelled for implementation of PMFBY and RWBCIS on 02 06 2016. During the FY 2018-19, the Company has done direct Crop Insurance business of Rs. 1933 Crores (After Application of ACF) against Rs. 521 Crores during the FY 2017-18 i.e growth of 371%. The total premium for 2018-19 net of Co-insurance shares and ACF (incoming and outgoing) is Rs. 1758.63 Crores against a premium of Rs.825.22 crs (after inclusion of incoming co-insurance share) i.e a growth of 213% if we compare after inclusion of co-insurance share.



हमारे पास एक सुसंतुलित पोर्टफोलियो था जिसमें उत्तर में जम्मू कश्मीर और हरियाण से, महाराष्ट्र के पूर्व में, झारखंड के उत्तर में तथा पूर्व में असम, पश्चिम में महाराष्ट्र तथा दक्षिण में आंध्रप्रदेश तक खरीफ और रबी दोनों मौसम शामिल थे। हमने कुल 49,52,788 किसानों को कवर किया, जिनमें से 17,69,372 किसान और 31,83,416 गैर-किसान हैं, महाराष्ट्र राज्य के साथ देश में नॉन लोनि किसानों का नामांकन है। बोये गए कुल क्षेत्र 32,48,798 हेक्टेयर हमारे द्वारा बीमित किया गया।

आने वाले वर्षों में, हम भौगोलिक विस्तार को बढ़ाते हुए व्यापार की इसी क्षेत्र में वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं जिससे आगे बेहतर परिणामों के लिए पोर्टफोलियो को संतुलित किया जा सके।

We had a well balanced portfolio with a geographical spread pan India from the States of Jammu & Kashmir and Haryana in the North to Jharkhand and Assam in the East to Maharashtra in the West and Andhra Pradesh in the South, covering both Kharif and Rabi seasons. We covered total 49,52,788 farmers, out of which 17,69,372 are Loanee Farmers and 31,83,416 are Non Loanee Farmers, with the State of Maharashtra leading in Non Loanee Farmers enrollment in the country. The total sown area insured by us was 32,48,798 Hectares.

In the coming years, we are ready to take forward the growth in this line of business increasing the geographical spread thereby further balancing the portfolio for better results.



नवनीत डोडा

महाप्रबंधक

मानव संसाधन विभाग

मानव संसाधन विभाग मूल्य निर्माण में और प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक भूमिका निभाता है। विभाग ने संगठनात्मक क्षमता में सुधार के लिए उचित सहायता प्रदान करना जारी रखा है। हमने कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को समय पर पदोन्नति और विभिन्न नए लाभों के अनुमोदन के साथ-साथ मौजूदा लाभों में सुधार सहित कई पहल की।

विभाग ने मजबूत मानव संसाधन गतिविधियों और कार्य प्रबंधन के प्रेरक स्तरों में सुधार लाने के लिए निष्पादन प्रबंधन की प्रक्रिया जारी रखी, प्रतिबद्धता स्तर बढ़ाया और आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञता के निर्माण में मदद की। कंपनी संगठन की विस्तार योजनाओं के लिए भर्ती और प्रतिभा अधिग्रहण की निरंतर प्रक्रिया में है और बाजार की चुनौतियों को पूरा करने के लिए परिचालन कार्यालयों विशेष और कुशल कर्मचारियों की भर्ती करके सुसज्जित किया। कार्यबल के आयु वर्ग के

NAVNEET DODA

GENERAL MANAGER

HR DEPARTMENT

Human Resource Department plays a strategic role in value creation and to provide a competitive edge. The Department has continued to provide optimum support for improving organizational efficiencies. We took many initiatives including timely promotion of various classes of employees and approval of various new benefits as well as improvement of existing benefits.

The Department continued with robust HR activities and process of performance management to improve the motivational levels of work force, enhanced commitment levels and helped further building in-house technical expertise. The Company is in the continuous process of recruitment and talent acquisition to man the organization's expansion plans and to recruit specialized and skilled workforce to equip operational offices for meeting the market



संतुलन को बनाए रखने के लिए वर्ष के दौरान अधिकारियों की प्रत्यक्ष भर्ती भी संपन्न हुई।

हमारा प्रयास यह भी रहा है कि उचित और उचित एचआर संबंधित विधानों, आरक्षणों, नीतियों और प्रथाओं को लागू किया जाए।

हम कार्यक्रम पूरी पदोन्नति प्रक्रिया अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। वर्ष के दौरान घोषित पदोन्नति की संख्या इस प्रकार है:

जिस संवर्ग को पदोन्नति मिली	घोषित पदोन्नतियों की सं.
स्केल I से स्केल II	398
स्केल II से स्केल III	257
स्केल III से स्केल IV	111
स्केल IV से स्केल V तक	43

स्केल-VI और स्केल VII के कैडर के लिए पदोन्नति अभ्यास भी वर्ष के दौरान एक अंतर-कंपनी स्तर पर पूरा किया गया था।

सीडीए सेल

निरंतर और गहरी निगरानी के माध्यम से, सीडीए मामलों का तेजी से निपटान प्राप्त किया गया है। विभिन्न स्तरों पर सीडीए मामलों को संभालने वाली जनशक्ति के संवेदीकरण द्वारा, उचित स्तर पर सीडीए मामलों के त्वरित निपटान को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, जांच की कार्यवाही समय पर पूरी करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की गई। छह महीने से अधिक समय तक पूछताछ चरण में लंबित सतर्कता मामलों की पहल के परिणामस्वरूप; 31.03.2019 तक केवल 02 सतर्कता मामले लंबित रहे।

स्टाफ पदोन्नतियां 2018-19

श्रेणी III से श्रेणी I तक की पदोन्नति प्रक्रिया अनुसूची के अनुसार आयोजित की गई और 247 कर्मचारियों को श्रेणी-I कैडर में पदोन्नत किया गया। तृतीय श्रेणी के भीतर, 421 कर्मचारियों (पर्यवेक्षीय, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति के पैरा 25ए के तहत) को वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया और 111 कर्मचारियों को सामान्य पदोन्नति अभ्यास में सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया। कैडर भरने योग्य और योग्य कर्मचारियों की अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक विशेष उपाय के रूप में,

challenges. Direct recruitment of Officers was also concluded during the year to maintain age group balance of the workforce.

It has also been our endeavour to ensure fair and just implementation of relevant HR related legislations, reservations, policies and practices.

We could complete the entire promotion exercise on schedule. The numbers of promotions declared during the year are as below:

The cadre to which promoted	No. of Promotions declared
Scale I to Scale II	398
Scale II to Scale III	257
Scale III to Scale IV	111
Scale IV to Scale V	43

Promotion exercises for the cadre of Scale VI & Scale VII were also completed during the year on an inter-Company level.

CDA Cell

Through constant and keen monitoring, the speedy disposal of CDA cases has been achieved. By sensitization of the manpower handling CDA cases at various levels, the expeditious disposal of CDA cases at optimum level could be achieved. Further, regular follow up was done with Regional Offices to ensure timely completion of enquiry proceedings. As a result of the initiatives taken vis-à-vis the Vigilance cases pending at Enquiry Stage for more than six months; only 02 vigilance cases remained pending as on 31.03.2019.

Staff Promotions 2018-19

Promotional Exercise from Class III to Class I was conducted as per Schedule and 247 employees were promoted to Class-I cadre. Within Class III, 421 employees (including under Para 25 A of Promotion Policy for Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) were promoted as Senior Assistant and 111 employees got promoted as Assistant in normal promotion



कंपनी ने सहायक के कैंडर में पदोन्नति के लिए वन टाइम पदोन्नति प्रक्रिया भी की और इस विशेष अभ्यास के तहत 290 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया।

एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी मामलों पर संक्षिप्त जानकारी

1. सामान्य

भारत सरकार की नीति के अनुसार, एक आरक्षण प्रकोष्ठ (अनु.जा./अनु.ज.जा.) कंपनी में प्रधान कार्यालय में कार्य कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण नीति पर नियम और विनियमन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लागू किए जाते हैं। आरक्षण सेल (अनु.जा./अनु.ज.जा.) में मुख्य संपर्क अधिकारी और अतिरिक्त प्रधान कार्यालय अधिकारी हैं। क्षेत्र स्तर पर आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए हमारे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक संपर्क अधिकारी भी तैनात किया जाता है। HO पर आरक्षण सेल (अनु.जा./अनु.ज.जा.) एससी/एसटी कर्मचारियों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ों की छानबीन और समेकन करता है। एचओ/क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क अधिकारी, यदि आवश्यक हो और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को बनाए रखा जाए और डीओपीटी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, रोस्टर में उपयुक्त सुधारों की समीक्षा करता है। आरक्षण सेल (अनु.जा./अनु.ज.जा.) कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के अलावा कंपनी और क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रासंगिक जानकारी भी प्रदान करता है और (अनु.जा./अनु.ज.जा.) कर्मचारियों के लिए कार्य स्थल पर सौहार्दपूर्ण संबंध और स्वस्थ वातावरण बनाए रखता है। आरक्षण प्रकोष्ठ (एससी/एसटी) भी समन्वय करता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, मंत्रालय और संसदीय समितियों के लिए माननीय राष्ट्रीय आयोग को आवश्यक सहायता प्रदान करता है और उन्हें आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है।

exercise. As a special measure to meet the expectation of eligible and qualified employees in feeding cadre, the Company also conducted One Time promotion exercise for promotion to the cadre of Assistant and 290 employees were promoted under this Special Exercise.

Brief on welfare matters for SC/ST Employees

1. General

In accordance with the policy of the Government of India, a Reservation Cell (SC/ST) is functioning in the Company at Head Office to ensure that the Rules and Regulation on Reservation Policy are implemented in accordance with constitutional provisions. The Reservation Cell (SC/ST) has Chief Liaison Officer and Addl. Liaison Officer posted at Head Office. A Liaison Officer is also posted at each of our Regional Offices to ensure implementation of Reservation Policy at Region level and also for prompt disposal of the grievances of SC/ST employees. Reservation Cell (SC/ST) at HO scrutinizes and consolidates the statistical data as regards to SC/ST Employees. The Liaison Officer at HO/ Regional Offices reviews and recommends appropriate corrections in the Rosters, if required and ensures that adequate representation of SCs/STs is maintained as provided by the Reservation Policy and guidelines issued from time to time by DOPT. Reservation Cell also provides relevant information to the Company and Regional Offices besides taking care of redressal of grievances of SC/ST Employees and maintains cordial relations and healthy environment at work place for SC/ST Employees. The Reservation Cell (SC/ST) also co-ordinates and provides necessary assistance to the Hon'able National Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Safai Karamcharies, Ministry and Parliamentary Committees and provides them required data for scrutiny on the implementation of Reservation Policy.



2. रोस्टर

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षण प्रकोष्ठ पदोन्नति और भर्ती रोस्टर के रखरखाव और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एससी/एसटी कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। आरक्षण सेल कंपनी की वेबसाइट पर रोस्टरों को अपलोड करना भी सुनिश्चित करता है, कर्मचारियों और संघों की सीओ के पोर्टल तक पहुंच है और यह पता लगा सकता है कि आरक्षण नीति के अनुसार एससी / एसटी कर्मचारियों को आरक्षण दिया गया है या नहीं। प्रधान कार्यालय में आरक्षण प्रकोष्ठ हर साल एचओ/आरओ के रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण करता है।

3. बैठक

क्षेत्रीय स्तर पर ही कर्मचारियों की शिकायतों/सेवा मामले/कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संघ/संघों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में छैमासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4. प्रशिक्षण

कंपनी अनु.जा./अनु.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए प्री-रिक्रूटमेंट और प्री-प्रमोशन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करती है।

एससी/एसटी कर्मचारियों के कौशल को उन्नत करने के लिए उन्हें विभिन्न इन-हाउस, सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, साथ ही प्रसिद्ध एजेंसियों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में नामांकित किया जाता है।

5. डॉ. अंबेडकर वेलफेयर ट्रस्ट योजना

एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के लाभ के लिए डॉ. अंबेडकर वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के लिए विस्तृत सात लाभ योजनाएं ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कार्यान्वित की जाती हैं।

1. एफटीएस/पीटीएस के लिए 1000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से स्कूल फीस की किताबें, नोटबुक और स्कूल यूनिफॉर्म की प्रतिपूर्ति।

2. Rosters

As per Ministry guidelines Reservation Cell ensure maintenance of promotions and recruitment rosters and adequate representation of SC/ST employees as per constitutional provisions. Reservation Cell also ensure uploading of Rosters at Company's website, Employees and Associations have access to Co's portal and can ascertain whether reservation provided to SC/ST employees are in order as per reservation policy. Reservation Cell at Head Office conducts Annual Inspection of Rosters of HO/ROs every year.

3. Meetings

"Quarterly Meetings" are held at Regional Offices with Associations/Unions in order to resolve issues related to grievances/service matter/welfare of employees at Regional level itself.

4. Trainings

Company organizes Pre-recruitment and Pre-Promotion Training programs for the SC/ST candidates.

In order to upgrade skills of SC/ST employees they are nominated to various in-house, in service training programmes, as well as the programmes conducted by the renowned agencies.

5. Dr. Ambedkar Welfare Trust Schemes

Seven benefit schemes as detailed under for SC/ST/OBC employees launched by Dr. Ambedkar Welfare Trust are implemented in Oriental Insurance Company Ltd. for the benefit of SC/ST/OBC employees.

1. Reimbursement of school fees books, notebooks and school uniforms for FTS/PTS Rs. 1000/- per child.



2. पुस्तकों की लागत, एमबीबीएस, एमबीए, इंजीनियरिंग, एलएलबी से क्लास-1 तक (स्केल I तक), क्लास-II, क्लास-III के कर्मचारियों के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति 10,000 रुपये।
3. बीमा परीक्षा पास करने के लिए LII – रुपये 500, सभी 1000 रु, FIII-रु 2000।
4. उच्च शिक्षा में मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर छात्रवृत्ति, चतुर्थ श्रेणी एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के बेटों/बेटियों के लिए पीएचडी 25000 रुपये।
5. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राज्य मेरिट छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पुत्र/पुत्री, जो संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम आये हों 25000 रुपये या लेपटॉप।
6. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर स्पेशल चतुर्थ वर्ग की एक बेटी की शादी के लिए अनु.जा./अनु.ज.जा. कर्मचारियों को 11000 रु
7. चेक ऑफ एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता
2. Reimbursement of expenses towards cost of books, fees incurred for MBBS, MBA, Engineering, LLB to Class-I (upto Scale I), Class II, Class III employees Rs. 10,000/-.
3. For passing Insurance examination LII –Rs. 500/-, All- Rs. 1000/-, FIII- Rs.2000/-
4. Dr. Babasaheb Ambedkar Scholarship for Higher Education for Medical Engineering, Phd. for sons/daughters of Class IV SC/ST/OBC employees Rs.25000/-.
5. Dr. Babasaheb Ambedkar State Merit Scholarship sons/Daughter of SC/ST employees who stood first in the respective State/UT Rs. 25,000/- or laptop.
6. Dr. Babasaheb Ambedkar Special Grant for wedding of one daughter of Class IV SC/ST employees Rs. 11000/-
7. Financial Assistant to Check off SC/ST employees Welfare Associations Rs.50,000/-

कंपनी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का वर्ग-वार प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

कक्षा	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.
श्रेणी-I	5570	1212	436
वर्ग द्वितीय	691	100	33
श्रेणी-III	4841	1089	433
श्रेणी-IV	1324	663	93
कुल	12426	3064	995

भर्ती

संगठन की आवश्यकता को पूरा करने और कर्मचारी की उत्पादकता में वृद्धि के दोहरे उद्देश्य के साथ भर्तियों की प्रक्रिया में संलग्न होने के दौरान एक सतर्क दृष्टिकोण रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने नीचे दी गई जानकारी के अनुसार घोषित 300 रिक्तियों में से 248 प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती की:

अनारक्षित	ओबीसी	एससी	एसटी	कुल
125	69	35	19	248

The Class-wise representation of SC and ST employees in the Company is as under:

Class	Total	SC	ST
Class-I	5570	1212	436
Class-II	691	100	33
Class-III	4841	1089	433
Class-IV	1324	663	93
TOTAL	12426	3064	995

Recruitment

There has been a cautious approach while engaging in Recruitments process with the twin objective of catering to the need of the Organization and increase in per employee productivity. During the Financial Year Company recruited 248 Administrative Officers out of 300 vacancies declared as per details given below:

UR	OBC	SC	ST	TOTAL
125	69	35	19	248



इस भर्ती अभ्यास प्रक्रिया में कई नई विशेषताएं थीं: जैसे कि दो चरणों में लिखित परीक्षा, उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग, 'जैमर' का उपयोग, जहाँ वांछित और पारदर्शी बनाने के लिए तरीके और डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को अंक प्रदर्शित करने के लिए विंडो का निर्माण कर सकें।

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान लिपिक और / या अधीनस्थ कर्मचारियों के संवर्ग में सभी श्रेणियों (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी) में हमारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार 50 पात्र उम्मीदवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश की है। अनुप्रयोगों को संसाधित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली लागू है और हम अपने पूर्व-कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को समय पर राहत प्रदान करने के लिए मामलों की शीघ्र प्रसंस्करण सुनिश्चित करते हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

संगठन पर वांछनीय प्रभाव डालने के लिए HRMS विभाग जारी है। अधिकांश क्रियाकलाप एचआर फंक्शंस की अब एचआरएमएस एप्लीकेशन पर हैं और अटेंडेंस मैनेजमेंट, पे रोल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी ऋण, विभिन्न प्रतिपूर्ति, श्रेणी-। अधिकारी के एपीएआर आदि जैसे मॉड्यूल व पूर्ण उपयोग, प्रभावी और स्वचालित एचआर प्रशासन द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

एचआरएमएस विभाग कई मानव संसाधन कार्यों को विकसित और मजबूत करने में सक्षम है। यह इस प्रक्रिया में प्रयासों, सटीकता और लागत प्रभावशीलता की अर्थव्यवस्था में लाया गया है और इस प्रक्रिया को केंद्रीय रूप से सत्यापित करने के अलावा कागजी काम में कमी आई है। इस वर्ष के लिए प्रमुख मॉड्यूल आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण मॉड्यूल, वाहन खर्च, वरिष्ठता और जनशक्ति नियोजन के अलावा कर्मचारी लाभ के बारे में विभिन्न आंतरिक परिपत्रों के कार्यान्वयन के हैं। मॉड्यूल के अंतिम सेट जैसे रोस्टर, प्रमोशन और आरटीसी प्रशिक्षण विकास और यूएटी के विभिन्न चरणों में हैं।

मानव पूंजी की लागतों को सही ढंग से मापने और प्रतिभा प्रदर्शन का अनुकूलन करने के लिए विभाग के पास एचआर जानकारी की मात्रा निर्धारित करने, वर्गीकृत करने और रिपोर्ट करने की एक रूपरेखा है।

This Recruitment Exercise process had many new features: such as Written Examination in two phases, use of Biometric authentication of candidates, use of "Jammer", wherever desired and creation of window for display of marks to the Candidates to complete the process in a transparent manner and as per DOPT Guidelines.

Compassionate ground Appointment

The Company has offered Compassionate ground Appointments to 50 eligible candidates, as per our Board approved Scheme, in all categories (General/ SC/ ST/ OBC) in cadre of Clerical and / or Subordinate Staff during the year 2018-19. A robust system to process the applications is in place and we ensure speedy processing of the cases to provide timely relief to the family members of our ex-employees.

Human Resource Management System

The HRMS Department is continuing to make desirable impact on the Organization. Majority of the HR Functions are now on the HRMS Application and the modules like Attendance Management, Pay Roll Administration and Provident Fund, Employee Loans, various Reimbursements, Class I Officer's APAR etc. are in complete use, facilitating effective and automated HR Administration

HRMS Department has been able to develop and strengthen many of the HR functions. This has brought in economy of efforts, accuracy and cost effectiveness and reduced paper work in the process besides being verifiable centrally. The major modules rolled out this year are the Internal & External Training Modules, Vehicle expenses, Seniority and Manpower Planning besides the implementation of various Internal Circulars regarding Employee benefits. The last set of Module's viz. Roster, Promotion, and RTC Training are under various stages of Development and UAT.

The Department has a framework to quantify, categorize and report HR information to accurately measure human capital costs and optimize talent performance.



उपरोक्त के अलावा, एचआरएमएस पहले से ही मानव कार्यबल के संबंध में प्रबंधन की जानकारी की आवश्यकता को पूरा कर रहा है और एचआरएमएस के सभी मॉड्यूल लागू होने के बाद यह और भी अधिक गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करने में सक्षम होगा। अपडेट किए गए HRMS डेटा बेस के साथ, कंपनी सभी हितधारकों को बहुत समय पर और किरफायती तरीके से विविध और सटीक एचआर संबंधित जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। इसके पास पारदर्शिता भी होगी और यह विभिन्न मानव संसाधन गतिविधियों और प्रक्रियाओं को तेज करेगा। यह मानव संसाधनों से संबंधित कॉर्पोरेट निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन डेटा को सरल बनाकर प्रबंधन के हाथों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में विकसित हुआ है।

निवेश विभाग

वित्तीय वर्ष 2018-19 में; भारतीय अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी तक पहुँच गई है; और अब 2025-26 तक यूएसडी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। 2018-19 में एनएसई के निपटी (14.9%) की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर रिटर्न देने के साथ बीएसई के सेंसेक्स (17.3%) के साथ भारतीय बाजार के बेंचमार्क सूचकांकों ने पिछले वित्त वर्ष में अपने प्रदर्शन में सुधार किया। कई वैश्विक और घरेलू विपरीत परिस्थितियों के बावजूद; इंडियन कैपिटल मार्केट ने कई प्रमुख वैश्विक बाजारों को पछाड़ दिया, जिनमें यूएस और यूके जैसे विकसित देशों के साथ-साथ चीन और ब्राजील जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। 2018-19 में यूएस (7.6%), यूके (3.2%), चीन (-2.5%), ब्राजील (11.8%), जापान (माइनस 1.2%), दक्षिण कोरिया (माइनस 12.5%) और हांगकांग में (माइनस 3.5%) इक्विटी मार्केट रिटर्न दर्ज किया गया। बेंचमार्क सूचकांकों के सकारात्मक प्रदर्शन और बाजार से बढ़ते फंड के साथ, भारत में पूंजी बाजार का आकार 2018-19 के दौरान भी जारी रहा, बाजार पूंजीकरण 6 प्रतिशत बढ़कर 151 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

इक्विटी मार्केट की रैली का लाभ उठाते हुए, कंपनी ने 2007.57 करोड़ रुपये (स्यूचुअल फंडों को भुनाने के लिए आय सहित) की तुलना में वर्ष के दौरान बिक्री (स्यूचुअल फंड के उन्मोक्त सहित आय) से 2002.33 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने में सक्षम थी। पिछले वर्ष में; इस तरह वित्त वर्ष

Besides the above, the HRMS has already been catering to the need of information of the management in respect of human workforce and it would be able to provide even more quality information once all the Modules of HRMS are implemented. With the updated HRMS data base, the Company is able to provide diversified and accurate HR related information to all stakeholders in a very timely and economical fashion. It has and will also furthermore strengthen the transparency and hasten the various HR activities and processes. This has developed into a very important tool in the hands of Management by simplifying the HR data for effective implementation of corporate decisions concerning the human resources.

Investment Department

In the Financial Year 2018-19; Indian economy has reached a GDP of US\$ 2.7 trillion; and is now aiming to become a US\$ 5 trillion economy by 2025-26. The Indian market benchmark indices also improved on their own performance in the previous fiscal, with the BSE's Sensex (17.3%) giving relatively better returns than the NSE's Nifty (14.9%) in 2018-19. Despite numerous global and domestic headwinds; Indian Capital Market outperformed several major global markets, including the developed ones like the US and the UK as well as developing economies such as China and Brazil. The equity market returns recorded in the US (7.6%), the UK (3.2%), China (minus 2.5%), Brazil (11.8%), Japan (minus 1.2%), South Korea (minus 12.5%) and Hong Kong (minus 3.5%) in 2018-19. With positive performance by benchmark indices and increasing fund raising from the market, the size of the capital market in India also continued to expand during 2018-19, with the market capitalization rising by over 6 per cent to over Rs.151 lakh crore.

Taking advantage of the Equity market rally, the Company was able to make a profit of Rs.2002.33 crores from Sale of Investments (including income from redemption of Mutual Funds) during the year as against Rs.2007.57 crores (including income from redemption



2017-18 में 13.93% के मुकाबले 11.87% की वार्षिक पैदावार हुई। बहरहाल, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने 524.25 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीद की।

2017-18 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2018-19 की दूसरी तिमाही में 19.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.9%) बढ़कर 2017-18 के Q2 में यूएसडी 6.9 बिलियन (जीडीपी का 1.1%) और यूएसडी 15.9 बिलियन (पूर्ववर्ती तिमाही में जीडीपी का 2.4%)। अप्रैल-सितंबर 2018 के दौरान भारत का कुल राजकोषीय घाटा रु. 6.0 ट्रिलियन (यूएसडी 84 बिलियन) रहा जो कि बजट अनुमान का 95.3% था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए घाटे से 4% अधिक था, जो कि बजट का 91.3% आकलन था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रहा है, जिसमें 2019 विश्व बैंक के डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स में 77 रैंक हासिल करने के लिए भारत 23 स्थान की छलांग लगा रहा है। भारत लगातार दूसरे वर्ष में, व्यापार करने के क्षेत्रों में शीर्ष दस बेहतर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एफपीआई ने इक्विटीज से 1,629 करोड़ रुपये और बांड बाजार से 42,951 करोड़ रुपये की कुल राशि निकाली, जिसमें कुल शुद्ध निकासी 44,580 करोड़ रुपये रही; पूरे वर्ष मैक्रोइकॉनॉमिक हेडविंड रूप में निवेशक की विचारों पर मूल्यांकन किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में बढ़ोतरी, रुपये में गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, चालू खाते की कमी, राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटे के लक्ष्य को लेकर चिंता, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के साथ मिलकर उभरते बाजारों में मूड को खराब कर दिया। संकटों में जोड़ना; भारत की सबसे बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आईएलएंडएफएस लि. और इसकी समूह कंपनियां; उच्चतम स्तर पर रेटेड; अपने कर्ज पर चूक गया। यह लगभग सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट फंड्स और कॉरपोरेट ट्रेजरी के बेंचमार्क इंडेक्स और बैलेंस शीट पर IL&FS और इसके ग्रुप कंपनियों के लिए जोखिम का प्रभाव था।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विकास की गति में मंदी के बावजूद और सितंबर 2018 के बाद से कुछ नकारात्मक घटनाओं के कारण, विशेषकर निश्चित आय वाले प्रतिभूतियों के

of Mutual Funds) in previous year; thereby effecting an annualized yield of 11.87% as against 13.93% in FY 2017-18. Nonetheless, during FY 2018-19 the Company did value buying of Rs.524.25 crores of stocks.

India's Current Account Deficit (CAD) increased to US\$ 19.1 billion (2.9% of GDP) in Q2 of 2018-19 as compared to US\$ 6.9 billion (1.1% of GDP) in Q2 of 2017-18 and US\$ 15.9 billion (2.4% of GDP) in the preceding quarter. India's total fiscal deficit stood at Rs.6.0 trillion (US\$ 84 billion) during April-September 2018 which was 95.3% of the budget estimate i.e. 4% higher than the deficit during the same period, last year which stood at 91.3% of the budget estimate. India's performance in Ease of Doing Business has been remarkable over the last few years, with India jumping 23 places to occupy the 77 rank in the 2019 World Bank's Doing Business Indicators. India was also one of the top ten improved economies in the areas of doing business, for a second consecutive year.

During Financial Year 2018-19, FPIs pulled out a net sum of Rs.1,629 crore from equities and Rs.42,951 crore from the bonds market, taking the total net outflow to Rs.44,580 crore; as macroeconomic headwinds weighed on investor sentiment throughout the year. Hike in rates by the US Federal Reserve, depreciating Rupee, rise in crude oil prices, worsening Current Account Deficit, concerns over fiscal deficit and current account deficit target, coupled with trade war between the US and China dampened the mood in emerging markets. Adding to woes; India's largest Infrastructure Company IL&FS Limited and its group companies; rated at the highest level; defaulted on its debt. This had a cascading effect on the Benchmark Indices and Balance Sheet of almost all Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Retirement Funds and Corporate Treasuries for having their exposure to IL&FS and its Group Companies.

Despite a slowdown in the pace of growth amidst global uncertainties and subdued sentiments post certain negative developments since September



मोर्चे पर, आपकी कंपनी पूरे बोर्ड में उच्च ऋण गुणवत्ता वाले विभागों को बनाए रखने में सफल रही। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने ब्याज और लाभांश लाभांश से 1244.76 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जबकि पिछले वर्ष में यह 1247.79 करोड़ रुपये थी। लिक्विड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में निवेश से वित्त वर्ष 2018-19 (पिछले वर्ष 47.62 करोड़ रुपये) के दौरान रु. 66.18 करोड़ का लाभ हुआ। बीते साल (2018-19) में मार्केट वैल्यू पर हमारा इन्वेस्टमेंट एसेट बेस 26,150.93 करोड़ रुपए (पिछले साल 23,826.00 करोड़ रुपए) था। 31.03.2019 को कुल निवेश परिसंपत्तियों का बुक वैल्यू 18,565.27 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 15,168.63 करोड़ रुपये) था, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 3,396.64 करोड़ रुपये का शुद्ध अभिवृद्धि हुई।

इस साल म्यूचुअल फंड्स के लिए श्रेणियों का पूरा ओवरहाल भी देखा गया। एक जनादेश के अनुसार, म्यूचुअल फंड हाउस केवल 10 प्रकार के इक्विटी फंड, 16 बॉन्ड फंड और 6 श्रेणियां हाइब्रिड फंड स्कीम की पेशकश कर सकते हैं। इस पुनर्वितरण ने यह सुनिश्चित किया कि फंड हाउस अपनी योजनाओं का नाम बदलें और पुनः काम करें और अपने निवेशक के पैसे को पुनः प्राप्त करें, जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी बाजारों में अल्पकालिक उथल-पुथल हुई। इसके अलावा, भारत में म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 11.4 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 24 लाख करोड़ रुपये और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के एसेट अंडर कस्टडी में 8.6 प्रतिशत का विस्तार होकर यह 30 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया। यह इस तथ्य के बावजूद है कि 2018-19 वैश्विक और घरेलू विपरीत परिस्थितियों के कारण अपेक्षाकृत कठिन और चुनौतीपूर्ण वर्ष था।

इस वर्ष भी बहुप्रतीक्षित आरईआईटी (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) ने भारत में आखिरकार उड़ान भरी। मार्च 2019 में, पहला REIT सार्वजनिक प्रस्ताव आया और इसने लगभग 4,750 करोड़ रुपये की इकाइयों सूचीबद्ध की। इस मुद्दे को संस्थागत श्रेणी में दो गुणा और खुदरा श्रेणी में तीन गुणा से अधिक की ओवरस्क्रिप्शन के साथ प्राप्त किया गया था। संपत्ति के क्षेत्र के मामले में यह एशिया में सबसे बड़ा सूचीबद्ध आरईआईटी है। केंद्र सरकार ने सेबी के साथ पंजीकृत REITs को निकासी कर की स्थिति भी प्रदान की है।

2018, particularly on the fixed-income securities front, Your Company managed to maintain high credit quality portfolios across the board. During the fiscal 2018-19, your Company achieved an Income from Interest & Dividend amounting to Rs.1244.76 crores as against Rs.1247.79 crores in previous year. The investment in Liquid Mutual Fund Portfolio yielded a profit of Rs.66.18 crores during FY 2018-19 (previous year Rs.47.62 crores). In the bygone year (2018-19) our Investment Asset base at Market Value was Rs.26,150.93 crores (previous year Rs.23,826.00 crores). The Book Value of Total Investment Assets as on 31.03.2019 was at Rs.18,565.27 crores (previous year Rs.15,168.63 crores), resulting in a net accretion of Rs.3,396.64 crores during FY 2018-19.

The year also saw a complete overhaul of categories for mutual funds. As per a mandate, Mutual Funds House could offer only 10 types of equity funds, 16 bond funds and 6 categories of hybrid fund schemes. This reclassification ensured that fund houses rename and rework their schemes and reallocate their investor money as well, which resulted in a short-term turmoil in the equity markets. Besides, Mutual Fund's Asset Under Management (AUM), in India, grew by 11.4 per cent to nearly Rs. 24 lakh crore and Foreign Portfolio Investors' Asset Under Custody expanded by 8.6 per cent to close to Rs.30 lakh crore. This is despite the fact that 2018-19 was relatively a difficult and challenging year on account of global and domestic headwinds.

The year also saw the much-awaited REIT (Real Estate Investment Trust) finally taking off in India. In March 2019, the first REIT public offer came and it listed units worth about Rs.4,750 crore. The issue was well received with oversubscription of two times in institutional category and upwards of three times in retail category. This is the largest listed REIT in Asia in terms of area of assets. The Central Government has also provided pass-through tax status to REITs registered with SEBI.



वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने जोखिम मुक्त रिटर्न अर्जित करने और सामाजिक क्षेत्र/राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान करने के लिए सामाजिक रूप से उन्मुख योजनाओं (केंद्र सरकार के प्रतिभूति, राज्य सरकार के ऋण) के लिए निवेश बढ़ा दिया।

पुनर्बीमा विभाग

पुनर्बीमा एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा कंपनी अपने जोखिमों को कम करने और प्रबंधित करने में सक्षम है, बैलेंस शीट के समग्र संरक्षण के अलावा विशाल जोखिमों को स्वीकार करने की क्षमता को बढ़ाती है। बड़े और जटिल जोखिमों को कम करने के लिए कंपनी की क्षमता उस क्षमता पर निर्भर करती है, जो पुनर्बीमा सहायता के माध्यम से प्राप्त करने में कामयाब रही है। कंपनी को अधिक से अधिक स्वचालित क्षमता से लैस करने पर जोर दिया जाता है ताकि विपणन टीम चुनौतियों का सामना करने और विकास को बनाए रखने की स्थिति में हो। हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम हमारे अपने देश और विदेशों में तेजी से बढ़ रहे व्यापार के अवसरों का सबसे अच्छा उपयोग करने का प्रयास करते हैं।

हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम आउटगो पर अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करना और आनुपातिक और गैर-आनुपातिक संधियों के उचित मिश्रण के माध्यम से स्वचालित पुनर्बीमा सुविधा प्रदान करना है। जबकि आनुपातिक संधियाँ जोखिमों को संभालने के लिए स्वचालित क्षमता प्रदान करती हैं, जो कंपनी की अपनी निवल प्रतिधारण से परे होती हैं, जिससे पूंजी पर दबाव डाले बिना ऐसे जोखिमों को सक्षम किया जा सकता है, कंपनी के विशुद्ध प्रतिधारण पर एक्सपोजर की एकाग्रता के जोखिम को इस प्रकार नुकसान की सुरक्षा के उपयोग से कम किया जाता है कि प्रमुख घटनाओं के प्रभाव से बैलेंस शीट की रक्षा की जा सके।

2018-19 में अगस्त 2018 में केरल बाढ़ की भयावह हानि घटना के कारण भारतीय बीमा बाजार प्रभावित हुआ। इसके अलावा, संपत्ति के साथ-साथ व्यापार की समुद्री रेखाओं में भी कुछ जोखिम हानि हुई। ये दावे हमारी विभिन्न हानि संधियों के तहत वसूली योग्य हैं, जिससे हमारी बैलेंस शीट पर प्रभाव कम हो जाता है

During the year 2018-19, the Company increased exposure to Socially Oriented Schemes (Central Government Securities, State Government Loans) substantially to earn Risk Free Returns and contribute towards Social Sector / Nation Building.

Reinsurance Department

Reinsurance serves as an important Risk Management tool whereby the Company is able to underwrite and manage its risks, enhance its capacity to accept huge risks besides the overall protection of Balance Sheet. The Company's ability to underwrite large and complicated risks depends upon the capacity it has managed to garner by way of Reinsurance support. The emphasis remains on equipping the Company with as much automatic capacity as is possible so that the marketing team is in a position to meet the challenges and sustain growth. Our Reinsurance Programme strives to make best use of the rapidly expanding business opportunities in our own country and overseas.

The aim of our Reinsurance Programme is to ensure maximum protection at minimum outgo and to provide automatic reinsurance facility through a proper mix of Proportional and Non-Proportional Treaties. While the Proportional Treaties provide automatic capacity to handle risks which are beyond Company's own Net Retention thereby enabling such risks to be undertaken without putting strain on the Capital, the risk of concentration of Exposures on Company's Net Retention is mitigated by using Excess of Loss Protection thus protecting the balance sheet from impact of major events .

In 2018-19, the Indian Insurance market was affected due to Catastrophic loss event of Kerala Floods in August 2018. Further, there were a few risk losses in Property as well as Marine lines of business. These claims are recoverable under our various excess of loss treaties thereby mitigating the impact on our balance sheet



भारतीय बाजारों में निरंतर नुकसान के मद्देनजर सख्त संधियों को लागू करने के लिए बढ़ते हुए तनाव पर विशेष रूप से आनुपातिक संधियों और पुनर्बीमाओं के बढ़ते तनाव के बावजूद, आगामी संधि की सीमाएं आगामी वर्ष 2019-2020 के लिए जारी रहीं, इस प्रकार व्यापार की सभी स्वचालित क्षमताओं को संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा, व्यवसाय के विविध वर्ग की कुछ लाभदायक लाइनों में अतिरिक्त क्षमताएँ बनाई गई हैं। कृषि / फसल कोटे की हिस्सेदारी और स्टॉप लॉस पुनर्बीमा संधियों को सफलतापूर्वक हमारे फसल बीमा संचालन के लिए क्षमता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा गया है, इस प्रकार यह व्यवसाय के बढ़ते वर्ग में क्षमता को गति देने के लिए विभाग को प्रोत्साहन प्रदान करता है। हमने अपने मौजूदा एक्सपोजर के लिए भयंकर आपदा के मॉडलिंग परिणामों को देखते हुए नॉन मरीन कैट एक्स्ट्रा लार्ज की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त 190 करोड़ रुपये की सुरक्षा बढ़ा दी है। व्यवसाय की अन्य पंक्तियों के लिए, सीमाएं समाप्त हो रही हैं।

इस प्रकार, 2019-20 के लिए ओरिएंटल के पुनर्बीमा कार्यक्रम, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो के साथ-साथ बैलेंस शीट सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत आवश्यक स्वचालित क्षमता प्रदान करना जारी रखता है।

जीआईसी आरई ने हाल ही में भारतीय बाजार में बीमा की संपत्ति वर्गों के प्रदर्शन पर तनाव को देखते हुए व्यापार की कुछ संपत्ति लाइनों के प्रदर्शन में सुधार को प्रभावित करने के उद्देश्य से अंडरराइटिंग और न्यूनतम दरों को निर्धारित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों से संपत्ति पोर्टफोलियो विशेष रूप से जोखिम वाले मध्यम वर्गों के परिणामों में पर्याप्त सुधार लाने की उम्मीद है। इन उपायों से हमारे पोर्टफोलियो के प्रदर्शन में सुधार होने की भी उम्मीद है।

In spite of the increasing stress on placement of Treaties, particularly the Proportional treaties and propensity of reinsurers to introduce stricter measures in view of continued losses in Indian Markets, the expiring treaty limits have continued for the ensuing year 2019-2020 thus preserving the automatic capacities for all lines of business. Further, additional capacities have been created in a few profitable lines of miscellaneous class of business. The agriculture/crop quota share and stop loss reinsurance treaties have also been successfully placed to provide capacity and protection for our Crop insurance operations, thus providing impetus to the department to exploit the potential in this growing class of business. We have increased the protection for Non Marine Cat XL by additional Rs. 190 crores in view of the catastrophe modelling results for our current exposures. For other lines of business, the limits are as expiring.

Thus, Oriental's Reinsurance Programme for 2019-20, continues to provide the much needed automatic capacity in line with the requirements of individual portfolios as well as balance sheet protection.

GIC Re has recently taken various measures in underwriting and prescribing minimum rates aimed at affecting improvements in the performance of some property lines of business, in view of the stress on performance of property classes of Insurance in the Indian market. These measures are expected to bring substantial improvement in the results of the property portfolio especially the medium classes of risk. These measures are also expected to improve our portfolio performance.



रश्मि बाजपेयी

कंपनी सचिव

RASMI BAJPAI

COMPANY SECRETARY

निगमित अभिशासन

1. शासन के कोड पर कंपनी का ज्ञान

हम 'ओरिएंटल' का मानना है कि अच्छी निगमित अभिशासन प्रणाली कंपनी के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अच्छी घटक है जो न केवल शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करेगा, बल्कि संगठन के निरंतर और लंबे समय तक चलने वाले विकास भी होगा। निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने में नैतिक मूल्यों और उच्च नैतिक मानकों में विश्वास करता है।

कंपनी ने आईआरडीएआई द्वारा जारी परिपत्र सं. आईआरडीएआई / F&A / GDL / CG / 100 / 05 / 2016 दिनांक 18 मई 2016 को जारी कॉर्पोरेट दिशानिर्देशों पर संशोधित दिशानिर्देश अपनाया है।

कंपनी न केवल निगमित अभिशासन की वैधानिक

CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance

We at "Oriental" believe that good Corporate Governance practices are the best ingredients for all round development of the Company which would not only maximize the shareholders value but would also have sustained and long lasting development of the organization. The Board of Directors believes in ethical values and high moral standards in achieving the highest standards of Corporate Governance.

The Company has adopted Revised Guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016 dated 18th May, 2016.

The Company not only complies with statutory requirements of Corporate Governance but shall



आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, बल्कि अपने हितधारकों यानी शेयरहोल्डर्स, ग्राहकों, सरकार और जनता के हितों की सेवा के लिए स्वेच्छा से कॉर्पोरेट गवर्नंस की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने की भी पूरी कोशिश करती है।

कंपनी ने अपने स्वयं के अनुपालन मैनुअल को तैयार किया और अद्यतन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों का समय-समय पर अनुपालन किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए बोर्ड और जनरल मीटिंग्स के लिए संशोधित सचिवीय मानकों के सभी प्रावधानों का भी अनुपालन किया जा रहा है।

आईआरडीएआई (पूंजी के अन्य प्रकार) विनियमों, 2015 के अनुसार NCDs जारी करने के लिए आईआरडीएआई अनुमोदन प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, कंपनी ने रुपये की नियत, असुरक्षित, अधीनस्थ, पूरी तरह से भुगतान-सूची, छुटकारे योग्य और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर निजी प्लेसमेंट के आधार पर 5 वर्षों के बाद कॉल विकल्प के साथ 10 वर्षों के कार्यकाल के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 10,00,000 प्रत्येक कुल 750.00 करोड़ रुपये (NCD) जारी किए थे।

कंपनी ने इन एसीडी के लिए CRISIL (AAA / Stable) और ICRA (AAA with Negative Outlook) द्वारा रेट किया गया है। NCDs को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) में सूचीबद्ध किया गया है। SBICAP ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। एनसीडी को विमुद्रीकृत रूप में रखा जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 और इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) में भर्ती कराया जाता है।

आवंटन की वापसी फॉर्म पीएस-3 में 18.03.2019 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ दायर किया गया। 18.03.2019 को आवंटन के परिणामस्वरूप, एनसीडी को 18 मार्च, 2019 को NSDL द्वारा लाभार्थियों के डीमैट खातों

also earnestly attempts to follow voluntarily the best practices of Corporate Governance in order to serve the interests of its stakeholders i.e. Shareholders, Customers, Government and Public at large, in best possible manner.

The Company had prepared and updated its own compliance manual to ensure that all the applicable provisions of Companies Act, 2013 as amended from time to time are complied with. All the provisions of Revised Secretarial Standards for Board & General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India are also being complied with.

Consequent to receiving IRDAI approval for issuance of NCDs in accordance with IRDAI (other forms of capital) Regulations, 2015, the Company had issued Rated, Unsecured, Subordinated, Fully Paid-up, Listed, Redeemable and Non-Convertible Debentures (NCD) of Rs. 10,00,000 each aggregating Rs. 750.00 Crores during the year under review for a tenure of 10 years with call option exercisable after 5 years, on private placement basis.

The Company has been rated by CRISIL (AAA/ Stable) and ICRA (AAA with Negative Outlook) for these NCDs. The NCDs have been listed on National Stock Exchange of India Limited (NSE). SBICAP Trustee Company Limited has been appointed as Debenture Trustee. The NCDs are held in dematerialized form and admitted at National Security Depositories Limited (NSDL) & Central Depository Services Limited (CDSL) as per applicable provisions of Companies Act, 2013 and Regulations issued by Securities & Exchange Board of India in this regard.

Return of Allotment in Form PAS-3 was filed on 18.03.2019 with Ministry of Corporate Affairs. Consequent to allotment on 18.03.2019, the NCDs have been credited to the Demat accounts of the Beneficiaries by NSDL on 18th March, 2019.



में जमा किया गया है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) पर NCD की लिस्टिंग के लिए, कंपनी ने अपने अनुपालन मैनुअल को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया है कि SEBI के सभी लागू प्रावधान (लिस्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, NSE (स्टॉक एक्सचेंज) और SBBAP (डिबेंचर) ट्रस्टी) और अन्य नियामक अधिकारियों के साथ अनुपालन किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षा मेसर्स नीलम गुप्ता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा संचालित किया गया था। उनकी रिपोर्ट आत्म-व्याख्यात्मक है और बोर्ड की रिपोर्ट में संलग्न है।

2. निदेशक मंडल

कंपनी की 100% भुगतान की गई शेयर पूंजी केंद्र सरकार के पास होती है और कंपनी के बोर्ड में निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में, बोर्ड में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और छह निदेशक शामिल हैं।

2.1 निदेशकों का विवरण

निदेशकों के विवरण को संलग्न किया गया है:

3. बोर्ड और समिति की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल/बोर्ड समिति की बैठकें नीचे विस्तृत रूप में आयोजित की गईं:

बोर्ड बैठक		
17.05.2018		
30.07.2018		
21.08.2018		
19.11.2018		
14.02.2019		
26.02.2019		
लेखा परीक्षा समिति	निवेश समिति	सीएसआर समिति
17.05.2018	17.05.2018	17.05.2018
30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018

Further to listing of NCDs on the National Stock Exchange of India Limited (NSE), the Company has prepared its compliance manual to ensure that all applicable provisions of SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NSE (Stock Exchange) and SBICAP (Debenture trustee) and other Regulatory authorities are complied with.

In accordance with section 203 of the Companies Act, 2013, the Secretarial Audit of the Company for the FY 2018-19 was conducted by M/s. Neelam Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries. Their report is self-explanatory and annexed to the Board's report.

2. Board of Directors

The 100% paid-up share capital of the Company is held by the Central Government and the Directors on the Board of the Company are appointed by the Central Government. Presently, the Board comprises of the Chairman-cum-Managing Director and six Directors.

2.1 Particulars of Directors

The particulars of Directors are annexed:

3. Board and Committee Meetings

During the year under review, the Meetings of the Board of Directors / Committee of the Board were held as detailed below:

BOARD MEETING		
17.05.2018		
30.07.2018		
21.08.2018		
19.11.2018		
14.02.2019		
26.02.2019		
AUDIT COMMITTEE	INVESTMENT COMMITTEE	CSR COMMITTEE
17.05.2018	17.05.2018	17.05.2018
30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018
21.08.2018	21.08.2018	



21.08.2018	21.08.2018	
19.11.2018	19.11.2018	19.11.2018
14.02.2019	14.02.2019	14.02.2019
26.02.2019		
जोखिम प्रबंधन समिति	पॉलिसीधारकों का संरक्षण समिति	संपत्ति समीक्षा समिति
17.05.2018	17.05.2018	17.05.2018
30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018
	05.11.2018	05.11.2018
19.11.2018		
	13.02.2019	13.02.2019
14.02.2019		
आईटी कमेटी	पारिश्रमिका समिति	अपील और मेमोरियल कमेटी
17.05.2018		
30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018
21.08.2018		
05.11.2018		
		19.11.2018
13.02.2019		
		14.02.2019
		26.02.2019

19.11.2018	19.11.2018	19.11.2018
14.02.2019	14.02.2019	14.02.2019
26.02.2019		
RISK MANAGEMENT COMMITTEE	POLICYHOLDERS' PROTECTION COMMITTEE	PROPERTY REVIEW COMMITTEE
17.05.2018	17.05.2018	17.05.2018
30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018
	05.11.2018	05.11.2018
19.11.2018		
	13.02.2019	13.02.2019
14.02.2019		
IT COMMITTEE	REMUNERATION COMMITTEE	APPEAL & MEMORIAL COMMITTEE
17.05.2018		
30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018
21.08.2018		
05.11.2018		
		19.11.2018
13.02.2019		
		14.02.2019
		26.02.2019

4. निदेशकों की समितियां (31.3.2019 को)

4.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च, 2019 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व-आधिकारिक निदेशक
2. श्री असीम चावला, गैर-आधिकारिक निदेशक
3. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, सरकार के नामित निदेशक,
4. श्री पी. नायक, गैर-आधिकारिक निदेशक, और
5. श्री बलवंत सिंह, पूर्णकालिक निदेशक और महाप्रबंधक

श्री मुकेश कुमार जैन समिति के अध्यक्ष हैं और श्री असीम चावला समिति के वैकल्पिक अध्यक्ष हैं।

लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अनुपालन, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली

4. Committees of Directors (as on 31.3.2019)

4.1 Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board as on 31st March, 2019 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri Mukesh Kumar Jain, Ex-Official Director,
2. Shri Aseem Chawla, Non-Official Director
3. Dr. N. Srinivasa Rao, Government Nominee Director,
4. Shri P. Nayak, Non-Official Director, and
5. Shri Balwant Singh, Whole-time Director & General Manager

Shri Mukesh Kumar Jain is the Chairman of the Committee and Shri Aseem Chawla is the Alternate Chairman of the Committee.

The functions of Audit Committee includes review of quarterly, half yearly and annual financial statements, compliance of internal control systems,



प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और ऐसे अतिरिक्त कार्य जो समय-समय पर कंपनी के अधिनियम के तहत सौंपे जा सकते हैं।

4.2 बोर्ड की निवेश समिति

31 मार्च, 2019 को बोर्ड की निवेश समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

1. श्री ए. वी. गिरिजाकुमार, सीएमडी,
2. श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व-आधिकारिक निदेशक,
3. श्री पी. नायक, गैर-आधिकारिक निदेशक,
4. श्री असीम चावला, गैर-आधिकारिक निदेशक
5. श्री दिनेश वाघेला, पूर्णकालिक निदेशक और महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य जोखिम अधिकारी
6. श्री बलवंत सिंह, पूरे समय के निदेशक और महाप्रबंधक
7. श्री नवनीत डोडा, महाप्रबंधक (निवेश परिचालन)
8. श्री साकेत सिंघल, नियुक्त एक्ट्रिसेज़

श्री ए. वी. गिरिजाकुमार समिति के अध्यक्ष हैं।

निवेश समिति के मुख्य कार्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति को लागू करना और समय-समय पर निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देना है।

4.3 बोर्ड की अपील और स्मारक समिति

बोर्ड की अपील और स्मारक समिति 31 मार्च, 2019 तक सदस्यों के रूप में निम्नलिखित निदेशकों से मिलकर बनी:

1. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, सरकार के नामित निदेशक,
2. श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व-आधिकारिक निदेशक,
3. सुश्री मुदिता मिश्रा, सरकार नामित निदेशक, और
4. श्री पी. नायक, गैर-आधिकारिक निदेशक

review of systems and procedures followed by the Company and such additional functions as may be assigned under the Company's Act from time to time.

4.2 Investment Committee of the Board

The Investment Committee of the Board as on 31st March, 2019 consisted of following as its Members:

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Shri Mukesh Kumar Jain, Ex-Official Director,
3. Shri P. Nayak, Non-Official Director,
4. Shri Aseem Chawla, Non-Official Director
5. Shri Dinesh Waghela, Whole-time Director & General Manager, Chief Financial Officer & Chief Risk Officer
6. Shri Balwant Singh, Whole-time Director & General Manager
7. Shri Navneet Doda, General Manager (Investment Operations)
8. Shri Saket Singhal, Appointed Actuary

Shri A. V. Girijakumar is the Chairman of the Committee.

The main functions of the Investment Committee are to implement the Investment Policy as approved by the Board and clear the Investment proposal from time to time.

4.3 Appeal and Memorial Committee of the Board

The Appeal & Memorial Committee of the Board as on 31st March, 2019 consisted of the following Directors as Members:

1. Dr. N. Srinivasa Rao, Government Nominee Director
2. Shri Mukesh Kumar Jain, Ex-Official Director,
3. Ms. Mudita Mishra, Government Nominee Director, and
4. Shri P. Nayak, Non-Official Director



डॉ. एन. श्रीनिवास राव समिति के अध्यक्ष हैं।

बोर्ड की उप-समिति को कर्मचारियों/मामलों की कुछ श्रेणियों के लिए अपीलीय प्राधिकरण और स्मारक के लिए प्राधिकरण के रूप में निर्धारित किया गया है। उप-समिति का गठन सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 के संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था, जिसे 23.12.2004 को आयोजित 351 वीं बोर्ड बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था। सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 को अब ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 2014 को 24/04/2014 को आयोजित 419 वीं बोर्ड बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया।

4.4 बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

31 मार्च, 2019 को बोर्ड की पारिश्रमिक समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, सरकार के नामित निदेशक,
2. श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व-आधिकारिक निदेशक,
3. सुश्री मुदिता मिश्रा, सरकार नामित निदेशक
4. श्री पी. नायक, गैर-सरकारी निदेशक, और
5. श्री असीम चावला, गैर-सरकारी निदेशक

डॉ. एन. श्रीनिवास राव समिति के अध्यक्ष हैं।

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्देशित, रेफरी पत्र रेफरी द्वारा निर्देशित प्रदर्शन लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) के भुगतान के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। एफ नं.-11012/01/2007-Ins-III दिनांक 20 जुलाई, 2007।

4.5 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 31 मार्च, 2019 को निम्नलिखित निदेशकों को सदस्यों के रूप में शामिल करती है:

Dr. N. Srinivasa Rao is the Chairman of the Committee.

The sub-committee of the Board has been prescribed as the Appellate Authority and the Authority for Memorial for certain categories of employees / cases. The Sub-committee was constituted consequent upon the amendment of General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 which was duly approved in the 351st Board Meeting held on 23.12.2004. The General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 is now replaced with The Oriental Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014 duly approved in the 419th Board Meeting held on 24/04/2014.

4.4 Remuneration Committee of the Board

The Remuneration Committee of the Board as on 31st March, 2019 consisted of the following Directors as Members:

1. Dr. N. Srinivasa Rao, Government Nominee Director,
2. Shri Mukesh Kumar Jain, Ex-Official Director,
3. Ms. Mudita Mishra, Government Nominee Director
4. Shri P. Nayak, Non-Official Director, and
5. Shri Aseem Chawla, Non-Official Director

Dr. N. Srinivasa Rao is the Chairman of the Committee.

The Remuneration Committee was constituted to evaluate performance of the Chairman-cum-Managing Director, for payment of Performance Linked Incentive (PLI) as directed by The Department of Financial Services, Ministry of Finance, vide letter Ref. No. F.No.S-11012/01/2007-Ins.III dated 20th July, 2007.

4.5 Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee of the Board as on 31st March, 2019 consisted of the following Directors as Members:



1. श्री ए. वी. गिरिजाकुमार, सीएमडी,
2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, सरकार के नामित निदेशक,
3. श्री असीम चावला, गैर-अधिकारिक निदेशक,
4. श्री दिनेश वाघेला, पूर्णकालिक निदेशक और महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य जोखिम अधिकारी
5. श्री बलवंत सिंह, पूर्णकालिक निदेशक और महाप्रबंधक

श्री ए. वी. गिरिजाकुमार समिति के अध्यक्ष हैं।

आईआरडीएआई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन उसके परिपत्र सं. IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 दिनांक 5 अगस्त, 2009 को किया गया।

4.6 बोर्ड की पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति

31 मार्च, 2019 तक बोर्ड की पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. श्री ए. वी. गिरिजाकुमार, सीएमडी,
2. श्री पी. नायक, गैर-अधिकारिक निदेशक, और
3. श्री असीम चावला, गैर-अधिकारिक निदेशक
4. श्री दिनेश वाघेला, पूर्णकालिक निदेशक और महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य जोखिम अधिकारी
5. श्री बलवंत सिंह, पूरे समय के निदेशक और महाप्रबंधक

श्री पी. नायक समिति के अध्यक्ष हैं।

आईआरडीएआई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुसार पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति गठित की गई थी: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 दिनांक 5 अगस्त, 2009।

4.7 बोर्ड की आईटी समिति

31 मार्च, 2019 को बोर्ड की आईटी समिति में सदस्य के

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Dr. N. Srinivasa Rao, Government Nominee Director,
3. Shri Aseem Chawla, Non-Official Director,
4. Shri Dinesh Waghela, Whole-time Director & General Manager, Chief Financial Officer & Chief Risk Officer
5. Shri Balwant Singh, Whole-time Director & General Manager

Shri A. V. Girijakumar is the Chairman of the Committee.

The Risk Management Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

4.6 Policyholders' Protection Committee of the Board

The Policyholders' Protection Committee of the Board as on 31st March, 2019 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Shri P. Nayak, Non-Official Director, and
3. Shri Aseem Chawla, Non-Official Director
4. Shri Dinesh Waghela, Whole-time Director & General Manager, Chief Financial Officer & Chief Risk Officer
5. Shri Balwant Singh, Whole-time Director & General Manager

Shri P. Nayak is the Chairman of the Committee.

The Policyholders' Protection Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

4.7 IT Committee of the Board

The IT Committee of the Board as on 31st March,



रूप में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. श्री ए. वी. गिरिजाकुमार, सीएमडी
2. श्री असीम चावला, गैर-अधिकारिक निदेशक,
3. श्री दिनेश वाघेला, पूर्णकालिक निदेशक और महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य जोखिम अधिकारी
4. श्री बलवंत सिंह, पूर्णकालिक निदेशक और महाप्रबंधक
5. श्री अनिल श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (आईटी)

श्री ए. वी. गिरिजाकुमार समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति का गठन कंपनी की आईटी पहलों पर अधिक ध्यान देने के लिए किया गया था और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि आईटी पहल व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप है।

4.8 बोर्ड की संपत्ति समीक्षा समिति

बोर्ड की संपत्ति समीक्षा समिति का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया गया था और 31 मार्च, 2019 को निम्नलिखित निदेशकों को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था:

1. श्री ए. वी. गिरिजाकुमार, सीएमडी,
2. श्री पी. नायक, गैर-सरकारी निदेशक
3. श्री दिनेश वाघेला, पूरे समय के निदेशक और महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य जोखिम अधिकारी
4. श्री बलवंत सिंह, पूरे समय के निदेशक और महाप्रबंधक

श्री ए. वी. गिरिजाकुमार समिति के अध्यक्ष हैं।

कमेटी का गठन कंपनी और अन्य एस्टेट से संबंधित मामलों द्वारा रखी गई संपत्तियों के मामलों की समीक्षा करने के लिए किया गया था

2019 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Shri Aseem Chawla, Non-Official Director,
3. Shri Dinesh Waghela, Whole-time Director & General Manager, Chief Financial Officer & Chief Risk Officer
4. Shri Balwant Singh, Whole-time Director & General Manager
5. Shri Anil Srivastava, General Manager (IT)

Shri A. V. Girijakumar is the Chairman of the Committee.

The Committee was constituted to lend more focus to the IT initiatives of the Company and also to ensure that the IT initiatives are in tune with the business objectives.

4.8 Property Review Committee of the Board

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from Ministry of Finance and as on 31st March, 2019 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Shri P. Nayak, Non-Official Director
3. Shri Dinesh Waghela, Whole-time Director & General Manager, Chief Financial Officer & Chief Risk Officer
4. Shri Balwant Singh, Whole-time Director & General Manager

Shri A. V. Girijakumar is the Chairman of the Committee.

The Committee was constituted to review the matters of properties held by the Company and other Estate related Matters



4.9 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 के संदर्भ में किया गया था। जी. एस. आर. 129 (ई) दिनांक 27 फरवरी, 2014 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और 31 मार्च, 2019 को सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशकों को शामिल किया गया:

1. श्री ए. वी. गिरिजाकुमार, सीएमडी,
 2. श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व-आधिकारिक निदेशक
 3. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, सरकार के नामित निदेशक,
 4. सुश्री मुदिता मिश्रा, सरकार नामित निदेशक, और
 5. श्री बलवंत सिंह, पूरे समय के निदेशक और महाप्रबंधक
- श्री ए. वी. गिरिजाकुमार समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति का गठन कंपनी की सीएसआर नीति को मंजूरी देने और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है और कार्यकारी निदेशकों को उनके वेतनमान के अनुसार वेतन/पारिश्रमिक दिया जाता है। अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों को उनके द्वारा भाग लेने वाली बैठकों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैठे हुए शुल्क का भुगतान किया गया था। सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक, बैंक निदेशक (पदेन निदेशक) और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई बैठने की फीस देय नहीं है।

6. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 (1) के अनुसार कंपनियों के नियम 8 (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के साथ पढ़ा गया, मुख्य

4.9 Corporate Social Responsibility Committee

The Corporate Social Responsibility Committee of the Board was constituted in terms of the Section 135 of Companies Act 2013 notified vide Gazette notification no. G. S. R. 129 (E) dated 27th February, 2014 issued by Ministry of Corporate Affairs and as on 31st March, 2019 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Shri Mukesh Kumar Jain, Ex-Official Director
3. Dr. N. Srinivasa Rao, Government Nominee Director,
4. Ms. Mudita Mishra, Government Nominee Director, and
5. Shri Balwant Singh, Whole-time Director & General Manager

Shri A. V. Girijakumar is the Chairman of the Committee.

The Committee was constituted to approve the CSR Policy of the Company and ensure its implementation.

5. Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director is paid salary / remuneration as fixed by the Government of India and the Executive Directors are paid salary / remuneration as per their scale of pay. The Part-time Non-Official directors were paid sitting fee in accordance with guidelines issued by ministry of finance for the Meetings attended by them. No sitting fees is payable to CMD, Whole-time Directors, Bank-Director (Ex-Officio Director) and nominees representing Government of India.

6. Key Managerial Personnel

Pursuant to Section 203(1) of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial personnel) Rule 2014, the details of Key Managerial



प्रबंधकीय कार्मिक का विवरण इस प्रकार है:

1. श्री ए. वी. गिरिजाकुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (31.05.2017 से)
2. श्रीमती रश्मि बाजपेई, कंपनी सचिव (20.08.2007 से)
3. श्री दिनेश वाघेला, पूर्णकालिक निदेशक और महाप्रबंधक (30.07.2018 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किए गए थे)
4. श्री अजय गुप्ता, उप महाप्रबंधक (31.05.2018 तक मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किए गए थे)

7. व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति को IRDAI द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया गया: IRDAI/F&A/GDL/CG/ 100/05/2016 दिनांक 18 मई, 2016 और बोर्ड द्वारा अनुमोदित 13 फरवरी, 2017 को इसकी 434वीं बैठक।

8. संबंधित पार्टी लेनदेन नीति

कंपनी की संबंधित पार्टी लेनदेन नीति को आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके परिपत्र सं. IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016 दिनांकित 18 मई, 2016 को जारी किया गया था और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। 13 फरवरी, 2017 को आयोजित 434 वीं बैठक में।

8. जनरल बॉडी मीटिंग

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली में निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं:

30 जुलाई, 2018

25 सितंबर, 2017

11 अगस्त 2016

Personnel are as follows:

1. Shri A. V. Girijakumar, Chairman-cum-Managing Director (from 31.05.2017)
2. Mrs. Rashmi Bajpai, Company Secretary (from 20.08.2007)
3. Shri Dinesh Waghela, Whole-time Director & General Manager (was designated as Chief Financial Officer from 30.07.2018)
4. Shri Ajay Gupta, Deputy General Manager (was designated as Chief Financial Officer up to 31.05.2018)

7. Whistle Blower Policy

The Whistle Blower Policy of the Company was revised in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016 dated 18th May, 2016 and got approved by the Board in its 434th Meeting held on 13th February, 2017.

8. Related Party Transactions Policy

The Related Party Transactions Policy of the Company was drafted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016 dated 18th May, 2016 and got approved by the Board in its 434th Meeting held on 13th February, 2017.

8. General Body Meeting

The last three Annual General Body Meetings of the Company were held at the Registered Office of the Company, at A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi on the following dates:

30th July, 2018

25th September, 2017

11th August, 2016



कंपनी की अतिरिक्त साधारण बैठक 8 अक्टूबर, 2018 को आयोजित की गई, जिसमें शेयरधारकों ने रुपये 10,00,000 प्रत्येक कुल मिलाकर रु. 750.00 करोड़की नियत, असुरक्षित, अधीनस्थ, पूर्णतः भुगतान-अप, सूचीबद्ध, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) को जारी करने की स्वीकृति दी।

कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाणन

मैं, रश्मि बाजपेयी यह प्रमाणित करती हूँ कि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने समय-समय पर संशोधित बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है और कुछ भी छुपाया या दबाया नहीं गया है।

The Extra-ordinary General meeting of the Company was held on 8th October, 2018, wherein Shareholders gave approval for the issuance of Rated, Unsecured, Subordinated, Fully Paid-up, Listed, Redeemable and Non-Convertible Debentures (NCD) of Rs. 10,00,000 each aggregating Rs. 750.00 Crores.

“Certification for compliance of the Corporate Governance Guidelines”

I, RASHMI BAJPAI hereby certify that The Oriental Insurance Company Limited has complied with the corporate governance guidelines for Insurance Companies as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.



निदेशकों का विवरण (28.05.2019 को)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	योग्यता	निर्देशन की श्रेणी	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में समितियों की सदस्यता	अन्य संस्थाओं में निदेशक पद
1	श्री ए. वी. गिरिजाकुमार	बी. कॉम, एमबीए, एआईआईआई B. Com, MBA, AIII	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	1) निवेश समिति 2) जोखिम प्रबंधन समिति 3) पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति 4) संपत्ति की समीक्षा समिति 5) आईटी समिति 6) सीएसआर समिति	1) हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लि। 2) एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 3) इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर 4) जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि।
2	श्री मुकेश कुमार जैन	बी कॉम (ऑनर्स), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/व्यापार/वाणिज्य सीए में पोस्ट ग्रेजुएशन किया	पदेन निदेशक	1) लेखा परीक्षा समिति 2) निवेश समिति 3) अपील और स्मारक समिति 4) पारिश्रमिक समिति 5) सीएसआर समिति	1) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2) केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि
3	श्री ललित कुमार चंदेल (एमओएफ अधिसूचना के अनुसार निदेशक के रूप 08.05.2019 से नियुक्त)	एमए (ईको), एमबीए	सरकार के नामित निदेशक	1) लेखा परीक्षा समिति 2) निवेश समिति 3) जोखिम प्रबंधन समिति 4) अपील और स्मारक समिति 5) सीएसआर समिति 6) पारिश्रमिक समिति	1) आईसीआईसीआई बैंक 2) इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज
4	सुश्री मुदिता मिश्रा	बीई, एमबीए	सरकार के नामित निदेशक	1) लेखा परीक्षा समिति 2) निवेश समिति 3) अपील और मेमोरियल समिति 4) सीएसआर समिति 5) पारिश्रमिक समिति	1) राष्ट्रीय बीमा अकादमी



क्र. सं.	निदेशक का नाम	योग्यता	निर्देशन की श्रेणी	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में समितियों की सदस्यता	अन्य संस्थाओं में निदेशक पद
5.	श्री पंचानन नायक	बी एससी. (ऑनर्स I), एआईआईआई	गैर आधिकारिक निदेशक	1) लेखा परीक्षा समिति 2) निवेश समिति 3) अपील और स्मारक समिति 4) पारिश्रमिक समिति 5) संपत्ति की समीक्षा समिति 6) पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति	
6.	Shri Aseem Chawla	बी. कॉम (ऑनर्स), एफसीए, एलएलबी., टीईपी	गैर आधिकारिक निदेशक	1) लेखा परीक्षा समिति 2) निवेश समिति 3) पारिश्रमिक समिति 4) आईटी समिति 5) पॉलिसी धारक सुरक्षा समिति 6) जोखिम प्रबंधन समिति	1) एक्सप्लिको कंसल्टिंग प्रा. लिमिटेड 2) एएससी लीगल सॉलिसिटर एंड एडवोकेट्स (प्रोपराइटर)
7.	श्री दिनेश वाघेला (02.06.2018 को निदेशक के रूप में शामिल हुए)	बी. कॉम, एलएलबी. एआईआईआई	पूर्णकालीन निदेशक	1) निवेश समिति 2) आईटी समिति 3) पॉलिसी धारक सुरक्षा समिति 4) जोखिम प्रबंधन समिति 5) संपत्ति की समीक्षा समिति	1) इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
विगत (28.05.2019 को)					
1	डॉ. एन. श्रीनिवास राव (एमओएफ अधिसूचना के अनुसार निदेशक के रूप में 08.05.2019 रहे)	बी.कॉम. एमए (इको), पीएचडी	सरकार के नामित निदेशक	1) लेखा परीक्षा समिति 2) जोखिम प्रबंधन समिति 3) पारिश्रमिक समिति 4) सीएसआर समिति 5) अपील और स्मारक समिति	
2	श्री बलवंत सिंह (02.04.2018 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 30.04.2019 को सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर निदेशक पद से त्याग पत्र)	बी. कॉम (ऑनर्स), एआईआईआई	पूर्णकालीन निदेशक	1) लेखा परीक्षा समिति 2) निवेश समिति 3) सीएसआर समिति 4) आईटी समिति 5) पॉलिसी धारक सुरक्षा समिति 6) जोखिम प्रबंधन समिति 7) संपत्ति की समीक्षा समिति	



PARTICULARS OF DIRECTORS (AS ON 28.05.2019)

S. No.	Name Of The Director	Qualification	Category Of Directorship	Membership of Committees in The Oriental Insurance Company Limited	Directorship in Other Organisations
1	Shri A. V. Girijakumar	B. Com, MBA, AllI	Chairman cum Managing Director	1) Investment Committee 2) Risk Management Committee 3) Policyholders' Protection Committee 4) Property Review Committee 5) IT Committee 6) CSR Committee	1) Health Insurance TPA of India Ltd. 2) Agriculture Insurance Company of India Limited 3) India International Insurance Pte Ltd., Singapore 4) GIC Housing Finance Ltd.
2	Shri Mukesh Kumar Jain	B Com (Hons), Post Graduation in International Business/ Trade/ Commerce CA,	Ex-Officio Director	1) Audit Committee 2) Investment Committee 3) Appeal & Memorial Committee 4) Remuneration Committee 5) CSR Committee	1) Oriental Bank of Commerce 2) Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Company Ltd
3	Shri Lalit Kumar Chandel (Appointed as a Director w.e.f. 08.05.2019 as per MoF notification)	MA (Eco), MBA	Government Nominee Director	1) Audit Committee 2) Investment Committee 3) Risk Management Committee 4) Appeal & Memorial Committee 5) CSR Committee 6) Remuneration Committee	1) ICICI Bank 2) Institute of Actuaries
4	Ms. Mudita Mishra	BE, MBA	Government Nominee Director	1) Audit Committee 2) Investment Committee 3) Appeal & Memorial Committee 4) CSR Committee 5) Remuneration Committee	1) National Insurance Academy



S. No.	Name Of The Director	Qualification	Category Of Directorship	Membership of Committees in The Oriental Insurance Company Limited	Directorship in Other Organisations
5.	Shri Panchanan Nayak	B. SC. (Hons.), AllI	Non Official Director	1) Audit Committee 2) Investment Committee 3) Appeal & Memorial Committee 4) Remuneration Committee 5) Property Review Committee 6) Policyholders' Protection Committee	
6.	Shri Aseem Chawla	B. Com (Hons.), FCA, LL. B., TEP	Non Official Director	1) Audit Committee 2) Investment Committee 3) Remuneration Committee 4) IT Committee 5) Policy Holders Protection Committee 6) Risk Management Committee	1) Explico Consulting Pvt. Ltd 2) ASC Legal Solicitors & Advocates (Proprietor)
7.	Shri Dinesh Waghela (Joined as a Director on 02.06.2018)	B.Com, LLB, AllI	Whole Time Director	1) Investment Committee 2) IT Committee 3) Policy Holders Protection Committee 4) Risk Management Committee 5) Property Review Committee	1) The Industrial Credit Company Limited
Past (As on 28.05.2019)					
1	Dr. N. Srinivasa Rao (Ceased to be a Director w.e.f. 08.05.2019 as per MoF notification)	B.Com, MA (Eco.), Ph.D	Government Nominee Director	1) Audit Committee 2) Risk Management Committee 3) Remuneration Committee 4) CSR Committee 5) Appeal & Memorial Committee	
2	Shri Balwant Singh (Appointed as a Director on 02.04.2018 & ceased to be Director on 30.04.2019 on attaining superannuation)	B. Com (Hons.), AllI	Whole Time Director	1) Audit Committee 2) Investment Committee 3) CSR Committee 4) IT Committee 5) Policy Holders Protection Committee 6) Risk Management Committee 7) Property Review Committee	

स्टैंडअलोन
वित्तीय
विवरणिका

**STANDALONE
FINANCIAL
STATEMENT**



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिका पर लेखापरीक्षा

योग्य राय

हमने दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के साथ के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि, राजस्व खातों और इस वर्ष के लिए नकदप्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है:

क) 30 क्षेत्रीय कार्यालयों, 01 ओएसटीसी, तीन सौ साठ मंडल कार्यालयों सहित पाँच सौ तीन शाखाएँ, नौ सौ छिहत्तर व्यापार केंद्र लेखा परीक्षकों की अन्य फर्मों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है।

ख) एक विदेशी शाखा और दो विदेशी एजेंसियों द्वारा सभी स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए; तथा

ग) विदेशी रन-ऑफ एजेंसी से और एक विदेशी शाखा जो अनकेक्षित है, प्रबंधन द्वारा लेखांकन पॉलिसी में दर्शाई गई सीमा तक तैयार करके हमें उपलब्ध जाती है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार, हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बीमा के लिए आवश्यक जानकारी देते हैं बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई विनियम 2002 के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया गया और कंपनी अधिनियम 2013 में आवश्यक तरीके से और कंपनी के मामलों

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Report on the audit of standalone Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2019, the Statement of Profit and Loss, Revenue Accounts & the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated Returns for the year ended on that date :

- From Thirty Regional Offices, One OSTC, Three hundred sixty Divisional Offices including Five hundred three Branches, Nine hundred seventy six Business Centers audited by the other firms of Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 of the Companies Act, 2013,
- From One Foreign Branch and Two Foreign agencies all audited by local auditors appointed by the Company; and
- From One Foreign Run off agency and one foreign branch which are unaudited, prepared and furnished to us by the Management and reinsurance treaty returns to the extent received as indicated in the accounting policy.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion* section of our report, the aforesaid standalone financial statements give the information required by The Insurance Act 1938, the IRDAI Regulations, 2002,



की स्थिति के अनुसार भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया गया। 31 मार्च 2019 को और वर्ष के लिए नुकसान और उसके नकदी प्रवाह उस तारीख को समाप्त हो गए।

क्वालिफाइड राय के लिए आधार

(i) बीमा/पुनर्बीमा व्यवसाय में ले जाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से/के कारण राशियों का शेष, सीडिंग कंपनियों के साथ आरक्षित जमा, एजेंट शेष, प्रीमियम जमा और एजेंट का प्रीमियम, विविध देनदार, विविध लेनदार, अंतर कार्यालय शेष, अज्ञात डेबिट/क्रेडिट बैंक खातों में प्रविष्टियां, कर्मचारी शेष और अग्रिम शेष कुछ मामलों में मिलान/पुष्टि लंबित हैं। (अनुसूची 16 का नोट बी 22 देखें)। परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, 31 मार्च, 2019 को राजस्व खातों, लाभ और हानि खाते, भंडार और अधिशेष और परिसंपत्तियों और देनदारियों के ऊपर पुष्टि/मिलान पता लगाने योग्य नहीं हैं और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट का आयोजन किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी वित्तीय रिपोर्ट के लेखा परीक्षा अनुभाग के ऑडिटर की जिम्मेदारियों में किया गया है। कंपनी के स्वतंत्र आचार संहिता के अनुसार भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी की गई नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हैं, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

as amended from time to time and the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2019 and loss and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

(i) Balances of amounts due to/from other persons or bodies carrying on insurance/reinsurance business, reserve deposit with ceding companies, agent balances, premium deposits and agent's premium, sundry debtors, sundry creditors, inter office balances, unidentified debit/ credit entries in bank accounts, employee balances and advances balances are pending reconciliation/confirmation in certain cases. (Refer Note B22 of Schedule 16). Consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/reconciliation of above on revenue accounts, profit and loss account, reserves and surplus and assets and liabilities as on 31st March, 2019, are not ascertainable and cannot be commented upon.

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements' section of our report. We are independent of the Company in accordance with the 'Code of Ethics' issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the standalone financial statements.



मामले का जोर:

हम वित्तीय विवरणों में नोटों में निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क) अनुसूची 16 की नोट संख्या बी 4(बी) के अनुसार मोटर एक्सओएल की वसूली के संबंध में राशि घटकर 3596500 रुपये (हज़ारों में) और निवल आईबीएनआर पर परिणामी प्रभाव, पिछले वर्ष में संधियों में एक्सओएल में वसूली योग्य के रूप में दिखाए गए मोटर पूल और डीआर पूल के दावों की असावधान बुकिंग के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नुकसान उस सीमा तक अधिक है।
- ख) 31 मार्च 2019 तक आईएलएंडएफएस समूह में 3583861 रुपये (हज़ार) के निवेश जोखिम वाले और कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान के संबंध में अनुसूची 16 बी20.8 नोट सं. की 20.8 देखें।
- ग) नोट संख्या बी 20.9 अनुसूची 16 के कंपनी के पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन ट्रस्टों के आईएल एंड एफएस ग्रुप में एक्सपोजर के बारे में 770000 रुपये (हज़ार में) और वर्ष के अंत में लेखांकन मानक एस-15 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार पीएफ पेंशन और ग्रेच्युटी प्रावधानों की गणना करते समय किसी भी तरह की हानि पर विचार नहीं किया गया।
- घ) कुछ संपत्तियों के शीर्षक दस्तावेजों की गैर-उपलब्धता के बारे में अनुसूची 16 के नोट संख्या बी21 और अचल संपत्तियों सहित अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड पूर्ण नहीं हैं और/या कुछ मामलों में आवश्यक के रूप में अनुक्षित नहीं रखा गया है।
- ड) अब तक अपनाए जाने वाले यूपीआर के प्रावधानों की अपेक्षा वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – खरीफ के संपूर्ण प्रीमियम की बुकिंग में लेखांकन नीति के परिवर्तन के संबंध में नोट सं. बी25(बी)(1) अनुसूची 16 (क) नोट संख्या बी25 (बी)(i) अनुसूची 16 के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना की संपूर्ण प्रीमियम की लेखांकन नीति में परिवर्तन के बारे में – वर्ष के दौरान यूपीआर प्रदान करने के बजाय उसका पालन किया जा रहा है। बदलाव के कारण वर्ष के लिए नुकसान 1637608 रुपये (हज़ारों में) कम है।

Emphasis Of Matter :

We draw attention to the following matters in the Notes to the financial statements:

- a) Note No. B4 (b) of Schedule 16 regarding Motor XOL amount recoverable lower by Rs. 3596500 (In Thousand) and consequential effect on Net IBNR thereon, due to the inadvertent booking of claims of Motor Pool and DR Pool shown as recoverable in XOL treaties in previous year. Consequently, loss for the year ended 31st March, 2019 is higher to that extent.
- b) Note No. B20.8 of Schedule 16 regarding the Company having an investment exposure of Rs. 3583861 (in Thousand) in IL&FS Group as on 31st March, 2019 and the provision made by the Company.
- c) Note No. B20.9 of Schedule 16 regarding exposure of the Company's P.F., Gratuity and Pension Trusts in IL&FS Group amounting to Rs. 770000 (In thousand) and not considering the impairment, if any while calculating P.F., Pension and Gratuity provisions as per Accounting Standard AS-15 "Employee Benefits" at the year end.
- d) Note No. B21 of Schedule 16 regarding non availability of title documents of certain properties and records of fixed assets including immovable properties are not complete and/or not maintained as required in certain cases.
- e) Note No. B25 (b) (i) of Schedule 16 regarding change in accounting policy of booking of entire premium of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – Kharif during the year instead of providing UPR being followed hitherto. Due to the change the loss for the year is lower by Rs. 1637608 (in Thousand).



- च) "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के मुद्दे के संबंध में अनुसूची 16 की नोट संख्या 25 (ग) 45%, 45% और 10% की 3 किस्तों में प्रीमियम प्राप्य के साथ गुजरात राज्य को स्वास्थ्य बीमा बीमा कवर प्रदान किया। हालाँकि, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में उक्त पॉलिसी पर पूरे प्रीमियम का हिसाब रखा है, हालाँकि दूसरी और तीसरी किस्त (शुद्ध प्रभाव 422782 (हजार में)) वित्तीय वर्ष में तुरंत प्राप्त करने योग्य हैं।
- छ) अनुसूची 16 की नोट संख्या बी28 (बी) के अनुसार पुनर्स्थापना बीमा प्रीमियम की राशि खाता में अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके दावों पर संबंधित प्रभाव होने के कारण गैर लेखाबद्ध।
- ज) नोट नंबर बी31 (2) (ब) अनुसूची 16 के बारे में अधिसूचना एसओ1627 (ई) दिनांक 23 अप्रैल 2019 को साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन संशोधन योजना, 2019 पर। कंपनी ने सभी के डेटाबेस के संकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है कर्मचारी जिसे स्कीम ने पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया है। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कंपनी का दायित्व उन कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो निर्दिष्ट अवधि के भीतर योजना का चयन करते हैं और उसी के अनुसार हिसाब लगाया जाएगा।
- झ) दिनांक 01.08.2017 से देय कर्मचारी के वेतन संशोधन की देयता के गैर प्रावधान होता है अनुसूची 16 के नोट नंबर बी 31 (एफ) देखें।
- ण) सरकार की ओर से 1957 रुपये (हजार) में आरएसबीवाई की प्रीमियम प्राप्य के संबंध में अनुसूची 16 की नोट संख्या बी39।
- त) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनी के बारे में अनुसूची 16 की नोट संख्या बी41।
- f) Note No. 25(c) of Schedule 16 regarding issue of "Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana" healthcare insurance cover to the State of Gujarat with the premium receivable in 3 instalments of 45%, 45% and 10%. The Company however has accounted for the entire premium on the said policy in the current financial year, though the second and third instalments (net impact Rs. 422782 (in Thousand)) are receivable in immediately succeeding financial year.
- g) Note No. B28(b) of Schedule 16 regarding amount of reinstatement insurance premium remains unaccounted having corresponding effect on the claims incurred account for which quantum remains indeterminate.
- h) Note No. B31 (2) (c) of Schedule 16 regarding Notification no. S.O. 1627 (E) dated 23rd April 2019 on General Insurance (Employees) Pension Amendment Scheme, 2019. The Company has started the process of compilation of databases of all the employee to whom the scheme has given an option for opting for pension scheme. The obligation of the Company in respect of such employees would be determined on the basis of the number of employees who opt for the scheme within the specified period and would be accounted for accordingly.
- i) Note No. B31(f) of Schedule 16 regarding non provision of liability of employee's wage revision due w.e.f. 01.08.2017.
- j) Note No. B39 of Schedule 16 regarding premium receivable of RSBY amounting to Rs. 1957 (In Thousand) from Government.
- k) Note No. B41 of Schedule 16 regarding the Company not complying with the requirements of disclosure under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.



थ) इस रिपोर्ट के साथ निपटाए गए वित्तीय विवरणों में शामिल विदेशी शाखाओं और एजेंसियों के रिटर्न के बारे में अनुसूची 16 के नोट नंबर बी 49 को संबंधित स्थानों/देशों में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर संकलित किया जाता है। भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का अनुपालन विदेशी शाखा/एजेंसियों के संबंध में लंबित है, जिनके प्रभाव का पता नहीं चला है। इसके अलावा विदेशी शाखा के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आईआरडीएआई विनियम 2002 के अनुसार बताई गई जानकारी शामिल नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

l) Note No. B49 of Schedule 16 regarding returns of foreign branches and agencies incorporated in the financial statements dealt with by this report, are compiled based on the accounting principles generally accepted at the respective locations/countries. Compliance of Generally Accepted Accounting Principles in India is pending in respect of these foreign branch/agencies, effect of which has not been ascertained. Further the auditor's report in respect of foreign branch do not contain the information required to be stated in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with IRDAI Regulations 2002.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

क्र. सं. S. No.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले Key Audit Matter	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया Auditor's Response
1	<p>बकाया दावों की वैधता ('ओसी') किए गए दावों सहित, लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई ('IBNR') कंपनी के पास आईबीएनआर से संबंधित दावों सहित महत्वपूर्ण बकाया दावे हैं और इनमें निर्णय और अनुमानों का उपयोग आवश्यक है। IBNR से संबंधित दावों सहित OC भविष्य में दावों के निपटान के लिए अनुमान हैं जो कई कारणों से प्रभावित हैं जिनमें ऐतिहासिक दावों की गंभीरता, ऐतिहासिक दावों की आवृत्ति और विनियमों में परिवर्तन शामिल हैं। विशेष रूप से, मोटर बीमा अनुबंधों के तहत मृत्यु या विकलांगता से उत्पन्न होने वाले दावों में भविष्य की घटनाओं के बारे में जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं, दोनों व्यापार के लिए आंतरिक और बाहरी, जिसके लिए मान्यताओं में छोटे परिवर्तन इन देनदारियों के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और कंपनी की लेखा नीति के लिए नोट ए6.1.ई देखें।</p>	<p>प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने 5000 रुपये (हजार) के दावों के लिए सहायक दस्तावेजों के माध्यम से बकाया दावों के लिए प्रदान की गई देनदारियों को सत्यापित किया और वर्ष के दौरान 31 मार्च 2019 को समाप्त होने के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन दावों का उचित अनुमान लगाया गया और दर्ज किया गया। हमने कंपनी द्वारा एक्ट्यूरी को दिए गए आंकड़ों के आधार पर, नमूने के आधार पर नियंत्रण का परीक्षण किया। हमने कंपनी द्वारा किए गए दायित्व के खिलाफ आईबीएनआर प्रावधानों को स्वतंत्र नियुक्त एक्ट्यूरी की रिपोर्ट में सुझाए गए प्रावधानों के साथ सत्यापित किया। हमने आईआरडीएआई/लेखा मानकों के लागू नियमों के संदर्भ में कंपनी के संबंधित प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया।



<p>Valuation of outstanding claims (“OC”) including claims incurred But Not Reported (“IBNR”)</p> <p>The Company has significant outstanding claims including claims relating to IBNR and these require use of judgements and estimates. OC including claims relating to IBNR are estimates for settlement of claims in future which are impacted by a number of factors which includes the trends in severity of historical claims, frequency of historical claims, and changes in regulations. In particular, the claims arising from death or disability covered under motor insurance contracts involve complex and subjective judgments about future events, both internal and external to the business, for which small changes in assumptions can materially impact the valuation of these liabilities.</p> <p>Refer Note to the A6.1.e Standalone Financial Statements and Company’s accounting policy.</p>	<p>Principal Audit Procedures</p> <ul style="list-style-type: none"> We verified the liabilities provided for outstanding claims through supporting documents for claims of Rs. 5000 (In Thousand) and above during the year ended 31st March, 2019 to ensure that these claims were appropriately estimated and recorded. We performed test of controls, on sample basis, on the data given by the Company to the Actuary. We verified the IBNR provisions against liability made by the Company with the provisions recommended in the report of the independent appointed actuary. We assessed the adequacy of the Company’s related disclosures by reference to applicable regulations of IRDAI/accounting standards.
<p>2</p> <p>अनिश्चित कर अदायगी का मूल्यांकन</p> <p>कंपनी के पास विवाद के तहत मामलों सहित सामग्री अनिश्चित कर स्थिति है, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।</p> <p>स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 16 के नोट बी 1 (ई) का संदर्भ लें।</p> <p>Evaluation of uncertain tax positions</p> <p>The Company has material uncertain tax positions including matters under dispute which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.</p> <p>Refer Note B1(e) of Schedule 16 to the Standalone Financial Statements.</p>	<p>प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया</p> <p>हमने प्रबंधन से 31 मार्च, 2019 तक समाप्त कर मूल्यांकन और मांगों का विवरण प्राप्त किया। कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणामों के आकलन में प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए हमने अपने आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया। हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी प्रक्रिया और अन्य फैसलों पर भी विचार किया। हमने सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों की स्थिति और वर्ष में प्रबंधन के निर्णयों में किसी भी बदलाव को समझने के लिए प्रबंधन की कर टीम के साथ मुलाकात की। हम कर प्राधिकारियों और कंपनी के बाहरी कर सलाहकारों / वकीलों के साथ पत्राचार पढ़ते हैं ताकि दर्ज अनुमानों के हमारे आकलन का मूल्यांकन किया जा सके और दर्ज किए गए प्रावधानों की पूर्णता का मूल्यांकन किया जा सके और इन अनिश्चितताओं पर प्रबंधन की स्थिति में कोई बदलाव आवश्यक था या नहीं।</p> <p>Principal Audit Procedures</p> <p>We obtained details of completed tax assessments and demands till the year ended March 31, 2019 from the management. We involved our internal experts to evaluate the management’s underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. Our internal experts also considered legal precedence and other rulings in evaluating management’s position on these uncertain tax positions. We met with management’s tax team to understand the status of all significant provisions, and any changes to management’s judgements in the year. We read correspondence with tax authorities and Company’s external tax advisors/lawyers to evaluate our assessment of recorded estimates and evaluate the completeness of the provisions recorded and whether any change was required to management’s position on these uncertainties.</p>



<p>3</p> <p>विवादित सेवा कर मामलों पर प्रावधान और आकस्मिकता</p> <p>कंपनी के पास विवाद के तहत सामग्री सेवा कर मामले हैं, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।</p> <p>स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 16 के नोट नंबर बी 1 (ई) का संदर्भ लें।</p> <p>Provisions and contingencies on disputed service tax matters</p> <p>The Company has material service tax matters under dispute which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.</p> <p>Refer Note No. B1(e) of Schedule 16 to the Standalone Financial Statements.</p>	<p>प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित मूल प्रक्रियाएँ शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रबंधन से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष तक पूर्ण सेवा कर आकलन और मांगों का विवरण प्राप्त किया। • प्रमुख अनिश्चित सेवा कर पदों के लिए प्रबंधन द्वारा चुनिंदा प्रमुख पत्राचार, बाहरी कानूनी परामर्श पढ़ें और विश्लेषण करें। • विवादित सेवा कर की मांग को आकस्मिक देनदारी के रूप में मानने के लिए उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन और मूल्यांकित प्रबंधन की अंतर्निहित प्रमुख मान्यताओं के साथ चर्चा की गई। • हमारे आंतरिक विशेषज्ञों की सहायता से विवादित मामलों के संभावित परिणाम का प्रबंधन प्रबंधन का अनुमान। <p>Principal Audit Procedures</p> <p>Our audit procedures include the following substantive procedures :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obtained details of completed service tax assessments and demands till the year ended March 31, 2019 from the management. • Read and analysed select key correspondences, external legal consultations by management for key uncertain service tax positions. • Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in treating the disputed service tax demand as contingent liability. • Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed cases with the help of our internal experts.
---	--

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम निष्कर्ष के आश्वासन किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company's Annual Report, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether



भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट से प्राप्त हमारा ज्ञान भौतिक रूप से प्रकट होता है यदि, हमने इसकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तारीख से पहले प्राप्त की गई तथा जानकारी के आधार पर काम किया है, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013, बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीआई विनियम 2002 की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि समय-समय पर इन स्थायी वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में संशोधित किया गया है। कंपनी के लेखा अधिनियम, 2013 के नियम 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में, संशोधन के अनुसार। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी का दायित्व है कि वह कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जारी रखे जाने की क्षमता का खुलासा करने के रूप में, लागू

the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013, The Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations 2002, as amended from time to time with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, as amended. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the



करना, चिंता से संबंधित मामले और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो कंपनी का संचालन समाप्त या युद्ध संचालन, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायित्व हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए ऑडिटर की उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एक पूरे के रूप में भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री की गड़बड़ी का पता लगाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

एसएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णयों को अपनाते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संशयों को कायम रखते हैं। हमने:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की वस्तुगत गलत विवरण के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन किया है कि क्या धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित किया गया और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया गया जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।

Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibility for the Audit of the standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.



- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (प) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखा के प्राप्त होने वाले चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर, क्या ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बना रह सकता है।
- प्रकटन सहित स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

हम अन्य मामलों में, ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान चिन्हित करते हैं।

हम उन लोगों को भी संप्रेषण के साथ अधिशासन प्रदान

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with



करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता को वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी। इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ की कल्पना करती है।

अन्य मामलों :

- (i) हमने तीस क्षेत्रीय कार्यालयों, एक ओएसटीसी, तीन सौ साठ मंडल कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनमें पांच सौ तीन शाखाएँ, नौ सौ सत्तर सत्तर व्यावसायिक केंद्र, दो विदेशी शाखा और तीन विदेशी एजेंसियां शामिल हैं, जो स्टैंडअलोन में शामिल हैं। कंपनी के वित्तीय विवरण जिनकी वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2019 तक 40333238 रुपये (हजार में) की कुल संपत्ति को दर्शाती है और उस वर्ष के लिए कुल राजस्व 132627404 (हजार में) उस तारीख को समाप्त हुआ, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में माना जाता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और इस तरह अब तक हमारी राय इन शाखाओं के लेखा परीक्ष के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, रिपोर्ट पर पूरी तरह आधारित है इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों के।
- (ii) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वार्षिक वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा एचके चौधरी एंड

a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters :

- (i) We did not audit the financial statements/information of Thirty Regional Offices, One OSTC, Three Hundred Sixty Divisional Offices including Five Hundred Three Branches, Nine Hundred Seventy Six business centers, two foreign branch and three foreign agencies, included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 4,03,33,238 (in Thousand) as at 31st March, 2019 and total revenue of Rs. 13,26,27,404 (in Thousand) for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.
- (ii) The audit of standalone annual financial statements for the year ended March 31, 2018



कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंट की एक अन्य फर्म के साथ किया गया था, और लेखा परीक्षकों ने 17 वें दिनांक तक लेखापरीक्षा के संबंध में संशोधित राय व्यक्त की थी। मई, 2018

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) द्वारा अपेक्षित है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए उप-निर्देशों सहित निर्देश हम यहां 'अनुलग्नक-ए' संलग्न करते हैं।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने मांग की है और उपरोक्त योग्यताओं के लिए अर्हताप्राप्त ओपिनियन पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारे ऑडिट के उद्देश्य से हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे;

(ख) उपरोक्त योग्य अर्हता अनुच्छेद के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकों को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह ऐसी पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, शाखाओं और अन्य कार्यालयों से ऑडिट और अनऑडिटेड दोनों के उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं, हमारे द्वारा विज़िट नहीं किए गए कार्यालयों से हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त हैं।

(ग) क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट मंडल लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, विदेशी शाखा और विदेशी एजेंसी कार्यालयों की रिपोर्ट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के तहत संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा हमारे पास भेजी गई है और ठीक से प्रस्तुत नहीं की गई है हमारे द्वारा

were carried out by H. K. Chaudhry & Co. jointly with another firm of chartered accountants, and the Auditors had expressed a modified opinion in relation thereto vide audit report dated 17th May, 2018.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by section 143(5) of the Companies Act, 2013, we enclose here with in "Annexure-A", the directions including sub- directions issued by the Comptroller & Auditor General of India.
2. As required by Section 143 (3) of the Companies Act, 2013 and the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, we report that:
 - (a) We have sought and except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - (b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above, In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of such books and proper returns both audited and unaudited from regional offices, divisional offices, branches and other offices, have been received from the offices not visited by us are adequate for the purposes of our audit.
 - (c) The reports of Regional Auditors consolidating the Divisional Auditors report, Reports of foreign branch and foreign agency offices, audited under Section 143 (8) of the Companies



आवश्यक रूप से इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे साथ।

(घ) इस रिपोर्ट द्वारा दी गई बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेखा की पुस्तकों के साथ सुमेलित है और हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए कार्यालयों से प्राप्त रिटर्न के साथ हैं।

(ङ) योग्य राय पैरा के लिए आधाररूप में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, सीमा तक जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित है और अपेक्षित विधि में लागू सीमा तक है।

(च) हमारे विचार में, ऊपर दिए गए योग्य राय पैरा के लिए आधार में वर्णित मामला, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 को कंपनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने के मद्देनजर कंपनी के निदेशकों पर लागू नहीं हैं।

(ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट 'अनुबंध- बी' में देखें।

(प) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (16) यथा संशोधित की अपेक्षाओं के अनुसार, ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, :

Act, 2013 by the respective auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report in the manner considered necessary by us.

(d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, Revenue accounts and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the offices not visited by us.

(e) Except for the possible effects to the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder to the extent applicable and in the manner so required.

(f) The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have adverse effects on the functioning of the Company.

(g) The provisions of section 164(2) of the Companies Act, 2013 are not applicable to the directors of the company in view of Notification No. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

(h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure- B".

(i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Companies Act, 2013, as amended:



अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के मद्देनजर भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पढ़े गए धारा 197 के प्रावधान पारिश्रमिक पर लागू नहीं हैं जो कंपनी के निदेशकों को देय / देय हैं।

3. जैसा कि हमारी राय में अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के खंड (जे) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 द्वारा आवश्यक है। हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार:

(क) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए रेफर नोट बी -1 (सी एंड ई) देखें।

(बी) कंपनी ने प्रावधान किया है, जैसा कि लागू कानून और लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक है, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, सामग्री की हानि के लिए आवश्यक है।

(ब) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

4. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट) विनियम, 2002 के अनुसार आवश्यक रिपोर्ट:

(ए) 'दावे किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए' (आईबीएनआर) के संबंध में देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन 'दावा किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए' (आईबीएनईआर) सहित और अन्य देनदारियों के अनुसार कर्मचारी लाभ के प्रयोजन के लिए आवश्यक के रूप में एमसीए द्वारा अधिसूचित एस 15 कंपनी के नियत कार्यक्षेत्र द्वारा और सर्वोत्तम जानकारी के लिए विधिवत प्रमाणित हैं और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के

The provisions of section 197 read with Schedule V of the Companies Act, 2013 are not applicable on the remuneration paid/payable to the directors of the Company in view of Notification No. GSR 463 (E) dated 05th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

3. As required by Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 issued by the Central Government of India in terms of clause (j) of sub-section (3) of section 143 of the Act, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us:

(a) The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements – Refer Note B-1 (c & e) to the standalone financial statement.

(b) The Company has made provision, as required under the applicable law and accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.

(c) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

4. As required by insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, we report that:

(a) The actuarial valuation of liabilities in respect of "Claims Incurred but not reported"(IBNR) including "Claims incurred but not enough reported"(IBNER) and other liabilities as required for the purpose of ascertaining employee benefits in accordance with AS-15 notified by MCA are duly certified by the company's appointed actuary and to the best of information and according to the explanations given to us the assumption considered by him



मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा विचार की गई धारणा आईआरडीएआई और भारतीय एक्चुरियल सोसायटी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और आईआरडीआई की सहमति एवं मानदंडों के अनुसार है।

- (ख) बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुसार निवेश किया गया है और इसके संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों, आदेशों और निर्देशों का पालन किया गया है।
- (ग) कंपनी द्वारा चुनी गई लेखांकन नीतियां उपयुक्त हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं और लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, इन विनियमों या प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किसी भी आदेश या दिशा में निर्धारित हैं।

5. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय कंपनियों की तैयारी और बीमा कंपनियों की ऑडिटर रिपोर्ट) विनियमों, 2002 के अनुसार, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं:

(क) हमारी राय में, बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास अधिनियम 1999 (1999 का 41) और इस तरह से आवश्यक कंपनी अधिनियम, 2013 की सीमा के अनुसार लागू किया गया है।

(ख) हमने वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है और प्रबंधन रिपोर्ट और वित्तीय वक्तव्यों के बीच कोई स्पष्ट गलतियाँ या सामग्री विसंगतियाँ नहीं हैं।

(ग) कंपनी ने प्रबंधन द्वारा प्रदत्त प्रतिनिधित्व के आधार पर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है।

for such valuation is in accordance with the guidelines and norms prescribed by IRDAI and the Actuarial Society of India in concurrence with IRDAI.

(b) Investments have been valued in accordance with the provisions of Insurance Act, 1938 and the regulations, orders and directions issued by IRDAI in the regard except to the extent as described in the para (ii) of the Basis for Qualified Opinion paragraph above.

(c) The accounting policies selected by the Company are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards and with the accounting principles, as prescribed in these Regulations or any order or direction issued by the Authority in this behalf.

5. As required by insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, we certify that:

(a) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (41 of 1999) and the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.

(b) We have reviewed the Management report attached with the financial statements and there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the Management report and the financial statements

(c) The Company has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Insurance Regulatory and Development Authority based on the representation provided by the Management.



- (घ) हमने नोट 20.2 में उल्लिखित सीमा को छोड़कर नकदी और बैंक शेष राशि, ऋणों से संबंधित प्रतिभूतियों, वास्तविक निरीक्षण द्वारा प्रमाणपत्रों और / या अन्य दस्तावेजी प्रमाणों के उत्पादन को सत्यापित किया है।
- (ङ) कंपनी ने ट्रस्टी के रूप में किसी भी ट्रस्ट से संबंधित कोई निवेश या लेनदेन नहीं किया है, और
- (च) हमारी जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, पॉलिसीधारकों के फंड की संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमा अधिनियम, 1938 पॉलिसीधारकों के कोष के आवेदन और निवेश से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

- (d) We have verified cash and bank balances, securities relating to loans, investments by actual inspection or by the production of certificates and/or other documentary evidences except to the extent stated in Note 20.2.
- (e) The Company has not undertaken any investment or transaction relating to any trust as trustee, and
- (f) To the best of our information and according to the explanation given to us and on the basis of representations made by the company, no part of the assets of the Policyholders' Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the Policyholders' Fund.

एच. के. चौधरी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 00615एन
(सीए इंदरजीत सोनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088694

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2019

For H. K. CHAUDHRY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 006154N
(CA INDERJIT SONI)
PARTNER
Membership No. 088694

Place : NEW DELHI
Dated : 28.05.2019

एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
(सीए अभिनव खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087010

For SCV & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 000235N/N500089
(CA ABHINAV KHOSLA)
PARTNER
Membership No. 087010



अनुलग्नक क: स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों को जारी किए गए निर्देशों के उत्तर
वित्तीय वर्ष 2018-19

ANNEXURE - A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Replies to the Directions issued to Statutory Auditors under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

Financial Year 2018-19

क्रं. सं. S.No.	निर्देश जारी किए Directions Issued	उत्तर Replies
1	<p>क्या कंपनी के पास आईटी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।</p> <p>Whether the Company has system in place to process all the accounting transaction through IT? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.</p>	<p>सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित होते हैं। हालाँकि निवेश, पुनः बीमा और विदेशी कार्यालयों से संबंधित लेन-देन केंद्रीय आईटी प्रणाली यानी INLIAS (एकीकृत गैर जीवन बीमा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर) के साथ एकीकृत नहीं है।</p> <p>All accounting transactions are processed through IT systems. However the transaction pertaining to Investment, Re- Insurance and Foreign Offices are not integrated with the central IT system i.e, INLIAS (Integrated Non Life Insurance Application Software).</p>
2	<p>क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन हो या कर्ज देने के लिए कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/मामलों को लिखना हो? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव कहा जा सकता है।</p> <p>Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc made by a lender to the company due to the company's inability to replay the loan? If yes, the financial impact may be stated.</p>	<p>किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए ऋण / ऋण / ब्याज आदि के छूट / लिखने के मामलों का कोई मामला नहीं है।</p> <p>There is no case of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan.</p>



3	<p>क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि प्राप्त / प्राप्त की गई थी या नहीं? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।</p> <p>Whether funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.</p>	<p>हां, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्त धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग / उपयोग किया गया</p> <p>Yes, funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions</p>
---	--	---

एच. के. चौधरी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 00615एन
(सीए इंदरजीत सोनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
(सीए अभिनव खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087010

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2019

For H. K. CHAUDHRY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 006154N
(CA INDERJIT SONI)
PARTNER
Membership No. 088694

For SCV & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 000235N/N500089
(CA ABHINAV KHOSLA)
PARTNER
Membership No. 087010

Place : NEW DELHI
Dated : 28.05.2019



वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को जारी किए गए उप-निर्देशों के उत्तर

Replies to the Sub-Directions for issued to the Statutory Auditors under section 143 (5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2018-19

क्र. सं. Sl. No.	विवरण DESCRIPTION	उत्तर REPLIES
1	<p>सीजीएस / एसजीएस / बॉन्ड / डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व की उपाधियों की संख्या भौतिक / डीमैट रूप में उपलब्ध है, इनमें से उन मामलों की संख्या जो संबंधित खातों की कंपनी की किताबों में संबंधित राशियों के साथ नहीं दर्शाई गई हैं, तथा सत्यापित की गई एवं पाई गई विसंगति को उपयुक्त रूप से सूचित किया जा सकता है।</p> <p>Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/ Bonds/Debentures etc available in physical/demat form out of these, number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported</p>	<p>अंतर को कंपनी की बही खातों में और इक्विटी और वरीयता शेयरों के संबंध में कस्टोडियन (एसएचसीआईएल) प्रमाणपत्र में नोट किया गया है, जो निम्नानुसार है</p> <p>कंपनी की पुस्तकों में अतिरिक्त इक्विटी शेयर 30 स्क्रीप बुक वैल्यू 1,02,311.87 रुपये वरीयता शेयर 17 मामलों बुक वैल्यू 26.00 रुपये कंपनी की पुस्तकों में संक्षिप्त इक्विटी शेयर 8 मामले बुक वैल्यू 3,20,485.54 रुपये वरीयता शेयर 1 मामला बुक वैल्यू 0 रुपये</p> <p>ग) सीजीएस / एसजीएस / बांड / डिबेंचर आदि के संबंध में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।</p> <p>Difference has been noted in the Company's books of accounts and the custodian's (SHCIL) certificate in respect of equity and preference shares which are as under</p> <p>A) Excess in Company's Books Equity Shares 30 scrips Book Value Rs 1,02,311.87 Preference Shares 17 cases Book Value Rs 26.00</p> <p>B) Short in Company's Books Equity Shares 8 cases Book value Rs 3,20,485.54 Preference Shares 1 case Book Value Rs 0</p> <p>C) No discrepancies observed in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc.</p>
2	<p>क्या निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमाएं निर्धारित की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त सीमा का पालन नहीं किया गया था या नहीं। यदि नहीं, तो विवरण दिया जा सकता है।</p> <p>Whether stop loss limits have been prescribed in respect of the investments? If yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given.</p>	<p>बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की निवेश नीति के संबंध में निर्धारित कोई स्टॉप लॉस सीमा नहीं है।</p> <p>There is no Stop loss limits prescribed in respect of the investment in the Investment policy of the Company approved by the Board.</p>



क्र. सं. Sl. No.	विवरण DESCRIPTION	उत्तर REPLIES
3	<p>क्या कंपनी ने अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीमा कंपनियों के साथ अपने वित्तीय वक्तव्यों में परिलक्षित अंतर—कंपनी संतुलन के लिए सामंजस्य अभ्यास किया है और क्या उनकी वजह से शेष राशि के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रम बीमा कंपनियों से पुष्टि प्राप्त की गई है?</p> <p>Whether Company has carried out reconciliation exercise for inter-company balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and whether confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them?</p>	<p>हां, कंपनी ने अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीमा कंपनियों के साथ अपने वित्तीय वक्तव्यों में प्रतिबिंबित अंतर—कंपनी शेष के लिए सामंजस्य अभ्यास किया है और उनकी वजह से शेष के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रम बीमाकर्ताओं से पुष्टि प्राप्त की गई है।</p> <p>पुष्टि की गई शेष राशि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1576018183 / – (क्रेडिट) नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रु. 19,84,45,857 / – (डेबिट) यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रु. 58,99,13,902 / – (डेबिट)</p> <p>अपुष्ट संतुलन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रु. 269,51,78,952 / – (डेबिट) नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4065845224 / – (क्रेडिट) यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 112471363 / – (क्रेडिट) सामान्य बीमा निगम 1612591824 / – (क्रेडिट)</p> <p>Yes , Company has carried out reconciliation exercise for inter-company balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them</p> <p>Confirmed Balance New India Assurance Co. Ltd. 1576018183/- (Cr.) National Insurance Co Ltd. Rs.19,84,45,857/- (Dr.) United India Assurance Co Ltd. Rs.58,99,13,902/- (Dr.)</p> <p>Unconfirmed Balances New India Assurance Co. Ltd Rs.269,51,78,952/- (Dr.) National Insurance Co Ltd. 4065845224/- (Cr.) United India Assurance Co Ltd. 112471363/- (Cr.) General Insurance Corporation 1612591824/- (Cr.)</p>



क्र. सं. Sl. No.	विवरण DESCRIPTION	उत्तर REPLIES
4	<p>क्या प्रीमियम और सूचित दावों के लेखांकन की विधि समझौतों / योजनाओं से संबंधित शर्तों के अनुसार है:</p> <p>i) प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना iii) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना</p> <p>Whether the method of accounting of premium and reported claims are as per conditions of agreements/schemes relating to:</p> <p>i. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ii) Rashtriya Swasthya Bima Yojana iii) Prime Minister Jan Aarogya Yojana</p>	<p>हां, प्रीमियम और दावों के लेखांकन की विधि प्रधानमंत्री जन अधिकार योजना के मामले में, समझौतों / योजनाओं की शर्तों के अनुसार है, उक्त समझौते / नीति के अनुसार प्रीमियम 45%, 45% की 3 किस्तों में प्राप्य है और सरकार से 10%। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में पूरे प्रीमियम का हिसाब रखा है, हालांकि वित्तीय वर्ष में तुरंत सफल होने के लिए दूसरी और तीसरी किस्तें प्राप्य हैं। वित्तीय विवरणों की अनुसूची 16 के बी-25 (सी) का संदर्भ लें।</p> <p>Yes, the method of accounting of premium and claims are as per conditions of agreements / schemes except in the case of Prime Minister Jan Aarogya Yojana, As per terms of the said agreement/policy the premium is receivable in 3 instalments of 45%, 45% and 10% from the Government. The Company has accounted for the entire premium in the current financial year, though 2nd and 3rd instalments are receivable in immediately succeeding financial year. Refer note B-25(c) of schedule 16 of financial statements.</p>
5	<p>क्या कंपनी ने प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जैसी बीमा योजनाओं के पुनरु बीमा योजनाओं की छूट के बारे में आईआरडीएआई परिपत्र (सं. IRDA/F&A/CIS/MISC/052/03/2018 दिनांक 27 मार्च 2018) से अनुपालन किया है या नहीं जीएसटी के पूर्वावलोकन से बीमा योजना आदि और बीमित व्यक्ति/सरकार को प्रीमियम में कमी का लाभ?</p> <p>Whether the Company has complied with IRDAI Circular (No. IRDA/F&A/CIR/MISC/052/03/2018 dated 27 March 2018) regarding exemption of re-insurance schemes of specified insurance schemes such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Suraksha Bima Yojana etc from the preview of GST and passed on to the insured/Government the benefit of reduction in premium?</p>	<p>जी हाँ, कंपनी ने प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना जैसी निर्दिष्ट योजनाओं के पुनरु बीमा योजनाओं में छूट के संबंध में IRDAI परिपत्र (सं. IRDA/F&A/CIS/MISC/052/03/2018 दिनांक 27 मार्च 2018) का अनुपालन किया है। , प्रधान सुरक्षा बीमा योजना आदि को जीएसटी के दायरे से हटाया गया और बीमित / सरकार को प्रीमियम में कमी का लाभ दिया गया और निर्दिष्ट योजनाओं पर बीमित / सरकारी से जीएसटी नहीं वसूला गया।</p> <p>Yes, the Company has complied with IRDAI Circular (No. IRDA/F&A/CIR/MISC/052/03/2018 dated 27 March 2018) regarding exemption of re-insurance schemes in respect of specified insurance schemes such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Suraksha Bima Yojana etc from the purview of GST and passed on to the insured/Government the benefit of reduction in premium and not charged GST from insured / Govt on specified schemes.</p>

एच. के. चौधरी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 00615एन
(सीए इंदरजीत सोनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088694

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2019

For H. K. CHAUDHRY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 006154N
(CA INDERJIT SONI)
PARTNER
Membership No. 088694

Place : NEW DELHI
Dated : 28.05.2019

एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
(सीए अभिनव खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087010

For SCV & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 000235N/N500089
(CA ABHINAV KHOSLA)
PARTNER
Membership No. 087010



अनुलग्नक ख : स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च 2019 तक ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है। इन वित्तीय वक्तव्यों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय के रिटर्न, 30 क्षेत्रीय कार्यालय, 1 ओएसटीसी, 360 मंडल कार्यालय, जिनमें 503 शाखाएँ, 976 व्यवसाय केंद्र, 1 विदेशी शाखा और 2 विदेशी एजेंसियां शामिल हैं, सभी अपने-अपने लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं। एक विदेशी रन ऑफ एजेंसी और एक विदेशी शाखा प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई और लेखांकन नीति में बताए अनुसार सीमा तक पुनर्बीमा संधि प्राप्त हुई।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है, कंपनी द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया "। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखांकन रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

ANNEXURE - B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Oriental Insurance Company Limited ("the Company") as of 31st March 2019 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date. In these financial statements are the returns of Head Office audited by us, 30 Regional Offices, 1 OSTC, 360 Divisional Offices including 503 Branches, 976 Business Centres, 1 Foreign Branch and 2 Foreign agencies, all audited by their respective Auditors. One Foreign Run off agency and one Foreign branch duly certified by the Management and reinsurance treaty returns to the extent received as indicated in Accounting Policy.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the "Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.



लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपने वित्तीय लेखा परीक्षा के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट और ऑडिटिंग के मानकों पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू होता है और दोनों, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

विदेशी कार्यालयों यानी नेपाल, दुबई और कुवैत शाखाओं से संबंधित लेखा परीक्षकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और जैसा कि हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं था और इसलिए इन कार्यालयों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों पर विचार नहीं किया गया है। रिपोर्ट और टिप्पणी नहीं की जा सकती।

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting and the Standards on Auditing, issued by Institute of Chartered Accountants of India and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Report on internal financial controls of branch auditors relating to foreign offices i.e. Nepal, Dubai and Kuwait Branches have not been received and as such was not available for our review and therefore the internal controls over financial reporting relating to these offices have not been considered in this report and cannot be commented upon.



उपरोक्त उल्लिखित रिपोर्टों की अनुपलब्धता के संभावित प्रभाव को छोड़कर, हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है।

आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए विवरणिकाएं एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो:

- (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- (2) उचित आश्वासन दें कि लेनदेन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा
- (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के समय पर रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, टकराव की संभावनाओं सहित या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है और पता नहीं

Except for the possible effect of non-availability of reports as stated above, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial

statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

- (1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
- (3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management



लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जो इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

सुयोग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2018 को निम्नलिखित मुख्य कमजोरियों की पहचान की गई है:

- i) कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को विशेष रूप से अचिन्हित बैंक प्रविष्टियों और कंपनी के कार्यालयों में सूचित दावों की रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
- ii) सह-बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, ब्रोकर्स, बैंक खातों, अंतर कार्यालय खातों और अन्य नियंत्रण खातों से संबंधित विभिन्न शेष राशि की पुष्टि और सामंजस्य लंबित हैं और मिलान/समायोजन के विभिन्न चरणों में हैं।
- iii) अपर्याप्त नियंत्रण गैर-उपलब्धता वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में पाया जाता है जो पार्टवार विवरण और पुनर्बीमा प्राप्य राशि / देयता की उम्र बढ़ने के लिए उत्पन्न होता है;
- iv) INALAS में अचल संपत्ति मॉड्यूल के साथ विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के परिवर्धन के सत्यापन में असंगतता।
- v) पुनर्बीमा लेखा विभाग और पुनर्बीमा संधि विभाग के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण देखे गए, लेखांकन सॉफ्टवेयर की दक्षता, पुस्तकों के रखरखाव, पुनर्बीमाकर्ताओं को समय-समय पर डेबिट सलाह देने और दो विभागों के बीच अपर्याप्त समन्वय के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण देखे जाते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक भौतिक कमजोरी 'एक कमी है, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वित्तीय विवरण के

override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at 31st March, 2019:

- i) *The company's internal control system requires strengthening specially in area of unidentified bank entries and recording of intimated claims at the offices to the Company.*
- ii) *Confirmation and reconciliation of various balances relating to co-insurers, reinsurers, brokers, bank accounts, inter office accounts and other control accounts are pending and are in various stages of reconciliation/adjustments.;*
- iii) *Inadequate controls are observed with regards to non-availability computer software generated party wise details and ageing of Reinsurance receivables/ payables;*
- iv) *Inconsistencies observed in the verification of additions of fixed assets during the year in the various Regional office with fixed assets module in INALAS.*
- v) *Inadequate controls were observed with regard to Reinsurance Accounts Department and Reinsurance Treaty Department, inadequate controls are observed in respect of efficiency of accounting software, maintenance of books, timely raising of debit advices to Reinsurers and inadequate coordination between the two Departments.*

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable



बारे में महत्वपूर्ण गलत बयानी के दुरुपयोग को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर मुख्य कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाए रखा है। 31 मार्च, 2019 तक रिपोर्टिंग प्रभावी रूप से चल रही थी, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय नियंत्रण मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया था।

हमने कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए मानकों के अनुसार ऑडिट भी किया है, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2019 को, लाभ और हानि, राजस्व खातों और बैलेंस शीट शामिल है वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का विवरण उस तिथि को समाप्त, और वित्तीय विवरणों को नोट करता है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है। हमने कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट में लागू की गई प्रकृति की समय, पहचान और ऑडिट परीक्षणों की मात्रा निर्धारित करने में ऊपर दी गई मुख्य कमजोरी पर विचार किया है और इन मुख्य कमजोरी ने स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय को प्रभावित किया है। कंपनी विशेष रूप से / अन्य व्यक्तियों या बीमा/पुनर्बीमा व्यवसाय, कैशिंग कंपनियों के साथ आरक्षित जमा, एजेंट जमा, प्रीमियम जमा और एजेंट के प्रीमियम, विविध देनदार, विविध लेनदारों, अंतर कार्यालय शेष, अज्ञात डेबिट और के साथ/के कारण राशि के संतुलन के कारण, बैंक खातों में क्रेडिट प्रविष्टियां, कर्मचारी शेष और अग्रिम शेष कुछ मामलों में मिलान/पुष्टि लंबित हैं और हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है।

possibility that a material misstatement of the company's financial statement will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

We also have audited, in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, the standalone financial statements of Company, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2019, the Statement of Profit and Loss, Revenue accounts & the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the standalone financial statements of the Company, and these material weakness has affected our opinion on the standalone financial statements of the Company specially due to balances of amounts due to/from other persons or bodies carrying on insurance/reinsurance business, reserve deposit with ceding companies, agent balances, premium deposits and agent's premium, sundry debtors, sundry creditors, inter office balances, unidentified debit and credit entries in bank accounts, employee balances and advances balances are pending reconciliation/confirmation in certain cases and we have issued a qualified opinion on the standalone financial statements.



अन्य मामलें

हमने तीस क्षेत्रीय कार्यालयों, एक ओएसटीसी, तीन सौ साठ मंडल कार्यालयों जिनमें पांच सौ तीन शाखाएँ, नौ सौ छिहत्तर व्यावसायिक केंद्र, दो विदेशी शाखा और तीन विदेशी एजेंसियां शामिल हैं, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल हैं जो के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-जोखा नहीं किया, जिस कंपनी का वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2019 तक 4,03,33,238 रुपये (हज़ार में) की कुल संपत्ति को दर्शाती है, और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु. 13,26,27,404 (हजारों में) जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में माना जाता है। इन शाखाओं और कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शाखा लेखा परीक्षकों (छोड़कर, एक विदेशी कार्यालय और दो विदेशी एजेंसियों) द्वारा ऑडिट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और अब तक यह हमारी राय से संबंधित है इन शाखाओं और कार्यालयों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

एच. के. चौधरी एंड कं. के लिए

सनदी लेखाकार

एफआरएन नं. 00615एन

(सीए इंदरजीत सोनी)

साझेदार

सदस्यता सं. 088694

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 28.05.2019

**For H. K. CHAUDHRY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**

FRN NO. 006154N

(CA INDERJIT SONI)

PARTNER

Membership No. 088694

Place : NEW DELHI

Dated : 28.05.2019

Other Matter

We did not audit the financial statements/information of Thirty Regional Offices, One OSTC, Three Hundred Sixty Divisional Offices including Five Hundred Three Branches, Nine Hundred Seventy Six business centers, two foreign branch and three foreign agencies, included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 4,03,33,238 (in Thousand) as at 31st March, 2019 and total revenue of Rs. 13,26,27,404 (in Thousand) for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The internal financial controls over financial reporting of these branches and offices have been audited by the branch auditors (except, one foreign office and two foreign agencies), whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the internal financial controls in respect of these branches and offices, is based solely on the report of such branch auditors.

एससीवी एंड कं. एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन नं. 000235एन/एन500089

(सीए अभिनव खोसला)

साझेदार

सदस्यता सं. 087010

For SCV & CO. LLP

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN NO. 000235N/N500089

(CA ABHINAV KHOSLA)

PARTNER

Membership No. 087010



संख्या / No. : *सां. ले. अ. (आ.)/आ. व. आ. / 138-19/2019-20/245*
 भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
 कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
 एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II,
 नई दिल्ली
 INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
 OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
 COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER,
 AUDIT BOARD - II, NEW DELHI
 दिनांक / DATE 19-09-2019

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
 A-25/27 आसफ अली रोड,
 नई दिल्ली-110002

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रोषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

ह/-

(प्राची पाण्डेय)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
 एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड -II
 नई दिल्ली

संलग्नक: यथोपरि



31 मार्च 2019 के लिए मूल बीमा कंपनी की वित्तीय स्थिति के वित्तीय मानकों पर कंपनियों के 2013 के अधिनियम (2013) के तहत भारतीय क्षेत्र के 143 (6) (बी) के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरणिका और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियमावली, 2002 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन निर्धारित किए गए वित्तीय प्रतिवेदन प्रारूप के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 28 मई 2019 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों की जांचों और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनी हुई जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यानाकर्षण चाहूंगा, जो सज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित हैं और वित्तीय विवरणियों को अच्छे से समझने के लिए आवश्यक है।

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क.1 बैलेंस शीट

क.1.1 वर्तमान देयताएं

विविध लेनदारों - 1532.68 करोड़ (अनुसूची -13)

उपर्युक्त धारा 27.1 के तहत प्रधानमंत्री फासल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 2018-19 के दौरान प्राप्त 284.68 करोड़ रुपये के प्रीमियम के चार प्रतिशत की दर से बैंकों के लिए देय सेवा शुल्क के रूप में उपरोक्त



11.25¹ करोड़ रुपये पीएमएफबीवाई के संशोधित दिशानिर्देश 27.1.1 में शामिल नहीं हैं।

इसके परिणामस्वरूप 11.25 करोड़ रुपये के नुकसान की इसी समझ के साथ वर्तमान देयता का बोध हुआ है।

1.2 प्रावधान-अनुसूची 14

खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान- 349.19 करोड़ ₹

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के पास गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में 358.28 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से सुरक्षित एनसीडी में 298.04 करोड़ रुपये और आईएल एंड एफएस लिमिटेड और आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की असुरक्षित एनसीडी में 60.24 करोड़ रुपये हैं। सितंबर 2018 में एनसीडी पर ब्याज और जनवरी 2019 में मूलधन के रूप में पहली बार आईएल एंड एफएस डिफॉल्ट हुआ (कुल डिफॉल्ट- मूलधन: ₹10.00 करोड़ और ब्याज रुपये 19.49 करोड़ से जून 2019 तक)

तदनुसार, कंपनी ने आईएल एंड एफएस में अपने निवेश को आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और निवेश के अन्य संबंधित मामलों के अनुसार उप-मानक के रूप में माना है – मास्टर सर्कुलर आईआरडीए (निवेश) विनियम 2016 और असुरक्षित एनसीडी में निवेश की गई राशि के लिए प्रदान किया गया है। अंकित मूल्य का प्रतिशत और सुरक्षित एनसीडी में अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत (कुल प्रावधान 90.04 करोड़ रुपये)।

हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नेशनल कंपनी लॉ अपीलैट ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही करने के अनुसार, इन दोनों कंपनियों को ए - थै समूह की कंपनियों के मामलों के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा श्रेड्ड श्रेणी में रखा गया है। जिसका अर्थ है कि ऐसी इकाइयाँ वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के प्रति अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा, इन कंपनियों की निवेश रेटिंग ष्ट। और ष्ट द्वारा निम्नतम स्तर श्वश पर डाउनग्रेड कर दी गई है, जिसका अर्थ है कि इस रेटिंग वाले उपकरण डिफॉल्ट रूप से हैं या जल्द ही डिफॉल्ट होने की उम्मीद है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, ऑडिट का विचार है कि आईएल एंड एफएस में 358.28 करोड़ रुपये का कुल निवेश प्रदान किया जाना चाहिए।

एनसीडी के सुरक्षित हिस्से पर प्रावधान न होने से संदिग्ध ऋणों के प्रावधान का प्रावधान 268.24 करोड़ रुपये (कुल जोखिम रु. 358.28 करोड़ माइनस प्रावधान 90.04 करोड़ रुपये) हो गया है।

क. 1.3 परिचालन लाभ / (हानि)

क.1 जे.आई. विविध बीमा- ₹ (1128.68) करोड़

कंपनी ने 71.26 करोड़ रुपये और 28.02 करोड़ रुपये की प्रीमियम रसीद के दावे को उलट दिया

बीड जिले में सोयाबीन की फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

1 कुल सेवा शुल्क देय 11.39 करोड़ (284.68 * 4%) जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र* 0.14 करोड़ के मामले में पहले से भुगतान की गई माइनस सेवा शुल्क



कंपनी ने क्षेत्र सुधार फैक्टर (एसीएफ) के आवेदन के कारण राज्य सरकार से पिछले तीन वर्षों का डाटा लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए महाराष्ट्र के बीड जिले में सोयाबीन फसल के लिए 71.26 करोड़ रुपये का दावा वापस किया और 208.02 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त किया। पीएमएफबीवाई के संशोधित दिशा-निर्देशों के आधार एमएनसीएफसी द्वारा क्षेत्र विसंगति डाटा प्रदान किया जाना चाहिए था और राज्य सरकार सहित अन्य किसी स्रोत से प्राप्त डाटा पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कंपनी द्वारा एमएनसीएफसी को प्रदत्त करवायी गई एएफसी की गणना को संदर्भित किया है। एमएनसीएफसी की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है। रिपोर्ट की लंबित रसीद रु. 71.26 करोड़ के सकल दावे के लिए प्रावधान तथा रु 28.02 करोड़ वापस नहीं किए जाने चाहिए थे।

देनदारी के गलत उलटफेर के साथ-साथ आय में 28.02 करोड़ रुपये का प्रीमियम और विभिन्न राजस्व खाते में दावों का 71.26 करोड़ रुपये की कमी का परिलक्षण का हो गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए नुकसान को 43.24 करोड़ रुपये (₹.271.26 करोड़ – 28.02 रुपये) परिलक्षित किया गया है।

कृते तथा की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह./-
(प्राची पांडे)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षक बोर्ड-॥
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 19.09.2019



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019.

The preparation of Financial Statements of the Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 May 2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the Financial Statements of the Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2019 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report:

A. Comments on Profitability

A.1 Balance Sheet

A.1.1 Current Liabilities

Sundry Creditors – ₹ 1532.68 crore (Schedule-13)

The above does not include ₹ 11.25¹ crore being the service charges payable to Banks at the rate of four percentage of farmer's share of premium of ₹ 284.68 crore received during 2018-

¹ Total service charges payable ₹ 11.39 crore (₹ 284.68*4%) minus service charges already paid in case of J&K, Maharashtra ₹ 0.14 crore



19 under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY), as per clause 27.1.1 of revised guidelines of PMFBY.

This has resulted in understatement of current liability with corresponding understatement of loss by ₹11.25 crore.

A.1.2 Provisions-Schedule 14

Provision for bad and doubtful debts- ₹ 349.19 crore

The Oriental Insurance Company Limited (the Company) holds ₹ 358.28 crores in Non-Convertible Debentures (NCDs) out of which ₹ 298.04 crores in secured NCDs and ₹ 60.24 crores in unsecured NCDs of IL&FS Limited and IL&FS Financial Services Limited. IL&FS defaulted in payment of interest on NCDs in September 2018 and Principal in January 2019 for the first time (total default- Principal: ₹ 10.00 crores and Interest ₹ 19.49 crores up to June 2019).

Accordingly, the Company has treated its investment in IL&FS as sub-standard as *per Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and other related matters of Investment – Master Circular IRDA (Investment) Regulations 2016* and provided for the amount invested in unsecured NCDs at 100 per cent of the face value and at 10 per cent of face value in secured NCDs (total provision ₹ 90.04 crore).

However, as per proceeding before National Company Law Appellate Tribunal available in public domain, both these companies have been placed under the 'Red' category by the new Board of Directors appointed by the Union Government to manage the affairs of the IL&FS group of companies, which means that such entities cannot meet their payment obligations towards even senior secured financial creditors. Further, investment rating of these companies has been downgraded to lowest level 'D' by ICRA and CARE which means the instruments with this rating are in default or are expected to be in default soon.

In view of above circumstances, Audit is of the view that the entire investment of ₹ 358.28 crore in IL&FS should have been provided for.

Non creation of provision on secured portion of NCDs has resulted in understatement of provision for doubtful debts by ₹ 268.24 crore (total exposure ₹ 358.28 crores *minus* provision made ₹ 90.04 crores) and consequent understatement of Loss to the same extent.

A.1.3 Operating Profit/ (Loss)

A.1.3.1 Misc. Insurance- ₹ (1128.68) crore

The Company reversed a claim of ₹ 71.26 crore and premium receipt of ₹ 28.02 crore under Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana (PMFBY) for Soybean Crop in Beed district of



Maharashtra for Kharif 2018 due to application of Area Correction Factor² (ACF) by taking the data of State Government for last three years. As per the revised guidelines of PMFBY, area discrepancy data should be provided by Mahalanobis National Crop Forecast Centre (MNCFC) and no other data from any source including state Governments would be considered. Though, Ministry of Agriculture & Farmers' welfare referred the calculation of ACF made by the Company to MNCFC, the report of MNCFC was still awaited. Pending receipt of report, provision for net claim of ₹ 71.26 crore and income of ₹ 28.02 crore should not have been reversed.

Incorrect reversal of liability as well as income has resulted in understatement of Premium by ₹ 28.02 crore and Claim in Miscellaneous Revenue account by ₹ 71.26 crore. Consequently, loss for the year has been understated by ₹ 43.24 crore (₹ 71.26 crore – ₹ 28.02).

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**(Prachi Pandey)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II,
New Delhi**

Place: New Delhi

Date: 19.07.2019

²Area Correction Factor is arrived at by dividing the area sown by the area insured for a given unit area, and applied on the claim amount in order to scale it down. As a result, the claims of all the farmers in a unit area are scaled down uniformly.



लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क. बैलेंस शीट

क.1.1 वर्तमान देयताएं

विविध लेनदार- ₹. 1532.68 करोड़ (अनुसूची -13)

प्रबंधन जवाब: -

बैंक सेवा शुल्क का प्रावधान तब से नहीं किया जा सका है क्योंकि बैंकों ने पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार बीजक और घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

इसके अलावा, हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि 4% बैंक सेवा शुल्क बैंकों के माध्यम से नामांकित किसानों के मामले में लागू होते हैं, न कि सीएससी के माध्यम से नामांकित किसानों के ऋण के मामले में।

बैंक सेवा शुल्क के हकदार हैं, जहां किसान के खाते से प्रीमियम की कटौती के बाद विवरण राष्ट्रीय फसल पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। हालांकि, विवरण कई बैंकों द्वारा 31 03 2019 तक लंबित थे और कई रिकॉर्ड उनके द्वारा अपलोड नहीं किए गए थे।

हमने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बैंकों को कई अनुस्मारक भेजे हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि खरीफ सीजन 2018 के दौरान सीएससी के माध्यम से 60% किसान गैर-ऋणदाता थे। इसलिए, ऐसे बैंक प्रीमियम राशि के संबंध में सेवा शुल्क के हकदार नहीं थे जो हमें बैंकों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए।

इसलिए, 31.03.2019 तक बैंक शुल्क की वास्तविक राशि को लंबित करना संभव नहीं था, हम इस राशि का पता नहीं लगा सकते थे क्योंकि अधिकांश बैंकों ने एनसीआईपी पर डेटा अपलोड नहीं किया था।

क.1.2 अनुपयुक्त और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान- 12.20 करोड़ ₹

प्रबंधन जवाब: -

कंपनी का 31.03.2019 तक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL & FS) समूह में 35828.33

COMMENTS ON PROFITABILITY

A.1 Balance Sheet

A.1.1 Current Liabilities

Sundry Creditors-Rs. 1532.68 crore (Schedule-13)

Management Reply:-

Provisioning for Bank service charges could not be made since the banks had not submitted the Invoice and Declaration as per requirement of Operational Guidelines of PMFBY.

Further we would like to mention that 4% bank service charges are applicable in case of farmers enrolled through banks and not in case of non-loanee farmers enrolled through CSC.

Banks are entitled to service charges where after deduction of the premium from the farmer's account the details are uploaded on National Crop Portal. However, the details were pending by many bankers till 31 03 2019 and many records were not uploaded by them.

We have sent many reminders to the banks through our Regional offices. We also would like to mention that more than 60% farmers were non-loanee through CSC during the kharif season 2018. So, such banks were not entitled to service charges in respect of premium amount which we had received from other sources other than from banks (as loanee farmers).

So, it was not possible to work out actual amount of Bank charges pending as on 31 03 2019, we could not ascertain the amount as most of the banks had not uploaded the data on the NCIP

A.1.2 Provision for bad and doubtful debts- Rs. 12.20 crore

Management Reply:-

The Company has an aggregate investment exposure of Rs. 35828.33 Lakhs in Infrastructure Leasing &



लाख रुपये का कुल निवेश जोखिम है। IL & FS समूह की कंपनियों ने ब्याज और सिद्धांत के भुगतान को डिफॉल्ट कर दिया है जो 31 मार्च तक था। 2019. आईएल एंड एफएस समूह में संपूर्ण निवेश, इसलिए आय-मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और निवेश-मास्टर के अन्य मामलों को आईआरडीए के विनियम 2016 के अनुसार उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

यद्यपि उक्त परिपत्र में बीमाकर्ता को केवल 10% सुरक्षा के बावजूद सामान्य प्रावधान करने की आवश्यकता होती है, लेकिन विवेकपूर्ण आधार पर कंपनी को पूरी तरह से असुरक्षित हिस्से के लिए प्रदान की गई है। इसके परिणामस्वरूप निवेश के 9004.17 लाख रुपये (2980.46 लाख रुपये सुरक्षित भाग पर 10% और 6023.71 लाख रुपये/असुरक्षित भाग पर 100%) का कुल प्रावधान है। अगर कंपनी ने केवल 10% का प्रावधान किया होता, तो यह राशि 9004.17 लाख रुपये की बजाए 354.83 लाख रुपये की हो गई होती।

वर्तमान में हम आईएल एंड एफएस समूह में निवेश के हमारे सुरक्षित हिस्से को पूरी तरह से अप्राप्य और हानि परिसंपत्ति नहीं मानते हैं

इसके अलावा पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से कोई भी आईएल एंड एफएस ग्रुप में अपने एक्सपोजर के लिए पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

हालाँकि कंपनी इस मामले में घटनाक्रम पर पूरी नजर रखेगी और समय-समय पर मामले में आगे की प्रगति पर विचार करने और आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप रखने के बाद उचित कार्रवाई करेगी।

क.1.3 ऑपरेटिंग लाभ / (हानि)

क.1.3.1 विविध बीमा - रूपए (1128.68) करोड़

प्रीमियम अर्जित (निवल) (अनुसूची -1) -रूपए 9791.18 करोड़

उपगत दावे (निवल) (अनुसूची -2) -रूपए 10432.02 करोड़

प्रबंधन जवाब: -

पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, अंक सं. 25.4 तालुका स्तर पर प्रकाशित खेती योग्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का बीमा करने में किसी भी तरह की सामूहिक अनियमितता/

Financial Services Ltd. (IL&FS) group as on 31.03.2019. Companies in IL&FS group have defaulted payment of interest and principle which was due up to 31st March. 2019. The entire investment in the IL&FS group, therefore, is categorized as sub-standard asset as per Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and other related matters of Investment-Master Circular IRDA (Investment) Regulations 2016.

Although the said circular requires the insurer to only make a general provision of 10% irrespective of security, the company on prudence basis has fully provided for the unsecured portion. This has resulted in a total provision of Rs 9004.17 Lakhs (Rs 2980.46 lakhs on secured portion @10% and Rs. 6023.71 Lakhs @ 100% on unsecured portion) of investment. Had the company made a provision only @ 10%, the same would have worked out at Rs 3582.83 lakhs as against Rs 9004.17 lakhs made now.

Currently we do not consider our secured portion of the investment in IL&FS group as totally unrecoverable and a loss Asset

Further none of the PSU General Insurance Companies have fully provided for their exposure in IL&FS Group.

However the company will keep a close watch on the developments in this case and will take appropriate action as and when required after considering further progress in the matter and keeping in line with the directives issued by IRDAI from time to time

A.1.3 Operating Profit /(Loss)

A.1.3.1 Misc. Insurance -Rs. (1128.68) crores

Premium earned (Net) (Schedule-1)-Rs. 9791.18 crore

Claims Incurred (Net) (Schedule-2)-Rs. 10432.02 crore

Management Reply:-

As per Operational Guidelines of PMFBY, point no- 25.4 any mass irregularities/anomalies in insuring of excess



विसंगतियों को बीमा कंपनी द्वारा लिखित रूप में DAC&FW के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

प्रचालन तंत्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि बीमित क्षेत्र और बोए गए क्षेत्र के बीच अंतरझ ब्लॉक/तहसील/तालुका में 30% है, ऐसे ब्लॉक/तहसील/तालुका के सभी आईयू एकड़ विसंगति की श्रेणी में आएंगे और इन्हें 'आधिक्य' बीमा कवरेज माना जाना चाहिए।

उपरोक्त उल्लिखित बिंदु के मद्देनजर हमने ACF के आवेदन के लिए तीन साल के आंकड़ों की गणना की और उनका विश्लेषण किया, और अधिकतम राशि का अंतर (30% से अधिक) (केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार) प्रस्तुत किया गया।

केंद्रीय मंत्रालय ने हमारे रुख को मान्यता दी और इसे सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से समानांतर सत्यापन के लिए एमएनसीएफसी को संदर्भित किया और राज्य सरकार और बीमा कंपनियों को और अधिक सटीक सत्यापन के लिए निर्देशित किया और हमें सोयाबीन फसल के लिए बीड जिले के दावों का भुगतान (पत्र दिनांक 16.4.2017 पहले से ही पीओएम उत्तर के साथ सीएजी टीम को प्रदान किया गया है) करने के लिए कहा गया।

हमने मंत्रालय को अपनी पत्र दिनांक 11.04.2019 को अपनी विस्तृत कार्य-सूची प्रस्तुत की (प्रतिलिपि पहले से ही सीएजी ऑडिट टीम को उपलब्ध कराई गई है) जहां डेटा में 1,31,87,29,467 रुपये से अधिक का बीमा और अतिरिक्त प्रीमियम परिलक्षित होता है (जिसमें से हमारा हिस्सा और शुद्ध राशि 280,230,011.7 रुपये है) हमने उपरोक्त पत्र को वापस करने का अनुरोध किया है।

रिफंड के कारण महाराष्ट्र के बीड जिले में सोयाबीन की फसल के संबंध में 3353416164 (हमारी हिस्सेदारी और शुद्ध राशि रु. 712600934.9 है) तक देयता में कमी आई है।

हमने वास्तविक फसल को दर्शाने के लिए सकल फसल के प्रीमियम से 31.03.2019 तक प्रीमियम की राशि में कटौती की है और उपरोक्त रिफंड के कारण, देयता में कमी आई है जिसे हमने कुल बकाया देयता से 31.03.2019 को घटा दिया है।

कृषि मंत्रालय फसल बीमा के लिए अंतिम प्राधिकरण है, और एमएनसीएफसी एक सलाहकार निकाय है जो निर्णय के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है।

area i.e. more than the published cultivable area at Taluka level should compulsorily be brought to the notice of DAC&FW, by Insurance company in writing.

Further as per point no-25.6 of Operational Guidelines If the difference between insured area and sown area provided is >30% at Block/Tehsil/ Taluka ,all IUs of such Block/Tehsil/ Taluka will fall under acreage discrepancy category and should be treated as having 'excess' insurance coverage.

In view of the above referred point we have calculated and analyzed the data of three years, and max amount of difference (more than 30%) across three years (as per central Government's directive) was submitted for application of ACF.

Central Ministry recognized our stand and referred it to MNCFC for parallel verification through satellite imagery and also directed state Government and Insurance companies for more granular verification and asked us to hold payment of claims of Beed district for soybean crop (letter dated 16.4.2019 already provided to CAG Team with POM reply).

We submitted our detailed working vide our letter dt.11 04 2019 to Ministry (copy already provided to CAG Audit team) where in data reflected an over insurance and excess premium of Rs. 1318729467/- (out of which our share and net amount is Rs. 280230011.7) which we requested to refund vide above letter.

On account of the refund there is reduction of liability to the extent of Rs.3353416164/-, (our share and net amount is Rs.712600934.9) in respect of Soybean crop in Beed district of Maharashtra.

We have deducted the amount of premium as on 31 03 2019 from the Gross Crop premium to reflect the true picture and on account of the above refund, there is reduction in liability which we have also deducted from total outstanding liability as on 31 03 2019.

Ministry of Agriculture is the final Authority for crop insurance, and MNCFC is an advisory body providing necessary input to it for decision.



इसलिए, खेती के वास्तविक क्षेत्र के बारे में अंतिम निर्णय डीएसी, कृषि मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने रिमोट सेंसिंग के माध्यम से समानांतर डेटा प्राप्त करने के लिए इसे MNCFC के लिए संदर्भित किया है। एमएनएफसी के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद, हमें बताया गया कि उनके पास सोयाबीन की फसल के लिए डेटा नहीं है। चूंकि उस फसल की कटाई खत्म हो गई है, वे रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ पुष्टि करने की स्थिति में नहीं थे। अंतिम निर्णय परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। कृषि मंत्रालय बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच करने और राज्य सरकार द्वारा दिए गए डेटा/भूमि रिकॉर्ड के आधार पर नकली/धोखाधड़ी करने वाले किसानों की राशि को खारिज करने के बाद अंतिम कॉल करेगा। हमने केंद्र सरकार को अपना काम दे दिया है और उनके साथ डुप्लिकेट/धोखाधड़ी करने वाले किसानों का विवरण साझा किया है जिसे मंत्रालय ने अपनी सिफारिशों के लिए MNCFC को संदर्भित किया है।

कृषि मंत्रालय ने अपना अंतिम निर्णय जारी किया है। 06.08.2019 (जो आपके संदर्भ के लिए संलग्न है) और निम्नानुसार पठित है:

“विभाग ने कंपनी के निष्कर्षों की जांच की है और बाद में विभाग ने परली तालुका के गांव वार विस्तृत विश्लेषण किया है। कुल भूमि क्षेत्र, बीमा कंपनी द्वारा खारिज और अनुमोदित क्षेत्र के बीच भिन्नता की गणना की गई थी। 73593.38 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में से, बीमा कंपनी ने 3735.97 हेक्टेयर क्षेत्र को खारिज कर दिया और 73241.73 ha क्षेत्र को मंजूरी दी। इसके अलावा, विश्लेषण में यह देखा गया कि महत्वपूर्ण गाँव हैं जहाँ बीमित क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र की तुलना में कम है।

यह भी देखा गया है कि परली तालुका के 34 गाँवों में इन गाँवों का खेती योग्य क्षेत्र 23037 हेक्टेयर है, स्वीकृत बीमा क्षेत्र 32142 हेक्टेयर और बीमित पाया जाता है जो खेती योग्य क्षेत्र की तुलना में 9105 हेक्टेयर अधिक है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बहुत सारे दोहरेपन अभी भी हैं डेटा में मौजूद है जो अतंतः दर्शाता है कि कंपनी ने उचित तरीके से डी-डुप्लिकेट का संचालन नहीं किया है। इसलिए यहां तक कि एक चरम मामले में अगर यह मान लिया जाए कि इन गाँवों का पूरा खेती योग्य क्षेत्र सोयाबीन के लिए बीमा है, तो भी ऐसी स्थितियों में 39.57% की नकल होती है। यदि उक्त

Therefore, final decision regarding actual area of cultivation will be taken by DAC, Ministry of Agriculture. They have referred it to MNCFC to obtain parallel data through remote sensing. After discussions with the officials of MNCFC, we were informed that they did not have data for Soya bean crop. Since the harvesting for that crop is over, they were not in a position to substantiate with the remote sensing data. Final decision will be as per the operational guidelines. Ministry of Agriculture will take final call after checking the banking records and rejecting the amount of duplicate/ fraudulent farmers based on the data/ land records given by the state government. We have given our working to the central government and shared the details of duplicate / fraudulent farmers with them which Ministry has referred to MNCFC for its recommendations.

Ministry of Agriculture has issued their final decision vide their letter of even number dt. 06 08 2019 (which is attached for your reference) and reads as under:

“The department has examined the findings of the company and subsequently the department carried out village wise detailed analysis of Parli Taluka. A variation was calculated between the total land area, area rejected and approved by the Insurance Company. Out of 73593.38 ha of land area, Insurance Company has rejected 3735.97 ha area and approved 73241.73ha area. Further, it was observed in the analysis that there are significant number of villages where insured area is less than that of total land area.

It has also been observed that in 34 villages of Parli Taluka the cultivable area of these villages is 23037 ha, the approved insured area 32142 ha and Insured area is found to be 9105 hectare more than the cultivable area which clearly indicates that lot of duplicity still exists in the data which intern indicates that the company has not conducted de-duplication in a proper manner. Therefore even in a extreme case if it is assumed that the entire cultivable area of these villages is under insurance for Soybeans, even in such



नकल कारक को आधार के रूप में लिया जाता है, तो कुल स्वीकृत के लिए पूरे तालुका के लिए हैं जो 73,241 हेक्टेयर है, गणितीय रूप से 39.57% की नकल अभी भी बनी हुई है। यह इंगित करता है कि लगभग बीमित क्षेत्र को लगभग 44,000 हेक्टेयर (लगभग) पर आना चाहिए जो कि दोहराव के कारक को लागू करने के बाद होता है, जो उस सीमा से परे नहीं होता है जिसमें एसीएफ पर विचार किया जा सकता है।”

उन्होंने हमें निर्देशित किया कि किसान के आधार पर की जाने वाली सभी फसलों के लिए डी-डुप्लीकेशन के साथ व्यक्तिगत विसंगति को एकड़ के आधार के माध्यम से हल किया जा सकता है जो निम्नानुसार है:

“पूरे गाँव या तालुका स्तर पर डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया अभ्यास को पूरा किए बिना किसान आईडी पर किए जाने वाले सभी फसलों के लिए व्यक्तिगत दोहराव के साथ भुगतान की शुरुआत की जानी चाहिए।”

मंत्रालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार हमारा पुणे कार्यालय किसानों के भूमि रिकॉर्ड सहित रिकॉर्ड आधार के व्यक्तिगत सत्यापन पर दावों के प्रसंस्करण के साथ आगे बढ़ा है। 109763 आवेदनों को जांच के लिए मंत्रालय के उपरोक्त निर्देश के आधार पर खारिज कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 105.65 करोड़ रुपये का प्रीमियम वापस किया गया (उसी का शुद्ध प्रभाव 26.41 करोड़ रुपये और 268.66 करोड़ रुपये का दावा है (शुद्ध रु. 67.16 करोड़ पर) उपरोक्त द्वैधता / विसंगति के कारण खारिज कर दिया गया है, जो कि लगभग 28.8 करोड़ रुपये के प्रीमियम के उलट है और शुद्ध दावा (71.26 करोड़ रुपये) की कमी है।

अस्वीकृत आवेदन का विवरण राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ साझा किया गया है। वे ओवरबीमा के लिए जिम्मेदार समूह / व्यक्तियों के विवरण की जांच कर रहे हैं।

conditions there is duplicity of 39.57%. If the said duplicity factor is taken as the base then for the total approved are for the entire Taluka which is 73,241 ha, mathematically duplicity of 39.57% still persist. This indicates that the approx. insured area should come at around 44,000 ha (approx.) after applying the duplicity factor which is not beyond of limit wherein a ACF can considered.”

They directed us that average discrepancy can be resolved through individual basis with de-duplication for all crops to be done on farmer IDs basis which reads as under:

“Payment should be initiated on Individual basis with de-duplication for all the crops to be done on Farmer IDs without waiting for completing the de-duplication exercise at the entire village or Taluka level.”

As per the above directions of Ministry our Pune office has proceeded with processing of claims on Individual verifications of records basis including land records of farmers. 109763 applications have been rejected on the basis of the above direction of Ministry for investigation which resulted in the refund of Rs. 105.65 crs of premium (Net impact of the same is Rs.26.41 crs and claims of Rs.268.66 crs (on net Rs.67.16 crs) have been rejected on account of the above duplicity/anomaly which is almost same as far as reversal of premium of (Rs.28.02 crs) and reduction of net claim (Rs.71.26 crs) is concerned.

Details of rejected application have been shared with the state Government and the Central Government . They are further investigating the details the group/ persons responsible for over-insurance.



ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण
**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा
राशि खाता**

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 25.02.2014
**FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH 2019**

(Rs. '000)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2019 को As at 31.03.2019	31.03.2018 को As at 31.03.2018
1. अर्जित प्रीमियम (निवल)	1. Premium earned (Net)	1	6019541	5903810
2. निवेश/बिक्री पर लाभ/हानि पर लाभ/हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		1466967	1399943
3. अन्य - क) विनिमय पर लाभ/(हानि)	3. Others - a) Profit/(Loss) on exchange		(259)	1899
ख) शेयरधारकों के निधियों से योगदान - आधिक्य ई.ओ.एम.	b) Contribution from Shareholders' Funds to-wards excess EoM		0	442280
4. ब्याज, लाभांश और किराया-सकल	4. Interest, Dividend & Rent - Gross		964974	917177
कुल (ए)	Total (A)		8451223	8665109
1. उपगतदावा (निवल)	1. Claims Incurred (Net)	2	6771648	5095663
2. कमीशन	2. Commission	3	856812	960705
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	2217643	2482435
4. अन्य	4. Others			
ए) मानक संपत्ति/एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		63530	(7154)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		4313	(1297)
सी) अमूर्त खर्च	c) Amortization Expenses		24044	19213
डी) निवेश लिखित बंद (निवल)	d) Investment Written Off (Net)		7016	10515
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		361036	0
कुल (बी)	Total (B)		10306042	8560080
आग्नि व्यापार से ऑपरेटिंग लाभ/(हानि) सी = (ए-बी)	Operating Profit/(Loss) from fire business C = (A - B)		(1854820)	105029
विनियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		(1854820)	105029
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to General Reserve		NIL	NIL
कुल (सी)	Total(C)		(1854820)	105029

लेखा के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट्स
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts

16

होड्यूल्ड ने उपरोक्त प्रपत्र को बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित किया है
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N
सीए इंदरजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089
सीए अभिनव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799



ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड

पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मरीन बीमा राशि खाता

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 25.02.2014
**MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH 2019**

(Rs. '000)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2019 को As at 31.03.2019	31.03.2018 को As at 31.03.2018
1. अर्जित प्रीमियम (निवल)	1. Premium earned (Net)	1	2083963	2301536
2. निवेश / बिक्री पर लाभ / हानि पर लाभ / हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		502435	547369
3. अन्य - क) विनिमय पर लाभ / (हानि)	3. Others - a) Profit/(Loss) on exchange		(3550)	1408
ख) शेयरधारकों के निधियों से योगदान - आधिक्य ई.ओ.एम.	b) Contribution from Shareholders' Funds to wards excess EoM		168732	214547
4. ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	4. Interest, Dividend & Rent - Gross		330503	358611
कुल (ए)	Total (A)		3082083	3423471
1. उपगत दावा (निवल)	1. Claims Incurred (Net)	2	1388957	1609051
2. कमीशन	2. Commission	3	201496	215142
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	490216	509878
4. अन्य	4. Others			
ए) मानक संपत्ति / एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		21759	(2797)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		1477	(507)
सी) अमूर्त खर्च	c) Amortization Expenses		8235	7512
डी) निवेश लिखित बंद (निवल)	d) Investment Written Off (Net)		2403	4111
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		0	(43947)
कुल (बी)	Total (B)		2114543	2298443
समुद्री व्यापार से परिचालन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	Operating Profit/(Loss) from Marine business C = (A - B)		967539	1125028
विनियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		967539	1125028
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
अन्य भंडार में स्थानांतरित करें	Transfer to other reserves		NIL	NIL
कुल (सी)	Total (C)		967539	1125028

लेखा के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट्स
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts

16

शेड्यूल ने उपरोक्त प्रपत्र को बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित किया है
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N
सीए इंदरजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089
सीए अभिनाव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799



ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए विविध बीमा राशि खाता

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 25.02.2014
MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH 2019

(Rs. '000)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2019 को As at 31.03.2019	31.03.2018 को As at 31.03.2018
1. अर्जित प्रीमियम (निवल)	1. Premium earned (Net)	1	97911755	88074718
2. निवेश / बिक्री पर लाभ / हानि पर लाभ / हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		14222880	16226330
3. अन्य - क) विनिमय पर लाभ / (हानि) ख) शेयरधारकों के निधियों से योगदान - आधिक्य ई.ओ.एम.	3. Others - a) Profit/(Loss) on exchange b) Contribution from Shareholders' Funds towards excess EoM		(23655) 0	23686 178748
4. ब्याज, लाभांश और किराया - सकल कुल (ए)	4. Interest, Dividend & Rent - Gross Total (A)		9355844 121466824	10630732 115134215
1. उपगता दावा (निवल)	1. Claims Incurred (Net)	2	104320224	75507423
2. कमीशन	2. Commission	3	5527117	5196171
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	21947335	23937588
4. अन्य	4. Others			
ए) मानक संपत्ति / एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		615954	(82923)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		41819	(15035)
सी) परीक्षण खर्च	c) Amortization Expenses		233116	222689
डी) निवेश लिखित बंद (निवल)	d) Investment Written Off (Net)		68020	121880
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		0	0
कुल (बी)	Total (B)		132753584	104887793
विविध व्यवसाय से परिचालन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	Operating Profit/(Loss) from miscellaneous business C = (A - B)		(11286760)	10246422
विनियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		(11286760)	10246422
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
अन्य भंडार में स्थानांतरित करें	Transfer to other reserves		NIL	NIL
कुल (सी)	Total (C)		(11286760)	10246422

लेखा के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट्स
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts

16

होड्यूल ने उपरोक्त प्रपत्र को बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित किया है
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N
सीए इंद्रजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089
सीए अभिनव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए.वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799



ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 25.02.2014
**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR YEAR ENDED 31ST
MARCH 2019**

S. No.	विवरण	Particulars	Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
1	प्रचालन लाभ / (हानि)	OPERATING PROFIT /(LOSS)		
	(ए) अग्नि इश्योरेंस	(a) Fire Insurance	(1854820)	105029
	(इ) समुद्री बीमा	(b) Marine Insurance	967539	1125028
	(ब) विविध बीमा	(c) Miscellaneous Insurance	(11286760)	10246422
2	निवेश से आयें	INCOME FROM INVESTMENTS		
	(ए) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	(a) Interest, Dividend & Rent - Gross	2520082	1246158
	(इ) निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ	(b) Profit on sale/redemption of investment	3855035	1902086
	घटायें: निवेश की बिक्री / शोधन पर नुकसान	Less: Loss on sale/redemption of investment	(23973)	0
3	अन्य आय	OTHER INCOME		
	अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) on sale of fixed assets	(8444)	(24064)
	विविध आय	Miscellaneous Income	46473	38566
	पुरानी / दावा रहित शेष राशि वापस लिखी गई	Old/Unclaimed Balance Written Back	80576	45152
	विनिमय लाभ / (हानि)	Exchange Gain/(Loss)	172917	(26089)
	आयकर रिफंड पर ब्याज	Interest on income-tax refunds	1392697	984904
	कुल (ए)	TOTAL (A)	(4138677)	15643192
4	प्रावधान (कराधान के अलावा)	PROVISIONS (Other than taxation)		
	(ए) निवेश के मूल्य में कमी के लिए	(a) For diminution in the value of investments	11264	(1762)
	(बी) अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए	(b) For bad and doubtful debts\Investment	122047	46992
	(ब) परिशोधन व्यय	(c) Amortisation Expenses	62792	26104
5	अन्य खर्चें	OTHER EXPENSES		
	क) बीमा व्यवसाय से संबंधित लोगों के अलावा अन्य व्यय	a) Expenses other than those relating to Insurance Business	0	0
	ख) पुरानी / अप्राप्य शेष राशि	b)Old/Irrecoverable balances written off	154	2070
	ग) मानक आस्तियों / एनपीए पर प्रावधान	c) Provision on Standard Assets/NPA	165913	(9720)
	डी) निवेश लिखा (निवल)	d) Investments written off (Net)	18322	14287
	ई) सीएसआर व्यय	e) CSR Expendiure	72261	66874
	च) भुगतान किए गए आयकर / सेवा कर पर दिया गया ब्याज	f) Interest on income-tax/service tax paid	53476	16656
	छ) अधिक ईओएम के प्रति पॉलिसीधारकों के फंड में योगदान	g) Contribution to Policyholders Funds towards excess EoM	168732	835575
	ज) जोड़ें/(घटायें): पूर्व अवधि की आय	h) Add/(Less): Prior Period Income	(595182)	3170
	झ) जोड़ें / (घटायें): पूर्व अवधि व्यय	i) Add/(Less): Prior Period Expenses	39197	820079
	ण) एनसीडी के मुद्दे से संबंधित व्यय	j) Expenses related to issue of NCD	6937	0
	त) एनसीडी जारी करने संबंधी ब्याज	k) Interest accrued on NCDs	25315	0
	कुल (बी)	TOTAL (B)	151228	1820325
	कर पूर्व लाभ	Profit Before Tax	(4289906)	13822867



S. No.	विवरण	Particulars	Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
	जोड़ें / (घटायें): फ्रिंज बेनेफिट टैक्स का प्रावधान	Add/(Less): Provision for Fringe Benefit Tax	0	0
	जोड़ें / (घटायें): कराधान के लिए प्रावधान - वर्तमान वर्ष	Add/(Less): Provision for taxation - Current Year	0	(2480000)
	जोड़ें / (घटायें): आस्थगित कराधान के लिए प्रावधान	Add/(Less): Provision for Deferred Taxation	0	0
	जोड़ें / (घटायें): पहले के वर्षों के संबंध में कर का प्रावधान	Add/(Less): Provision for tax in respect of earlier years	1353297	3756051
	कर पट्टावात लाभ	Profit after Tax	(2936609)	15098917
	विनियोग	APPROPRIATIONS		
	(ए) वर्ष की शुरुआत में संतुलन	(a) Balance at the beginning of the year	0	0
	(बी) वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया	(b) Interim dividends paid during the year	0	0
	(ब) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	(c) Proposed final dividend	0	0
	(घ) लाभांश वितरण कर	(d) Dividend distribution tax	0	0
	(ई) भंडार / अन्य खातों में स्थानांतरणरू	(e) Transfer to reserves/ other accounts:		
	(i) सामान्य आरक्षण	(i) General Reserves	0	0
	(ii) अनपेक्षित जोखिमों के लिए आकस्मिकता आरक्षित	(ii) Contingency Reserve for Unexpired Risks	0	0
	पिछले वर्ष से लाभ / हानि का संतुलन आगे लाया गया	Balance of profit/loss brought forward from last year	0	0
	बैलेंस शीट को आगे बढ़ाया	Balance carried forward to Balance Sheet	(2936609)	15098917
	प्रति शेयर बेसिक/डायल्यूटेड प्रति शेयर (ईपीएस) रुपये में	Basic/Diluted Earning Per Share (EPS) in Rs.	(14.68)	75.49

लेखा के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट्स

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts

Schedule 16

शेड्यूल ने उपरोक्त प्रपत्र को बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित किया है

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N

सीए इंदरजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089

सीए अभिनव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799



ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 25.02.2014

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

ब्यौरा	PARTICULARS	Schedule	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
निधियों का स्रोत	SOURCES OF FUNDS			
शेयर पूंजी	SHARE CAPITAL	5	2000000	2000000
परिणाम और अधिशेष	RESERVES AND SURPLUS	6	26630277	29566886
विलम्बित टैक्स देयता	Deferred Tax Liability		0	0
उचित मूल्य परिवर्तन खाता!	FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT !			
बीमा धारक	POLICYHOLDERS		64698063	78375205
शेयर धारक	SHAREHOLDERS		11158500	8198533
उधारी	BORROWINGS	7	7500000	0
कुल	TOTAL		111986840	118140624
निधियों का आवेदन	APPLICATION OF FUNDS			
निवेश:	INVESTMENTS :			
बीमा धारक!	POLICYHOLDERS !	8A	210033551	206441606
शेयर धारक!	SHAREHOLDERS !	8	36224569	21595073
ऋण	LOANS	9	1417212	1453961
अचल संपत्तियां	FIXED ASSETS	10	2355737	2157844
प्रगति में पूंजी का काम	Capital Work In Progress	10	3545672	2906622
आस्थगित कर परिसंपत्ति	Deferred Tax Assets		0	0
वर्तमान संपत्ति:	CURRENT ASSETS:			
नकद और बैंक शेष	Cash and Bank Balances	11	26128511	22641841
अग्रिम और अन्य संपत्ति	Advances and Other Assets	12	58202122	42643934
उप-कुल (ए)	Sub-Total (A)		84330633	65285775
वर्तमान देनदारियां	CURRENT LIABILITIES	13	160822835	120811289
प्रावधान	PROVISIONS	14	65097699	60888969
उप-कुल (बी)	Sub-Total (B)		225920534	181700258
निवल चालू संपत्ति (ए-बी)	NET CURRENT ASSETS = (A-B)		(141589901)	(116414482)
विविध व्यय	MISCELLANEOUS EXPENDITURE			
(बट्टे खाते या समायोजित नहीं होने की सीमा तक)	(to the extent not written off or adjusted)	15	0	0
लाभ और हानि खाता में जमा राशि	DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		0	0
कुल	TOTAL		111986840	118140624

लेखा के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट्स Significant Accounting Policies and Notes to Accounts 16

उपरोक्त अनुसूची को बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित किया गया है ! आईआरडीएआई मास्टर परिपत्र दिनांक 25/07/2017 के अनुसार शेयरधारकों / पॉलिसीधारक निधि के संबंध में विनियमों में बदलाव के मद्देनजर पिछले वर्ष के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं।

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

! Previous year figs. are not comparable in view of the changes in the regulations with respect to Shareholder/Policyholder funds as per IRDAI Master Circular dt. 25/07/2017

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N

सीए इंद्रजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

एससीवी एंड कं. एलएपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089

सीए अभिनव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799



**अनुसूची 1: 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्रीमियम अर्जन (निवल)
SCHEDULE -1 : PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019**

विवरण	Particulars	अग्नि/ FIRE		मरीन/ MARINE				विविध/ MISCELLANEOUS		कुल योग/ GRAND TOTAL			
		समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2019	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended	समाप्त वर्ष/Year Ended	समाप्त वर्ष/Year Ended	समाप्त वर्ष/Year Ended	समाप्त वर्ष/Year Ended	समाप्त वर्ष/Year Ended		
		31.03.2019	31.03.2018	मरीन कर्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	मरीन कर्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	31.03.2019	31.03.2018		
प्रत्यक्ष व्यापार से प्रीमियम	Premium from direct business	10673249	9966243	2059529	1433239	3492768	2130683	1015731	3146414	120681479	104255728	134847496	117368385
जोड़ें: पुनर्बीमा पर स्वीकृत प्रीमियम	Add: Premium on reinsurance accepted	1715284	1744311	58925	100032	158957	16677	44231	60908	1395318	1773658	3269559	3578877
घटाएँ: पुनर्बीमा पर अर्पित प्रीमियम	Less: Premium on reinsurance ceded	6193316	5866688	526036	1147613	1673649	381496	655140	1036636	21796215	13761678	29663180	20665002
निवल प्रीमियम	Net Premium	6195217	5843866	1592418	385658	1978076	1765864	404822	2170686	100280582	92267708	108453875	100282260
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन।	Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	175676	-59944	-86723	-19164	-105887	-76841	-54009	-130850	2368827	4192990	2438616	4002196
कुल प्रीमियम अर्जित (निवल)	Total Premium Earned (Net)	6019541	5903810	1679141	404822	2083963	1842705	458831	2301536	97911755	88074718	106015259	96280064
भाजन में व्यापार से प्रीमियम आय	Gross Direct Premium within India	9905957	9229590	1864634	1429163	3293797	1924561	1012816	2937377	118793495	102352711	131993249	114519678
भाजन के बाहर	Gross Direct Premium Outside India	767292	736653	194895	4076	198971	206122	2915	209037	1887985	1903017	2854248	2848707
निवल प्रीमियम	Total Gross Direct Premium	10673249	9966243	2059529	1433239	3492768	2130683	1015731	3146414	120681480	104255728	134847496	117368385



31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए विविध प्रीमियम अर्जित (निवल)
MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019 (Rs. '000)

विवरण Particulars	मोटर / MOTOR									
	Year Ended 31.03.2019					Year Ended 31.03.2018				
	ओडी/OD	टीपी नॉन पूल TP - Non Pool	टीपी पूल TP POOL	टीपी डीआर पूल TP D.R. POOL	कुल TOTAL	ओडी/OD	टीपी नॉन पूल TP - Non Pool	टीपी पूल TP POOL	टीपी डीआर पूल TP D.R. POOL	कुल TOTAL
प्रत्यक्ष व्यापार से प्रीमियम	15946877	30676899	0	0	46623776	16684930	28282598	0	0	44967528
नोट: पुनर्बीमा पर स्विकृत प्रीमियम	14192	0	0	0	14192	9130	276	0	0	9406
घटाएं: पुनर्बीमा पर अर्जित प्रीमियम	775918	1617818	0	0	2393736	867878	1482867	0	0	2350745
निवल प्रीमियम	15185151	29059081	0	0	44244232	15826182	26800007	0	0	42626189
में बदलाव के लिए समायोजन										
असमाप्त जोखिम के लिए आलोकित	-320516	1129537	0	0	809021	506027	2186738	0	-69205	2623560
कुल प्रीमियम अर्जित (निवल)	15505667	27929544	0	0	43435211	15320155	24613269	0	69205	40002629
व्यापार से प्रीमियम आय परिणामी										
भारत में	14775260	30576710	0	0	45351970	15445514	28129259	0	0	43574773
भारत के बाहर	1171618	100189	0	0	1271807	1239416	153339	0	0	1392755
निवल प्रीमियम	15946878	30676899	0	0	46623777	16684930	28282598	0	0	44967528



विवरण	Particulars	इंजीनियरिंग ENGINEERING		विमानन/ AVIATION		वर्कमैन/ WORKMEN'S		व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT		फसल CROP	
		समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
सीधे व्यापार से प्रीमियम लिखा है जोई: पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया घटाई: पुनर्बीमा पर प्रीमियम सुपूर्दी	Premium from direct business written Add: Premium on reinsurance accepted Less: Premium on reinsurance ceded	2381315 360575 829794	2321128 420515 713698	1161402 535272 1150684	881188 232833 887689	619869 56 32536	613756 50 29087	6257375 127 693684	5596105 1209 576093	17586400 0 13750592	8252051 0 6409025
निवल प्रीमियम में बदलाव के लिए समायोजन अप्रत्याशित जोखिम के लिए आरक्षित	Net Premium Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	1912096 -57925	2027945 -17085	545990 159829	226332 14795	587389 1335	584719 -42777	5563818 271298	5021221 378381	3835808 -641217	1843026 -55870
कुल प्रीमियम अर्जित (निवल) व्यापार से प्रीमियम आय प्रभावित भारत में भारत के बाहर निवल प्रीमियम	Total Premium Earned (Net) Premium Income from business effected In India Outside India Net Premium	1970021 2311370 69945 2381315	2045030 2263310 57818 2321128	386161 1161402 0 1161402	211537 881188 0 881188	586054 577437 42432 619869	627496 574887 38869 613756	5292520 6236898 20477 6257375	4642840 5576509 19596 5596105	4477025 17586400 0 17586400	1898896 8252051 0 8252051



विवरण	Particulars		स्वास्थ्य HEALTH		देयता / LIABILITY		अन्य विविध/OTHER MISC.		कुल/TOTAL	
	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018
प्रत्यक्ष व्यापार से प्रीमियम लिखा है	40880937	36084440	784261	727765	4386144	4811767	120681479	104255728		
जोड़ें: पुनर्बीमा पर स्वीकृत प्रीमियम	272134	1936	61052	60635	151910	1047074	1395318	1773658		
घटाएँ: पुनर्बीमा पर प्रीमियम सुपूर्दगी	2142966	1934840	237077	221817	565146	638684	21796215	13761678		
निवल प्रीमियम	39010105	34151536	608236	566583	3972908	5220157	100280582	92267708		
में बदलाव के लिए समायोजन										
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित	2429284	1289142	20827	4164	-623625	-1320	2368827	4192990		
कुल प्रीमियम अर्जित (निवल)	36580821	32862394	587409	562419	4596533	5221477	97911755	88074718		
व्यापार से प्रीमियम आय परिणामी										
भारत में	40537037	35811691	735737	679973	4295244	4738329	118793494	102352711		
भारत के बाहर	343900	272749	48524	47792	90900	73438	1887985	1903017		
निवल प्रीमियम	40880937	36084440	784261	727765	4386144	4811767	120681479	104255728		



अनुसूची -2: 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए दावा (निवल)
SCHEDULE -2 : CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

विवरण	Particulars	अग्नि / FIRE		मरीन / MARINE		विविध / MISCELLANEOUS		सकल योग/ GRAND TOTAL
		समाप्त वर्ष 31.03.2018		समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018		समाप्त वर्ष 31.03.2018		
		समाप्त वर्ष 31.03.2019	समाप्त वर्ष 31.03.2018	मरीन कार्गो Marine Cargo	मरीन हल्ल Marine Hull	कुल TOTAL	समाप्त वर्ष 31.03.2019	
शुभान्त का शुभान्त	Claims Paid							
प्रत्यक्ष	Direct	6488493	1254831	1397717	2652548	1164993	2582372	93934568
नोट: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	1052058	42580	208497	251077	7658	72765	3438434
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	2800323	3564296	936811	1084519	638998	837186	19255679
शुद्ध दावा का शुभान्त किया गया	Net Claims paid	4740228	1149703	669403	1819106	591102	1817951	78743041
नोट: चालू वर्ष के अंत में बकाया दावा	ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year							
प्रत्यक्ष	Direct	23579151	17661145	5197175	6317377	1257171	5756962	177985737
नोट: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	3008767	2449647	775674	819199	61718	921656	5490482
घटायें: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	15352507	10906801	4535180	4788726	310612	4908896	30609931
चालू वर्ष के अंत में शुद्ध दावा बकाया	Net Claims Outstanding at the end of Current Year	11235411	9203991	1437669	2347850	1008277	1769722	125024443
घटायें: पिछले वर्ष के अंत में बकाया दावा	LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year							
प्रत्यक्ष	Direct	17661145	17662844	5756962	7014133	1524341	6419577	143836310
नोट: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	2449647	2051369	61718	819199	49282	647568	2912527
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	10906801	11428644	4908896	5219508	350829	5303040	19440668
पिछले वर्ष के अंत में शुद्ध दावा बकाया	Net Claims Outstanding as at the end of the Previous Year	9203991	8285569	1008277	2777999	1222794	1764105	88656808
शुद्ध दावा किया गया	Net Claims Incurred	12406499	6547250	837930	1955792	1150209	502378	98779329
प्रत्यक्ष	Direct	1611178	1590866	62515	86902	20094	339195	646861
नोट: पुनर्बीमा स्वीकृत कर लिया	Add: Reinsurance accepted	7246029	3042453	563095	653737	157971	244854	23071449
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	6771648	5095663	337350	1388957	1012332	596719	104320224
निवल दावे	NET CLAIMS INCURRED	3886318	3351316	481243	1523812	1172716	584085	70842158
दावेदारों को शुभान्त दावा	Claims paid to claimants	853910	825925	107134	295294	54133	7017	2256960
भारत में	In India	4740228	1149703	669403	1819106	591102	1817951	84295423
भारत के बाहर	Outside India							72747849
निवल दावा शुभान्त किया	NET CLAIMS PAID							90854758

(Rs. '000)



CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

विवरण	Particulars	मोटर MOTOR										इंजीनियरींग ENGINEERING	
		ओडी/ OD	टीपी नोन पूल/ TP Non Pool	टीपी पूल TP Pool	डीआर पूल D.R. Pool	कुल TOTAL	ओडी/ OD	टीपी नोन पूल/ TP Non Pool	टीपी पूल TP Pool	डीआर पूल D.R. Pool	कुल TOTAL	समाप्त वर्ष Year Ended	
		समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2019					समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2018					31.03.2019	31.03.2018
भुगतान का भुगतान	Claims Paid												
प्रत्यक्ष	Direct	14251409	16508768	2869722	276172	33906070	12070131	14267640	3283006	354103	29974880	1115310	1406196
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	14263	109	0	0	14372	5074	0	1	0	5075	207824	222882
घटाएँ: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	741204	1674711	0	31	2415946	571650	1559359	0	23424	2154434	373913	528563
शुद्ध दावों का भुगतान किया गया	Net Claims paid	13524467	14834166	2869722	276140	31504495	11503555	12708281	3283008	330678	27825521	949221	1100514
जोड़ें: चालू वर्ष के अंत में बकाया दावा	ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year												
प्रत्यक्ष	Direct	4825977	86368772	8384913	1546354	101126016	5036822	75555570	10605654	1894716	93092762	3205119	4141255
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	125484	0	0	0	125484	78851	0	0	0	78851	520477	929002
घटाएँ: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	243689	11496527	0	42631	11782848	253848	20821456	0	39555	21114860	1350015	1710687
शुद्ध दावा बकाया वर्तमान वर्ष	Net Claims Outstanding Current Year	4707772	74872245	8384913	1503723	89468653	4861825	54734114	10605654	1855162	72056754	2375581	3359570
घटाएँ: पिछले वर्ष के अंत में बकाया दावा	LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year												
प्रत्यक्ष	Direct	5036822	75555570	10605654	1894716	93092762	5296617	58670180	13225133	5382245	82574175	4141255	5007097
जोड़ें: पुनर्बीमा सुपुर्दगी	Add: Reinsurance Accepted	78851	0	0	0	78851	23124	0	0	0	23124	929002	1226024
घटाएँ: पुनर्बीमा सुपुर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	253848	20821456	0	39555	21114860	246138	9703324	0	44075	9993538	1710687	2196314
पिछले साल बकाया शुद्ध दावा	Net Claims Outstanding Previous Year	4861825	54734114	10605654	1855161	72056754	5073603	48966856	13225133	5338170	72603762	3359570	4036807
शुद्ध दावा किया गया	Net Claims Incurred												
प्रत्यक्ष	Direct	14040563	27321970	648981	-72191	41939323	11810337	31153030	663527	-3133426	40493467	179174	540353
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकार कर लिया	Add: Reinsurance accepted	60896	109	0	0	61005	60800	0	1	0	60802	-200702	-74139
घटाएँ: पुनर्बीमा सुपुर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	731045	-7650218	0	3107	-6916066	579360	12677491	0	18905	13275756	13241	42936
उपगत कुल दावे	TOTAL CLAIMS INCURRED	13370414	34972296	648981	-75298	48916394	11291777	18475539	663528	-3152331	27278513	-34769	423278
दावेदारों को भुगतान दावा	Claims paid to claimants												
भारत में	In India	12468970	14476914	2869722	276140	30091746	10401774	12200842	3283008	330678	26216302	873225	1038128
भारत के बाहर	Outside India	1055497	357252	0	0	1412749	1101780	507439	0	0	1609219	75995	62386
कुल दावा भुगतान किया गया	Total Claims Paid	13524467	14834166	2869722	276140	31504495	11503555	12708281	3283008	330678	27825521	949221	1100514



कामगार मुआवजा WORKMEN'S COMPENSATION		विमानन AVIATION		व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT		स्वास्थ्य HEALTH		देयता LIABILITY		फसल CROP		अन्य विविध OTHER MISCELLANEOUS		कुल TOTAL	
समाप्त वर्ष Year Ended		समाप्त वर्ष Year Ended		समाप्त वर्ष Year Ended		समाप्त वर्ष Year Ended		समाप्त वर्ष Year Ended		समाप्त वर्ष Year Ended		समाप्त वर्ष Year Ended		समाप्त वर्ष Year Ended	
31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
211197	199487	882460	1053200	5812705	7988258	42017719	35749764	78722	141577	10916395	5918463	2590384	2371422	97530962	84803247
0	0	632697	259352	0	1715	0	0	2	0	0	0	1280405	205083	2135299	694107
12799	12359	806409	1013351	745360	2257526	2227536	1783050	18793	88209	8280819	4692931	489262	219083	15370837	12749505
198398	187129	708748	299202	5067345	5732448	39790183	33966714	59931	53367	2635576	1225532	3381527	2357421	84295423	72747849
330176	392588	1263245	1194171	4413669	3340485	6986292	7177989	1347162	1324321	26498131	5513903	2919399	2983557	148089209	119161032
0	0	563628	370743	639	83	922	31	613	5160	0	0	450753	1481411	1662516	2865281
20775	23485	1329902	1145818	655900	488060	362446	347740	1011089	1037426	20978621	4228867	818948	512989	38310543	30609931
309401	369103	496972	419096	3758407	2852509	6624768	6830280	336686	292056	5519510	1285036	2551204	3951979	111441182	91416382
392588	377507	1194171	1389577	3340485	3147991	7177989	4764495	1324321	1425646	5513903	3851783	2983557	2646678	119161032	105184949
0	0	370743	275894	83	7817	31	16	5160	8372	0	0	1481411	1371280	2865281	2912527
23485	22278	1145818	1255582	488060	1000564	347740	243057	1037426	1151607	4228867	3042569	512989	535159	30609931	19440668
369103	355230	419096	409888	2852509	2155245	6830280	4521454	292056	282410	1285036	809214	3951979	3482799	91416382	88656808
148785	214568	951534	857795	6885889	8180752	41826021	38163259	101563	40252	31900623	7580583	2526227	2708301	126459139	98779330
0	0	825582	354201	556	-6018	891	15	-4544	-3212	0	0	249747	315213	932534	646861
10089	13565	990492	903586	913201	1745021	2242241	1887733	-7544	-25972	25030573	5879229	795221	196913	23071449	23918768
138696	201002	786623	308409	5973243	6429712	39584671	36275541	104562	63013	6870050	1701354	1980753	2826601	104320224	75507423
192208	183139	143050	121663	5063330	5728649	39660104	33936417	59393	52923	2635577	1225532	3319831	2339404	82038463	70842158
6190	3990	565697	177539	4015	3799	130079	30297	538	444	0	0	61696	18017	2256960	1905691
198398	187129	708748	299202	5067345	5732448	39790183	33966714	59931	53367	2635577	1225532	3381527	2357421	84295423	72747849



**अनुसूची -3: 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत कमीशन
SCHEDULE -3 COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019**

(Rs. '000)

विवरण	Particulars	अग्नि FIRE		मरीन/MARINE						विविध MISCELLANEOUS		सकल योग GRAND TOTAL	
		समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2019			समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018			समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018
				Marine Cargo	Marine Hull	TOTAL	Marine Cargo	Marine Hull	TOTAL				
कमीशन का भुगतान	Commission paid												
प्रत्यक्ष	Direct	963349	957487	260017	27528	287545	264932	25593	290525	7103312	6238143	8354206	7486155
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Re-insurance Accepted	312221	309085	19773	18437	38210	4760	6190	10950	262821	310503	613252	630538
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Re-Insurance Ceded	418758	305867	57843	66416	124259	40974	45359	86333	1839016	1352475	2382033	1744675
निवल कमीशन	Net commission	856812	960705	221947	(20451)	201496	228718	(13576)	215142	5527117	5196171	6585425	6372018

**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए शामिल विविध कमीशन
MISCELLANEOUS COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019**

विवरण	Particulars	मोटर/MOTOR							
		ओडी/ OD	टीपी नोन पूल TP - Non Pool	टीपी पूल TP Pool	कुल TOTAL	ओडी/ OD	टीपी नोन पूल TP - Non Pool	टीपी पूल TP Pool	कुल TOTAL
		समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2019				समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2018			
कमीशन का भुगतान	Commission paid								
प्रत्यक्ष	Direct	2795088	433986	0	3229074	2467319	238026	0	2705345
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	3559	0	0	3559	2352	41	0	2393
घटायें: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	Less: On Re-Insurance Ceded	73287	131916	0	205203	143319	70311	0	213630
निवल कमीशन	Net commission	2725360	302070	0	3027430	2326352	167756	0	2494108

विवरण	Particulars	इंजीनियरिंग ENGINEERING		कामगार मुआवजा WORKMEN'S COMPENSATION		विमानन AVIATION	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
कमीशन का भुगतान	Commission paid						
प्रत्यक्ष	Direct	170336	173352	96013	94725	7998	11448
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	104546	94437	12	11	48371	35194
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: On Re-Insurance Ceded	97063	68081	3362	4406	18939	24553
निवल कमीशन	Net commission	177819	199708	92663	90330	37430	22089

विवरण	Particulars	व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT		स्वास्थ्य HEALTH		देयता LIABILITY	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
कमीशन का भुगतान	Commission paid						
प्रत्यक्ष	Direct	135693	118783	2584840	2533315	78262	71993
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	30	340	10975	194	305	233
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: On Re-Insurance Ceded	56944	83710	194068	252905	20029	5744
निवल कमीशन	Net commission	78779	35413	2401747	2280604	58538	66482



विवरण	Particulars	फसल / CROP		विविध / OTHER		कुल / TOTAL	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
कमीशन का भुगतान	Commission paid						
प्रत्यक्ष	Direct	0	0	801096	529182	7103312	6238143
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	0	0	95023	177701	262821	310503
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: On Re-Insurance Ceded	1190233	0	53175	699446	1839016	1352475
निवल कमीशन	Net commission	(1190233)	0	842944	7437	5527117	5196171

अनुसूची -3ए: 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों की कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची (केवल सकल)

SCHEDULE 3A : SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019 (GROSS ONLY)

(Rs '000)

SL. NO.	ब्यौरा	PARTICULARS	अग्नि Fire	मरीन कार्गो M. Cargo	मरीन हल M. Hull	मोटर ओडी Motor OD	मोटर टीपी Motor TP	इंजीनियरिंग Engineering	विमानन Aviation
1	एजेंट	Agents	675260	175783	5442	1567036	409526	102692	190
2	ब्रोकर्स	Brokers	247587	84016	22076	664284	24461	67643	7808
3	कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	40502	218	10	0	0	0	0
4	एमआईएसपी को पारिश्रमिक	Remuneration to MISP	0	0	0	563588	0	0	0
5	अन्य, अगर कोई है	Others (PoSP remuneration)	0	0	0	181	0	0	0
	कुल रु.	Total Rs.	963349	260017	27528	2795089	433987	170335	7998

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों की कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची (केवल सकल)

SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019 (GROSS ONLY)

SL. NO.	ब्यौरा	PARTICULARS	कामगार मुआवजा W.C.	व्यक्तिगत दुर्घटना PA	देयता Liability	स्वास्थ्य Health	फसल CROP	अन्य विविध OTHER MISC	कुल TOTAL
1	एजेंट	Agents	88451	103278	53933	2008676	0	292977	5483244
2	ब्रोकर्स	Brokers	7562	32414	24329	576164	0	144699	1903043
3	कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	0	0	0	0	0	363420	404150
4	एमआईएसपी को पारिश्रमिक	Remuneration to MISP	0	0	0	0	0	0	563588
5	अन्य, अगर कोई है	Others (PoSP remuneration)	0	0	0	0	0	0	181
	कुल रु.	Total Rs.	96013	135692	78262	2584840	0	801096	8354206



अनुसूची - 4: 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा कारोबार से संबंधित ऑपरेटिंग खर्च
SCHEDULE - 4: OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

(Rs. '000)

	विवरण	Particulars	Year Ended 31.03.2019		Year Ended 31.03.2018	
			AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1	कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण लाभ	Employees remuneration & Welfare Benefits		18595901		19974638
2	यात्रा, वाहन और वाहन चलने का खर्च	Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses		423241		447600
3	प्रशिक्षण	Training		63972		59097
4	किराया, दरें और कर	Rent, Rates & Taxes		1052452		835293
5	मरम्मत	Repairs		207074		189298
6	छपाई और स्टेशनरी	Printing & Stationery		192487		211615
7	संचार	Communication		170157		190731
8	कानूनी और व्यावसायिक व्यय रु	Legal & Professional Expenses #		85324		88012
9	लेखा परीक्षकों की फीस, व्यय आदि	Auditors' fees, expenses etc.				
	(ए) लेखा परीक्षक के रूप में	(a) as auditor		50047		44047
	(बी) सलाहकार के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, के संबंध में	(b) as adviser or in any other capacity, in respect of				
	i) कराधान मामलों	i) taxation matters		0		0
	ii) बीमा मामलों	ii) insurance matters		311		115
	iii) प्रबंधन सेवाएं	iii) management services		24		8
	(सी) किसी अन्य क्षमता में	(c) in any other capacity		1363		1336
10	विज्ञापन और प्रचार	Advertisement & Publicity		339515		246123
11	ब्याज और बैंक शुल्क	Interest & Bank Charges		63845		80542
12	अन्य लोग	Others				
	ए) विद्युत शुल्क	a) Electricity Charges	151579		150026	
	बी) बीमा और कंपनी अधिनियम आदि के तहत शुल्क	b) Fee under Insurance & Company Act etc.	102754		95135	
	सी) एलपीए सदस्यता	c) LPA Subscription	0		0	
	डी) पॉलिसी टिकटों का खर्च	d) Policy Stamps Expenses	30370		29497	
	ई) अन्य	e) Others	2314994	2599698	1901658	2176317
13	मूल्यह्रास	Depreciation		536696		459031
14	सेवा कर खाता	Service Tax		273087		491805
15	आउटसोर्सिंग / इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय	Outsourcing/Infrastructure Expenses		0		1434295
	बीमा कारोबार से संबंधित कुल प्रचालन खर्च	TOTAL OPERATING EXPENSES RELATING TO INSURANCE BUSINESS		24655194		26929901



अनुसूची - 4: 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा कारोबार से संबंधित ऑपरेटिंग खर्च
SCHEDULE 4 : SEGMENT-WISE OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

(Rs. 1000)

विवरण	Particulars	Fire		Marine			Miscellaneous		Total	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	
कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण लाभ	Employees remuneration & Welfare Benefits	1679074	1946925	371201	399922	16545625	17627791	18595900	19974638	
यात्रा, वाहन और वाहन चलने का खर्च	Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses	38216	43627	8449	8962	376577	395011	423242	447600	
प्रशिक्षण	Training	5776	5760	1277	1183	56919	52153	63972	59096	
किराया, दरें और कर	Rent, Rates & Taxes	95029	81416	21008	16724	936415	737154	1052452	835294	
मरम्मत	Repairs	18698	18451	4134	3790	184244	167057	207076	189298	
छपाई और स्टेशनरी	Printing & Stationery	17380	20626	3842	4236	171264	186752	192486	211614	
संचार	Communication	15364	18591	3397	3819	151396	168322	170157	190732	
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	Legal & Professional Expenses	7704	8578	1703	1762	75917	77672	85324	88012	
लेखा परीक्षकों की फीस, व्यय आदि	Auditors' fees, expenses etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ए) लेखा परीक्षक के रूप में	(a) as auditor	4519	4293	999	882	44529	38872	50047	44047	
(बी) सलाहकार के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, के संबंध में	(b) as adviser or in any other capacity, in respect of	0	0	0	0	0	0	0	0	
i) कराधान मामलें	i) taxation matters	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) बीमा मामलें	ii) insurance matters	28	11	6	2	276	101	310	114	
iii) प्रबंधन सेवाएं	iii) management services	2	1	0	0	22	7	24	8	
(सी) किसी अन्य क्षमता में	(c) in any other capacity	124	130	27	27	1213	1179	1364	1336	
विज्ञापन और प्रचार	Advertisement & Publicity	30656	23990	6777	4928	302082	217205	339515	246123	
ब्याज और बैंक शुल्क	Interest & Bank Charges	5765	7850	1274	1613	56806	71079	63845	80542	
अन्य	Others									
ए) विद्युत शुल्क	a) Electricity Charges	13686	14623	3027	3004	134867	132399	151580	150026	
बी) बीमा और कंपनी अधिनियम आदि के तहत शुल्क	b) Fee under Insurance & Company Act etc.	9278	9273	2052	1905	91425	83957	102755	95135	
सी) एलपीए सदस्यता	c) LPA Subscription	0	0	0	0	0	0	0	0	
डी) पॉलिसी टिकटों का खर्च	d) Policy Stamps Expenses	231	258	2	8	30137	29231	30370	29497	
ई) अन्य	e) Others	202995	185354	44877	38074	2067120	1678230	2314992	1901658	
मूल्यह्रास	Depreciation	48460	44742	10713	9190	477523	405099	536696	459031	
सेवा कर	Service Tax	24658	47936	5451	9847	242978	434022	273087	491805	
आउटसोर्सिंग / बुनियादी ढांचा व्यय	Outsourcing/Infrastructure Expenses	0		0		0	1434295	0	1434295	
बीमा कारोबार से संबंधित कुल ऑपरेटिंग खर्च	Total Operating Expenses relating to insurance business	2217643	2482435	490216	509878	21947335	23937588	24655194	26929901	



अनुसूची -5: 31.03.2019 को कैपिटल शेयर करें
SCHEDULE - 5 SHARE CAPITAL AS AT 31.03.2019

Sl.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019 (Rs. '000)	As at 31.03.2018 (Rs. '000)
1	अधिकृत पूंजी	Authorised Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
2	जारी पूंजी	Issued Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
3	अभिदत्त पूंजी	Subscribed Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
4	बुलाया और भुगतान पूंजी	Called and Paid-up Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
5	घटायें: भुगतान न किए गए कॉल	Less: Calls Unpaid	0	0
	जोड़ें: इक्विटी शेयर जब्त (मूल रूप से भुगतान किया की गई राशि)	Add: Equity Shares Forfeited (Amount Originally Paid up)	0	0
	घटायें: प्रारंभिक व्यय	Less: Preliminary Expenses	0	0
	अंडरराइटिंग पर कमिशन या ब्रोकेज सहित व्यय या शेयरों की सदस्यता	Expenses including commission or brokerage on underwriting or subscription of shares		
	कुल	Total	2000000	2000000

अनुसूची - 5 ए: 31.03.2019 को शेयरहोल्डिंग के पैटर्न: (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित के अनुसार)
SCHEDULE - 5A : PATTERN OF SHAREHOLDING AS AT 31.03.2019 [AS CERTIFIED BY THE MANAGEMENT]

शेयरहोल्डर	Shareholder	As at 31.03.2019		As at 31.03.2018	
		Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
प्रमोटरों	Promoters				
भारतीय	Indian	200000000	100%	200000000	100%
विदेशी	Foreign	0	0	0	0
अन्य लोग	Others	0	0	0	0
कुल	Total	200000000	100%	200000000	100%

अनुसूची-6: 31.03.2019 को रिजर्व एवं अधिशेष
SCHEDULE - 6 RESERVES AND SURPLUS AS AT 31.03.2019

Sl. No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019 (Rs. '000)	As at 31.03.2018 (Rs. '000)
1	पूंजी कोष	Capital Reserve	2565	2565
2	पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व	Capital Redemption Reserve		
3	प्रीमियम शेयर	Share Premium		
4	सामान्य भंडार	General Reserves	29564321	14465404
	घटायें: लाभ और हानि खाते में डेबिट बैलेंस	Less: Debit Balance in Profit & Loss Account	-2936609	0
	घटायें: खरीद-बैक के लिए उपयोग की गई राशि	Less: Amount Utilised for Buy-Back		
5	आपदा रिजर्व	Catastrophe Reserve		
6	अप्रत्याशित जोखिमों के लिए आकरिमक रिजर्व	Contingency Reserve for Unexpired Risks	0	0
7	लाभ और हानि खाते में लाभ का शेष	Balance of Profit in Profit & Loss Account	0	15098917
8	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	Debenture Redemption Reserve	0	0
	कुल	Total	26630277	29566886



अनुसूची -7: 31.03.2019 को उधारी
SCHEDULE - 7 : BORROWINGS AS AT 31.03.2019

S.No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019	31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
1	डिबेंचर / बांड	Debentures / Bonds	7500000	0
2	बैंकों	Banks	0	0
3	वित्तीय संस्थाएं	Financial Institutions	0	0
4	अन्य (निर्दिष्ट करें)	Others (to be specified)	0	0
	कुल	Total	7500000	0

अनुसूची -8: 31.03.2019 को निवेश-शेयरधारकों के निवेश
SCHEDULE - 8 INVESTMENTS AS AT 31.03.2019 - SHAREHOLDERS

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
	लंबी अवधि के निवेश	Long Term Investments		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटीकृत बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	12151179	5877180
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	Other Approved Securities	94578	60887
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	ए) शेयर	a) Shares		
	(i) इक्विटी	(i) Equity	13985021	9655255
	(ii) प्राथमिकता शेयर	(ii) Preference shares	3204	6154
	बी) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	0	0
	सी) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	1551379	1416784
	डी) निवेश संपत्ति - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट करने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	74	47
	ii) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	70787	50673
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	ए) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	3309621	1930108
	बी) इक्विटी	b) Equity	1697920	1306824
	लघु अवधि के निवेश	Short Term Investments		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटीकृत बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	358523	201857
2	अन्य स्वीकृत सिक्योरिटीज	Other Approved Securities	0	0
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	ए) शेयर	a) Shares		
	(i) इक्विटी	(i) Equity	0	0
	(ii) प्राथमिकता शेयर	(ii) Preference shares	256	15576
	बी) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	1982841	280309
	सी) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	453595	274048
	डी) निवेश संपत्ति - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट करने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	0	0
	ii) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	0	0
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	ए) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	565591	519369
	बी) इक्विटी	b) Equity	0	0
	कुल निवेश	Total Investments	36224569	21595073
	निवेश	Investments		
1	भारत में	In India	36194601	21575790
2	भारत के बाहर	Outside India	29968	19283
	कुल	Total	36224569	21595073



पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रारूप में बदलाव के मद्देनजर जहां भी आवश्यक हो, फिर से समूहीकृत किया गया है

पत्र। सर्कुलर IRDA/F&A/CIR/CPM/010/01/2017 के अनुसार दिनांक 12 जनवरी, 2017के अनुरूप

- i) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों/म्यूचुअल फंडों के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि 1,04,217.09 लाख रुपये है और बाजार मूल्य इसके 1,03,782.17 लाख रुपये है।
- ii) डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 125.07 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत रखा गया है।
- iii) डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 165.07 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के तहत समूहीकृत है।
- iv) अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत इक्विटी में निवेश के खिलाफ 50.79 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- v) अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत वेंचर कैपिटल में निवेश के खिलाफ 85.28 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- vi) सहायक कंपनियों में निवेश के खिलाफ 0.47 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- vii) प्राथमिक शेयरों में निवेश के लिए 8.24 लाख रुपये का प्रावधान। अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत शेयरों को वर्गीकृत किया गया है।
- viii) एसोसिएट अर्थात भारत इंटरनेशनल इश्योरेंस प्रा. लि. में कंपनी के निवेश की राशि 37.04 लाख है और भारतीय स्वास्थ्य बीमा टीएए 187.58 लाख है और इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर्स – इक्विटी के तहत वर्गीकृत किया गया है।

Figures of previous year have been re-grouped wherever necessary in view of the change in the format

as per IRDA Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/010/01/2017 dt. Jan 12, 2017.

- i) Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs1,04,217.09/- lacs and Market Value thereof is Rs 1,03,782.17 /- lacs.
- ii) Provision of Rs.125.07/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- iii) Provision of Rs165.07/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- iv) Provision of Rs50.79/- lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- v) Provision of Rs85.28/- lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vi) Provision of Rs.0.47/- lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vii) Provision of Rs.8.24/- lacs against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- viii) Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is 37.04 lacs and Health Insurance TPA of india is 187.58 lacs and is grouped under Long Term Investments Shares - Equity

अनुसूची -8 ए: 31.03.2019 को निवेश-पॉलिसीधारक निवेश

SCHEDULE - 8A INVESTMENTS AS AT 31.03.2019 - POLICYHOLDERS

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
	दीर्घ अवधि के निवेश	Long Term Investments		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूति और सरकारी गारंटी बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	70453712	56183859
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति	Other Approved Securities	548372	582063
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	क) शेयर	a) Shares		
	(i) समानता	(i) Equity	81086502	92300979
	(ii) वरीयता शेयर	(ii) Preference shares	18578	58833
	ख) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	0	0
	ग) डिबेंचर / बॉन्ड	c) Debentures / Bonds	8995043	13543972



S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
	घ) निवेश गुण - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	इ) अन्य प्रतिभूति (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	426	453
	ii) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	410432	484415
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	क) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	19189501	18451181
	ख) समानता	b) Equity	9844707	12492797
	लघु अवधि के निवेश	Short Term Investments		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूति और सरकारी गारंटी बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	2078751	1929686
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति	Other Approved Securities	0	0
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	क) शेयर	a) Shares		
	(i) इक्विटी	(i) Equity	0	0
	(ii) वरीयता शेयर	(ii) Preference shares	1485	148902
	ख) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	11496705	2679664
	ग) डिबेंचर / बॉन्ड	c) Debentures / Bonds	2629988	2619811
	घ) निवेश गुण - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	इ) अन्य प्रतिभूति (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	0	0
	ii) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	0	0
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	क) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	3279349	4964993
	ख) समानता	b) Equity	0	0
	कुल निवेश	Total Investments	210033551	206441606
	निवेश	Investments		
1	भारत में	In India	209859791	206257263
2	भारत के बाहर	Outside India	173760	184343
	कुल	Total	210033551	206441606

पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रारूप में बदलाव के मद्देनजर जहां भी आवश्यक हो, फिर से समूहीकृत किया गया है

आईआरडीए सर्कुलर के अनुसार IRDA/F&A/CIR/CPM/ 010/01/2017 दिनांक 12 जनवरी 2017।

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों/म्यूचुअल फंडों के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि रु .996,280.18 लाख है और इसके बाजार मूल्य 992,122.48 लाख रुपये है।
- डिबेंचर में निवेश के विरुद्ध 1195.67 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत रखा गया है।
- डिबेंचर में निवेश के विरुद्ध 1577.97 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक आस्तियों पर प्रावधान के तहत रखा गया है।

Figures of previous year have been re-grouped wherever necessary in view of the change in the format

as per IRDA Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/010/01/2017 dt. Jan 12, 2017.

- Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs996,280.18/- lacs and Market Value thereof is Rs 992,122.48/- lacs.
- Provision of Rs.1195.67/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- Provision of Rs1577.97/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.



- iv) इक्विटी में निवेश के विरुद्ध 485.49 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- v) अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत उद्यम पूंजी में निवेश के खिलाफ 815.29 लाख रुपये का प्रावधान है।
- vi) सहायक कंपनियों में निवेश के विरुद्ध 4.53 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- vii) प्रीफ में निवेश के विरुद्ध 78.81 लाख रुपये का प्रावधान। अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत शेयरों को वर्गीकृत किया गया है।
- viii) एसोसिएट अर्थात भारत इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड में कंपनी के निवेश की राशि 354.07 लाख है और हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया 1793.17 लाख है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर्स – इक्विटी के तहत समूहीकृत है।
- iv) Provision of Rs485.49/- lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- v) Provision of Rs815.29/-lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vi) Provision of Rs.4.53/- lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vii) Provision of Rs.78.81/- lacs against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- viii) Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is 354.07 lacs and Health Insurance TPA of india is 1793.17 lacs and is grouped under Long Term Investments Shares - Equity

अनुसूची -9 : 31.03.2019 को ऋण SCHEDULE - 9: LOANS AS AT 31.03.2019

S. No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019	31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
1	प्रतिभूतिवार वर्गीकरण	Security-Wise Classification		
	सुरक्षित	Secured		
	(क) संपत्ति के बंधक पर	(a) On Mortgage of Property		
	(i) भारत में	(i) In India	0	0
	(ii) भारत के बाहर	(ii) Outside India	0	0
	(ख) शेयर, बांड, सरकारी प्रतिभूतियों पर	(b) On Shares, Bonds, Government Securities	0	0
	(ग) अन्य (i) स्टाफ को आवास ऋण	(c) Others (i) Housing Loans to Staff	1031025	1003666
	(ii) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत आवास और एफएफई के लिए राज्य ऋणों के लिए ऋण और ऋण	(ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts.	321888	385995
	असुरक्षित (सावधि ऋण, पुल ऋण, प्रमाणपत्र	Unsecured (Term loans, Bridge loans, Certificate		
	जमा की, वाणिज्यिक पत्र	of deposit, Commercial paper	64299	64299
	कुल	Total	1417212	1453960
2	उधारकर्ता-समझदार वर्गीकरण	Borrower-Wise Classification		
	(क) केंद्र और राज्य सरकारें	(a) Central and State Governments	233907	294672
	(ख) बैंक और वित्तीय संस्थान	(b) Banks and Financial Institutions	0	0
	(ग) सहायक	(c) Subsidiaries	0	0



S. No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019	31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
	(घ) कंपनियों / औद्योगिक उपक्रम	(d) Companies/Industrial Undertakings	152280	155622
	(इ) पॉलिसियों के विरुद्ध ऋण	(e) Loan against policies	0	0
	(च) अन्य (i) स्टाफ	(f) Others (i) Staff	1031025	1003666
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	(ii) Commercial Papers	0	0
	कुल	Total	1417212	1453960
3	निष्पादन-वार वर्गीकरण	Performance-Wise Classification		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण	(a) Loans classified as standard		
	(क) भारत में	(a) In India	1274652	1310118
	(ख) भारत के बाहर	(b) Outside India	0	0
	(ख) गैर-निष्पादित ऋण कम प्रावधान	(b) Non-Performing loans less provisions		
	(क) भारत में	(a) In India	0	452
	(ख) भारत के बाहर	(b) Outside India	0	0
	प्रावधान	Provision	142560	143390
	कुल	Total	1417212	1453960
4	परिपक्वता-वार वर्गीकरण	Maturity-Wise Classification		
	(क) लघु अवधि	(a) Short-Term	58809	54270
	(ख) दीर्घकालिक	(b) Long-Term	1358403	1399690
	कुल	Total	1417212	1453960
	कुल	Total	1417212	1453961



अनुसूची -10: 31.03.2019 को अचल संपत्तियों की अनुसूची
SCHEDULE - 10 : SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS AT 31.03.2019

(Rs. '000)

विवरण	Particulars	COST/GROSS BLOCK				DEPRECIATION RESERVE				NET BLOCK	
		Opening Balance	Additions during the period	Deductions and Adjustments made in the period	Closing Balance	Opening Balance	Depreciation during the period	Deductions and Adjustments made in the period	Closing Balance	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
मूर्त संपत्ति	Tangible Assets										
भूमि फ्रीहोल्ड	Land Freehold	1109	0	57566	58675	0	0	0	0	58675	1109
लीजहोल्ड संपत्ति	Leasehold Property	204693	120037	12019	336749	106809	6602	3553	116964	219785	97884
फ्रीहोल्ड संपत्ति	Freehold Property	985001	119611	69585	1035027	360677	10512	3550	367639	667388	624324
फर्नीचर फिटिंग	Furniture & Fittings	486082	35865	2535	519412	404087	14352	2658	415781	103631	81995
सूचना और प्रौद्योगिकी उपकरण	Information & Technology Equipment	1788726	45563	30090	1804199	1202202	147622	5750	1344074	460125	586524
वाहन	Vehicles	882603	245689	177362	950930	362861	158216	123663	397414	553516	519742
दफ्तर के उपकरण	Office Equipment	176590	3022	3121	176491	161194	3624	3256	161562	14929	15395
अन्य लोग	Others	454155	15101	7140	462116	370650	16932	8890	378692	83424	83505
कुल अचल संपत्तियां	Total Fixed Assets	4978959	584888	335380	5343599	2968480	357860	151320	3182126	2161473	2010478
अमूर्त संपत्ति (सॉफ्टवेयर)	Intangible Assets (Software)	780080	232584	6850	1005814	632714	178836	0	811550	194264	147366
उप कुल	Sub Total	5759039	817472	342230	6349413	3601194	536696	151320	3993676	2355737	2157844
प्रगति में पूंजीगत कार्य	Capital Work in Progress	2906622	927115	288066	3545672	0	0	0	0	3545672	2906622
कुल	Total	8665661	1744587	630296	9895085	3601194	536696	151320	3993676	5901409	5064466
पिछले वर्ष (31.03.2018)	Previous Year(31.03.2018)	7777353	1399459	511951	8665661	3479075	459031	337106	3601194	5064466	4298275

अनुसूची -11: 31.03.2019 को कैश और बैंक बैलेंस
SCHEDULE - 11 : CASH & BANK BALANCES AS AT 31.03.2019

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	Cash (including cheques, drafts and stamps)	1244276	1001916
2	बैंक शेष	Bank Balances		
	(ए) जमा खाते	(a) Deposit Accounts		
	(एए) अल्पकालिक (12 महीने के भीतर देय)	(aa) Short-term (due within 12 months)	19237812	14386424
	(बीबी) अन्य	(bb) others	0	0
	(बी) चालू खाते	(b) Current Accounts	5646423	7253501
	(सी) अन्य	(c) Others	0	0
3	कॉल और लघु सूचना पर पैसा	Money at Call and Short Notice		
	(ए) बैंकों के साथ	(a) With Banks	0	0
	(बी) अन्य संस्थानों के पास	(b) With other Institutions	0	0
4	अन्य लोग	Others	0	0
	कुल	TOTAL	26128511	22641841
	गैर अनुसूचित बैंकों के साथ शेष 2 और 3 में शामिल है	Balance with non-scheduled banks included in 2 and 3 above	0	0
	नकद और बैंक शेष	Cash & Bank Balances		
1	भारत में	In India	23846050	20314941
2	भारत के बाहर	Outside India	2282461	2326900
	कुल	TOTAL	26128511	22641841



अनुसूची -12: 31.03.2019 को अग्रिम और अन्य संपत्तियां
SCHEDULE - 12 : ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31.03.2019

S. No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019	31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
	अग्रिम	Advances		
1	सीडिंग कंपनियों के पास रिजर्व डिपॉजिट	Reserve deposits with ceding companies	340879	175376
2	निवेश के लिए आवेदन पैसा	Application money for investments	0	0
3	पूर्वभुगतान	Prepayments	169375	139267
4	निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम	Advances to Directors/Officers	437285	492002
5	अग्रिम कर का भुगतान और स्रोत पर काटे गए कर, (कर के लिए प्रावधान का प्रावधान) / कर विभाग से वसूल की गई राशि।	Advance tax paid and taxes deducted at source, (Net of Provision for Taxation)/Amount Recoverable from Tax Deptt.	11957085	9234634
6	अन्य	Others	464516	374437
	कुल (क)	Total (A)	13369140	10415716
1	निवेश पर अर्जित आय	Income accrued on investments	3949841	3858955
2	बकाया प्रीमियम	Outstanding Premiums	1441936	399784
3	एजेंटों की शेष राशि	Agents' Balances	0	0
4	विदेशी एजेंसियों के पास शेष	Foreign Agencies' Balances	800476	493565
5	बीमा कारोबार पर लगने वाली अन्य संस्थाओं से (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) लेनदारी	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	29452080	21874304
6	सहायक / होल्डिंग कंपनी से	Due from subsidiaries/holding company	942	822
7	पॉलिसीधारकों के दावा न की गई राशियों के जमा	Deposits of Unclaimed Amounts of Policyholders	728828	0
8	पॉलिसीधारकों के दावा न की गई राशियों के जमा - उपगत ब्याज	Deposits of Unclaimed Amounts of Policyholders - Interest Accrued	32991	0
9	अन्य	Others	8425889	5600787
	कुल (ख)	Total (B)	44832982	32228218
	कुल (क + ख)	Total (A + B)	58202122	42643934

अनुसूची -13: 31.03.2019 को मौजूदा दायित्व
SCHEDULE - 13: CURRENT LIABILITIES AS AT 31.03.2019

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
1	एजेंट शेष (निवल)	Agents Balances (Net)	940934	899347
2	अन्य बीमा कंपनियों के देय शेष	Balances due to other insurance companies	14436590	91838
3	पुनर्बीमा पर आयोजित जमा सीडेड	Deposits held on reinsurance ceded	607980	754350
4	अग्रिम में प्रीमियम प्राप्त हुआ	Premium received in advance	3452192	1129473
5	अनांवटित प्रीमियम	Unallocated Premium	0	0
6	विविध लेनदार	Sundry Creditors	15326821	13162569
7	सहायक / होल्डिंग कंपनी को देय	Due to subsidiaries/holding company	0	0
8	बकाया का दावा	Claims Outstanding	125024443	103398373
9	अधिकारियों / निदेशकों को देय	Due to Officers / Directors	0	0
10	पॉलिसी धारकों की गेर-दावों की राशियाँ	Unclaimed Amounts of Policy Holders	778805	679821
11	पॉलिसी होल्डर्स के दावा न की गई राशियों पर ब्याज	Interest Accrued on Unclaimed Amounts of Policy Holders	55516	50908
12	नई पेंशन योजना पर देयता	Liability on New Pension Scheme	34420	86745
13	अन्य	Others	165134	557864
	कुल	Total	160822835	120811289



SCHEDULE - 14 : PROVISIONS AS AT 31.03.2019

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
1	असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व	Reserve for Unexpired Risk	52782172	50343552
2	कराधान के लिए (स्रोत पर कम कर का भुगतान और कर घटाया गया)	For taxation (less advance tax paid and tax deducted at source)	0	0
3	प्रस्तावित लाभांश के लिए	For proposed dividends	0	0
4	लाभांश वितरण कर के लिए	For dividend distribution tax	0	0
5	अन्य	Others		
	(क) छुट्टी नकदीकरण / एलटीएस / बीमार छुट्टी के लिए प्रावधान	(a) Provision for Leave Encashment/ LTS/Sick Leave	8104811	7743811
	(ख) वेज रिवीजन का प्रावधान	(b) Provision for Wage revision	0	0
	(ग) खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(c) Provision for Bad & Doubtful Debts	3491947	2473192
	(घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(d) Provision for Standard Assets	145973	175529
	(ङ) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(e) Provision for Diminution in Value of Shares	211760	152885
	(च) उंचत ब्याज	(f) Interest Suspense	0	0
6	प्रीमियम की कमी के लिए रिजर्व	Reserve for Premium Deficiency	361036	0
	कुल	Total	65097699	60888969

SCHEDULE - 15 : MISCELLANEOUS EXPENDITURE AS AT 31.03.2019 (TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)

S.No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019	31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
1	शेयर / डिबेंचर के मुद्दे जारी करने में गई छूट	Discount Allowed in issue of shares/ debentures	0	0
2	अन्य	Others		
	क) पेंशन और ग्रेच्युटी का परिशोधन	a) Amortisation of Pension & Gratuity	0	0
	कुल	Total	0	0



अनुसूची -16 31 मार्च 2019 तक स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और नोट्स

1 लेखा सम्मेलन:

वित्तीय विवरणिका बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार आज तक के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। उक्त विवरणिकाएं ऐतिहासिक लागत सम्मेलन पर एक चिंता का विषय है और कंपनी अधिनियम, 2013 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) की धारा 133 में उल्लिखित लेखांकन मानकों के अनुपालन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनियों) विनियम, 2002 और मास्टर सर्कुलर 2012 आईआरडीए द्वारा जारी किए गए, हद तक लागू और भारत में सामान्य बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप है, जैसा कि अन्यथा कहा गया है।

2. अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरणों, अनुमानों और मान्यताओं की तैयारी के लिए जहां भी आवश्यक हो विवेकपूर्ण आधार पर विचार किया जाता है। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन भावी मान्यता प्राप्त है।

3. शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों का फंड:

शेयरहोल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व शामिल हैं। पॉलिसीधारकों के फंड में IBNR और IBNER, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व (URR), प्रीमियम डिफिशिएंसी, यदि कोई हो, तबाही रिजर्व, यदि कोई हो और अन्य संपत्ति, सहित बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता शामिल हैं।

4. विदेशी मुद्रा लेनदेन / रूपांतरण:

4.1 लेखांकन मानक 11 के अनुसार 'विदेशी विनिमय दरों

SCHEDULE-16 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31ST MARCH 2019

1 Accounting Convention:

The Financial Statements are drawn up in accordance with the provisions of the Insurance Act, 1938 read with the provisions of The Companies Act, 2013, and as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 as amended till date. The said statements are prepared on historical cost convention as a going concern and on accrual basis comply with the accounting standards referred to in section 133 of The Companies Act, 2013 and The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Master Circular 2012 issued by IRDA, to the extent applicable and conform to practices prevailing in the General Insurance Industry in India except as otherwise stated.

2. Use of Estimates

For preparation of financial statements, estimates and assumptions wherever necessary are considered on prudent basis. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively.

3. Shareholders' and Policyholders' Fund:

The Shareholders' Fund comprises of Share Capital, General Reserve and Capital Reserve. The Policyholders' Fund comprises of Estimated Liability for Outstanding Claims including IBNR and IBNER, Unexpired Risk Reserve (URR), Premium Deficiency, if any, Catastrophe Reserve, if any and Other Liabilities net off Other Assets.

4. Foreign Currency Transactions / Conversion:

4.1 As per Accounting Standard 11 "the effects of



(संशोधित 2003) में परिवर्तन के प्रभाव, विदेशी शाखाओं / एजेंसियों "को एकीकृत विदेशी परिचालन" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- 4.2 विदेशी मुद्राओं में प्राप्त अचल संपत्तियों और निवेशों का मूल्य, अधिग्रहण की तारीख में विनिमय दरों पर परिवर्तित / अनुवादित किया जाता है।
- 4.3 विदेशी मुद्रा में व्यक्त अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्य, साल के अंत में खरीद बोली दर में परिवर्तित / अनुवादित होता है।
- 4.4 विदेशी मुद्राओं में आय और विदेशी शाखाओं की आय और व्यय की मदों को वित्त वर्ष के दौरान चार तिमाही दरों की औसत विनिमय दर पर परिवर्तित / अनुवादित किया जाता है, जो दैनिक समापन खरीद बोली दरों का औसत हैं।
- 4.5 पुनर्बीमा व्यवसाय और निवेश से संबंधित राजस्व लेनदेन वित्तीय वर्ष की उस विशेष तिमाही में सभी व्यापारिक दिनों के लिए दैनिक समापन खरीद दरों की औसत विनिमय दर पर परिवर्तित / अनुवादित हैं।
- 4.6 विदेशी मुद्रा लेनदेन के रूपांतरण पर विनिमय लाभ / हानि को आय / व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

5. राजस्व मान्यता:

5.1 कमीशन

पुनर्बीमा अर्पण पर कमीशन की आय को उस वर्ष की आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें पुनर्बीमा प्रीमियम अर्पित होता है।

जहां भी लागू हो, पुनर्बीमा संधियों के तहत लाभ कमीशन को मान्यता दी जाती है जब संधि अवधि के बाद वर्ष में वास्तव में गणना की जाती है। लाभ कमीशन के किसी भी बाद के संशोधन को उस वर्ष के लिए भी मान्यता दी जाती है जिसमें लाभ का अंतिम निर्धारण किया जाता है।

changes in foreign exchange rates (revised 2003), Foreign branches/agencies are classified as "Integral Foreign Operations".

- 4.2 Value of fixed assets and investments acquired in foreign currencies, is converted/ translated at the exchange rates on the date of acquisition.
- 4.3 Value of all other assets and liabilities expressed in foreign currencies, is converted/translated at the year-end closing purchase bid rate.
- 4.4 Items of income and expenditure of foreign branches and agencies expressed in foreign currencies are converted/ translated at the mean exchange rate of four quarterly rates during the financial year, which are the average of daily closing purchase bid rates.
- 4.5 Revenue transactions relating to reinsurance business and investments are converted/ translated at the average exchange rate of daily closing purchase bid rates for all the trading days in that particular quarter of the financial year.
- 4.6 Exchange Gain/Loss on conversion of foreign currency transactions is recognized as income/ expense.

5. Revenue Recognition:

5.1 Commission

Commission income on reinsurance cessions is recognized as income in the year in which reinsurance premium is ceded.

Profit commission under reinsurance treaties wherever applicable, is recognized when actually calculated in the year subsequent to the Treaty period. Any subsequent revisions of profit commission also are recognized for in the year in which final determination of the profits is made.



5.2 असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित

प्रत्येक संबंधित राजस्व खाते में जोखिम की धारणा के आधार पर, प्रीमियम दर्ज किए जाते हैं। असमाप्त जोखिम के लिए रिज़र्व एक प्रतिशत पर आधारित है, जिसमें फायर, मरीन कार्गो और विविध व्यवसाय के मामले में 50% और मरीन हल व्यवसाय के मामले में 100% है। यह क्रमिक वित्तीय वर्ष के लिए निवल प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। खरीफ की फसल के लिए अनपेक्षित जोखिम को शून्य के रूप में लिया जाता है क्योंकि यह लेखा अवधि के साथ समाप्त होने वाला अल्पावधि है। प्रीमियम को मास्टर सर्कुलर नं. IRDA-F&A-CIR-FA- 126-07-2013 दिनांक 3 जुलाई, 2013 तक के अनुपालन में बुक किया जाता है।

5.3 पुनर्बीमा अर्पित

भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रीमियम आय को खातों के अंतिम रूप तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर मान्यता प्राप्त है, और विदेशी पुनर्बीमा के मामले में, 31 मार्च तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर आय का हिसाब लगाया जाता है।

5.4 पुनर्बीमा सुपुर्द

पुनर्बीमा सत्रों का हिसाब वास्तविक के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमानों पर पुनर्बीमा स्वीकृति / सत्र किए जाते हैं।

5.5 प्रीमियम अग्रिम में प्राप्त हुआ

अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम, वर्ष के दौरान जारी की गई नीतियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ जोखिम बैलेंस शीट की तारीख के बाद शुरू होता है।

5.6 लाभांश

1. उस वर्ष के लाभांश का हिसाब दिया जाता है जिसमें प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।
2. आपत्ति / लंबित वितरण के तहत शेयरों पर लाभांश की प्राप्ति के लिए जवाबदेह है। अंतरिम लाभांश का हिसाब दिया जाता है, जहाँ पूर्व-लाभांश की तारीख 31 मार्च को या उससे पहले होती है।

5.2 Reserves for Unexpired risk/s

Premiums are recorded, net of reinsurances, based on assumption of risks in each related Revenue account. Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50 % in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business. It represents the net premium attributable to the successive financial year/s. Un expired risk for Kharif crop is taken as nil as it is a short term expiring with in the accounting period. The premium is booked in compliance of corrigendum to Master circular ref. no. IRDA-F&A-CIR-FA- 126-07-2013 Dt.3rd July, 2013

5.3 Reinsurance Accepted

Premium income in respect of Indian Reinsurers is recognized based on returns received upto finalization of accounts, and in case of foreign reinsurance, the income is accounted for on the basis of returns received upto 31st March.

5.4 Reinsurance Ceded

Reinsurance cessions are accounted for on the basis of actuals. Wherever full particulars are not available, reinsurance acceptances/ cessions are made on estimates based on available information.

5.5 Premium received in Advance

Premium received in advance represents premium received in respect of policies issued during the year, where the risk commences subsequent to the balance sheet date.

5.6 Dividend

1. Dividend is accounted for in the year in which right to receive is established.
2. Dividend on shares under objection/pending delivery is Accounted for on realization. Interim dividend is accounted where the ex-dividend date is on or before 31st March.



संग्रह आधार पर विदेशी कंपनियों (चाहे अंतरिम या अंतिम) से लाभांश का हिसाब है।

5.7 ब्याज आय

क) ऋण, बांड और डिबेंचर के संबंध में ब्याज आय को आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और आईआरडीआई द्वारा जारी किए गए प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

ख) आयकर रिफंड पर ब्याज आय आदेश की प्राप्ति के वर्ष में हिसाब की जाती है।

5.8 वेंचर कैपिटल फंड

वेंचर कैपिटल फंड के संबंध में राजस्व प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त है

5.9 प्रीमियम की कमी

प्रीमियम की कमी की गणना की जाती है, जहां अपेक्षित दावों की लागत, संबंधित खर्च और रखरखाव की लागत संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक होती है। आईआरडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम की कमी को मान्यता दी गई है और यह असमाप्त जोखिम रिजर्व का हिस्सा है।

5.10 निवेश से आय- प्रभाजन का आधार

बिक्री/निवेश के मोचन/हानि की गणना बिक्री/प्रतिदान के पूर्ववर्ती दिन की समाप्ति पर औसत लागत निकालकर की जाती है।

वर्ष की शुरुआत में इन फंडों के शेष के अनुपात में शेयरधारकों की निधि और पॉलिसीधारकों के फंड के बीच निवेश आय (व्यय का शुद्ध) को जोड़ा जाता है।

पॉलिसीधारकों से संबंधित निवेश आय (खर्चों का नेट) को वर्ष की शुरुआत में संबंधित तकनीकी आरक्षित शेष के अनुपात में फायर, मरीन और विविध खंडों में जोड़ा जाता है।

3. Dividend from foreign companies (whether interim or final) is accounted for on collection basis.

5.7 Interest Income

a) Interest income in respect of loans, bonds and debentures is recognized as per the guidelines for prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDAI.

b) Interest income on Income Tax Refunds is accounted in the year of receipt of order.

5.8 Venture Capital Fund

Revenue in respect of Venture capital Fund is recognized on receipt basis

5.9 Premium Deficiency

Premium deficiency is calculated where the sum of expected claims costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The premium deficiency is recognized as per IRDA guidelines and forms part of unexpired risk reserve.

5.10 Income from Investments- Basis of Apportionment

Profit/Loss on sale/redemption of investments is computed by taking the average cost as at the close of the preceding day of sale/redemption.

Investment income (net of expenses) is apportioned between Shareholders' funds and Policyholders' funds in proportion to the balance of these funds at the beginning of the year.

Investment income (Net of expenses) belonging to Policyholders is further apportioned to Fire, Marine and Miscellaneous segments in proportion to respective technical reserve balance at the beginning of the year.



इस उद्देश्य के लिए पॉलिसीधारक फंड में IBNR और IBENR, असमाप्त जोखिम रिजर्व (यूआरआर), प्रीमियम की कमी (यदि हो तो), तबाही रिजर्व (यदि कोई हो) और अन्य देनदारियों की निवल एसेट्स (पॉलिसीधारकों से संबंधित) सहित बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता शामिल हैं, आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार। अवशिष्ट में शेयरधारक का कोष समाहित होता है।

- 5.11 निवेशों की बिक्री / विमोचन, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रावधानों, शेयरों के मूल्य में कमी, ऋण प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन और ब्याज के माध्यम से आय, लाभांश और किराए पर लाभ / राजस्व और लाभ और हानि के बीच आवंटित किए जाते हैं। वर्ष की शुरुआत में पॉलिसीधारकों के फंड और शेयरधारकों के फंड के आधार पर।
- 5.12 बीमा अनुबंधों के नए / नवीकरण के अधिग्रहण से संबंधित अधिग्रहण लागत उस वर्ष में चार्ज की जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

6. बकाया दावे:

- 6.1. दावों को जब भी सूचित किया जाता है, उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है।
- वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, नेताओं और अन्य स्रोतों को अंतिम रूप देने की तारीख तक, पिछले अनुभव और अन्य लागू कानूनों पर आधारित हैं। अनुमानों की लगातार समीक्षा की जाती है और उसी के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। हालाँकि, अंतिम देयता प्रदान की गई राशि से अधिक या उससे कम हो सकती है, जिसके लिए किसी भी समायोजन को उन अवधियों में परिलक्षित किया जाएगा जिनमें वे जाने जाते हैं। बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- 6.1.क प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में, वर्ष के अंत तक प्राप्त होने वाले दावों की सूचना।
- 6.1.ख पुनर्बीमा स्वीकृति के संबंध में, बाद के वर्ष की विभिन्न तिथियों के रूप में प्राप्त होने वाली सलाह खातों के अंतिम

Policyholders Fund for this purpose consist of Estimated Liability for outstanding claims including IBNR and IBENR, unexpired risk reserve (URR), premium deficiency (if any), Catastrophe Reserve (if any) and other Liabilities net of other assets (relating to policyholders) as per the guidelines of IRDA. The residual consists of the Shareholder's fund.

- 5.11 Profit/loss on sale/redemption of investments, provisions for non performing assets, provision for diminution in value of shares, amortization of premium on debt securities and income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.
- 5.12. The acquisition cost relating to acquisition of new/renewal of insurance contracts is charged in the year in which they are incurred.

6. Outstanding Claims:

- 6.1. Claims are recognized as and when reported.
- Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of Leaders and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continually reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known. Estimated liability for outstanding claims include:
- 6.1.a In respect of direct business, claims intimations received up to the year end.
- 6.1.b In respect of reinsurance acceptances, advices received as of different dates of subsequent year upto the date of finalization of accounts



रूप देने की तारीख तक और आकलन के आधार पर जहां भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

6.1.ग मोटर थर्ड पार्टी के दावों के संबंध में जहां कंपनी की देयता स्थापित करने के लिए पर्याप्त पॉलिसी विवरण के बिना कंपनी पर अदालत के सम्मन दिए गए हैं, प्रावधान निम्नानुसार है:

अनुमानित देयता का 100% जहां ऐसे दावे 1 वर्ष से अधिक के लिए लंबित हैं

इस तरह के सभी दावों के लिए अनुमानित देयता का 1 / 3 तक जहां वर्ष के दौरान कंपनी में अदालत के सम्मन परोसे गए हैं।

6.1.घ सकल दावों के प्रावधान लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) और किए गए दावों के प्रावधान लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) एक्ट्युरियल वैल्यूएशन के अनुसार किए गए हैं। शुद्ध IBNR / IBNER को सकल IBNR / IBNER के सकल दावा भंडार के प्रतिशत के रूप में प्राप्त किया जाता है।

6.1.ङ कंपनी द्वारा निरस्त किए गए दावों के लिए प्रावधान लेकिन अदालतों / लोकपाल / मध्यस्थता आदि में दावेदारों द्वारा चुनाव लड़ा गया है, जहां यह स्पष्ट है कि पुरस्कार/निर्णय कुछ घटनाओं या अतिरिक्त सबूतों के कारण कंपनी के खिलाफ होने की संभावना है।

7. साल्वेज और दावा वसूलियां

दावों के तहत साल्वेज का साल्वेज/ वसूलियों का लेखांकन प्राप्ति पर किया जाता है और दावों में क्रेडिट किया जाता है।

8. प्रबंधन-व्यय प्रभाजन:

पॉलिसी स्टैम्प के अलावा अन्य प्रबंधन के खर्चे भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के आधार पर राजस्व खातों में प्रभाजित किए जाते हैं, साथ ही पुनर्बीमा प्रीमियम स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें अग्नि और विविध व्यवसाय के लिए 100% और समुद्री व्यापार के लिए 75% का वेटेज देता है। पॉलिसी स्टैम्प, एजेंसी कमीशन, MISP

and on estimation basis wherever advices are not received.

6.1.c In respect of Motor Third Party claims where court summons have been served on the company without adequate policy particulars to establish liability of the company, provision is made as under:

i) 100% of estimated liability where such claims are outstanding for more than 1 year

ii) 1/3rd of the estimated liability for all such claims where court summons have been served in the company during the year.

6.1.d Provisions for Gross claims incurred but not reported (IBNR) and provisions for claims incurred but not enough reported (IBNER) are made as per actuarial valuation. The net IBNR/IBNER is arrived at as a percentage of Gross IBNR/IBNER to the gross claim reserves.

6.1.e Provisions for claims repudiated by the company but contested by the claimants in courts/ ombudsman/ arbitration etc. have been made where it is opined that the awards/decision are likely to be against the company because of certain developments or additional evidence.

7. Salvage and claim Recoveries

Disposal of salvage / recoveries under claims, are accounted for on realization and credited to claims.

8. Expenses of Management-Apportionment:

Expenses of Management other than policy stamps are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of the gross direct premium in India plus reinsurance premium accepted India giving weightage of 100% each for Fire and Miscellaneous business and 75% for Marine business. Expenses relating to Policy Stamps, Agency Commission, MISP



वितरण शुल्क और ब्रोकरेज से संबंधित व्यय सीधे संबंधित राजस्व खातों को आवंटित किए जाते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च का 100% विविध को आवंटित किया जा रहा है। मोटर व्यवसाय की उपाप्ति के लिए इन खर्चों के रूप में खंड विशेष रूप से खर्च किए गए थे। राजस्व खातों और पी एंड एल खाते में व्यय का आवंटन आईआरडीएआई दिनांक 24.04.2016 के नियमों के अनुसार किया जाता है।

9. अचल संपत्ति और मूल्यह्रास:

- 9.1 संपत्ति (संपत्ति के अधिकार के लिए सहकारी समितियों में शेयरों की लागत को सम्मिलित) के शीर्ष 'लीजहोल्ड संपत्ति/फ्रीहोल्ड बिल्डिंग' के तहत शामिल किए गए हैं।
- 9.2 अचल परिसंपत्तियों का मूल्य, मूल्यह्रास पर घटाकर किया जाता है। लागत में अधिग्रहण की लागत और संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।
- 9.3 अधिग्रहण के तहत परिपूर्ण हो रही संपत्ति, लेकिन उसे उपयोग करने के लिए नहीं रखा गया है, को "पूँजीगत कार्य प्रगति पर" के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- 9.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के तहत अनुसूची-II में निर्धारित अनुसार एसएलएम के आधार पर उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। हालाँकि, कम्पनी की योजना के अनुसार वाहन और मोबाइल फोन के लिए उपयोगी जीवन क्रमशः 5 वर्ष और 2 वर्ष निर्धारित है।
- 9.5 अमूर्त आस्तियों को अधिग्रहण की अपनी लागत के लिए लेखांकित किया जाता है और कंपनी के अधिनियम, 2013 के अनुसार एस 26 के संदर्भ में 3 वित्तीय वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधन किया जाता है।
- 9.6 लीज होल्ड प्रॉपर्टीज लीज की अवधि में परिशोधित की जाती हैं।

9क.1 कंपनी का पट्टेदार कहां है:

पट्टों जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक बरकरार रखता है, को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया

distribution fee and Brokerage are directly allocated to respective Revenue Accounts. 100% of the Infrastructure Expenses are being allocated to Misc. Segment as these expenses were exclusively incurred to procure Motor Business. The allocation of expenses to revenue accounts and P & L Account is done as per IRDAI regulations dt. 24.04.2016.

9. Fixed Assets & Depreciation:

- 9.1 Properties (inclusive of cost of shares in Co-operative societies for property rights acquired) are included under the head "Leasehold property/Freehold Buildings".
- 9.2 Fixed assets are valued at cost less depreciation. Cost includes cost of acquisition and other direct expenditure incurred for acquisition of assets.
- 9.3 Assets under completion acquired but not put to use are classified under "Capital Work in Progress".
- 9.4 Depreciation is provided on the basis of useful life on SLM basis as prescribed in Schedule II under section 123 of The Companies Act, 2013. However, useful life for Vehicles and Mobile phones is fixed at 5 years & 2 years respectively as per the scheme of the company
- 9.5 Intangible Assets are accounted for at their cost of acquisition and amortized over the estimated useful life of 3 financial years in accordance with The Companies Act, 2013 with reference to AS 26.
- 9.6 Lease hold properties are amortized over the lease period.

9A.1 Where the Company is the lessee:

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as



जाता है। ऑपरेटिंग लीज भुगतान को लीज अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते के स्टेटमेंट में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

9क.2 जहाँ कंपनी पट्टे पर देती है

परिचालन पट्टों के अधीन परिसंपत्तियां अचल संपत्तियों में शामिल हैं। अनुबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पट्टा आय को पी एंड एल खाते में मान्यता प्राप्त है। मूल्यह्रास सहित लागत को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

10. निवेश:

- 10.1 लागत में अधिग्रहण पर प्रीमियम, दलाली और जीएसटी, हस्तांतरण टिकटों, हस्तांतरण शुल्क आदि जैसे खर्च शामिल हैं, और यदि कोई हो तो प्रोत्साहन / शुल्क का शुद्ध है।
- 10.2 शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स जैसे डिपॉजिट के सर्टिफिकेट और कमर्शियल पेपर्स, जिन पर सहमत दरों पर कॉन्ट्रैक्ट के समय छूट दी जाती हैं, लेखांकन का रियायती मूल्य दिया जाता है।
- 10.3 **ऋण प्रतिभूतियां:** सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय वरीयता शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को 'परिपक्वता के लिए' माना जाता है और इसकी कीमत तय की जाती है और प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम को परिपक्वता के अवशिष्ट अवधि में संशोधित किया जाता है।
- 10.4 **इक्विटी सिन्डिकेटीज:** इक्विटी शेयरों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से कारोबार, पतले कारोबार और असूचीबद्ध तरीके से अलग किया जाता है।
 - 10.4.1 भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयर, मार्च के महीने में एनएसई में अंतिम उद्धृत मूल्य के आधार पर होते हैं, जिसे प्राथमिक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है और अगर ऐसी सुरक्षा सूचीबद्ध नहीं है, तो प्राथमिक एक्सचेंज पर कारोबार नहीं किया जाता

operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Statement of Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term.

9A.2 Where the Company is the lessor:

Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the P & L Account as per the terms specified in the agreement. Costs, including depreciation are recognized as an expense in the Profit & Loss Account.

10. Investments:

- 10.1 The cost includes premium on acquisition, expenses like brokerage and GST, transfer stamps, transfer charges etc., and is net of incentive/fee, if any, received thereon.
- 10.2 Short Term Money Market instruments such as certificates of deposit and commercial papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rates, are accounted at the discounted value.
- 10.3 **Debt Securities:** Investments in debt securities including Government securities and redeemable preference shares are considered as "held to maturity" and are valued at cost and the premium paid on securities is amortized over the residual period of maturity.
- 10.4 **Equity Securities:** Investment Portfolio in respect of Equity Shares is segregated into actively traded, thinly traded and unlisted.
 - 10.4.1 Actively traded equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same will be valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March



है। मार्च के महीने में बीएसई में अंतिम उद्धृत मूल्य पर मूल्य दिया जाएगा, जिसे द्वितीयक एक्सचेंज के रूप में चुना गया है। प्राप्त न हुए लाभ / हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में रखा गया है।

- 10.4.2 भारत के बाहर निगमित कंपनियों में आयोजित पतले / गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश लागत पर मूल्यवान है। तथापि, इस तरह के निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है, जब ब्रेक-अप मूल्य कंपनी के नवीनतम वार्षिक खातों के अनुसार लागत से नीचे आता है, जो कि तीन पूर्ववर्ती वर्षों से पहले नहीं था। यदि ब्रेक-अप मूल्य नकारात्मक है या जहां वर्तमान ब्रेक-अप मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो बुक वैल्यू के बराबर राशि के लिए प्रावधान किया गया है।
- 10.5 शेयर्स शेयर्स के मामले में, जहां रिडेम्पशन की आय तीन साल से अधिक समय तक होती है, देय राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

10.6 हानि

इक्विटी और वरीयता शेयरों में मान्यता प्राप्त इम्पेयरमेंटिस, जहां कंपनियां तीन तुरंत पूर्ववर्ती वर्षों से लगातार घाटा उठा रही हैं और जिनकी पूंजी आंशिक / पूर्ण रूप से क्षीण है या जहां तीन पूर्ववर्ती वर्षों के लिए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश निम्नानुसार हैं:

10.6.1 इक्विटी शेयर:

- क) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के मामले में, अंतिम उद्धृत मूल्य (लेखांकन नीति 10.4.1 ऊपर) के अनुसार, या बुक वैल्यू जो भी कम हो।
- ख) कंपनी के नवीनतम वार्षिक खातों के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य पर पतले कारोबार/असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मामले में, तीन पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पहले नहीं – जहां ब्रेक-अप मूल्य नकारात्मक है या जहां वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं, तीन तुरंत पूर्ववर्ती वर्षों के लिए, प्रति कंपनी 1/- के मामूली मूल्य पर।

which is selected as the Secondary Exchange. The unrealized gain/losses are accounted in Fair Value Change Account.”

- 10.4.2 Investment in thinly traded/unlisted equity shares including held in Companies incorporated outside India are valued at cost. However, provision is made for diminution in value of such investments when the break-up value falls below the cost as per the latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years. In case the break-up value is negative or where the current break-up value is not available, provision is made for an amount equivalent to the book value.

- 10.5 In case of Preference Shares, where redemption proceeds are due for more than three years, provision is made for the amount due.

10.6 Impairment

Impairment is recognized in equity and preference shares, where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/ fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. Investments in shares of such companies are valued as under:

10.6.1 Equity Shares:

- a) In the case of actively traded equity shares, at the last quoted closing price (as per Accounting Policy 10.4.1 above), or book value whichever is lower.
- b) In case of thinly traded/unlisted equity shares, at the break-up value as per latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years.- Where the break-up value is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.



10.6.2 वरीयता शेयरः

क) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता है, तो उसके वरीयता शेयरों को एक मूल्य के लिए लिखा जाता है, जो उसी अनुपात में होता है जब इक्विटी शेयर का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य पर होता है।

ख) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध / पतले कारोबार किया जाता है, तो उसके वरीयता शेयरों को एक मूल्य के लिए लिखा जाता है, जो उसी अनुपात में होता है, जितना कि इक्विटी शेयर का मूल्य उसके अंकित मूल्य पर पड़ता है; जहां इक्विटी शेयर का ब्रेक अप मूल्य नकारात्मक है या जहां वार्षिक तुरंत तीन पूर्ववर्ती वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्रति कंपनी 1/- का मामूली मूल्य दिया जाता है।

10.6.3 हानि की हानि, लेखा नीति सं। 10.6, 01/04/2000 के बाद प्रदान की गई हानि, वापस लिखी गई है और राजस्व / लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है, यदि संचित घाटा पूरी तरह से समाप्त हो गया है और पूंजी पूरी तरह से नवीनतम उपलब्ध खाते में बहाल हो गई है। हालांकि, उन मामलों में इक्विटी हानि और वरीयता शेयरों दोनों के लिए हानि के प्रत्यावर्तन को मान्यता नहीं दी जाती है, जहां वरीयता शेयरों की राशि मोचन आय तीन साल से अधिक के लिए देय है।

10.7 म्युचुअल फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन निवल एसेट वैल्यू (एनएवी) पर किया जाता है और अप्राप्त लाभ / हानि का लेखांकन "फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट" में किया जाता है।

10.8 वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों में निवेश की कीमत है। के मूल्य पर होता है हालांकि, नवीनतम निवल एसेट वैल्यू (पिछले 18 महीनों के दौरान उपलब्ध) लागत से कम है, यह प्रावधान लागत और निवल एसेट मूल्य के बीच अंतर की सीमा तक निवेश के मूल्य में कमी के लिए किया जाता है। एनएवी में किसी भी वृद्धि को पहले से मान्यता प्राप्त नुकसान की सीमा तक राजस्व में लिया जाता है।

10.6.2 Preference shares:

a) If the equity shares of a company are actively traded, its preference shares are written down to a value which is in the same proportion as the market value of the equity share bears to its face value.

b) If the equity shares of a Company are unlisted/thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion as the break-up value of equity share bears to its face value; where the break up value of equity share is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

10.6.3 Impairment loss, provided in terms of accounting policy NO 10.6, after 01/04/2000, is written back and recognized in Revenue / Profit and Loss Account only in case the accumulated losses are fully wiped out and capital fully restored as per the latest available published accounts. However, reversal of impairment loss is not recognized for both equity and preference shares in cases where the redemption proceeds of preference shares are due for more than three years.

10.7 Investments in units of Mutual Funds are valued at Net Asset Value (NAV) and the unrealized gains/losses are accounted in "Fair Value Change Account".

10.8 Investments in units of Venture Capital Fund is valued at cost. However in case the latest Net Asset Value (available during last 18 months) is below Cost, the provision is made for diminution in the Value of Investment to the extent of difference between Cost and Net Asset Value. Any appreciation in the NAV to the extent of loss earlier recognized is taken to revenue.



10.9 मानक/गैर-निष्पादित ऋण/जमा/डिबेंचर के लिए प्रावधान IRDA/संबंधित RBI दिशानिर्देशों द्वारा जारी आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किए जाते हैं।

बैलेंस शीट की तारीख तक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के तहत ऋण/निवेश को दीर्घकालिक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनकी वास्तविकता निश्चित नहीं है।

10.10 प्रभाजन:

शेयरधारकों की और पॉलिसीधारकों से संबंधित निवेश को IRDAI रेगुलेशन (परिपत्र संख्या, IRDA /F & A / CIR / CPM / 056 / 03 / 2016 दिनांक 04.201.2016) के अनुसार बैलेंस शीट तिथि पर अलग किया गया है।

11. कर्मचारियों के लाभ:

11.1 कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन लाभ के लिए दायित्व वर्ष के अंत में एक्यूअरी वैल्यूएशन के अनुसार अर्जित आधार पर निर्धारित किया जाता है और एक अनुमोदित फंड के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। वर्ष के अंत में एक्यूअरी वैल्यूएशन के आधार पर अवकाश नकदीकरण और अन्य परिभाषित कर्मचारी लाभ के प्रावधान किए गए हैं।

11.2 कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर प्रोविडेंट फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में फंड का निवेश करती है। अवधि के लिए फंड में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे लाभ और हानि खाते से लिया जाता है। कंपनी का दायित्व इस तरह के निश्चित योगदान तक सीमित है।

12. कराधान:

कर व्यय (कर बचत) चालू वर्ष कर (यानी आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), पूर्ववर्ती वर्ष कर और आस्थगित कर (खाते की आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभावों को दर्शाते हुए) का कुल योग है अवधि के लिए कर योग्य आय। इन पर लाभ और हानि खाते का प्रभार (या क्रेडिट हुआ) लगाया जाता है।

10.9 Provisions for standard/non-performing loans/ deposits/ debentures are made on the basis of prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDA /related RBI Guidelines

Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisability is not certain.

10.10 Apportionment:

The investments pertaining to shareholders' and policyholders' are segregated as on the Balance Sheet date as per the IRDAI Regulations (circular no. IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 DT. 04.04.2016).

11. Employees' Benefits:

11.1 The liability for gratuity and pension benefits to employees is determined on accrual basis as per the actuarial valuation at the year end and is administered through an approved fund. Provisions for leave encashment and other defined employee benefits are made on the basis of actuarial valuation at the year end.

11.2 The Company pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the Profit & Loss Account. The obligation of the Company is limited to such fixed contribution.

12. Taxation:

Tax expense(tax saving) is the aggregate of current year tax(i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income tax law), earlier year tax and deferred tax (reflecting the tax effects of timing differences between the accounting income and taxable income for the period) . These are charged (or credited) to the Profit and Loss Account.



12.1 वर्तमान वर्ष प्रभार:

वर्तमान कर के लिए प्रावधान कंपनी के आकलन योग्य लाभ पर किया जाता है, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लागू न्यायिक घोषणाओं और कंपनी के वकील से राय के कारण निर्धारित होता है।

12.2 पूर्व वर्ष का कर:

प्रावधान को अन्य कारणों से या के लिए उपयुक्त माना जाता है।

12.3 स्थगित कर:

(क) आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट और संबंधित आस्थगित कर देनदारियों को कर की दर का उपयोग करके कर योग्य आय और लेखा आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय के अंतर के लिए पहचाना जाता है जो बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार अधिनियमित किया गया है।

(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ केवल उसी सीमा तक पहचानी जाती हैं, जब तक कि भविष्य में संपत्ति की प्राप्ति हो सके। अघोषित मूल्यह्रास और करानुदान कानूनों के तहत नुकसान को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ केवल उसी हद तक मान्यता प्राप्त हैं, जहां एक आभासी निश्चितता है कि संपत्ति भविष्य में महसूस की जा सकती है। प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

13. गैर-दावा क्रेडिट शेष:

जारी होने की तारीख से 3 साल से अधिक समय तक के पुराने चेक व्यर्थ हैं, सिवाय वैधानिक भुगतान, एमएसीटी दावों से संबंधित या प्रीमियम के रिफंड के प्रति पॉलिसीधारकों को जारी किए गए, भुगतान या अन्य देयताओं को छोड़कर। 3 से अधिक वर्षों के लिए दावा न की गई अन्य पुराने क्रेडिट शेष राशि को केस के आधार पर वापस लिखा जाता है। पॉलिसीधारकों के बकायों से संबंधित दावा न की गई चेक 'पॉलिसीधारकों के बकाया खाते' में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।

12.1 Current Year Charge:

Provision for current tax is made on the assessable profits of the company as determined under The Income Tax act, 1961 after due consideration of the applicable judicial pronouncements and opinion from the Company's Counsel.

12.2 Earlier year Tax:

Provisions are recorded as considered appropriate, for or for other reasons.

12.3 Deferred Tax:

(a) The deferred tax charge or credit and the corresponding deferred tax liabilities are recognized for timing differences arising between taxable income and accounting income using the tax rate that has been enacted or substantively enacted as on the date of the Balance Sheet.

(b) Deferred tax assets are recognized only to the extent there is a reasonable certainty that the assets can be realized in future. In the case of unabsorbed depreciation and carry forward of losses under taxation laws, deferred tax assets are recognized only to the extent there is a virtual certainty that the assets can be realized in future. Deferred Tax assets are reviewed at each Balance Sheet date.

13. Unclaimed Credit Balances:

Stale cheques unclaimed for more than 3 years from the date of issue, except those related to Statutory Payments, MACT Claims or issued to policyholders towards refund of premium, claims payment or other dues, are written back. Other old credit balances unclaimed for more than 3 years are written back on case to case basis. Unclaimed Cheques related to policyholders' dues are transferred to "Policyholders' Dues Account".



ख. मत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

आईआरडीएआई द्वारा आवश्यक विवरणों के प्रकटीकरण।

1. आकस्मिक देयताएं

B. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

Disclosures of particulars as required by IRDAI.

1. Contingent Liabilities

Sl. No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019	31.03.2018
			Rs. In Lakhs	Rs. In Lakhs
a.	आंशिक भुगतान निवेश	Partly Paid Investments	177.68	204.90
b.	बीमालेखन प्रतिबद्धता बकाया	Underwriting Commitment Outstanding	NIL	NIL
c.	पॉलिसियों के तहत उन लोगों के अलावा दावे जिन्हें, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है	Claims, other than those under policies, not acknowledged as Debt	1559.07	2783.39
d.	कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी	Guarantee given by or on behalf of the Company	148.85	143.21
e.	विवाद में वैधानिक मांग / देनदारियां, जिनका प्रावधान नहीं किया गया।	Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for	174143.04##	123400.13#
f.	खातों में प्रदान की गई सीमा तक पुनर्मिलन दायित्वों	Reinsurance obligations to the extent not provided for in Accounts	NIL	NIL
g.	अन्य	Others	579.76*	551.78*

- ## वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक सेवा कर विभाग द्वारा की गई मांग, जुर्माना और ब्याज के रूप में 80552.59 लाख रुपए शामिल करते हुए 174130.04 लाख हैं तथा वर्ष 2005-06 और 2007-08 के लिए आयकर की मांग के अनुसार 74976.74 लाख रुपये है एवं लेखांकन वर्ष 2007-08 और 2011-12 के लिए जुर्माने के रूप में 457.33 लाख रुपये है।
- # वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक सेवा कर विभाग द्वारा की गई मांग, जुर्माना और ब्याज के रूप में 74658.49 लाख रुपए शामिल करते हुए 123400.13 लाख हैं तथा वर्ष 2005-06 और 2007-08 के लिए आयकर की मांग के अनुसार 33720.30 लाख रुपये है एवं लेखांकन वर्ष 2007-08 और 2011-12 के लिए जुर्माने के रूप में 368.82 लाख रुपये है।
- ##17,4130.04 लाख की राशि (पिछले वर्ष 123400.13 लाखों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाई गई 10052.00 लाख रु. की दंड राशि सम्मिलित है।
- आईआरडीएआई के पत्र सं. IRDA/F&A/CIR/MISC/173/07/2017 के अनुपालन में 579.76 लाख (पिछले वर्ष 551.78 लाख रुपये) लोन से पहले 01.10.2008 (10 वर्ष से अधिक) से पहले गैर-दावा पॉलिसी धारक के फंड से वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित कर दिए गए।
- ## Rs.174130.04 Lakhs includes Rs. 80552.59 Lakhs as demand, penalty and interest thereon raised by Service Tax Deptt. pertaining to years 2010-11 to 2012-13 and Rs. 74976.74 Lakhs as against I.Tax demand for AY 2005-06 & 2007-08 and Rs. 457.33 Lakhs as penalty for AY 2007-08 & 2011-12 .
- #Rs. 123400.13 Lakhs includes Rs. 74658.49 Lakhs as demand, penalty and interest thereon raised by Service Tax Deptt. pertaining to years 2011-12 & 2012-13 and Rs. 33720.30 Lakhs as against I.Tax demand for AY 2005-06 & 2007-08 and Rs. 368.82 Lakhs as penalty for AY 2007-08 & 2011-12.
- ## Rs.174130.04 Lakhs (previous year 123400.13 Lakhs) includes Rs. 10052.00 lakhs for penalty by Competition Commission of India.
- *Rs. 579.76 Lakhs (Previous year Rs. 551.78 Lakhs) transferred to Senior Citizen welfare fund from unclaimed policy holder's fund lying prior to 01.10.2008 (more than 10 years) in compliance to IRDA circular ref. no. IRDA/F&A/CIR/MISC/173/07/2017.



2. भारत में और बाहर कंपनी की संपत्तियों के लिए भार

2. Encumbrances to assets of the Company in and outside India

		As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
क. अदालत के आदेश के अनुसार जमा बैंक खाते	a. Bank Accounts frozen as per Court Orders	69.38	55.14
ख. सरकार की तरफ से पर्यावरण राहत निधि के तहत जमा जमा	b. Deposits held under Environment Relief fund on behalf of the Government	शून्य NIL	शून्य NIL

3. ऋण, निवेश और फिक्स्ड एसेट्स के लिए प्रतिबद्ध और बकाया प्रतिबद्धताएं

3. Commitments made and outstanding for loans, investments and Fixed Assets

		As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
क. ऋण	a. Loans	1.80	1.80
ख. आंशिक भुगतान शेयर	b. Partly Paid Shares	647.56	662.70
ग. पूंजी प्रतिबद्धता अग्रिम का निवल	c. Capital Commitments Net of Advances	420.60	5910.95

4. कम पुनर्वित्त का दावा करता है, भुगतान किया जाता है

4. (a) Claims less Reinsurance, paid to

		As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
क. भारत में दावेदार	a. Claimants in India	874485.93	759502.75
ख. भारत के बाहर दावेदार	b. Claimants outside India	34061.64	27927.66
ग. कुल	c. Total	908547.57	787430.41

(बी) पिछले वर्ष के लिए एक्सओएल संधियों में वसूली योग्य के रूप में दिखाए गए मोटर पूल और डी आर पूल के दावों की अनजाने बुकिंग के मद्देनजर मोटर एक्सओएल की वसूली 35965 रुपये कम है और निवल बीबीआरआर पर परिणामी प्रभाव है। वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया नुकसान उस सीमा तक अधिक है।

(b) In view of the inadvertent booking of claims of Motor Pool and D R Pool shown as recoverable in XOL treaties for previous year, Motor XOL amount recoverable is lower by Rs. 35965 Lakhs and consequential effect on Net IBNR thereon. The loss reported for the year is higher to that extent.

5. दावों के मामले में दावा देनदारियों के निर्धारण के लिए एकचुरियल धारणाएँ जहाँ दावा भुगतान की अवधि चार साल से अधिक है।

5. Actuarial assumptions for the determination of claim liabilities in the case of claims where the claim payment period exceed four years.

दावों के भुगतान की अवधि चार साल से अधिक होने की स्थिति में दावों की देनदारियों को पूरा करने के लिए कोई अलग धारणा नहीं बनाई जा रही है। आईबीएनआर सभी दावों के योग्य सामान्य त्रिकोणासन विधि से किया जाता है।

No separate assumptions are being taken to work out claims liabilities in the case of claims where the claims payment period exceed four years. IBNR Reserving of all claims are done through normal triangulation method.



6. दावों की अवधि (आईबीएनआर को छोड़कर प्रत्यक्ष)
क) भारत के भीतर

6. Ageing of claims (Direct excluding IBNR)
a) Within India

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

व्यवसाय की कक्षा	Class of Business	वर्ष/ Year	के लिए बकाया दावा / Claims outstanding for					
			छह महीने से अधिक More than six months		छह महीने से कम Less than six months		कुल Total	
			संख्या/ Number	राशि/ Amount	संख्या/ Number	राशि/ Amount	संख्या/ Number	राशि/ Amount
अग्नि	Fire	As at 31.3.19	1856	97815	792	101613	2648	199428
		As at 31.3.18	1883	132632	814	33681	2697	166313
मरीन	Marine	As at 31.3.19	834	30748	880	28200	1714	58948
		As at 31.3.18	1284	55816	1063	6770	2347	62586
विविध	Misc	As at 31.3.19	124850	441376	107851	364556	232701	805932
		As at 31.3.18	135159	444753	98394	187137	233553	631890
कुल	Total	As at 31.3.19	127540	569939	109523	494369	237063	1064308
		As at 31.3.18	138326	633201	100271	227588	238597	860789

b) Outside India

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

व्यवसाय की कक्षा	Class of Business	वर्ष/ Year	के लिए बकाया दावा / Claims outstanding for					
			छह महीने से अधिक More than six months		छह महीने से कम Less than six months		कुल Total	
			संख्या/ Number	राशि/ Amount	संख्या/ Number	राशि/ Amount	संख्या/ Number	राशि/ Amount
अग्नि	Fire	As at 31.3.19	114	3764	89	30470	203	34234
		As at 31.3.18	115	4935	59	3645	174	8580
मरीन	Marine	As at 31.3.19	107	433	48	49	155	482
		As at 31.3.18	100	2135	62	371	162	2506
विविध	Misc	As at 31.3.19	3615	4834	19510	4379	23125	9213
		As at 31.3.18	3891	5255	13378	3852	17269	9107
कुल	Total	As at 31.3.19	3836	9031	19647	34898	23483	43929
		As at 31.3.18	4106	12325	13499	7868	17605	20193

c) Total

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

व्यवसाय की कक्षा	Class of Business	वर्ष/ Year	के लिए बकाया दावा / Claims outstanding for					
			छह महीने से अधिक More than six months		छह महीने से कम Less than six months		कुल Total	
			संख्या/ Number	राशि/ Amount	संख्या/ Number	राशि/ Amount	संख्या/ Number	राशि/ Amount
अग्नि	Fire	As at 31.3.19	1970	101579	881	132083	2851	233662
		As at 31.3.18	1998	137567	873	37326	2871	174893
मरीन	Marine	As at 31.3.19	941	31181	928	28249	1869	59430
		As at 31.3.18	1384	57951	1125	7141	2509	65092
विविध	Misc	As at 31.3.19	128465	446210	127361	368935	255826	815145
		As at 31.3.18	139050	450008	111772	190989	250822	640997
कुल	Total	As at 31.3.19	131376	578970	129170	529267	260546	1108237
		As at 31.3.18	142432	645526	113770	235456	256202	880982



7. प्रीमियम घटाएं पुनर्बीमा से / Premium less Reinsurance underwritten from

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
क. भारत में व्यापार	a. Business in India	1046424.16	974164.65
ख. भारत के बाहर व्यापार	b. Business outside India	38114.59	28657.95
ग. कुल	c. Total	1084538.75	1002822.60

8. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य / Value of contracts in relation to investments for

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
क. खरीद जहां डिलीवरी लंबित हैं	a. Purchases where deliveries are pending*	NIL	NIL
ख. बिक्री जहां भुगतान अतिदेय है	b. Sales where payments are overdue	NIL	NIL

* अदायगी के आलाव, जो स्टॉक एक्सचेंज निपटान के कारण प्रभावित नहीं होते हैं।

* Except deliveries which are not effected due to stock exchange settlement.

9. Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis

	As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
फेयर वैल्यू बेसिस पर मूल्यवान इक्विटी शेयरों / म्यूचुअल फंड की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis	433208.08	313260.63

10. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना

अधिसूचना के अनुसार सं. जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 में प्रबंधकीय पारिश्रमिक देय पर प्रतिबंध, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

11. निवेश संपत्ति का उचित मूल्य और उसके आधार

आईआरडीएआई (वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियमों के तहत आवश्यक विनियमन 2000, निवेश संपत्ति के मूल्य को ऐतिहासिक लागत कम संचित मूल्यह्रास और न्यूनतम हानि, यदि कोई हो, का मूल्य दिया गया है।

10. Computation of managerial remuneration

As per notification no. GSR463(E) dated 05.06.2015 section 197 of the Companies Act, 2013, the restriction on managerial remuneration payable, is not applicable to Government Companies.

11. Fair value of Investment Property and basis thereof

As required under the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2000, the value of Investment Property has been valued at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any.



12. दावा निपटारे और बकाया बकाया

12. Claims settled and remaining unpaid

	As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
बैलेंस शीट तिथि के अनुसार 6 महीने से अधिक समय के लिए दावा निपटारे और बकाया शेष Claims settled and remaining unpaid for more than 6 months as on the Balance Sheet date	NIL	NIL

13. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश

13. Investments made in accordance with statutory requirements

	As at 31.03.2019 (Rs.in Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs.in Lakhs)
क. स्थानीय कानूनों के तहत वैधानिक जमा के माध्यम से भारत के बाहर किए गए निवेश a. Investments made outside India by way of Statutory Deposits under local laws	17052.84	12841.00
ख. एसईबीआई निर्देशों के अनुसार संस्थागत व्यापार के लिए मार्जिन के रूप में सावधि जमा b. Fixed Deposits as margins for Institutional Trades as per SEBI directives	500.00	500.00

14. आय, मान्यता, एसेट वर्गीकरण और आईआरडीएआई / संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा जारी किए गए प्रावधानों के लिए ऋण सहित प्रदर्शन और गैर-निष्पादित निवेशों का पृथक्करण निम्नानुसार है:

14. Segregation of Investments into Performing and non-performing investments including loans for the purpose of income recognition, Asset classification and provisioning issued by IRDAI /related RBI Guidelines are as under:

		As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
क. निवेश करना	a. Performing Investments	1221783.45	1086472.42
ख. गैर-निष्पादित निवेश	b. Non-Performing Investments	38669.88	2883.12
ग. कुल	c. Total	1260453.33	1089355.54



15. पिछले 5 वर्षों के वित्तीय विवरणों का सारांश:

पिछले पांच वर्षों के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का सारांश निम्नानुसार है:

वित्तीय विवरणों का सारांश

(लाख में)

15. Summary of financial statements for the last 5 years:

The summary of financial statements of the Company for the last five years are as under:

Summary of Financial Statements

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	विवरण	Particulars	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
	परिचालन परिणाम	OPERATING RESULTS					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	Gross Direct Premium	1348475	1173684	1111702	861159	756193
2	निवल प्रीमियम	Net Premium	1084539	1002823	922239	754374	647238
3	निवेश से आय (शुद्ध)	Income from Investment (net)	318448	329233	232568	182268	210054
4	अन्य आय	Other Income	18124	10360	8931	26611	4894
5	कुल आय	Total Income	1421111	1342416	1163738	963253	862186
6	कमीशन (निवल) (ब्रोकरेज सहित)	Commission(Net)/(Including Brokerage)	65854	63720	50025	46310	34782
7	परिचालन खर्च	Operating Expenses	246552	269299	282124	258009	234798
8	निवल इक्वायरी का दावा	Net Incurred Claims	1124808	822121	939810	587959	526150
9	अपेक्षित जोखिम रिजर्व में बदलाव	Change in Unexpired Risk Reserve	24386	40022	83912	51984	4722
10	संचालन लाभ / हानि	Operating Profit/Loss	(40489)	147254	(192133)	18991	61734
	गैर संचालन परिणाम	NON OPERATING RESULT					
11	शेयरधारक के खाते में कुल आय (क) सीएसआर (ख) स्वीकार्य सीमा से अधिक ईओएम की अधिकता	Total Income under Shareholder's account (a) C.S.R (b) Excess of EOM over allowable limit	(723) (1687)	(669) (8356)	(407) (6569)		
12	कर से पहले लाभ / (हानि) (घटाये: पूर्व अवधि के आइटम)	Profit/(loss) before tax (less: Prior period items)	(42899)	138229	(198926)	18926	62035
13	कर का प्रावधान (पूर्व वर्षों और डीटीए / डीटीएल के लिए प्रावधान सहित)	Provision for tax (including provision for earlier years and DTA/DTL)	13533	12760	29816	(11123)	22825
14	कर के बाद लाभ / (हानि)	Profit/(loss) after tax	(29366)	150989	(169110)	30049	39210
15	पॉलिसीधारक का खाता:	Policyholder's Account:					
	कुल धन	Total funds	1778066	1537419	1463145	1124281	1053979
	कुल निवेश	Total Investments	2100335	2064416	1836945	1505420	1609782
	निवेश पर लाभ	Yield on Investments	7.38%	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%
16	शेयरधारक का खाता	Shareholder's Account					
	कुल धन	Total funds	286303	315669	164680	333790	318183
	कुल निवेश	Total Investments	362246	215951	443275	454508	456160
	निवेश पर उपज	Yield on Investments	7.38%	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%
17	इक्विटी कैपिटल भुगतान	Paid up Equity Capital	20000	20000	20000	20000	20000
18	कुल मूल्य	Net Worth	286303	315669	133448	271326	318183
19	कुल संपत्ति	Total Assets	3379074	2998409	2936227	2554416	2628486
20	कुल निवेश पर लाभ	Yield on total investments	7.38%	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%
21	प्रति शेयर अर्जन (रु.)	Earning per share (Rs.)	(14.68)	75.49	(84.55)	15.02	19.60
22	प्रति शेयर बुक मूल्य (रु.)	Book Value per share (Rs.)	143.15	157.83	66.72	135.66	159.09
23	कुल लाभांश	Total Dividend	-	-	-	12000.00	11000.00
24	प्रति शेयर लाभांश (रु.)	Dividend per share (Rs)	-	-	-	6.00	5.50



16. गैर जीवन विश्लेषणात्मक अनुपात / NON LIFE ANALYTICAL RATIOS

Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2019	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2017	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2019	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2018
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (कुल)	Gross Direct Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि	Fire	106732	99662	104289	7.09	-4.44
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	20595	21307	22517	-3.34	-5.38
	समुद्री हल	Marine Hull	14332	10157	16880	41.10	-39.83
	मोटर ओडी	Motor OD	159469	166849	156113	-4.42	6.88
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	306769	282826	236819	8.47	19.43
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	23813	23211	29113	2.59	-20.27
	विमानन	Aviation	11614	8812	8980	31.80	-1.87
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	6199	6138	7047	1.00	-12.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	62574	55961	52690	11.82	6.21
	स्वास्थ्य	Health	408809	360844	332339	13.29	8.58
	देयता	Liability	7843	7278	7054	7.76	3.17
	फसल	Crop	175864	82521	0	113.11	0
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	43861	48117	44709	-8.84	7.62
	कुल	Total	1348475	1173684	1018550	14.89	15.23
1a	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय)	Gross Direct Premium Growth Rate (Indian Only)				%	%
	अग्नि	Fire	99060	92296	96636	7.33	-4.49
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	18646	19246	20272	-3.11	-5.06
	समुद्री हल	Marine Hull	14292	10128	16833	41.11	-39.83
	मोटर ओडी	Motor OD	147753	154455	142202	-4.34	8.62
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	305767	281293	232162	8.70	21.16
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	23114	22633	28307	2.12	-20.04
	विमानन	Aviation	11614	8812	8980	31.80	-1.87
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5774	5749	6601	0.44	-12.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	62369	55765	52449	11.84	6.32
	स्वास्थ्य	Health	405370	358117	332187	13.19	7.81
	देयता	Liability	7357	6800	6602	8.20	3.00
	फसल	Crop	175864	82521	93153	113.11	-11.41



Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2019	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2017	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2019	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2018
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	42952	47383	43951	-9.35	7.81
	कुल	Total	1319932	1145197	1080334	15.26	6.00
1b	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेशी)	Gross Direct Premium Growth Rate (Foreign Only)				%	%
	अग्नि	Fire	7673	7367	7653	4.16	-3.74
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	1949	2061	2245	-5.45	-8.18
	समुद्री हल	Marine Hull	41	29	48	39.83	-38.66
	मोटर ओडी	Motor OD	11716	12394	13911	-5.47	-10.90
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	1002	1533	4658	-34.66	-67.08
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	699	578	806	20.98	-28.27
	विमानन	Aviation	0	0	0	0	0
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	424	389	446	9.17	-12.87
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	205	196	241	4.50	-18.61
	स्वास्थ्य	Health	3439	2727	153	26.09	1687.81
	देयता	Liability	485	478	452	1.53	5.69
	फसल	Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	909	734	757	23.78	-3.01
	कुल	Total	28542	28487	31369	0.19	-9.19

(रु. लाखों में) (Rs. in lakhs)

Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2019	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2017	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2019	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2018
2	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (कुल)	Gross Written Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि	Fire	123885	117106	120368	5.79	-2.71
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	21185	21474	22622	-1.35	-5.08
	समुद्री हल	Marine Hull	15333	10600	17790	44.65	-40.42
	मोटर ओडी	Motor OD	159611	166941	156154	-4.39	6.91
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	306769	282829	236820	8.47	19.43
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	2364	0	-100.00
	अभियांत्रिकी	Engineering	27419	27416	32262	0.01	-15.02
	विमानन	Aviation	16967	11140	11094	52.30	0.42
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	6199	6138	7048	1.00	-12.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	62575	55973	52808	11.79	5.99



Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2019	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2017	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2019	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2018
	स्वास्थ्य	Health	411531	360864	332339	14.04	8.58
	देयता	Liability	8453	7884	7651	7.22	3.05
	फसल	Crop	175864	82521	93152	113.11	-11.41
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	45381	58588	56812	-22.54	-60.93
	कुल	Total	1381171	1209473	1149284	14.20	-2.65
2a	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय)	Gross Written Premium Growth Rate (Indian Only)				%	%
	अग्नि	Fire	109573	105296	109126	4.06	-3.51
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	18646	19249	20272	-3.13	-5.05
	समुद्री हल	Marine Hull	15110	10443	17509	44.68	-40.35
	मोटर ओडी	Motor OD	147753	154455	142202	-4.34	8.62
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	305767	281293	232162	8.70	21.16
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	2364	0	-100.00
	अभियांत्रिकी	Engineering	25856	25911	31019	-0.21	-16.47
	विमानन	Aviation	11862	9305	9610	27.48	-3.16
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5774	5749	6601	0.44	-12.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	62369	55774	52458	11.82	6.32
	स्वास्थ्य	Health	405370	358117	332187	13.19	7.81
	देयता	Liability	7960	7401	7194	7.55	2.87
	फसल	Crop	175864	82521	93152	113.11	-11.41
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	44041	57705	55830	-23.68	3.36
	कुल	Total	1335945	1173220	1111686	13.87	5.54
2b	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेशी)	Gross Written Premium Growth Rate (Foreign Only)				%	%
	अग्नि	Fire	14312	11809	11242	21.20	5.05
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	2538	2225	2349	14.09	-5.31
	समुद्री हल	Marine Hull	223	156	281	42.78	-44.45
	मोटर ओडी	Motor OD	11858	12485	13951	-5.02	-10.51
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	1002	1536	4659	-34.78	-67.03
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	1563	1505	1243	3.82	21.09
	विमानन	Aviation	5105	1835	1484	178.22	23.61
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	425	389	447	9.17	-12.86
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	206	199	350	3.65	-43.23
	स्वास्थ्य	Health	6160	2747	153	124.27	1700.50
	देयता	Liability	494	483	456	2.11	5.92
	फसल	Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	1340	883	982	51.82	-10.09
	कुल	Total	45225	36252	37598	24.75	-3.58



3	निवल वर्थ अनुपात को सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	Gross Direct Premium to Net Worth Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2017
	सकल प्रीमियम	Gross Premium	1348475	1173684	1111702
	कुल मूल्य	Net Worth	286303	315669	133448
	निवल वर्थ (समय) के लिए सकल प्रीमियम का अनुपात	Ratio of Gross Premium to Net Worth (times)	4.71	3.72	8.33

4	निवल वर्थ की वृद्धि दर	Growth rate of Net Worth	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2017	%	%
	वर्तमान वर्ष / अवधि के अंत में निवल वर्थ	Net Worth at the end of current year/ period	286303	315669	133448		
	पिछले वर्ष / अवधि के अंत में निवल वर्थ	Net Worth at the end of previous year/ period	315669	133448	271326		
	विकास और विकास दर (%)	Growth and Growth rate (%)	-29366	182221	-137878	-9.30	136.55

5	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (कुल)	Net Retention Ratio (Total)	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2019	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2018	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2017	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio (%)	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio (%)
	अग्नि	Fire	61952	58439	59638	50.01	49.90
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	15924	17659	19195	75.17	82.23
	समुद्री हल	Marine Hull	3857	4048	4588	25.15	38.19
	मोटर ओडी	Motor OD	151852	158262	148141	95.14	94.80
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	290591	268000	224265	94.73	94.76
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	1384	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	19121	20279	20621	69.74	73.97
	विमानन	Aviation	5460	2263	1967	32.18	20.32
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5874	5847	6703	94.75	95.26
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	55638	50212	42645	88.91	89.71
	स्वास्थ्य	Health	390101	341515	315733	94.79	94.64
	देयता	Liability	6082	5666	5583	71.95	71.86
	फसल	Crop	38358	18430	1954765	21.81	22.33
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	39729	52202	71776	87.55	89.10
	सभी विभाग	All Departments	1084539	1002823	2877004	78.52	82.91



5	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (कुल)	Net Retention Ratio (Total)	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2019	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2018	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2017	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio (%)	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio(%)
5a	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (केवल भारतीय)	Net Retention Ratio (Indian Only)					
	अग्नि	Fire	51840	50906	52393	47.31	48.35
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	13526	15560	17023	72.54	80.84
	समुद्री हल	Marine Hull	3634	3893	4308	24.05	37.27
	मोटर ओडी	Motor OD	140365	146732	135093	95.00	95.00
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	289589	266464	219607	94.71	94.73
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	1384	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	17762	18911	19674	68.70	72.98
	विमानन	Aviation	495	526	584	4.17	5.65
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5486	5461	6271	95.00	95.00
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	55527	50061	42354	89.03	89.76
	स्वास्थ्य	Health	385591	340349	315580	95.12	95.04
	देयता	Liability	5606	5208	5152	70.43	70.37
	फसल	Crop	38358	18430	19548	21.81	22.33
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	38645	51662	51486	87.75	89.53
	सभी विभाग	All Departments	1046424	974165	890457	78.33	83.03
5b	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (केवल विदेशी)	Net Retention Ratio (Foreign Only)					
	अग्नि	Fire	10113	7532	7245	70.66	63.78
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	2398	2098	2173	94.48	94.32
	समुद्री हल	Marine Hull	223	156	280	99.74	99.53
	मोटर ओडी	Motor OD	11486	11529	13048	96.87	92.34
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	1002	1536	4659	100.00	100.00
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	1359	1368	947	86.95	90.92
	विमानन	Aviation	4965	1737	1384	97.27	94.69
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	388	386	432	91.38	99.12
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	111	151	291	53.75	75.87
	स्वास्थ्य	Health	4510	1166	153	73.21	42.45
	देयता	Liability	476	458	430	96.48	94.83
	फसल	Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	1084	540	741	80.89	61.16
	सभी विभाग	All Departments	38115	28658	31781	84.28	79.05



6	निवल कमीशन अनुपात - कुल (%)	NET COMMISSION RATIO - TOTAL (%)	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2019	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2018	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2017	निवल कमीशन अनुपात Net Commission Ratio(%)	निवल कमीशन अनुपात Net Commission Ratio (%)
	अग्नि	Fire	8568	9607	6870	13.83	16.44
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	2219	2287	2593	13.94	12.95
	मरीन हल	Marine Hull	-205	-136	-130	-5.30	-3.35
	मोटर ओडी	Motor OD	27254	23264	13666	17.95	14.70
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	3021	1678	1234	1.04	0.63
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	1778	1997	-69	9.30	9.85
	विमानन	Aviation	374	221	242	6.86	9.76
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	927	903	709	15.78	15.45
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	788	354	-395	1.42	0.71
	स्वास्थ्य	Health	24017	22806	19235	6.16	6.68
	देयता	Liability	585	665	805	9.62	11.73
	फसल	Crop	-11902	0	0	-31.03	0.00
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	8429	74	5266	21.22	0.14
	सभी विभाग	All Departments	65854	63720	50025	6.07	6.35
6a	निवल कमीशन अनुपात - भारतीय केवल (%)	NET COMMISSION RATIO - Indian Only (%)					
	अग्नि	Fire	5553	7168	4059	10.71	14.08
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	1773	1962	2241	13.11	12.61
	मरीन हल	Marine Hull	-223	-152	-161	-6.14	-3.91
	मोटर ओडी	Motor OD	23924	19944	9941	17.04	13.59
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	2841	1355	-7	0.98	0.51
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	1493	1855	-217	8.40	9.81
	विमानन	Aviation	-94	-84	-43	-19.10	-16.02
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	811	788	582	14.78	14.43
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	775	335	-493	1.40	0.67
	स्वास्थ्य	Health	23529	22551	19222	6.10	6.63
	देयता	Liability	433	514	664	7.72	9.88
	फसल	Crop	-11902	0	0	-31.03	0.00
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	8196	-47	5065	21.21	-0.09
	सभी विभाग	All Departments	57108	56189	40853	5.46	5.77
6b	निवल कमीशन अनुपात - विदेशी केवल (%)	NET COMMISSION RATIO - Foreign Only (%)					
	अग्नि	Fire	3015	2439	2811	29.82	32.38
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	446	325	352	18.61	15.49
	मरीन हल	Marine Hull	18	16	32	8.30	10.54
	मोटर ओडी	Motor OD	3328	3320	3725	28.97	28.79
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	180	323	1241	17.94	21.00
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	285	142	148	21.01	10.39
	विमानन	Aviation	469	305	286	9.44	17.57
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	116	115	127	29.86	29.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	13	19	98	11.42	12.54
	स्वास्थ्य	Health	488	255	13	10.83	21.87



6	निवल कमीशन अनुपात - कुल (%)	NET COMMISSION RATIO - TOTAL (%)	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2019	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2018	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2017	निवल कमीशन अनुपात Net Commission Ratio(%)	निवल कमीशन अनुपात Net Commission Ratio (%)
	देयता	Liability	152	150	141	32.02	32.82
	फसल	Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	233	121	201	21.54	22.47
	सभी विभाग	All Departments	8744	7531	9172	22.94	26.28

(Rs. in lakhs)

7	प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात के लिए प्रबंधन का व्यय	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	प्रबंधन के व्यय (प्रत्यक्ष कमीशन)	Expenses of Management (incl. Direct Commission)	330094	344161
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात (%)	Gross Direct Premium Ratio(%)	1348475	1173684
			24.48	29.32

8	प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात के लिए प्रबंधन का व्यय	Expense of Management to Net Written Premium Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	प्रबंधन के व्यय (प्रत्यक्ष कमीशन)	Expenses of Management (incl. Direct Commission)	330094	344161
	शुद्ध लिखित प्रीमियम आय अनुपात (%)	Net Written Premium Income Ratio(%)	1084539	1002823
			30.44	34.32

9	किया गया निवल दावा प्रतिशत (%)	NET INCURRED CLAIMS RATIO (%)	किए गए निवल दावे Net Incurred Claims 31.03.2019	निवल प्रीमियम प्राप्ति Net Earned Premium 31.03.2019	किए गए निवल दावे Net Incurred Claims 31.03.2019	निवल प्रीमियम प्राप्ति Net Earned Premium 31.03.2019	Net ICR as at 31.03.19 (%)	Net ICR as at 31.03.18 (%)
	अग्नि	Fire	67716	60195	50957	59038	112.49	86.31
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	10516	16791	10123	18427	62.63	54.94
	मरीन हल	Marine Hull	3374	4048	5967	4588	83.33	130.05
	मोटर ओडी	Motor OD	133704	155057	112918	153202	86.23	73.71
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP (Non-Pool)	349723	279296	184755	246133	125.22	75.06
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	6490	0	6635	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआरपूल)	Motor TP(D.R. Pool)	-753	0	-31523	692	0	-4555.06
	अभियांत्रिकी	Engineering	-348	19700	4233	20450	-1.76	20.70
	विमानन	Aviation	7866	3862	3084	2115	203.70	145.79
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	1387	5861	2010	6275	23.67	32.03
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	59732	52925	64297	46428	112.86	138.49
	स्वास्थ्य	Health	395847	365808	362755	328624	108.21	110.39
	देयता	Liability	1046	5874	630	5624	17.80	11.20
	फसल	Crop	68701	44770	17014	18989	153.45	89.60
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	19808	45965	28266	52215	43.09	54.13
	सभी विभाग	All Departments	1124808	1060153	822121	962801	106.10	85.39



10	संयुक्त अनुपात	Combined Ratio	कुल	कुल	इंडियन	इंडियन	विदेश	विदेश
			Total 31.03.2019	Total 31.03.2018	Indian 31.03.2019	Indian 31.03.2018	Foreign 31.03.2019	Foreign 31.03.2018
	निवल इंकवायरी का दावा	Net Incurred Claims	1124808	822121	1089389	789081	35366	33041
	निवल अर्जित प्रीमियम	Net Earned Premium	1060153	962801	1026774	932517	33352	30283
	शुद्ध दावा किए गए अनुपात (%)	Net Incurred Claims Ratio (%)	106.10	85.39	106.10	84.62	106.04	109.11
	निवल कमीशन का भुगतान किया	Net Commission Paid	65854	63720	57109	56190	8743	7530
	संचालन प्रबंधन व्यय	Operating Management Expenses	246552	269299	244041	267109	2511	2190
	शुद्ध लिखित प्रीमियम	Net Written Premium	1084539	1002823	1046426	974165	38115	28658
	शुद्ध परिचालन व्यय अनुपात (%)	Net Operating Expenses Ratio (%)	28.81	33.21	28.78	33.19	29.53	33.92
	संयुक्त अनुपात (%)	Combined Ratio (%)	134.91	118.60	134.88	117.81	135.57	143.03

11	निवल प्रीमियम अनुपात के लिए तकनीकी रिजर्व	Technical Reserves to Net Premium Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने
			12 months ending 31.03.2019	12 months ending 31.03.2018
	अनपेक्षित जोखिमों के लिए रिजर्व	Reserve for Unexpired Risks	527822	503436
	प्रीमियम कमी रिजर्व	Premium Deficiency Reserve	3610	0
	बकाया दावों के लिए रिजर्व	Reserve for Outstanding Claims	1250244	1033984
	कुल	Total	1781676	1537420
	निवल प्रीमियम	Net Premium	1084539	1002823
	अनुपात (टाइम्स)	Ratio (Times)	1.64	1.53

12	अंडरराइटिंग बैलेंस अनुपात	Underwriting Balance Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने	अंडरराइटिंग बैलेंस अनुपात (समय)	अंडरराइटिंग बैलेंस अनुपात (समय)
			12 months ending 31.03.2019	12 months ending 31.03.2018	U/W Balance Ratio (Times)	U/W Balance Ratio (Times)
	अग्नि	Fire	-38266	-26350	-0.64	-0.45
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	1212	2603	0.07	0.14
	समुद्री हल	Marine Hull	-1179	-2928	-0.29	-0.64
	मोटर ओडी	Motor OD	-34514	-32754	-0.22	-0.21
	मोटर टीपी (नैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	-128432	-327	-0.46	0.00
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	-6490	-6635	0	0
	मोटर टीपी (टीडीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	753	32215	0	46.55
	अभियांत्रिकी	Engineering	13355	8402	0.68	0.41
	विमानन	Aviation	-7420	-3554	-1.92	-1.68
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	2436	2059	0.42	0.33
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	-18811	-30102	-0.36	-0.65
	स्वास्थ्य	Health	-127817	-133526	-0.35	-0.41
	देयता	Liability	2728	2656	0.46	0.47
	फसल	Crop	-43890	-15388	-0.98	-0.81
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	9273	11289	0.20	0.22
	कुल	TOTAL	-377062	-192340	-0.36	-0.20



13	संचालन लाभ अनुपात	Operating Profit Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	बीमालेखन का लाभ	Underwriting Profit	-377062	-192340
	निवेश आय	Investment Income	318448	329233
	संचालन लाभ	Operating Profits	-58614	136893
	निवल अर्जित प्रीमियम	Net Earned Premium	1060153	962801
	अनुपात(%)	Ratio(%)	-5.53	14.22

14	देयता अनुपात का तरल संपत्ति	Liquid Assets to Liabilities Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	तरल संपत्ति	Liquid Assets	493844	363303
	पॉलिसीधारकों की देयताएं	Policyholders' Liabilities	1659967	1334199
	अनुपात (समय)	Ratio (Times)	0.30	0.27

15	शुद्ध अर्जन अनुपात	Net Earnings Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	कर अदायगी के बाद लाभ	Profit after Tax	-29366	150989
	निवल प्रीमियम	Net Premium	1084539	1002823
	अनुपात (%)	Ratio (%)	-2.71	15.06

16	कुल मूल्य पर आय	Return on Net Worth	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	कर अदायगी के बाद लाभ	Profit after Tax	-29366	150989
	निवल प्रीमियम	Networth	286303	315669
	अनुपात (%)	Ratio (%)	-10.26	47.83

17	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात	Available Solvency Margin to required Solvency Margin Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन	Available Solvency Margin	588624	450072
	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन	Required Solvency Margin	374378	269335
	सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात (टाइम्स)	Solvency Margin Ratio (Times)	1.57	1.67



18	एनपीए अनुपात (%)	NPA Ratio (%)	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	सकल एनपीए अनुपात - पॉलिसीधारकों के फंड	Gross NPA Ratio - Policyholders' funds	1.77	0.17
	सकल एनपीए अनुपात - शेयरधारकों की निधि	Gross NPA Ratio - Shareholders' Funds	0.31	0.02
	निवल एनपीए अनुपात - पॉलिसीधारकों के फंड	Net NPA Ratio - Policyholders' Funds	1.17	0.00
	निवल एनपीए अनुपात - शेयरधारकों की निधि	Net NPA Ratio - Shareholders' Funds	0.20	0.00

17. भारतीय प्रत्यक्ष प्रीमियम का क्षेत्रवार विभाजन

17. Sector-wise break-up of Indian Direct Premium

		As at 31.03.2019 को			As at 31.03.2018 को		
		जनसंख्या No. of Lives	प्रीमियम Rs.in Lakhs	अनुपात %age	जनसंख्या No. of Lives	प्रीमियम Rs.in Lakhs	अनुपात %age
a. ग्रामीण क्षेत्र	a. Rural Sector	-	317805.03	24.08%	-	182390.67	15.93%
b. सामाजिक क्षेत्र	c. Social Sector	77672967	148770.28	11.27%	98533639	107522.61	9.39%
d. अन्य	e. Others	-	853357.18	64.65%	-	855283.49	74.68%
कुल	Total	77672967	1319932.49	100.00%	98533639	1145196.77	100.00%

18. Break-up of investments subjected to restructuring

The figures of total assets restructured under various categories are being compiled. The assets restructured and implemented during the year and during previous year, under respective categories, are given below:

(Rs. In Lakhs)

Sr. No.	संपत्ति की श्रेणी	Category of Asset	पुनर्गठन और कार्यान्वयन के अधीन परिसंपत्तियाँ (वर्ष के दौरान) Assets subjected to Restructuring and implemented (during the year)	
			2018-19	2017-18
1	मानक	Standard	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
2	उप मानक	Sub Standard	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
3	संदिग्ध	Doubtful	8.31	821.57
4	नुकसान	Loss	28.75	61.86
	कुल	Total	37.06	883.43



19. Break up of Business Acquisition Cost

The Commission/Brokerage incurred during the year 2018-19 in respect of Indian Direct Business is given below:

Sr. No.	वर्ग	Category	2018-19 Rs. in Lakhs	2017-18 Rs. in Lakhs
1	एजेंटों	Agents	47483.68	43964.82
2	ब्रोकर्स	Brokers	19030.43	17375.83
3	कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	4041.5	3361.02
4	अन्य (MISP सहित)	Others(including MISP)	5637.69	2616.75
	कुल	Total	76193.30	67318.42

20. निवेश

- 20.1 29.42 लाख (पिछले वर्ष 32.79 लाख रुपये) के बुक वैल्यू (उचित मूल्य) के शेयरों के शेयरों का मूल्य 4.23 लाख रुपये (पिछले वर्ष का 4.23 लाख रुपये) का खरीद मूल्य कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है। यह आपत्ति के अधीन हैं। ये 1998 से पहले की अवधि से संबंधित हैं।
- 20.2 स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्टिफिकेट (भ्रू- पुस्तकों में 1.02 लाख रुपये) का शॉर्ट वैल्यू (उचित मूल्य) और भ्रू- में 3.20 लाख रुपये (अतिरिक्त) के साथ कंपनी की पुस्तकों के अनुसार निवेश में विसंगतियां हैं। किताबें (पिछले वर्ष के 0.04 लाख रुपये और क्रमशः 1.78 लाख रुपये)। मतभेदों को दूर किया जा रहा है।
- 20.3 एक बार के उधारी/पुनर्खरीद/ऋणों के पुनर्वितरण और एनपीए खाते के जोड़ पर बुरा या संदेहास्पद ऋण/NPA के खाते में 8967.12 लाख रुपये (पिछले वर्ष 962.53 लाख रुपये जारी) के प्रावधान की शुद्ध वृद्धि है।
- 20.4 बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के तहत ऋण/निवेश को दीर्घकालिक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनकी निश्चित नहीं है।

20. Investments

- 20.1 Shares of the book value (fair value) of Rs. 29.42 Lakhs (Previous year Rs 32.79 Lakhs.) having purchase value of Rs 4.23 Lakhs (Previous year Rs. 4.23 Lakhs) have not been registered in the name of the company, as the transfers are under objection. These pertains to the period prior to 1998.
- 20.2 There are discrepancies in investments as per company's books with the certificates issued by Stock Holding Corporation of India (custodian) of book value (fair value) of Rs 1.02 Lakhs (Short) in SHCIL books and Rs. 3.20 Lakhs (Excess) in SHCIL books (Previous year Rs. 0.04 Lakhs and Rs 1.78 Lakhs respectively). The differences are under reconciliation.
- 20.3 There is a net addition in provisions for bad & doubtful debts/NPA of Rs. 8967.12 Lakhs (Previous year release Rs. 962.53 Lakhs) on account of One Time Settlements/ Restructuring/ Redemption of debts and addition of NPA Account.
- 20.4 Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisability is not certain.



- 20.5 निवेश पर आईआरडीएआई के मानदंडों के अनुसार, 7,58,565.63 लाख रुपये (पिछले वर्ष के 8,65,737.38 लाख रुपये) के अनधिकृत लाभ/हानि, सूचीबद्ध हस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं और म्यूचुअल फंड निवेश के लिए लिए जाते हैं और इसी तरह के बराबर रिजर्व बनाए जाते हैं। 'फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट' के समान। लाभ और हानि खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वितरण के लिए ऐसा आरक्षित उपलब्ध नहीं है।
- 20.6 निवेश की बिक्री पर रु. 2,00,233.43 लाख (पिछले वर्ष रु. 2,00,757.29 लाख) में दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर लाभ 1,93,370.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,95,748.66 लाख) वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष 31 मार्च 2019 की समाप्ति के दौरान शामिल हैं।
- 20.7 निवेश विनियमों पर आईआरडीएआई के मास्टर सर्कुलर दिनांक 03 मई 2017 के खंड संख्या 5.1 के अनुपालन में, चालू वित्त के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो और रिवर्स रेपो के संबंध में किए गए लेनदेन की स्थिति निम्नानुसार है:

- 20.5 In accordance with IRDAI norms on investments, unrealized gains/ loss of Rs 7,58,565.63 Lakhs (Previous year Rs. 8,65,737.38 Lakhs) arising due to change in fair value of listed equities and mutual funds are taken to investment and corresponding equal reserve created for the same as " Fair Value Change Account". There is no effect on Profit and Loss account and such reserve is not available for distribution.
- 20.6 Profit on sale of investment Rs. 2,00,233.43 Lakhs (Previous year Rs. 2,00,757.29 Lakhs) include profit on sale of long term investments amounted to Rs. 1,93,370.60 lakhs (Previous year Rs. 1,95,748.66 Lakhs) during the financial year ended 31.03.2019.
- 20.7 In compliance to clause no. 5.1 of the IRDAI's Master Circular dated 03 May 2017 on Investment Regulations, 2016, status of transactions done in respect of Repo and Reverse Repo in Government securities and Corporate Bonds during CY is as under :

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	दैनिक औसत Daily average outstanding during the year	31 मार्च, 2019 तक बकाया Outstanding as on March 31, 2019
रेपो के तहत प्रतिभूति बेची गई 1. सरकारी प्रतिभूति 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति	Securities Sold under repo 1. Government Securities 2. Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति 1. सरकारी प्रतिभूति 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति	Securities purchased under reverse repo 1. Government Securities 2. Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL



20.8 कंपनी का 31.03.2019 तक इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL & FS) समूह में 35828.33 लाख रुपये का कुल निवेश है। IL & FS समूह की कंपनियों ने ब्याज और सिद्धांत के भुगतान को डिफॉल्ट कर दिया है जो 31 मार्च 2019 तक था। आईएल एंड एफएस समूह में संपूर्ण निवेश, इसलिए आय-मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और निवेश-मास्टर परिपत्र IRDA (निवेश) विनियम 2016 के अन्य संबंधित मामलों के अनुसार उप-मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी ने इसलिए एक बनाया है निवेश के आधार पर 9004.17 लाख रुपये का प्रावधान (यानी 2980.46 लाख रुपये) सुरक्षित हिस्से पर 10% और 6023.71 लाख रुपये (असुरक्षित भाग पर 100%)। IL & FS समूह में अपने निवेश में निवेश की अंतर्निहित परिसंपत्तियों की डिबेंचर ट्रस्टी से नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने पर कंपनी IL & FS समूह में अपने सुरक्षित निवेशों के असुरक्षित भाग पर आगे के प्रावधान पर विचार करेगी।

20.9 कंपनी की ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट, पेंशन ट्रस्ट और पीएफ ट्रस्ट का भी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL & FS) में एक्सपोजर है, जो समूह की संस्थाओं में 7700.00 लाख रुपये की राशि है, जो दायित्व की गणना करते समय हानि के लिए नहीं माना गया है। वर्ष के अंत में एएस -15 के अनुसार पीएफ, पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रावधान।

21. अचल संपत्तियां

अचल संपत्तियों में 5394.21 लाख (पिछले वर्ष 687.04 लाख रुपये) की संपत्ति शामिल है, जिसके लिए या तो उपाधि कर्म रिकॉर्ड पर नहीं हैं या पंजीकरण लंबित है। पंजीकरण/स्टांप शुल्क शुल्क, उस समय तक जब तक पंजीकरण न हो, का हिसाब लगाया जाएगा।

20.8 The Company has an aggregate investment exposure of Rs. 35828.33 Lakhs in Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. (IL&FS) group as on 31.03.2019. Companies in IL&FS group have defaulted payment of interest and principle which was due upto 31st March. 2019. The entire investment in the IL&FS group, therefore, is categorized as sub-standard asset as per Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and other related matters of Investment-Master Circular IRDA (Investment) Regulations 2016. The company has therefore made a provision of Rs. 9004.17 Lakhs (i.e. Rs. 2980.46 lakhs at 10% on secured portion and Rs. 6023.71 Lakhs i.e. 100% on unsecured portion) of investment. The Company on obtaining the latest valuation report from Debenture Trustee of the underlying assets of its investment exposure in its investment in IL&FS group will consider further provision if any, on the unsecured portion of its secured investments in IL&FS group.

20.9 Company's Gratuity Fund Trust, Pension Trust and PF Trust also have an exposure in Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. (IL&FS) amounting to Rs. 7700.00 Lakhs in the group entities which has not been considered for impairment, if any, while calculating the liability of P.F., pension and gratuity provisions as per AS-15 at the year end.

21. Immovable Properties

Fixed assets include properties costing Rs 5394.21 Lakhs (previous year Rs. 687.04 Lakhs) for which either title deeds are not on record or registration is pending. The registration/stamp duty charges, to the extent not accounted will be accounted for at the time of registration.



22. कुछ मामलों में निम्नलिखित शीर्षों के तहत संतुलन सुलह/पुष्टि के लिए लंबित हैं

- एजेंटों की शेष राशि (निवल)
- प्रीमियम जमा और एजेंटों का प्रीमियम।
- रिजर्व कंपनियों को कोसने वाली कंपनियों के साथ जमा।
- बीमा व्यवसाय पर ले जाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से/के कारण गणना।
- कर्मचारियों से/पर प्राप्य।
- विविध देनदार
- अज्ञात डेबिट/क्रेडिट बैंक प्रविष्टियां
- विविध लेनदार
- अग्रिम
- इंटर ऑफिस बैलेंस

समायोजन, यदि कोई हो, ऊपर के संबंध में पुष्टि / विश्लेषण/सुलह पर किया जाएगा।

23. आयकर और सेवा कर निर्धारण की स्थिति

- i) आयकर आकलन वर्ष 2016-17 तक पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2007-08 के 2007-08 के वित्तीय वर्ष को छोड़कर सेवा कर का आकलन पूरा हो चुका है।
- ii) आयकर अधिकारियों द्वारा आदेश के आधार पर जहां भी आवश्यक माना जाता है, के लिए आयकर मांग की देनदारियों को पूरी तरह से प्रदान किया गया है।
- iii) कंपनी ने आकलन वर्ष 1974-75, 1976-77, 1977-78 और 1979-80 के लिए वसूली योग्य हेड इनकम टैक्स के तहत 6518 लाख रुपये प्रदान किए थे, जिसके लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील स्वीकार की गई थी। उसी राशि का प्रावधान बैड डिबेट के तहत किया गया था क्योंकि उसी की पुनर्प्राप्ति संदिग्ध थी। वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में निर्णय पारित किया। हालाँकि, आयकर विभाग

22. Balances under the following heads in certain cases are pending reconciliation / confirmation

- Agents' Balances (Net)
- Premium Deposits and Agents' Premium.
- Reserve Deposits with ceding companies.
- Amounts due to /from other persons or bodies carrying on Insurance Business.
- Amounts due to/ from employees.
- Sundry Debtors
- Unidentified Debit/Credit Bank Entries
- Sundry Creditors
- Advances
- Inter Office Balances

The adjustments, if any, in respect of above will be made upon confirmation/analysis/ reconciliation.

23. Status of income tax and service tax assessments

- i) The income tax assessments have been completed upto Assessment Year 2016-17. Service Tax assessments have been completed upto Financial Year 2010-11 excluding for the FY 2003-04 to 2007-08.
- ii) Liabilities towards Income Tax Demand have been fully provided for, wherever considered necessary based on the order by the Income Tax Authorities.
- iii) The Company had provided Rs. 6518 Lakhs under the head Income Tax recoverable for Assessment Years 1974-75, 1976-77, 1977-78 and 1979-80 for which appeal were preferred in the Hon'ble Supreme Court of India. Provision for the same amount was made under Bad Debts as the recoverability of the same was doubtful. During the FY 2007-08 the Hon'ble Supreme Court passed the judgment in favour of the Company. However, pending the receipt of the final order from the Income



की ओर से अंतिम आदेश की प्राप्ति लंबित है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करता है, वही इन खातों में मान्यता नहीं दी गई है और अभी भी अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान में है।

- iv) वर्ष के दौरान, कंपनी ने पहले के वर्षों के मूल्यांकन/अपील के आदेशों के आधार पर 13926.96 लाख रुपये की ब्याज आय दर्ज की।
- v) कर के लिए प्रावधान वर्तमान वर्ष 2018-19 (पिछले वर्ष 24800 लाख रुपये) के लिए शून्य है।
- vi) स्थगित कर

वर्ष के अंत में आस्थगित कर की गणना इस प्रकार है:

Tax Department giving effect to the judgment of the Hon'ble Supreme Court, the same has not been recognized in these accounts and is still lying in provision for bad debts.

- iv) During the year, the Company booked an interest income of Rs. 13926.96 lakhs on the basis of Assessment/Appeal orders of earlier years.
- v) Provision for tax is NIL for current year 2018-19 (previous year Rs. 24800 Lakhs).
- vi) Deferred Tax

The calculation for deferred tax at the year end is as follows:

विवरण	Particulars	चालू वर्ष (रु. लाखों में) Current Year (Rs. in lakhs)	गत वर्ष (रु. लाखों में) Previous Year (Rs. in lakhs)
आस्थगित कर परिसंपत्ति:	Deferred Tax Assets:		
अवकाश नकदीकरण	Leave encashment	28321.45	26801.33
पॉलिसी टिकटें सस्ती	Policy Stamps Affixable	79.36	102.00
एनपीएस	NPS	60.14	0
अनाथ दावा	Orphan Claims	1,401.40	1395.31
उपदान	Gratuity	0	0
घटायें: स्थगित कर देयता:	Less : Deferred Tax Liability:		
मूल्यह्रास	Depreciation	(406.84)	238.07
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	Net Deferred Tax Assets	30269.19	28060.57

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त प्रावधान वर्तमान में लागू दरों पर कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय के अंतर के लिए किया गया है।
- कंपनी के पास द डिफ्रेड टैक्स एसेट्स को जन्म देते हुए द इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत पर्याप्त नुकसान और अघोषित मूल्यह्रास है। हालांकि, विवेकपूर्ण बात के रूप में, भविष्य में कर योग्य आय पर अनिश्चितता के कारण लेखा मानक -22 (आय पर करों का लेखा) की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

NOTES:

- The above provision is made for timing differences arising between taxable income and accounting income at currently enacted rates.
- The company has substantial carry forward losses and unabsorbed depreciation under The Income Tax Act, 1961, giving rise to Deferred Tax Assets. However, as a matter of prudence, the deferred tax asset has not been recognized in the financial statements as per the requirements of Accounting Standard -22 (Accounting of taxes on income) owing to uncertainty over future taxable income.



24. लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान:

अक्टूबर 2012 में जारी मास्टर सर्कुलर के अनुसार, नियुक्त किए गए बीमांकक ने हेल्थ सेगमेंट के तहत फ्री लुक पीरियड चालू वर्ष 2018-19 के लिए 0.87 (पिछले वर्ष के 0.98 लाख रुपए) के प्रावधान को महत्व दिया है।

25. प्रीमियम

25. क. प्रीमियम की कमी

यदि अपेक्षित दावों की लागत, संबंधित खर्चों और रख-रखाव के खर्चों से संबंधित दावों का सार, व्यवसाय से संबंधित वर्ग के लिए अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो, तो प्रीमियम की कमी को बीमांकक रिपोर्ट पर आधारित निवल बेसिस पर मान्यता दी जाती है। दिखाया गया है कि फायर रेवेन्यू खाते में 3610.36 लाख रुपये (पिछले वर्ष के छप्स) की प्रीमियम कमी है। कुल मिलाकर समुद्री और विविध राजस्व खातों में कोई प्रीमियम कमी नहीं है। हालांकि, मरीन हल (पिछले वर्ष 338.44 लाख रुपये) में 418.00 लाख रुपये की प्रीमियम कमी है, पीए में 4768.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 11736.62 लाख रुपये), विमानन में 66.31 लाख रुपये (पिछले वर्ष 119.31 लाख रुपये)। 126.46 (पिछले वर्ष छप्स) फसल खंड में लाख और स्वास्थ्य खंड में 20290.29 लाख (पिछले वर्ष 23251.71 लाख रुपये)।

25 (ख) फसल बीमा

- (i) जैसा कि IRDAI ने इसके परिपत्र की अनुमति दी है। IRDA-F&A-CIR-FA-126-07-2013 की तारीख 3 जुलाई, 2013 प्रधानमंत्री प्रीमियम बीमा योजना-खरीफ की प्रीमियम की बुकिंग

24. PROVISIONS FOR OUTSTANDING CLAIMS:

In accordance with Master Circular issued in October' 2012, the Appointed Actuary has valued the provision for Free Look Period under the Health Segment as Rs. 0.87 Lakhs for the current year 2018-19 (Previous year Rs. 0.98 Lakhs)

25. Premium

25. a. Premium Deficiency

The Premium deficiency is recognized on Net Basis based on Actuarial Report if the sum of expected claims cost, related expenses and maintenance costs related to claims handling exceeds the unearned premium for the related class of business. There is a premium deficiency in Fire Revenue account amounting to Rs. 3610.36 Lakhs (previous year NIL) as shown therein. Overall there is no Premium Deficiency in Marine and Miscellaneous Revenue Accounts. However, there is a premium deficiency of Rs. 418.00 Lakhs in Marine Hull (previous year Rs. 338.44 Lakhs), Rs. 4768.00 Lakhs (previous year Rs. 11736.62 Lakhs) in P.A., Rs. 66.31 Lakhs (previous year Rs. 119.31 Lakhs) in Aviation, Rs. 126.46 (previous year NIL) Lakhs in crop segment and Rs. 20290.29 Lakhs (previous year Rs. 23251.71 Lakhs) in Health segment.

25 (b) Crop Insurance

- (i) As permitted by IRDAI vide its circular. IRDA-F&A-CIR-FA-126-07-2013 Dt.3rd July,2013 The accounting policy in respect of booking of premium of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna-



के संबंध में लेखांकन नीति को बदल दिया गया है और पूरे खरीफ प्रीमियम को लेखांकन वर्ष में बुक किया गया है। इसलिए राजस्व 16376.08 लाख रुपये अधिक है।

- (ii) महाराष्ट्र के एक जिले के संबंध में एरिया कलेक्शन फैक्टर (ACF) की गणना कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है और उन्हें अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, फसल खंडों से संबंधित शुद्ध प्रीमियम और दावों को क्रमशः 2802.30 लाख रुपये और 7126.00 लाख रुपये के विपरीत कर दिया गया है।

25 (सी) आयुष्मान भारत योजना

कंपनी ने "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के तहत स्वास्थ्य बीमा बीमा कवर प्रदान करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है, जहाँ 44.85 लाख परिवारों को कुल रुपये के प्रीमियम के साथ कवर किया गया है। 01 अक्टूबर, 2018 से 30 सितंबर, 2019 की अवधि के लिए 16183 लाख। उक्त समझौते/नीति के अनुसार प्रीमियम सरकार की 45%, 45% और 10% की 3 किस्तों में प्राप्य है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में पूरे प्रीमियम का हिसाब रखा है, हालांकि 2 और 3 किस्तों (नेट इफेक्ट 4227.82 लाख रुपये) को लागू करने वाली योजना/योजना में लागू की गई कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद प्राप्त करने योग्य हैं।

Kharif is changed and entire Kharif premium is booked in the accounting year,. The revenue is therefore higher by Rs. 16376.08 Lakhs.

- (ii) The Area Collection Factor (ACF) in respect of one of the district of Maharashtra ,is calculated as per the guidelines laid down by the Ministry of Agriculture and is submitted to them for final approval. Accordingly, the net premium and claims pertaining to Crop segments are reversed to the extent of Rs. 2802.30 Lakh and Rs. 7126.00 Lakh respectively.

25 (C) Ayushman Bharat Scheme

The Company has entered into an agreement with the Government of the State of Gujarat to provide healthcare insurance cover under the "Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana" where 44.85 lakh families have been covered with a total premium of Rs. 16183 Lakhs for the period 01st October, 2018 to 30th September, 2019. As per terms of the said agreement/policy the premium is receivable in 3 instalments of 45%, 45% and 10% from the Government. The Company has accounted for the entire premium in the current financial year, though 2nd and 3rd instalments (net impact Rs. 4227.82 Lakhs) are receivable in immediately succeeding financial year subject to fulfilment of certain conditions as envisioned in the applicable agreement/scheme.



26. प्रमुखों के तहत किए गए व्यय

(क) आउटसोर्सिंग व्यय शून्य रुपये (पिछले वर्ष 14342.95 लाख)

विपणन सहायता **शून्य (शून्य)**

(ख) IRDAI (जनरल या हेल्थ इश्योरेंस बिज़नेस का लेन-देन करने वाले इश्योरेंस के प्रबंधन के व्यय) के अनुपालन में, 2016-F-No-IRDAI / Reg / 12 / 124 / 2016 दिनांक 27.04.2016 को 1687.31 लाख रुपये की राशि प्रबंधन के खर्चों के हिसाब से दी गई है, जो निम्नलिखित सेगमेंट के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक है, शेयरधारकों के खाते में लगाया गया है: -

26. Expenses Incurred Under Following Heads

(a) Outsourcing Expenses **Rs. NIL (Previous year 14342.95 Lakhs)**

Marketing Support **Rs. NIL (NIL)**

(b) In compliance to IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulation, 2016.F.No. IRDAI/Reg/12/124/2016 dated 27.04.2016, an amount of Rs. 1687.31 Lakhs on accounts of expenses of management exceeding the allowable limits under the following segments has been charged to Shareholders' account :-

(Rs. In Lakhs)

खंड	Segment	वास्तविक व्यय Actual Expenses	स्वीकार्य व्यय Allowable Expenses	शेयरधारकों से अतिरिक्त शुल्क खाता Excess charged to shareholders A/C
मरीन कार्गो	Marine Cargo	6300.62	4613.31	1687.32
कुल अतिरिक्त	Total Excess	6300.62	4613.31	1687.32

स्वीकार्य व्यय से ऊपर प्रबंधन (ईओएम) के व्यय को राजस्व खातों में 'अन्य आय' के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में खुलासा किया गया है।

Expenses of Management (EoM) above allowable expenses has been disclosed as separate line item under "other income" in revenue accounts.

27. 6839.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष के 13153.26 लाख रुपये) के विविध कर्जदाताओं में एमएसीटी मामलों में स्रोत पर कर की गैर कटौती के लिए आयकर की मांग पर आयकर (विभाग) को रु. 256.64 लाख (पिछले वर्ष के 260.76 लाख रुपये) का भुगतान शामिल है। जो बकाया रहता है और उसी के विरुद्ध 256.11 लाख रुपये का प्रावधान किया जाता है।

27. Sundry debtors of Rs 6839.59 Lakhs (Rs. 13153.26 Lakhs previous year) includes Rs. 256.64 Lakhs (Rs. 260.76 Lakhs previous year) paid to income tax (department) on account of income tax demand for non deduction of tax at source in MACT cases, which remains outstanding and a provision of Rs. 256.11 lakhs is made against the same.

28. (क) तकनीकी विभागों के पुनर्बीमा खातों और समूह बीमालेखन प्रकोष्ठों (जीयूसी) द्वारा रखे गए खातों के बीच संकाय प्रीमियम सीडेड और संकाय दावों की राशि का लंबित सामंजस्य,

28. (a) Pending reconciliation of amount of facultative premium ceded and facultative claims paid recoveries between the accounts maintained by the reinsurance accounts and the group



वहाँ रु. 955.40 की राशि के लिए संकाय प्रीमियम सीडेड राशि का शुद्ध अंतर है। लाख (पिछले वर्ष 7382.05 लाख रुपये) और वसूलियों के लिए यह 31.03.2019 तक 2891.30 लाख (पिछले वर्ष 2098.93 लाख रुपये) आता है। हालांकि, राजस्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

(ख) पुनर्बीमा प्रीमियम की राशि बिना दावे के खाते पर संगत प्रभाव रखने के लिए बेहिसाब है।

29. लेखा मानक 3: कैश फ्लो स्टेटमेंट

कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

30. क) लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन

लेखा नीति 6.1.क पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि "वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित दायित्व सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, नेता की सलाह और अन्य स्रोतों को अंतिम रूप देने तक की तारीख पर आधारित है, पिछला अनुभव और अन्य लागू कानून, अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और उसी के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि, अंतिम देयता, प्रदान की गई राशि से अधिक या उससे कम हो सकती है, जिसके लिए किसी भी समायोजन को उस अवधि में परिलक्षित किया जाएगा, जिसमें वे जाने जाते हैं। "यह बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने भी पत्र द्वारा स्पष्ट किया है। दिनांक 25 मई 2004 को अनुमानों में इस तरह के बदलावों का प्रभाव, प्रकटीकरण का आह्वान नहीं करता है, जब तक कि बकाया दावों के लिए प्रावधान की पद्धति में कोई बदलाव नहीं होता है। चूंकि चालू वर्ष में बकाया दावों के लिए प्रावधान करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए अलग

underwriting cells (GUC) of technical departments, there is net difference for facultative premium ceded amounting to Rs 955.40 Lakhs (previous year Rs. 7382.05 Lakhs) and for recoveries it comes to Rs 2891.30 Lakhs (previous year Rs 2098.93 Lakhs) as on 31.03.2019. However, there is no impact of the same on revenue.

(b) Amount of reinstatement insurance premium remains unaccounted having corresponding effect on the claims incurred account.

29. Accounting Standard 3: Cash Flow Statement

The Cash Flow statement of the Company has been prepared under the direct method.

30. a) Changes in Accounting Estimates

Attention is drawn to Accounting Policy 6.1.a, wherein it has been specifically stated that "Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of the leader and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continuously reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known." It has also been clarified by the Insurance Regulatory and Development Authority vide letter dated 25th May 2004 that impact of such changes in estimates, do not call for disclosure so long as there is no change in the method of provisioning for outstanding claims. As there has been no change in the method of provisioning



से कोई खुलासा नहीं किया गया है।

ख) मुकदमेबाजी निपटान

वित्तीय वर्ष के लिए मुकदमों के आधार पर हुए बस्तियां 31 मार्च 2019 को समाप्त होकर 198822.72 लाख (पिछले वर्ष 182195.61 लाख रुपये) हो गईं।

ग) फिक्स्ड एसेट्स का निपटान

वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों की बिक्री पर कुल आय 574.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 329.06 लाख रुपये) और 84.43 लाख रुपये पिछले वर्ष की अचल संपत्ति की बिक्री पर शुद्ध हानि हुई (पिछले वर्ष 240.64 लाख रुपये)।

घ) कंपनी के अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित 10 वर्षों के बजाय मोबाइल फ़ोनों के लिए उपयोगी जीवन 2 वर्षों में लिया जाता है और उसी का प्रभाव 13.77 लाख रुपये है जो वर्ष के दौरान अतिरिक्त मूल्यह्रास के रूप में लिया जाता है।

ङ) पूर्व अवधि की आय में 2017-18 के दौरान मोटर ओडी कैशलेस दावों के तहत कार्यशालाओं के लिए भुगतान की गई जीएसटी राशि के लिए जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए 5951.82 लाख रुपये शामिल हैं और नेपाल में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल हैं।

31. लेखा मानक 15 (संशोधित)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007-2008 से लेखांकन मानक, एएस -15 (संशोधित 2005) कर्मचारी लाभ 'को अपनाया है।

परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं:

1. सेवाकाल के दौरान कर्मचारी लाभ

बीमारी छुट्टी और छुट्टी यात्रा सब्सिडी (एलटीएस) के लिए दायित्व एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

for outstanding claims in the current year, no disclosure has been separately made.

b) Litigation Settlements

The settlements made on account of litigations for the financial year ended on 31.03.2019 amounted to Rs. 198822.72 Lakhs (previous year Rs 182195.61 Lakhs).

c) Disposal of Fixed Assets

The net proceeds on sale of fixed assets during the year amounted to Rs. 574.55 Lakhs (previous year Rs. 329.06 Lakhs) and the net loss on sale of fixed assets amounting to Rs. 84.43 Lakhs (previous year Rs. 240.64 Lakhs).

d) The useful life for Mobile Phones is taken at 2 years instead of 10 years as stipulated under The Companies Act, 2013 and impact of the same is Rs. 13.77 Lakhs as additional depreciation charged during the year.

e) Prior period income includes Rs. 5951.82 Lakhs for GST Input credit for GST amount paid to workshops under Motor OD cashless claims during 2017-18 and also the excess provision made for Gratuity of employees in Nepal.

31. Accounting Standard 15 (Revised)

The Company has adopted Accounting Standard, AS-15 (Revised 2005) 'Employee Benefits' since the financial year 2007-2008.

The defined Employees benefits schemes are as under:

1. EMPLOYEES BENEFITS DURING SERVICE PERIOD

The liability for Sick Leave and Leave Travel Subsidy (LTS) is recognized based on Actuarial Valuation.



(क) एलटीएस लायबिलिटी में वर्ष के दौरान 150.77 लाख रुपये की वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष 51.68 लाख रुपये की वृद्धि) और क्रमशः लाभ/हानि खाते में जमा/डेबिट किया गया है। 31 मार्च 2019 तक एलटीएस के लिए कुल देयता 1100.32 लाख (पिछले वर्ष 949.55 लाख रुपये) है।

(ख) चालू वर्ष के लिए बीमारी की छुट्टी के लिए देयता 1170.44 रुपए है (पिछले वर्ष से 1233.72 लाख रुपए घटकर) और उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है। वर्ष 31-03-2019 को बीमारी की छुट्टी के लिए कुल देयता 20780.31 लाख (पिछले वर्ष 19609.87 लाख रुपये) है।

2. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ

इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण शामिल हैं।

क. पेंशन:

कंपनी की एक निर्धारित पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, पेंशन उन कर्मचारियों को देय है, जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है। कंपनी ने इस योजना के लिए अलग फंड बनाया है जो कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है। उसी के लिए देयता को एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर पहचाना जाता है।

ख. ग्रेच्युटी:

कंपनी ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लाभ प्राप्त ग्रेच्युटी योजना को परिभाषित किया है। 5 साल की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी देय है। कंपनी ने ग्रेच्युटी के प्रबंधन के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है, जिसे कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। किसी भी कर्मचारी की ग्रेच्युटी देयता की गणना कंपनी के

(a) LTS Liability has increased by Rs. 150.77 Lakhs during the year (previous year increased by Rs. 51.68 Lakhs) and has been credited/debited to Profit & Loss Account respectively. Total liability for LTS as on 31.03.2019 is Rs 1100.32 Lakhs (previous year Rs. 949.55 Lakhs).

(b) Liability for sick leave for the current year has Rs. 1170.44 Lakhs (previous year decreased by Rs. 1233.72 Lakhs) and has been credited to Profit and Loss Account. Total liability for sick leave as on 31-03-2019 is Rs. 20780.31 Lakhs (previous year Rs. 19609.87 Lakhs).

2. EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS ;

This includes Pension, Gratuity and Leave Encashment.

a. Pension:

Company has a Defined Pension Scheme. Under this scheme, Pension is payable to Employees who have opted for Pension Scheme. Company has created separate Fund for the scheme which is funded by the Company and managed by separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

b. Gratuity:

Company has Defined Benefit Gratuity Plan for all categories of employees. Gratuity is payable after 5 years of continuous service. Company has created a separate Trust for management of gratuity which is funded by the Company.. The gratuity liability of any employee is calculated as per the Rationalisation scheme of the



युक्तिकरण स्कीम या ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत की जाती है, जो भी अधिक हो। उसी के लिए देयता एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर पहचानी जाती है।

ग. एक और पेंशन निकतम के कारण पेंशन देयताएं:

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 1627 (ई) दिनांक 23 अप्रैल 2019 सामान्य बीमा (कर्मचारी ३) पेंशन योजना 1995 के तहत संशोधित संशोधन, 8 जून 1995 से पहले कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एक और पेंशन विकल्प की अनुमति देता है। 23 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के अनुसार, पात्र उम्मीदवार अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों/120 दिनों के भीतर पेंशन के लिए अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं और कट-ऑफ की तारीख से 90 दिनों/60 दिनों के भीतर निर्धारित राशि भेज सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कंपनी का दायित्व निर्धारित अवधि के भीतर योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

घ. अवकाश नकदीकरण:

सेवा अवधि के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद, सभी कर्मचारियों के विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) के नकदीकरण की अनुमति है। सेवा अवधि के दौरान, 2 वर्ष में एक बार 15 दिनों के पीएल के लिए नकदीकरण की अनुमति है और सेवानिवृत्ति पर, यह 240 दिनों के पीएल तक सीमित है। यह बेजोड़ और एक्चुररी वैल्यूएशन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त उपरोक्त कर्मचारियों के लाभ की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

company or under The Payment of Gratuity Act, 1972 whichever is higher. The liability for same is recognized on the basis of actuarial valuation.

c. Pension Liabilities due to OMOP:

The Government of India vide Gazette Notification no. S.O. 1627 (E) dated 23rd April 2019 Notified amendment under the General Insurance (Employees') Pension Scheme 1995, allowing one more pension option to the employees who have joined the Company before 8th June 1995. As per the notification dated 23rd April 2019, the eligible optees may exercise their option for pension within 90 days / 120 days from the date of notification and remit amount as prescribed within 90 days / 60 days from the cut-off date. The obligation of the Company in respect of such employees will be determined on the basis of the number of employees who opt for the scheme within the specified period.

d. Leave Encashment:

Encashment of Privilege Leave (PL) is allowed to all class of employees, both during service period and on retirement. During service period, encashment is allowed for 15 days PL once in 2 years and on retirement, it is restricted to 240 days PL. This is unfunded and recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of the above Employees benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:



CHANGE IN THE PRESENT VALUE OF THE DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS

(Rs. in Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	PENSION				GRATUITY				LEAVE ENCASHMENT			
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16
1 अप्रैल, 2018 को निर्धारित लाभ दायित्वों	Defined benefit obligations as at 1 st April,2018	314683	309138	293306	208043	98526#	94119*	79148	68576	56461	54179	45403	35151
वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	22417	20261	19935	17289	5085	5225	5122	5046	4338	4686	4351	7821
ब्याज लागत	Interest Cost	23699	22747	22438	15328	7420	6775	5910	4955	3950	3879	3389	2469
बीमांकक (लाभ) / दायित्व पर नुकसान	Actuarial (gain) / loss on obligation	17043	(1515)	11948	80661	(2256)	(1055)	11810	7628	550	41	7013	5285
भुगतान किए गए लाभ	Benefits paid	(47980)	(35949)	(38489)	(28016)	(10980)	(7078)	(7871)	(6781)	(6364)	(6325)	(5977)	(5323)
परिभाषित लाभ 31 मार्च, 2019 तक की बाध्यता	Defined benefit obligation as at 31 st March,2019	329863	314683	309138	293306	97795	97986*	94119	79424	58935	56461	54179	45403

* भारतीय दायित्व केवल

भारतीय के साथ-साथ विदेशी भी

* Indian Obligation only

Indian as well as foreign

CHANGE IN FAIR VALUE OF PLAN ASSETS

(Rs. in Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	PENSION				GRATUITY			
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16
1 अप्रैल, 2018 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	Fair value of plan assets as at 1 st April,2018	299458	279289	206669	164906	94377	86382 #	67712#	64131
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	Actual return on plan assets	22430	23798	20124	15303	7042	6722	5976	6197
नियोक्ता का योगदान	Employer's contribution	-	-	-	-	-	-	-	-
अतिरिक्त योगदान	Additional contribution	20531*	35349*	93150*	54082	3610	7566	11436	4455
भुगतान किए गए लाभ	Benefits paid	(47980)	(35949)	(38489)	(28016)	(10872)	(7078)	(7871)	(6847)
एक्चुरियल गेन / लॉस	Actuarial Gain/Loss	(44)	(3028)	(2165)	395	1532	785	9129	624
31 मार्च, 2019 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	Fair value of plan assets as at 31 st March, 2019	294395	299458	279289	206669	95689	94377	86382	67939

* चालू और पूर्व वर्ष में पेंशन योगदान कुल (नियोक्ता योगदान + अतिरिक्त योगदान) में दिया जाता है

भारतीय दायित्व केवल

*In Current & Previous Year pension contribution is given in Total (Employer contribution + Additional contribution)

Indian obligation only.



लाभ और हानि खाते में प्राप्त की गई संपत्ति

EXPENSES RECOGNISED IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(Rs. in Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	पेंशन/PENSION				गैच्युटी/GRATUITY			
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16
वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	22417	20261	19935	17289	5085	5225	5122	5046
ब्याज लागत	Interest Cost	23699	22748	22438	15329	7420	6775	5911	4955
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	Actual return on plan assets	(22430)	(23798)	(20124)	(15303)	(7042)	(6722)	(5976)	(5573)
निवल एक्टुएरियल (लाभ) / हानि	Net Actuarial (Gain)/Loss	17088	1513	14112	80266	(3788)	(1839)	2681	7005
शुद्ध आवधिक लागत	Net Periodic Cost	40774	20724	36362	97581	1675	3438	7737	11433
अमान्य क्रेडिट बैलेंस	Unrecognized credit balance	-	-	-	56948	-	-	-	5516
वर्तमान वर्ष में मान्यता प्राप्त है	Recognized in current year	-	-	-	28474	-	-	-	2758
चुकोती संतुलन	Unamortized balance								

तुलन पत्र में अधिग्रहण राशि

AMOUNT RECOGNISED IN BALANCE SHEET

(Rs. in Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैच्युटी/GRATUITY				अवकाश नकदीकरण/LEAVE ENCASHMENT			
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16
31 मार्च, 2019 तक परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	Present value of defined benefit obligations as at 31 st March, 2019	329863	314683	309138	293306	97795	97986	94119	79424	58935	56461	54179	45403
31 मार्च, 2019 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (चालू वर्ष कंपनी के योगदान सहित)	Fair value of plan assets as at 31 st March, 2019 (including current year Company's contribution)	294395	299458	279289	206669	95689	94377	86382	67939	-	-	-	-
तुलन पत्र में देयता	Liability recognized in Balance Sheet	35468	15224	29849	86637	2106	3609	7737	11486	58935	56461	54179	45403

नोट: उपरोक्त सारणी के आंकड़े लाख में निकटतम रूप के लिए हैं।

Note: The figures in the above tables are rounded off to nearest Rupees in Lakhs.



प्रेरक सहायता

एक्चुएरियल वैल्यूएशन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख अनुमान हैं:

ACTUARIAL ASSUMPTION

The Principal Assumptions used for Actuarial Valuation are:

	PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैच्युटी/GRATUITY				अवकाश नकदीकरण/LEAVE ENCA		
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17
(i) उपयोग की गई विधि	(i) Method used	Projected	Unit	Credit	Method	Projected	Unit	Credit	Method	Projected	Unit	Credit
(ii) छूट दर %	(ii) Discount rate %	7.51	7.85	7.55	7.90	7.51	7.76	7.27	7.60	7.51	7.76	7.27
(iii) परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर* %	(iii) Expected rate of return on assets* %	7.51	7.85	8.53	8.60	7.76	8.60	8.60	8.86	-	-	-
(iv) भावी वेतन में वृद्धि# %	(iv) Future Salary Increase # %	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
(v) मृत्यु दर	(v) Mortality	..LIC (1996-98)..	..LIC (1994-96)..	Table	Table	..LIC (2006-08)..	..LIC (1994-96)..	Ultimate	Table	..LIC (2006-08)..	..LIC (1994-96)..	Ultimate
(vi) कर्मचारी टर्नओवर	(vi) Employees Turnover	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(vii) शेष कार्य जीवन वर्ष	(vii) Remaining working life years	-	-	-	12.33	-	-	-	10.38	-	-	-

* योजना की परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर संबंधित दायित्व के पूरे जीवन पर लौटने के लिए, वर्ष की शुरुआत में बाजार की अपेक्षा पर आधारित है।

दायित्व, मुद्रास्फीति का आकलन करते समय मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है।

* Expected rate of return on plan assets is based on market expectation, at the beginning of the year, for return over the entire life of the related obligation.

Actuary, while estimating liability has taken into consideration inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

ट्रस्ट द्वारा 31 मार्च, 2019 तक बनाए गए प्लान एसेट्स का विवरण इस प्रकार है:

Details of Plan Assets maintained by the trust as on 31st March, 2019 are as follows:

(In Percentage)

विवरण	PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैच्युटी/GRATUITY			
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16
(i) विशेष निक्षेप	(i) Special Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	4.66	5.28	6.11
(ii) सरकारी प्रतिभूति	(ii) Government Securities	46.22	54.54	54.54	55.61	57.63	56.68	55.30	56.90
(iii) बांड / डिबेंचर	(iii) Bonds/debentures	41.08	45.31	39.89	36.39	33.78	34.53	34.12	36.54
(iv) बैंकों में जमा	(iv) Deposits in Banks	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.06
(v) अन्य	(v) Others	12.71	-	5.18	5.29	-	4.13	3.70	1.99

* अनकेंद्रित/*unaudited



इ. सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ:

कंपनी के पास कोई पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम नहीं है। हालाँकि कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक (जो कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं) द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय (अस्पताल में भर्ती और ओपी खर्च दोनों) कंपनी के निदेशकों / कर्मचारियों के होने के बाद भी निदेशकों के संघर्ष के बाद भी कंपनी द्वारा मिलते हैं। , बशर्ते कि कंपनी ऐसे पूर्व कर्मचारियों की मूल कंपनी है। इस लाभ के लिए संबंधित पूर्व अधिकारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति / पत्नी के संबंध में मूल रूप से समायोजित मूल वेतन के आधार पर लागू बीमा राशि का 75% मेडिकलेम प्रीमियम का भुगतान करेगी, जो कि खण्ड 09.2.1 और 09.2.2 के अनुसार नया है। समूह मेडिकलेम पॉलिसी जो 2015 से प्रभावी है।

च. कंपनी के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 2017/08/01 से प्रभावी है। प्रबंधन ने अभी तक कोई एंसा प्रस्ताव नहीं दिया है, उसी के लिए कोई प्रावधान किताबों में नहीं किया गया है।

32. लेखा मानक 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग:

आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में सेगमेंटल जानकारी दी गई है (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की ऑडिटर रिपोर्ट) विनियम, 2002 सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार, बैलेंस शीट के 1, 2 और 3 के अनुसार।

e. Post Retirement Medical Benefits:

Company does not have any Post Retirement Medical Benefit Scheme. However medical expenses (both hospitalization and OP expenses) incurred by full time directors of the Company (who are full time employees of the company) for self and family are met by the Company even after the directors cease to be directors/employees of the Company, provided the Company is the Parent Company of such ex-employees. No premium is being charged from the ex-executives concerned for this benefit.

The Company shall bear 75% of the mediclaim premium payable computed on the basis of eligible Sum Insured applicable for the employee based on his notionally adjusted Basic Pay in respect of retired employee and spouse as per clause 09.2.1 and 09.2.2 of the New Group Mediclaim policy

which is effective from 2015.

f. The wage revision for employees of the company is due w.e.f. 01.08.2017. As management has yet to make any offer, no provision for the same is made in the books.

32. Accounting Standard 17 Segment Reporting:

Segmental information has been given in the following format prescribed by IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 on Segmental Reporting, as per Schedules 1, 2 and 3 of Balance Sheet.



(Rs. in Lakhs)

खंड	Segment	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2018-19 Gross Direct Premium FY 2018-19	कुल व्यवसाय का प्रतिशत (%) Percentage (%) to Total Business	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2017-18 Gross Direct Premium FY 2017-18	कुल व्यवसाय का प्रतिशत (%) Percentage (%) to Total Business
अग्नि	Fire	106732.49	7.92	99962.43	8.49
मरीन कार्गो	Marine Cargo	20595.29	1.53	21306.83	1.82
समुद्री हल	Marine Hull	14332.39	1.06	10157.31	0.87
मोटर ओडी	Motor OD	159468.77	11.83	166849.30	14.22
मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	306768.99	22.75	282825.98	24.10
मोटर टीपी (पूल) और डी.आर. पूल	Motor TP(Pool) & D.R. Pool		0.00		0.00
अभियांत्रिकी	Engineering	23813.15	1.77	23211.28	1.98
विमानन	Aviation	11614.02	0.86	8811.88	0.75
कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	6198.69	0.46	6137.56	0.52
निजी दुर्घटना	Personal Accident	62573.75	4.64	55961.05	4.77
स्वास्थ्य	Health	408809.37	30.32	360844.40	30.74
देयता	Liability	7842.61	0.58	7277.65	0.62
अन्य विविध	Other Miscellaneous	43861.44	3.25	48117.67	4.10
फसल	Crop	175864.00	13.04	82520.51	7.03
कुल सकल प्रीमियम	Total Gross Premium	1348474.96	100.00	1173683.85	100.00

33. लेखा मानक 18: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

- संबंधित पार्टी लेखा मानक 18 के अनुसार
 - सहायक**
इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड।
 - एसोसिएट्स**
इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रा। लिमिटेड,
सिंगापुर
भारतीय स्वास्थ्य बीमा टीपीए लिमिटेड
 - जिन पर नियंत्रण मौजूद है**
 - OICL कर्मचारी भविष्य निधि
 - OICL पेंशन फंड
 - ओआईसीएल कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड
 - मुख्य प्रबंधन कार्मिक:**
 - श्री ए.वी. गिरिजकुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध
निदेशक (31.05.2017 से)
- श्री दिनेश रणछोड़भाई वाघेला – सीएफओ
(30.07.2018 से)
- सुश्री रश्मि बाजपेई, कंपनी सचिव (20.08.2007 से)
- श्री अजय गुप्ता, सीएफओ (31.05.2018 तक)

33. Accounting Standard 18: Related Party Disclosure:

- Related party disclosures as per Accounting Standard 18**
 - Subsidiaries**
The Industrial Credit Company Limited.
 - Associates**
India International Insurance Pvt.
Ltd., Singapore
Health Insurance TPA of India Ltd.
 - Entities over which control exists**
 - OICL Staff Provident Fund
 - OICL Pension Fund
 - OICL Employees Gratuity Fund
 - Key Management Personnel:**
 - Mr A.V.Girijakumar, Chairman-cum-
Managing Director (from 31.05.2017)
 - Mr Dinesh Ranchhodhbhai Waghela
– CFO (From 30.07.2018)
 - Ms. Rashmi Bajpai, Company
Secretary (from 20.08.2007)
 - Mr. Ajay Gupta, CFO (Upto 31.05.2018)



Transactions with related parties :

Sr. No.	Nature of Relationship		Nature of Transaction	2018-19 (Rs. in Lakhs)	2017-18 (Rs. in Lakhs)
i)	सहायक Subsidiary	से देय राशि सहायक कंपनी सब्सिडी के लिए अग्रिम सहायक में निवेश	Amount Due from Subsidiary Company Advance to Subsidiary Investment in Subsidiary	9.42 1.21 5.00	8.22 1.67 5.00
ii)	एसोसिएट्स Associates	क) इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्रा। लिमिटेड, सिंगापुर: - i) लाभांश आय प्राप्त हुई ii) शेयरों में निवेश iii) वर्ष के दौरान आरआई आवक ख) भारत का स्वास्थ्य बीमा टीपीए - i) शेयरों में निवेश ii) हितपा के कारण राशि iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक iv) वर्ष के दौरान लेनदेन: क) किराया प्राप्त हुआ ख) टीपीए शुल्क भुगतान / देय	a) India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore :- i) Dividend Income received ii) Investment in shares iii) RI Inward during the yr b) Health Insurance TPA of India :- i) Investment in shares ii) Amount Due to HITPA iii) Key Managerial Personnel iv) Transaction during the yr: a) Rent Received b) TPA Fees Paid/payable.	263.99 391.10 326.28 1980.75 469.99 58.07 4.18 1876.91	474.86 391.10 370.19 1980.75 165.42 30.47 3.42 466.91
iii)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक: Key Managerial Personnel:		Salary & Allowances	108.93	94.67

34. पट्टे

कंपनी ने लीज पर ऑफिस का प्रचालन और आवासीय परिसर लीज पर लिया है। आवासीय परिसर आम तौर पर 11 महीने के लिए लिया जाता है और शर्तों पर पारस्परिक रूप से सहमत होने पर अक्षय होता है। कार्यालय परिसर को आम तौर पर चार साल की अवधि के लिए परिचालन पट्टे पर लिया जाता है और इसे पट्टेदार के विकल्प पर नवीनीकृत किया जाता है।

पट्टे के तहत दायित्व के संबंध में चालू वर्ष में पिछले वर्ष (पिछले वर्ष 7837.87 लाख रुपये) में कुल पट्टे के किराये की राशि 9830.42 लाख रुपये है।

34. Leases

The company has taken on operating lease Office and residential premises. The residential premises are generally taken for 11 months and are renewable at mutually agreed upon terms. The office premises are generally taken on operating lease for the period of four years and are renewed at the option of the lessor.

Aggregate lease rentals amounting to Rs. 9830.42 Lakhs in the current year (previous year Rs. 7837.87 Lakhs) in respect of obligation under lease are charged to Revenue Account in the current year.



35. Accounting Standard 20 – “Earnings Per Share”:

		As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ (रु. लाख में)	Net Profit attributable to Shareholders (Rs. in Lakhs)	(29366.09)	150989.17
जारी किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	Weighted Average Number of Equity Shares issued	20,00,00,000	20,00,00,000
बेसिक/डायल्यूटेड आय प्रति शेयर रु. 10/-	Basic & Diluted Earnings per Share of Rs. 10/- each	(14.68)	75.49

36. लेखा मानक 22

भविष्य के कर योग्य लाभ की आभासी अनिश्चितता के अभाव में, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के लिए बिना किसी नुकसान के आगे लाई गई व्यावसायिक संपत्ति की आस्थगित कर मान्यता नहीं दी है।

37. लेखा मानक 28

लेखांकन मानक -28 के अनुसार, प्रबंधन ने संपत्ति की हानि की संभावना का आकलन किया है और अचल संपत्ति के मूल्य में कोई हानि नहीं है।

38. पुनर्बीमा स्वीकृति से संबंधित बकाया दावों के प्रावधानों के संदर्भ में (खाता संख्या नं. 6.1.3 देखें), वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियां अपनाई गईं:

1. वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देने की तारीख तक भारतीय व्यापार के संबंध में
2. विदेशी व्यापार के संबंध में:
 - (i) वर्ष के अंत तक होने वाले सभी नुकसान और तुरंत सफल वर्ष के 30 अप्रैल तक प्राप्त संचार।
 - (ii) रद्द की गई संधियों के मामले में, विदेशी कंपनियों द्वारा 15 मई तक प्राप्त पुनर्बीमा रिटर्न या कभी भी पहले के खातों को अंतिम रूप देने के लिए किए गए दावों को बकाया दावों के रूप में माना जाता है।

36. Accounting Standard 22

In the absence of virtual uncertainty of future taxable profit, the company has not recognized deferred tax assets of unabsorbed brought forward business loss for Income Tax Act, 1961.

37. Accounting Standard 28

In accordance with Accounting Standard-28, the Management has assessed the possibility of impairment of assets and there is no impairment in the value of fixed assets.

38. In respect of outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptances (Refer Accounting Policy no.6.1.b), the following dates were adopted during the year:

1. In respect on Indian business up to the date of finalization of financial statement
2. In respect on Foreign business:
 - (i) All losses incurred up to the year-end and communications received up to 30th April of the immediately succeeding year.
 - (ii) In the case of cancelled treaties, claims paid by the foreign companies as reported in reinsurance returns received up to 15th May or finalization of accounts which ever is earlier, was considered as outstanding claims.



39. पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित 1957 लाख रुपये का आरएसबीवाई प्रीमियम, सरकार से वसूल करने योग्य है, जिसमें से 1563 लाख रुपये केंद्र सरकार से और 394 लाख रुपये राज्य सरकार से वसूलने योग्य है। कंपनी उसी के लिए प्रयास कर रही है और निकट भविष्य में वसूली की उम्मीद कर रही है और इसलिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
40. कंपनी ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 ए के साथ पढ़े धारा 3 के प्रावधानों और बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत 23 मार्च, 2015 की अधिसूचना का अनुपालन किया है।
41. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के कारण राशि के रूप में जानकारी कंपनी के साथ आसानी से उपलब्ध नहीं है और इसलिए प्रकटीकरण, यदि कोई हो, वर्ष के अंत में बकाया राशि से संबंधित ब्याज भुगतान/देय के साथ जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत आवश्यक नहीं दिया गया है।
42. वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए दंडात्मक कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:
39. RSBY premium of Rs. 1957 lakhs, pertaining to previous financial years, is recoverable from Government, out of which Rs. 1563 lakhs is recoverable from Central Government and Rs. 394 lakhs from State Government. Company is pursuing for the same and is hopeful of recovery in near future and hence no provision is required.
40. The Company has complied with the provisions of Section 3 read with Section 3A of the Insurance Act, 1938, and the notification dated 23 rd March, 2015 under the Insurance Laws (Amendment) Act,2015.
41. The information as to amount due to suppliers under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 is not readily available with the company and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/ payable as required under the said Act have not been given.
42. Details of penal actions taken by the various Government Authorities during the year are as under:



(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	प्राधिकरण Authority	गैर अनुपालन /उल्लंघन Non Compliance/Violation	दंड दिया गया Penalty Awarded		जुर्माना अदा किया Penalty Paid		जुर्माना माफ / कम किया हुआ Penalty waived/ reduced	
			2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
1	आईआरडीएआई/IRDAI		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2	सेवा कर प्राधिकरण Service Tax Authorities	Service Tax demand raised by Deptt.	NIL	955.44**	NIL	0.93	NIL	NIL
3	आय कर प्राधिकरण Income Tax Authorities	Penalty under Section 271(1) (c) of I.. Tax Act, 1961	16.59	1.50	4.93	5142.86*	0.02	53333.23#
4	कोई अन्य कर अधिकारी/ Any other Tax Authorities		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
5	प्रवर्तन निदेशालय / संबद्ध प्राधिकरण/ ब्यायाधिकरण या एफईएमए के तहत कोई प्राधिकरण Enforcement Directorate/Adjudicating Authority/Tribunal or any Authority under FEMA		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
6	आरओसी / सीएलबी / एमसीए/ ROC/CLB/MCA		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
7	दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी ब्यायालय / ट्रिब्यूनल द्वारा दंडित किया गया हो, मुआवजे को छोड़कर Penalty awarded by any Court/Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation		NIL	0.10	NIL	0.10	NIL	NIL
8	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
9	भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग Competition Commission of India		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
10	Any other Central/State/LocalGovernment/Statutory Authority		173.43	NIL	171.67	NIL	NIL	NIL

* वर्ष 2013-14 की वापसी 5123.79 लाख को दिनांक 23.05.2017 के आदेशनुसार लेखा में समायोजित किया गया।

* वर्ष 2000-01 की वापसी 18.01 लाख रुपये को दिनांक 23.05.2017 के आदेशनुसार लेखा में समायोजित किया गया।

जुर्माना 2007-08 = 19187.34 लाख और आयु 2011-12 = 34145.89 लाख का माफ कर दिया गया, कुल हटाने के लिए - 533333.23 लाख

** 955.44 सेवा कर विभाग के दंड के खिलाफ लाख एस.टैक्स पुरस्कार सेवा कर की कम कटौती के लिए और वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए मोटर डीलर इंफ्रा पर CENVAT की अस्वीकृति। कंपनी ने CESTAT में अपील दायर की।

*5123.79 Lakhs is being adjusted against refund of AY 2013-14 vide order dt 23.05.2017

* 18.01 Lakhs is being adjusted against refund of AY 2000-01 vide order dt 23.05.2017

Penalty waived offAY 2007-08 = 19187.34 Lakhs and AY 2011-12= 34145.89 Lakhs , To be delete Total - 533333.23 Lakhs

** 955.44 Lakhs S.Tax award against penalty of S.tax deptt. For short deduction of S.Tax and disallowance of CENVAT on Motor Dealer Infra for the yrs. 2011-12 & 2012-.13. Company filed appeal in CESTAT.



43. पॉलिसीधारक बकाया:

पॉलिसीधारकों के बकाया का आयु वार विश्लेषण यहां दिया गया है:
(प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा पर निर्भर)

43. Policyholders dues:

Age wise analysis of Policyholders dues is given hereunder:
(compiled by the Management and relied upon by Auditors)

Outstanding

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Upto 6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	> 36 months	Total
क. बीमाधारक / पॉलिसीधारकों से मुकदमेबाजी के अलावा किन्हीं कारणों से पॉलिसीधारकों/ बीमित को भुगतान किया गया, लेकिन दावा नहीं किया गया। A. Claim settled but not paid to the Policyholders / insured due to any reasons except under litigation from the insured / policyholders.	1575.34	20.54	16.76	9.54	19.23	10.31	132.52	1784.25
ख. प्रीमियम / कर या किसी भी अन्य शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारक की या तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण के निर्देशानुसार वापस किया जा सकता है, लेकिन अब तक वापस नहीं किया जाएगा। B. Any excess collection of premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholder/s either as per term of conditions of the policy or as per law or as per the direction of the Authority but not refundable so far.	26.90	18.10	19.25	-12.23	12.37	13.14	99.08	176.61
ग. पॉलिसी की शर्तों के पूरा होने पर या अन्यथा बीमित / पॉलिसीधारकों को देय / देय कोई अन्य राशि। C. Any other sum due / payable to the insured / policyholders on completion of the policy terms or otherwise.	1401.96	213.48	156.06	191.70	152.32	171.32	1171.82	3458.65
कंपनी द्वारा 'क', 'ख' या 'ग' और पॉलिसीधारकों द्वारा चेक के तहत जारी किए गए बीमा नकदीकरण नहीं किया गया है। D. Cheques issued by the company under "A", "B" or "C" and cheques have not been encashed by the policyholders/ insured.	382.88	218.81	136.35	173.58	157.26	143.16	1711.67	2923.70
कुल Total	3387.08	470.94	328.42	362.58	341.18	337.93	3115.08	8343.21

नोट: - 1. पॉलिसीधारकों को जारी किए गए, जो कि 3 महीने से कम समय के लिए वैधता के अधीन हैं, पॉलिसीधारकों के बकाए में स्थानांतरित नहीं होते हैं क्योंकि ये चेक बासी नहीं हुए हैं। हालाँकि, ये राशि उपरोक्त कथन में शामिल / दर्शाई गई हैं।

Notes:- 1. Cheques issued to policyholders subject to encashment having validity for less than 3 months are not transferred to policyholders dues as these cheques have not become stale. However, these amounts are included/shown in the above statement.



1. IRDAI के परिपत्र संख्या IRDAI/F & A/ CIR/CLD/ 114/05/2015 दिनांक 28.05.2015 के अनुपालन में दावा न किए गए पॉलिसीधारकों के फंड अलग से इस वर्ष से एक अनुसूचित बैंक के साथ एक निश्चित जमा में पार्क किए गए हैं और अनुसूची 12 में परिलक्षित होते हैं। (अग्रिम और अन्य संपत्ति)। प्रशासनिक और फंड प्रबंधन खर्च / 0.2% (पिछले वर्ष 0.5%) वसूल किया जा रहा है, हालांकि, इस फंड में जोड़ा गया निवेश आय दावा न की गई पॉलिसी धारक फंडों में 555.16 लाख (पिछले वर्ष 509.08 लाख) है।

1. In compliance of IRDAI circular no. IRDAI/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 dt.28.05.2015, the unclaimed Policyholders funds are separately parked in a fixed deposit with a Scheduled Bank from this year onwards and are reflected in Schedule 12(Advances and other assets). The administrative and fund management expenses @0.2% (last year 0.5%) are being recovered However, the investment income added to this fund is Rs. 555.16 Lakhs (previous year 509.08 Lakhs) to unclaimed Policy holder funds.

31 मार्च, 2019 को जारी किए गए गैर-दावा राशि के निपटान की प्रगति

PROGRESS OF SETTLEMENT OF UNCLAIMED AMOUNTS DURING THE YEAR 31st MARCH, 2019

	शुरुआत में गैर-दावा मामले Unclaimed cases at the Beginning		गैर-दावा मामलों को जोड़ा गया Unclaimed cases added		गैर-दावा मामलों को निपटाया गया Unclaimed cases Settled		बकाया गैर-दावा मामलें Unclaimed cases Outstanding	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
पॉलिसी धारकों/लाभार्थियों से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्हीं कारणों से पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को भुगतान किए गए दावे का भुगतान नहीं किया गया है Claims settled but not paid to the policyholders/beneficiaries due to any reasons except under litigation from the policy holders/beneficiaries	7849	1607.44	142	18.01	1368	37.97	6623	1587.48
पॉलिसीधारकों / लाभार्थियों की परिपक्वता या अन्यथा के कारण योग Sum due to the policyholders/beneficiaries on maturity or otherwise	34941	113.80	12516	106.20	55	18.58	47402	201.41
प्रीमियम/कर या किसी भी शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को या तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है लेकिन अब तक वापस नहीं किया गया है। Any excess collection of the premium/tax or any charges which is refundable to the policyholders/beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	669709	3721.45	181124	11995.42	133440	11978.16	717393	3738.71
पॉलिसीधारक / लाभार्थियों द्वारा भुनाए नहीं किए गए चेक Cheques issued by not encashed by the policyholder/beneficiaries	48673	2480.68	5348	840.83	7240	505.89	46781	2815.61
कुल/ Total	761172	7923.37	199130	12960.45	142103	12540.61	818199	8343.21



**31.03.2019 को पॉलिसी धारक की बकाया राशि
Policy Holder Dues AS AT 31.03.2019**

(Rs. In Lakhs)

विवरण	Particulars	Current FY	Previous FY
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	7307.29	6807.48
जोड़ें: दावा न की गई राशि को हस्तांतरित राशि	Add: Amount transferred to unclaimed amount	13651.86	8982.40
जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक, लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा एन्कोड नहीं किए गए (केवल तभी चेक शामिल किए जाने पर बासी होना चाहिए)	Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the Policyholders (To be included only when the cheques are stale)	643.76	394.61
निवेश आय जोड़ें:	Add Investment Income:	555.16	509.08
घटायें: वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	Less: Amount paid during the year	13235.10	8834.50
घटायें: SCWF को हस्तांतरित राशि (पूर्व में हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का जाल)	Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amount transferred earlier)	579.77	551.78
दावा न की गई राशि का समापन शेष	Closing Balance of Unclaimed Amount	8343.21	7307.29

44. कंपनी ने इंटीग्रेटेड नॉन लाइफ इश्योरेंस एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (INLIAS) की शुरुआत की है, जिसे पूरी तरह से कुछ मॉड्यूल के रूप में लागू नहीं किया गया है, जैसे हेड ऑफिस अकाउंट्स कंसोलिडेशन मॉड्यूल, जीयूसी मॉड्यूल और पुनर्बीमा खाता मॉड्यूल जो कि विकास और परीक्षण के अंतर्गत हैं। कंपनी INLIAS में शेष मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

45. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

जैसा कि कंपनी के अधिनियम, 2013 के लिए आवश्यक है

44. The Company has introduced Integrated Non Life Insurance Application Software (INLIAS) which has not been fully implemented as some Modules, such as Head Office Accounts Consolidation Module, GUC Module and Re- insurance Accounts Module which are under development/testing. Company is taking necessary steps for implementation of remaining Modules in INLIAS.

45. Corporate Social Responsibility

As required u/s 135 of the Company's Act, 2013



(Rs. In Lakhs)

सीएसआर गतिविधियाँ CSR Activities		01.04.2018 को खर्च की जाने वाली राशि Amount to be spent as on 01.04.2018	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए खर्च की जाने वाली राशि Amount to be spent for FY 2018-19	कुल राशि खर्च की जाएगी Total Amount to be spent	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि Amount spent during the year	राशि अभी तक खर्च नहीं की जा सकी है Amount yet to be spent
(i)	Construction/	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii)	acquisition of any asset On purpose other than above					
	(i)	307.29*	NIL	307.29*	531.67*	NIL
	(ii)	226.25**	NIL	226.25**	190.93**	35.32**.

* पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट पर किया गया। विशेष अनुमोदन पर, सीएसआर पहलों के लिए उपयोग की गई धनराशि 2018-19 के दौरान 531.67 लाख रुपये थी।

** फिरोजपुर डिवीजन को यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तर रेलवे को 226.25 लाख रुपये का भुगतान करना शामिल है जिसके लिए काम चल रहा है और वित्त वर्ष 2018-19 में रु. 190.93 लाख का उपयोग और हिसाब किया गया है। 35.32 लाख रुपये का काम चल रहा है और 30.06.2019 तक पूरा होने की संभावना है।

46. कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रति वार्षिक 8.80% की दर से 10 लाख रुपये के 7500 असुरक्षित, अधीनस्थ, पूरी तरह से भुगतान, सूचीबद्ध, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके अधीनस्थ ऋण के रूप में 75000 लाख रुपये जुटाए थे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पूंजी के अन्य प्रकार) विनियम, 2015 और IRDAI के पत्र संख्या 296-F&A (NL)/GOI/OFC/01/2018-19 दिनांक 2019/06/02 द्वारा अनुमोदित है। प्रतिभूतियों का कार्यकाल कंपनी के पांच वर्षों के अंत में एक कॉल विकल्प के साथ 10 साल है। इस मुद्दे का उद्देश्य जारीकर्ता की सॉल्वेंसी को 'पूंजी के अन्य स्रोतों' के तहत अपनी पूंजी बढ़ाने के रास्ते को मजबूत करने के

* Carried over budget of previous FY 2017-18. On special approval, the funds utilized for CSR initiatives amounted to Rs. 531.67 lakhs during 2018-19.

** Includes Rs. 226.25 lakhs paid to Northern Railways for providing passenger amenities to Firozpur Divison for which work is underway and Rs. 190.93 lakhs has been utilized and accounted for in FY 2018-19. Work of Rs. 35.32 lakhs is underway and likely to be completed by 30.06.2019.

46. The company had raised Rs. 75000 lakhs as Subordinate Debt by issuing 7500 unsecured, subordinated, fully paid up, listed, redeemable and non-convertible debentures of Rs. 10 lakhs each at a coupon rate of 8.80% p.a. on private placement basis under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other forms of Capital) Regulations, 2015 and approved by IRDAI vide letter no. 296-F&A(NL)/GOI/OFC/01/2018-19 dt. 06.02.2019. The tenor of the securities is 10 years with a call option by the Company at the end of five years. The object of the issue was to Strengthening the issuer's solvency by way of augmenting its capital under 'Other Forms of Capital' to facilitate growth of the company. The debentures are listed on Debt Segment of NSE on 20th March, 2019.



लिए था कंपनी। डिसेंबर 20 मार्च, 2019 को एनएसई के डेट सेगमेंट में सूचीबद्ध हैं। 253.15 लाख (रुपये और शून्य लाख) रुपये के अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय और 69.35 लाख रुपये (संबंधित शून्य लाख) के लिए संबंधित खर्च लाभ और हानि खाते (शेयरधारक के खाते) से लिए गए हैं।

47. बीमा व्यवसाय पर ले जाने वाले व्यक्तियों या निकायों के कारण / के कारण राशि में प्रदर्शित होने वाले संतुलन में जीआईसी के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय, आतंकवाद पूल और परमाणु पूल शामिल हैं।
48. दिनांक 31.03.2019 को हाथ में आने वाला साल्वेज 488.14 लाख रुपये था और हमारी लेखा नीति संख्या 7 के अनुसार केवल वसूली पर ही लेखाबद्ध होगा।
49. विदेशी एजेंसियों और कंपनी के खाते में शामिल शाखाओं के वित्तीय विवरण संबंधित देशों के स्थानीय नियमों और विनियमों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
50. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, फिर से इकट्ठा और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार संलग्न।

As per our auditors report attached.

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N

सीए इंद्रजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089

सीए अभिनव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799

The Interest expenses on subordinated debt for Rs. 253.15 Lakhs (Rs. Nil lakhs) and related expenses for Rs. 69.35 Lakhs (Rs. Nil Lakhs) has been charged to Profit and Loss Account (Shareholder's Account).

47. The balance appearing in the amount due to/ due from persons or bodies carrying on insurance business includes reinsurance business, terrorism Pool and Nuclear Pool with GIC Re.
48. The salvage in hand as on 31.03.2019 was Rs. 488.14 Lakh and will be accounted for only on realization as per our Accounting Policy No. 7.
49. Financial statements of foreign agencies and branches incorporated in company's account are prepared in accordance with the local rules and regulations of respective countries.
50. Previous year's figures have been regrouped and reclassified wherever required.



आईआरडीए विनियमों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन रिपोर्ट

MANAGEMENT REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS AS PER IRDA REGULATIONS

- हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि आईआरडीएआई द्वारा दिए गए पंजीकरण संख्या 556 के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के पंजीकरण को नवीनीकृत कर दिया गया है।
 - वैधानिक प्राधिकरणों को देय सभी देय राशि का विधिवत भुगतान किया गया है।
 - वर्ष 2018-19 के दौरान शेयरहोल्डिंग पैटर्न और शेयरों के सभी हस्तांतरण वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार हैं।
 - वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रबंधन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया है, भारत में जारी पॉलिसियों के धारकों का धन।
 - कंपनी ने आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन हासिल कर लिया है।
 - हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि पर सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है और हमारे विश्वास में बैलेंस शीट में बताई गई संपत्ति वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं है और आईआरडीए विनियम और लेखा नीति के अनुसार है।
 - पुनर्बीमा एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा कंपनी अपने जोखिमों को कम करने और प्रबंधित करने में सक्षम है, बैलेंस शीट के समग्र संरक्षण के अलावा विशाल जोखिमों को स्वीकार करने की क्षमता को बढ़ाती है। बड़े और जटिल जोखिमों को कम करने के लिए कंपनी की क्षमता उस क्षमता पर निर्भर करती है, जो पुनर्बीमा सहायता के माध्यम से प्राप्त करने में कामयाब रही है। कंपनी को अधिक से अधिक स्वचालित क्षमता से लैस करने पर जोर दिया जाता है ताकि विपणन टीम चुनौतियों का सामना करने और विकास को बनाए रखने की स्थिति में हो। हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम हमारे अपने देश और विदेशों में तेजी से बढ़ रहे व्यापार के अवसरों का सबसे अच्छा उपयोग करने का प्रयास करते हैं।
- We confirm that the registration granted by IRDA has been renewed for the year 2018-19 vide their Registration no. 556.
 - All dues payable to statutory authorities have been duly paid.
 - The shareholding pattern and all transfers of shares during 2018-19 are in accordance with statutory and regulatory requirements.
 - During 2018-19, the management has not directly or indirectly invested outside India, the funds of the holders of policies issued in India.
 - Company has achieved the required Solvency Margin.
 - We certify that the values of all assets have been reviewed on the date of balance sheet and in our belief the assets stated in the Balance Sheet do not exceed the realizable or market value and are in accordance with IRDA Regulations and accounting policy.
 - Reinsurance serves as an important Risk Management tool whereby the Company is able to underwrite and manage its risks, enhance its capacity to accept huge risks besides the overall protection of Balance Sheet. The Company's ability to underwrite large and complicated risks depends upon the capacity it has managed to garner by way of Reinsurance support. The emphasis remains on equipping the Company with as much automatic capacity as is possible so that the marketing team is in a position to meet the challenges and sustain growth. Our Reinsurance Programme strives to make best use of the rapidly expanding business opportunities in our own country and overseas.



हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम आउटगो पर अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करना और आनुपातिक और गैर-आनुपातिक संधियों के उचित मिश्रण के माध्यम से स्वचालित पुनर्बीमा सुविधा प्रदान करना है। जबकि आनुपातिक संधियाँ जोखिमों को संभालने के लिए स्वचालित क्षमता प्रदान करती हैं, जो कंपनी की अपनी निवल प्रतिधारण से परे होती हैं, जिससे पूंजी पर दबाव डाले बिना ऐसे जोखिमों को सक्षम किया जा सकता है, कंपनी के निवल प्रतिधारण पर एक्सपोजर की एकाग्रता के जोखिम को इस प्रकार नुकसान की सुरक्षा के उपयोग से कम किया जाता है, जिसमें प्रमुख घटनाओं के प्रभाव से बैलेंस शीट की रक्षा करना।

2018-19 में, अगस्त 2018 में केरल बाढ़ की भयावह हानि घटना के कारण भारतीय बीमा बाजार प्रभावित हुआ। इसके अलावा, संपत्ति के साथ-साथ व्यापार की समुद्री रेखाओं में भी कुछ जोखिम हानि हुई। ये दावे हमारी विभिन्न हानि संधियों के तहत वसूली योग्य हैं, जिससे हमारी बैलेंस शीट पर प्रभाव कम हो जाता है

संधियों की नियुक्ति पर बढ़ते तनाव के बावजूद, विशेषकर संधियों और भारतीय बाजारों में निरंतर नुकसान के मद्देनजर पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए पुनर्बीमाओं की प्रवृत्ति, समाप्ति की संधि सीमा आगामी वर्ष 2019-2020 के लिए जारी रही है, इस प्रकार स्वचालित क्षमताओं के संरक्षण के लिए व्यापार की सभी लाइनें। इसके अलावा, व्यवसाय के विविध वर्ग की कुछ लाभदायक लाइनों में अतिरिक्त क्षमताएँ बनाई गई हैं। कृषि/फसल कोटा हिस्सेदारी और स्टॉप लॉस पुनर्बीमा संधियों को भी सफलतापूर्वक हमारे फसल बीमा संचालन के लिए क्षमता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा गया है, इस प्रकार विभाग को व्यवसाय के इस बढ़ते वर्ग में क्षमता का दोहन करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। हमने अपने मौजूदा एक्सपोजर के लिए तबाही के मॉडलिंग परिणामों को देखते हुए नॉन मरीन कैट एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अतिरिक्त 190 करोड़ रुपये की सुरक्षा बढ़ा दी है। व्यवसाय की अन्य पंक्तियों के लिए, सीमाएं समाप्त हो रही हैं।

The aim of our Reinsurance Programme is to ensure maximum protection at minimum outgo and to provide automatic reinsurance facility through a proper mix of Proportional and Non-Proportional Treaties. While the Proportional Treaties provide automatic capacity to handle risks which are beyond Company's own Net Retention thereby enabling such risks to be undertaken without putting strain on the Capital, the risk of concentration of Exposures on Company's Net Retention is mitigated by using Excess of Loss Protection thus protecting the balance sheet from impact of major events.

In 2018-19, the Indian Insurance market was affected due to catastrophic loss event of Kerala Floods in August 2018. Further, there were a few risk losses in Property as well as Marine lines of business. These claims are recoverable under our various excess of loss treaties thereby mitigating the impact on our balance sheet

In spite of the increasing stress on placement of Treaties, particularly the Proportional treaties and propensity of reinsurers to introduce stricter measures in view of continued losses in Indian Markets, the expiring treaty limits have continued for the ensuing year 2019-2020 thus preserving the automatic capacities for all lines of business. Further, additional capacities have been created in a few profitable lines of miscellaneous class of business. The agriculture/crop quota share and stop loss reinsurance treaties have also been successfully placed to provide capacity and protection for our Crop insurance operations, thus providing impetus to the department to exploit the potential in this growing class of business. We have increased the protection for Non Marine Cat XL by additional Rs. 190 crores in view of the catastrophe modelling results for our current exposures. For other lines of business, the limits are as expiring.



इस प्रकार, 2019-20 के लिए ओरिएंटल के पुनर्बीमा कार्यक्रम, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो के साथ-साथ बैलेंस शीट सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत आवश्यक स्वचालित क्षमता प्रदान करना जारी रखता है।

जीआईसी रे ने हाल ही में भारतीय बाजार में बीमा की संपत्ति वर्गों के प्रदर्शन पर तनाव के मद्देनजर व्यापार की संपत्ति लाइनों के प्रदर्शन में सुधार को प्रभावित करने के उद्देश्य से अंडरराइटिंग और दरों में कई उपाय किए हैं। इन उपायों से संपत्ति पोर्टफोलियो विशेष रूप से जोखिम वाले मध्यम वर्गों के परिणामों में पर्याप्त सुधार लाने की उम्मीद है। इन उपायों से हमारे पोर्टफोलियो के प्रदर्शन में काफी सुधार होने की उम्मीद है

2019-2020 के लिए हमारी आनुपातिक और गैर-आनुपातिक संधियों को सफलतापूर्वक प्क्।५ विनियमों के दायरे में वित्तीय रूप से सुदृढ़ और रेटेड प्रतिभूतियों के साथ रखा गया है।

8. कंपनी के वर्तमान विदेशी परिचालन दुबई, कुवैत और नेपाल में हैं। कतर में एक कार्यालय खोला गया है। कंपनी की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में विदेशी कार्यालयों का योगदान पर्याप्त नहीं है। इसलिए विदेशी परिचालनों के कारण जोखिम बहुत कम है।

9. दावों के निपटान में दावों और रुझानों का बढ़ना:

भारत में बकाया दावों का आयु-वार विश्लेषण और औसत दावा निपटान में रुझान अनुबंध 1 में दिया गया है।

10. स्टॉक और शेयर सहित सभी निवेशों के मूल्य आईआरडीएआई विनियमों के आकालित किए गए हैं। भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों को मार्च के महीने में एनएसई में अंतिम उद्धृत मूल्य पर मूल्य दिया जाता है, जिसे प्राथमिक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है और अगर ऐसी सुरक्षा को सूचीबद्ध नहीं किया जाता है/प्राथमिक एक्सचेंज पर कारोबार नहीं किया जाता है, तो वे मूल्यवान हैं मार्च के महीने में बीएसई में अंतिम उद्धृत मूल्य पर जिसे द्वितीयक एक्सचेंज के रूप में चुना गया है।

Thus, Oriental's Reinsurance Programme for 2019-20, continues to provide the much needed automatic capacity in line with the requirements of individual portfolios as well as balance sheet protection.

GIC Re has recently taken various measures in underwriting and rates aimed at affecting improvements in the performance of property lines of business in view of the stress on performance of property classes of Insurance in the Indian market. These measures are expected to bring substantial improvement in the results of the property portfolio especially the medium classes of risk. These measures are also expected to substantially improve our portfolio performance

Our Proportional and Non Proportional Treaties for 2019-2020 have successfully been placed with financially sound and rated Securities within the ambit of IRDAI Regulations.

8. The present overseas operations of the Company are in Dubai, Kuwait and Nepal. An office at Qatar has been opened. The foreign offices' contribution to Gross Direct Premium income of the Company is not substantial. Therefore the risk exposure on account of the foreign operations is very minimal.

9. Ageing of claims and trends in settlement of claims:

Age-wise analysis of Outstanding Claims in India and trends in average claims settlement is given in Annexure 1.

10. The values of all investments including stock and shares have been arrived at in accordance with IRDA Regulations. The actively traded Equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such Security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same are valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange.



11. पोर्टफोलियो की दृष्टि से संपत्ति की गुणवत्ता और निवेश के प्रदर्शन की समीक्षा नीचे दी गई है:

विवरण	Particulars	निवेश Investments	कुल निवेश का % % to Total Investments	आय % वित्त वर्ष 2018-19 Yield % FY 2018- 19	आय % वित्त वर्ष 2017-18 Yield % FY 2017-18	आय % वित्त वर्ष 2016-17 Yield % FY 2016-17	आय % वित्त वर्ष 2015-16 Yield % FY 2015-16	आय % वित्त वर्ष 2014-15 Yield % FY 2014-15
सरकारी प्रतिभूतियां	Govt Securities	8504.21	45.81	8.77	8.77	8.40	8.52	8.64
बांड और डिबेंचर	Bonds & Debenture	4061.70	21.88	8.33	9.03	9.13	9.41	9.44
म्यूचुअल फंड और वेंचर फंड	Mutual Funds & Venture Funds	1380.34	7.44	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण	Loans	32.44	.17	9.13	73.89	24.46	15.49	12.29
प्राथमिक शेयर	Preference Shares	2.35	.01	2.88	2.58	2.18	2.33	2.6
इक्विटी	Equity	3084.49	16.61	7.05	9.28	10.05	9.86	9.34
मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स	Money Market Instruments	1493.56	8.05	5.43	5.32	7.28	9.5	10.4
अल्पकालिक ऋण	Short Term Loan	6.18	0.03	0	0.00	0.00	0.00	0.00
आवेदन का पैसा	Application Money	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	Total	18565.27	100	7.38	8.66	8.72	9.1	9.12

इक्विटी / म्यूचुअल फंड्स में फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट पर विचार नहीं किया जाता है।

Fair Value Change Account is not considered in Equity/Mutual Funds.

12. हम इसकी पुष्टि करते हैं:

12. We confirm that :

(क) वित्तीय विवरणों की तैयारी में, लागू लेखा मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन किया गया है, यदि सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण, यदि कोई हो।

(a) In the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any.

(ख) प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय किए हैं और अनुमान है कि उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके और परिचालन लाभ या हानि और वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का;

(b) The management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the year;

(ग) प्रबंधन ने संपत्ति की सुरक्षा के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/कंपनी अधिनियम, 2013 (1 का 1956) के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

(c) the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938(4 of 1938)/ Companies Act, 2013 (1



कंपनी और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए;

(घ) प्रबंधन ने वित्तीय विवरणों को एक उचितरूप से तैयार किया है;

(ङ) प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि व्यापार के आकार और प्रकृति के साथ एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है और प्रभावी ढंग से चल रही है।

13 हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें कंपनी के निदेशक हित लाभ रखते हैं।

of 1956), for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The management has prepared the financial statements on a going concern basis;

(e) The management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.

13 We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which directors of the company are interested.

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O
DIN-08072065

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(A V GIRIJAKUMAR)
Chairman-cum-Managing Director
DIN-02921377

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
RASHMI BAJPAI
Company Secretary

Place: New Delhi

Dated: 28.05.2019



दि ओरियण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2019 को भारत में बकाया दावों का अवधि वार विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2019

बकाया दावें	Claims O/s for		समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2019						
			अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.		
			NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	5	11.24	0	0.00	17065	13773.36
		गैर सूट	Non suit	228	12939.86	263	1789.67	35931	248695.84
30 दिन से 6 महीने	30 days to 6 months	सूट	Suit	7	215.46	3	2.00	7398	31545.78
		गैर सूट	Non suit	476	43721.79	539	1889.67	46039	43424.27
6 महीने से 1 वर्ष	6 months to 1 year	सूट	Suit	11	731.76	5	38.15	10183	47751.21
		गैर सूट	Non suit	577	39160.67	386	1658.88	19795	28382.51
1 साल से 5 साल	1 year to 5 years	सूट	Suit	107	1497.16	35	42.26	45197	187684.10
		गैर सूट	Non suit	431	48370.91	165	2279.83	9275	44492.10
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	231	3173.61	82	37.63	39010	127828.28
		गैर सूट	Non suit	499	4881.01	24	921.52	1390	5237.51
आने वाले सह-बीमा	Incoming co-insurance	सूट	Suit	4	16205.03	0	0.00	1362	8615.66
		गैर सूट	Non suit	72	28047.14	23	670.43	56	12070.42
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		93.63	0	9.38	0	5643.59
		गैर सूट	Non suit		379.55	0	8.41	0	786.93
कुल	TOTAL	सूट	Suit	365	21927.88	125	129.42	120215	422841.98
		गैर सूट	Non suit	2283	177500.92	1400	9218.40	112486	383089.58
कुल योग	GRAND TOTAL			2648	199428.80	1525	9347.83	232701	805931.56

दि ओरियण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2018 को भारत में बकाया दावों का अवधि वार विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2018

बकाया दावें	Claims O/s for		समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2018						
			अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.		
			NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	14	327.08	4	7.81	3702	12264.26
		गैर सूट	Non suit	291	6913.24	311	1480.48	41813	54165.48
30 दिन से 6 महीने	30 days to 6 months	सूट	Suit	10	156.69	2	0.07	8906	32280.87
		गैर सूट	Non suit	499	25877.33	746	4174.78	43973	82038.04
6 महीने से 1 वर्ष	6 months to 1 year	सूट	Suit	34	783.69	10	184	16047	58031.9
		गैर सूट	Non suit	645	22918.2	568	5221.85	15381	29802.69
1 साल से 5 साल	1 year to 5 years	सूट	Suit	165	2264.38	46	60.4	50156	177560.92
		गैर सूट	Non suit	602	60402.26	406	13628.68	7393	38923.92
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	229	2943.9	84	21921.06	44271	119023.87
		गैर सूट	Non suit	123	3587.47	43	2129.1	920	5430.47
आने वाले सह-बीमा	Incoming co-insurance	सूट	Suit	4	15673.42	4	257.86	460	1295.31
		गैर सूट	Non suit	81	24058.33	123	12413.22	531	14684.58
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		131.79	0	26.54	0	5134.28
		गैर सूट	Non suit		274.56	0	1080.57	0	1253.62
कुल	TOTAL	सूट	Suit	456	22280.96	150	22457.74	123542	405591.39
		गैर सूट	Non suit	2241	144031.4	2197	40128.67	110011	226298.8
कुल योग	GRAND TOTAL			2697	166312.36	2347	62586.41	233553	631890.19



दि ओरियण्टल इंडियोरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2017 को भारत में बकाया दावों का अवधि वार विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2017

बकाया दावें	Claims O/s for			समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2017					
				अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.	
				NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	5	4.22	3	14.80	3936	12856.79
		गैर सूट	Non- suit	209	5452.63	644	2292.24	39634	35832.81
30 दिन से 6 महीने	30 Days to 6 Months	सूट	Suit	13	43.87	13	30.68	11511	36252.80
		गैर सूट	Non- suit	859	24962.67	1197	5124.32	56995	39832.92
6 महीने से 1 वर्ष	6 Months to 1 Year	सूट	Suit	24	743.26	18	34.56	16779	50518.64
		गैर सूट	Non- suit	1078	51692.92	909	5674.75	21376	36995.05
1 साल से 5 साल	1 Year to 5 Years	सूट	Suit	165	2146.02	84	230.74	54228	161941.28
		गैर सूट	Non- suit	903	42182.78	698	16778.68	10045	35528.90
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	190	2001.49	104	4379.66	47683	106489.48
		गैर सूट	Non- suit	46	2368.75	31	671.54	757	5187.71
आने वाले सह-बीमा	Incoming Co-insurance	सूट	Suit	3	15144.82	4	283.16	2520	11320.91
		गैर सूट	Non- suit	178	22910.90	76	16382.32	366	15254.37
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		63.64		20189.40		5941.35
		गैर सूट	Non- suit		367.83		234.18		7166.33
कुल	TOTAL	सूट	Suit	400	20147.32	226	25163.00	136657	385321.25
		गैर सूट	Non- suit	3273	149938.48	3555	47158.03	129173	175798.09
कुल योग	GRAND TOTAL			3673	170085.80	3781	72321.03	265830	561119.34

दि ओरियण्टल इंडियोरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2016 को भारत में बकाया दावों का अवधि वार विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2016

बकाया दावें	Claims O/s for			समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2016					
				अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.	
				NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	8	15.47	17	12.62	2981	14950.14
		गैर सूट	Non- suit	303	10513.7	533	1463.58	35658	20236.39
30 दिन से 6 महीने	30 Days to 6 Months	सूट	Suit	25	221.19	28	20.37	11276	31451.53
		गैर सूट	Non- suit	1210	31099.07	1248	7767.3	48060	48529.49
6 महीने से 1 वर्ष	6 Months to 1 Year	सूट	Suit	15	2839.36	18	22.58	16749	45885.23
		गैर सूट	Non- suit	983	24938.1	960	4842	21635	29049.12
1 साल से 5 साल	1 Year to 5 Years	सूट	Suit	93	2012.75	45	382.93	60235	156648
		गैर सूट	Non- suit	546	50891.15	664	19544.13	10059	40629.12
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	174	2485.01	90	4372.65	49606	93455.97
		गैर सूट	Non- suit	87	4437.02	35	370.2	719	4290.81
आने वाले सह-बीमा	Incoming Co-insurance	सूट	Suit	2	14556.82	5	137.68	822	2591.68
		गैर सूट	Non- suit	109	19820.36	37	8170	446	22613.73
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		49.9		19391.71		4801.98
		गैर सूट	Non- suit		1068.2		340.06		1309.19
कुल	TOTAL	सूट	Suit	317	22180.5	203	24940.55	141669	349784
		गैर सूट	Non- suit	3238	142767.6	3477	41897.27	116577	166657.8
कुल योग	GRAND TOTAL			3555	164948.1	3680	66837.82	258246	516441.8



दि ओरिएण्टल इंडियोरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2015 को भारत में बकाया दावों का अवधि वार विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2015

बकाया दावें	Claims O/s for		समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2015						
			अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.		
			NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	11	62.25	3	13	4451	11170.94
		गैर सूट	Non- suit	520	10213.89	705	2126.5	33072	46100.91
30 दिन से 6 महीने	30 Days to 6 Months	सूट	Suit	3	8.38	7	33	12318	30566.83
		गैर सूट	Non- suit	1094	42166.4	1612	10800	37118	46161.45
6 महीने से 1 वर्ष	6 Months to 1 Year	सूट	Suit	19	294.45	10	32.7	14947	35026.33
		गैर सूट	Non- suit	803	54971.02	990	4844	17815	40541.08
1 साल से 5 साल	1 Year to 5 Years	सूट	Suit	146	418.86	64	329	68061	160259.7
		गैर सूट	Non- suit	637	49627.54	600	11070	11936	38832.79
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	133	16621.28	64	5852.28	49393	94081.2
		गैर सूट	Non- suit	95	2393.79	48	1067	1186	2099.31
आने वाले सह-बीमा	Incoming Co-insurance	सूट	Suit	0	0	5	139	406	827.83
		गैर सूट	Non- suit	150	13486.81	97	7152	519	-52137.2
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		320		84	0	5604.7
		गैर सूट	Non- suit		445.98		18844	0	10680.7
कुल	TOTAL	सूट	Suit	312	17725.22	153	6482.98	149576	337537.6
		गैर सूट	Non- suit	3299	173305.4	4052	55903.5	101646	132279
कुल योग	GRAND TOTAL			3611	191030.65	4205	62386.48	251222	469816.59

औसत दावा निपटान / AVERAGE CLAIM SETTLEMENT TIME

अवधि	Period	For the year ended 31.03.2018 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2017 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2016 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2015 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
		दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)
अग्नि	Fire	7394	297.28	6466	331.48	6595	318.21	6729	289.12	6916	285.13
समुद्री	Marine	11164	683.37	13329	188.29	13437	183.00	14197	173.31	15149	171.10
मोटर ओडी	MOTOR OD	500378	98.87	451143	121.15	389988	81.46	321957	90.69	266147	99.89
मोटर टी.पी.	MOTOR TP	86254	1155.6	79766	1068.07	86393	971.36	69318	873.39	76306	875.12
इंजीनियरिंग	ENGG	7347	186.08	7456	273.83	8404	207.14	8411	213.45	9370	190.51
कामगार की क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	1804	476.98	2014	371.36	2030	370.33	1822	436.58	1807	370.57
विमानन	AVIATION	146	454.11	182	471.23	133	540.09	195	295.22	190	622.08
निजी दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	29449	120.56	35207	102.04	19496	144.24	16283	186.76	15975	181.14
स्वास्थ्य	HEALTH	1046431	241.46	953708	184.94	1005694	166.83	739382	274.24	714956	29 0.42
देयता	LIABILITY	1070	1579.42	907	1838.85	3330	2593.80	796	1248.83	516	2054.08
फसल	CROP	360192	9.86	430	147.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00
अन्य डैड	OTHER MISC	50171	425	56289	439.97	54144	224.53	46698	1817.15	51231	622.93
कुल योग	Grand Total	2101800	5728.59	1606897	1181.85	1589644	1095.81	1225788	1126.83	1158563	1252.63



बीमाकर्ता का नामरु मूल बीमा कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण क्रमांक और प्ल। 556 दिनांक 25.02.2014 के साथ नवीकरण की तारीख
रसीदें और भुगतान खाता (यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट)
31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (स्टैंडअलोन)

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated
25.02.2014
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT (I.E. CASH FLOW
STATEMENT)
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019 (STAND ALONE)

		31.03.2019	31.03.2018
क. ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो	A. Cash Flow from Operating Activities	(Rs.'000)	(Rs.'000)
1. अग्रिम रसीद सहित पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम	1. Premium received from Policyholders, including advance receipts	140018320	119551741
2. अन्य रसीदें (निवल)	2. Other receipts (net)	2977633	1823139
3. पुनर्विक्रेताओं को भुगतान, कमीशन और दावों का शुद्ध	3. Payment to reinsurers, net of commissions and claims	-18650388	-1369918
4. दावाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली का शुद्ध	4. Payment to coinsurers, net of claims recovery	16584561	-1781571
5. दावों का भुगतान	5. Payment of claims	-110133285	-95768027
6. कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान	6. Payment of commission and brokerage	-8929712	-7841613
7. अन्य परिचालन खर्चों का भुगतान	7. Payments of other operating expenses	-29776820	-31604098
8. प्रारंभिक और पूर्व-संचालन व्यय	8. Preliminary and pre-operative expenses	0	0
9. जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण	9. Deposits, advances and staff loans	-1628410	-730039
10. आयकर भुगतान (निवल)	10. Income taxes paid (net)	-6124	-662516
11. सेवा कर एकत्र / भुगतान (निवल)	11. Service Tax collected / paid (net)	3325007	3481589
12. अन्य भुगतान (निवल)	12. Other payments (net)	0	0
13. असाधारण वस्तुओं से पहले नकद प्रवाह	13. Cash flow before extraordinary items	-6219217	-14901313
14. असाधारण परिचालन से नकदी प्रवाह	14. Cash flow from extraordinary operations	0	0
15. ऑपरेटिंग गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	15. Net cash flow from operating activities	-6219217	-14901313
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो	B. Cash Flow from Investing Activities		
1. निश्चित संपत्तियों की खरीद (निवल)	1. Purchase of fixed assets (net)	-1654511	-1231709
2. निश्चित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	2. Proceeds from sale of fixed assets	57455	32906
3. निवेश की खरीद	3. Purchase of investments	-35340251	-29813078
4. ऋण वितरित किया गया	4. Loans disbursed	0	0
5. निवेश की बिक्री	5. Sale of Investments	23584084	22512538
6. चुकौती प्राप्ति	6. Repayments received	12862591	8286785
7. किराए / ब्याज / लाभांश प्राप्त	7. Rents/Interests/Dividends received	12366419	12460199
8. मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स और तरल म्यूचुअल फंड (निवल) में निवेश	8. Investments in money market instruments & liquid mutual funds (net)	-9806061	1779098
9. निवेश से संबंधित व्यय	9. Expenses relating to investments	-9292	-50412
10. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	10. Net cash flow from the investing activities	2060434	13976327



		31.03.2019	31.03.2018
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से कैश फ्लो	C. Cash Flow from Financing Activities		
1. शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	1. Proceeds from issuance of share capital	0	0
2. उधार लेने से आय	2. Proceeds from borrowing	7500000	0
3. उधार लेने की चुकौती	3. Repayments of borrowing	0	0
4. ब्याज / लाभांश (वितरण कर सहित) भुगतान किया	4. Interest/dividends(including distribution tax) paid	0	0
5. वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	5. Net cash flow from the financing activities	7500000	0
घ. नकद और नकद समकक्षों (शुद्ध) पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव	D. Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (net)	145453	904
ङ. नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (+)/ कमी (-)	E. Net increase(+)/decrease(-) in cash and cash equivalents	3486670	-924082
1. वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	1. Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	22641841	21089952
2. वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	2. Cash and Cash equivalents at the end of the year	26128511	22641841
नोट: (+) आंकड़ा प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है और (-) बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करता है	Note : (+) figure represents inflow and (-) represents outflow		

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N

सीए इंदरजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089

सीए अभिनव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799

इंडस्ट्रियल क्रेडिट
कंपनी लिमिटेड

**INDUSTRIAL CREDIT
COMPANY LIMITED
STATEMENTS**



औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के प्रत्यक्षकर्ताओं की रिपोर्ट

भाइयों और बहनों,

निदेशकों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी 89 वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा और बैलेंस शीट पेश की।

वित्तीय परिणाम और राष्ट्रीय समीक्षा

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी व्यवसाय का लेन-देन नहीं किया। लाभ और हानि खाते के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष का नुकसान रु. 53,416/- है और वर्ष के अंत में किया गया कुल नुकसान रु. 953,129/- है।

भंडार

चूंकि वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय नहीं किया गया था, इसलिए रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

लाभांश

आगे के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, आपके निदेशक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किसी भी लाभांश का भुगतान करने या किसी भी धन के हस्तांतरण की अनुशंसा नहीं करते हैं।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2019 को इक्विटी पूंजी का भुगतान रु. 5,00,000/- (केवल पाँच लाख) के 5000 इक्विटी शेयरों में किया गया था। 100/- प्रत्येक। कंपनी ने समीक्षा के दौरान वर्ष के दौरान कोई नया शेयर जारी नहीं किया।

वित्त

31 मार्च, 2019 तक नकद और नकद समकक्ष, 532,424/- रुपये था।

फिक्स्ड डिपॉजिट

कंपनी ने जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ऐसी कोई दावा न की गई या अवैतनिक जमा नहीं है।

REPORT OF THE DIRECTORS OF THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.

Gentlemen,

The Directors present their 89th Annual Report and the Audited Accounts and the Balance Sheet for the year ended 31st March, 2019.

FINANCIAL RESULTS & OPERATIONAL REVIEW

The Company did not transact any business during the year. The loss for the year under review as per the Profit & Loss account is Rs. 53,416/- and the total carried forward loss at the end of the year is Rs.953,129/-.

RESERVES

As there was no business undertaken during the year no amount has been transferred to Reserve.

DIVIDEND

In view of carry forward losses, your Directors do not recommend payment of any dividend or transfer of any funds to reserves for the year ended on 31st March, 2019.

SHARE CAPITAL

The paid up equity capital as on 31st March, 2019, was Rs. 5,00,000/- (Rs. Five lakhs only) divided into 5000 Equity shares of Rs. 100/- each. The Company did not issue any fresh shares during the year under review.

FINANCE

Cash and cash equivalents as at 31st March, 2019, was Rs. 532,424/-.

FIXED DEPOSITS

The Company has not accepted any deposits from the public, hence there is no such unclaimed or unpaid deposit.



सामग्री परिवर्तन और समितियाँ, यदि कोई हों, तो कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष से संबंधित और उसके अंतिम दिनांक के अंत में कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेगी।

माननीय जिला न्यायालय, अलीगढ़ में विविध मामले संख्या 639/17 और सिविल अपील संख्या 44/2017: इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड डिक्री होल्डर बनाम श्रीमती रमादेवी

सिविल अपील संख्या 44/2017 में न्यायालय द्वारा निर्देशित ओपी द्वारा रु. 5000/- की गैर-स्वीकृति के मद्देनजर (पूर्व पक्षीय मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करना और पुष्टि करना कि कंपनी पर कोई देयता नहीं है), न्यायालय में एक विविध याचिका (639/17) दायर की और अदालत में राशि जमा करने की अनुमति मांगी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है।

माननीय जिला न्यायालय, अलीगढ़ में विविध मामले संख्या 35/18: औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड डिक्री धारक बनाम श्रीमती रमादेवी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मूल मामले संख्या 277/71 की बहाली के लिए विभिन्न आधारों पर ओपी द्वारा दायर पुनर्स्थापना याचिका के लिए मिससेलियस केस संख्या 35/18 में कोई सुनवाई नहीं हुई जो माननीय द्वारा कंपनी के पक्ष में निर्णय लिया गया था। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.02.2018 को रद्द कर दिया।

माननीय जिला न्यायालय, दरभंगा में मनी एक्सक्यूशन केस नंबर 27/1985: इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड डिक्री होल्डर बनाम श्री मणि कांत झा

बोर्ड के परिपत्र परिपत्र नउइमत 1/2017-18 में ओरिएंटल इंडश्योरेंस की दरभंगा शाखा कार्यालय द्वारा नियुक्त अन्वेषक के माध्यम से श्री मणि कांत झा से नकद/ड्राफ्ट में 19387/- रुपये की मूलधन राशि के भुगतान की वसूली के लिए कदम उठाने की मंजूरी दी गई थी। कंपनी लिमिटेड, (होलिडिंग कंपनी), पूर्ण और अंतिम राशि के रूप में और केस के समापन के लिए आगे बढ़ना, श्री मणि कांत झा द्वारा दर्शाई गई इच्छा के मद्देनजर, पत्र प्राप्त करने के लिए दो महीने की समय अवधि के भीतर 19387 / - रु. कंपनी

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

Misc. Case No. 639/17 & Civil Appeal No. 44/2017 at Hon'ble District Court, Aligarh: Industrial Credit Company Limited Decree Holder Vs.Ms. Ramadevi

In view of non-acceptance of cost of Rs. 5000/- by OP as directed by the Court in Civil Appeal No. 44/2017 (setting aside the ex-party arbitration award and confirm that NO liability lies on the Company), the Company had filed a Misc petition (639/17) in the Court seeking permission to deposit the amount in the Court. No hearing has taken place in this matter during the year under review.

Misc. Case No. 35/18 at Hon'ble District Court, Aligarh: Industrial Credit Company Limited Decree Holder Vs.Ms. Ramadevi

During the year under review, No hearing took place in Misc. case No. 35/18 for restoration petition filed by O.P. on various grounds for the restoration of original case no. 277/71 which was decided in the favour of the Company by the Hon'ble Court vide its order dated 15.02.2018

Money Execution Case No. 27/1985 at Hon'ble District Court, Darbhanga: Industrial Credit Company Limited Decree Holder Vs. Sri Mani Kant Jha

Board vide circular resolution no. 1/2017-18 had accorded approval to initiate steps to recover the payment of balance principal amount of Rs. 19387/- in cash / draft from Shri Mani Kant Jha through the investigator appointed by Darbhanga Branch Office of The Oriental Insurance Company Limited, (Holding Company), as full and final amount and proceed for the closing of case, in view of willingness shown by Shri Mani Kant Jha to pay Rs. 19387/- within a time period of two months subject to receiving a letter from the company



श्री मणि कान्त झा ने 14.06.2018 को द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (होलिडिंग कंपनी) के दरभंगा शाखा कार्यालय का दौरा किया और 19387/- रुपये की पूरी राशि नकद में दी, जिसे द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के दरभंगा शाखा कार्यालय ने विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया। (होलिडिंग कंपनी) और रसीद संख्या 51-80/4094000811 दिनांक 14.06.2018 और ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रमुख कार्यालय को हस्तांतरित, (होलिडिंग कंपनी) जेवी संख्या 4094000010 दिनांक 14.06.2018।

तत्पश्चात, कंपनी ने केस को वापस लेने के लिए माननीय जिला न्यायालय के समक्ष डीलिंग एडवोकेट के माध्यम से एक आवेदन दायर किया था, वारंट को रद्द करने और केस को अंतिम रूप देने के लिए।

माननीय जिला न्यायालय ने मनी एक्सक्यूशन केस नंबर 27/1985 के अंतिम समापन के लिए आदेश दिनांक 08.09.2018 जारी किया था।

नियामक द्वारा जारी किए गए नियमों या नियमों के अनुसार हस्ताक्षर किए गए हस्ताक्षर या नियमों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हस्ताक्षर और विवरण के विवरण

शून्य

ऋणों, गारंटियों या निवेश के हिस्से

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है।

कंपनी द्वारा किए गए निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों में दिया गया है

आंतरिक नियंत्रण, प्रणाली और उनकी विशिष्टता

कंपनी के अधिनियम, 2013 के आंतरिक नियंत्रण, प्रणाली और पर्याप्तता के बारे में प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी कोई सक्रिय व्यवसाय नहीं कर रही है।

Shri Mani Kant Jha visited Darbhanga Branch Office of The Oriental Insurance Company Limited, (Holding Company) on 14.06.2018 and deposited entire amount of Rs. 19387/- in cash, which was duly acknowledged by Darbhanga Branch Office of The Oriental Insurance Company Limited, (Holding Company) and receipt no. 51-80/4094000811 dated 14.06.2018 & transferred to Head Office of The Oriental Insurance Company Limited, (Holding Company) vide JV no. 4094000010 dated 14.06.2018.

Thereafter, the Company had filed an application through the dealing advocate before the Hon'ble District Court for withdrawal of case, cancellation of distress warrant and final closure of the case.

The Hon'ble District Court had issued the Order dated 08.09.2018 for final closure of the Money Execution Case No. 27/1985.

DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

NIL

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

The Company has not given any loans or guarantees under the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013.

The details of the investments made by the Company are given in the financial statements

INTERNAL CONTROL, SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding Internal Control, Systems and Adequacy are not applicable to the Company as the Company is not doing any active business.



कॉर्पोरेट सामाजिक सुरक्षा संस्थाएँ

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी के संयोजन की अवधारणा

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि यह एक वित्त कंपनी है और कोई सक्रिय व्यवसाय भी नहीं कर रही है।

विदेश यात्रा और विदेश यात्रा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय या बाहर प्रवाह नहीं था।

कंपनी का प्रबंधन

कंपनी को उन निदेशकों द्वारा प्रबंधित किया गया था जो द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (होल्टिंग कंपनी) के नामित हैं। द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रशासनिक सेवाएं दी गईं।

निदेशकों

श्री अतुल जेरथ आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

श्री अनिल श्रीवास्तव आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख पर रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

श्री दिनेश वाघेला को 06.02.2019 को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय में रखा गया था। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 257 के अनुरूप) के प्रावधानों के तहत निदेशकों के कार्यालय के लिए उपरोक्त अतिरिक्त निदेशक की उम्मीदवारी का प्रस्ताव करने वाले सदस्यों से लिखित में नोटिस प्राप्त किया है। श्री दिनेश वाघेला को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण उनकी सहमति प्राप्त हुई।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding Corporate Social Responsibility are not applicable to the Company.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding conservation of energy, technology absorption are not applicable to the Company, as it is a finance company and not doing any active business also.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

During the year under review there was no foreign exchange earnings or out flow.

MANAGEMENT OF THE COMPANY

The Company was managed by the Directors who are nominees of The Oriental Insurance Company Limited (Holding Company). The administrative services are lent by The Oriental Insurance Company Limited.

DIRECTORS

Shri Atul Jerath is retiring by rotation on the date of the forthcoming Annual General Meeting and is eligible for reappointment.

Shri Anil Srivastava is retiring by rotation on the date of the forthcoming Annual General Meeting and is eligible for reappointment.

Shri Dinesh Waghela was appointed as Additional Director on 06.02.2019 and holds office till the date of the forthcoming Annual General Meeting. The Company has received notices in writing from members proposing the candidature of the aforementioned additional director for the office of Directors under provisions of Section 160 of Companies Act 2013 (corresponding to Section 257 of the Companies Act 1956). Shri Dinesh Waghela being eligible for appointment as Director of the Company have accorded his consent for the same.



समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें 23.04.2018, 12.07.2018, 26.10.2018 और 06.02.2019 को बुलाई गई थीं। बैठक के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

प्रत्यक्षदर्शियों का दायित्व:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक इसके द्वारा राज्य: –

- क. वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री के प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- ख. निदेशकों ने इस तरह की लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय दिए और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके और समीक्षा के तहत वर्ष के लिए कंपनी का नुकसान;
- ग. निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
- घ. निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक उचितरूप से तैयार नहीं किया था।
- ङ. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह की व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही थी।

संबंधित पार्टी लेनदेन

इसकी होल्डिंग कंपनी के साथ कंपनी के बीच लेन-देन का ब्योरा प्रपत्र एओसी 2 में निर्देशकों की रिपोर्ट के अनुबंध ए के रूप में संलग्न है।

During the year under review four meetings of the Board of Directors were convened and held on 23.04.2018, 12.07.2018, 26.10.2018 and 06.02.2019. The intervening gap between the Meetings was within the period prescribed under the Companies Act, 2013.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to provisions of Sec. 134 (5) of the Companies Act, 2013, the Directors hereby state:-

- a. That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b. That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for year under review;
- c. That the directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d. That the directors had not prepared the annual accounts on a going concern basis.
- e. The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The details of transactions between the Company with its Holding Company are attached herewith in Form AOC 2 as Annexure A to the Directors Report.



सहायक कंपनियां

कंपनी के पास कोई सहायक नहीं है।

लेखा परीक्षक

मैसर्स अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट को 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया था, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली -110 002।

लेखा परीक्षक की टिप्पणियां

उनकी रिपोर्ट को वित्तीय विवरणों में संलग्न किया गया है और उनकी टिप्पणियों को स्वयं व्याख्यात्मक है

वार्षिक रिटर्न्स की परीक्षा

एमजीटी -9 के रूप में वार्षिक रिटर्न्स के अर्क का हिस्सा बनाने वाले विवरण को बोर्ड की रिपोर्ट में अनुलग्नक 'बी' के रूप में संलग्न किया गया है।

कर्मचारियों की भागीदारी

चूंकि द ओरिएंटल इंडियोरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रशासनिक सेवाओं को उधार दिया जाता है, इसलिए कंपनी के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं है।

बोर्ड की आज्ञानुसार
औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लि.

दिनेश वाघेला
(निदेशक)

अतुल जेरथ
(निदेशक)

अनिलश्रीवास्तव
(निदेशक)

सौम्या मुखर्जी
(निदेशक)

जगह: नई दिल्ली
दिनांक: 12.04.2019

BY ORDER OF THE BOARD
FOR THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.

Dinesh Waghela
(Director)

Atul Jerath
(Director)

Anil Srivastava
(Director)

Soumya Mukherjee
(Director)

Place: New Delhi
Date: 12.04.2019

SUBSIDIARY COMPANIES

The Company does not have any subsidiary.

AUDITORS

M/s Ashok Shyam & Associates, Chartered Accountants were appointed as Auditors of the Company for the year ended 31st March, 2019 by the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi-110 002.

AUDITORS OBSERVATIONS

Their report is annexed to the financial statements and their observations are self-explanatory

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The details forming part of the extract of the Annual Return in form MGT-9 is annexed to the Board's Report as Annexure 'B'.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

Since the administrative services are lent by The Oriental Insurance Company Limited, there is no employee on the rolls of the company.



फॉर्म नंबर एमजीटी -9

वार्षिक रिटर्न्स का विस्तार
वित्तीय वर्ष पर 31/03/2019 को समाप्त हुआ
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) के नियम और नियम
12 (1) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014]

FORM NO. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on....31/03/2019
[Pursuant to section92(3) of the Companies Act 2013 and
rule 12(1) of the
Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	CIN :-	U65921DL1930GOI000216
ii)	रजिस्ट्रेशन नं/Registration Date	5/7/1930
iii)	कंपनी का नाम/Name Of The Company	द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED
iv)	कंपनी का श्रेणी/उप-श्रेणी/ Category/Sub-Category of The Company	सरकारी कंपनी GOVERNMENT COMPANY
v)	पंजीकृत कार्यालय तथा संपर्क विवरण/ Address of the Registered office and contact details	ओरियण्टल हाउस, ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली- 110002 Oriental House, A-25/27 Asaf Ali Road, New Delhi 110002
vi)	क्या ये लिस्टेड है : हां/नहीं Whether listed company Yes/No	नहीं NO
vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	शून्य NIL

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाएगा: -

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

SI No.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	Name and Description of main products/ services	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/service	कंपनी के कुल कारोबार का % % to total turnover of the company
1	वित्तीय सेवाएं	Financial Services	6499	NIL
2				
3				



III. होल्डिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियों के पार्टनर्स-

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-

S. No.	कंपनी का नाम और पता Name and Address of The Company	CIN/GLN	होल्डिंग, सहायक और एसोसिएट Holding/Subsidiary/Associate	% का शेयर % of Shares Held	लागू करने योग्य अनुभाग Applicable Section
1	द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED	U66010DL1947GOI007158	होल्डिंग HOLDING	100%	Sec 2(46)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

i) श्रेणी-वार शेयर होल्डिंग

IV. SHARE HOLDING PATTERN

(Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

शेयरधारकों की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या No. of shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान % परिवर्तन % Change during the year
		डीमैट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर का % % of Total Share	डीमैट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर का % % of Total Share	
क. प्रमोटर	A. Promoters									
(1) भारतीय	(1) Indian									
क) व्यक्तिगत / एचयूएफ	a) Individual/HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इ) केंद्रीय सरकार	b) Central Govt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) राज्य सरकार	c) State Govt(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डी) निकायों कॉर्प	d) Bodies Corp.	0	5000	5000	100	0	5000	5000	100	0
ई) बैंक / एफआई	e) Banks/ FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) कोई अन्य	f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (ए) (1): -	Sub-total (A) (1):-	0	5000	5000	100	0	5000	5000	100	0
(2) विदेशी	(2) Foreign									
क) एनआरआई- व्यक्ति	a) NRIs- Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य-व्यक्ति	b) Other-Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) निकाय कॉर्प	c) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डू) बैंक / एफआई	d) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) कोई अन्य ..	e) Any Other..	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (ए) (2):-	Sub-total (A) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी	Total Shareholding of Promoter									
ए = (ए) (1) + (ए) (2)	A= (A) (1) + (A)(2)	0	0	5000	100	0	5000	5000	100	0
ख. सार्वजनिक हिस्सेदारी	B. Public Shareholding									
1. संस्थाएं	1. Institutions									
क) म्युचुअल फंड	a) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक / एफआई	b) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्रीय सरकार	c) Central Govt	0	0	0	0	0	0	0	0	0



शेयरधारकों की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या No. of shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान % परिवर्तन % Change during the year
		डीमैट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर का % % of Total Share	डीमैट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर का % % of Total Share	
घ) राज्य सरकार	d) State Govt(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड़) वेंचर कैपिटल फंड्स	e) Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) बीमा कंपनियाँ	f) Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) एफआईआई	g) FIs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	h) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) अन्य (निर्दिष्ट करें)	i) Others (Specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (बी) (1): -	Sub-total (B) (1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. गैर-संस्थान	2. Non-Institutions									
क) निकायों कोष	a) Bodies Corp.									
i) भारतीय	i) Indian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) प्रवासी	ii) Overseas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत	b) Individuals									
i) व्यक्तिगत शेयरधारक रु. 1 लाख तक नाममात्र की शेयर पूंजी रखते हैं।	i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 Lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) रुपये 1 लाख से अधिक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	ii) Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 Lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	c) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (बी) (2): -	Sub-total (B) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी	Total Public Shareholding									
ख = (ख) (1) + (ख) (2)	B= (B)(1)+(B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग. जीडीआरएस और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा सहायता साझा करता है	C. SHARES HELD BY CUSTODIAN FOR GDRs & ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	GRAND TOTAL									
(क + ख + ग)	(A+B+C)	0	0	5000	100	0	5000	5000	100	0



ii) प्रमोटरों की हिस्सेदारी 100%

ii) Shareholding of Promoters 100%

Sl. No.	Shareholders Name	वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन % change in shareholding during the year
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में चढ़ाया / चढ़ाया गया शेयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में चढ़ाया / चढ़ाया गया शेयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares	
1	ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड The Oriental Insurance Co Ltd	5000	100%	0%	5000	100%	0%	0%
2								
3								
	Total	5000	100%	0%	5000	100%	0%	0%

iii) प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में बदलाव (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया निर्दिष्ट करें) कोई परिवर्तन नहीं

iii) Change in Promoters' Shareholding (Please Specify, if there is no change) NO Change

SI No.		वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of Total shares of the company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of Total shares of the company
	साल की शुरुआत में At the beginning of the year	5000	100%	5000	100%
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों में हिस्सेदारी बढ़ाने / घटने की तिथि में वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस /स्वेट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए: Date wise increase/Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/sweat equity etc):	0	0	0	0
	साल के अंत में At the End of the year	5000	100%	5000	100%



iv) शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स की शेयरहोल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटर्स और जीडीआर और एडीआर के धारकों के अलावा अन्य):

iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

SI No.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए For Each of the TOP 10 Shareholders	मूल बीमा कंपनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता CUMULATIVE SHAREHOLDING DURING THE YEAR	
		शेयरों की संख्या No. Of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % %of total shares of the company	शेयरों की संख्या No. Of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % %of total shares of the company
1	नाम/Name	THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED			
	साल की शुरुआत में At the beginning of the year	5000	100%	5000	100%
	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तारीख वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/पसीना इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करने के दौरान: Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease(e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने की तिथि पर) At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year)	5000	100%	5000	100%

V. SHAREHOLDING OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

SI No.	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए For Each of the Directors and KMP	वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. Of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % %of total shares of the company	शेयरों की संख्या No. Of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % %of total shares of the company
	साल की शुरुआत में At the beginning of the year	0	0	0	0
	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तारीख वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करने के दौरान: Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने की तिथि पर) At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year)	0	0	0	0



VI. ऋणग्रस्तता

ब्याज बकाया / अर्जित सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन भुगतान के कारण नहीं

VI. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment

		Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता	Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) मूलधन	i) Principal Amount	0	821827	0	821827
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) ब्याज उपार्जित है लेकिन देय नहीं है	iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
कुल (i + ii + iii)	Total (i+ii+iii)	0	821827	0	821827
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	Change in indebtedness during the financial year				
* जोड़	* Addition	0	120527	0	120527
* कमी	* Reduction	0	0	0	0
शुद्ध परिवर्तन	Net Change	0	120527	0	120527
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	Indebtedness at the end of the financial year				
i) मूलधन	i) Principal Amount		942354	0	942354
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	ii) Interest due but not paid		0	0	0
iii) ब्याज उपार्जित है लेकिन देय नहीं है	iii) Interest accrued but not due		0	0	0
कुल (i + ii + iii)	Total (i+ii+iii)	0	942354	0	942354

VII. प्रत्यक्षकर्ताओं और प्रमुख निजी लोगों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूरे समय के निदेशकों और / या प्रबंधक को पारिश्रमिकरू

VII. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

SI No.	पारिश्रमिक का विवरण	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager					Total Amount
			1	2	3	4	5	
1	सकल वेतन	Gross salary						
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act 1961	0	0	0	0	0	0
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 के अनुलाभ यू / एस 17 (2) का मूल्य	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act 1961	0	0	0	0	0	0
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 के वेतन यू / एस 17 (3) के एवज में लाभ	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961	0	0	0	0	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	Stock Option	0	0	0	0	0	0
3	उद्यम इक्विटी	Sweat Equity	0	0	0	0	0	0
4	कमीशन	Commission						
	- लाभ के: के रूप में	- as % of Profit	0	0	0	0	0	0
	- अन्य (निर्दिष्ट करें)	- others, specify	0	0	0	0	0	0
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	Others, please specify	0	0	0	0	0	0
कुल (क) Total (A)			0	0	0	0	0	0



ख. अन्य निदेशकों को बी पारिश्रमिक:

B. Remuneration to Other Directors:

SI No.	पारिश्रमिक का विवरण	Particulars of Remuneration	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/Manager					कुल राशि Total Amount
			1	2	3	4	5	
1	स्वतंत्र निदेशक	Independent Directors						
	(i) बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	(i) Fee for attending Board committee meetings	0	0	0	0	0	0
	(ii) कमीशन	(ii) Commission	0	0	0	0	0	0
	(iii) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	(iii) Others, please specify	0	0	0	0	0	0
	कुल 1 (i + ii + iii)	Total 1 (i+ii+iii)	0	0	0	0	0	0
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक	2. Other Non-Executive Directors	श्री दिनेश आर. वाघेला Sh. Dinesh R. Waghela	श्री अतुल जेरथ Sh. Atul Jerath	श्री अबिल श्रीवास्तव Sh. Anil Srivastava	श्री सौम्या मुखर्जी Sh. Soumya Mukherjee		
	(i) बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	(i) Fee for attending Board committee meetings	0	0	0	0	0	0
	(ii) कमीशन	(ii) Commission	0	0	0	0	0	0
	(iii) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	(iii) Others, please specify	0	0	0	0	0	0
	कुल 2 (i + ii + iii)	Total 2 (i+ii+iii)	0	0	0	0	0	0
	कुल (ख) = (1 + 2)	Total (B)=(1+2)	0	0	0	0	0	0
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	Total Managerial Remuneration	0	0	0	0	0	0

ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक /प्रबंधक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

SI No.	पारिश्रमिक का विवरण	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
			CEO	COMPANY SECRETARY	CFO	Total
1	सकल वेतन	Gross Salary				
	(ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	0	0	0	0
	(बी) आय अधिनियम, 1961 के अनुलाभों का मूल्य न 17 (2)	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income -tax Act, 1961	0	0	0	0
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 के वेतन यू / एस 17 (3) के एवज में लाभ	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961	0	0	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	Stock Option	0	0	0	0
3	उद्यम इक्विटी	Sweat Equity	0	0	0	0
4	कमीशन	Commission	0	0	0	0
	- लाभ के: के रूप में	- as % of Profit	0	0	0	0
	- अन्य (निर्दिष्ट करें)	- others, specify	0	0	0	0
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	Others, please specify	0	0	0	0
	कुल	Total	0	0	0	0



VIII. PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

प्रकार	Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fee imposed	Authority [RD/ NCLT/COURT]	Appeal made if any (give Details)
क. कंपनी	A. COMPANY					
दंड	Penalty			NIL		
सजा	Punishment			NIL		
कंपाउंडिंग	Compounding			NIL		
ख. प्रत्यक्षदर्शी	B. DIRECTORS					
दंड	Penalty			NIL		
सजा	Punishment			NIL		
कंपाउंडिंग	Compounding			NIL		
ग. अन्य अधिकारियों की डिफॉल्ट में	C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
दंड	Penalty			NIL		
सजा	Punishment			NIL		
कंपाउंडिंग	Compounding			NIL		

बोर्ड की आज्ञानुसार
औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लि.

दिनेश वाघेला
(निदेशक)

अतुल जेरथ
(निदेशक)

अनिलश्रीवास्तव
(निदेशक)

सौम्या मुखर्जी
(निदेशक)

जगह: नई दिल्ली
दिनांक: 12.04.2019

BY ORDER OF THE BOARD
FOR THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.

Dinesh Waghela
(Director)

Atul Jerath
(Director)

Anil Srivastava
(Director)

Soumya Mukherjee
(Director)

Place: New Delhi
Date: 12.04.2019



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी दी है।

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और इसके अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। 31 मार्च, 2019 को कंपनी के मामलों की स्थिति, हानि, और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह लेखांकन सिद्धांतों को भारत में स्वीकार किया जाता है।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसएएस) के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारे वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। रिपोर्ट हववक। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of M/s The Industrial Credit Company Limited

Report on the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **M/s. The Industrial Credit Company Limited ("the Company")** which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2019, the Statement of Profit and Loss, statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2019, and **loss**, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Company in accordance with the *Code of Ethics* issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



सामग्री अनिश्चितता गोइंग कंसर्न से संबंधित

हम वित्तीय विवरण में नोट 1 (बी) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो इंगित करता है कि कंपनी ने रुपये का शुद्ध घाटा उठाया। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 53416 और उस तारीख के रूप में, कंपनी की वर्तमान देनदारियां उसकी वर्तमान संपत्ति से अधिक हो गईं। 453,129। कंपनी ने पिछले कई वर्षों से कोई भी संचालन नहीं किया है और रु. 953,129 का नुकसान हुआ है। कंपनी का शुद्ध मूल्य समाप्त हो गया है। इन घटनाओं या स्थितियों से भौतिक अनिश्चितताओं के अस्तित्व का संकेत मिलता है जो एक चिंता का विषय के रूप में कंपनी की क्षमता को जारी रखने के लिए संदेह पैदा कर सकता है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले:

कंसर्न सेक्शन में जाने के लिए संबंधित सामग्री अनिश्चितता से संबंधित मामले को छोड़कर, हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में कोई अन्य महत्वपूर्ण ऑडिट मामले नहीं हैं।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट और अध्यक्ष के बयान शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

Material Uncertainty related to Going Concern

We draw attention to Note 1(b) in the financial statement, which indicates that the company incurred a net loss of Rs. 53416 during the year ended 31st March, 2019 and, as of that date, the company's current liabilities exceeded its current assets by Rs. 453,129. The company has not undertaken any operations for past several years and has accumulated losses of Rs. 953,129. The net worth of company is eroded. These events or conditions indicate the existence of material uncertainties which may cast doubt as to the Company's ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters:

Except for the matter described in the Material Uncertainty Related to Going Concern section, we have determined that there are no other key audit matters to communicate in our report.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon:

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Board report and chairman's statement but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.



स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, वित्तीय प्रदर्शन, और कंपनी के नकदी प्रवाह को आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो प्रभावी तरीके से लेखांकन रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार उचितरूप में जारी रखने, प्रकट करने, लागू करने, उचितरूप से संबंधित मामलों और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा रखता है या संचालन को रोकने के लिए, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया एक ऑडिट

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that



हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो वे इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

अन्य पदार्थ

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट एक अन्य ऑडिटर द्वारा किया गया, जिन्होंने 23 अप्रैल, 2018 को उन बयानों पर एक संशोधित राय व्यक्त की।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('ऑर्डर') के अनुसार, हम अनुबंध में देते हैं 'ए' आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, लागू सीमा तक।

अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे अच्छे थे।
- ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित खाते की उचित पुस्तकें अभी तक रखी गई हैं, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।
- ग. इस रिपोर्ट द्वारा दी गई बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, खाते की पुस्तकों के साथ हैं।
- घ. हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ते हैं।

includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Other Matter

The financial statements of the Company for the year ended March 31, 2018, were audited by another auditor who expressed a modified opinion on those statements on April 23rd, 2018.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the **Annexure "A"** a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

- a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- d. In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.



- ड. निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2019 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, धारा 164(2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च, 2019 तक किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक बी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- छ. कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, ऑडिटर रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी ने अपने वित्तीय वक्तव्यों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट II (क) देखें; ख्या कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमे नहीं हैं जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों।
 - कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी।
 - कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।
- e. On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2019 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2019 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
- f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure B”.
- g. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note II (a) to the financial statements; [or the Company does not have any pending litigations which would impact its financial position.]
 - The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म की पंजीकरण संख्या: 011223एन

अशोक बाबू

साझेदार

सदस्यता संख्या: 089858

जगह: नई दिल्ली

दिनांक: 12.04.2019

For ASHOK SHYAM AND ASSOCIATES

Chartered Accountants

Firm's registration number: 011223N

ASHOK BABU

Partner

Membership number: 089858

Place: New Delhi

Date: 12.04.2019



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए 'अनुलग्नक क'

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के लिए हमारी तारीख की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकता पर शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में संदर्भित:

1. अचल संपत्ति:

कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, तदनुसार कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के अनुच्छेद 3 के खंड i (क), i (ख) और i (ग) लागू नहीं है।

2. इन्वेंटरी:

कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, तदनुसार कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के अनुच्छेद 3 के खंड i (क), i (ख) और i (ग) लागू नहीं है।

3. कंपनी द्वारा दिया गया ऋण:

कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, एलएलपी या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण नहीं दिया है जो अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (क) से (ग) के प्रावधानों पर हमारी टिप्पणी कंपनी पर लागू नहीं होती है और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

4. कंपनी द्वारा प्रदान किया गया ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने किसी भी अन्य संस्था को कोई ऋण, निवेश या गारंटी और प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

5. सार्वजनिक जमा:

कंपनी ने जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और अधिनियमों और कंपनियों (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 के संबंध में धारा 73 से 76 या किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का प्रावधान है। जनता से स्वीकार किए गए जमा लागू नहीं होते हैं।

"Annexure A" to the Independent Auditors' Report

Referred to in paragraph 1 under the heading 'Report on Other Legal & Regulatory Requirement' of our report of even date to the financial statements of the Company for the year ended March 31st, 2018:

1. Fixed Assets:

The Company does not have any fixed assets, accordingly clause i(a), i(b) and i(c) of paragraph 3 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 is not applicable.

2. Inventory:

The Company does not have any fixed assets, accordingly clause i(a), i(b) and i(c) of paragraph 3 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 is not applicable.

3. Loans given by the company:

The Company has not granted any loans secured or unsecured to companies, firms, LLP, or other parties covered in the Register maintained under section 189 of the Act. Accordingly, our comment on the provisions of clause 3 (iii) (a) to (C) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

4. Loans, Investment, Guarantees and Security provided by the company:

As per the information provided to us during the period under review the company has not made any loans, investments or provided Guarantees and securities to any other entity as such this clause is not applicable.

5. Public Deposit:

The Company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regard to the deposits accepted from the public are not applicable.



6. लागत रिकॉर्ड:

जैसा कि हमें सूचित किया गया है, लागत रिकॉर्ड्स का रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में।

7. सांविधिक बकाया राशि:

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, खाता, और अभिलेखों की पुस्तकों की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, बिक्री सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी अन्य वैधानिक देय शुल्क के साथ उचित प्राधिकारियों को छोड़कर, माल और सेवा कर के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत और टीडीएस रिटर्न एकत्र करने में देरी के कारण लगाए गए लेट फीस के मामले को छोड़कर रुपये 23504/-, जो देय होने पर तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2019 तक बकाया थे।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, सीमा शुल्क की ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर के संबंध में कोई सामग्री बकाया नहीं है, जो कि उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं की गई है किसी भी विवाद का हिसाब।

8. बैंकों / एफआई / सरकार और डिबेंचर धारकों को देय राशि का पुनर्भुगतान:

हमारी राय में, कंपनी के पास बैंकों, वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण या उधार नहीं है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है, इसलिए आदेश के पैरा 3 के खंड (viii) लागू नहीं है।

6. Cost Records:

As informed to us, the maintenance of Cost Records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of the activities carried on by the company.

7. Statutory Dues:

A) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value added Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities except in certain case of payment of goods & service tax under reverse charge mechanism and late fees charged due to late filing of TDS return aggregating to Rs. 23504/-, which were arrears as at March 31st, 2019 for a period of more than six months from the date on when they become payable.

B) According to the information and explanation given to us, there are no material dues in respect of provident fund, employees state insurance, sales tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, that have not been deposited with the appropriate authorities on the account of any dispute.

8. Repayment of dues to Banks / FIs / Government and Debenture holders:

In our opinion, the Company does not have any loan or borrowings from banks, financial institutions. The company has not issued any debentures, hence clause (viii) of paragraph 3 of order is not applicable.



9. उठाए गए धन का उपयोग:

हमारी राय में, कंपनी के पास बैंकों, वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण या उधार नहीं है और कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं उठाया है, इसलिए खंड (ix) आदेश का पैरा 3 लागू नहीं है।

10 धोखाधड़ी:

प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है या नहीं किया है, इसलिए आदेश के पैरा 3 के खंड (xi) लागू नहीं है।

12. निधि कंपनियां:

हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

13. संबंधित पार्टी लेनदेन:

हमारी राय में, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के साथ अपूर्ण हैं और विवरण में वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक है।

14. अधिमान्य आवंटन:

प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय

9. Utilization of moneys raised:

In our opinion, the Company does not have any loan or borrowings from banks, financial institutions and the Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year, hence clause (ix) of paragraph 3 of order is not applicable.

10. Fraud:

Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that no fraud by the Company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

11. Managerial Remuneration:

The company has not paid or provided the managerial remuneration during the year, hence clause (xi) of paragraph 3 of order is not applicable.

12. Nidhi Companies:

In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 3 (xii) of the Order are not applicable to the Company.

13. Related Party Transactions:

In our opinion, all transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.

14. Preferential Allotment:

Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the



डिबेंचर नहीं बनाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

15. गैर-नकद लेनदेन:

प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

16. RBI के साथ पंजीकरण:

हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 प। के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म की पंजीकरण संख्या: 011223एन

अशोक बाबू

साझेदार

सदस्यता संख्या: 089858

जगह: नई दिल्ली

दिनांक: 12.04.2019

provisions of clause 3 (xiv) of the Order are not applicable to the Company.

15. Non-Cash Transaction:

Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

16. Registration with RBI:

In our opinion, the company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause 3 (xvi) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

For and on behalf of

For ASHOK SHYAM AND ASSOCIATES

Chartered Accountants

Firm's registration number: 011223N

ASHOK BABU

Partner

Membership number: 089858

Place: New Delhi

Date: 12.04.2019



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए 'अनुलग्नक ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने वित्तीय रिपोर्टिंग मेसर्स पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है। 31 मार्च, 2019 तक औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') उस तारीख को समाप्त हुए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन के रूप में।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट नोट में आवश्यक आंतरिक घटकों पर विचार करना। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट के।

इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखांकन रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय ऑडिट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट ('गाइडेंस नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू और, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी दोनों। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन

"Annexure B" to the Independent Auditor's Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting **M/s. The Industrial Credit Company Limited** ("the Company") as of March 31, 2019 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal



करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय

Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and



कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान का समय पर पता लगाने या उचित विवरण प्रदान करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थे। कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है।

अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म की पंजीकरण संख्या: 011223एन

अशोक बाबू

साझेदार

सदस्यता संख्या: 089858

जगह: नई दिल्ली

दिनांक: 12.04.2019

expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For and on behalf of

For ASHOK SHYAM AND ASSOCIATES

Chartered Accountants

Firm's registration number: 011223N

ASHOK BABU

Partner

Membership number: 089858

Place: New Delhi

Date: 12.04.2019



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या / No. : भारतीय लेखा परीक्षा विभाग / वार्षिक लेखा / ICCI/38-1/19-20
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग 52
कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II,
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER,
AUDIT BOARD - II, NEW DELHI

दिनांक / DATE 13-05-2019

सेवा में,

निदेशक,
द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड,
अ 25/27, ओरिएंटल हाउस, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली - 110 006

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अशेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

ह/-

(मंदना मुंशी)

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड -II
नई दिल्ली



भारत के संगणकीय और लेखाकार जनरल की धारा 143 की समीक्षा (6) (6) (ख) कंपनियों के अधिनियम, 2013 के आधार पर औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड की वित्तीय स्थिति 31 मार्च 2019 के लिए सीमित है।

औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अनुभाग में निर्धारित ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अधिनियम के 143 (10) वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा अपनी 12 अप्रैल 2019 की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर किया गया था।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से धारा 143 (6)(क) के अधिनियम की धारा 31 के तहत 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक ऑडिट का संचालन नहीं करने का फैसला किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/-

(नंदना मुंशी)

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड- II,
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 10.5.2019



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019.

The preparation of financial statements of the Industrial Credit Company Limited for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 12 April 2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of the Industrial Credit Company Limited for the year ended 31 March 2019 under section 143(6)(a) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**(Nandana Munshi)
Director General of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II,
New Delhi**

**Place: New Delhi
Date: 10.5.2019**



द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
(CIN-U65921DL1930GOI000216)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन
पत्र का विवरण

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED (CIN-
U65921DL1930GOI000216)

**BALANCE SHEET AS AT
MARCH 31, 2019**

Particulars		Note No.	As at	As at
			March 31, 2019	March 31, 2018
			Rs.	Rs.
I	इक्विटी और देयता			
	EQUITY AND LIABILITIES			
1	अंशधारि निधि			
	Shareholders' Funds			
	(क) शेयर कैपिटल	2	500,000	500,000
	(ख) आरक्षण और अधिशेष	3	(953,129)	(899,713)
3	वर्तमान देनदारियां			
	Current Liabilities			
	(क) अल्पकालिक उधार	4	942,354	821,827
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	5	75,684	114,836
	कुल		564,909	536,950
II.	संपत्ति			
	Assets			
2	वर्तमान संपत्ति			
	Current Assets			
	(क) व्यापार प्राप्य	6	-	-
	(ख) नकद और नकद समकक्ष	7	532,424	510,070
	(ग) अन्य करंट एसेट्स	8	32,485	26,880
	कुल		564,909	536,950
	वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स	1		
	संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।			
	Significant accounting policies and notes to financial statements			
	As per our report of even date attached.			

Ashok Shyam & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 011223N

Ashok Babu
Partner
Membership No. 089858

Place : New Delhi
Date:12.04.2019

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

D.R.Waghela
DIN NO.08072065

Anil Srivastava
DIN NO.07172660

Atul Jerath
DIN NO.7172664

Soumya Mukherjee
DIN NO.07911571



द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
(CIN-U65921DL1930GOI000216)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ
और हानि का विवरण

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED
(CIN-U65921DL1930GOI000216)

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR
THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

Particulars		Note No.	As at March 31, 2019 Rs	As at March 31, 2018 Rs
I	आय			
	ऑपरेशन से राजस्व		-	-
	अन्य आय	9	47,566	28,744
	कुल आय		47,566	28,744
II	व्यय			
	अन्य खर्च	10	98,172	243,266
	कुल खर्च		98,172	243,266
III	असाधारण वस्तुओं, पूर्व अवधि वस्तुओं और कर से पहले लाभ / (हानि)		(50,606)	(214,522)
	जोड़ें / (घटायें): अतिरिक्त साधारण आइटम		-	-
	जोड़ें / (घटायें): पूर्व अवधि आइटम		(2,810.00)	-
	जोड़ें / (घटायें): असाधारण आइटम		-	-
IV	कर से पहले लाभ / (हानि)		(53,416)	(214,522)
V	कर व्यय			
	निवल कर कर		-	-
	आस्थगित कर		-	-
VI	वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		(53,416)	(214,522)
	प्रति शेयर आय अर्जित करना:			
	बेसिक		(10.68)	(42.90)
	डायल्यूटेड		(10.68)	(42.90)
	वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स	1		
	संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।			

Ashok Shyam & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 011223N

Ashok Babu
Partner
Membership No. 089858
Place : New Delhi
Date:12.04.2019

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

D.R.Waghela
DIN NO.08072065

Anil Srivastava
DIN NO.07172660

Atul Jerath
DIN NO.7172664

Soumya Mukherjee
DIN NO.07911571



THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED (CIN-U65921DL1930GOI000216)

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

		As at March 31, 2019 Rs.	As at March 31, 2018 Rs.
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
कराधान से पहले वर्ष के लिए लाभ	Profit for the year before Taxation	(53,416)	(214,522)
के लिए समायोजन	Adjustments for		
वित्त व्यय (बैंक प्रभार)	Finance Expenses (Bank Charges)	220	110
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	Operating profit before Working Capital changes	(53,196)	(214,412)
वर्ष के दौरान आयकर भुगतान / (वापसी)	Income Tax payment / (refund) during the year	-	-
ऑपरेटिंग गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली नकदी	Cash used in operating activities	(53,196)	(214,412)
अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि / (कमतरम)	Increase/ (Decrease) in Other Current Liabilities	(39,152)	76,086
अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि (कमतरम)	Increase/ (Decrease) in Other Current Assets	(5,605)	(28,744)
ऑपरेटिंग गतिविधियों में उपयोग किया जाने वाला निवल नकदी	Net cash used in operating activities	(97,953)	(167,070)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES	-	-
वित्तीय गतिविधियों से वित्त प्रवाह	CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		
वित्त व्यय (बैंक प्रभार)	Finance Expenses (Bank Charges)	(220)	(110)
होल्डिंग कंपनी से उधार लेने में वृद्धि	Increase in borrowing from holding company	120,527	167,070
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	Net cash flow from Financial activities	120,307	166,960
छरू (कम्प्लैट) / वर्ष में नकद और नकद योग्यताओं में वृद्धि / वृद्धि	NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS DURING THE YEAR	22,354	(110)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	87,205	87,315
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	Cash and Cash Equivalents at the end of the year	109,559	87,205

ध्यान दें :

- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित नकद प्रवाह विवरण पर लेखा मानक (एएस -3) में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया गया है।
- नकद और नकद समकक्षों में निम्नलिखित शामिल हैं:

	As at March 31, 2019 Rs.	As at March 31, 2018 Rs.
रोड्यूल बैंकों में संतुलन/ Balances in schedule banks	87,205	87,315
	87,205	87,315

- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित और/या पुनर्वर्गीकृत किया गया है संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

Note :

- The Cash Flow Statement has been prepared as per the indirect method as set out in the Accounting Standard (AS-3) on cash Flow Statement notified under the Companies Act, 2013.
- The Cash and Cash equivalents comprise of the followings :

- Previous year figures have been regrouped and/or reclassified wherever necessary to conform to current year classification
As per our report of even date attached.

Ashok Shyam & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 011223N

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

D.R.Waghela
DIN NO.08072065

Atul Jerath
DIN NO.7172664

Ashok Babu
Partner
Membership No. 089858
Place : New Delhi
Date:12.04.2019

Anil Srivastava
DIN NO.07172660

Soumya Mukherjee
DIN NO.07911571



द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
(CIN-U65921DL1930GOI000216)

31 मार्च, 2019 तक वित्तीय विवरणों का
हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट्स: 1 वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां:

I. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

ये वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के आधार पर तैयार किए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसार।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची ष में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर नकदी और नकद समकक्षों में प्रसंस्करण और उनके प्राप्ति के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान – गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 महीने के लिए अपने परिचालन चक्र का पता लगाया है।

ख. वर्तमान चिन्ता:

कंपनी ने पिछले कई वर्षों से कोई संचालन नहीं किया है और रु. 953,129/- का नुकसान हुआ है। कंपनी का शुद्ध मूल्य समाप्त हो गया है। 31 मार्च 2019 तक वर्तमान देनदारियों ने अपनी वर्तमान संपत्ति 453,129/- रुपये से अधिक कर दी और कंपनी को 53,416 रुपये का नुकसान हुआ।

ये स्थितियाँ भौतिक अनिश्चितताओं के अस्तित्व को इंगित करती हैं जो कंपनी की संदेहात्मक देयता हैं क्योंकि यह एक ध्यान देने योग्य विषय है।

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED
(CIN:U65921DL1930GOI000216)

**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL
STATEMENTS AS ON MARCH 31, 2019**

**NOTES: 1 ACCOMPANYING NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS:**

I. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of Financial Statements:

These financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles in India under the historical cost convention on accrual basis. Pursuant to section 133 of the Companies Act, 2013.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current – non-current classification of assets and liabilities.

b. Going Concern:

The company has not undertaken any operations for past several years and has accumulated losses of Rs. 953,129/-. The net worth of company is eroded. As At 31st March 2019 the current liabilities exceeded its current assets by Rs.453,129/- and the company has incurred loss of Rs. 53,416.

These conditions indicate the existence of material uncertainties which may cast doubt as to the Company's ability to continue as a going concern.



ग. राजस्व मान्यता:

ब्याज आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

घ. कर लगाना:

i) वर्तमान कर

वर्तमान आयकर को भारत में लागू आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है और संबंधित कर न्यायालयों में प्रचलित कर कानून जहां कंपनी संचालित होती है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कर की दरें और कर कानून रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

ii) स्थगित कर

लेखा मानक 22 के अनुसार- भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आय पर करों के लिए लेखांकन, पुस्तक और वर्ष के लिए कर लाभ के बीच अंतर समय के लिए स्थगित कर कर दरों और कानूनों का उपयोग करके हिसाब किया जाता है जो बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित।

अस्थायी समय के अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि साक्ष्य के आधार पर आभासी निश्चितता का समर्थन किया जाता है ताकि भविष्य में संपत्ति का एहसास किया जा सके।

ङ. प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ

माप में पर्याप्त मात्रा में अनुमान लगाने वाले प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब अतीत की घटनाओं के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व होता है और संभावना है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा।

c. Revenue Recognition:

Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the applicable interest rate.

d. Taxation:

i) Current Tax

Current income-tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961 enacted in India and tax laws prevailing in the respective tax jurisdictions where the company operates. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date.

ii) Deferred Taxes

In accordance with Accounting Standard 22- Accounting for Taxes on Income, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted by using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the balance sheet date.

Deferred Tax Assets arising from temporary timing differences are recognized to the extent there is virtual certainty supported by convincing evidence that the assets can be realized in future.

e. Provisions and Contingent liabilities

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and are probable that there will



च. प्रति शेयर आय

कंपनी ईपीएस का पता लगाने में अर्जित आय में कर के बाद शुद्ध लाभ शामिल है (और किसी भी अतिरिक्त साधारण वस्तुओं के बाद के कर प्रभाव को शामिल करना) इक्विटी शेयरधारकों के कारण होता है। बेसिक ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या वर्ष के दौरान बकाया औसत शेयरों की संख्या है। डायल्यूटिड ईपीएस की गणना बेसिक ईपीएस के रूप में की जाती है, संभावित कपसनजपअम इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजन के बाद।

III. नोट्स टू अकाउंट

क. नोट: 06 मई, 1999 को एक पूर्व-पक्षीय मध्यस्थता पुरस्कार, सुश्री सरस्वती वार्ष्णेय (स्वर्गीय श्रीमती रामा देवी वार्ष्णेय की पुत्री) के पक्ष में पारित किया गया था, जिसे 20 अगस्त, 1999 को अदालत का नियम बनाया गया था (मूल आदेश सूट पूर्व पार्टी स्वर्गीय श्रीमती रामा देवी वार्ष्णेय की संख्या 277/71 और रुपये के लिए एक डिक्री 30,82,541.82 रुपये कंपनी के खिलाफ पारित किया गया था। एक निष्पादन मामला सं. 03/3000 के बाद दी गई राशि पर लागू दर पर भविष्य की ब्याज के साथ उपरोक्त राशि की वसूली के लिए डिक्री धारक द्वारा 11/2000 दायर किया गया था। आगे, कंपनी ने मांग की है और II दक के अतिरिक्त सिविल जज, अलीगढ़ के समक्ष मामला दायर किया है। सीनियर डिवीजन अलीगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 15/02/2018 को रद्द कर दिया है। अपील दायर करने की सीमा अवधि समाप्त हो गई है और कोई अपील दायर नहीं की गई है। सुश्री सरस्वती वार्ष्णेय द्वारा अलीगढ़ जिला न्यायालय में मामले की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

be an outflow of resources.

f. Earnings Per Share

The earning considered in ascertaining the Company EPS comprises the net profit after tax (and include the post-tax effect of any extra ordinary items) attributable to equity shareholders. The number of shares used in computing Basic EPS is the weighted average number of shares outstanding during the year. The diluted EPS is calculated on the same as basic EPS, after adjusting for the effect of potential dilutive equity shares.

III. Notes to Account

a. Note: An ex-party arbitration award dated May 06, 1999 was passed in favour of Ms. Saraswati Varshney (daughter of Late Smt. Rama Devi Varshney), which was made a rule of court on August 20, 1999 (vide original order suit no. 277/71 of ex-party Late Smt. Rama Devi Varshney) and a decree for Rs. 30,82,541.82 was passed against the Company. An execution case bearing no. 11/2000 was filed by the decree holder for recovery of the aforesaid amount along with future interest at applicable rate on the awarded amount after March 03, 2000. Further, the company has contested the demand and filed a case before II nd Additional Civil Judge, Aligarh. The learned ACJ IInd (Senior Division) Aligarh vide its order dated 15/02/2018 has dismissed the aforesaid case. The limitation period for filing the appeal is expired and no appeal is filed. An Application for restoration of case has been filed by Ms. Saraswati Varshney in Aligarh District Court.



ख. लेखा परीक्षकों को भुगतान

B. PAYMENT TO AUDITORS

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
	(Rs)	(Rs)
(i) लेखापरीक्षा फिस/Audit Fee	15,000/-	15,000/-

* सेवा कर के अलावा/*Exclusive of service tax

ग. संबंधित पार्ट छूट
संबंधित पक्षों की सूची

c. RELATED PARTY DISCLOSURES

List of related parties

कंपनी का नाम Name of Party	संबंध Relationship
दि ओरियण्टल इश्योरेंस कं. लि. The Oriental Insurance Co. Ltd.	Holding Company

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

Transactions with Related Parties during the year

विवरण Particulars	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
लेन-देन/ Transactions	(Rs)	(Rs)
होल्डिंग कंपनी से ऋण व्यय की आय कंपनी ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वहन की जाती है। Loan from Holding Company Expenses Incurred are borne by the holding Company "The Oriental Insurance Co. Ltd."	1,20,527/-	1,67,070/-
समाप्ति के समय बकाया/ Closing balance	9,42,354/-	8,21,827/-



घ. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

D. EARNING PER SHARE (EPS)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
		(Rs)	(Rs)
वर्ष के लिए लाभ (हानि) (ए)	Profit /(Loss) for the year(A)	(53,416)	(2,14,522)
इक्विटी शेयरों की संख्या (बी)	Number of Equity Shares (B)	5,000	5,000
प्रति शेयर लाभ (ए / बी)	Profit Per Share (A/B)	(10.68)	(42.90)

ड निदेशकों ने बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए बैठने की फीस माफ कर दी है।

च. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के कारण नहीं है।

छ. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनरु व्यवस्थित, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्गठित किया गया है।

संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

e. The directors have waived the sitting fee for attending the Board Meeting.

f. According to the information and explanations given to us, the Company has no due to suppliers registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

g. Previous year's figures have been regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary.

As per our report of even date attached.

Ashok Shyam & Associates

Chartered Accountants

Firm Registration No. : 011223N

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

D.R.Waghela

DIN NO.08072065

Atul Jerath

DIN NO.7172664

Ashok Babu

Partner

Membership No. 089858

Place : New Delhi

Date:12.04.2019

Anil Srivastava

DIN NO.07172660

Soumya Mukherjee

DIN NO.07911571



नोट -2 शेयर पूंजी

NOTE-2 SHARE CAPITAL

		As at March 31, 2019 Rs.	As at March 31, 2018 Rs.
अधिकार दिया गया	Authorised		
10,000 (पिछला वर्ष 10,000) इक्विटी शेयर प्रत्येक 100 रु	10,000 (Previous Year 10,000) Equity Shares of Rs. 100/- each	1,000,000	1,000,000
जारी किए गए	Issued		
5,050 (पिछले वर्ष 5,050) 100/- रुपये के इक्विटी शेयर।	5,050 (Previous Year 5,050) Equity Shares of Rs. 100/-	505,000	505,000
सब्सक्राइड और पेड-अप	Subscribed and Paid-up		
5,000 (5,000) इक्विटी शेयर 100/- रु. प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान किया (ऊपर शेयरों के 5,000 (पिछले वर्ष 5,000) इक्विटी शेयरों द्वारा आयोजित की जाती हैं	5,000 (5,000) Equity Shares of Rs. 100/- each fully paid up (of the above Shares, 5,000 (Previous Year 5,000) Equity Shares are held by		
होल्डिंग कंपनी और उसके नामित निदेशक)	Holding Company & its nominee Directors)	500,000	500,000
कुल	Total	500,000	500,000

शेयरों की संख्या का सामंजस्य

Reconciliation of Number of Shares

		As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
सामान्य शेयर:	Equity Shares:		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	Balance at the beginning of the year	5,000	5,000
जोड़ें: जारी किए गए शेयरों की संख्या	Add: Number of Shares Issued	-	-
वर्ष के अंत में संतुलन	Balance at the end of the year	5,000	5,000

कंपनी में कुल शेयरों का 5: से अधिक हिस्सा रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

Details of shares held of shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company

विवरण	Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018	Percentage of Holding
सामान्य शेयर:	Equity Shares:			
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और इसके नामित निदेशक हैं	The Oriental Insurance Company Limited (Holding Company) & its nominee directors	5,000 (100%)	5,000 (100%)	94.99%



NOTE-3: RESERVES & SURPLUS

		As at March 31, 2019	As at March 31,2018
लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष / (कमी)	Surplus/(Deficit) in Statement of Profit & Loss		
वर्ष की शुरुआत में	as at the beginning of the year	(899,713)	(685,191)
जोड़ें: वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	Add: Net Profit / (Loss) for the year	(53,416)	(214,522)
वर्ष के अंत में शेष राशि	Balance as at the end of the year	(953,129)	(899,713)
कुल	Total	(953,129)	(899,713)

NOTE-4 : SHORT TERM BORROWINGS

		As at March 31, 2019 Rs	As at March 31,2018 Rs.
असुरक्षित ऋण:	Unsecured Loan:		
- होल्डिंग कंपनी प्द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से	- From the Holding Company "The Oriental Insurance Company Ltd"	942,354	821,827
कुल	Total	942,354	821,827

NOTE-5 : OTHER CURRENT LIABILITIES

		As at March 31, 2019 Rs	As at March 31,2018 Rs.
अन्य देनदारियां	Other payables	52,180	114,836
जीएसटी का भुगतान	GST payables	13,849	-
टीडीएस देय - विलंब शुल्क	TDS Payable - Late Fees	9,655	-
		75,684	114,836

NOTE - 6 : TRADE RECEIVABLES

		As at March 31, 2019 Rs	As at March 31,2018 Rs.
असुरक्षित, माना हुआ संदिग्ध	Unsecured, Considered doubtful		
तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया	Outstanding for a period exceeding six months from the date		
वे भुगतान के कारण हैं	they are due for payment	-	37,973
घटायें: संदिग्ध ऋणों का प्रावधान	Less : Provision for doubtful debts	-	37,973
कुल	Total	-	-



NOTE - 7 CASH AND CASH EQUIVALENTS

		As at	As at
		March 31, 2019	March 31, 2018
		Rs	Rs.
नकद और नकद समकक्ष	Cash and Cash Equivalents		
बैंक बैलेंस	Bank balances		
- करंट अकाउंट में	- In Current Account	86,985	87,205
बैंक के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट	Fixed deposits with bank	445,439	422,865
कुल	Total	532,424	510,070

NOTE - 8 OTHER CURRENT ASSETS

		As at	As at
		March 31, 2019	March 31, 2018
		Rs	Rs.
प्राप्त करने योग्य ब्याज	Interst Receivables	88	88
टीडीएस प्राप्य	TDS Receivables	32,397	26,792
कुल	Total	32,485	26,880

NOTE - 9 : OTHER INCOME

		As at	As at
		March 31, 2019	March 31, 2018
		Rs	Rs
सावधि जमा पर ब्याज	Interest on fixed deposits	28,179	28,744
संदिग्ध ऋणों के प्रावधान का उलटा	Reversal of Provision of Doubtful Debts	19,387	-
उप योग	Sub Total	47,566	28,744

NOTE - 10 : OTHER EXPENSES

		As at	As at
		March 31, 2019	March 31, 2018
		Rs	Rs
परामर्श शुल्क	Consultancy charges	55,568	225,456
ऑडिट फीस	Audit fee	18,880	17,700
बैंक शुल्क	Bank charge	220	110
ब्याज और लेट फीस सहित सांविधिक बकाया	Statutory Dues including Interest and Late Fees	23,504	-
उप योग	Sub Total	98,172	243,266

समेकित वित्तीय विवरण

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यहां पर 'होल्डिंग कंपनी' के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनी (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ 'समूह') और इसके सहयोगियों के रूप में समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें समेकित 31 मार्च, 2019 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित राजस्व खाते और वर्ष की समाप्ति पर समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (बाद में 'समेकित वित्तीय विवरण') के रूप में संदर्भित सहित वित्तीय विवरणों पर नोट शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार, हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 इस प्रकार से आवश्यक है और बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई विनियम, 2002, द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आवश्यक जानकारी देना और इस तरह से आवश्यक और सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देना 31 मार्च, 2019 को समूह के मामलों की स्थिति में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, और वर्ष की समाप्ति पर इसकी हानि और इसके नकदी प्रवाह की जानकारी दी गई।

योग्य राय के लिए आधार

- बीमा/पुनर्बीमा व्यवसाय में रहें अन्य व्यक्तियों या निकायों से/के कारण राशियों का शेष, नकदीकरण कंपनियों के साथ आरक्षित जमा, एजेंट शेष, प्रीमियम जमा और एजेंट का प्रीमियम, विविध देनदार, विविध लेनदार, अंतर-कार्यालय शेष, अज्ञात डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियां बैंक में कुछ मामलों में खाते, कर्मचारी शेष

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED** (hereinafter referred to as "the Holding Company") and its Subsidiary (Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group") and its associates, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2019, the Consolidated Statement of Profit and Loss, Consolidated Revenue accounts & the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion* section of our report, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give the information required by The Insurance Act 1938, the IRDAI Regulations, 2002, as amended from time to time and the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Group as at 31st March, 2019 and its loss and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

- Balances of amounts due to/from other persons or bodies carrying on insurance/reinsurance business, reserve deposit with ceding companies, agent balances, premium deposits and agent's premium, sundry debtors, sundry creditors, inter office balances, unidentified debit/ credit entries in bank accounts, employee balances and



और अग्रिम शेष राशि सुलह/पुष्टि लंबित हैं। (अनुसूची 16 का नोट ख 22 देखें)। परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, 31 मार्च, 2019 को राजस्व खातों, लाभ और हानि खाते, भंडार और अधिशेष और परिसंपत्तियों और देनदारियों के ऊपर पुष्टि/सामंजस्य पर समायोजन, पता लगाने योग्य नहीं हैं और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(ii) इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड के लिए वित्तीय विवरण, सिंगापुर एसोसिएट्स एक्ट, अध्याय 50 द्वारा आवश्यक के रूप में सिंगापुर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (एफआरएस) के अनुसार एक सहयोगी तैयार किया गया है, जो होल्डिंग कंपनी की वित्तीय तैयारी में उपयोग किए गए ढांचे से अलग है, समेकन की प्रक्रिया के दौरान लेखांकन समायोजन कंपनी के खातों को संरेखित करने के लिए नहीं किया गया है, जिसका प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय वक्तव्यों (एसएस) के हमारे ऑडिट का आयोजन किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का आगे शॉडिटर की जिम्मेदारियों में वर्णन किया गया है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग का लेखा परीक्षा। हम समूह और सहयोगी कंपनियों से स्वतंत्र हैं, जो भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई शआचार संहिता के अनुसार नैतिक आवश्यकताओं के साथ है जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं।, 2013 और उसके नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

सामग्री अनिश्चितता गोइंग कंसर्न से संबंधित

हम इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की

advances balances are pending reconciliation/confirmation in certain cases. (Refer Note B22 of Schedule 16). Consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/reconciliation of above on revenue accounts, profit and loss account, reserves and surplus and assets and liabilities as on 31st March, 2019, are not ascertainable and cannot be commented upon.

(ii) The financial statements for the India International Insurance Pte Ltd, an associate have been prepared in accordance with Singapore Financial Reporting Standards (FRS) as required by the Singapore Companies Act, Chapter 50 which is different from the framework used in preparation of financials of Holding company, during the process of consolidation accounting adjustment have not been made to align the accounts of company, the effect of which is not ascertainable.

We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements' section of our report. We are independent of the Group and associate companies in accordance with the 'Code of Ethics' issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the consolidated financial statements.

Material Uncertainty Related to Going Concern

We also draw attention to the following Material



ऑडिट राय में एक स्वतंत्र ऑडिटर, मैसर्स अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट वीडियोग्राफी द्वारा जारी की गई कंपनी की सहायक कंपनी की ऑडिट राय में निम्नलिखित सामग्री अनिश्चितता से संबंधित ध्यान आकर्षित करते हैं। दिनांक 12/04/2019 को इसकी रिपोर्ट निम्नानुसार है:

हम अनुसूची 16 के नोट बी 1 ए की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो यह इंगित करता है कि कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 53 (हजार में) का शुद्ध घाटा उठाया है और तारीख के अनुसार कंपनी की वर्तमान देनदारियां अपनी वर्तमान संपत्ति 453 रुपये (हजारों में) से अधिक हो गईं। कंपनी ने पिछले कई वर्षों से कोई ऑपरेशन नहीं किया है और उसने 953 रुपये (हजारों रुपये) का घाटा उठाया है। कंपनी का शुद्ध मूल्य समाप्त हो गया है। इन घटनाओं या स्थितियों से भौतिक अनिश्चितताओं के अस्तित्व का संकेत मिलता है जो कंपनी की क्षमता को संदेह के रूप में जारी रख सकते हैं।

मामले पर जोर :

हम वित्तीय विवरणों में नोटों में निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क) मोटर एक्सओएल की वसूली के संबंध में अनुसूची 16 की नोट संख्या बी 4 (बी) 3596500 रुपये से कम है (हजारों में) और मोटर पूल और डीआर बॉग के दावों की अनजाने बुकिंग के कारण निवल आईबीएनआर पर परिणामी प्रभाव पिछले में एक्सओएल संधियों में वसूली योग्य के रूप में दिखाया गया है। साल। नतीजतन, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नुकसान उस सीमा तक अधिक है।
- ख) 31 मार्च, 2019 तक IL&FS समूह में 3583861 रुपये (हजार में) में निवेश जोखिम रखने वाली होल्डिंग कंपनी के संबंध में अनुसूची 16 की नोट संख्या ख20.8 और होल्डिंग कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान।
- ग) होल्डिंग कंपनी के पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन ट्रस्टों के आईएल एंड एफएस ग्रुप में रूप 770000 (हजार में) और वर्ष के अंत में लेखांकन मानक एएस-15 कर्मचारी लाभ के अनुसार पीएफ, पेंशन और ग्रेच्युटी प्रावधानों

Uncertainty Related to Going Concern para in the audit opinion of the financial statements of Industrial Credit Company Limited, a subsidiary of holding company issued by an independent auditor, M/s Ashok Shyam & Associates, Chartered Accountants vide its report dated 12/04/2019 which is reproduced as under:

We draw attention to Note B1A of Schedule 16, which indicates that the Company incurred a net loss of Rs. 53 (in Thousand) during the year ended 31st March, 2019 and, as of date, the company's current liabilities exceeded its current assets by Rs. 453 (in Thousand). The Company has not undertaken any operations for past several years and has accumulated losses of Rs. 953 (in Thousand). The net worth of the Company is eroded. These events or conditions indicate the existence of material uncertainties which may cast doubt as to the Company's ability to continue as going concern.

Emphasis Of Matter :

We draw attention to the following matters in the Notes to the financial statements:

- a) Note No. B4 (b) of Schedule 16 regarding Motor XOL amount recoverable lower by Rs. 3596500 (In Thousand) and consequential effect on Net IBNR thereon, due to the inadvertent booking of claims of Motor Pool and DR Pool shown as recoverable in XOL treaties in previous year. Consequently, loss for the year ended 31st March, 2019 is higher to that extent.
- b) Note No. B20.8 of Schedule 16 regarding the Holding Company having an investment exposure of Rs. 3583861 (in Thousand) in IL&FS Group as on 31st March, 2019 and the provision made by the Holding Company.
- c) Note No. B20.9 of Schedule 16 regarding exposure of the Holding Company's P.F., Gratuity and Pension Trusts in IL&FS Group amounting to Rs. 770000 (In thousand) and not considering the impairment, if any while calculating P.F., Pension and Gratuity



की गणना करते समय किसी भी तरह की हानि पर विचार नहीं किया गया है।

- घ) नोट संख्या ख21 की संख्या 16 में कुछ संपत्तियों के शीर्षक दस्तावेजों की गैर-उपलब्धता के बारे में और अचल संपत्तियों सहित अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड पूर्ण और / या कुछ मामलों में आवश्यकतानुसार बनाए नहीं रखे गए हैं।
- ङ) नोट संख्या ख25(ख)(i) अनुसूची 16 के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना की संपूर्ण प्रीमियम की लेखा नीति में बदलाव के बारे में – वर्ष के दौरान यूपीआर प्रदान करने के बजाय उसे हाइपरथो का पालन किया जा रहा है। बदलाव के कारण वर्ष के लिए नुकसान 1637608 रुपये (हज़ारों में) कम है।
- च) नोट संख्या 25 (ग) अनुसूची 16 के अनुसार “आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ गुजरात राज्य को 45%, 45% और 10% की 3 किस्तों में प्रीमियम प्राप्य है। होल्डिंग कंपनी ने हालांकि चालू वित्त वर्ष में उक्त पॉलिसी पर पूरे प्रीमियम का हिसाब रखा है, हालांकि दूसरी और तीसरी किस्त (शुद्ध प्रभाव रु. 422782 (हज़ारों में)) वित्तीय वर्ष में तुरंत प्राप्त करने योग्य हैं।
- छ) पुनर्स्थापना बीमा प्रीमियम की राशि के बारे में अनुसूची 16 की नोट संख्या बी28 (बी) के कारण खाते में अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके दावों पर संबंधित प्रभाव होने के कारण बेहिसाब रहता है।
- ज) नोट नंबर बी31 (2) (ब) अनुसूची 16 के बारे में अधिसूचना एसओ1627 (ई) दिनांक 23 अप्रैल 2019 को सामान्य बीमा (कर्मचारी) पेंशन संशोधन योजना, 2019 पर। कंपनी ने सभी के डेटाबेस के संकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है कर्मचारी जिसे स्कीम ने पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया है। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कंपनी का दायित्व उन कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो निर्दिष्ट अवधि के भीतर योजना का चयन

provisions as per Accounting Standard AS-15 “Employee Benefits” at the year end.

- d) Note No. B21 of Schedule 16 regarding non availability of title documents of certain properties and records of fixed assets including immovable properties are not complete and/or not maintained as required in certain cases.
- e) Note No. B25 (b) (i) of Schedule 16 regarding change in accounting policy of booking of entire premium of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – Kharif during the year instead of providing UPR being followed hitherto. Due to the change the loss for the year is lower by Rs. 1637608 (in Thousand).
- f) Note No. 25(c) of Schedule 16 regarding issue of “Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana” healthcare insurance cover to the State of Gujarat with the premium receivable in 3 instalments of 45%, 45% and 10%. The Holding Company however has accounted for the entire premium on the said policy in the current financial year, though the second and third instalments (net impact Rs. 422782 (in Thousand)) are receivable in immediately succeeding financial year.
- g) Note No. B28(b) of Schedule 16 regarding amount of reinstatement insurance premium remains unaccounted having corresponding effect on the claims incurred account for which quantum remains indeterminate.
- h) Note No. B31 (2) (c) of Schedule 16 regarding Notification no. S.O. 1627 (E) dated 23rd April 2019 on General Insurance (Employees) Pension Amendment Scheme, 2019. The Company has started the process of compilation of databases of all the employee to whom the scheme has given an option for opting for pension scheme. The obligation of the Company in respect of such employees would be determined on the basis of the number of employees who opt for the scheme within the specified period and would



करते हैं और उसी के अनुसार हिसाब लगाया जाएगा।

- झ) 01.08.2017 से कर्मचारी वेतन संशोधन की देयता के गैर प्रावधान के बारे में अनुसूची 16 के नोट नंबर बी 31 (एफ)।
- ण) सरकार की ओर से 1957 रुपये (हजार) में आरएसबीवाई की प्रीमियम प्राप्य के संबंध में अनुसूची 16 की नोट संख्या बी39 देखें।
- त) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनी के बारे में अनुसूची 16 की नोट संख्या बी41 देखें।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

be accounted for accordingly.

- i) Note No. B31(f) of Schedule 16 regarding non provision of liability of employee's wage revision due w.e.f. 01.08.2017.
- j) Note No. B39 of Schedule 16 regarding premium receivable of RSBY amounting to Rs. 1957 (In Thousand) from Government.
- k) Note No. B41 of Schedule 16 regarding the Holding Company not complying with the requirements of disclosure under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

क्र. सं. S. No.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले Key Audit Matter	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया Auditor's Response
1	<p>बकाया दावों की वैधता ('ओसी')</p> <p>किए गए दावों सहित, लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई ("IBNR")</p> <p>कंपनी के पास आईबीएनआर से संबंधित दावों सहित महत्वपूर्ण बकाया दावे हैं और इनमें निर्णय और अनुमानों का उपयोग आवश्यक है। IBNR से संबंधित दावों सहित ऋ भविष्य में दावों के निपटान के लिए अनुमान हैं जो कई कारकों से प्रभावित हैं जिनमें ऐतिहासिक दावों की गंभीरता, ऐतिहासिक दावों की आवृत्ति और विनियमों में परिवर्तन शामिल हैं। विशेष रूप से, मोटर बीमा अनुबंधों के तहत मृत्यु या विकलांगता से उत्पन्न होने वाले दावों में भविष्य की घटनाओं के बारे में जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं, दोनों व्यापार के लिए आंतरिक और बाहरी, जिसके लिए मान्यताओं में छोटे परिवर्तन इन देनदारियों के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं।</p> <p>स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और कंपनी की लेखा नीति के लिए नोट ए6.1.घ देखें।</p>	<p>प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने 5000 रुपये (हजार) के दावों के लिए सहायक दस्तावेजों के माध्यम से बकाया दावों के लिए प्रदान की गई देनदारियों को सत्यापित किया और वर्ष के दौरान ३१ मार्च २०१६ को समाप्त होने के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन दावों का उचित अनुमान लगाया गया और दर्ज किया गया। हमने कंपनी द्वारा एक्ट्यूरी को दिए गए आंकड़ों के आधार पर, नमूने के आधार पर नियंत्रण का परीक्षण किया। हमने कंपनी द्वारा किए गए दायित्व के खिलाफ आईबीएनआर प्रावधानों को स्वतंत्र नियुक्त एक्ट्यूरी की रिपोर्ट में सुझाए गए प्रावधानों के साथ सत्यापित किया। हमने आईआरडीएआई/लेखा मानकों के लागू नियमों के संदर्भ में कंपनी के संबंधित प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया।



<p>Valuation of outstanding claims (“OC”) including claims incurred But Not Reported (“IBNR”)</p> <p>The Company has significant outstanding claims including claims relating to IBNR and these require use of judgements and estimates. OC including claims relating to IBNR are estimates for settlement of claims in future which are impacted by a number of factors which includes the trends in severity of historical claims, frequency of historical claims, and changes in regulations. In particular, the claims arising from death or disability covered under motor insurance contracts involve complex and subjective judgments about future events, both internal and external to the business, for which small changes in assumptions can materially impact the valuation of these liabilities.</p> <p>Refer Note to the A7.1.d Standalone Financial Statements and Company’s accounting policy.</p>	<p>Principal Audit Procedures</p> <ul style="list-style-type: none"> We verified the liabilities provided for outstanding claims through supporting documents for claims of Rs. 5000 (In Thousand) and above during the year ended 31st March, 2019 to ensure that these claims were appropriately estimated and recorded. We performed test of controls, on sample basis, on the data given by the Company to the Actuary. We verified the IBNR provisions against liability made by the Company with the provisions recommended in the report of the independent appointed actuary. We assessed the adequacy of the Company’s related disclosures by reference to applicable regulations of IRDAI/accounting standards.
<p>2 अनिश्चित कर पदों का मूल्यांकन</p> <p>कंपनी के पास विवाद के तहत मामलों सहित सामग्री अनिश्चित कर स्थिति है, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।</p> <p>स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 16 के नोट बी 1 (ई) का संदर्भ लें।</p> <p>Evaluation of uncertain tax positions</p> <p>The Company has material uncertain tax positions including matters under dispute which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.</p> <p>Refer Note B1 (e) of Schedule 16 to the Standalone Financial Statements.</p>	<p>प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया</p> <p>हमने प्रबंधन से 31 मार्च, 2019 तक समाप्त कर मूल्यांकन और मांगों का विवरण प्राप्त किया। कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणामों के आकलन में प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए हमने अपने आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया। हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी प्रक्रिया और अन्य फैसलों पर भी विचार किया। हमने सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों की स्थिति और वर्ष में प्रबंधन के निर्णयों में किसी भी बदलाव को समझने के लिए प्रबंधन की कर टीम के साथ मुलाकात की। हम कर प्राधिकारियों और कंपनी के बाहरी कर सलाहकारों / वकीलों के साथ पत्राचार पढ़ते हैं ताकि दर्ज अनुमानों के हमारे आकलन का मूल्यांकन किया जा सके और दर्ज किए गए प्रावधानों की पूर्णता का मूल्यांकन किया जा सके और इन अनिश्चितताओं पर प्रबंधन की स्थिति में कोई बदलाव आवश्यक था या नहीं।</p> <p>Principal Audit Procedures</p> <p>We obtained details of completed tax assessments and demands till the year ended March 31, 2019 from the management. We involved our internal experts to evaluate the management’s underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. Our internal experts also considered legal precedence and other rulings in evaluating management’s position on these uncertain tax positions. We met with management’s tax team to understand the status of all significant provisions, and any changes to management’s judgements in the year. We read correspondence with tax authorities and Company’s external tax advisors/lawyers to evaluate our assessment of recorded estimates and evaluate the completeness of the provisions recorded and whether any change was required to management’s position on these uncertainties.</p>



<p>3</p>	<p>विवादित सेवा कर मामलों पर प्रावधान और आकस्मिकता</p> <p>कंपनी के पास विवाद के तहत सामग्री सेवा कर मामले हैं, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।</p> <p>स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 16 के नोट नंबर बी 1 (ई) का संदर्भ लें।</p> <p>Provisions and contingencies on disputed service tax matters</p> <p>The Company has material service tax matters under dispute which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.</p> <p>Refer Note No. B1(e) of Schedule 16 to the Standalone Financial Statements.</p>	<p>प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित मूल प्रक्रियाएँ शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रबंधन से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष तक पूर्ण सेवा कर आकलन और मांगों का विवरण प्राप्त किया। • प्रमुख अनिश्चित सेवा कर पदों के लिए प्रबंधन द्वारा चुनिंदा प्रमुख पत्राचार, बाहरी कानूनी परामर्श पढ़ें और विश्लेषण करें। • विवादित सेवा कर की मांग को आकस्मिक देनदारी के रूप में मानने के लिए उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन और मूल्यांकित प्रबंधन की अंतर्निहित प्रमुख मान्यताओं के साथ चर्चा की गई। • हमारे आंतरिक विशेषज्ञों की सहायता से विवादित मामलों के संभावित परिणाम का प्रबंधन प्रबंधन का अनुमान। <p>Principal Audit Procedures</p> <p>Our audit procedures include the following substantive procedures :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obtained details of completed service tax assessments and demands till the year ended March 31, 2019 from the management. • Read and analysed select key correspondences, external legal consultations by management for key uncertain service tax positions. • Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in treating the disputed service tax demand as contingent liability. • Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed cases with the help of our internal experts.
----------	--	--

समेकित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Holding Company's management and Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Holding Company's Annual Report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent



या अन्यथा भौतिक रूप से प्रकट होता है उपेजंजमक। यदि, हमने इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर काम किया है, तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होलिडिंग कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013, बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई विनियम 2002 की आवश्यकताओं के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है जो एक सच्चा देता है और समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में निष्पक्ष दृष्टिकोण भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल हैं, कंपनी के नियम 7 के साथ पढ़ें (लेखा) नियम, 2014, संशोधित। होलिडिंग कंपनी के संबंधित बोर्ड के निदेशक, उसके सहायक और एसोसिएट्स कंपनी अधिनियम, 2013, बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। समूह और सहयोगी कंपनियों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और इससे मुक्त हैं सामग्री का गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, जिसका उपयोग होलिडिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा पूर्वोक्त रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह और सहयोगी कंपनियों में शामिल कंपनियों और सहयोगी कंपनियों की क्षमता का आकलन करने, विषयों पर जोर ध्यान देने, खुलासा, लागू

with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation and preparation of these consolidated financial statements in terms of the requirements of the Companies Act, 2013, The Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations 2002, as amended from time to time that give a true and fair view of the consolidated financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, as amended. The respective Board of Directors of the Holding Company, its Subsidiary and Associates are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, The Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations 2002, as amended from time to time for safeguarding of the assets of the Group and associate companies and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of presentation of the consolidated financial statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.



होने में, संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करते हुए, जब तक प्रबंधन या तो समूह और सहयोगी कंपनियों को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए संबंधित निदेशक मंडल समूह जिम्मेदार हैं।

समूह और सहयोगी कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और सहयोगी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें यथोचित रूप से इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and associate companies are responsible for assessing the ability of the Group and associate companies to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group and associate companies or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and associate companies are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and associate companies.

Auditor's responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the



- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि होल्डिंग कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और ऑडिट साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि क्या कोई ऐसी घटना या स्थिति से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और सहयोगी कंपनियों की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है ताकि इसे जारी रखा जा सके। वर्तमान चिन्ता। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों से समूह और सहयोगी कंपनियों को एक चिंता का विषय के रूप में जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह और सहयोगी कंपनियों के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें। हम ऐसी संस्थाओं के वित्तीय वक्तव्यों के ऑडिट की दिशा, override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the holding company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and associate companies to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and associate companies to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and associate companies to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the



पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से समेकित वित्तीय वक्तव्यों में हम स्वतंत्र ऑडिटर हैं। समेकित वित्तीय वक्तव्यों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिन्हें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए ऑडिट की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी ऑडिट राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

हम होल्डिंग कंपनी के प्रशासन के साथ अन्य मामलों में, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में उन लोगों से संवाद करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम एक बयान के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू संबंधित सुरक्षा उपायों पर उचित रूप से सोचा जा सकता है।

शासन पर आरोप लगाने वाले मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों के लिए उचित रूप से अपेक्षित होगा इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ पल्ला झुकना।

अन्य मामलों

- (i) हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण रुपये की कुल संपत्ति को दर्शाते हैं। 565 (हजारों में) 31,2019 को, रु .8 का कुल राजस्व (हजार में) और शुद्ध नगद रु. 22 (हजार में) वर्ष के लिए उस तारीख को समाप्त हो गया, जैसा कि समेकित वित्तीय वक्तव्यों

direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the Holding Company regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

- (i) We did not audit the financial statements of one subsidiary, whose financial statements reflect total assets of Rs. 565 (in Thousand) as at March 31,2019, the total revenues of Rs.48 (in Thousand) and net cash outflows of Rs. 22 (in Thousand) for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The



में माना जाता है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों में समूह का हिस्सा भी शामिल है, जो कुल लाभ के रूप में दो सहयोगियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणिका में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रु 27590 (हजार में) है, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित इन वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय से सुसज्जित है, अब तक यह इन सहायक और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट अब तक यह उपरोक्त सहायक और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

- (ii) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वार्षिक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा एचके चौधरी एंड कंपनी द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक अन्य फर्म के साथ संयुक्त रूप से की गई और लेखा परीक्षकों ने 17 मई 2018 को संपन्न ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में संशोधित राय व्यक्त की।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो काम पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) द्वारा आवश्यक है, हम होल्डिंग कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए उप-निर्देशों सहित 'अनुलग्नक-ए' निर्देशों के साथ संलग्न हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियमों, 2002 के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और रिपोर्ट की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए आवश्यक है। सहायक और सहयोगियों के

consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of Rs 27590 (in Thousands) for the year ended 31st March, 2019, as considered in the consolidated financial statements in respect of two associates, whose financial statements/financial information have not been audited by us. These financial statements/financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary and associates and our report in terms of sub-section (3) of Section 143 of the Companies Act, 2013 in so far as it relates to the aforesaid subsidiary and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

- (ii) The audit of consolidated annual financial statements for the year ended March 31, 2018 were carried out by H. K. Chaudhry & Co. jointly with another firm of chartered accountants, and the Auditors had expressed a modified opinion in relation thereto vide audit report dated 17th May, 2018.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- As required by section 143(5) of the Companies Act, 2013, we enclose here with in "Annexure-A", the directions including sub- directions issued by the Comptroller & Auditor General of India in relation to Holding Company.
- As required by Section 143 (3) of the Companies Act, 2013 and the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, based on our audit and on the consideration of reports of other auditors on separate financial statements



अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों, जैसा कि शून्य मामलेश पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम इस हद तक रिपोर्ट करते हैं:

- (क) हमने उपरोक्त योग्य योग्यता पैराग्राफ के लिए बेसिस में वर्णित मामलों को छोड़कर और सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे अच्छा है, जो पूर्वोक्त समेकित वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट के उद्देश्य से आवश्यक थे।
- (ख) उपरोक्त योग्य अर्हता अनुच्छेद के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकों को अब तक रखा गया है जैसा कि यह प्रतीत होता है उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से।
- (ब) समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि के समेकित विवरण, समेकित राजस्व खाते और इस रिपोर्ट के साथ समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ सहमति है।
- (घ) हमारी राय में योग्य राय पैरा के लिए बेसिस में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जो संबंधित नियमों के साथ सीमा तक और जिस तरह से आवश्यक है जारी किए गए हैं।
- (ङ) बेसिस पर योग्य राय के पैरा में वर्णित मामला, हमारी राय में, समूह के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- (च) (च) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधान अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) 5 जून 2015 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर

of subsidiary and associates, as noted in the 'other matter' paragraph, we report to the extent applicable that:

- (a) We have sought and except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid consolidated financial statements;
- (b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the report of other auditors.
- (c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss, Consolidated Revenue accounts and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation for consolidated financial statements.
- (d) Except for the possible effects to the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder to the extent applicable and in the manner so required.
- (e) The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have adverse effects on the functioning of the Group.
- (f) The provisions of section 164(2) of the Companies Act, 2013 are not applicable to



होलिडिंग कंपनी के निदेशकों पर लागू नहीं हैं। भारत में निगमित दोनों की सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, समूह की कंपनियों के निदेशकों में से कोई भी भारत में शामिल नहीं है। 31 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

(छ) होलिडिंग कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में, भारत में निगमित इसकी सहायक और सहयोगी कंपनी और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता 'अनुबंध- ठ' में हमारी अलग रिपोर्ट को संदर्भित करती है।

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधन किया गया है:

अधिसूचना अधिनियम जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के मद्देनजर होलिडिंग कंपनी और सहायक कंपनी के निदेशकों को देय / देय देय पर लागू नहीं है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। भारत में निगमित एसोसिएट कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, उसके निदेशकों को देय / देय पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ट के साथ पढ़े गए धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

3. उप-धारा के खंड (जे) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में। 3) अधिनियम की धारा 143 के आधार पर और इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर, हमारी राय में और हमारी

the directors of the holding company in view of Notification No. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. Based upon the reports of the statutory auditors of its subsidiary company and associate company both incorporated in India, none of the directors of Group's companies incorporated in India, is disqualified as on 31st March 2019 from being appointed as a Director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

(g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Holding Company, its subsidiary and associate company incorporated in India and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure- B".

(h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Companies Act, 2013, as amended:

The provisions of section 197 read with Schedule V of the Companies Act, 2013 are not applicable on the remuneration paid/payable to the directors of the Holding Company and subsidiary company in view of Notification No. GSR 463 (E) dated 05th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. Based upon the report of the statutory auditor of the associate company incorporated in India, the remuneration paid/ payable to its directors is accordance with the provisions of section 197 read with Schedule V of the Companies Act, 2013.

3. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 issued by the Central Government of India in terms of clause (j) of sub-section (3) of section 143 of the Act and based upon the reports of the statutory auditors of its subsidiary and associates companies, in our opinion and to the best of our information



जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- (क) समेकित वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा करते हैं – सहमति वाले वित्तीय विवरणों के लिए बी नोट -1 (सी एंड ई) का संदर्भ लें।
- (ख) व्युत्पन्न अनुबंध सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर सामग्री की हानि के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है।
- (ग) भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

एच. के. चौधरी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 00615एन
(सीए इंदरजीत सोनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088694

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2019

For H. K. CHAUDHRY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 006154N
(CA INDERJIT SONI)
PARTNER
Membership No. 088694

Place : NEW DELHI
Dated : 28.05.2019

and according to the explanation given to us:

- (a) The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigation on its consolidated financial position of the Group - Refer Note B-1 (c & e) to the consolidated financial statements.
- a) Provision has been made in the consolidated financial statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
- b) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Holding Company and its subsidiary and associate companies incorporated in India.

एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
(सीए अभिनव खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087010

For SCV & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 000235N/N500089
(CA ABHINAV KHOSLA)
PARTNER
Membership No. 087010



अनुलग्नक क: स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों को जारी किए गए निर्देशों के उत्तर
वित्तीय वर्ष 2018-19

ANNEXURE - A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Replies to the Directions issued to Statutory Auditors under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

Financial Year 2018-19

क्रं. सं. S.No.	निर्देश जारी किए Directions Issued	उत्तर Replies
1	<p>क्या कंपनी के पास आईटी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।</p> <p>Whether the Company has system in place to process all the accounting transaction through IT? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.</p>	<p>सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित होते हैं। हालाँकि निवेश, पुनः बीमा और विदेशी कार्यालयों से संबंधित लेन-देन केंद्रीय आईटी प्रणाली यानी INLIAS (एकीकृत गैर जीवन बीमा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर) के साथ एकीकृत नहीं है।</p> <p>All accounting transactions are processed through IT systems. However the transaction pertaining to Investment , Re- Insurance and Foreign Offices are not integrated with the central IT system i.e, INLIAS (Integrated Non Life Insurance Application Software).</p>
2	<p>क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन हो या कर्ज देने के लिए कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/मामलों को लिखना हो? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव कहा जा सकता है।</p> <p>Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc made by a lender to the company due to the company's inability to replay the loan? If yes, the financial impact may be stated.</p>	<p>किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए ऋण / ऋण / ब्याज आदि के छूट / लिखने के मामलों का कोई मामला नहीं है।</p> <p>There is no case of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc made by a lender to the company due to the company's inability to replay the loan.</p>



3	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि प्राप्त / प्राप्त की गई थी या नहीं? विचलन के मामलों की सूची बनाएं। Whether funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.	हां, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्त धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग / उपयोग किया गया Yes, funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions
---	--	--

एच. के. चौधरी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 00615एन
(सीए इंदरजीत सोनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
(सीए अभिनव खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087010

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2019

**For H. K. CHAUDHRY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 006154N
(CA INDERJIT SONI)
PARTNER
Membership No. 088694**

**For SCV & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 000235N/N500089
(CA ABHINAV KHOSLA)
PARTNER
Membership No. 087010**

**Place : NEW DELHI
Dated : 28.05.2019**



वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को जारी किए गए उप-निर्देशों के उत्तर

Replies to the Sub-Directions for issued to the Statutory Auditors under section 143 (5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2018-19

क्र. सं. Sl. No.	विवरण DESCRIPTION	उत्तर REPLIES
1	<p>सीजीएस / एसजीएस / बॉन्ड / डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व की उपाधियों की संख्या भौतिक / डीमैट रूप में उपलब्ध है, इनमें से उन मामलों की संख्या जो संबंधित खातों की कंपनी की किताबों में दर्शाई गई संबंधित राशियों के साथ नहीं हैं, सत्यापित और विसंगति हो सकती है। पाया उपयुक्त रूप से सूचित किया जा सकता है</p> <p>Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/ Bonds/Debentures etc available in physical/demat form out of these, number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported</p>	<p>अंतर को कंपनी की बही खातों में और इक्विटी और वरीयता शेयरों के संबंध में कस्टोडियन (एसएचसीआईएल) प्रमाणपत्र में नोट किया गया है, जो निम्नानुसार है</p> <p>कंपनी की पुस्तकों में अतिरिक्त इक्विटी शेयर 30 स्क्रीप बुक वैल्यू 1,02,311.87 रुपये वरीयता शेयर 17 मामलों बुक वैल्यू 26.00 रुपये कंपनी की पुस्तकों में संक्षिप्त इक्विटी शेयर 8 मामले बुक वैल्यू 3,20,485.54 रुपये वरीयता शेयर 1 मामला बुक वैल्यू 0 रुपये</p> <p>ग) सीजीएस / एसजीएस / बांड / डिबेंचर आदि के संबंध में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।</p> <p>Difference has been noted in the Company's books of accounts and the custodian's (SHCIL) certificate in respect of equity and preference shares which are as under</p> <p>A) Excess in Company's Books Equity Shares 30 scrips Book Value Rs 1,02,311.87 Preference Shares 17 cases Book Value Rs 26.00</p> <p>B) Short in Company's Books Equity Shares 8 cases Book value Rs 3,20,485.54 Preference Shares 1 case Book Value Rs 0</p> <p>C) No discrepancies observed in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc.</p>
2	<p>क्या निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमाएं निर्धारित की गई हैं? यदि हाँ, तो घरघराहट या सीमा का पालन नहीं किया गया था। यदि नहीं, तो विवरण दिया जा सकता है।</p> <p>Whether stop loss limits have been prescribed in respect of the investments? If yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given.</p>	<p>There is no Stop loss limits prescribed in respect of the investment in the Investment policy of the Company approved by the Board.</p>



क्र. सं. Sl. No.	विवरण DESCRIPTION	उत्तर REPLIES
3	<p>क्या कंपनी ने अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीमा कंपनियों के साथ अपने वित्तीय वक्तव्यों में परिलक्षित अंतर-कंपनी संतुलन के लिए सामंजस्य अभ्यास किया है और क्या उनकी वजह से शेष राशि के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रम बीमा कंपनियों से पुष्टि प्राप्त की गई है?</p> <p>Whether Company has carried out reconciliation exercise for inter-company balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and whether confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them?</p>	<p>हां, कंपनी ने अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीमा कंपनियों के साथ अपने वित्तीय वक्तव्यों में प्रतिबिंबित अंतर-कंपनी शेष के लिए सामंजस्य अभ्यास किया है और उनकी वजह से शेष के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रम बीमाकर्ताओं से पुष्टि प्राप्त की गई है।</p> <p>पुष्टि की गई शेष राशि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1576018183 /- (क्रेडिट) नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रु. 19,84,45,857 /- (डेबिट) यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रु.58,99,13,902 /- (डेबिट)</p> <p>अपुष्ट संतुलन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रु.269,51,78,952 /- (डेबिट) नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4065845224 /- (क्रेडिट) यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 112471363 /- (क्रेडिट) सामान्य बीमा निगम 1612591824 /- (क्रेडिट)</p> <p>Yes , Company has carried out reconciliation exercise for inter-company balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them</p> <p>Confirmed Balance New India Assurance Co. Ltd. 1576018183/- (Cr.) National Insurance Co Ltd. Rs.19,84,45,857/- (Dr.) United India Assurance Co Ltd. Rs.58,99,13,902/- (Dr.)</p> <p>Unconfirmed Balances New India Assurance Co. Ltd Rs.269,51,78,952/- (Dr.) National Insurance Co Ltd. 4065845224/- (Cr.) United India Assurance Co Ltd. 112471363/- (Cr.) General Insurance Corporation 1612591824/- (Cr.)</p>



क्र. सं. Sl. No.	विवरण DESCRIPTION	उत्तर REPLIES
4	<p>क्या प्रीमियम और सूचित दावों के लेखांकन की विधि समझौतों / योजनाओं से संबंधित शर्तों के अनुसार है:</p> <p>i) प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना iii) प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना</p> <p>Whether the method of accounting of premium and reported claims are as per conditions of agreements/schemes relating to:</p> <p>i. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ii) Rashtriya Swasthya Bima Yojana iii) Prime Minister Jan Aarogya Yojana</p>	<p>हां, प्रीमियम और दावों के लेखांकन की विधि प्रधान मंत्री जन अधिकार योजना के मामले में, समझौतों / योजनाओं की शर्तों के अनुसार है, उक्त समझौते / नीति के अनुसार प्रीमियम 45%, 45% की 3 किस्तों में प्राप्य है और सरकार से 10%। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में पूरे प्रीमियम का हिसाब रखा है, हालांकि वित्तीय वर्ष में तुरंत सफल होने के लिए दूसरी और तीसरी किस्तें प्राप्य हैं। वित्तीय विवरणों की अनुसूची 16 के बी-25 (सी) का संदर्भ लें।</p> <p>Yes, the method of accounting of premium and claims are as per conditions of agreements / schemes except in the case of Prime Minister Jan Aarogya Yojana , As per terms of the said agreement/ policy the premium is receivable in 3 instalments of 45%, 45% and 10% from the Government. The Company has accounted for the entire premium in the current financial year, though 2nd and 3rd instalments are receivable in immediately succeeding financial year. Refer note B-25(c) of schedule 16 of financial statements.</p>
5	<p>क्या कंपनी ने प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जैसी बीमा योजनाओं के पुनरु बीमा योजनाओं की छूट के बारे में आईआरडीएआई परिपत्र (सं. IRDA/F&A/CIS/MISC/052/03/2018 दिनांक 27 मार्च 2018) से अनुपालन किया है या नहीं जीएसटी के पूर्वावलोकन से बीमा योजना आदि और बीमित व्यक्ति/सरकार को प्रीमियम में कमी का लाभ?</p> <p>Whether the Company has complied with IRDAI Circular (No. IRDA/F&A/CIR/MISC/052/03/2018 dated 27 March 2018) regarding exemption of re-insurance schemes of specified insurance schemes such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Suraksha Bima Yojana etc from the preview of GST and passed on to the insured/Government the benefit of reduction in premium?</p>	<p>जी हाँ, कंपनी ने प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना जैसी निर्दिष्ट योजनाओं के पुनरु बीमा योजनाओं में छूट के संबंध में IRDAI परिपत्र (सं. IRDA/F&A/CIS/MISC/052/03/2018 दिनांक 27 मार्च 2018) का अनुपालन किया है। , प्रधान सुरक्षा बीमा योजना आदि को जीएसटी के दायरे से हटाया गया और बीमित / सरकार को प्रीमियम में कमी का लाभ दिया गया और निर्दिष्ट योजनाओं पर बीमित / सरकारी से जीएसटी नहीं वसूला गया।</p> <p>Yes, the Company has complied with IRDAI Circular (No. IRDA/F&A/CIR/MISC/052/03/2018 dated 27 March 2018) regarding exemption of re-insurance schemes in respect of specified insurance schemes such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Suraksha Bima Yojana etc from the purview of GST and passed on to the insured/ Government the benefit of reduction in premium and not charged GST from insured / Govt on specified schemes.</p>

एच. के. चौधरी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 00615एन
(सीए इंडरजीत सोनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088694

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2019

For H. K. CHAUDHRY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 006154N
(CA INDERJIT SONI)
PARTNER
Membership No. 088694

Place : NEW DELHI
Dated : 28.05.2019

एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
(सीए अभिनव खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087010

For SCV & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 000235N/N500089
(CA ABHINAV KHOSLA)
PARTNER
Membership No. 087010



अनुलग्नक ख: स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट के साथ और 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, हमने द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है (बाद में इसे 'होलिडिंग कंपनी') और उसके सहायक और एसोसिएट जो उस तिथि के अनुसार भारत में शामिल कंपनियां हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होलिडिंग कंपनी के संबंधित बोर्ड के निदेशक और उसकी सहायक और एसोसिएट, जो भारत में शामिल कंपनियां हैं, होलिडिंग कंपनी और इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। जो भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए शामिल किए गए हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपने वित्तीय लेखा परीक्षा के ऑडिट पर

ANNEXURE - B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

In conjunction with our audit of the consolidated financial statements of The Oriental Insurance Company Limited as of and for the year ended 31st March, 2019, We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Oriental Insurance Company Limited (hereinafter referred to as "the Holding Company") and its Subsidiary and Associate which are companies incorporated in India, as of that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Holding Company and its Subsidiary and Associate, which are companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company and its subsidiary and associate companies, which are incorporated in India, considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Holding Company's and its subsidiary and associate company, which are incorporated in India, internal financial controls over financial reporting based on



दिशानिर्देश नोट और ऑडिटिंग के मानकों पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू होता है और दोनों, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

विदेशी कार्यालयों यानी नेपाल, दुबई और कुवैत शाखाओं से संबंधित लेखा परीक्षकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और जैसा कि हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं था और इसलिए इन कार्यालयों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों पर विचार नहीं किया गया है। रिपोर्ट और टिप्पणी नहीं की जा सकती।

उपरोक्त उल्लिखित रिपोर्टों की अनुपलब्धता के संभावित प्रभाव को छोड़कर, हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Report on internal financial controls of Holding Company branch auditors relating to foreign branch/offices i.e. Nepal, Dubai and Kuwait have not been received and as such was not available for our review and therefore the internal controls over financial reporting relating to these offices have not been considered in this report and cannot be commented upon.

Except for the possible effect of non-availability of reports as stated above, we believe that the audit evidence we have obtained, and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the other matter paragraph below is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the Group's internal financial controls over financial reporting.



वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है।

आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वक्तव्य। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो:

- (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- (2) उचित आश्वासन दें कि लेनदेन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा
- (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के समय पर रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Consolidated financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the consolidated AS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.



योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2018 को निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

- i) कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को विशेष रूप से अज्ञात बैंक प्रविष्टियों और कंपनी के कार्यालयों में अंतरंग दावों की रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
- ii) सह-बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, ब्रोकर्स, बैंक खातों, अंतर कार्यालय खातों और अन्य नियंत्रण खातों से संबंधित विभिन्न शेष राशि की पुष्टि और सामंजस्य लंबित हैं और सुलह/समायोजन के विभिन्न चरणों में हैं।
- iii) अपर्याप्त नियंत्रण गैर-उपलब्धता वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में पाया जाता है जो पार्टिवार विवरण और पुनर्बीमा प्राप्य राशि / देयता की उम्र बढ़ने के लिए उत्पन्न होता है;
- iv) INALAS में अचल संपत्ति मॉड्यूल के साथ विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के परिवर्धन के सत्यापन में असंगतता।
- v) पुनर्बीमा लेखा विभाग और पुनर्बीमा संधि विभाग के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण देखे गए, लेखांकन सॉफ्टवेयर की दक्षता, पुस्तकों के रखरखाव, पुनर्बीमाकर्ताओं को समय-समय पर डेबिट सलाह देने और दो विभागों के बीच अपर्याप्त समन्वय के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण देखे जाते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक बवउड़पदंजपवद भौतिक कमजोरी 'एक कमी है, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वित्तीय विवरण के एक सामग्री के दुरुपयोग को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित सामग्री की कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय पर इस तरह के

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at 31st March, 2019:

- i) *The Holding Company's internal control system requires strengthening specially in area of unidentified bank entries and recording of intimated claims at the offices to the Company.*
- ii) *In Holding Company, confirmation and reconciliation of various balances relating to co-insurers, reinsurers, brokers, bank accounts, inter office accounts and other control accounts are pending and are in various stages of reconciliation/adjustments.;*
- iii) *In Holding Company, inadequate controls are observed with regards to non-availability computer software generated party wise details and ageing of Reinsurance receivables/payables;*
- iv) *In Holding Company, inconsistencies observed in the verification of additions of fixed assets during the year in the various Regional office with fixed assets module in INLIAS.*
- v) *In Holding Company, inadequate controls were observed with regard to Reinsurance Accounts Department and Reinsurance Treaty Department, inadequate controls are observed in respect of efficiency of accounting software, maintenance of books, timely raising of debit advices to Reinsurers and inadequate coordination between the two Departments.*

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's consolidated financial statement will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Group(s) has maintained, in all material respects, adequate internal



आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाए रखा है। 31 मार्च, 2019 तक रिपोर्टिंग प्रभावी रूप से चल रही थी, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय नियंत्रण मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर मार्गदर्शन संस्थान के चार्टर्ड द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया था। भारत के लेखाकार।

हमने कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए मानकों के अनुसार ऑडिट भी किया है। मार्च, 2019 लाभ और हानि, राजस्व खातों और वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का विवरण और उसके बाद वित्तीय विवरणों को नोट करता है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है। हमने कंपनी की समेकित वित्तीय वक्तव्यों के ऑडिट में लागू प्रकृति परीक्षण, प्रकृति की समयावधि और समय निर्धारण की सीमा को देखते हुए और ऊपर बताई गई सामग्री की कमजोरी पर विचार किया है और कंपनी की समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर इन सामग्रियों की कमजोरी ने हमारी राय को प्रभावित किया है। विशेष रूप से बीमा / पुनर्बीमा व्यवसाय में पुनः बनें रहने अन्य व्यक्तियों या निकायों से/के लिए राशियों के संतुलन के कारण, कैशिंग कंपनियों के साथ आरक्षित जमा, एजेंट शेष, प्रीमियम जमा और एजेंट के प्रीमियम, विविध देनदार, विविध लेनदार, अंतर कार्यालय शेष, अज्ञात डेबिट और क्रेडिट बैंक खातों में प्रविष्टियां, कर्मचारी शेष और अग्रिम शेष कुछ मामलों में सुलह / पुष्टि लंबित हैं और हमने समेकित वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है।

अन्य मामले

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (प) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर अब तक एक सहायक कंपनी और एक सहयोगी कंपनी से संबंधित है, जो कंपनियां हैं भारत में निगमित, भारत में शामिल ऐसी सहायक

financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Group(s) considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

We also have audited, in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, the consolidated financial statements of Company, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2019, the Statement of Profit and Loss, Revenue accounts & the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the consolidated financial statements of the Company, and these material weakness has affected our opinion on the consolidated financial statements of the Company specially due to balances of amounts due to/from other persons or bodies carrying on insurance/reinsurance business, reserve deposit with ceding companies, agent balances, premium deposits and agent's premium, sundry debtors, sundry creditors, inter office balances, unidentified debit and credit entries in bank accounts, employee balances and advances balances are pending reconciliation/confirmation in certain cases and we have issued a qualified opinion on the consolidated financial statements.

Other Matter

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013 on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting in so far as it relates to one subsidiary company and a associate company, which are companies incorporated in India, is based



कंपनी और सहयोगी कंपनी के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

on the corresponding reports of the auditors of such subsidiary company and associate company incorporated in India.

एच. के. चौधरी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 00615एन
(सीए इंदरजीत सोनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
(सीए अभिनव खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087010

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2019

**For H. K. CHAUDHRY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 006154N
(CA INDERJIT SONI)
PARTNER
Membership No. 088694**

**For SCV & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN NO. 000235N/N500089
(CA ABHINAV KHOSLA)
PARTNER
Membership No. 087010**

**Place : NEW DELHI
Dated : 28.05.2019**



संख्या / No. : *एम. ई. ऑफ-१/११/०१८८-८८५/११/१८/१९-२०/२५७*
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II,
नई दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER,
AUDIT BOARD - II, NEW DELHI
दिनांक / DATE 19-04-2019

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
A-25/27 आसफ अली रोड,
नई दिल्ली-110002

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, के समेकित वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अश्लेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

ह/-

(प्राची पाण्डेय)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड -II
नई दिल्ली

संलग्नक: यथोपरि



31 जनवरी 2019 के लिए मूल बीमा कंपनी की वित्तीय स्थिति के वित्तीय मानकों पर कंपनियों के 2013 के अधिनियम (2013) के तहत भारतीय क्षेत्र के 143 (6) (बी) के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वर्ष के लिए समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी बीमा अधिनियम, 1938 के तहत बीमा रिपोर्टिंग और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) के साथ 31 मार्च 2019 को समाप्त हुई। बीमा कंपनी विनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा धारा 139 (5) के साथ अधिनियम के धारा 129(4) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पढ़े गए धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षक के आधार पर ऐसा उनके द्वारा अपनी लेखापरीक्षा दिनांक 28 मई 2019 को किया गया।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक ऑडिट किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्डों में से कुछ की एक चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलें हैं, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे बयान में वित्तीय विवरणों की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क.1 बैलेंस शीट

क.1.1 वर्तमान देयताएं

विविध लेनदारों - 1532.68 करोड़ (अनुसूची -13)

उपर्युक्त धारा 27.1 के तहत प्रधानमंत्री फासल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 2018-19 के दौरान प्राप्त 284.68 करोड़ रुपये के प्रीमियम के चार प्रतिशत की दर से बैंकों के लिए देय सेवा शुल्क के रूप में उपरोक्त 11.25¹ करोड़ रुपये पीएमएफबीवाई के संशोधित दिशानिर्देश 27.1.1 में शामिल नहीं हैं।

1 कुल सेवा शुल्क देय 11.39 करोड़ (284.68* 4%) जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र ' 0.14 करोड़ के मामले में पहले से भुगतान



इसके परिणामस्वरूप 11.25 करोड़ रुपये के नुकसान की इसी समझ के साथ वर्तमान देयता का बोध हुआ है।

1.2 प्रावधान-अनुसूची 14

खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान- 349.19 करोड़ रु

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के पास गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में 358.28 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से सुरक्षित एनसीडी में 298.04 करोड़ रुपये और आईएल एंड एफएस लिमिटेड और आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की असुरक्षित एनसीडी में 60.24 करोड़ रुपये हैं। सितंबर 2018 में एनसीडी पर ब्याज और जनवरी 2019 में प्रिंसिपल के रूप में पहली बार आईएल एंड एफएस डिफॉल्ट हुआ (कुल डिफॉल्ट- प्रिंसिपल: रु10.00 करोड़ और ब्याज रुपये 19.49 करोड़ से जून 2019 तक

तदनुसार, कंपनी ने आईएल एंड एफएस में अपने निवेश को आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और निवेश के अन्य संबंधित मामलों के अनुसार उप-मानक के रूप में माना है – मास्टर सर्कुलर आईआरडीए (निवेश) विनियम 2016 और असुरक्षित एनसीडी में निवेश की गई राशि के लिए प्रदान किया गया है। अंकित मूल्य का प्रतिशत और सुरक्षित एनसीडी में अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत (कुल प्रावधान 90.04 करोड़ रुपये)।

हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही करने के अनुसार, इन दोनों कंपनियों को ए – थै समूह की कंपनियों के मामलों के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा श्रेडड श्रेणी में रखा गया है। जिसका अर्थ है कि ऐसी इकाइयाँ वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के प्रति अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा, इन कंपनियों की निवेश रेटिंग प्ल। और बात् द्वारा निम्नतम स्तर श्वश पर डाउनग्रेड कर दी गई है, जिसका अर्थ है कि इस रेटिंग वाले उपकरण डिफॉल्ट रूप से हैं या जल्द ही डिफॉल्ट होने की उम्मीद है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, ऑडिट का विचार है कि आईएल एंड एफएस में 358.28 करोड़ रुपये का संपूर्ण निवेश प्रदान किया जाना चाहिए।

एनसीडी के सुरक्षित हिस्से पर प्रावधान न होने से संदिग्ध ऋणों के प्रावधान का प्रावधान 268.24 करोड़ रुपये (कुल जोखिम रु. 358.28 करोड़ माइनस प्रावधान 90.04 करोड़ रुपये) हो गया है।

क. 1.3 परिचालन लाभ / (हानि)

क.1 जे.आई. विविध बीमा- रु (1128.68) करोड़

कंपनी ने 71.26 करोड़ रुपये और 28.02 करोड़ रुपये की प्रीमियम रसीद के दावे को उलट दिया

बीड जिले में सोयाबीन की फसल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएफबीवाई)

महाराष्ट्र सरकार खरीफ 2018 के लिए पिछले तीन वर्षों से राज्य सरकार के आंकड़ों को लेकर क्षेत्र सुधार

की गई माइनस सेवा शुल्क



फैक्टर 2 (एसीएफ) के आवेदन के कारण। चड्ढल के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, क्षेत्र विसंगति के आंकड़े महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर (डछब्ब) द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए और राज्य सरकारों सहित किसी भी स्रोत से किसी अन्य डेटा पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कंपनी द्वारा डछब्ब को किए गए ाब्ब की गणना का उल्लेख किया, लेकिन डछब्ब की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार था। रिपोर्ट की लंबित रसीद, 71.26 करोड़ रुपये के शुद्ध दावे का प्रावधान और 28.02 करोड़ रुपये की आय को उलट नहीं किया जाना चाहिए था।

देनदारी के गलत उलटफेर के साथ-साथ आय में 28.02 करोड़ रुपये का प्रीमियम और विभिन्न राजस्व खाते में दावा 71.26 करोड़ रुपये का हो गया है। नतीजतन, वर्ष के लिए नुकसान को 43.24 करोड़ रुपये (₹.271.26 करोड़ – 28.02 रुपये) द्वारा समझा गया है।

कृते तथा की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह./—
(प्राची पांडे)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षक बोर्ड—॥
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 19.09.2019



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019.

The preparation of consolidated financial statements of the Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129 (4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 May 2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of the Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2019 under section 143(6) (a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of the Oriental Insurance Company Limited (the Company) but did not conduct supplementary audit of financial statements of Industrial Credit Company Limited (subsidiary) and Health Insurance TPA of India Limited (Associates) for the year ended on that date. Further, section 139(5) and 143(6) (a) of the Act are not applicable to India International Insurance PTE Limited being entity incorporated in foreign country under the respective laws for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, the Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of this company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) read with section 129 (4) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report:



Non creation of provision on secured portion of NCDs has resulted in understatement of provision for doubtful debts by ₹ 268.24 crore (total exposure ₹ 358.28 crores *minus* provision made ₹ 90.04 crores) and consequent understatement of Loss to the same extent.

A.1.3 Operating Profit/ (Loss)

A.1.3.1 Misc. Insurance- ₹ (1128.68) crore

The Company reversed a claim of ₹ 71.26 crore and premium receipt of ₹ 28.02 crore under Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana (PMFBY) for Soybean Crop in Beed district of Maharashtra for Kharif 2018 due to application of Area Correction Factor² (ACF) by taking the data of State Government for last three years. As per the revised guidelines of PMFBY, area discrepancy data should be provided by Mahalanobis National Crop Forecast Centre (MNCFC) and no other data from any source including state Governments would be considered. Though, Ministry of Agriculture & Farmers' welfare referred the calculation of ACF made by the Company to MNCFC, the report of MNCFC was still awaited. Pending receipt of report, provision for net claim of ₹ 71.26 crore and income of ₹ 28.02 crore should not have been reversed.

Incorrect reversal of liability as well as income has resulted in understatement of Premium by ₹ 28.02 crore and Claim in Miscellaneous Revenue account by ₹ 71.26 crore. Consequently, loss for the year has been understated by ₹ 43.24 crore (₹ 71.26 crore – ₹ 28.02 crore).

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**(Prachi Pandey)
Principal Director of Commercial Audit
Ex-officio Member, Audit Board-II,
New Delhi**

**Place: New Delhi
Date: 19.09.2019**

²Area Correction Factor is arrived at by dividing the area sown by the area insured for a given unit area, and applied on the claim amount in order to scale it down. As a result, the claims of all the farmers in a unit area are scaled down uniformly.



लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क. बैलेंस शीट

क.1.1 वर्तमान देयताएं

विविध लेनदार- ₹. 1532.68 करोड़ (अनुसूची -13)

प्रबंधन जवाब: -

बैंक सेवा शुल्क का प्रावधान तब से नहीं किया जा सका है क्योंकि बैंकों ने पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार चालान और घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

इसके अलावा, हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि 4% बैंक सेवा शुल्क बैंकों के माध्यम से नामांकित किसानों के मामले में लागू होते हैं, न कि सीएससी के माध्यम से नामांकित किसानों के ऋण के मामले में।

बैंक सेवा शुल्क के हकदार हैं, जहां किसान के खाते से प्रीमियम की कटौती के बाद विवरण राष्ट्रीय फसल पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। हालांकि, विवरण कई बैंकों द्वारा 31 03 2019 तक लंबित थे और कई रिकॉर्ड उनके द्वारा अपलोड नहीं किए गए थे।

हमने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बैंकों को कई रिमाइंडर भेजे हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि खरीफ सीजन 2018 के दौरान सीएससी के माध्यम से 60% किसान गैर-ऋणदाता थे। इसलिए, ऐसे बैंक प्रीमियम राशि के संबंध में सेवा शुल्क के हकदार नहीं थे जो हमें बैंकों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए थे। (कर्जदार किसानों के रूप में)।

इसलिए, 31.03.2019 तक बैंक चार्ज की वास्तविक राशि को लंबित करना संभव नहीं था, हम इस राशि का पता नहीं लगा सकते थे क्योंकि अधिकांश बैंकों ने एनसीआईपी पर डेटा अपलोड नहीं किया था

क.1.2 बुरे और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान- 12.20 करोड़ ₹

प्रबंधन जवाब: -

कंपनी का 31.03.2019 तक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL & FS) समूह में 35828.

COMMENTS ON PROFITABILITY

Comments on Profitability

A.1 Balance Sheet

A.1.1 Current Liabilities

Sundry Creditors-Rs. 1532.68 crore (Schedule-13)

Management Reply:-

Provisioning for Bank service charges could not be made since the banks had not submitted the Invoice and Declaration as per requirement of Operational Guidelines of PMFBY.

Further we would like to mention that 4% bank service charges are applicable in case of farmers enrolled through banks and not in case of non-loanee farmers enrolled through CSC.

Banks are entitled to service charges where after deduction of the premium from the farmer's account the details are uploaded on National Crop Portal. However, the details were pending by many bankers till 31 03 2019 and many records were not uploaded by them.

We have sent many reminders to the banks through our Regional offices. We also would like to mention that more than 60% farmers were non-loanee through CSC during the kharif season 2018. So, such banks were not entitled to service charges in respect of premium amount which we had received from other sources other than from banks (as loanee farmers).

So, it was not possible to work out actual amount of Bank charges pending as on 31 03 2019, we could not ascertain the amount as most of the banks had not uploaded the data on the NCIP

A.1.2 Provision for bad and doubtful debts- Rs. 12.20 crore

Management Reply:-

The Company has an aggregate investment exposure of Rs. 35828.33 Lakhs in Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. (IL&FS) group as on 31.03.2019.



33 लाख रुपये का कुल निवेश जोखिम है। IL & FS समूह की कंपनियों ने ब्याज और सिद्धांत के भुगतान को डिफॉल्ट कर दिया है जो 31 मार्च तक था। 2019. आईएल एंड एफएस समूह में संपूर्ण निवेश, इसलिए आय-मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और निवेश-मास्टर परिपत्र प्ल। (निवेश) विनियम 2016 के अनुसार उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

यद्यपि उक्त परिपत्र में बीमाकर्ता को केवल 10% सुरक्षा के बावजूद सामान्य प्रावधान करने की आवश्यकता होती है, लेकिन विवेकपूर्ण आधार पर कंपनी को पूरी तरह से असुरक्षित हिस्से के लिए प्रदान की गई है। इसके परिणामस्वरूप निवेश के 9004.17 लाख रुपये (2980.46 लाख रुपये सुरक्षित भाग पर 10% और 6023.71 लाख रुपये/असुरक्षित भाग पर 100%) का कुल प्रावधान है। अगर कंपनी ने केवल/10% का प्रावधान किया होता, तो अब तक 354.83 लाख रुपये का काम होता, जबकि अब 9004.17 लाख रुपये का।

वर्तमान में हम आईएल एंड एफएस समूह में निवेश के हमारे सुरक्षित हिस्से को पूरी तरह से अप्राप्य और हानि परिसंपत्ति नहीं मानते हैं

इसके अलावा पीएसयू जनरल इंडियोरेंस कंपनियों में से कोई भी आईएल एंड एफएस ग्रुप में अपने एक्सपोजर के लिए पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

हालाँकि कंपनी इस मामले में घटनाक्रम पर पूरी नजर रखेगी और समय-समय पर मामले में आगे की प्रगति पर विचार करने और आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप रखने के बाद उचित कार्रवाई करेगी।

क.1.3 ऑपरेटिंग लाभ / (हानि)

क.1.3.1 विविध बीमा - रूपए (1128.68) करोड़

प्रीमियम अर्जित (निवल) (अनुसूची -1) -रूपए 9791.18 करोड़

दावे (निवल) (अनुसूची -2) -रूपए 10432.02 करोड़

प्रबंधन जवाब: -

पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, अंक सं। 25.4 तालुका स्तर पर प्रकाशित खेती योग्य क्षेत्र से

Companies in IL&FS group have defaulted payment of interest and principle which was due up to 31st March. 2019. The entire investment in the IL&FS group, therefore, is categorized as sub-standard asset as per Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and other related matters of Investment-Master Circular IRDA (Investment) Regulations 2016.

Although the said circular requires the insurer to only make a general provision of 10% irrespective of security, the company on prudence basis has fully provided for the unsecured portion. This has resulted in a total provision of Rs 9004.17 Lakhs (Rs 2980.46 lakhs on secured portion @10% and Rs. 6023.71 Lakhs @ 100% on unsecured portion) of investment. Had the company made a provision only @ 10%, the same would have worked out at Rs 3582.83 lakhs as against Rs 9004.17 lakhs made now.

Currently we do not consider our secured portion of the investment in IL&FS group as totally unrecoverable and a loss Asset

Further none of the PSU General Insurance Companies have fully provided for their exposure in IL&FS Group.

However the company will keep a close watch on the developments in this case and will take appropriate action as and when required after considering further progress in the matter and keeping in line with the directives issued by IRDAI from time to time

A.1.3 Operating Profit /(Loss)

A.1.3.1 Misc. Insurance -Rs. (1128.68) crores

Premium earned (Net) (Schedule-1)-Rs. 9791.18 crore

Claims Incurred (Net) (Schedule-2)-Rs. 10432.02 crore

Management Reply:-

As per Operational Guidelines of PMFBY, point no- 25.4 any mass irregularities/anomalies in insuring of excess



अधिक क्षेत्र का बीमा करने में किसी भी तरह की सामूहिक अनियमितता/विसंगतियों को बीमा कंपनी द्वारा लिखित रूप में DAC&FW के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

इसके आगे बिंदु नं। परिचालन दिशानिर्देशों के 25.6 यदि बीमाकृत क्षेत्र और बोए गए क्षेत्र के बीच अंतरझ ब्लॉक/तहसील/तालुका में 30% है, तो इस तरह के ब्लॉक/तहसील/तालुका के सभी IU एकरंग विसंगति की श्रेणी में आएंगे और इन्हें अतिरिक्त बीमा माना जाना चाहिए। कवरेज।

उपरोक्त उल्लिखित बिंदु के मद्देनजर हमने ACF के आवेदन के लिए तीन साल के आंकड़ों की गणना की और उनका विश्लेषण किया, और अधिकतम राशि का अंतर (30% से अधिक) (केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार) प्रस्तुत किया गया।

केंद्रीय मंत्रालय ने हमारे रुख को मान्यता दी और इसे सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से समानांतर सत्यापन के लिए डछब्ब को संदर्भित किया और राज्य सरकार और बीमा कंपनियों को और अधिक दानेदार सत्यापन के लिए निर्देशित किया और हमें सोयाबीन फसल के लिए बीड जिले के दावों का भुगतान करने के लिए कहा (पत्र दिनांक 16.4.2017 पहले से ही प्रदान किया गया है) पीओएम उत्तर के साथ सीएजी टीम को)।

हमने मंत्रालय को अपनी पत्र दिनांक 11.04.2019 को अपनी विस्तृत कार्य-सूची प्रस्तुत की (प्रतिलिपि पहले से ही सीएजी ऑडिट टीम को उपलब्ध कराई गई है) जहां डेटा में 1318729467 रुपये से अधिक का बीमा और अतिरिक्त प्रीमियम परिलक्षित होता है (जिसमें से हमारा हिस्सा और शुद्ध राशि 280,230011.7 रुपये है) हमने उपरोक्त पत्र को वापस करने का अनुरोध किया है।

रिफंड के कारण महाराष्ट्र के बीड जिले में सोयाबीन की फसल के संबंध में 3353416164 (हमारी हिस्सेदारी और शुद्ध राशि रु. 712600934.9 है) तक देयता में कमी आई है।

हमने वास्तविक फसल को दर्शाने के लिए सकल फसल के प्रीमियम से 31.03.2019 तक प्रीमियम की राशि में कटौती की है और उपरोक्त रिफंड के कारण, देयता में कमी आई है जिसे हमने कुल बकाया देयता से 31.03.2019 को घटा दिया है।

कृषि मंत्रालय फसल बीमा के लिए अंतिम प्राधिकरण है, और डछब्ब एक सलाहकार निकाय है जो निर्णय के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है।

area i.e. more than the published cultivable area at Taluka level should compulsorily be brought to the notice of DAC&FW, by Insurance company in writing.

Further as per point no-25.6 of Operational Guidelines If the difference between insured area and sown area provided is >30% at Block/Tehsil/ Taluka ,all IUs of such Block/Tehsil/ Taluka will fall under acreage discrepancy category and should be treated as having 'excess' insurance coverage.

In view of the above referred point we have calculated and analyzed the data of three years, and max amount of difference (more than 30%) across three years (as per central Government's directive) was submitted for application of ACF.

Central Ministry recognized our stand and referred it to MNCFC for parallel verification through satellite imagery and also directed state Government and Insurance companies for more granular verification and asked us to hold payment of claims of Beed district for soybean crop (letter dated 16.4.2019 already provided to CAG Team with POM reply).

We submitted our detailed working vide our letter dt.11 04 2019 to Ministry (copy already provided to CAG Audit team) where in data reflected an over insurance and excess premium of Rs. 1318729467/- (out of which our share and net amount is Rs. 280230011.7) which we requested to refund vide above letter.

On account of the refund there is reduction of liability to the extent of Rs.3353416164/-, (our share and net amount is Rs.712600934.9) in respect of Soybean crop in Beed district of Maharashtra.

We have deducted the amount of premium as on 31 03 2019 from the Gross Crop premium to reflect the true picture and on account of the above refund, there is reduction in liability which we have also deducted from total outstanding liability as on 31 03 2019.

Ministry of Agriculture is the final Authority for crop insurance, and MNCFC is an advisory body providing



इसलिए, खेती के वास्तविक क्षेत्र के बारे में अंतिम निर्णय डीएसी, कृषि मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने रिमोट सेंसिंग के माध्यम से समानांतर डेटा प्राप्त करने के लिए इसे डछब्ब के लिए संदर्भित किया है। एमएनएफसी के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद, हमें बताया गया कि उनके पास सोयाबीन की फसल के लिए डेटा नहीं है। चूंकि उस फसल की कटाई खत्म हो गई है, वे रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ पुष्टि करने की स्थिति में नहीं थे। अंतिम निर्णय परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। कृषि मंत्रालय बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच करने और राज्य सरकार द्वारा दिए गए डेटा/भूमि रिकॉर्ड के आधार पर नकली/धोखाधड़ी करने वाले किसानों की राशि को खारिज करने के बाद अंतिम कॉल करेगा। हमने केंद्र सरकार को अपना काम दे दिया है और उनके साथ डुप्लिकेट/धोखाधड़ी करने वाले किसानों का विवरण साझा किया है जिसे मंत्रालय ने अपनी सिफारिशों के लिए MNCFC को संदर्भित किया है।

कृषि मंत्रालय ने अपना अंतिम निर्णय जारी किया है। 06.08.2019 (जो आपके संदर्भ के लिए संलग्न है) और निम्नानुसार है:

“विभाग ने कंपनी के निष्कर्षों की जांच की है और बाद में विभाग ने परली तालुका के गांव वार विस्तृत विश्लेषण किया है। कुल भूमि क्षेत्र, बीमा कंपनी द्वारा खारिज और अनुमोदित क्षेत्र के बीच भिन्नता की गणना की गई थी। 73593.38 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में से, बीमा कंपनी ने 3735.97 हेक्टेयर क्षेत्र को खारिज कर दिया और 73241.73 हेक्टेयर क्षेत्र को मंजूरी दी। इसके अलावा, विश्लेषण में यह देखा गया कि महत्वपूर्ण गाँव हैं जहाँ बीमित क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र की तुलना में कम है।

यह भी देखा गया है कि परली तालुका के 34 गाँवों में इन गाँवों का खेती योग्य क्षेत्र 23037 हेक्टेयर है, स्वीकृत बीमा क्षेत्र 32142 हेक्टेयर और बीमित पाया जाता है जो खेती योग्य क्षेत्र की तुलना में 9105 हेक्टेयर अधिक है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बहुत सारे द्वैधता अभी भी हैं डेटा में मौजूद है जो इंटरन दर्शाता है कि कंपनी ने उचित तरीके से डी-डुप्लिकेट का संचालन नहीं किया है। इसलिए यहां तक कि एक चरम मामले में अगर यह मान लिया जाए कि इन गाँवों का पूरा खेती योग्य क्षेत्र सोयाबीन के लिए बीमा है, तो भी ऐसी स्थितियों में 39.57% की नकल होती है। यदि उक्त

necessary input to it for decision.

Therefore, final decision regarding actual area of cultivation will be taken by DAC, Ministry of Agriculture. They have referred it to MNCFC to obtain parallel data through remote sensing. After discussions with the officials of MNCFC, we were informed that they did not have data for Soya bean crop. Since the harvesting for that crop is over, they were not in a position to substantiate with the remote sensing data. Final decision will be as per the operational guidelines. Ministry of Agriculture will take final call after checking the banking records and rejecting the amount of duplicate/ fraudulent farmers based on the data/ land records given by the state government. We have given our working to the central government and shared the details of duplicate / fraudulent farmers with them which Ministry has referred to MNCFC for its recommendations.

Ministry of Agriculture has issued their final decision vide their letter of even number dt. 06 08 2019(which is attached for your reference) and reads as under:

“The department has examined the findings of the company and subsequently the department carried out village wise detailed analysis of Parli Taluka. A variation was calculated between the total land area, area rejected and approved by the Insurance Company. Out of 73593.38 ha of land area, Insurance Company has rejected 3735.97 ha area and approved 73241.73ha area. Further, it was observed in the analysis that there are significant number of villages where insured area is less than that of total land area.

It has also been observed that in 34 villages of Parli Takluka the cultivable area of these villages is 23037 ha, the approved insured area 32142 ha and Insured area is found to be 9105 hectare more than the cultivable area which clearly indicates that lot of duplicity still exists in the data which intern indicates that the company has not conducted de-duplication in a proper manner. Therefore even in a extreme case if it is assumed that the entire cultivable area of these



डुप्लिकेट फ़ैक्टर को आधार के रूप में लिया जाता है, तो कुल स्वीकृत के लिए पूरे तालुका के लिए हैं जो 73,241 हेक्टेयर है, गणितीय रूप से 39.57% की नकल अभी भी बनी हुई है। यह इंगित करता है कि लगभग। बीमित क्षेत्र को लगभग 44,000 हेक्टेयर (लगभग) पर आना चाहिए जो कि दोहराव के कारक को लागू करने के बाद होता है, जो उस सीमा से परे नहीं होता है जिसमें एसीएफ पर विचार किया जा सकता है।”

उन्होंने हमें निर्देशित किया कि किसान के आधार पर की जाने वाली सभी फसलों के लिए डी-डुप्लिकेशन के साथ व्यक्तिगत विसंगति को अलग-अलग आधार के माध्यम से हल किया जा सकता है जो निम्नानुसार है:

“पूरे गाँव या तालुका स्तर पर डी-डुप्लिकेशन अभ्यास को पूरा किए बिना किसान आईडी पर किए जाने वाले सभी फसलों के लिए व्यक्तिगत दोहराव के साथ भुगतान की शुरुआत की जानी चाहिए।”

मंत्रालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार हमारा पुणे कार्यालय किसानों के भूमि रिकॉर्ड सहित रिकॉर्ड आधार के व्यक्तिगत सत्यापन पर दावों के प्रसंस्करण के साथ आगे बढ़ा है। 109763 आवेदनों को जांच के लिए मंत्रालय के उपरोक्त निर्देश के आधार पर खारिज कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 105.65 करोड़ रुपये का प्रीमियम वापस किया गया (उसी का शुद्ध प्रभाव 26.41 करोड़ रुपये और 268.66 करोड़ रुपये का दावा है (शुद्ध रु. 67.16 करोड़ पर) उपरोक्त द्वैधता/विसंगति के कारण खारिज कर दिया गया है, जो कि लगभग 28.8 करोड़ रुपये के प्रीमियम के उलट है और शुद्ध दावा (71.26 करोड़ रुपये) की कमी है।

अस्वीकृत आवेदन का विवरण राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ साझा किया गया है। वे अधिक बीमा के लिए जिम्मेदार समूह / व्यक्तियों के विवरण की जांच कर रहे हैं।

villages is under insurance for Soybeans, even in such conditions there is duplicity of 39.57%. If the said duplicity factor is taken as the base then for the total approved are for the entire Taluka which is 73,241 ha, mathematically duplicity of 39.57% still persist. This indicates that the approx. insured area should come at around 44,000 ha(approx.) after applying the duplicity factor which is not beyond of limit wherein a ACF can considered.”

They directed us that acreage discrepancy can be resolved through individual basis with de-duplication for all crops to be done on farmer IDs basis which reads as under:

“Payment should be initiated on Individual basis with de-duplication for all the crops to be done on Farmer IDs without waiting for completing the de-duplication exercise at the entire village or Taluka level.”

As per the above directions of Ministry our Pune office has proceeded with processing of claims on Individual verifications of records basis including land records of farmers. 109763 applications have been rejected on the basis of the above direction of Ministry for investigation which resulted in the refund of Rs. 105.65 crs of premium (Net impact of the same is Rs.26.41 crs and claims of Rs.268.66 crs (on net Rs.67.16 crs) have been rejected on account of the above duplicity/anomaly which is almost same as far as reversal of premium of (Rs.28.02 crs) and reduction of net claim (Rs.71.26 crs) is concerned.

Details of rejected application have been shared with the state Government and the Central Government . They are further investigating the details the group/ persons responsible for over-insurance.



ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण
**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित
अग्नि बीमा राशि खाता**

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 25.02.2014
**CONSOLIDATED FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019**

(Rs. '000)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2018 को As at 31.03.2019	31.03.2017 को As at 31.03.2018
1. अर्जित प्रीमियम (निवल)	1. Premium earned (Net)	1	6019541	5903810
2. निवेश/बिक्री पर लाभ/हानि पर लाभ/हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		1466967	1399943
3. अन्य - क) विनिमय पर लाभ/(हानि)	3. Others - a) Profit/(Loss) on exchange		(259)	1899
ख) शेयरधारकों के निधियों से योगदान - वार्डों में अतिरिक्त ई.ओ.एम.	b) Contribution from Shareholders' Funds to- wards excess EoM		0	442280
4. ब्याज, लाभांश और किराया-सकल	4. Interest, Dividend & Rent - Gross		964974	917177
कुल (ए)	Total (A)		8451223	8665109
1. दावा किया गया दावा (निवल)	1. Claims Incurred (Net)	2	6771648	5095663
2. कमीशन	2. Commission	3	856812	960705
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	2217643	2482435
4. अन्य	4. Others			
ए) मानक संपत्ति/एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		63530	(7154)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		4313	(1297)
सी) अमूर्त खर्च	c) Amortization Expenses		24044	19213
डी) निवेश लिखित बंद (निवल)	d) Investment Written Off (Net)		7016	10515
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		361036	0
कुल (बी)	Total (B)		10306042	8560080
आग्नि व्यापार से ऑपरेटिंग लाभ/(हानि) सी = (ए-बी)	Operating Profit/(Loss) from fire business C = (A - B)		(1854820)	105029
विनियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		(1854820)	105029
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to General Reserve		NIL	NIL
कुल (सी)	Total (C)		(1854820)	105029

लेखा के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट्स
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts

16

शेड्यूल ने उपरोक्त प्रपत्र को बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित किया है
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & Co.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N

सीए इंदरजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089

सीए अभिनाव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799



ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण
**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित मरीन
बीमा राशि खाता**

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 25.02.2014
CONSOLIDATED MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

(Rs. '000)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2018 को As at 31.03.2019	31.03.2017 को As at 31.03.2018
1. अर्जित प्रीमियम (निवल)	1. Premium earned (Net)	1	2083963	2301536
2. निवेश / बिक्री पर लाभ / हानि पर लाभ / हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		502435	547369
3. अन्य - क) विनिमय पर लाभ/(हानि) ख) शेयरधारकों के निधियों से योगदान - वार्डों में अतिरिक्त ई.ओ.एम.	3. Others -a) Profit/(Loss) on exchange b) Contribution from Shareholders' Funds to wards excess EoM		(3550)	1408
4. ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	4. Interest, Dividend & Rent - Gross		330503	358611
कुल (ए)	Total (A)		3082083	3423471
1. दावा किया गया दावा (निवल)	1. Claims Incurred (Net)	2	1388957	1609051
2. कमीशन	2. Commission	3	201496	215142
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	490216	509878
4. अन्य	4. Others			
ए) मानक संपत्ति / एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		21759	(2797)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		1477	(507)
सी) अमूर्त खर्च	c) Amortization Expenses		8235	7512
डी) निवेश लिखित बंद (निवल)	d) Investment Written Off (Net)		2403	4111
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		0	(43947)
कुल (बी)	Total (B)		2114543	2298443
समुद्री व्यापार से परिचालन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	Operating Profit/(Loss) from Marine business C = (A - B)		967539	1125028
विनियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		967539	1125028
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
अन्य भंडार में स्थानांतरित करें	Transfer to other reserves		NIL	NIL
कुल (सी)	Total (C)		967539	1125028

लेखा के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट्स
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts

16

शेड्यूल ने उपरोक्त प्रपत्र को बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित किया है
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N
सीए इंद्रजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089
सीए अभिनव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

रश्मी बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799



ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सम्भक्त विविध बीमा
राशि खाता

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 25.02.2014
CONSOLIDATED MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

(Rs. '000)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2018 को As at 31.03.2019	31.03.2017 को As at 31.03.2018
1. अर्जित प्रीमियम (निवल)	1. Premium earned (Net)	1	97911755	88074718
2. निवेश / बिक्री पर लाभ / हानि पर लाभ / हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		14222880	16226330
3. अन्य - क) विनिमय पर लाभ / (हानि)	3. Others - a) Profit/(Loss) on exchange		(23655)	23686
ख) शेयरधारकों के निधियों से योगदान - वार्डों में अतिरिक्त ई.ओ.एम.	b) Contribution from Shareholders' Funds to- wards excess EoM		0	178748
4. ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	4. Interest, Dividend & Rent - Gross		9355844	10630732
कुल (ए)	Total (A)		121466824	115134215
1. दावा किया गया दावा (निवल)	1. Claims Incurred (Net)	2	104320224	75507423
2. कमीशन	2. Commission	3	5527117	5196171
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	21947335	23937588
4. अन्य	4. Others			
ए) मानक संपत्ति / एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		615954	(82923)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		41819	(15035)
सी) अमूर्त खर्च	c) Amortization Expenses		233116	222689
डी) निवेश लिखित बंद (निवल)	d) Investment Written Off (Net)		68020	121880
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		0	0
कुल (बी)	Total (B)		132753584	104887793
विविध व्यवसाय से परिचालन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	Operating Profit/(Loss) from miscellaneous business C = (A - B)		(11286760)	10246422
विनियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		(11286760)	10246422
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
अन्य भंडार में स्थानांतरित करें	Transfer to other reserves		NIL	NIL
कुल (सी)	Total (C)		(11286760)	10246422

लेखा के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट्स
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts

16

शेड्यूल ने उपरोक्त प्रपत्र को बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित किया है
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N
सीए इंद्रजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089
सीए अभिनव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799



ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड

पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सम्भक्त लाभ एवं हानि
खाता

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 25.02.2014
**CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR YEAR
ENDED 31ST MARCH 2019**

S.No.	Particulars	(Rs. '000)	(Rs. '000)
		Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
1	ऑपरेटिंग लाभ / (लॉस)	OPERATING PROFIT /(LOSS)	
	(ए) फायर इश्योरेंस	(a) Fire Insurance	(1854820)
	(इ) समुद्री बीमा	(b) Marine Insurance	967539
	(ब) विविध बीमा	(c) Miscellaneous Insurance	(11286760)
2	निवेश से आर्ये	INCOME FROM INVESTMENTS	
	(ए) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	(a) Interest, Dividend & Rent - Gross	2520082
	(इ) निवेश की बिक्री / प्रतिदान पर लाभ	(b) Profit on sale/redemption of investment	3855035
	घटायें: निवेश की बिक्री / विमोचन पर नुकसान	Less: Loss on sale/redemption of investment	(23973)
3	अन्य आय	OTHER INCOME	
	अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) on sale of fixed assets	(8444)
	विविध आय	Miscellaneous Income	46473
	पुरानी / दावा न की गई शेष राशि वापस लिखी गई	Old/Unclaimed Balance Written Back	80576
	विनिमय लाभ / (हानि)	Exchange Gain/(Loss)	172917
	आयकर रिफंड पर ब्याज	Interest on income-tax refunds	1392697
	कुल (ए)	TOTAL (A)	(4138677)
4	प्रावधान (कराधान के अलावा)	PROVISIONS (Other than taxation)	
	(ए) निवेश के मूल्य में कमी के लिए	(a) For diminution in the value of investments	11264
	(बी) बुरे और संदिग्ध ऋणों के लिए	(b) For bad and doubtful debts\Investment	122047
	(ब) परिशोधन व्यय	(c) Amortisation Expenses	62792
5	अन्य खर्चे	OTHER EXPENSES	
	क) बीमा व्यवसाय से संबंधित लोगों के अलावा अन्य व्यय	a) Expenses other than those relating to Insurance Business	0
	ख) पुरानी / अपरिवर्तनीय शेष राशि	b) Old/Irrecoverable balances written off	154
	ग) मानक आस्तियों / एनपीए पर प्रावधान	c) Provision on Standard Assets/NPA	165913
	डी) निवेश लिखा (निवल)	d) Investments written off (Net)	18322
	ई) सीएसआर व्यय	e) CSR Expendiure	72261
	च) भुगतान किए गए आयकर / सेवा कर पर ब्याज	f) Interest on income-tax/service tax paid	53476
	छ) अधिक ईओएम के प्रति पॉलिसीधारकों के फंड में योगदान	g) Contribution to Policyholders Funds	168732
	ज) जोड़ें / (घटायें): पूर्व अवधि की आय	h) Add/(Less): Prior Period Income	(595182)
	झ) जोड़ें / (घटायें): पूर्व अवधि व्यय	i) Add/(Less): Prior Period Expenses	39197
	ण) एनसीडी के मुद्दे से संबंधित व्यय	j) Expenses related to issue of NCD	6937
	त) छल्ले पर अर्जित ब्याज	k) Interest accrued on NCDs	25315
	कुल (बी)	TOTAL (B)	151228
			1820325



S.No.	Particulars	(Rs. '000)	(Rs. '000)	
		Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018	
	कर पट्टात लाभ	Profit Before Tax	(4289906)	13822867
	जोड़ें / (घटायें): फ्रिज बेनेफिट टैक्स का प्रावधान	Add/(Less): Provision for Fringe Benefit Tax	0	0
	जोड़ें / (घटायें): कराधान के लिए प्रावधान - वर्तमान वर्ष	Add/(Less): Provision for taxation - Current Year	0	(2480000)
	जोड़ें / (घटायें): आस्थगित कराधान के लिए प्रावधान	Add/(Less): Provision for Deferred Taxation	0	0
	जोड़ें / (घटायें): पहले के वर्षों के संबंध में कर का प्रावधान	Add/(Less): Provision for tax in respect of earlier years	1353297	3756051
	कर के बाद लाभ लेकिन सहयोगियों के लाभ के बंटवारे से पहले (क)	Profit after Tax but before Share of profit of associates (D)	(2936609)	15098917
	जोड़ें: सहयोगियों और सहायक के लाभ / (हानि) का हिस्सा	Add: Share of Profit/(Loss) of associates & subsidiary	27537	(18679)
	कराधान के बाद शुद्ध लाभ और सहयोगियों के बाद अधिग्रहण लाभ का हिस्सा	Net Profit after Taxation and share of post acquisition profit of associates	(2909072)	15080238
	विनियोग	APPROPRIATIONS	0	0
	(ए) वर्ष की शुरुआत में संतुलन	(a) Balance at the beginning of the year	0	0
	(बी) वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया	(b) Interim dividends paid during the year	0	0
	(ब) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	(c) Proposed final dividend	0	0
	(घ) लाभांश वितरण कर	(d) Dividend distribution tax	0	0
	(ई) भंडार / अन्य खातों में स्थानांतरण:	(e) Transfer to reserves/ other accounts:	0	0
	(i) सामान्य आरक्षण	(i) General Reserves	0	0
	(ii) अनपेक्षित जोखिमों के लिए आकस्मिकता आरक्षित	(ii) Contingency Reserve for Unexpired Risks	0	0
	पिछले वर्ष से लाभ / हानि का संतुलन आगे लाया गया	Balance of profit/loss brought forward from last year	0	0
	बैलेंस शीट को आगे बढ़ाया	Balance carried forward to Balance Sheet	(2909072)	15080238
	प्रति शेयर बेसिक/डायल्यूटेड प्रति शेयर (ईपीएस) रुपये में	Basic/Diluted Earning Per Share (EPS) in Rs.	(14.55)	75.40

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N

सीए इंद्रजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

एससीवी एंड कं. एलएपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089

सीए अभिनव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799



NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 25.02.2014
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

ब्यौरा	PARTICULARS	Schedule	(Rs. '000)	(Rs. '000)
			As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
निधियों का स्रोत	SOURCES OF FUNDS			
शेयर पूंजी	SHARE CAPITAL	5	2000000	2000000
परिणाम और सर्वेक्षण	RESERVES AND SURPLUS	6	30459823	33268856
विलम्बित टैक्स देयता	Deferred Tax Liability		0	0
अमीर मूल्य परिवर्तन खाता!	FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
बीमा धारक		POLICYHOLDERS	64698063	78375205
शेयर धारक		SHAREHOLDERS	11158500	8198533
उधार	BORROWINGS	7	7500000	0
कुल	TOTAL		115816386	121842595
निधियों का आवेदन	APPLICATION OF FUNDS			
निवेश:	INVESTMENTS			
बीमा धारक		POLICYHOLDERS	213300158	209793363
शेयर धारक		SHAREHOLDERS	36787962	21945687
ऋण	LOANS	9	1417212	1453961
अचल संपत्तियां	FIXED ASSETS	10	2355737	2157844
प्रगति में पूंजी का काम	Capital Work In Progress	10	3545672	2906622
आस्थगित कर परिसंपत्ति	Deferred Tax Assets		0	0
वर्तमान संपत्ति:	CURRENT ASSETS:			
नकद और बैंक शेष	Cash and Bank Balances	11	26129043	22642351
अग्रिम और अन्य संपत्ति	Advances and Other Assets	12	58201212	42643139
उप-कुल (ए)	Sub-Total (A)		84330255	65285490
वर्तमान देनदारियां	CURRENT LIABILITIES	13	160822911	120811403
प्रावधान	PROVISIONS	14	65097699	60888969
उप-कुल (बी)	Sub-Total (B)		225920610	181700372
निवल चालू संपत्ति (ए-बी)	NET CURRENT ASSETS = (A-B)		(141590355)	(116414882)
मिस्केलनियस परिणाम	MISCELLANEOUS EXPENDITURE			
(लिखे या समाप्त नहीं होने की सीमा तक)	(to the extent not written off or adjusted)	15	0	0
प्रोफिट और लॉस खाता में जमा राशि	DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		0	0
कुल	TOTAL		115816386	121842595

लेखा के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट्स

16

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts

उपरोक्त अनुसूची को बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित किया गया है ! आईआरडीएआई मास्टर परिपत्र दिनांक 25/07/2017 के अनुसार शेयरधारकों / पॉलिसीधारक निधि के संबंध में विनियमों में बदलाव के मद्देनजर पिछले वर्ष के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं।

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

! Previous year figs. are not comparable in view of the changes in the regulations with respect to Shareholder/Policyholder funds as per IRDAI Master Circular dt. 25/07/2017

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
 Chartered Accountants
 FRN NO. 006154N

सीए इंदरजीत सोनी
 साझेदार
 सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
 Partner
 M.No. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
 Chartered Accountants
 FRN 000235N/N500089

सीए अभिनव खोसला
 साझेदार
 सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
 Partner
 M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
 Chairman-cum-Managing Director
 DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
 निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
 Director, G.M. & C.F.O.
 DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
 महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
 General Manager & F.A.

Place: New Delhi
 Dated : 28/05/2019

रश्मी बाजपैयी
 कंपनी सचिव
 सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
 Company Secretary
 M.No. FCS 8799



**अनुसूची 1: 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्रीमियम अर्जन (निवल)
SCHEDULE -1 : PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019**

(Rs. '000)

Particulars	अग्नि/ FIRE		मरीन/ MARINE				विविध/ MISCELLANEOUS		कुल योग/ GRAND TOTAL			
	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended		
	31.03.2019	31.03.2018	मरीन कर्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	मरीन कर्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	31.03.2019	31.03.2018		
प्रत्यक्ष व्यापार से प्रीमियम	10673249	9966243	2059529	1433239	3492768	2130683	1015731	3146414	120681479	104255728	134847496	117368385
जोड़ें: पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया	1715284	1744311	58925	100032	158957	16677	44231	60908	1395318	1773658	3269559	3578877
घटायें: पुनर्बीमा पर प्रीमियम संपूर्ण निवल प्रीमियम	6193316	5866688	526036	1147613	1673649	381496	655140	1036636	21796215	13761678	29663180	20665002
अप्रत्याशित जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन।	6195217	5843866	1592418	385658	1978076	1765864	404822	2170686	100280582	92267708	108453875	100282260
कुल प्रीमियम अर्जित (निवल)	175676	-59944	-86723	-19164	-105887	-76841	-54009	-130850	2368827	4192990	2438616	4002196
भारत में व्यापार से प्रीमियम आय	6019541	5903810	1679141	404822	2083963	1842705	458831	2301536	97911755	88074718	106015259	96280064
भारत के बाहर प्रीमियम आय	9905957	9229590	1864634	1429163	3293797	1924561	1012816	2937377	118793495	102352711	131993249	114519678
कुल प्रीमियम अर्जित (निवल)	767292	736653	194895	4076	198971	206122	2915	209037	1887985	1903017	2854248	2848707
कुल प्रीमियम अर्जित (निवल)	10673249	9966243	2059529	1433239	3492768	2130683	1015731	3146414	120681480	104255728	134847496	117368385



31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए विविध प्रीमियम अर्जित (निवल)
MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019 (Rs. '000)

विवरण Particulars	MOTOR									
	Year Ended 31.03.2019					Year Ended 31.03.2018				
	OD	TP - Non Pool	TP POOL	TP D.R. POOL	TOTAL	OD	TP - Non Pool	TP POOL	TP D.R. POOL	TOTAL
सीधे व्यापार से प्रीमियम	15946877	30676899	0	0	46623776	16684930	28282598	0	0	44967528
जोड़: पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया	14192	0	0	0	14192	9130	276	0	0	9406
घटाएँ: पुनर्बीमा पर प्रीमियम सौंपना	775918	1617818	0	0	2393736	867878	1482867	0	0	2350745
निवल प्रीमियम	15185151	29059081	0	0	44244232	15826182	26800007	0	0	42626189
में बदलाव के लिए समायोजन										
अप्रत्याक्षित जोखिम के लिए आरक्षित	-320516	1129537	0	0	809021	506027	2186738	0	-69205	2623560
कुल प्रीमियम अर्जित (निवल)	15505667	27929544	0	0	43435211	15320155	24613269	0	69205	40002629
व्यापार से प्रीमियम आय प्रभावित										
भारत में	14775260	30576710	0	0	45351970	15445514	28129259	0	0	43574773
भारत के बाहर	1171618	100189	0	0	1271807	1239416	153339	0	0	1392755
निवल प्रीमियम	15946878	30676899	0	0	46623777	16684930	28282598	0	0	44967528



विवरण	Particulars	ENGINEERING		AVIATION		WORKMEN'S		PERSONAL ACCIDENT		CROP	
		Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
सीधे व्यापार से प्रीमियम लिखा है जोड़ें: पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया घटाएँ: पुनर्बीमा पर प्रीमियम संपूर्णता	Premium from direct business written Add: Premium on reinsurance accepted	2381315 360575	2321128 420515	1161402 535272	881188 232833	619869 56	613756 50	6257375 127	5596105 1209	17586400 0	8252051 0
निवल प्रीमियम में बदलाव के लिए समायोजन अप्रत्याशित जोखिम के लिए आरक्षित	Less: Premium on reinsurance ceded Net Premium Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	829794 1912096 -57925	713698 2027945 -17085	1150684 545990 159829	887689 226332 14795	32536 587389 1335	29087 584719 -42777	693684 5563818 271298	576093 5021221 378381	13750592 3835808 -641217	6409025 1843026 -55870
कुल प्रीमियम अर्जित (निवल) व्यापार से प्रीमियम आय प्रभावित भारत में भारत के बाहर निवल प्रीमियम	Total Premium Earned (Net) Premium Income from business effected In India Outside India Net Premium	1970021 2311370 69945 2381315	2045030 2263310 57818 2321128	386161 1161402 0 1161402	211537 881188 0 881188	586054 577437 42432 619869	627496 574887 38869 613756	5292520 6236898 20477 6257375	4642840 5576509 19596 5596105	4477025 17586400 0 17586400	1898896 8252051 0 8252051



विवरण	Particulars	HEALTH		LIABILITY		OTHER MISC.		TOTAL	
		Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
सीधे व्यापार से प्रीमियम लिखा है	Premium from direct business written	40880937	36084440	784261	727765	4386144	4811767	120681479	104255728
जोड़ें: पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया	Add: Premium on reinsurance accepted	272134	1936	61052	60635	151910	1047074	1395318	1773658
कमरू: पुनर्बीमा पर प्रीमियम सुपुर्दगी	Less: Premium on reinsurance ceded	2142966	1934840	237077	221817	565146	638684	21796215	13761678
निवल प्रीमियम	Net Premium	39010105	34151536	608236	566583	3972908	5220157	100280582	92267708
में बदलाव के लिए समायोजन	Adjustment for changes in								
अप्रत्याशित जोखिम के लिए आरक्षित	reserve for unexpired risk.	2429284	1289142	20827	4164	-623625	-1320	2368827	4192990
कुल प्रीमियम अर्जित (निवल)	Total Premium Earned (Net)	36580821	32862394	587409	562419	4596533	5221477	97911755	88074718
व्यापार से प्रीमियम आय प्रभावित	Premium Income from business effected								
भारत में	In India	40537037	35811691	735737	679973	4295244	4738329	118793494	102352711
भारत के बाहर	Outside India	343900	272749	48524	47792	90900	73438	1887985	1903017
निवल प्रीमियम	Net Premium	40880937	36084440	784261	727765	4386144	4811767	120681479	104255728



अनुसूची -2: 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए दावा (निवल)
SCHEDULE -2 : CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

विवरण	Particulars	FIRE		MARINE				MISCELLANEOUS		GRAND TOTAL				
		Year Ended	Year Ended	Year Ended 31.03.2019		Year Ended 31.03.2018		Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended			
		31.03.2019	31.03.2018	Marine	Cargo	Marine Hull	Cargo	Marine Hull	Cargo	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2018		
भुगतान का भुगतान	Claims Paid													
प्रत्यक्ष	Direct	6488493	6548949	1254831	1397717	2652548	1417379	1164993	2582372	97530962	84803247	106672003	93934568	1959460
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	1052058	1192588	42580	208497	251077	7658	65107	72765	2135299	694107	3438434	1959460	
घटाये: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	2800323	3564296	147708	936811	1084519	198188	638998	837186	15370837	12749506	19255679	17150988	
शुद्ध दावों का भुगतान किया गया	Net Claims paid	4740228	4177241	1149703	669403	1819106	1226849	591102	1817951	84295423	72747849	90854758	78743041	
जोड़े: चारू वर्ष के अंत में बकाया दावा	ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year													
प्रत्यक्ष	Direct	23579151	17661145	1120202	5197175	6317377	1257171	5756962	7014133	148089209	119161032	177985737	143836310	
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	3008767	2449647	43525	775674	819199	61718	921656	983374	1662516	2865281	5490482	6298302	
घटाये: पुनर्बीमा सुपुर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	15352507	10906801	253546	4535180	4788726	310612	4908896	5219508	38310543	30609931	58451776	46736240	
चारू वर्ष के अंत में शुद्ध दावा बकाया	Net Claims Outstanding at the end of Current Year	11235411	9203991	910181	1437669	2347850	1008277	1769722	2777999	111441182	91416382	125024443	103398372	
घटाये: पिछले वर्ष के अंत में बकाया दावा	LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year													
प्रत्यक्ष	Direct	17661145	17662844	1257171	5756962	7014133	1524341	6419577	7943918	119161032	105184949	143836310	130791711	
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	2449647	2051369	61718	921656	983374	49282	647568	696850	2865281	2912527	6298302	5660746	
घटाये: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	10906801	11428644	310612	4908896	5219508	350829	5303040	5653869	30609931	19440668	46736240	36523181	
पिछले वर्ष के अंत में शुद्ध दावा बकाया	Net Claims Outstanding as at the end of the Previous Year	9203991	8285569	1008277	1769722	2777999	1222794	1764105	2986899	91416382	88656808	103398372	99929276	
शुद्ध दावा किया गया	Net Claims Incurred													
प्रत्यक्ष	Direct	12406499	6547250	1117862	837930	1955792	1150209	502378	1652587	126459139	98779329	140821430	106979166	
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकार कर लिया	Add: Reinsurance accepted	1611178	1590866	24387	62515	86902	20094	339195	359289	932534	646861	2630614	2597016	
घटाये: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	7246029	3042453	90642	563095	653737	157971	244854	402825	23071449	23918768	30971215	27364046	
निवल दावे	NET CLAIMS INCURRED	6771648	5095663	1051607	337350	1388957	1012332	596719	1609051	104320224	75507423	112480829	82212137	
दावेदारों को भुगतान दावा	Claims paid to claimants													
भारत में	In India	3886318	3351316	1042569	481243	1523812	1172716	584085	1756801	82038463	70842158	87448594	75950275	
भारत के बाहर	Outside India	853910	825925	107134	188160	295294	54133	7017	61150	2256960	1905691	3406164	2792766	
निवल दावा भुगतान किया	NET CLAIMS PAID	4740228	4177241	1149703	669403	1819106	1226849	591102	1817951	84295423	72747849	90854758	78743041	



CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

विवरण	Particulars	MOTOR										ENGINEERING		
		OD	TP Non Pool	TP Pool	D.R. Pool	TOTAL	OD	TP Non Pool	TP Pool	D.R. Pool	TOTAL	Year Ended		
		Year Ended 31.03.2019					Year Ended 31.03.2018					31.03.2019	31.03.2018	
भुगतान का भुगतान	Claims Paid													
प्रत्यक्ष	Direct	14251409	16508768	2869722	276172	33906070	12070131	14267640	3283006	354103	29974880	1115310	1406196	
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	14263	109	0	0	14372	5074	0	1	0	5075	207824	222882	
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	741204	1674711	0	31	2415946	571650	1559359	0	23424	2154434	373913	528563	
शुद्ध दावों का भुगतान किया गया	Net Claims paid	13524467	14834166	2869722	276140	31504495	11503555	12708281	3283008	330678	27825521	949221	1100514	
जोड़ें: चालू वर्ष के अंत में बकाया दावा	ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year													
प्रत्यक्ष	Direct	4825977	86368772	8384913	1546354	101126016	5036822	75555570	10605654	1894716	93092762	3205119	4141255	
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	125484	0	0	0	125484	78851	0	0	0	78851	520477	929002	
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	243689	11496527	0	42631	11782848	253848	20821456	0	39555	21114860	1350015	1710687	
शुद्ध दावा बकाया वर्तमान वर्ष	Net Claims Outstanding Current Year	4707772	74872245	8384913	1503723	89468653	4861825	54734114	10605654	1855162	72056754	2375581	3359570	
घटायें: पिछले वर्ष के अंत में बकाया दावा	LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year													
प्रत्यक्ष	Direct	5036822	75555570	10605654	1894716	93092762	5296617	58670180	13225133	5382245	82574175	4141255	5007097	
जोड़ें: पुनर्बीमा सुपुर्दगी	Add: Reinsurance Accepted	78851	0	0	0	78851	23124	0	0	0	23124	929002	1226024	
घटायें: पुनर्बीमा सुपुर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	253848	20821456	0	39555	21114860	246138	9703324	0	44075	9993538	1710687	2196314	
पिछले साल बकाया शुद्ध दावा	Net Claims Outstanding Previous Year	4861825	54734114	10605654	1855161	72056754	5073603	48966856	13225133	5338170	72603762	3359570	4036807	
शुद्ध दावा किया गया	Net Claims Incurred													
प्रत्यक्ष	Direct	14040563	27321970	648981	-72191	41939323	11810337	31153030	663527	-3133426	40493467	179174	540353	
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकार कर लिया	Add: Reinsurance accepted	60896	109	0	0	61005	60800	0	1	0	60802	-200702	-74139	
घटायें: पुनर्बीमा सुपुर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	731045	-7650218	0	3107	-6916066	579360	12677491	0	18905	13275756	13241	42936	
कुल दावों में शामिल	TOTAL CLAIMS INCURRED	13370414	34972296	648981	-75298	48916394	11291777	18475539	663528	-3152331	27278513	-34769	423278	
दावेदारों को भुगतान दावा	Claims paid to claimants													
भारत में	In India	12468970	14476914	2869722	276140	30091746	10401774	12200842	3283008	330678	26216302	873225	1038128	
भारत के बाहर	Outside India	1055497	357252	0	0	1412749	1101780	507439	0	0	1609219	75995	62386	
कुल दावा भुगतान किया गया	Total Claims Paid	13524467	14834166	2869722	276140	31504495	11503555	12708281	3283008	330678	27825521	949221	1100514	



अनुसूची -3: 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए शामिल कमीशन
SCHEDULE -3 COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

(Rs. '000)

विवरण	Particulars	FIRE		MARINE						MISCELLANEOUS		GRAND TOTAL	
		Year Ended	Year Ended	Year Ended 31.03.2019			Year Ended 31.03.2018			Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended
		31.03.2019	31.03.2018	Marine Cargo	Marine Hull	TOTAL	Marine Cargo	Marine Hull	TOTAL	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
कमीशन का भुगतान	Commission paid												
प्रत्यक्ष	Direct	963349	957487	260017	27528	287545	264932	25593	290525	7103312	6238143	8354206	7486155
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Re-insurance Accepted	312221	309085	19773	18437	38210	4760	6190	10950	262821	310503	613252	630538
घटाये: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Re-Insurance Ceded	418758	305867	57843	66416	124259	40974	45359	86333	1839016	1352475	2382033	1744675
निवल कमीशन	Net commission	856812	960705	221947	(20451)	201496	228718	(13576)	215142	5527117	5196171	6585425	6372018

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए शामिल विविध कमीशन
MISCELLANEOUS COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

विवरण	Particulars	MOTOR							
		OD	TP - Non Pool	TP Pool	TOTAL	OD	TP - Non Pool	TP Pool	TOTAL
		Year Ended 31.03.2019				Year Ended 31.03.2018			
कमीशन का भुगतान	Commission paid								
प्रत्यक्ष	Direct	2795088	433986	0	3229074	2467319	238026	0	2705345
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	3559	0	0	3559	2352	41	0	2393
घटाये: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	Less: On Re-Insurance Ceded	73287	131916	0	205203	143319	70311	0	213630
निवल कमीशन	Net commission	2725360	302070	0	3027430	2326352	167756	0	2494108

विवरण	Particulars	ENGINEERING		WORKMEN'S COMPENSATION		AVIATION	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
कमीशन का भुगतान	Commission paid						
प्रत्यक्ष	Direct	170336	173352	96013	94725	7998	11448
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	104546	94437	12	11	48371	35194
घटाये: पुनर्बीमा संसाधित	Less: On Re-Insurance Ceded	97063	68081	3362	4406	18939	24553
निवल कमीशन	Net commission	177819	199708	92663	90330	37430	22089

विवरण	Particulars	PERSONAL ACCIDENT		HEALTH		LIABILITY	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
कमीशन का भुगतान	Commission paid						
प्रत्यक्ष	Direct	135693	118783	2584840	2533315	78262	71993
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	30	340	10975	194	305	233
घटाये: पुनर्बीमा संसाधित	Less: On Re-Insurance Ceded	56944	83710	194068	252905	20029	5744
निवल कमीशन	Net commission	78779	35413	2401747	2280604	58538	66482



विवरण	Particulars	CROP		OTHER		TOTAL	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
कमीशन का भुगतान	Commission paid						
प्रत्यक्ष	Direct	0	0	801096	529182	7103312	6238143
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	0	0	95023	177701	262821	310503
घटाये: पुनर्बीमा संसाधित	Less: On Re-Insurance Ceded	1190233	0	53175	699446	1839016	1352475
निवल कमीशन	Net commission	(1190233)	0	842944	7437	5527117	5196171

अनुसूची -3ए: 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों की कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची (केवल सकल)

SCHEDULE 3A : SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019 (GROSS ONLY)

(Rs '000)

SL. NO.	व्यौरा	PARTICULARS	Fire	M. Cargo	M. Hull	Motor OD	Motor TP	Engineering	Aviation
1	एजेंट	Agents	675260	175783	5442	1567036	409526	102692	190
2	ब्रोकर्स	Brokers	247587	84016	22076	664284	24461	67643	7808
3	कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	40502	218	10	0	0	0	0
4	एमआईएसपी को पारिश्रमिक	Remuneration to MISIP	0	0	0	563588	0	0	0
5	अन्य, अगर कोई है	Others (PoSP remuneration)	0	0	0	181	0	0	0
	कुल रु.	Total Rs.	963349	260017	27528	2795089	433987	170335	7998

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों की कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची (केवल सकल)

SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019 (GROSS ONLY)

SL. NO.	व्यौरा	PARTICULARS	W.C.	PA	Liability	Health	CROP	OTHER MISC	TOTAL
1	एजेंट	Agents	88451	103278	53933	2008676	0	292977	5483244
2	ब्रोकर्स	Brokers	7562	32414	24329	576164	0	144699	1903043
3	कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	0	0	0	0	0	363420	404150
4	एमआईएसपी को पारिश्रमिक	Remuneration to MISIP	0	0	0	0	0	0	563588
5	अन्य, अगर कोई है	Others (PoSP remuneration)	0	0	0	0	0	0	181
	कुल रु.	Total Rs.	96013	135692	78262	2584840	0	801096	8354206



अनुसूची - 4: 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा कारोबार से संबंधित ऑपरेटिंग खर्च
SCHEDULE - 4: OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

(Rs. '000)

	विवरण	Particulars	Year Ended 31.03.2019		Year Ended 31.03.2018	
			AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1	कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण लाभ	Employees remuneration & Welfare Benefits		18595901		19974638
2	यात्रा, वाहन और वाहन चलने का खर्च	Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses		423241		447600
3	प्रशिक्षण	Training		63972		59097
4	किराया, दरें और कर	Rent, Rates & Taxes		1052452		835293
5	मरम्मत	Repairs		207074		189298
6	छपाई और स्टेशनरी	Printing & Stationery		192487		211615
7	संचार	Communication		170157		190731
8	कानूनी और व्यावसायिक व्यय रु	Legal & Professional Expenses #		85324		88012
9	लेखा परीक्षकों की फीस, व्यय आदि	Auditors' fees, expenses etc.				
	(ए) लेखा परीक्षक के रूप में	(a) as auditor		50047		44047
	(बी) सलाहकार के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, के संबंध में	(b) as adviser or in any other capacity, in respect of				
	i) कराधान मामलों	i) taxation matters		0		0
	ii) बीमा मामलों	ii) insurance matters		311		115
	iii) प्रबंधन सेवाएं	iii) management services		24		8
	(सी) किसी अन्य क्षमता में	(c) in any other capacity		1363		1336
10	विज्ञापन और प्रचार	Advertisement & Publicity		339515		246123
11	ब्याज और बैंक शुल्क	Interest & Bank Charges		63845		80542
12	अन्य लोग	Others				
	ए) विद्युत शुल्क	a) Electricity Charges	151579		150026	
	बी) बीमा और कंपनी अधिनियम आदि के तहत शुल्क	b) Fee under Insurance & Company Act etc.	102754		95135	
	सी) एलपीए सदस्यता	c) LPA Subscription	0		0	
	डी) पॉलिसी टिकटों का खर्च	d) Policy Stamps Expenses	30370		29497	
	ई) अन्य	e) Others	2314994	2599698	1901658	2176317
13	मूल्यह्रास	Depreciation		536696		459031
14	सेवा कर खाता	Service Tax		273087		491805
15	आउटसोर्सिंग / इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय	Outsourcing/Infrastructure Expenses		0		1434295
	बीमा कारोबार से संबंधित कुल ऑपरेटिंग खर्च	TOTAL OPERATING EXPENSES RELATING TO INSURANCE BUSINESS		24655194		26929901



अनुसूची - 4: 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा कारोबार से संबंधित ऑपरेटिंग खर्च
SCHEDULE - 4: OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

(Rs. 1000)

विवरण	Particulars	Fire		Marine Miscellaneous				Total	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण लाभ	Employees remuneration & Welfare Benefits	1679074	1946925	371201	399922	16545625	17627791	18595900	19974638
यात्रा, वाहन और वाहन चलने का खर्च	Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses	38216	43627	8449	8962	376577	395011	423242	447600
प्रशिक्षण	Training	5776	5760	1277	1183	56919	52153	63972	59096
किराया, दरें और कर	Rent, Rates & Taxes	95029	81416	21008	16724	936415	737154	1052452	835294
मरम्मत	Repairs	18698	18451	4134	3790	184244	167057	207076	189298
छपाई और स्टेशनरी	Printing & Stationery	17380	20626	3842	4236	171264	186752	192486	211614
संचार	Communication	15364	18591	3397	3819	151396	168322	170157	190732
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	Legal & Professional Expenses	7704	8578	1703	1762	75917	77672	85324	88012
लेखा परीक्षकों की फीस, व्यय आदि	Auditors' fees, expenses etc.	0	0	0	0	0	0	0	0
(ए) लेखा परीक्षक के रूप में	(a) as auditor	4519	4293	999	882	44529	38872	50047	44047
(बी) सलाहकार के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, के संबंध में	(b) as adviser or in any other capacity, in respect of	0	0	0	0	0	0	0	0
i) कराधान मामलों	i) taxation matters	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) बीमा मामलों	ii) insurance matters	28	11	6	2	276	101	310	114
iii) प्रबंधन सेवाएं	iii) management services	2	1	0	0	22	7	24	8
(सी) किसी अन्य क्षमता में	(c) in any other capacity	124	130	27	27	1213	1179	1364	1336
विज्ञापन और प्रचार	Advertisement & Publicity	30656	23990	6777	4928	302082	217205	339515	246123
ब्याज और बैंक शुल्क	Interest & Bank Charges	5765	7850	1274	1613	56806	71079	63845	80542
अन्य लोग	Others								
ए) विद्युत शुल्क	a) Electricity Charges	13686	14623	3027	3004	134867	132399	151580	150026
बी) बीमा और कंपनी अधिनियम आदि के तहत शुल्क	b) Fee under Insurance & Company Act etc.	9278	9273	2052	1905	91425	83957	102755	95135
सी) एलपीए सदस्यता	c) LPA Subscription	0	0	0	0	0	0	0	0
डी) पॉलिसी टिकटों का खर्च	d) Policy Stamps Expenses	231	258	2	8	30137	29231	30370	29497
ई) अन्य	e) Others	202995	185354	44877	38074	2067120	1678230	2314992	1901658
मूल्यह्रास	Depreciation	48460	44742	10713	9190	477523	405099	536696	459031
सेवा कर खाता	Service Tax	24658	47936	5451	9847	242978	434022	273087	491805
आउटसोर्सिंग / इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय	Outsourcing/Infrastructure Expenses	0		0		0	1434295	0	1434295
बीमा कारोबार से संबंधित कुल ऑपरेटिंग खर्च	Total Operating Expenses relating to insurance business	2217643	2482435	490216	509878	21947335	23937588	24655194	26929901



अनुसूची -5: 31.03.2019 को कैपिटल शेयर करें
SCHEDULE - 5 SHARE CAPITAL AS AT 31.03.2019

Sl.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019 (Rs. '000)	As at 31.03.2018 (Rs. '000)
1	अधिकृत पूंजी	Authorised Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
2	जारी पूंजी	Issued Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
3	अभिदत्त पूंजी	Subscribed Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
4	बुलाया और भुगतान पूंजी	Called and Paid-up Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
5	घटायें: भुगतान न किए गए कॉल	Less: Calls Unpaid	0	0
	जोड़ें: इक्विटी शेयर जब (मूल रूप से भुगतान किया गया राशि)	Add: Equity Shares Forfeited (Amount Originally Paid up)	0	0
	घटायें: प्रारंभिक व्यय	Less: Preliminary Expenses	0	0
	अंडरराइटिंग पर कमिशन या ब्रोकरेज सहित व्यय या शेयरों की सदस्यता	Expenses including commission or brokerage on underwriting or subscription of shares		
	कुल	Total	2000000	2000000

अनुसूची - 5 ए: 31.03.2019 को शेयरहोल्डिंग के पैटर्न: खरबंघन द्वारा प्रमाणित के रूप में,
SCHEDULE - 5A : PATTERN OF SHAREHOLDING AS AT 31.03.2019 [AS CERTIFIED BY THE MANAGEMENT]

शेयरहोल्डर	Shareholder	As at 31.03.2019		As at 31.03.2018	
		Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
प्रमोटरों	Promoters				
भारतीय	Indian	200000000	100%	200000000	100%
विदेशी	Foreign	0	0	0	0
अन्य लोग	Others	0	0	0	0
कुल	Total	200000000	100%	200000000	100%

अनुसूची-6: 31.03.2019 को रिजर्व एवं अधिशेष
SCHEDULE - 6 RESERVES AND SURPLUS AS AT 31.03.2019

Sl. No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019 (Rs. '000)	As at 31.03.2018 (Rs. '000)
1	संपत्ति कोष	Capital Reserve	2565	2565
2	पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व	Capital Redemption Reserve		
3	अंश बढौती	Share Premium		
4	सामान्य भंडार	General Reserves	33224451	18144213
	घटायें: लाभ और हानि खाते में डेबिट बैलेंस	Less: Debit Balance in Profit & Loss Account	2909072	
	घटायें: खरीद-बैक के लिए उपयोग की गई राशि	Less: Amount Utilised for Buy-Back		
5	आपदा रिजर्व	Catastrophe Reserve		
6	अप्रत्याशित जोखिमों के लिए आकरिमक रिजर्व	Contingency Reserve for Unexpired Risks	0	0
7	लाभ और हानि खाते में लाभ का शेष	Balance of Profit in Profit & Loss Account		15080238
8	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	Foreign Currency Translation Reserve	141879	41840
	कुल	Total	30459823	33268856

अनुसूची -7: 31.03.2019 को बोरवॉइंग



SCHEDULE - 7 : BORROWINGS AS AT 31.03.2019

S.No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019	31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
1	डिबेंचर / बांड	Debentures / Bonds	7500000	0
2	बैंकों	Banks	0	0
3	वित्तीय संस्थाएँ	Financial Institutions	0	0
4	अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	Others (to be specified)	0	0
	कुल	Total	7500000	0

SCHEDULE - 8: INVESTMENTS AS AT 31.03.2019

S.No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019	31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
	लंबी अवधि के निवेश	Long Term Investments		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूति और सरकारी गारंटी बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	12151179	5877180
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति	Other Approved Securities	94578	60887
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	क) शेयर	a) Shares		
	(आ) इक्विटी- एसोसिएट्स	(aa) Equity- Associates	579582	352595
	जोड़ें: पोस्ट अधिग्रहण लाभ का हिस्सा (नुकसान का शुद्ध)	Add: Share of Post acquisition profit (net of losses)	18774	20528
	(इ) इक्विटी- अन्य	(ab) Equity- Others	13950131	9632794
	(बी बी) वरीयता शेयर	(bb) Preference shares	3204	6154
	इ) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	0	0
	ब) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	1551379	1416784
	डी) निवेश गुण - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूति (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)	0	0
	वेंचर फंड	Venture Fund	70787	50673
4	इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	क) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	3309621	1930108
	इ) समानता	b) Equity	1697920	1306824
	लघु अवधि के निवेश	Short Term Investments	0	
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूति और सरकारी गारंटी बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	358523	201857
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति	Other Approved Securities	0	0
3	अन्य निवेश	Other Investments	0	0
	क) शेयर	a) Shares		
	(प) समानता	(i) Equity	0	0
	(पप) वरीयता शेयर	(ii) Preference shares	256	15576
	इ) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	1982841	280309
	ब) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	453595	274048
	डी) निवेश गुण - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूति (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)	0	0
	पप) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	0	0
4	इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	क) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	565591	519369
	इ) समानता	b) Equity	0	0
	कुल निवेश	Total Investments	36787962	21945687
1	भारत में	In India	36195264	21575732
2	भारत के बाहर	Outside India	592698	369955
	कुल	Total	36787962	21945687

आईआरडीए सर्कुलर IRDA / F&A / CIR / CPM / 010 / 01 / 2017 दिनांक 12 जनवरी, 2017 के अनुसार प्रारूप में परिवर्तन को देखते हुए पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।
ध्यान दें :-

Figures of previous year have been re-grouped wherever necessary in view of the change in the format as per IRDA Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/010/01/2017 dt. Jan 12, 2017.



आईआरडीए सर्कुलर IRDA/F&A/CIR/CPM/010/01/2017 दिनांक 12 जनवरी, 2017 के अनुसार प्रारूप में परिवर्तन को देखते हुए पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।

- i) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों/म्युचुअल फंडों के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि 1,86,766.81 / - रुपये है और इसके बाजार मूल्य 1,84,770.32 / लाख रुपये है।
- ii) डिबेंचर में निवेश के खिलाफ रु. 1514.57 / - लाख का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत रखा गया है।
- iii) डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 213.29 / - रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- iv) इक्विटी में निवेश के खिलाफ 111.75 / - रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- v) अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत वेंचर कैपिटल में निवेश के खिलाफ 186.21 / - लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- vi) सहायक कंपनियों में निवेश के विरुद्ध 0.74 / - लाख का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- vii) प्रीफ में निवेश के खिलाफ 12.81 / - रुपये का प्रावधान। अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत शेयरों को वर्गीकृत किया गया है।

Note :-

Figures of previous year have been re-grouped wherever necessary in view of the change in the format as per IRDA Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/010/01/2017 dt. Jan 12, 2017.

- i) Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs1,86,766.81/- lacs and Market Value thereof is Rs 1,84,770.32 /- lacs.
- ii) Provision of Rs.1514.57/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- iii) Provision of Rs213.29/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- iv) Provision of Rs111.75/- lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- v) Provision of Rs 186.21/- lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vi) Provision of Rs.0.74/- lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vii) Provision of Rs.12.81/- lacs against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.

अनुसूची -8 ए: 31.03.2018 को निवेश-पॉलिसीधारक निवेश

SCHEDULE - 8A INVESTMENTS AS AT 31.03.2019 - POLICYHOLDERS

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
	दीर्घ अवधि के निवेश	Long Term Investments		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूति और सरकारी गारंटी बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	70453712	56183859
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति	Other Approved Securities	548372	582063
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	क) शेयर	a) Shares		
	(i) समानता	(i) Equity	81086502	92300979
	(ii) वरीयता शेयर	(ii) Preference shares	18578	58833
	ख) म्युचुअल फंड	b) Mutual Funds	0	0
	ग) डिबेंचर / बॉन्ड	c) Debentures / Bonds	8995043	13543972
	घ) निवेश गुण - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	इ) अन्य प्रतिभूति (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	426	453
	ii) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	410432	484415
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	क) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	19189501	18451181
	ख) समानता	b) Equity	9844707	12492797
	लघु अवधि के निवेश	Short Term Investments		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूति और सरकारी गारंटी बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	2078751	1929686
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति	Other Approved Securities	0	0



S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	क) शेयर	a) Shares		
	(i) समानता	(i) Equity	0	0
	(ii) वरीयता शेयर	(ii) Preference shares	1485	148902
	ख) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	11496705	2679664
	ग) डिबेंचर / बॉन्ड	c) Debentures / Bonds	2629988	2619811
	घ) निवेश गुण - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ङ) अन्य प्रतिभूति (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	0	0
	ii) वैचर फंड	ii) Venture Fund	0	0
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	क) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	3279349	4964993
	ख) समानता	b) Equity	0	0
	कुल निवेश	Total Investments	210033551	206441606
	निवेश	Investments		
1	भारत में	In India	209859791	206257263
2	भारत के बाहर	Outside India	173760	184343
	कुल	Total	210033551	206441606

पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रारूप में बदलाव के मद्देनजर जहां भी आवश्यक हो, फिर से समूहीकृत किया गया है

आईआरडीए सर्कुलर के अनुसार IRDA/F&A/CIR/CPM/ 010/01/2017 कज | 12 जनवरी 2017 |

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों/म्यूचुअल फंडों के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि रु 1,082,891.98 लाख है और इसके बाजार मूल्य 1,071,316.15 लाख रुपये है।
- डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 8781.60 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत रखा गया है।
- डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 1236.697 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक आस्तियों पर प्रावधान के तहत रखा गया है।
- इक्विटी में निवेश के खिलाफ 647.93 लाख का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत उद्यम पूंजी में निवेश के खिलाफ 1079.66 लाख रुपये का प्रावधान है।
- सहायक कंपनियों में निवेश के खिलाफ 4.26 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- प्रीफ में निवेश के खिलाफ 74.25 लाख रुपये का प्रावधान। अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के तहत शेयरों को वर्गीकृत किया गया है।

Note :-

Figures of previous year have been re-grouped wherever necessary in view of the change in the format as per IRDA Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/010/01/2017 dt. Jan 12, 2017.

- Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs1,082,891.98 lacs and Market Value thereof is Rs1,071,316.15 lacs.
- Provision of Rs.8781.60/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- Provision of Rs1236.69/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- Provision of Rs647.93/- lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- Provision of Rs 1079.66/-lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- Provision of Rs.4.26/- lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- Provision of Rs.74.25/- lacs against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.



अनुसूची -9 : 31.03.2019 को ऋण
SCHEDULE - 9: LOANS AS AT 31.03.2019

S. No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019 (Rs. '000)	31.03.2018 (Rs. '000)
1	सुरक्षा-समझदार वर्गीकरण	Security-Wise Classification		
	सुरक्षित	Secured		
	(क) संपत्ति के बंधक पर	(a) On Mortgage of Property		
	(i) भारत में	(i) In India	0	0
	(ii) भारत के बाहर	(ii) Outside India	0	0
	(ख) शेयर, बांड, सरकारी प्रतिभूतियों पर	(b) On Shares, Bonds, Government Securities	0	0
	(ग) अन्य (i) स्टाफ को आवास ऋण	(c) Others (i) Housing Loans to Staff	1031025	1003666
	(ii) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत आवास और एफएफई के लिए राज्य ऋणों के लिए ऋण और ऋण	(ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts.	321888	385995
	असुरक्षित (सावधि ऋण, पुल ऋण, प्रमाणपत्र	Unsecured (Term loans, Bridge loans, Certificate		
	जमा की, वाणिज्यिक पत्र	of deposit, Commercial paper	64299	64299
कुल	Total	1417212	1453960	
2	उधारकर्ता-समझदार वर्गीकरण	Borrower-Wise Classification		
	(क) केंद्र और राज्य सरकारें	(a) Central and State Governments	233907	294672
	(ख) बैंक और वित्तीय संस्थान	(b) Banks and Financial Institutions	0	0
	(ग) सहायक	(c) Subsidiaries	0	0
	(घ) कंपनियां / औद्योगिक उपक्रम	(d) Companies/Industrial Undertakings	152280	155622
	(ङ) नीतियों के विरुद्ध ऋण	(e) Loan against policies	0	0
	(च) अन्य (i) स्टाफ	(f) Others (i) Staff	1031025	1003666
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	(ii) Commercial Papers	0	0
	कुल	Total	1417212	1453960
	3	प्रदर्शन-समझदार वर्गीकरण	Performance-Wise Classification	
(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		(a) Loans classified as standard		
(क) भारत में		(a) In India	1274652	1310118
(ख) भारत के बाहर		(b) Outside India	0	0
(ख) गैर-निष्पादित ऋण कम प्रावधान		(b) Non-Performing loans less provisions		
(क) भारत में		(a) In India	0	452
(ख) भारत के बाहर		(b) Outside India	0	0
प्रावधान		Provision	142560	143390
कुल		Total	1417212	1453960
4		परिपक्वता-समझदार वर्गीकरण	Maturity-Wise Classification	
	(क) लघु अवधि	(a) Short-Term	58809	54270
	(ख) दीर्घकालिक	(b) Long-Term	1358403	1399690
	कुल	Total	1417212	1453960
	कुल	Total	1417212	1453961



अनुसूची -10: 31.03.2019 को तय संपत्तियों की अनुसूची
SCHEDULE - 10 : SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS AT 31.03.2019

(Rs. '000)

विवरण	Particulars	COST/GROSS BLOCK				DEPRECIATION RESERVE				NET BLOCK	
		Opening Balance	Additions during the period	Deductions and Adjustments made in the period	Closing Balance	Opening Balance	Depreciation during the period	Deductions and Adjustments made in the period	Closing Balance	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
मूर्त संपत्ति	Tangible Assets										
भूमि फ्रीहोल्ड	Land Freehold	1109	0	57566	58675	0	0	0	0	58675	1109
लीजहोल्ड संपत्ति	Leasehold Property	204693	120037	12019	336749	106809	6602	3553	116964	219785	97884
फ्रीहोल्ड संपत्ति	Freehold Property	985001	119611	69585	1035027	360677	10512	3550	367639	667388	624324
फर्नीचर फिटिंग	Furniture & Fittings	486082	35865	2535	519412	404087	14352	2658	415781	103631	81995
सूचना और प्रौद्योगिकी उपकरण	Information & Technology Equipment	1788726	45563	30090	1804199	1202202	147622	5750	1344074	460125	586524
वाहन	Vehicles	882603	245689	177362	950930	362861	158216	123663	397414	553516	519742
दफ्तर के उपकरण	Office Equipment	176590	3022	3121	176491	161194	3624	3256	161562	14929	15395
अन्य लोग	Others	454155	15101	7140	462116	370650	16932	8890	378692	83424	83505
कुल लिखित संपत्तियां	Total Fixed Assets	4978959	584888	335380	5343599	2968480	357860	151320	3182126	2161473	2010478
अमूर्त संपत्ति (सॉफ्टवेयर)	Intangible Assets (Software)	780080	232584	6850	1005814	632714	178836	0	811550	194264	147366
उप कुल	Sub Total	5759039	817472	342230	6349413	3601194	536696	151320	3993676	2355737	2157844
प्रगति में पूंजीगत कार्य	Capital Work in Progress	2906622	927115	288066	3545672	0	0	0	0	3545672	2906622
कुल	Total	8665661	1744587	630296	9895085	3601194	536696	151320	3993676	5901409	5064466
पिछले वर्ष (31.03.2017)	Previous Year(31.03.2018)	7777353	1399459	511951	8665661	3479075	459031	337106	3601194	5064466	4298275



अनुसूची -11: 31.03.2019 को कैश और बैंक बैलेंस
SCHEDULE - 11 : CASH & BANK BALANCES AS AT 31.03.2019

S.No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019	31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	Cash (including cheques, drafts and stamps)	1244276	1001916
2	बैंक शेष	Bank Balances		
	(ए) जमा खाते	(a) Deposit Accounts		
	(एए) अल्पकालिक (12 महीने के भीतर देय)	(aa) Short-term (due within 12 months)	19238257	14386847
	(बीबी) अन्य	(bb) others	0	0
	(बी) चालू खाते	(b) Current Accounts	5646510	7253588
	(सी) अन्य	(c) Others	0	
3	कॉल और लघु सूचना पर पैसा	Money at Call and Short Notice		
	(ए) बैंकों के साथ	(a) With Banks	0	
	(बी) अन्य संस्थानों के साथ	(b) With other Institutions	0	
4	अन्य लोग	Others	0	
	कुल	TOTAL	26129043	22642351
	गैर अनुसूचित बैंकों के साथ शेष 2 और 3 में शामिल है	Balance with non-scheduled banks included in 2 and 3 above	0	0
	नकद और बैंक शेष	Cash & Bank Balances		
1	भारत में	In India	23846582	20315451
2	भारत के बाहर	Outside India	2282461	2326900
	कुल	TOTAL	26129043	22642351

अनुसूची -12: 31.03.2019 को एडवांस और अन्य संपत्तियां
SCHEDULE - 12 : ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31.03.2019

S. No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019	31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
	अग्रिम	Advances		
1	सीडिंग कंपनियों के पास रिजर्व डिपॉजिट	Reserve deposits with ceding companies	340879	175376
2	निवेश के लिए आवेदन पैसा	Application money for investments	0	0
3	पूर्वभुगतान	Prepayments	169375	139267
4	निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम	Advances to Directors/Officers	437285	492002
5	अग्रिम कर का भुगतान और स्रोत पर काटे गए कर, (कर के लिए प्रावधान का प्रावधान) / कर विभाग से वसूल की गई राशि।	Advance tax paid and taxes deducted at source, (Net of Provision for Taxation)/Amount Recoverable from Tax Deptt.	11957117	9234662
6	अन्य	Others	464516	374437
	कुल (क)	Total (A)	13369172	10415744
1	निवेश पर अर्जित आय	Income accrued on investments	3949841	3858955
2	बकाया प्रीमियम	Outstanding Premiums	1441936	399784
3	एजेंटों की शेष राशि	Agents' Balances	0	0
4	विदेशी एजेंसियों के संतुलन	Foreign Agencies' Balances	800476	493565
5	बीमा कारोबार पर लगने वाली अन्य संस्थाओं से (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित)	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	29452080	21874304
6	सहायक / होल्डिंग कंपनी से	Due from subsidiaries/holding company	728828	0
7	पॉलिसीधारकों के दावा न की गई राशियों के जमा	Deposits of Unclaimed Amounts of Policyholders	32991	0
8	पॉलिसीधारकों के दावा न की गई राशियों के जमा - ब्याज की वसूली	Deposits of Unclaimed Amounts of Policyholders - Interest Accrued	8425889	5600787
9	अन्य	Others	44832040	32227395
	कुल (ख)	Total (B)	58201212	42643139
	कुल (क + ख)	Total (A + B)	58202122	42643934



अनुसूची - 13: 31.03.2018 को मौजूदा दायित्व
SCHEDULE - 13: CURRENT LIABILITIES AS AT 31.03.2019

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
1	एजेंट शेष (निवल)	Agents Balances (Net)	940934	899347
2	अन्य बीमा कंपनियों के कारण संतुलन	Balances due to other insurance companies	14436590	91838
3	पुनर्बीमा पर आयोजित जमा सीडेड	Deposits held on reinsurance ceded	607980	754350
4	अग्रिम में प्रीमियम प्राप्त हुआ	Premium received in advance	3452192	1129473
5	बिना प्रीमियम के	Unallocated Premium	0	0
6	विविध लेनदार	Sundry Creditors	15326821	13162569
7	सहायक / होल्डिंग कंपनी के कारण	Due to subsidiaries/holding company	0	0
8	बकाया का दावा	Claims Outstanding	125024443	103398373
9	अधिकारियों / निदेशकों के कारण	Due to Officers / Directors	0	0
10	पोलिसी धारकों की गेर-दावों की राशियाँ	Unclaimed Amounts of Policy Holders	778805	679821
11	पोलिसी होल्डर्स के दावा न की गई राशियों पर अर्जित ब्याज	Interest Accrued on Unclaimed Amounts of Policy Holders	55516	50908
12	नई पेंशन योजना पर देयता	Liability on New Pension Scheme	34420	86745
13	अन्य	Others	165210	557979
	कुल	Total	160822911	120811403

अनुसूची - 14: 31.03.2019 तक प्रावधान
SCHEDULE - 14 : PROVISIONS AS AT 31.03.2019

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
1	अनपेक्षित जोखिम के लिए रिजर्व	Reserve for Unexpired Risk	52782172	50343552
2	कराधान के लिए (स्रोत पर कम कर का भुगतान और कर घटाया गया)	For taxation (less advance tax paid and tax deducted at source)	0	0
3	प्रस्तावित लाभांश के लिए	For proposed dividends	0	0
4	लाभांश वितरण कर के लिए	For dividend distribution tax	0	0
5	अन्य	Others		
	(क) छुटी नकदीकरण / एलटीएस / बीमार छुटी के लिए प्रावधान	(a) Provision for Leave Encashment/ LTS/Sick Leave	8104811	7743811
	(ख) वेज रिवीजन का प्रावधान	(b) Provision for Wage revision	0	0
	(ग) खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(c) Provision for Bad & Doubtful Debts	3491947	2473192
	(घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(d) Provision for Standard Assets	145973	175529
	(ङ) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(e) Provision for Diminution in Value of Shares	211760	152885
	(च) ब्याज रहस्य	(f) Interest Suspense	0	0
6	प्रीमियम की कमी के लिए रिजर्व	Reserve for Premium Deficiency	361036	0
	कुल	Total	65097699	60888969

अनुसूची - 15: 31.03.2019 को विविध व्यय (मौजूदा या बंद किए गए नहीं हैं)

SCHEDULE - 15 : MISCELLANEOUS EXPENDITURE AS AT 31.03.2019 (TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
			(Rs. '000)	(Rs. '000)
1	शेयर / डिबेंचर के मुद्दे में अनुमति दी गई छूट	Discount Allowed in issue of shares/debentures	0	0
2	अन्य	Others		
	क) पेंशन और ग्रेच्युटी का परिशोधन	a) Amortisation of Pension & Gratuity	0	0
	कुल	Total	0	0



अनुसूची-16 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और 31 मार्च 2018 तक समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

क. कंसोलिडेशन और विशिष्ट लेखा नीतियों का आधार:

1. लेखांकन और समेकित वित्तीय वक्तव्य की तैयारी का आधार

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी), इसकी सहायक और एसोसिएट्स (साथ में इसमूह) के समेकित वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत, कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधानों और बीमा नियामक और विकास के प्रावधानों के अनुसार पढ़ा गया है। प्राधिकरण अधिनियम, 1999, बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 और आईआरडीए द्वारा जारी मास्टर परिपत्र 2012, लागू होने वाली प्रथाओं के अनुरूप भारत में सामान्य बीमा उद्योग को छोड़कर अन्यथा दिया गया है। ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत एकत्रित आधार पर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष के अनुरूप हैं।

SCHEDULE-16 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31ST MARCH 2019

A. BASIS OF CONSOLIDATION & SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Basis of Accounting & Preparation of Consolidated Financial Statement

The consolidated financial statements of The Oriental Insurance Company Limited (the Company), its subsidiary and Associates (together the 'Group') have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the 2013 Act") and as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Act, 1938 and The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Master Circular 2012 issued by IRDA, to the extent applicable and conform to practices prevailing in the General Insurance Industry in India except as otherwise stated. The consolidated financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those followed in the previous year.



2. समेकन के सिद्धांत

2. ए समेकित वित्तीय वक्तव्य निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

- 2.क.1 इंद्रा ग्रुप बैलेंस और इंद्रा ग्रुप को पूरी तरह समाप्त करने के बाद, कंपनी और उसके सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को संपत्ति के आधार पर संपत्ति मूल्यों, देनदारियों, आय और व्यय जैसे पुस्तक मूल्यों को जोड़कर लाइन दर लाइन के आधार पर एक लाइन पर जोड़ा जाता है। एएस 21 'समेकित वित्तीय वक्तव्य' के अनुसार लेनदेन।
2. क.2 सहायक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय शुद्ध परिसंपत्तियों पर निवेश की लागत के बीच अंतर को वित्तीय विवरणों में गुडविल या कैपिटल रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा भी मामला हो।
- 2.क.3 सहायक में निवेश के निपटारे से प्राप्त आय के बीच अंतर और निपटान की तारीख के रूप में अपनी संपत्तियों की कम देनदारियों को लाभ और हानि के समेकित बयान में निवेश के निपटारे पर लाभ या हानि माना जाता है सहायक में
- 2.क.4 एसोसिएट कंपनियों में निवेश को लेखा मानक (एएस) 23- 'समेकित वित्तीय वक्तव्यों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन' के अनुसार इक्विटी विधि के तहत जिम्मेदार माना गया है।
- 2.क.5 कंपनी लाभांश के बयान के माध्यम से कंपनी और उसके सहयोगियों के बीच लेनदेन से होने वाले अवसूल लाभ और हानियों को समाप्त करने के बाद सहयोगियों की शुद्ध परिसंपत्तियों, अधिग्रहण के बाद शुद्ध परिसंपत्तियों में परिवर्तन में अपने हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इस तरह के परिवर्तन की हानि तक हानि उपलब्ध जानकारी के आधार पर शेष के लिए अपने रिजर्व के माध्यम से सहयोगियों के लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है।

2. Principles of Consolidation

- 2.A The consolidated Financial Statements have been prepared on the following basis:
- 2.A.1 The financial statements of the company and its subsidiary company are combined on a line by line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra group balances and intra group transactions in accordance with AS 21- 'Consolidated Financial Statements'.
- 2.A.2 The difference between the cost of investment in the subsidiary over the net assets at the time of acquisition of shares in the subsidiary is recognized in the financial statements as Goodwill or Capital Reserve , as the case may be.
- 2.A.3 The difference between the proceeds from disposal of investment in subsidiary and the carrying amount of its assets less liabilities as of the date of disposal is recognized in the consolidated statement of Profit & Loss being the profit or loss on disposal of investment in subsidiary.
- 2.A.4 Investment in Associate Companies has been accounted under the equity method as per Accounting Standard (AS) 23- 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements'.
- 2.A.5 The Company accounts for its share in change in net assets of the associates, post acquisition, after eliminating unrealized profits and losses resulting from transactions between the Company and its associates to the extent of its share , through its statement of Profit & Loss to the extent such change is attributable to the associates' Profit or loss through its reserves for the balance, based on available information.



2.क.6 एसोसिएट्स में शेयरों के अधिग्रहण के समय सहयोगियों में निवेश की लागत और शुद्ध परिसंपत्तियों के हिस्से के बीच अंतर को वित्तीय विवरणों में गुडविल या कैपिटल रिजर्व के रूप में पहचाना जा सकता है।

2.क.7 जहां तक संभव हो और सबसे अच्छी परिस्थितियों में, समेकित वित्तीय विवरण समान लेनदेन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किए जाते हैं; इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, एक सहयोगी सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एफआरएस) के अनुसार सिंगापुर कंपनी अधिनियम, कैप 50 द्वारा आवश्यकतानुसार तैयार किया गया है।

कंपनी की लेखांकन नीति की तुलना में सहयोगी कंपनी द्वारा दी गई लेखांकन नीति में भौतिक अंतर निम्नलिखित हैं:

(क) अप्रत्याशित जोखिमों के लिए रिजर्व, अनधिकृत जोखिमों के लिए एसोसिएट रिजर्व के बाद लेखांकन नीति में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम कमी रिजर्व की राशि शामिल है। प्रीमियम कमी रिजर्व हानि आंकड़ों पर वास्तविक तरीकों का उपयोग करके व्युत्पन्न होते हैं और उन्हें मान्यता दी जाती है जब व्यापार की किसी भी पंक्ति के लिए बैलेंस शीट तिथि पर लागू नीतियों की अप्रत्याशित अवधि के लिए जिम्मेदार दावों और व्यय का अनुमानित मूल्य अनर्जित प्रीमियम रिजर्व से अधिक है।

अनियंत्रित प्रीमियम रिजर्व निम्नलिखित आधार पर गणना की जाती है:

2.A.6 The difference between the cost of Investment in associates and the share of net assets at the time of acquisition of shares in the associates is identified in the financial statements as Goodwill or Capital Reserve as the case may be.

2.A.7 As far as possible and to the best of the circumstances, the consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances and are presented in the same manner as the company's standalone financial statements; except for the India International Insurance Pte Ltd., an associate have been prepared in accordance with Singapore Financial Reporting Standards (FRS) as required by the Singapore Companies Act, Cap. 50.

As compared to the accounting policy of the company the material difference in the accounting policy followed by the associate are with respect to :

(a) Reserves for unexpired risks, the accounting policy followed by Associate Reserves for unexpired risks comprises the sum of unearned premium reserves and premium deficiency reserves. Premium deficiency reserves are derived using actuarial methods on loss statistics and are recognised when the expected value of claims and expenses attributable to the unexpired periods of policies in force at the balance sheet date for any line of business exceeds the unearned premium reserves.

The unearned premium reserves are computed on the following basis:



- (i) मरीन माल के अलावा व्यापार के सभी प्रत्यक्ष और संकाय पुनर्बीमा वर्गों के लिए 365 वां विधि, जिसके लिए 25% लागू है;
- (ii) संधि पुनर्बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों के मामले में, मरीन माल के अलावा, प्रीमियम का 40% और मरीन माल के लिए, प्रीमियम का 25%; तथा
- (iii) मरीन माल के अलावा प्रत्यक्ष अधिग्रहण लागत प्रत्यक्ष और संकाय पुनर्वित्त व्यवसाय के संबंध में गणना में ध्यान में रखा जाता है।
- (बी) स्थगित अधिग्रहण लागत:
- कमीशन और अन्य अधिग्रहण लागत जो वित्तीय अवधि के दौरान भिन्न होती हैं और नए बीमा अनुबंधों को सुरक्षित करने और / या मौजूदा बीमा अनुबंधों को नवीनीकृत करने से संबंधित हैं, लेकिन जो कि बाद की वित्तीय अवधि से संबंधित हैं, इस हद तक स्थगित हैं कि वे भविष्य के राजस्व से पुनर्प्राप्त हैं मार्जिन। स्थगित अधिग्रहण लागत ("डीएसी") की गणना वास्तविक कमीशन पर 365 वें विधि का उपयोग करके की जाती है। अन्य सभी अधिग्रहण लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक हानि समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो ले जाने वाला मूल्य पुनर्प्राप्ति योग्य राशि पर लिखा जाता है।
- (i) 365th method for all direct and facultative reinsurance classes of business other than marine cargo, for which 25% is applicable;
- (ii) in the case of all classes of treaty reinsurance business, other than marine cargo, 40% of the premiums and for marine cargo, 25% of the premiums; and
- (iii) the actual acquisition cost is taken into account in the computation in respect of direct and facultative reinsurance business, except for marine cargo.
- (b) Deferred Acquisition Cost:
- Commission and other acquisition costs incurred during the financial period that vary with and are related to securing new insurance contracts and/or renewing existing insurance contracts, but which relates to subsequent financial periods, are deferred to the extent that they are recoverable out of future revenue margins. Deferred acquisition costs ("DAC") are calculated using the 365th method on actual commission. All other acquisition costs are recognised as an expense when incurred.
- An impairment review is performed at each reporting date and, if required, the carrying value is written down to the recoverable amount.



(सी) निश्चित संपत्तियां:

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ८ के भाग सी में दी गई संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर भारत के स्वास्थ्य बीमा टीपीए में लिखित मूल्य विधि पर निर्धारित संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति की मूल लागत 5% माना जाता है।

2.क.8 समेकन में उपयोग की जाने वाली सहायक और सहयोगियों के वित्तीय विवरण भारत अंतर्राष्ट्रीय बीमा प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, कंपनी के अर्थात् 31 मार्च 2018 के समान रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2017 को तैयार किए गए हैं।

सहायक कंपनी और सहयोगियों की सूची जो समेकन और कंपनी होल्डिंग्स में शामिल हैं, निम्नानुसार हैं:

कंपनी का नाम	% में स्वामित्व	का देश निगमन
सहायक कंपनी		
औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	100%	India
एसोसिएट्स		
इंडिया इंटरनेशनल इंड्यो. रेंस प्रा लिमिटेड	20%	Singapore
स्वास्थ्य बीमा टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	23.75%	India

3. एसिमेट्स का उपयोग

वित्तीय विवरणों, अनुमानों और धारणाओं की तैयारी के लिए जहां भी आवश्यक हो, समझदार आधार पर विचार किया जाता है। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन संभावित रूप से पहचाना जाता है।

4. शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के फंड:

शेयरधारकों के फंड में शेयर पूंजी, सामान्य रिजर्व और पूंजी

(c) Fixed Assets:

The depreciation on fixed assets is provided on written down value method in Health Insurance TPA of India Ltd based on useful lives of assets given in Part C of Schedule II of Companies Act 2013. The residual value of assets have been considered as 5% of the original cost of the asset.

2.A.8 The financial statements of the subsidiary and associates used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the company i.e. 31st March 2019, except for the India International Insurance Pte Ltd., an associate for which financial statements are drawn as on 31st Dec 2018.

The list of subsidiary company and associates which are included in the consolidation and the company holdings therein are as under:

NAME OF THE COMPANY	OWNERSHIP IN %	COUNTRY OF INCORPORATION
SUBSIDIARY COMPANY		
The Industrial Credit Company Ltd	100%	India
ASSOCIATES		
India International Insurance Pte Ltd	20%	Singapore
Health Insurance TPA of India Ltd	23.75%	India

3. Use of Estimates

For preparation of financial statements, estimates and assumptions wherever necessary are considered on prudent basis. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively.

4. Shareholders' and Policyholders' Fund:

The Shareholders' Fund comprises of Share



रिजर्व शामिल है। पॉलिसीधारकों के फंड में आईबीएनआर और आईबीएनईआर, अप्रत्याशित जोखिम रिजर्व (यूआरआर), प्रीमियम की कमी, यदि कोई हो, आपदाजनक रिजर्व, यदि कोई हो और अन्य देयताएं अन्य संपत्तियों और देयताओं का शुद्ध बकाया के लिए अनुमानित दायित्व शामिल हैं।

5. विदेशी मुद्रा लेनदेन / रूपांतरण:

- 5.1 लेखांकन मानक के अनुसार 11 विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव (संशोधित 2003), विदेशी शाखाओं / एजेंसियों को "इंटीग्रल विदेशी परिचालन" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- 5.2 विदेशी मुद्राओं में अधिग्रहित निश्चित संपत्तियों और निवेश का मूल्य, अधिग्रहण की तारीख पर विनिमय दरों में परिवर्तित / अनुवादित किया जाता है।
- 5.3 विदेशी मुद्राओं में व्यक्त की गई सभी अन्य संपत्तियों और देनदारियों का मूल्य वर्ष-अंत बंद खरीद बोली दर में परिवर्तित / अनुवादित किया जाता है।
- 5.4 विदेशी मुद्राओं में व्यक्त विदेशी शाखाओं और एजेंसियों की आय और व्यय के आइटम वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही दरों की औसत विनिमय दर में परिवर्तित / अनुवादित होते हैं, जो दैनिक बंद खरीद बोली दरों का औसत होते हैं।
- 5.5 पुनर्वित्त व्यापार और निवेश से संबंधित राजस्व लेनदेन वित्तीय वर्ष की उस विशेष तिमाही में सभी व्यापारिक दिनों के लिए दैनिक बंद खरीद बोली दरों की औसत विनिमय दर में परिवर्तित / अनुवादित होते हैं।
- 5.6 विदेशी मुद्रा लेनदेन के रूपांतरण पर विनिमय लाभ / हानि आय / व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

Capital, General Reserve and Capital Reserve. The Policyholders' Fund comprises of Estimated Liability for Outstanding Claims including IBNR and IBNER, Unexpired Risk Reserve (URR), Premium Deficiency, if any, Catastrophe Reserve, if any and Other Liabilities net off Other Assets.

5. Foreign Currency Transactions / Conversion:

- 5.1 As per Accounting Standard 11 "the effects of changes in foreign exchange rates (revised 2003), Foreign branches/ agencies are classified as "Integral Foreign Operations".
- 5.2 Value of fixed assets and investments acquired in foreign currencies, is converted/ translated at the exchange rates on the date of acquisition.
- 5.3 Value of all other assets and liabilities expressed in foreign currencies, is converted/translated at the year-end closing purchase bid rate.
- 5.4 Items of income and expenditure of foreign branches and agencies expressed in foreign currencies are converted/ translated at the mean exchange rate of four quarterly rates during the financial year, which are the average of daily closing purchase bid rates.
- 5.5 Revenue transactions relating to reinsurance business and investments are converted/ translated at the average exchange rate of daily closing purchase bid rates for all the trading days in that particular quarter of the financial year.
- 5.6 Exchange Gain/Loss on conversion of foreign currency transactions is recognized as income/expense.



6. राजस्व मान्यता:

6.1 कमीशन

पुनर्बीमा सत्रों पर कमीशन की आय वर्ष में आय के रूप में पहचानी जाती है जिसमें पुनर्वित्त प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।

जहां भी लागू हो, पुनर्मिलन संधि के तहत लाभ कमीशन, वास्तव में संधि अवधि के बाद वर्ष में गणना की जाती है। लाभ कमीशन के बाद के किसी भी संशोधन को वर्ष में भी मान्यता प्राप्त है जिसमें लाभ का अंतिम निर्धारण किया जाता है।

6.2 अप्रत्याशित जोखिमों के लिए आरक्षित

प्रत्येक संबंधित राजस्व खाते में जोखिमों की धारणा के आधार पर प्रीमियम रिकॉर्ड किए जाते हैं, पुनर्मिलन का शुद्ध। अप्रत्याशित जोखिमों के लिए रिजर्व इसके प्रतिशत पर आधारित है, अग्नि, मरीन कार्गो और विविध व्यवसाय के मामले में 50% और मरीन हल व्यवसाय के मामले में 100% है। यह लगातार वित्तीय वर्ष के लिए जिम्मेदार शुद्ध प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। खरीफ की फसल के लिए अनपेक्षित जोखिम को शून्य के रूप में लिया जाता है क्योंकि यह लेखा अवधि के साथ समाप्त होने वाला एक अल्पावधि है। प्रीमियम को मास्टर सर्कुलर नंबर IRDA-F&A-CIR-FA-126-07-2013 दिनांक 3 जुलाई, 2013 को गलियारे के अनुपालन में बुक किया गया है।

6.3 पुनर्बीमा स्वीकृत

भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रीमियम आय खातों को अंतिम रूप देने के लिए प्राप्त रिटर्न के आधार पर पहचानी जाती है, और विदेशी पुनर्मिलन के मामले में, आय 31 मार्च तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर होती है।

6. Revenue Recognition:

6.1 Commission

Commission income on reinsurance cessions is recognized as income in the year in which reinsurance premium is ceded.

Profit commission under reinsurance treaties wherever applicable, is recognized when actually calculated in the year subsequent to the Treaty period. Any subsequent revisions of profit commission also are recognized for in the year in which final determination of the profits is made.

6.2 Reserves for Unexpired risk/s

Premiums are recorded, net of reinsurances, based on assumption of risks in each related Revenue account. Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50 % in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business. It represents the net premium attributable to the successive financial year/s. Unexpired risk for Kharif crop is taken as nil as it is a short term expiring with in the accounting period. The premium is booked in compliance of corrigendum to Master circular ref. no. IRDA-F&A-CIR-FA-126-07-2013 Dt.3rd July, 2013.

6.3 Reinsurance Accepted

Premium income in respect of Indian Reinsurers is recognized based on returns received upto finalization of accounts, and in case of foreign reinsurance, the income is accounted for on the basis of returns received upto 31st March.



6.4 पुनर्बीमा बीमा

पुनर्बीमा सत्र वास्तविकताओं के आधार पर जिम्मेदार हैं। जहां भी पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं, पुनर्बीमा स्वीकृति/सत्र अनुमान उपलब्ध जानकारी के आधार पर किए जाते हैं।

6.5 प्रीमियम अग्रिम में प्राप्त हुआ

अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम वर्ष के दौरान जारी नीतियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है, जहां जोखिम बैलेंस शीट की तारीख के बाद शुरू होता है।

6.6 लाभांश

1. लाभांश उस वर्ष के लिए जिम्मेदार है जिसमें प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया गया है।
2. आपत्ति/लंबित डिलीवरी के तहत शेयरों पर लाभांश प्राप्ति की गणना की जाती है। अंतरिम लाभांश की गणना तभी की जाती है जहां पूर्व लाभांश दिनांक 31 मार्च को या उससे पहले है।
3. विदेशी कंपनियों (चाहे अंतरिम या अंतिम) से लाभांश संग्रह के आधार पर लिया जाता है।

6.7 ब्याज आय

- क) ऋण, बांड और डिबेंचरों के संबंध में ब्याज आय आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और आईआरडीएआई द्वारा जारी प्रावधान के लिए समझदार मानदंडों के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त है।
- ख) आयकर रिफंड पर ब्याज आय ऑर्डर मिलने के वर्ष में होती है।

6.4 Reinsurance Ceded

Reinsurance cessions are accounted for on the basis of actuals. Wherever full particulars are not available, reinsurance acceptances/ cessions are made on estimates based on available information.

6.5 Premium received in Advance

Premium received in advance represents premium received in respect of policies issued during the year, where the risk commences subsequent to the balance sheet date.

6.6 Dividend

1. Dividend is accounted for in the year in which right to receive is established.
2. Dividend on shares under objection/ pending delivery is Accounted for on realization. Interim dividend is accounted where the ex-dividend date is on or before 31st March.
3. Dividend from foreign companies (whether interim or final) is accounted for on collection basis.

6.7 Interest Income

- a) Interest income in respect of loans, bonds and debentures is recognized as per the guidelines for prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDAI.
- b) Interest income on Income Tax Refunds is accounted in the year of receipt of order.



6.8 वेंचर कैपिटल फंड

वेंचर कैपिटल फंड के संबंध में राजस्व प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त है

6.9 प्रीमियम कमी

प्रीमियम की कमी की गणना की जाती है जहां अपेक्षित दावों की लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत संबंधित राशि से संबंधित अनधिकृत प्रीमियम से अधिक होती है। प्रीमियम की कमी आईआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी जाती है और अप्रत्याशित जोखिम रिजर्व का हिस्सा बनती है।

6.10 निवेश से आय- निपटान का आधार

बिक्री/रिडेम्प्शन के पिछले दिन के करीब औसत लागत ले कर लाभ/लाभ पर लाभ/हानि की गणना की जाती है।

वर्ष की शुरुआत में इन फंडों के शेष के अनुपात में निवेश आय (व्यय का शुद्ध) शेयरधारकों के धन और पॉलिसीधारकों के धन के बीच विभाजित किया जाता है।

पॉलिसीधारकों से संबंधित निवेश आय (व्यय का शुद्ध) वर्ष की शुरुआत में संबंधित तकनीकी रिजर्व संतुलन के अनुपात में अग्नि, मरीन और विविध खंडों के लिए आगे विभाजित है।

इस उद्देश्य के लिए पॉलिसीधारकों कोष में आईबीएनआर और आईबीएनआर, अप्रत्याशित जोखिम आरक्षित (यूआरआर), प्रीमियम कमी (यदि कोई है), आपदा रिजर्व (यदि कोई है) और अन्य परिसंपत्तियों के अन्य दायित्वों (पॉलिसीधारकों से संबंधित) सहित उत्कृष्ट दावों के लिए अनुमानित देयता शामिल है आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार। अवशिष्ट शेयरधारक के फंड के होते हैं।

6.8 Venture Capital Fund

Revenue in respect of Venture capital Fund is recognized on receipt basis

6.9 Premium Deficiency

Premium deficiency is calculated where the sum of expected claims costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The premium deficiency is recognized as per IRDA guidelines and forms part of unexpired risk reserve.

6.10 Income From Investments- Basis of Apportionment

Profit/Loss on sale/redemption of investments is computed by taking the average cost as at the close of the preceding day of sale/redemption.

Investment income (net of expenses) is apportioned between Shareholders' funds and Policyholders' funds in proportion to the balance of these funds at the beginning of the year.

Investment income (Net of expenses) belonging to Policyholders is further apportioned to Fire, Marine and Miscellaneous segments in proportion to respective technical reserve balance at the beginning of the year.

Policyholders Fund for this purpose consist of Estimated Liability for outstanding claims including IBNR and IBNER, unexpired risk reserve (URR), premium deficiency (if any), Catastrophe Reserve (if any) and other Liabilities net of other assets (relating to policyholders) as per the guidelines of IRDA. The residual consists of the Shareholder's fund.



- 6.11 लाभ/बिक्री पर छूट, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रावधान, शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान, ऋण प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का अमूर्तकरण और ब्याज, लाभांश और किराए के माध्यम से आय राजस्व खातों और लाभ और हानि खाता के बीच आवंटित की जाती है वर्ष की शुरुआत में पॉलिसीधारकों के फंड और शेयरधारकों के फंड के आधार पर।
- 6.12 बीमा अनुबंधों के नए/नवीनीकरण के अधिग्रहण से संबंधित अधिग्रहण लागत उस वर्ष में ली जाती है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

7. बकाया दावा:

- 7.1. दावों की रिपोर्ट कब और कब की जाती है।
- वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, नेताओं की सलाह और अंतिम स्रोत, पिछले अनुभव और अन्य लागू कानूनों तक अन्य स्रोतों पर आधारित है। अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि, अंतिम देयता, प्रदान की गई राशि से अधिक या उससे कम हो सकती है, जिसके लिए कोई भी समायोजन उस अवधि में दिखाई देगा, जिसमें वे ज्ञात हो जाते हैं। उत्कृष्ट दावों के लिए अनुमानित देयता में शामिल हैं
- 7.1.क प्रत्यक्ष व्यापार के संबंध में, साल के अंत तक दावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं।
- 7.1.ख पुनर्बीमा स्वीकृति के संबंध में, अनुमान के आधार पर अगले वर्ष की अलग-अलग तिथियों के रूप में प्राप्त सलाह खातों को अंतिम रूप देने की तारीख तक और जहां भी सलाह प्राप्त नहीं की जाती है।

- 6.11 Profit/loss on sale/redemption of investments, provisions for non performing assets, provision for diminution in value of shares, amortization of premium on debt securities and income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.
- 6.12. The acquisition cost relating to acquisition of new/renewal of insurance contracts is charged in the year in which they are incurred.

7. Outstanding Claims:

- 7.1. Claims are recognized as and when reported.
- Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of Leaders and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continually reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known. Estimated liability for outstanding claims include:
- 7.1.a In respect of direct business, claims intimations received up to the year end.
- 7.1.b In respect of reinsurance acceptances, advices received as of different dates of subsequent year upto the date of finalization of accounts and on estimation basis wherever advices are not received.



7.1.ग मोटर थर्ड पार्टी के दावों के संबंध में कंपनी की देयता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नीतिगत विवरण के बिना कंपनी पर अदालत के सम्मनों की सेवा की गई है, प्रावधान निम्नानुसार है:

- i) अनुमानित देयता का 100% जहां ऐसे दावे 1 वर्ष से अधिक के लिए बकाया हैं
- ii) ऐसे सभी दावों के लिए अनुमानित देयता का 1/3 जहां वर्ष के दौरान कंपनी में अदालत के सम्मन की प्राप्ति की गई है।

7.1.ड दावों के लिए प्रावधान, लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) और दावों के प्रावधानों के लिए प्रावधान लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं (आईबीएनईआर) वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार किए जाते हैं।

7.1.च कंपनी द्वारा अस्वीकार किए गए दावों के प्रावधान, लेकिन अदालतों/लोकपाल/मध्यस्थता आदि में दावेदारों द्वारा चुनाव किया गया है, जहां यह कहा गया है कि कुछ विकास या अतिरिक्त साक्ष्य के कारण पुरस्कार/निर्णय कंपनी के खिलाफ होने की संभावना है।

8. बचाव और दावा वसूली

दावों के तहत बचाव/पुनर्प्राप्ति का निपटान, प्राप्ति के लिए जिम्मेदार है और दावों को जमा किया जाता है।

9. प्रबंधन के व्यय-विभाजन

पॉलिसी टिकटों के अलावा प्रबंधन के व्यय को भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के आधार पर राजस्व खातों के लिए विभाजित किया जाता है और पुनर्वित्त प्रीमियम ने स्वीकार किया कि भारत अग्नि और विविध व्यापार के लिए प्रत्येक 100% वेटेज और मरीन व्यापार के लिए 75% का भार देता है। पॉलिसी टिकट, एजेंसी कमीशन, एमआईएसपी वितरण शुल्क और ब्रोकरेज से

7.1.c In respect of Motor Third Party claims where court summons have been served on the company without adequate policy particulars to establish liability of the company, provision is made as under:

- i) 100% of estimated liability where such claims are outstanding for more than 1 year
- ii) 1/3rd of the estimated liability for all such claims where court summons have been served in the company during the year.

7.1.d Provisions for claims incurred but not reported (IBNR) and provisions for claims incurred but not enough reported (IBNER) are made as per actuarial valuation. The net IBNR/IBNER is arrived at as a percentage of Gross IBNR/IBNER to the gross claim reserves.

7.1.e Provisions for claims repudiated by the company but contested by the claimants in courts/ombudsman/ arbitration etc. have been made where it is opined that the awards/decision are likely to be against the company because of certain developments or additional evidence.

8. Salvage and claim Recoveries

Disposal of salvage / recoveries under claims, are accounted for on realization and credited to claims.

9. Expenses of Management-Apportionment:

Expenses of Management other than policy stamps are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of the gross direct premium in India plus reinsurance premium accepted India giving weightage of 100% each for Fire and Miscellaneous business and



संबंधित व्यय सीधे संबंधित राजस्व खातों में आवंटित किए जाते हैं। विविधता के 100% बुनियादी ढांचे खर्च आवंटित किए जा रहे हैं। सेगमेंट के रूप में इन खर्चों को विशेष रूप से मोटर बिजनेस खरीदने के लिए खर्च किया गया था। राजस्व खातों और पी एंड एल खाते में खर्चों का आवंटन आईआरडीएआई नियमों के अनुसार दिनांक 2016/04/24 को किया जाता है।

10. निश्चित संपत्ति और मूल्यहास:

- 10.1 गुण (अधिग्रहित संपत्ति अधिकारों के लिए सहकारी समितियों में शेयरों की लागत सहित) प्रमुख 'लीजहोल्ड संपत्ति / फ्रीहोल्ड बिल्डिंग' के तहत शामिल हैं।
- 10.2 फिक्स्ड परिसंपत्तियों का मूल्य कम मूल्यहास पर मूल्यवान होता है। लागत में अधिग्रहण की लागत और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।
- 10.3 संपत्तियों को पूरा करने के तहत अधिग्रहण किया जाता है लेकिन उपयोग में नहीं रखा जाता है ष्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत वर्गीकृत किया जाता है।
- 10.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के तहत अनुसूची II में निर्धारित एसएलएम आधार पर उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। हालांकि, कंपनी के वाहन योजना के अनुसार वाहनों के लिए उपयोगी जीवन 5 साल तय किया गया है।
- 10.5 अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत के लिए जिम्मेदार है और एस 26 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 3 वित्तीय वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है।
- 10.6 लीज होल्ड गुण पट्टे की अवधि में उवतजप्रमक हैं।

75% for Marine business. Expenses relating to Policy Stamps, Agency Commission, MISP distribution fee and Brokerage are directly allocated to respective Revenue Accounts. 100% of the Infrastructure Expenses are being allocated to Misc. Segment as these expenses were exclusively incurred to procure Motor Business. The allocation of expenses to revenue accounts and P & L Account is done as per IRDAI regulations dt. 24.04.2016.

10. Fixed Assets & Depreciation:

- 10.1 Properties (inclusive of cost of shares in Co-operative societies for property rights acquired) are included under the head "Leasehold property/Freehold Buildings".
- 10.2 Fixed assets are valued at cost less depreciation. Cost includes cost of acquisition and other direct expenditure incurred for acquisition of assets.
- 10.3 Assets under completion acquired but not put to use are classified under "Capital Work in Progress".
- 10.4 Depreciation is provided on the basis of useful life on SLM basis as prescribed in Schedule II under section 123 of The Companies Act, 2013. However, useful life for Vehicles and Mobile phones is fixed at 5 years and 2 years respectively as per the scheme of the company.
- 10.5 Intangible Assets are accounted for at their cost of acquisition and amortized over the estimated useful life of 3 financial years in accordance with The Companies Act, 2013 with reference to AS 26.
- 10.6 Lease hold properties are amortized over the lease period.



10क.1 जहां कंपनी पट्टेदार है:

पट्टे जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से लीज्ड अवधि के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, को ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे की अवधि के दौरान सीधे लीज भुगतान लाभ और हानि खाते के विवरण में एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

10क2 जहां कंपनी पट्टादाता है:

परिचालन पट्टे के अधीन संपत्तियां निश्चित संपत्तियों में शामिल हैं। समझौते में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पी एंड एल खाते में लीज आय मान्यता प्राप्त है। मूल्यहास समेत लागत लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में पहचानी जाती है।

11. निवेश:

- 11.1 लागत में अधिग्रहण पर प्रीमियम, ब्रोकरेज और जीएसटी, ट्रांसफर स्टैप, ट्रांसफर शुल्क इत्यादि जैसे खर्च शामिल हैं, और उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क, यदि कोई हो, तो निवल है।
- 11.2 शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स जैसे कि जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक कागजात, जिन्हें सहमत दरों पर अनुबंध के समय छूट दी जाती है, को रियायती मूल्य पर माना जाता है।
- 11.3 ऋण प्रतिभूतियां: सरकारी प्रतिभूतियों और रिडीम करने योग्य वरीयता शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को षरिपक्वता के लिए आयोजित माना जाता है और लागत पर मूल्यवान होता है और प्रतिभूतियों पर भुगतान प्रीमियम परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि में बढ़ाया जाता है।
- 11.4 इक्विटी सिक््योरिटीज: इक्विटी शेयरों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से कारोबार, पतले व्यापार और असूचीबद्ध में विभाजित किया जाता है।

10A.1 Where the Company is the lessee:

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Statement of Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term.

10A.2 Where the Company is the lessor:

Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the P & L Account as per the terms specified in the agreement. Costs, including depreciation are recognized as an expense in the Profit & Loss Account.

11. Investments:

- 11.1 The cost includes premium on acquisition, expenses like brokerage and GST, transfer stamps, transfer charges etc., and is net of incentive/fee, if any, received thereon.
- 11.2 Short Term Money Market instruments such as certificates of deposit and commercial papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rates, are accounted at the discounted value.
- 11.3 **Debt Securities:** Investments in debt securities including Government securities and redeemable preference shares are considered as "held to maturity" and are valued at cost and the premium paid on securities is amortized over the residual period of maturity.
- 11.4 **Equity Securities:** Investment Portfolio in respect of Equity Shares is segregated into actively traded, thinly traded and unlisted.



11.4.1 भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयर मार्च के महीने में एनएसई में अंतिम उद्धृत बंद मूल्य पर मूल्यवान हैं, जिसे प्राथमिक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है और यदि ऐसी सुरक्षा प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है / ट्रेडिंग नहीं है, तो वही बीएसई में मार्च के महीने में अंतिम उद्धृत बंद मूल्य पर होगा जिसका चयन माध्यमिक एक्सचेंज के रूप में किया जाता है। गैर-वसूली लाभ / हानि फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में जिम्मेदार हैं।

11.4.2 भारत के बाहर शामिल कंपनियों में आयोजित पतली व्यापार / असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश लागत पर मूल्यवान है। हालांकि, इस तरह के निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है जब कंपनी के नवीनतम वार्षिक खातों के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य लागत से नीचे आता है जो पिछले तीन वर्षों से पहले नहीं था। यदि ब्रेक-अप मान नकारात्मक है या जहां वर्तमान ब्रेक-अप मान उपलब्ध नहीं है, तो पुस्तक मूल्य के बराबर राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

11.5 वरीयता शेयरों के मामले में, जहां रिडेम्प्शन आय तीन साल से अधिक के लिए होती है, देय राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

11.6 क्षति

इक्विटी इक्विटी और वरीयता शेयरों में मान्यता प्राप्त है, जहां कंपनियां लगातार पिछले तीन वर्षों के लिए लगातार नुकसान कर रही हैं और जिनकी पूंजी आंशिक रूप से/पूरी तरह से अक्षम है या जहां पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश निम्नानुसार है:

11.4.1 Actively traded equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same will be valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange. The unrealized gain/losses are accounted in Fair Value Change Account."

11.4.2 Investment in thinly traded/unlisted equity shares including held in Companies incorporated outside India are valued at cost. However, provision is made for diminution in value of such investments when the break-up value falls below the cost as per the latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years. In case the break-up value is negative or where the current break-up value is not available, provision is made for an amount equivalent to the book value.

11.5 In case of Preference Shares, where redemption proceeds are due for more than three years, provision is made for the amount due.

11.6 Impairment

Impairment is recognized in equity and preference shares, where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. Investments in shares of such companies are valued as under:



11.6.1 इक्विटी शेयर:

- ए) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के मामले में, अंतिम उद्धृत समापन मूल्य (ऊपर लेखांकन नीति 11.4.1 के अनुसार), या पुस्तक मूल्य जो भी कम हो।
- बी) कम व्यापार / असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मामले में, कंपनी के नवीनतम वार्षिक खातों के मुकाबले ब्रेक-अप वैल्यू के मामले में, कम से कम तीन साल पहले की तुलना में ब्रेक-अप वैल्यू – जहां ब्रेक-अप वैल्यू नकारात्मक है या जहां वार्षिक खाते हैं प्रति वर्ष पिछले तीन वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, प्रति कंपनी 1/- के मामूली मूल्य के लिए।

11.6.2 वरीयता शेयर:

- ए) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर सक्रिय रूप से कारोबार कर रहे हैं, तो इसके वरीयता शेयर का मूल्य जो समान अनुपात में है जो इक्विटी शेयर बाजार का मूल्य उसके फेस मूल्य पर निर्भर करता है।
- बी) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर असूचीबद्ध / कम कारोबार वाले होते हैं, तो इसके वरीयता शेयर मूल्य पर लिखे जाते हैं, जो समान अनुपात में होता है जैसे इक्विटी शेयर के ब्रेक-अप वैल्यू उसके फेस मूल्य पर बढ़ते हैं; जहां इक्विटी शेयर का ब्रेक अप वैल्यू ऋणात्मक है या जहां प्रति वर्ष तीन साल के लिए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं, प्रति कंपनी 1/- के मामूली मूल्य के लिए।

11.6.3 नुकसान मामले में प्रदान की गई हानि, लेखांकन नीति 11.6 में 01/04/2000 के बाद, को वापस लिखा गया है और ये राजस्व / लाभ और हानि नवीनतम खाते में मान्यता प्राप्त है, यदि संचित घाटे पूरी तरह से मिटा दिए जाते हैं और पूंजी पूरी तरह से उपलब्ध प्रकाशित

11.6.1 Equity Shares:

- a) In the case of actively traded equity shares, at the last quoted closing price (as per Accounting Policy 11.4.1 above), or book value whichever is lower.
- b) In case of thinly traded/unlisted equity shares, at the break-up value as per latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years.- Where the break-up value is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

11.6.2 Preference shares:

- a) If the equity shares of a company are actively traded, its preference shares are written down to a value which is in the same proportion as the market value of the equity share bears to its face value.
- b) If the equity shares of a Company are unlisted/thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion as the break-up value of equity share bears to its face value; where the break up value of equity share is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

11.6.3 Impairment loss, provided in terms of accounting policy NO 11.6, after 01/04/2000, is written back and recognized in Revenue / Profit and Loss Account only in case the accumulated losses are fully wiped out and capital fully restored as per the latest available published accounts. However, reversal of impairment loss is not recognized for



खाते में बहाल हो जाती है। हालांकि, हानि का उलट उन मामलों में इक्विटी और वरीयता शेयर दोनों के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है जहां वरीयता शेयरों की रिडेम्प्शन आय तीन साल से अधिक के लिए होती है।

- 11.7 म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन निवल एसेट वैल्यू (एनएवी) पर किया जाता है और अवास्तविक लाभ / हानि फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में होती है।
- 11.8 वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों में निवेश लागत पर मूल्यवान है। हालांकि यदि नवीनतम निवल एसेट वैल्यू (पिछले 18 महीनों के दौरान उपलब्ध) लागत से नीचे है, तो निवेश और मूल्य संपत्ति के बीच अंतर की सीमा तक निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है। पहले मान्यता प्राप्त हानि की सीमा तक एनएवी में कोई भी प्रशंसा राजस्व में ली जाती है।
- 11.9 मानक/गैर-निष्पादित ऋण/जमा/डिबेंचरों के लिए प्रावधान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और आईआरडीए/संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा जारी प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किए जाते हैं। बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के तहत ऋण / निवेश को दीर्घकालिक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनकी वास्तविकता निश्चित नहीं है।

12. कर्मचारी लाभ:

- 12.1 कर्मचारियों को ग्रैच्युइटी और पेंशन लाभ की देयता वर्ष के अंत में एक्चूरियल मूल्यांकन के अनुसार संचित आधार पर निर्धारित की जाती है और इसे अनुमोदित निधि के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। छुट्टी एनकैशमेंट और अन्य परिभाषित कर्मचारी लाभ के प्रावधान साल के अंत में एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं।
- 12.2 कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में एक अलग ट्रस्ट में निश्चित योगदान देता है, जो अनुमत

both equity and preference shares in cases where the redemption proceeds of preference shares are due for more than three years.

- 11.7 Investments in units of Mutual Funds are valued at Net Asset Value (NAV) and the unrealized gains/losses are accounted in "Fair Value Change Account".
- 11.8 Investments in units of Venture Capital Fund is valued at cost. However in case the latest Net Asset Value (available during last 18 months) is below Cost, the provision is made for diminution in the Value of Investment to the extent of difference between Cost and Net Asset Value. Any appreciation in the NAV to the extent of loss earlier recognized is taken to revenue.
- 11.9 Provisions for standard/non-performing loans/deposits/ debentures are made on the basis of prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDA /related RBI Guidelines Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisability is not certain.

12. Employees' Benefits:

- 12.1 The liability for gratuity and pension benefits to employees is determined on accrual basis as per the actuarial valuation at the year end and is administered through an approved fund. Provisions for leave encashment and other defined employee benefits are made on the basis of actuarial valuation at the year end.
- 12.2 The Company pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution



प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। अवधि के लिए फंड में योगदान व्यय के रूप में पहचाना जाता है और लाभ और हानि खाते से लिया जाता है। कंपनी का दायित्व इस तरह के निश्चित योगदान तक ही सीमित है।

13. कराधान:

कर व्यय (कर बचत) चालू वर्ष कर (यानी आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), पिछले वर्ष कर और स्थगित कर (लेखा आय के बीच समय अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) का कुल योग है। अवधि के लिए कर योग्य आय)। इन्हें लाभ और हानि खाते में चार्ज (या जमा) किया जाता है।

13.1 वर्तमान वर्ष शुल्क:

वर्तमान कर के लिए प्रावधान कंपनी के काउंसिल से लागू न्यायिक घोषणाओं और राय के उचित विचार के बाद आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित कंपनी के निर्धारणीय मुनाफे पर किया जाता है।

13.2 पहले साल कर:

अपील के तहत मामलों के लिए प्रावधान उचित अपनाये गए हैं। अस्वीकृति या अन्य कारणों से।

13.3 स्थगित कर:

(ए) स्थगित कर शुल्क या क्रेडिट और संबंधित स्थगित कर देनदारियां कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय अंतर के लिए मान्यता प्राप्त हैं जो बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार अधिनियमित या पर्याप्त रूप से लागू की गई हैं।

(बी) स्थगित कर संपत्तियां केवल इस हद तक मान्यता प्राप्त हैं कि एक निश्चित निश्चितता है कि संपत्ति भविष्य में महसूस की जा सकती है। अप्रत्याशित मूल्यह्रास के मामले में और कराधान

to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the Profit & Loss Account. The obligation of the Company is limited to such fixed contribution.

13. Taxation:

Tax expense (tax saving) is the aggregate of current year tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income tax law), earlier year tax and deferred tax (reflecting the tax effects of timing differences between the accounting income and taxable income for the period). These are charged (or credited) to the Profit and Loss Account.

13.1 **Current Year Charge:**

Provision for current tax is made on the assessable profits of the company as determined under The Income Tax act, 1961 after due consideration of the applicable judicial pronouncements and opinion from the Company's Counsel.

13.2 **Earlier year Tax:**

Provisions are recorded as considered appropriate, for matters under appeal due to disallowances or for other reasons.

13.3 **Deferred Tax:**

(a) The deferred tax charge or credit and the corresponding deferred tax liabilities are recognized for timing differences arising between taxable income and accounting income using the tax rate that has been enacted or substantively enacted as on the date of the Balance Sheet.

(b) Deferred tax assets are recognized only to the extent there is a reasonable certainty that the assets can be realized in future. In the case of unabsorbed depreciation and carry forward of losses



कानूनों के तहत घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, स्थगित कर संपत्ति केवल उस सीमा तक पहचानी जाती है जब एक आभासी निश्चितता है कि संपत्ति भविष्य में वसूल की जा सकती है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर स्थगित कर संपत्ति की समीक्षा की जाती है।

14. अनधिकृत क्रेडिट शेष राशि:

जारी करने की तारीख से 3 साल से अधिक के लिए बाध्य चेक, वैधानिक भुगतान, एमएसीटी दावों से संबंधित या प्रीमियम, धनवापसी भुगतान या अन्य बकाया राशि की वापसी के लिए पॉलिसीधारकों को जारी किए गए को छोड़कर, वापस लिखे गए हैं। मामले के आधार पर 3 साल से अधिक समय तक अन्य पुराने क्रेडिट बकाया बेदावे वापस लिखे गए हैं। पॉलिसीधारकों के बकाया से संबंधित दावा न किए गए चेक 'पॉलिसीधारकों के बकाया खाते' में स्थानांतरित किए जाते हैं।

under taxation laws, deferred tax assets are recognized only to the extent there is a virtual certainty that the assets can be realized in future. Deferred Tax assets are reviewed at each Balance Sheet date.

14. Unclaimed Credit Balances:

Stale cheques unclaimed for more than 3 years from the date of issue, except those related to Statutory Payments, MACT Claims or issued to policyholders towards refund of premium, claims payment or other dues, are written back. Other old credit balances unclaimed for more than 3 years are written back on case to case basis. Unclaimed Cheques related to policyholders' dues are transferred to **"Policyholders' Dues Account"**.



**ख. खातों का हिस्सा बनने वाले नोट्स –
समेकित वित्तीय विवरण**

**B. NOTES FORMING PART OF
ACCOUNTS – CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

1. शुद्ध संपत्ति और लाभ / हानि के संबंधित अंशों की सूची।

1. List of entities consolidated and their respective share of Net assets and Profit/Loss-

इकाई का नाम	Name of the entity	Net Assets i.e. Total Assets minus Total Liabilities		Net Assets i.e. Total Assets minus Total Liabilities		Share in Profit or Loss		Share in Profit or Loss	
		2018-19		2017-18		2018-19		2017-18	
		As % of Consolidated Net Assets	Amount (Rs'000)	As % of Consolidated Net Assets	Amount (Rs'000)	As % of Consolidated Profit/Loss	Amount (Rs'000)	As % of Consolidated Profit/Loss	Amount (Rs'000)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
जनक	Parent:								
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	The Oriental Insurance Company Limited	87.47	28392150	88.83	31328879	100.95	-2936609	100.12	15098917
सहायक	Subsidiary								
इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	The Industrial credit Company Limited	0.00	-12	0.00	-78	0.00	-53	0.00	-214
एसोसिएट्स (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)	Associates (Investment as per the equity method)								
भारतीय	Indian								
1. हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लि।	1. Health Insurance TPA of India Ltd.	0.63	203082	0.56	198075	-0.17	5007	0.00	0
विदेशी	Foreign								
1. इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस च्म सजक.	1. India International Insurance PTE Ltd.	11.91	3864602	10.61	3741980	-0.78	22583	-0.12	-18465
कुल	Total	100%	32459823	100%	35268856	100%	-2909072	100%	15080238

वर्ष के लिए समेकित लाभ:

लाभदायक के लिए (रु.लाख में)

Consolidated Profit for the Year:

Profit attributable to: (Rs in lakhs)

कंपनी के मालिक Owners of the Company	Rs. (29366.09)
---	----------------

आईआरडीएआई द्वारा आवश्यक विवरणों का खुलासा।

Disclosures of particulars as required by IRDAI.



1. आकस्मिक देयताएं

1. Contingent Liabilities

Sl. No.	विवरण	Particulars	As at	As at
			31.03.2019	31.03.2018
			Rs. In Lakhs	Rs. In Lakhs
a.	आंशिक भुगतान निवेश	Partly Paid Investments	177.68	204.90
b.	बीमालेखन प्रतिबद्धता बकाया	Underwriting Commitment Outstanding	NIL	NIL
c.	नीतियों के तहत उन लोगों के अलावा दावा, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है	Claims, other than those under policies, not acknowledged as Debt	1559.07	2783.39
d.	कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी	Guarantee given by or on behalf of the Company	148.85	143.21
e.	विवाद में वैधानिक मांग / देनदारियां, प्रदान नहीं की गईं	Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for	174143.04##	123400.13#
f.	खातों में प्रदान की गई सीमा तक पुनर्मिलन दायित्वों	Reinsurance obligations to the extent not provided for in Accounts	NIL	NIL
g.	अन्य लोग	Others	579.76*	551.78*

- ## वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक सेवा कर विभाग द्वारा की गई मांग, जुर्माना और ब्याज के रूप में 80552.59 लाख रुपए शामिल करते हुए 174130.04 लाख हैं तथा वर्ष 2005-06 और 2007-08 के लिए आयकर की मांग के अनुसार 74976.74 लाख रुपये हैं एवं लेखांकन वर्ष 2007-08 और 2011-12 के लिए जुर्माने के रूप में 457.33 लाख रुपये हैं।
- # वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक सेवा कर विभाग द्वारा की गई मांग, जुर्माना और ब्याज के रूप में 74658.49 लाख रुपए शामिल करते हुए 123400.13 लाख हैं तथा वर्ष 2005-06 और 2007-08 के लिए आयकर की मांग के अनुसार 33720.30 लाख रुपये हैं एवं लेखांकन वर्ष 2007-08 और 2011-12 के लिए जुर्माने के रूप में 368.82 लाख रुपये हैं।
- रु. 174130.04 लाख (पिछले वर्ष 123400.13 लाख) में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दंड के लिए 10052.00 लाख रुपये शामिल हैं।
- ## Rs.174130.04 Lakhs includes Rs. 80552.59 Lakhs as demand , penalty and interest thereon raised by Service Tax Deptt. pertaining to years 2010-11 to 2012-13 and Rs. 74976.74 Lakhs as against I.Tax demand for AY 2005-06 & 2007-08 and Rs. 457.33 Lakhs as penalty for AY 2007-08 & 2011-12 .
- #Rs. 123400.13 Lakhs includes Rs. 74658.49 Lakhs as demand, penalty and interest thereon raised by Service Tax Deptt. pertaining to years 2011-12 & 2012-13 and Rs. 33720.30 Lakhs as against I.Tax demand for AY 2005-06 & 2007-08 and Rs. 368.82 Lakhs as penalty for AY 2007-08 & 2011-12 .
- ## Rs.174130.04 Lakhs (previous year 123400.13 Lakhs) includes Rs. 10052.00 lakhs for penalty by Competition Commission of India.



- आईआरडीएआई के पत्र सं. IRDA/F&A/CIR/MISC/173/07/2017 के अनुपालन में 579.76 लाख (पिछले वर्ष 551.78 लाख रुपये) लोन से पहले 01.10.2008 (10 वर्ष से अधिक) से पहले गैर-दावा पॉलिसी धारक के फंड से वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित कर दिए गए।
- पिछले साल खुलासा की गई सहायक कंपनी के खिलाफ आकस्मिक देयता का खुलासा।

नोट: 06 मई, 1999 को एक पूर्व-पक्षीय मध्यस्थता पुरस्कार, मैसर्स सरस्वती वार्ष्णेय (स्वर्गीय श्रीमती रामा देवी वार्ष्णेय की बेटी) के पक्ष में पारित किया गया, जिसने 20 अगस्त, 1999 को अदालत का एक नियम बनाया (मूल आदेश सूट। पूर्व पार्टी स्वर्गीय श्रीमती रामा देवी वार्ष्णेय की संख्या 277/71) और कंपनी के खिलाफ 30,82,541.82 रुपये का एक डिक्री पारित किया गया। 03 मार्च, 2000 के बाद की दी गई राशि पर लागू दर पर भविष्य में ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली के लिए डिक्री धारक द्वारा 11/2000 का एक फांसी का मामला दायर किया गया है। आगे, कंपनी ने मांग की है और पहले एक मामला दायर किया है। पदक अपर सिविल जज, अलीगढ़। सीखा। और पदक (सीनियर डिविज़न) अलीगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 15/02/2018 को रद्द कर दिया है। अपील दायर करने की सीमा अवधि समाप्त हो गई है और कोई अपील दायर नहीं की गई है। सुश्री सरस्वती वार्ष्णेय द्वारा अलीगढ़ जिला न्यायालय में मामले की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

- भारतीय स्वास्थ्य बीमा टीपीए लिमिटेड में पूंजीगत प्रतिबद्धताओं और अन्य प्रतिबद्धताओं और आकस्मिक देनदारियों में हिस्सेदारी:

पूंजीगत प्रतिबद्धताएं: रु. 75352619 (पिछला वर्ष रु. 92495197)

अन्य प्रतिबद्धताएं: शून्य

आकस्मिक देयताएं (बैंक गारंटी): 950000 रुपये (पिछले वर्ष 950000 रुपये)

- *Rs. 579.76 Lakhs (Previous year Rs. 551.78 Lakhs) transferred to Senior Citizen welfare fund from unclaimed policy holder's fund lying prior to 01.10.2008 (more than 10 years) in compliance to IRDA circular ref. no. IRDA/F&A/CIR/MISC/173/07/2017.
- Discontinuance of contingent liability against the subsidiary company disclosed last year.

Note: An ex-party arbitration award dated May 06, 1999 was passed in favour of M/s Saraswati Varshney (daughter of Late Smt. Rama Devi Varshney), which made a rule of court on August 20, 1999 (vide original order suit no. 277/71 of ex-party Late Smt. Rama Devi Varshney) and a decree for Rs. 30,82,541.82 was passed against the Company. An execution case bearing no. 11/2000 has filed by the decree holder for recovery of the aforesaid amount along with future interest at applicable rate on the awarded amount after March 03, 2000. Further, the company has contested the demand and filed a case before II nd Additional Civil Judge, Aligarh. The learned ACJ II nd (Senior Divison) Aligarh vide its order dated 15/02/2018 has dismissed the aforesaid case. The limitation period for filing the appeal is expired and no appeal is filed. An application for restoration of case has been filed by Ms. Saraswati Varshney in Aligarh District Court.

- Share in capital commitments and other commitments and contingent liabilities in Health Insurance TPA of India Ltd:

Capital commitments : Rs 75352619 (Previous Year Rs92495197)

Other Commitments : NIL

Contingent Liabilities (Bank Guarantee) :Rs 950000 (Previous Year Rs 950000)



1 क सहायक कंपनी इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ने पिछले कई वर्षों से कोई संचालन नहीं किया है और इससे 953129 रुपये का नुकसान हुआ है। कंपनी का शुद्ध मूल्य समाप्त हो गया है। 31 मार्च 2019 तक वर्तमान देनदारियों ने अपनी मौजूदा परिसंपत्तियों को 453129 रुपये से अधिक कर दिया है और कंपनी को 53416 रुपये का नुकसान हुआ है। इन स्थितियों से भौतिक अनिश्चितताओं के अस्तित्व का संकेत मिलता है जो कंपनी की क्षमता पर संदेह कर सकते हैं जो एक चिंता का विषय है।

2. भारत के भीतर और बाहर कंपनी की परिसंपत्तियों को प्रोत्साहन

	31.03.2019 को (रु.लाख में)	31.03.2018 को (रु.लाख में)
क. न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंक खाते जमे हुए हैं	69.38	55.14
ख. सरकार की ओर से पर्यावरण राहत कोष के तहत जमा राशि	NIL	NIL

3. ऋण, निवेश और निश्चित परिसंपत्तियों के लिए प्रतिबद्ध और उत्कृष्ट

	31.03.2019 को (रु.लाख में)	31.03.2018 को (रु.लाख में)
क. ऋण	1.80	1.80
ख. आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर	647.56	662.70
ग. पूंजी प्रतिबद्धताओं अग्रिमों का निवल	420.60	5910.95

4.(क) कम पुनर्बीमा का दावा, को भुगतान किया गया

	31.03.2019 को (रु.लाख में)	31.03.2018 को (रु.लाख में)
क. भारत में दावेदार	874485.93	759502.75
ख. भारत के बाहर के दावेदार	34061.64	27927.66
ग. कुल	908547.57	787430.41

(बी) पिछले वर्ष के लिए एक्सओएल संधियों में वसूली योग्य के रूप में दिखाए गए मोटर पूल और डी आर पूल के दावों की अनजाने बुकिंग के मद्देनजर,

1A The subsidiary The Industrial Credit Company Ltd. has not undertaken any operations for past several years and has accumulated losses of Rs. 953129. The net worth of company is eroded. as at 31st March 2019 the current liabilities exceeded its current assets by Rs. 453129 and the company has incurred loss of Rs. 53416. These conditions indicate the existence of material uncertainties which may cast doubt as to the Company's ability to continue as a going concern.

2. Encumbrances to assets of the Company in and outside India

	As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
a. Bank Accounts frozen as per Court Orders	69.38	55.14
b. Deposits held under Environment Relief fund on behalf of the Government	NIL	NIL

3. Commitments made and outstanding for loans, investments and Fixed Assets

	As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
a. Loans	1.80	1.80
b. Partly Paid Shares	647.56	662.70
c. Capital Commitments Net of Advances	420.60	5910.95

4. (a) Claims less Reinsurance, paid to

	As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
a. Claimants in India	874485.93	759502.75
b. Claimants outside India	34061.64	27927.66
c. Total	908547.57	787430.41

(b) In view of the inadvertent booking of claims of Motor Pool and D R Pool shown as recoverable in XOL treaties for previous year, Motor XOL amount recoverable is lower by Rs. 35965 Lakhs



मोटर एक्सओएल की वसूली 35965 रुपये कम है और इसके परिणामस्वरूप निवल एनबीएनआर पर परिणाम है। वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया नुकसान उस सीमा तक अधिक है।

5. दावों के मामले में दावा देनदारियों के निर्धारण के लिए एकचुरियल धारणाएँ जहाँ दावा भुगतान की अवधि चार साल से अधिक है।

दावों के भुगतान की अवधि चार साल से अधिक होने की स्थिति में दावों की देनदारियों को पूरा करने के लिए कोई अलग धारणा नहीं बनाई जा रही है। पछट सभी दावों के योग्य सामान्य त्रिकोण पासन विधि से किया जाता है।

- 6 दावों की अवधि (आईबीएनआर को छोड़कर)

क) भारत के भीतर

(रु. लाख में)

and consequential effect on Net IBNR thereon . The loss reported for the year is higher to that extent.

5. **Actuarial assumptions for the determination of claim liabilities in the case of claims where the claim payment period exceed four years.**

No separate assumptions are being taken to work out claims liabilities in the case of claims where the claims payment period exceed four years. IBNR Reserving of all claims are done through normal triangulation method.

6. **Ageing of claims (Direct excluding IBNR)**

- a) **Within India**

(Rs. in Lakhs)

व्यवसाय की कक्षा	Class of Business	वर्ष/ Year	के लिए बकाया दावा / Claims outstanding for					
			छह महीने से अधिक More than six months		छह महीने से कम Less than six months		कुल Total	
			संख्या/ Number	राशि/ Amount	संख्या/ Number	राशि/ Amount	संख्या/ Number	राशि/ Amount
अग्नि	Fire	As at 31.3.19	1856	97815	792	101613	2648	199428
		As at 31.3.18	1883	132632	814	33681	2697	166313
मरीन	Marine	As at 31.3.19	834	30748	880	28200	1714	58948
		As at 31.3.18	1284	55816	1063	6770	2347	62586
विविध	Misc	As at 31.3.19	124850	441376	107851	364556	232701	805932
		As at 31.3.18	135159	444753	98394	187137	233553	631890
कुल	Total	As at 31.3.19	127540	569939	109523	494369	237063	1064308
		As at 31.3.18	138326	633201	100271	227588	238597	860789

- b) **Outside India**

(Rs. in Lakhs)

व्यवसाय की कक्षा	वर्ष/ Year	के लिए बकाया दावा / Claims outstanding for					
		छह महीने से अधिक More than six months		छह महीने से कम Less than six months		कुल Total	
		संख्या/ Number	राशि/ Amount	संख्या/ Number	राशि/ Amount	संख्या/ Number	राशि/ Amount
अग्नि	As at 31.3.19	114	3764	89	30470	203	34234
	As at 31.3.18	115	4935	59	3645	174	8580
मरीन	As at 31.3.19	107	433	48	49	155	482
	As at 31.3.18	100	2135	62	371	162	2506
विविध	As at 31.3.19	3615	4834	19510	4379	23125	9213
	As at 31.3.18	3891	5255	13378	3852	17269	9107
कुल	As at 31.3.19	3836	9031	19647	34898	23483	43929
	As at 31.3.18	4106	12325	13499	7868	17605	20193



c) Total

(Rs. in Lakhs)

व्यवसाय की कक्षा	Class of Business	वर्ष/ Year	के लिए बकाया दावा / Claims outstanding for					
			छह महीने से अधिक More than six months		छह महीने से कम Less than six months		कुल Total	
			संख्या/ Number	राशि/Amount	संख्या/ Number	राशि/Amount	संख्या/ Number	राशि/ Amount
अग्नि	Fire	As at 31.3.19	1970	101579	881	132083	2851	233662
		As at 31.3.18	1998	137567	873	37326	2871	174893
मरीन	Marine	As at 31.3.19	941	31181	928	28249	1869	59430
		As at 31.3.18	1384	57951	1125	7141	2509	65092
विविध	Misc	As at 31.3.19	128465	446210	127361	368935	255826	815145
		As at 31.3.18	139050	450008	111772	190989	250822	640997
कुल	Total	As at 31.3.19	131376	578970	129170	529267	260546	1108237
		As at 31.3.18	142432	645526	113770	235456	256202	880982

7- प्रीमियम कम पुनर्वित्त से अंडरराइट किया गया / Premium less Reinsurance underwritten from

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
क. भारत में व्यापार	a. Business in India	1046424.16	974164.65
ख. भारत के बाहर व्यापार	b. Business outside India	38114.59	28657.95
ग. कुल	c. Total	1084538.75	1002822.60

8. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य / Value of contracts in relation to investments for

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
क. खरीद जहां डिलीवरी लंबित हैं	a. Purchases where deliveries are pending*	NIL	NIL
ख. बिक्री जहां भुगतान अतिदेय है	b. Sales where payments are overdue	NIL	NIL

* Except deliveries which are not effected due to stock exchange settlement.

9. Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis

	As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
फेयर वैल्यू बेसिस पर मूल्यवान इक्विटी शेयरों / म्यूचुअल फंड की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis	433208.08	313260.63

10. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना

अधिसूचना के अनुसार सं. जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 में प्रबंधकीय पारिश्रमिक देय पर प्रतिबंध, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

10. Computation of managerial remuneration

As per notification no. GSR 463(E) dated 05.06.2015 section 197 of the Companies Act,2013, the restriction on managerial remuneration payable, is not applicable to Government Companies.



11. निवेश संपत्ति का उचित मूल्य और उसके आधार

आईआरडीएआई (वित्तीय कंपनियों की तैयारी और बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियमों के तहत आवश्यक, 2000 निवेश संपत्ति के मूल्य को ऐतिहासिक लागत कम संचित मूल्यह्रास और न्यूनतम हानि, यदि कोई हो, का मूल्य दिया गया है।

11. Fair value of Investment Property and basis thereof

As required under the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2000, the value of Investment Property has been valued at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any.

12. दावा निपटारे और बकाया बकाया

12. Claims settled and remaining unpaid

	As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
बैलेंस शीट तिथि के अनुसार 6 महीने से अधिक समय के लिए दावा निपटारे और बकाया शेष Claims settled and remaining unpaid for more than 6 months as on the Balance Sheet date	NIL	NIL

13. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश

13. Investments made in accordance with statutory requirements

	As at 31.03.2019 (Rs.in Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs.in Lakhs)
क. स्थानीय कानूनों के तहत वैधानिक जमा के माध्यम से भारत के बाहर किए गए निवेश a. Investments made outside India by way of Statutory Deposits under local laws	17052.84	12841.00
ख. एसईबीआई निर्देशों के अनुसार संस्थागत व्यापार के लिए मार्जिन के रूप में सावधि जमा b. Fixed Deposits as margins for Institutional Trades as per SEBI directives	500.00	500.00

14. आय, मान्यता, एसेट वर्गीकरण और आईआरडीएआई / संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा जारी किए गए प्रावधानों के लिए ऋण सहित प्रदर्शन और गैर-निष्पादित निवेशों का पृथक्करण निम्नानुसार है:

14. Segregation of Investments into Performing and non-performing investments including loans for the purpose of income recognition, Asset classification and provisioning issued by IRDAI /related RBI Guidelines are as under:

		As at 31.03.2019 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)
क. निवेश करना	a. Performing Investments	1221783.45	1086472.42
ख. गैर-निष्पादित निवेश	b. Non-Performing Investments	38669.88	2883.12
ग. कुल	c. Total	1260453.33	1089355.54



15. पिछले 5 वर्षों के वित्तीय विवरणों का सारांश:

पिछले पांच वर्षों के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का सारांश निम्नानुसार है:
वित्तीय विवरणों का सारांश

15. Summary of financial statements for the last 5 years:

The summary of financial statements of the Company for the last five years are as under:

Summary of Financial Statements

(लाख में) (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	परिचालन परिणाम	Particulars	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
		OPERATING RESULTS					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	Gross Direct Premium	1348475	1173684	1111702	861159	756193
2	निवल प्रीमियम	Net Premium	1084539	1002823	922239	754374	647238
3	निवेश से आय (शुद्ध)	Income from Investment (net)	318448	329233	232568	182268	210054
4	अन्य आय	Other Income	18124	10360	8931	26611	4894
5	कुल आय	Total Income	1421111	1342416	1163738	963253	862186
6	कमीशन (निवल) (ब्रोकरेज सहित)	Commission(Net)(Including Brokerage)	65854	63720	50025	46310	34782
7	परिचालन खर्च	Operating Expenses	246552	269299	282124	258009	234798
8	निवल इंक्वायरी का दावा	Net Incurred Claims	1124808	822121	939810	587959	526150
9	अनपेक्षित जोखिम रिजर्व में बदलाव	Change in Unexpired Risk Reserve	24386	40022	83912	51984	4722
10	संचालन लाभ / हानि	Operating Profit/Loss	(40489)	147254	(192133)	18991	61734
	गैर संचालन परिणाम	NON OPERATING RESULT					
11	शेयरधारक के खाते में कुल आय (क) सीएसआर (ख) स्वीकार्य सीमा से अधिक ईओएम की अधिकता	Total Income under Shareholder's account (a) C.S.R (b) Excess of EOM over allowable limit	(723) (1687)	(669) (8356)	(407) (6569)		
12	कर से पहले लाभ / (हानि) (घटायें: पूर्व अवधि के आइटम)	Profit/(loss) before tax (less: Prior period items)	(42899)	138229	(198926)	18926	62035
13	कर का प्रावधान (पूर्व वर्षों और डीटीए / डीटीएल के लिए प्रावधान सहित)	Provision for tax (including provision for earlier years and DTA/DTL)	13533	12760	29816	(11123)	22825
14	कर के बाद लाभ / (हानि)	Profit/(loss) after tax	(29366)	150989	(169110)	30049	39210
15	पॉलिसीधारक का खाता:	Policyholder's Account:					
	कुल धन	Total funds	1778066	1537419	1463145	1124281	1053979
	कुल निवेश	Total Investments	2100335	2064416	1836945	1505420	1609782
	निवेश पर उपज	Yield on Investments	7.38%	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%
16	शेयरधारक का खाता	Shareholder's Account					
	कुल धन	Total funds	286303	315669	164680	333790	318183
	कुल निवेश	Total Investments	362246	215951	443275	454508	456160
	निवेश पर उपज	Yield on Investments	7.38%	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%
17	इक्विटी कैपिटल का भुगतान किया	Paid up Equity Capital	20000	20000	20000	20000	20000
18	कुल मूल्य	Net Worth	286303	315669	133448	271326	318183
19	कुल संपत्ति	Total Assets	3379074	2998409	2936227	2554416	2628486
20	कुल निवेश पर उपज	Yield on total investments	7.38%	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%
21	प्रति शेयर अर्जन (₹.)	Earning per share (Rs.)	(14.68)	75.49	(84.55)	15.02	19.60
22	प्रति शेयर बुक मान (₹.)	Book Value per share (Rs.)	143.15	157.83	66.72	135.66	159.09
23	कुल लाभांश	Total Dividend	-	-	-	12000.00	11000.00
24	प्रति शेयर लाभांश (₹.)	Dividend per share (Rs)	-	-	-	6.00	5.50



16. गैर जीवन विश्लेषणात्मक अनुपात / NON LIFE ANALYTICAL RATIOS

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2019	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2017	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2019	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2018
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (कुल)	Gross Direct Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि	Fire	106732	99662	104289	7.09	-4.44
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	20595	21307	22517	-3.34	-5.38
	समुद्री हल	Marine Hull	14332	10157	16880	41.10	-39.83
	मोटर ओडी	Motor OD	159469	166849	156113	-4.42	6.88
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	306769	282826	236819	8.47	19.43
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	23813	23211	29113	2.59	-20.27
	विमानन	Aviation	11614	8812	8980	31.80	-1.87
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	6199	6138	7047	1.00	-12.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	62574	55961	52690	11.82	6.21
	स्वास्थ्य	Health	408809	360844	332339	13.29	8.58
	देयता	Liability	7843	7278	7054	7.76	3.17
	फसल	Crop	175864	82521	0	113.11	0
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	43861	48117	44709	-8.84	7.62
	कुल	Total	1348475	1173684	1018550	14.89	15.23
1a	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय)	Gross Direct Premium Growth Rate (Indian Only)				%	%
	अग्नि	Fire	99060	92296	96636	7.33	-4.49
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	18646	19246	20272	-3.11	-5.06
	समुद्री हल	Marine Hull	14292	10128	16833	41.11	-39.83
	मोटर ओडी	Motor OD	147753	154455	142202	-4.34	8.62
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	305767	281293	232162	8.70	21.16
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	23114	22633	28307	2.12	-20.04
	विमानन	Aviation	11614	8812	8980	31.80	-1.87
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5774	5749	6601	0.44	-12.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	62369	55765	52449	11.84	6.32
	स्वास्थ्य	Health	405370	358117	332187	13.19	7.81
	देयता	Liability	7357	6800	6602	8.20	3.00



Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2019	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2017	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2019	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2018
	फसल	Crop	175864	82521	93153	113.11	-11.41
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	42952	47383	43951	-9.35	7.81
	कुल	Total	1319932	1145197	1080334	15.26	6.00
1b	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेशी)	Gross Direct Premium Growth Rate (Foreign Only)				%	%
	अग्नि	Fire	7673	7367	7653	4.16	-3.74
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	1949	2061	2245	-5.45	-8.18
	समुद्री हल	Marine Hull	41	29	48	39.83	-38.66
	मोटर ओडी	Motor OD	11716	12394	13911	-5.47	-10.90
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	1002	1533	4658	-34.66	-67.08
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	699	578	806	20.98	-28.27
	विमानन	Aviation	0	0	0	0	0
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	424	389	446	9.17	-12.87
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	205	196	241	4.50	-18.61
	स्वास्थ्य	Health	3439	2727	153	26.09	1687.81
	देयता	Liability	485	478	452	1.53	5.69
	फसल	Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	909	734	757	23.78	-3.01
	कुल	Total	28542	28487	31369	0.19	-9.19
Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2019	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2017	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2019	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2018
2	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (कुल)	Gross Written Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि	Fire	123885	117106	120368	5.79	-2.71
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	21185	21474	22622	-1.35	-5.08
	समुद्री हल	Marine Hull	15333	10600	17790	44.65	-40.42
	मोटर ओडी	Motor OD	159611	166941	156154	-4.39	6.91
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	306769	282829	236820	8.47	19.43
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	2364	0	-100.00



Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2019	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2017	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2019	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2018
	अभियांत्रिकी	Engineering	27419	27416	32262	0.01	-15.02
	विमानन	Aviation	16967	11140	11094	52.30	0.42
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	6199	6138	7048	1.00	-12.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	62575	55973	52808	11.79	5.99
	स्वास्थ्य	Health	411531	360864	332339	14.04	8.58
	देयता	Liability	8453	7884	7651	7.22	3.05
	फसल	Crop	175864	82521	93152	113.11	-11.41
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	45381	58588	56812	-22.54	-60.93
	कुल	Total	1381171	1209473	1149284	14.20	-2.65
2a	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय)	Gross Written Premium Growth Rate (Indian Only)				%	%
	अग्नि	Fire	109573	105296	109126	4.06	-3.51
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	18646	19249	20272	-3.13	-5.05
	समुद्री हल	Marine Hull	15110	10443	17509	44.68	-40.35
	मोटर ओडी	Motor OD	147753	154455	142202	-4.34	8.62
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	305767	281293	232162	8.70	21.16
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	2364	0	-100.00
	अभियांत्रिकी	Engineering	25856	25911	31019	-0.21	-16.47
	विमानन	Aviation	11862	9305	9610	27.48	-3.16
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5774	5749	6601	0.44	-12.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	62369	55774	52458	11.82	6.32
	स्वास्थ्य	Health	405370	358117	332187	13.19	7.81
	देयता	Liability	7960	7401	7194	7.55	2.87
	फसल	Crop	175864	82521	93152	113.11	-11.41
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	44041	57705	55830	-23.68	3.36
	कुल	Total	1335945	1173220	1111686	13.87	5.54
2b	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेशी)	Gross Written Premium Growth Rate (Foreign Only)				%	%
	अग्नि	Fire	14312	11809	11242	21.20	5.05
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	2538	2225	2349	14.09	-5.31
	समुद्री हल	Marine Hull	223	156	281	42.78	-44.45



Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2019	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium 31.03.2017	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2019	12 महीने की समाप्ति के लिए विकास Growth for 12 months ending 31.03.2018
	मोटर ओडी	Motor OD	11858	12485	13951	-5.02	-10.51
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	1002	1536	4659	-34.78	-67.03
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	1563	1505	1243	3.82	21.09
	विमानन	Aviation	5105	1835	1484	178.22	23.61
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	425	389	447	9.17	-12.86
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	206	199	350	3.65	-43.23
	स्वास्थ्य	Health	6160	2747	153	124.27	1700.50
	देयता	Liability	494	483	456	2.11	5.92
	फसल	Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	1340	883	982	51.82	-10.09
	कुल	Total	45225	36252	37598	24.75	-3.58

3	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का निवल मूल्य अनुपात	Gross Direct Premium to Net Worth Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2017
	सकल प्रीमियम	Gross Premium	1348475	1173684	1111702
	कुल मूल्य	Net Worth	286303	315669	133448
	निवल मूल्य (समय) के लिए सकल प्रीमियम का अनुपात	Ratio of Gross Premium to Net Worth (times)	4.71	3.72	8.33

4	निवल मूल्य की वृद्धि दर	Growth rate of Net Worth	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2017	%	%
	वर्तमान वर्ष / अवधि के अंत में निवल मूल्य	Net Worth at the end of current year/period	286303	315669	133448		
	पिछले वर्ष / अवधि के अंत में निवल मूल्य	Net Worth at the end of previous year/period	315669	133448	271326		
	विकास और विकास दर (%)	Growth and Growth rate (%)	-29366	182221	-137878	-9.30	136.55



5	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (कुल)	Net Retention Ratio (Total)	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2019	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2018	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2017	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio (%)	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio(%)
	अग्नि	Fire	61952	58439	59638	50.01	49.90
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	15924	17659	19195	75.17	82.23
	समुद्री हल	Marine Hull	3857	4048	4588	25.15	38.19
	मोटर ओडी	Motor OD	151852	158262	148141	95.14	94.80
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non-Pool)	290591	268000	224265	94.73	94.76
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	1384	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	19121	20279	20621	69.74	73.97
	विमानन	Aviation	5460	2263	1967	32.18	20.32
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5874	5847	6703	94.75	95.26
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	55638	50212	42645	88.91	89.71
	स्वास्थ्य	Health	390101	341515	315733	94.79	94.64
	देयता	Liability	6082	5666	5583	71.95	71.86
	फसल	Crop	38358	18430	1954765	21.81	22.33
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	39729	52202	71776	87.55	89.10
	सभी विभाग	All Departments	1084539	1002823	2877004	78.52	82.91

5a	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (केवल भारतीय)	Net Retention Ratio (Indian Only)	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2019	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2018	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2017	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio (%)	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio(%)
	अग्नि	Fire	51840	50906	52393	47.31	48.35
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	13526	15560	17023	72.54	80.84
	समुद्री हल	Marine Hull	3634	3893	4308	24.05	37.27
	मोटर ओडी	Motor OD	140365	146732	135093	95.00	95.00
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	289589	266464	219607	94.71	94.73
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	1384	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	17762	18911	19674	68.70	72.98
	विमानन	Aviation	495	526	584	4.17	5.65
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5486	5461	6271	95.00	95.00
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	55527	50061	42354	89.03	89.76
	स्वास्थ्य	Health	385591	340349	315580	95.12	95.04
	देयता	Liability	5606	5208	5152	70.43	70.37
	फसल	Crop	38358	18430	19548	21.81	22.33
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	38645	51662	51486	87.75	89.53
	सभी विभाग	All Departments	1046424	974165	890457	78.33	83.03



5b	शुद्ध अनुपात (केवल विदेशी)	प्रतिधारण (केवल विदेशी)	Net Retention Ratio (Foreign Only)	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2019	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2018	निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2017	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio (%)	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio(%)
	अग्नि	Fire		10113	7532	7245	70.66	63.78
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		2398	2098	2173	94.48	94.32
	समुद्री हल	Marine Hull		223	156	280	99.74	99.53
	मोटर ओडी	Motor OD		11486	11529	13048	96.87	92.34
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non-Pool)		1002	1536	4659	100.00	100.00
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering		1359	1368	947	86.95	90.92
	विमानन	Aviation		4965	1737	1384	97.27	94.69
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		388	386	432	91.38	99.12
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		111	151	291	53.75	75.87
	स्वास्थ्य	Health		4510	1166	153	73.21	42.45
	देयता	Liability		476	458	430	96.48	94.83
	फसल	Crop		0	0	0	0	0
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		1084	540	741	80.89	61.16
	सभी विभाग	All Departments		38115	28658	31781	84.28	79.05

6	निवल कमीशन अनुपात - कुल (%)	NET COMMISSION RATIO - TOTAL (%)	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2019	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2018	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2017	निवल कमीशन अनुपात Net Commission Ratio(%)	निवल कमीशन अनुपात Net Commission Ratio (%)
	अग्नि	Fire	8568	9607	6870	13.83	16.44
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	2219	2287	2593	13.94	12.95
	मरीन हल	Marine Hull	-205	-136	-130	-5.30	-3.35
	मोटर ओडी	Motor OD	27254	23264	13666	17.95	14.70
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	3021	1678	1234	1.04	0.63
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	1778	1997	-69	9.30	9.85
	विमानन	Aviation	374	221	242	6.86	9.76
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	927	903	709	15.78	15.45
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	788	354	-395	1.42	0.71
	स्वास्थ्य	Health	24017	22806	19235	6.16	6.68
	देयता	Liability	585	665	805	9.62	11.73
	फसल	Crop	-11902	0	0	-31.03	0.00
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	8429	74	5266	21.22	0.14



6	निवल कमीशन अनुपात - कुल (%)	NET COMMISSION RATIO - TOTAL (%)	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2019	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2018	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2017	निवल कमीशन अनुपात Net Commission Ratio(%)	निवल कमीशन अनुपात Net Commission Ratio (%)
	सभी विभाग	All Departments	65854	63720	50025	6.07	6.35
6a	निवल कमीशन अनुपात - भारतीय केवल (%)	NET COMMISSION RATIO - Indian Only (%)	Net Commission 31.03.2019	Net Commission 31.03.2018	Net Commission 31.03.2017	Net Commission Ratio(%)	Net Commission Ratio (%)
	अग्नि	Fire	5553	7168	4059	10.71	14.08
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	1773	1962	2241	13.11	12.61
	मरीन हल	Marine Hull	-223	-152	-161	-6.14	-3.91
	मोटर ओडी	Motor OD	23924	19944	9941	17.04	13.59
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	2841	1355	-7	0.98	0.51
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	1493	1855	-217	8.40	9.81
	विमानन	Aviation	-94	-84	-43	-19.10	-16.02
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	811	788	582	14.78	14.43
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	775	335	-493	1.40	0.67
	स्वास्थ्य	Health	23529	22551	19222	6.10	6.63
	देयता	Liability	433	514	664	7.72	9.88
	फसल	Crop	-11902	0	0	-31.03	0.00
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	8196	-47	5065	21.21	-0.09
	सभी विभाग	All Departments	57108	56189	40853	5.46	5.77
6b	निवल कमीशन अनुपात - विदेशी केवल (%)	NET COMMISSION RATIO - Foreign Only (%)	Net Commission 31.03.2019	Net Commission 31.03.2018	Net Commission 31.03.2017	Net Commission Ratio(%)	Net Commission Ratio (%)
	अग्नि	Fire	3015	2439	2811	29.82	32.38
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	446	325	352	18.61	15.49
	मरीन हल	Marine Hull	18	16	32	8.30	10.54
	मोटर ओडी	Motor OD	3328	3320	3725	28.97	28.79
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	180	323	1241	17.94	21.00
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी	Engineering	285	142	148	21.01	10.39
	विमानन	Aviation	469	305	286	9.44	17.57
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	116	115	127	29.86	29.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	13	19	98	11.42	12.54
	स्वास्थ्य	Health	488	255	13	10.83	21.87
	देयता	Liability	152	150	141	32.02	32.82
	फसल	Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	233	121	201	21.54	22.47
	सभी विभाग	All Departments	8744	7531	9172	22.94	26.28



7	प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात के लिए प्रबंधन का व्यय	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	प्रबंधन के व्यय (प्रत्यक्ष कमीशन)	Expenses of Management (incl. Direct Commission)	330094	344161
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	Gross Direct Premium	1348475	1173684
	अनुपात (%)	Ratio(%)	24.48	29.32

8	प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात के लिए प्रबंधन का व्यय	Expense of Management to Net Written Premium Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	प्रबंधन के व्यय (प्रत्यक्ष कमीशन)	Expenses of Management (incl. Direct Commission)	330094	344161
	शुद्ध लिखित प्रीमियम आय	Net Written Premium Income	1084539	1002823
	अनुपात (%)	Ratio(%)	30.44	34.32

9	किया गया निवल दावा प्रतिशत (%)	NET INCURRED CLAIMS RATIO (%)	किए गए निवल दावे Net Incurred Claims 31.03.2019	निवल प्रीमियम प्राप्ति Net Earned Premium 31.03.2019	किए गए निवल दावे Net Incurred Claims 31.03.2019	निवल प्रीमियम प्राप्ति Net Earned Premium 31.03.2019	Net ICR as at 31.03.19 (%)	Net ICR as at 31.03.18 (%)
	अग्नि	Fire	67716	60195	50957	59038	112.49	86.31
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	10516	16791	10123	18427	62.63	54.94
	मरीन हल	Marine Hull	3374	4048	5967	4588	83.33	130.05
	मोटर ओडी	Motor OD	133704	155057	112918	153202	86.23	73.71
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP (Non-Pool)	349723	279296	184755	246133	125.22	75.06
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	6490	0	6635	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआरपूल)	Motor TP(D.R. Pool)	-753	0	-31523	692	0	-4555.06
	अभियांत्रिकी	Engineering	-348	19700	4233	20450	-1.76	20.70
	विमानन	Aviation	7866	3862	3084	2115	203.70	145.79
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	1387	5861	2010	6275	23.67	32.03
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	59732	52925	64297	46428	112.86	138.49
	स्वास्थ्य	Health	395847	365808	362755	328624	108.21	110.39
	देयता	Liability	1046	5874	630	5624	17.80	11.20
	फसल	Crop	68701	44770	17014	18989	153.45	89.60
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	19808	45965	28266	52215	43.09	54.13
	सभी विभाग	All Departments	1124808	1060153	822121	962801	106.10	85.39



10	संयुक्त अनुपात	Combined Ratio	कुल	कुल	इंडियन	इंडियन	विदेश	विदेश
			Total 31.03.2019	Total 31.03.2018	Indian 31.03.2019	Indian 31.03.2018	Foreign 31.03.2019	Foreign 31.03.2018
	निवल इंकवायरी का दावा	Net Incurred Claims	1124808	822121	1089389	789081	35366	33041
	निवल अर्जित प्रीमियम	Net Earned Premium	1060153	962801	1026774	932517	33352	30283
	शुद्ध दावा किए गए अनुपात (%)	Net Incurred Claims Ratio (%)	106.10	85.39	106.10	84.62	106.04	109.11
	निवल कमीशन का भुगतान किया	Net Commission Paid	65854	63720	57109	56190	8743	7530
	संचालन प्रबंधन व्यय	Operating Management Expenses	246552	269299	244041	267109	2511	2190
	शुद्ध लिखित प्रीमियम	Net Written Premium	1084539	1002823	1046426	974165	38115	28658
	शुद्ध परिचालन व्यय अनुपात (%)	Net Operating Expenses Ratio (%)	28.81	33.21	28.78	33.19	29.53	33.92
	संयुक्त अनुपात (%)	Combined Ratio (%)	134.91	118.60	134.88	117.81	135.57	143.03

11	निवल प्रीमियम अनुपात के लिए तकनीकी रिजर्व	Technical Reserves to Net Premium Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने
			12 months ending 31.03.2019	12 months ending 31.03.2018
	अनपेक्षित जोखिमों के लिए रिजर्व	Reserve for Unexpired Risks	527822	503436
	प्रीमियम कमी रिजर्व	Premium Deficiency Reserve	3610	0
	बकाया दावों के लिए रिजर्व	Reserve for Outstanding Claims	1250244	1033984
	कुल	Total	1781676	1537420
	निवल प्रीमियम	Net Premium	1084539	1002823
	अनुपात (टाइम्स)	Ratio (Times)	1.64	1.53

12	अंडरराइटिंग बैलेंस अनुपात	Underwriting Balance Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने	अंडरराइटिंग बैलेंस अनुपात (समय)	अंडरराइटिंग बैलेंस अनुपात (समय)
			12 months ending 31.03.2019	12 months ending 31.03.2018	U/W Balance Ratio (Times)	U/W Balance Ratio (Times)
	अग्नि	Fire	-38266	-26350	-0.64	-0.45
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	1212	2603	0.07	0.14
	समुद्री हल	Marine Hull	-1179	-2928	-0.29	-0.64
	मोटर ओडी	Motor OD	-34514	-32754	-0.22	-0.21
	मोटर टीपी (नैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	-128432	-327	-0.46	0.00
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	-6490	-6635	0	0
	मोटर टीपी (टीडीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	753	32215	0	46.55
	अभियांत्रिकी	Engineering	13355	8402	0.68	0.41
	विमानन	Aviation	-7420	-3554	-1.92	-1.68
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	2436	2059	0.42	0.33
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	-18811	-30102	-0.36	-0.65
	स्वास्थ्य	Health	-127817	-133526	-0.35	-0.41
	देयता	Liability	2728	2656	0.46	0.47
	फसल	Crop	-43890	-15388	-0.98	-0.81
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	9273	11289	0.20	0.22
	कुल	TOTAL	-377062	-192340	-0.36	-0.20



13	संचालन लाभ अनुपात	Operating Profit Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	बीमालेखन का लाभ	Underwriting Profit	-377062	-192340
	निवेश आय	Investment Income	318448	329233
	संचालन लाभ	Operating Profits	-58614	136893
	निवल अर्जित प्रीमियम	Net Earned Premium	1060153	962801
	अनुपात(%)	Ratio(%)	-5.53	14.22

14	देयता अनुपात का तरल संपत्ति	Liquid Assets to Liabilities Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	तरल संपत्ति	Liquid Assets	493844	363303
	पॉलिसीधारकों की देयताएं	Policyholders' Liabilities	1659967	1334199
	अनुपात (समय)	Ratio (Times)	0.30	0.27

15	शुद्ध अर्जन अनुपात	Net Earnings Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	कर अदायगी के बाद लाभ	Profit after Tax	-29366	150989
	निवल प्रीमियम	Net Premium	1084539	1002823
	अनुपात (%)	Ratio (%)	-2.71	15.06

16	कुल मूल्य पर आय	Return on Net Worth	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	कर अदायगी के बाद लाभ	Profit after Tax	-29366	150989
	निवल प्रीमियम	Networth	286303	315669
	अनुपात (%)	Ratio (%)	-10.26	47.83

17	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात	Available Solvency Margin to required Solvency Margin Ratio	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2019	31.03.2019 को समाप्त हुए 12 महीने 12 months ending 31.03.2018
	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन	Available Solvency Margin	588624	450072
	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन	Required Solvency Margin	374378	269335
	सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात (टाइम्स)	Solvency Margin Ratio (Times)	1.57	1.67



17. भारतीय प्रत्यक्ष प्रीमियम का क्षेत्रवार विभाजन

17. Sector-wise break-up of Indian Direct Premium

		As at 31.03.2019 को			As at 31.03.2018 को		
		जनसंख्या No. of Lives	प्रीमियम Rs.in Lakhs	अनुपात %age	जनसंख्या No. of Lives	प्रीमियम Rs.in Lakhs	अनुपात %age
a. ग्रामीण क्षेत्र	a. Rural Sector	-	317805.03	24.08%	-	182390.67	15.93%
b. सामाजिक क्षेत्र	c. Social Sector	77672967	148770.28	11.27%	98533639	107522.61	9.39%
d. अन्य	e. Others	-	853357.18	64.65%	-	855283.49	74.68%
कुल	Total	77672967	1319932.49	100.00%	98533639	1145196.77	100.00%

18. पुनर्गठन के अधीन निवेश का टूटना

विभिन्न श्रेणियों के तहत पुनर्गठित कुल संपत्ति के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। संबंधित श्रेणियों के तहत वर्ष के दौरान और पिछले वर्ष के दौरान पुनर्गठित और कार्यान्वित की गई संपत्ति, नीचे दी गई हैं:

18. Break-up of investments subjected to restructuring

The figures of total assets restructured under various categories are being compiled. The assets restructured and implemented during the year and during previous year, under respective categories, are given below:

(Rs. In Lakhs)

Sr. No.	संपत्ति की श्रेणी	Category of Asset	पुनर्गठन और कार्यान्वयन के अधीन परिसंपत्तियाँ (वर्ष के दौरान) Assets subjected to Restructuring and implemented (during the year)	
			2018-19	2017-18
1	मानक	Standard	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
2	उप मानक	Sub Standard	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
3	संदिग्ध	Doubtful	8.31	821.57
4	नुकसान	Loss	28.75	61.86
	कुल	Total	37.06	883.43

19. बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट का ब्रेक अप

भारतीय प्रत्यक्ष व्यापार के संबंध में वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए कमीशन / ब्रोकरेज नीचे दिए गए हैं:

19. Break up of Business Acquisition Cost

The Commission/Brokerage incurred during the year 2018-19 in respect of Indian Direct Business is given below:

Sr. No.	वर्ग	Category	2018-19 Rs. in Lakhs	2017-18 Rs. in Lakhs
1	एजेंटों	Agents	47483.68	43964.82
2	ब्रोकर्स	Brokers	19030.43	17375.83
3	कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	4041.5	3361.02
4	अन्य (डिस्क सहित)	Others(including MISP)	5637.69	2616.75
	कुल	Total	76193.30	67318.42



20. निवेश

- 20.1 29.42 लाख (पिछले वर्ष 32.79 लाख रुपये) के बुक वैल्यू (उचित मूल्य) के शेयरों के शेयरों का मूल्य 4.23 लाख रुपये (पिछले वर्ष का 4.23 लाख रुपये) का खरीद मूल्य कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि यह आपत्ति के अधीन हैं। ये 1998 से पहले की अवधि से संबंधित हैं।
- 20.2 स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्टिफिकेट (भूस्-पुस्तकों में 1.02 लाख रुपये) का शॉर्ट वैल्यू (उचित मूल्य) और SHCIL में 3.20 लाख रुपये (अतिरिक्त) के साथ कंपनी की पुस्तकों के अनुसार निवेश में विसंगतियां हैं। कितने (पिछले वर्ष के 0.04 लाख रुपये और क्रमशः 1.78 लाख रुपये)। अंतर को दूर किया जा रहा है।
- 20.3 20.3 एक बार के निपटान/पुनर्खरीद/ऋणों के पुनर्वितरण और एनपीए खाते के जोड़ पर बुरा या संदेहास्पद ऋण/NPA के खाते में 8967.12 लाख रुपये (पिछले वर्ष 962.53 लाख रुपये जारी) के प्रावधान की शुद्ध वृद्धि है।
- 20.4 बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के तहत 20.4 ऋण/निवेश को दीर्घकालिक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनकी वास्तविकता निश्चित नहीं है।
- 20.5 निवेश पर आईआरडीएआई के मानदंडों के अनुसार, 7,58,565.63 लाख रुपये (पिछले वर्ष के 8,65,737.38 लाख रुपये) के अनधिकृत लाभ/हानि, सूचीबद्ध हस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं और म्यूचुअल फंड निवेश के लिए लिए जाते हैं और इसी तरह के बराबर रिजर्व बनाए जाते हैं। फ्लेयर वैल्यू चेंज अकाउंट के समान। लाभ और हानि खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वितरण के लिए ऐसा आरक्षित उपलब्ध नहीं है।

20. Investments

- 20.1 Shares of the book value (fair value)of Rs. 29.42 Lakhs (Previous year Rs 32.79 Lakhs.) having purchase value of Rs 4.23 Lakhs (Previous year Rs. 4.23 Lakhs) have not been registered in the name of the company, as the transfers are under objection. These pertains to the period prior to 1998.
- 20.2 There are discrepancies in investments as per company's books with the certificates issued by Stock Holding Corporation of India (custodian) of book value (fair value) of Rs 1.02 Lakhs (Short) in SHCIL books and Rs. 3.20 Lakhs (Excess) in SHCIL books (Previous year Rs. 0.04 Lakhs and Rs 1.78 Lakhs respectively). The differences are under reconciliation.
- 20.3 There is a net addition in provisions for bad & doubtful debts/NPA of Rs. 8967.12 Lakhs (Previous year release Rs. 962.53 Lakhs) on account of One Time Settlements/ Restructuring/ Redemption of debts and addition of NPA Account.
- 20.4 Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisibility is not certain.
- 20.5 In accordance with IRDAI norms on investments, unrealized gains/ loss of Rs 7,58,565.63 Lakhs (Previous year Rs. 8,65,737.38 Lakhs) arising due to change in fair value of listed equities and mutual funds are taken to investment and corresponding equal reserve created for the same as " Fair Value Change Account". There is no effect on Profit and Loss account and such reserve is not available for distribution.



20.6 निवेश की बिक्री पर रु. 2,00,233.43 लाख (पिछले वर्ष रु. 2,00,757.29 लाख) में दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर लाभ 1,93,370.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,95,748.66 लाख) वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष 31 मार्च 2019 की समाप्ति के दौरान शामिल हैं।

20.7 निवेश विनियमों पर आईआरडीएआई के मास्टर सर्कुलर दिनांक 03 मई 2017 के खंड संख्या 5.1 के अनुपालन में, चालू वित्त के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो और रिवर्स रेपो के संबंध में किए गए लेनदेन की स्थिति निम्नानुसार है:

20.6 Profit on sale of investment Rs. 2,00,233.43 Lakhs (Previous year Rs. 2,00,757.29 Lakhs) include profit on sale of long term investments amounted to Rs. 1,93,370.60 lakhs (Previous year Rs. 1,95,748.66 Lakhs) during the financial year ended 31.03.2019.

20.7 In compliance to clause no. 5.1 of the IRDAI's Master Circular dated 03 May 2017 on Investment Regulations, 2016, status of transactions done in respect of Repo and Reverse Repo in Government securities and Corporate Bonds during CY is as under :

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	दैनिक औसत Daily average outstanding during the year	31 मार्च, 2019 तक बकाया Outstanding as on March 31, 2019
रेपो के तहत प्रतिभूति बेची गई 1. सरकारी प्रतिभूति 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति	Securities Sold under repo 1. Government Securities 2. Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति 1. सरकारी प्रतिभूति 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति	Securities purchased under reverse repo 1. Government Securities 2. Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

20.8 कंपनी का 31.03.2019 तक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL & FS) समूह में 35828.33 लाख रुपये का कुल निवेश है। IL & FS समूह की कंपनियों ने ब्याज और सिद्धांत के भुगतान को डिफॉल्ट कर दिया है जो 31 मार्च तक था। 2019. आईएल एंड एफएस समूह में संपूर्ण निवेश, इसलिए आय-मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और निवेश-मास्टर परिपत्र प्क्। (निवेश) विनियम 2016 के अन्य संबंधित मामलों के अनुसार उप-मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी ने इसलिए एक बनाया है निवेश के आधार पर 9004.17 लाख रुपये (यानी 2980.46 लाख रुपये)

20.8 The Company has an aggregate investment exposure of Rs. 35828.33 Lakhs in Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. (IL&FS) group as on 31.03.2019. A few of group entities have defaulted payment of interest and principle which was due upto 31st March. 2019. The entire investment in the IL&FS group, therefore, is categorized as sub- standard asset as per Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and other related matters of Investment-Master Circular IRDA (Investment) Regulations 2016. The company has therefore made a provision of Rs. 9004.17 Lakhs (i.e. Rs. 2980.46 lakhs at 10% on secured portion



सुरक्षित हिस्से पर 10% और 6023.71 लाख रुपये (असुरक्षित भाग पर 100%) का प्रावधान। IL & FS समूह में अपने निवेश में निवेश की अंतर्निहित परिसंपत्तियों की डिबेंचर ट्रस्टी से नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने पर कंपनी IL & FS समूह में अपने सुरक्षित निवेशों के असुरक्षित भाग पर आगे के प्रावधान पर विचार करेगी।

20.9 कंपनी की ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट, पेंशन ट्रस्ट और पीएफ ट्रस्ट का भी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL & FS) में एक्सपोजर है, जो समूह की संस्थाओं में 7700.00 लाख रुपये की राशि है, जो दायित्व की गणना करते समय हानि के लिए नहीं माना गया है। वर्ष के अंत में एस -15 के अनुसार पीएफ, पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रावधान।

21. अचल गुण

अचल संपत्तियों में 5394.21 लाख (पिछले वर्ष 687.04 लाख रुपये) की संपत्ति शामिल है, जिसके लिए या तो उपाधि कर्म रिकॉर्ड पर नहीं हैं या पंजीकरण लंबित है। पंजीकरण/स्टॉप शुल्क शुल्क, उस समय तक जब तक पंजीकरण न हो, का हिसाब लगाया जाएगा।

22. कुछ मामलों में निम्नलिखित शीर्षों के तहत संतुलन सुलह/पुष्टि के लिए लंबित हैं

- एजेंटों की शेष राशि (निवल)
- प्रीमियम जमा और एजेंटों का प्रीमियम।
- रिजर्व कंपनियों को कोसने वाली कंपनियों के साथ जमा।
- बीमा व्यवसाय पर ले जाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से/के कारण गणना।
- कर्मचारियों से/पर प्राप्य।
- विविध देनदार
- अज्ञात डेबिट/क्रेडिट बैंक प्रविष्टियां
- विविध लेनदार
- अग्रिम
- इंटर ऑफिस बैलेंस

and Rs. 6023.71 Lakhs i.e. 100% on unsecured portion) of investment. The Company on obtaining the latest valuation report from Debenture Trustee of the underlying assets of its investment exposure in its investment in IL&FS group will consider further provision if any, on the unsecured portion of its secured investments in IL&FS group.

20.9 Company's Gratuity Fund Trust, Pension Trust and PF Trust also have an exposure in Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. (IL&FS) amounting to Rs. 7700.00 Lakhs in the group entities which has not been considered for impairment, if any, while calculating the liability of P.F., pension and gratuity provisions as per AS-15 at the year end.

21. Immovable Properties

Fixed assets include properties costing Rs 5394.21 Lakhs (previous year Rs. 687.04 Lakhs) for which either title deeds are not on record or registration is pending. The registration/stamp duty charges, to the extent not accounted will be accounted for at the time of registration.

22. Balances under the following heads in certain cases are pending reconciliation / confirmation

- Agents' Balances (Net)
- Premium Deposits and Agents' Premium.
- Reserve Deposits with ceding companies.
- Amounts due to /from other persons or bodies carrying on Insurance Business.
- Amounts due to/ from employees.
- Sundry Debtors
- Unidentified Debit/Credit Bank Entries
- Sundry Creditors
- Advances
- Inter Office Balances



समायोजन, यदि कोई हो, ऊपर के संबंध में पुष्टि / विश्लेषण/सुलह पर किया जाएगा।

23. आयकर और सेवा कर निर्धारण की स्थिति

- i) आयकर आकलन वर्ष 2016-17 तक पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2007-08 के 2007-08 के वित्तीय वर्ष को छोड़कर सेवा कर का आकलन पूरा हो चुका है।
- ii) आयकर अधिकारियों द्वारा आदेश के आधार पर जहां भी आवश्यक माना जाता है, के लिए आयकर मांग की देनदारियों को पूरी तरह से प्रदान किया गया है।
- iii) कंपनी ने आकलन वर्ष 1974-75, 1976-77, 1977-78 और 1979-80 के लिए वसूली योग्य हेड इनकम टैक्स के तहत 6518 लाख रुपये प्रदान किए थे, जिसके लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील पसंद की गई थी। उसी राशि का प्रावधान बैड डिबेट के तहत किया गया था क्योंकि उसी की पुनर्प्राप्ति संदिग्ध थी। वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में निर्णय पारित किया। हालाँकि, आयकर विभाग की ओर से अंतिम आदेश की प्राप्ति लंबित है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करता है, वही इन खातों में मान्यता नहीं दी गई है और अभी भी खराब ऋणों के लिए प्रावधान में है।
- iv) वर्ष के दौरान, कंपनी ने पहले के वर्षों के मूल्यांकन/ अपील के आदेशों के आधार पर 13926.96 लाख रुपये की ब्याज आय दर्ज की।
- v) कर के लिए प्रावधान वर्तमान वर्ष 2018-19 (पिछले वर्ष 24800 लाख रुपये) के लिए शून्य है।

The adjustments, if any, in respect of above will be made upon confirmation/analysis/reconciliation.

23. Status of income tax and service tax assessments

- i) The income tax assessments have been completed upto Assessment Year 2016-17. Service Tax assessments have been completed upto Financial Year 2010-11 excluding for the FY 2003-04 to 2007-08.
- ii) Liabilities towards Income Tax Demand have been fully provided for, wherever considered necessary based on the order by the Income Tax Authorities.
- iii) The Company had provided Rs. 6518 Lakhs under the head Income Tax recoverable for Assessment Years 1974-75, 1976-77, 1977-78 and 1979-80 for which appeal were preferred in the Hon'ble Supreme Court of India. Provision for the same amount was made under Bad Debts as the recoverability of the same was doubtful. During the FY 2007-08 the Hon'ble Supreme Court passed the judgment in favour of the Company. However, pending the receipt of the final order from the Income Tax Department giving effect to the judgment of the Hon'ble Supreme Court, the same has not been recognized in these accounts and is still lying in provision for bad debts.
- iv) During the year, the Company booked an interest income of Rs. 13926.96 lakhs on the basis of Assessment/Appeal orders of earlier years.
- v) Provision for tax is NIL for current year 2018-19 (previous year Rs. 24800 Lakhs).



vi) स्थगित कर

वर्ष के अंत में आस्थगित कर की गणना इस प्रकार है:

विवरण	Particulars	चालू वर्ष (रु. लाखों में) Current Year (Rs. in lakhs)	गत वर्ष (रु. लाखों में) Previous Year (Rs. in lakhs)
आस्थगित कर परिसंपत्ति:	Deferred Tax Assets:		
अवकाश नकदीकरण	Leave encashment	28321.45	26801.33
पॉलिसी टिकटें सस्ती	Policy Stamps Affixable	79.36	102.00
एनपीएस	NPS	60.14	0
अनाथ दावा	Orphan Claims	1,401.40	1395.31
उपदान	Gratuity	0	0
घटायें: स्थगित कर देयता:	Less : Deferred Tax Liability:		
मूल्यह्रास	Depreciation	(406.84)	238.07
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	Net Deferred Tax Assets	30269.19	28060.57

vi) Deferred Tax

The calculation for deferred tax at the year end is as follows:

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त प्रावधान वर्तमान में लागू दरों पर कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय के अंतर के लिए किया गया है।
- कंपनी के पास द डिफ्रेड टैक्स एसेट्स को जन्म देते हुए द इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत पर्याप्त नुकसान और अघोषित मूल्यह्रास है। हालांकि, विवेकपूर्ण बात के रूप में, भविष्य में कर योग्य आय पर अनिश्चितता के कारण लेखा मानक -22 (आय पर करों का लेखा) की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

NOTES:

- The above provision is made for timing differences arising between taxable income and accounting income at currently enacted rates.
- The company has substantial carry forward losses and unabsorbed depreciation under The Income Tax Act, 1961, giving rise to Deferred Tax Assets. However, as a matter of prudence, the deferred tax asset has not been recognized in the financial statements as per the requirements of Accounting Standard -22 (Accounting of taxes on income) owing to uncertainty over future taxable income.

24. लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान:

अक्टूबर 2012 में जारी मास्टर सर्कुलर के अनुसार, नियुक्त किए गए बीमांकक ने हेल्थ सेगमेंट के तहत फ्री लुक पीरियड चालू वर्ष 2018-19 के लिए 0.87 लाख (पिछले वर्ष के 0.98 लाख रुपए) के प्रावधान को महत्व दिया है।

24. PROVISIONS FOR OUTSTANDING CLAIMS:

In accordance with Master Circular issued in October' 2012, the Appointed Actuary has valued the provision for Free Look Period under the Health Segment as Rs. 0.87 Lakhs for the current year 2018-19 (Previous year Rs. 0.98 Lakhs)

25. प्रीमियम

25. Premium

25. क. प्रीमियम की कमी

25.a. Premium Deficiency

यदि अपेक्षित दावों की लागत, संबंधित खर्चों और रख-रखाव के खर्चों से संबंधित

The Premium deficiency is recognized on Net Basis based on Actuarial Report



दावों का सार, व्यवसाय से संबंधित वर्ग के लिए अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो, तो प्रीमियम की कमी को बीमांकक रिपोर्ट पर आधारित निवल बेसिस पर मान्यता दी जाती है। दिखाया गया है कि फायर रेवेन्यू खाते में 3610.36 लाख रुपये (पिछले वर्ष के शून्य) की प्रीमियम कमी है। कुल मिलाकर समुद्री और विविध राजस्व खातों में कोई प्रीमियम कमी नहीं है। हालांकि, मरीन हल (पिछले वर्ष 338.44 लाख रुपये) में 418.00 लाख रुपये की प्रीमियम कमी है, पीए में 4768.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 11736.62 लाख रुपये), विमानन में 66.31 लाख रुपये (पिछले वर्ष 119.31 लाख रुपये), रु. 126.46 (पिछले वर्ष शून्य) फसल खंड में लाख और स्वास्थ्य खंड में 20290.29 लाख (पिछले वर्ष 23251.71 लाख रुपये) रहा।

25 (ख) फसल बीमा

- (i) जैसा कि IRDAI ने इसके परिपत्र की अनुमति दी है। IRDA-F&A-CIR-FA-126-07-2013 की तारीख 3 जुलाई, 2013 प्रधानमंत्री प्रीमियम बीमा योजना-खरीफ की प्रीमियम की बुकिंग के संबंध में लेखांकन नीति को बदल दिया गया है और पूरे खरीफ प्रीमियम को लेखांकन वर्ष में बुक किया गया है। इसलिए राजस्व 16376.08 लाख रुपये अधिक है।
- (ii) महाराष्ट्र के एक जिले के संबंध में एरिया कलेक्शन फैक्टर (ACF) की गणना कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है और उन्हें अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, फसल खंडों से संबंधित शुद्ध प्रीमियम और दावों को क्रमशः 2802.30 लाख रुपये और 7126.00 लाख रुपये के विपरीत कर दिया गया है।

if the sum of expected claims cost, related expenses and maintenance costs related to claims handling exceeds the unearned premium for the related class of business. There is a premium deficiency in Fire Revenue account amounting to Rs. 3610.36 Lakhs (previous year NIL) as shown therein. Overall there is no Premium Deficiency in Marine and Miscellaneous Revenue Accounts. However, there is a premium deficiency of Rs. 418.00 Lakhs in Marine Hull (previous year Rs. 338.44 Lakhs), Rs. 4768.00 Lakhs (previous year Rs. 11736.62 Lakhs) in P.A., Rs. 66.31 Lakhs (previous year Rs. 119.31 Lakhs) in Aviation, Rs. 126.46 (previous year NIL) Lakhs in crop segment and Rs. 20290.29 Lakhs (previous year Rs. 23251.71 Lakhs) in Health segment.

25(b) Crop Insurance

- (i) As permitted by IRDAI vide its circular. IRDA-F&A-CIR-FA-126-07-2013 Dt. 3rd July, 2013 The accounting policy in respect of booking of premium of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna-Kharif is changed and entire Kharif premium is booked in the accounting year,. The revenue is therefore higher by Rs. 16376.08 Lakhs.
- (ii) The Area Collection Factor (ACF) in respect of one of the district of Maharashtra is calculated as per the guidelines laid down by the Ministry of Agriculture and is submitted to them for final approval. Accordingly, the net premium and claims pertaining to Crop segments are reversed to the extent of Rs. 2802.30 Lakh and Rs.



25 (सी) आयुष्मान भारत योजना

कंपनी ने "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के तहत स्वास्थ्य बीमा बीमा कवर प्रदान करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है, जहाँ 44.85 लाख परिवारों को कुल रुपये के प्रीमियम के साथ कवर किया गया है। 01 अक्टूबर, 2018 से 30 सितंबर, 2019 की अवधि के लिए 16183 लाख। उक्त समझौते/नीति के अनुसार प्रीमियम सरकार की 45% 45% और 10% की 3 किस्तों में प्राप्य है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में पूरे प्रीमियम का हिसाब रखा है, हालांकि 2 और 3 किस्तों (नेट इफेक्ट 4227.82 लाख रुपये) को लागू करने वाली योजना/योजना में लागू की गई कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद प्राप्त करने योग्य हैं।

7126.00 Lakh respectively.

25(C) Ayushman Bharat Scheme

The Company has entered into an agreement with the Government of the State of Gujarat to provide healthcare insurance cover under the "Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana" where 44.85 lakh families have been covered with a total premium of Rs. 16183 Lakhs for the period 01st October, 2018 to 30th September, 2019. As per terms of the said agreement/policy the premium is receivable in 3 instalments of 45%, 45% and 10% from the Government. The Company has accounted for the entire premium in the current financial year, though 2nd and 3rd instalments (net impact Rs. 4227.82 Lakhs) are receivable in immediately succeeding financial year subject to fulfilment of certain conditions as envisioned in the applicable agreement/scheme.

26. प्रमुखों के तहत किए गए व्यय

(क) आउटसोर्सिंग व्यय रुपये (पिछले वर्ष 14342.95 लाख)

विपणन सहायता शून्य (शून्य)

(ख) IRDAI (जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस बिज़नेस का लेन-देन करने वाले इंश्योरेंस के प्रबंधन के व्यय) के अनुपालन में, 2016-F-No-IRDAI / Reg / 12 / 124 / 2016 दिनांक 27.04.2016 को 1687.31 लाख रुपये की राशि प्रबंधन के खर्चों के हिसाब से दी गई है, जो निम्नलिखित सेगमेंट के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक है, शेयरधारकों के खाते में लगाया गया है: -

26. Expenses Incurred Under Following Heads

(a) Outsourcing Expenses **Rs NIL**
(Previous year 14342.95 Lakhs)

Marketing Support **Rs. NIL (NIL)**

(b) In compliance to IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulation, 2016. F.No. IRDAI/ Reg/12/124/2016 dated 27.04.2016, an amount of Rs. 1687.31 Lakhs on accounts of expenses of management exceeding the allowable limits under the following segments has been charged to Shareholders' account :-



(Rs. In Lakhs)

खंड	Segment	वास्तविक व्यय Actual Expenses	स्वीकार्य व्यय Allowable Expenses	शेयरधारकों से अतिरिक्त शुल्क खाता Excess charged to shareholders A/C
मरीन कार्गो	Marine Cargo	6300.62	4613.31	1687.32
कुल अतिरिक्त	Total Excess	6300.62	4613.31	1687.32

स्वीकार्य व्यय से ऊपर प्रबंधन (ईओएम) के व्यय को राजस्व खातों में 'अन्य आय' के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में खुलासा किया गया है।

Expenses of Management (EoM) above allowable expenses has been disclosed as separate line item under "other income" in revenue accounts.

27. 6839.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष के 13153.26 लाख रुपये) के विविध कर्जदाताओं में एमएसीटी मामलों में स्रोत पर कर की गैर कटौती के लिए आयकर की मांग पर आयकर (विभाग) को रु. 256.64 लाख (पिछले वर्ष के 260.76 लाख रुपये) का भुगतान शामिल है। जो बकाया रहता है और उसी के विरुद्ध 256.11 लाख रुपये का प्रावधान किया जाता है।

27. Sundry debtors of Rs 6839.59 Lakhs (Rs. 13153.26 Lakhs previous year) includes Rs. 256.64 Lakhs (Rs. 260.76 Lakhs previous year) paid to income tax (department) on account of income tax demand for non deduction of tax at source in MACT cases, which remains outstanding and a provision of Rs. 256.11 lakhs is made against the same.

28. (क) तकनीकी विभागों के पुनर्बीमा खातों और समूह बीमालेखन प्रकोष्ठों (जीयूसी) द्वारा रखे गए खातों के बीच संकाय प्रीमियम सीडेड और संकाय दावों की राशि का लंबित सामंजस्य, वहाँ रु. 955.40 की राशि के लिए संकाय प्रीमियम सीडेड राशि का शुद्ध अंतर है। लाख (पिछले वर्ष 7382.05 लाख रुपये) और वसूलियों के लिए यह 31.03.2019 तक 2891.30 लाख (पिछले वर्ष 2098.93 लाख रुपये) आता है। हालांकि, राजस्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

28. (a) Pending reconciliation of amount of facultative premium ceded and facultative claims paid recoveries between the accounts maintained by the reinsurance accounts and the group underwriting cells (GUC) of technical departments, there is net difference for facultative premium ceded amounting to Rs 955.40 Lakhs (previous year Rs. 7382.05 Lakhs) and for recoveries it comes to Rs 2891.30 Lakhs (previous year Rs 2098.93 Lakhs) as on 31.03.2019. However, there is no impact of the same on revenue.

(ख) पुनर्स्थापना बीमा प्रीमियम की राशि बिना दावे के खाते पर संगत प्रभाव रखने के लिए बेहिसाब है।

(b) Amount of reinstatement insurance premium remains unaccounted having corresponding effect on the claims incurred account.

29. लेखा मानक 3: कैश फ्लो स्टेटमेंट

कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

29. Accounting Standard 3: Cash Flow Statement

The Cash Flow statement of the Company has been prepared under the direct method.



30. क) लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन

लेखा नीति 6.1.क पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि "वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित दायित्व सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, नेता की सलाह और अन्य स्रोतों को अंतिम रूप देने तक की तारीख पर आधारित है, पिछला अनुभव और अन्य लागू कानून, अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और उसी के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि, अंतिम देयता, प्रदान की गई राशि से अधिक या उससे कम हो सकती है, जिसके लिए किसी भी समायोजन को उस अवधि में परिलक्षित किया जाएगा, जिसमें वे जाने जाते हैं। "यह बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने भी पत्र द्वारा स्पष्ट किया है। दिनांक 25 मई 2004 को अनुमानों में इस तरह के बदलावों का प्रभाव, प्रकटीकरण का आह्वान नहीं करता है, जब तक कि बकाया दावों के लिए प्रावधान की पद्धति में कोई बदलाव नहीं होता है। चूंकि चालू वर्ष में बकाया दावों के लिए प्रावधान करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए अलग से कोई खुलासा नहीं किया गया है।

ख) मुकदमेबाजी बस्तियों

वित्तीय वर्ष के लिए मुकदमों के आधार पर बनी बस्तियां 31 मार्च 2019 को समाप्त होकर 198822.72 लाख (पिछले वर्ष 182195.61 लाख रुपये) हो गईं।

ग) फिक्स्ड एसेट्स का निपटान

वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों की बिक्री पर कुल आय 574.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 329.06 लाख रुपये) और 84.43 लाख रुपये पिछले वर्ष की अचल संपत्ति की बिक्री पर शुद्ध हानि हुई (पिछले वर्ष 240.64 लाख रुपये)।

घ) कंपनी के अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित 10 वर्षों के बजाय मोबाइल फ़ोनों के लिए उपयोगी जीवन 2 वर्षों में लिया जाता है और उसी का प्रभाव 13.77 लाख रुपये है जो वर्ष के दौरान अतिरिक्त मूल्यह्रास के रूप में लिया जाता है।

30. a) Changes in Accounting Estimates

Attention is drawn to Accounting Policy 7.1.a, wherein it has been specifically stated that "Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of the leader and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continuously reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known." It has also been clarified by the Insurance Regulatory and Development Authority vide letter dated 25th May 2004 that impact of such changes in estimates, do not call for disclosure so long as there is no change in the method of provisioning for outstanding claims. As there has been no change in the method of provisioning for outstanding claims in the current year, no disclosure has been separately made.

b) Litigation Settlements

The settlements made on account of litigations for the financial year ended on 31.03.2019 amounted to Rs. 198822.72 Lakhs (previous year Rs 182195.61 Lakhs).

c) Disposal of Fixed Assets

The net proceeds on sale of fixed assets during the year amounted to Rs. 574.55 Lakhs (previous year Rs. 329.06 Lakhs) and the net loss on sale of fixed assets amounting to Rs. 84.43 Lakhs (previous year Rs. 240.64 Lakhs).

d) The useful life for Mobile Phones is taken at 2 years instead of 10 years as stipulated under The Companies Act, 2013 and impact of the same is Rs. 13.77 Lakhs as additional depreciation charged during the year.



ड) पूर्व अवधि की आय में 2017-18 के दौरान मोटर ओडी कैशलेस दावों के तहत कार्यशालाओं के लिए भुगतान की गई जीएसटी राशि के लिए जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए 5951.82 लाख रुपये शामिल हैं और नेपाल में कर्मचारियों के ग्राट्टी के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल हैं।

e) Prior period income includes Rs. 5951.82 Lakhs for GST Input credit for GST amount paid to workshops under Motor OD cashless claims during 2017-18 and also the excess provision made for Gratuity of employees in Nepal.

31. लेखा मानक 15 (संशोधित)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007-2008 से लेखांकन मानक, एएस -15 (संशोधित 2005) मम कर्मचारी लाभ 'को अपनाया है।

परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं:

1. एम्प्लॉयीज बेनिफिट्स दरिंग सर्विस पेरियोड

बीमार छुट्टी और छुट्टी यात्रा सब्सिडी (एलटीएस) के लिए दायित्व एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(क) एलटीएस लायबिलिटी में वर्ष के दौरान 150.77 लाख रुपये की वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष 51.68 लाख रुपये की वृद्धि) और क्रमशः लाभ/हानि खाते में जमा/डेबिट किया गया है। 31 मार्च 2019 तक एलटीएस के लिए कुल देयता 1100.32 लाख (पिछले वर्ष 949.55 लाख रुपये) है।

(ख) चालू वर्ष के लिए बीमारी की छुट्टी के लिए देयता 99440.88 रुपए है (पिछले वर्ष 1233.72 लाख रुपए घटकर) और उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है। वर्ष 31-03-2019 को बीमारी की छुट्टी के लिए कुल देयता 20780.31 लाख (पिछले वर्ष 19609.87 लाख रुपये) है।

2. कर्मचारियों की भर्ती लाभ

इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट शामिल हैं।

31. Accounting Standard 15 (Revised)

The Company has adopted Accounting Standard, AS-15 (Revised 2005) 'Employee Benefits' since the financial year 2007-2008.

The defined Employees benefits schemes are as under:

1. EMPLOYEES BENEFITS DURING SERVICE PERIOD

The liability for Sick Leave and Leave Travel Subsidy (LTS) is recognized based on Actuarial Valuation.

(a) LTS Liability has increased by Rs. 150.77 Lakhs during the year (previous year increased by Rs. 51.68 Lakhs) and has been credited/debited to Profit & Loss Account respectively. Total liability for LTS as on 31.03.2019 is Rs 1100.32 Lakhs (previous year Rs. 949.55 Lakhs).

(b) Liability for sick leave for the current year has Rs. 1170.44 Lakhs (previous year decreased by Rs. 1233.72 Lakhs) and has been credited to Profit and Loss Account. Total liability for sick leave as on 31-03-2019 is Rs. 20780.31 Lakhs (previous year Rs. 19609.87 Lakhs).

2. EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS ;

This includes Pension, Gratuity and Leave Encashment.



क. पेंशन:

कंपनी की एक निर्धारित पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, पेंशन उन कर्मचारियों को देय है, जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है। कंपनी ने इस योजना के लिए अलग फंड बनाया है जो कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है। उसी के लिए देयता को एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर पहचाना जाता है।

ख. ग्रेच्युटी:

कंपनी ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लाभ प्राप्त ग्रेच्युटी योजना को परिभाषित किया है। 5 साल की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी देय है। कंपनी ने ग्रेच्युटी के प्रबंधन के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है, जिसे कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। किसी भी कर्मचारी की ग्रेच्युटी देयता की गणना कंपनी के युक्तिकरण स्कीम या ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत की जाती है, जो भी अधिक हो। उसी के लिए देयता एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर पहचानी जाती है।

ग. OMOP के कारण पेंशन देयताएं:

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 1627 (ई) दिनांक 23 अप्रैल 2019 सामान्य बीमा (कर्मचारी श्र) पेंशन योजना 1995 के तहत संशोधित संशोधन, 8 जून 1995 से पहले कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एक और पेंशन विकल्प की अनुमति देता है। 23 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के अनुसार, पात्र उम्मीदवार अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों / 120 दिनों के भीतर पेंशन के लिए अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं और कट-ऑफ की तारीख से 90 दिनों / 60 दिनों के भीतर निर्धारित राशि भेज सकते

a. Pension:

Company has a Defined Pension Scheme. Under this scheme, Pension is payable to Employees who have opted for Pension Scheme. Company has created separate Fund for the scheme which is funded by the Company and managed by separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

b. Gratuity:

Company has Defined Benefit Gratuity Plan for all categories of employees. Gratuity is payable after 5 years of continuous service. Company has created a separate Trust for management of gratuity which is funded by the Company.. The gratuity liability of any employee is calculated as per the Rationalisation scheme of the company or under The Payment of Gratuity Act, 1972 whichever is higher. The liability for same is recognized on the basis of actuarial valuation.

c. Pension Liabilities due to OMOP:

The Government of India vide Gazette Notification no. S.O. 1627 (E) dated 23rd April 2019 Notified amendment under the General Insurance (Employees') Pension Scheme 1995, allowing one more pension option to the employees who have joined the Company before 28th June 1995. As per the notification dated 23rd April 2019, the eligible optees may exercise their option for pension within 90 days / 120 days from the date of notification and remit Company's contribution of Provident Fund with accumulated interest and additional amount as prescribed within 90 days / 60



हैं। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कंपनी का दायित्व निर्धारित अवधि के भीतर योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

घ. अवकाश नकदीकरण:

सेवा अवधि के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद, सभी कर्मचारियों के विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) के नकदीकरण की अनुमति है। सेवा अवधि के दौरान, 2 वर्ष में एक बार 15 दिनों के पीएल के लिए नकदीकरण की अनुमति है और सेवानिवृत्ति पर, यह 240 दिनों के पीएल तक सीमित है। यह बेजोड़ और एक्जुअरी वैल्यूएशन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त उपरोक्त कर्मचारियों के लाभ की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

days from the cut-off date. The obligation of the Company in respect of such employees will be determined on the basis of the number of employees who opt for the scheme within the specified period.

d. Leave Encashment:

Encashment of Privilege Leave (PL) is allowed to all class of employees, both during service period and on retirement. During service period, encashment is allowed for 15 days PL once in 2 years and on retirement, it is restricted to 240 days PL. This is unfunded and recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of the above Employees benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:

CHANGE IN THE PRESENT VALUE OF THE DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS

(Rs. in Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	PENSION				GRATUITY				LEAVE ENCASHMENT			
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16
1 अप्रैल, 2018 को निर्धारित लाभ दायित्वों	Defined benefit obligations as at 1 st April, 2018	314683	309138	293306	208043	98526#	94119*	79148	68576	56461	54179	45403	35151
वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	22417	20261	19935	17289	5085	5225	5122	5046	4338	4686	4351	7821
ब्याज लागत	Interest Cost	23699	22747	22438	15328	7420	6775	5910	4955	3950	3879	3389	2469
बीमांकक (लाभ) / दायित्व पर नुकसान	Actuarial (gain) / loss on obligation	17043	(1515)	11948	80661	(2256)	(1055)	11810	7628	550	41	7013	5285
भुगतान किए गए लाभ	Benefits paid	(47980)	(35949)	(38489)	(28016)	(10980)	(7078)	(7871)	(6781)	(6364)	(6325)	(5977)	(5323)
परिभाषित लाभ 31 मार्च, 2019 तक की बाध्यता	Defined benefit obligation as at 31 st March, 2019	329863	314683	309138	293306	97795	97986*	94119	79424	58935	56461	54179	45403

* भारतीय दायित्व केवल

भारतीय के साथ-साथ विदेशी भी

* Indian Obligation only

Indian as well as foreign



योजना के चरणों के मान में परिवर्तन/ CHANGE IN FAIR VALUE OF PLAN ASSETS

(Rs. in Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	PENSION				GRATUITY			
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16
1 अप्रैल, 2018 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	Fair value of plan assets as at 1 st April,2018	299458	279289	206669	164906	94377	86382 #	67712#	64131
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	Actual return on plan assets	22430	23798	20124	15303	7042	6722	5976	6197
नियोक्ता का योगदान	Employer's contribution	-	-	-	-	-	-	-	-
अतिरिक्त योगदान	Additional contribution	20531*	35349*	93150*	54082	3610	7566	11436	4455
भुगतान किए गए लाभ	Benefits paid	(47980)	(35949)	(38489)	(28016)	(10872)	(7078)	(7871)	(6847)
एक्चुरियल गेन / लॉस	Actuarial Gain/Loss	(44)	(3028)	(2165)	395	1532	785	9129	624
31 मार्च, 2019 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	Fair value of plan assets as at 31 st March, 2019	294395	299458	279289	206669	95689	94377	86382	67939

* चालू और पूर्व वर्ष में पेंशन योगदान कुल (नियोक्ता योगदान + अतिरिक्त योगदान) में दिया जाता है

भारतीय दायित्व केवल

*In Current & Previous Year pension contribution is given in Total (Employer contribution + Additional contribution)

Indian obligation only.

लाभ और हानि खाते में प्राप्त की गई संपत्ति

EXPENSES RECOGNISED IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(Rs. in Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	पेंशन/PENSION				गैरुच्ची/GRATUITY			
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16
वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	22417	20261	19935	17289	5085	5225	5122	5046
ब्याज लागत	Interest Cost	23699	22748	22438	15329	7420	6775	5911	4955
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	Actual return on plan assets	(22430)	(23798)	(20124)	(15303)	(7042)	(6722)	(5976)	(5573)
निवल एक्चुरियल (लाभ) / हानि	Net Actuarial (Gain)/Loss	17088	1513	14112	80266	(3788)	(1839)	2681	7005
शुद्ध आवधिक लागत	Net Periodic Cost	40774	20724	36362	97581	1675	3438	7737	11433
अमान्य क्रेडिट बैलेंस	Unrecognized credit balance	-	-	-	56948	-	-	-	5516
वर्तमान वर्ष में मान्यता प्राप्त है	Recognized in current year	-	-	-	28474	-	-	-	2758
असंबद्ध संतुलन	Unamortized balance								



तुलन पत्र में अधिग्रहण राशि

AMOUNT RECOGNISED IN BALANCE SHEET

(Rs. in Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैच्युटी/GRATUITY				अवकाश नकदीकरण/LEAVE ENCASHMENT			
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16
31 मार्च, 2019 तक परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	Present value of defined benefit obligations as at 31 st March, 2019	329863	314683	309138	293306	97795	97986	94119	79424	58935	56461	54179	45403
31 मार्च, 2019 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (चालू वर्ष कंपनी के योगदान सहित)	Fair value of plan assets as at 31 st March, 2019 (including current year Company's contribution)	294395	299458	279289	206669	95689	94377	86382	67939	-	-	-	-
बैलेंस शीट में देयता मान्यता प्राप्त है	Liability recognized in Balance Sheet	35468	15224	29849	86637	2106	3609	7737	11486	58935	56461	54179	45403

नोट: उपरोक्त सारणी के आंकड़े लाख में निकटतम रूप के लिए हैं।

Note: The figures in the above tables are rounded off to nearest Rupees in Lakhs.

प्रेरक सहायता

एक्चुएरियल वैल्यूएशन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख अनुमान हैं:

ACTUARIAL ASSUMPTION

The Principal Assumptions used for Actuarial Valuation are:

	PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैच्युटी/GRATUITY				अवकाश नकदीकरण/LEAVE ENCASHMENT			
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16
(i) विधि का उपयोग किया जाता है	(i) Method used	Projected	Unit	Credit	Method	Projected	Unit	Credit	Method	Projected	Unit	Credit	Method
(ii) छूट दर:	(ii) Discount rate %	7.51	7.85	7.55	7.90	7.51	7.76	7.27	7.60	7.51	7.76	7.27	7.60
(iii) परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर %	(iii) Expected rate of return on assets* %	7.51	7.85	8.53	8.60	7.76	8.60	8.60	8.86	-	-	-	-
(iv) भावी वेतन में #% वृद्धि	(iv) Future Salary Increase # %	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
(v) मृत्यु दर	(v) Mortality	..LIC (1996-98)..	..LIC (1994-96)..	Table	Table	..IAL (2006-08)..	..LIC (1994-96)..	Ultimate	Table	..IAL (2006-08)..	..LIC (1994-96)..	Ultimate	Table
vi) कर्मचारी टर्नओवर	vi) Employees Turnover	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
vii) शेष कार्य जीवन वर्ष	vii) Remaining working life years	-	-	-	12.33	-	-	-	10.38	-	-	-	10.38

* योजना की परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर संबंधित दायित्व के पूरे जीवन पर लौटने के लिए, वर्ष की शुरुआत में बाजार की अपेक्षा पर आधारित है।

दायित्व, मुद्रास्फीति का आकलन करते समय मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है।

* Expected rate of return on plan assets is based on market expectation, at the beginning of the year, for return over the entire life of the related obligation.

Actuary, while estimating liability has taken into consideration inflation, seniority, promotion and other



relevant factors.

ट्रस्ट द्वारा 31 मार्च, 2019 तक बनाए गए प्लान एसेट्स का विवरण इस प्रकार है:

Details of Plan Assets maintained by the trust as on 31st March, 2019 are as follows:

(In Percentage)

विवरण	PARTICULARS	पेंशन / PENSION				ग्रेच्युटी/GRATUITY			
		18-19	17-18	16-17	15-16	18-19	17-18	16-17	15-16
(i) विशेष निक्षेप	(i) Special Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	4.66	5.28	6.11
(ii) सरकारी प्रतिभूति	(ii) Government Securities	46.22	54.54	54.54	55.61	57.63	56.68	55.30	56.90
(iii) बांड/डिबेंचर	(iii) Bonds/debentures	41.08	45.31	39.89	36.39	33.78	34.53	34.12	36.54
(iv) बैंकों में जमा	(iv) Deposits in Banks	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.06
(v) अन्य	(v) Others	12.71	-	5.18	5.29	-	4.13	3.70	1.99

*** बिना जाँचा/*unaudited**

ड सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ:

कंपनी के पास कोई पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम नहीं है। हालाँकि कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक (जो कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं) द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय (अस्पताल में भर्ती और ओपी खर्च दोनों) कंपनी के निदेशकों / कर्मचारियों के होने के बाद भी निदेशकों के संघर्ष के बाद भी कंपनी द्वारा मिलते हैं। बशर्ते कि कंपनी ऐसे पूर्व कर्मचारियों की मूल कंपनी है। इस लाभ के लिए संबंधित पूर्व अधिकारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति / पत्नी के संबंध में मूल रूप से समायोजित मूल वेतन के आधार पर लागू बीमा राशि का 75% मेडिकलेम प्रीमियम का भुगतान करेगी, जो कि खण्ड 09.2.1 और 09.2.2 के अनुसार नया है। समूह मेडिकलेम पॉलिसी जो 2015 से प्रभावी है।

च. कंपनी के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 2017/08/01 से प्रभावी है। प्रबंधन ने अभी तक कोई एंसा प्रस्ताव नहीं दिया है, उसी के लिए कोई प्रावधान किताबों में नहीं किया गया है।

e. Post Retirement Medical Benefits:

Company does not have any Post Retirement Medical Benefit Scheme. However medical expenses (both hospitalization and OP expenses) incurred by full time directors of the Company (who are full time employees of the company) for self and family are met by the Company even after the directors cease to be directors/employees of the Company, provided the Company is the Parent Company of such ex-employees. No premium is being charged from the ex-executives concerned for this benefit.

The Company shall bear 75% of the mediclaim premium payable computed on the basis of eligible Sum Insured applicable for the employee based on his notionally adjusted Basic Pay in respect of retired employee and spouse as per clause 09.2.1 and 09.2.2 of the New Group Mediclaim policy which is effective from 2015.

f. The wage revision for employees of the company is due w.e.f. 01.08.2017. As management has yet to make any offer, no provision for the same is made in the books.



32. लेखा मानक 17 खंड रिपोर्टिंग:

आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में सेगमेंटल जानकारी दी गई है (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की ऑडिटर रिपोर्ट) विनियम, 2002 सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार, बैलेंस शीट के 1, 2 और 3 के अनुसार।

32. Accounting Standard 17 Segment Reporting

:

Segmental information has been given in the following format prescribed by IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 on Segmental Reporting, as per Schedules 1, 2 and 3 of Balance Sheet.

(Rs. in Lakhs)

खंड	Segment	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2018-19 Gross Direct Premium FY 2018-19	कुल व्यवसाय का प्रतिशत (%) Percentage (%) to Total Business	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2017-18 Gross Direct Premium FY 2017-18	कुल व्यवसाय का प्रतिशत (%) Percentage (%) to Total Business
अग्नि	Fire	106732.49	7.92	99962.43	8.49
मरीन कार्गो	Marine Cargo	20595.29	1.53	21306.83	1.82
समुद्री हल	Marine Hull	14332.39	1.06	10157.31	0.87
मोटर ओडी	Motor OD	159468.77	11.83	166849.30	14.22
मोटर टीपी (गैर-पूल)	Motor TP(Non- Pool)	306768.99	22.75	282825.98	24.10
मोटर टीपी (पूल) और डी.आर. पूल	Motor TP(Pool) & D.R. Pool		0.00		0.00
अभियांत्रिकी	Engineering	23813.15	1.77	23211.28	1.98
विमानन	Aviation	11614.02	0.86	8811.88	0.75
कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	6198.69	0.46	6137.56	0.52
निजी दुर्घटना	Personal Accident	62573.75	4.64	55961.05	4.77
स्वास्थ्य	Health	408809.37	30.32	360844.40	30.74
देयता	Liability	7842.61	0.58	7277.65	0.62
अन्य विविध	Other Miscellaneous	43861.44	3.25	48117.67	4.10
फसल	Crop	175864.00	13.04	82520.51	7.03
कुल सकल प्रीमियम	Total Gross Premium	1348474.96	100.00	1173683.85	100.00

33. लेखा मानक 18: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

1. संबंधित पार्टी लेखा मानक 18 के अनुसार
 - क. सहायक
इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड।
 - ख. एसोसिएट्स
इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्रा।
लिमिटेड, सिंगापुर
भारतीय स्वास्थ्य बीमा टीपीए लिमिटेड
 - ग. जिन पर नियंत्रण मौजूद है
 - i. OICL कर्मचारी भविष्य निधि
 - ii. OICL पेंशन फंड

33. Accounting Standard 18: Related Party Disclosure:

1. Related party disclosures as per Accounting Standard 18
 - a. Subsidiaries
The Industrial Credit Company Limited.
 - b. Associates
India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore
Health Insurance TPA of India Ltd.
 - c. Entities over which control exists
 - i. OICL Staff Provident Fund
 - ii. OICL Pension Fund



- iii. ओआईसीएल कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड
- घ. मुख्य प्रबंधन कार्मिक:
1. श्री ए.वी. गिरिजकुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (31.05.2017 से)
 2. श्री दिनेश रणछोड़भाई वाघेला – सीएफओ (30.07.2018 से)
 3. सुश्री रश्मि बाजपेई, कंपनी सचिव (20.08.2007 से)
 4. श्री अजय गुप्ता, सीएफओ (31.05.2018 तक)

- iii. OICL Employees Gratuity Fund

d. Key Management Personnel:

1. Mr A.V. Girijakumar, Chairman-cum-Managing Director (from 31.05.2017)
2. Mr Dinesh Ranchhodbhai Waghela – CFO (From 30.07.2018)
3. Ms.Rashmi Bajpai, Company Secretary (from 20.08.2007)
4. Mr. Ajay Gupta ,CFO (Upto 31.05.2018)

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन/ Transactions with related parties :

Sr. No.	Nature of Relationship	Nature of Transaction	2018-19 (Rs. in Lakhs)	2017-18 (Rs. in Lakhs)	
i)	सहायक Subsidiary	से देय राशि सहायक कंपनी सब्सिडी के लिए अग्रिम सहायक में निवेश	9.42 1.21 5.00	8.22 1.67 5.00	
ii)	एसोसिएट्स Associates	क) इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्रा। लिमिटेड, सिंगापुर: - i) लाभांश आय प्राप्त हुई ii) शेयरों में निवेश iii) वर्ष के दौरान आरआई आवक ख) भारत का स्वास्थ्य बीमा टीपीए - i) शेयरों में निवेश ii) हितपा के कारण राशि iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक iv) वर्ष के दौरान लेनदेन: क) किराया प्राप्त हुआ ख) टीपीए शुल्क भुगतान / देय	a) India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore :- i) Dividend Income received ii) Investment in shares iii) RI Inward during the yr b) Health Insurance TPA of India :- i) Investment in shares ii) Amount Due to HITPA iii) Key Managerial Personnel iv) Transaction during the yr: a) Rent Received b) TPA Fees Paid/payable.	263.99 391.10 326.28 1980.75 469.99 58.07 4.18 1876.91	474.86 391.10 370.19 1980.75 165.42 30.47 3.42 466.91
iii)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक: Key Managerial Personnel:	Salary & Allowances	108.93	94.67	



34. पट्टों

कंपनी ने लीज ऑफिस और आवासीय परिसर का संचालन किया है। आवासीय परिसर आम तौर पर 11 महीने के लिए लिया जाता है और शर्तों पर पारस्परिक रूप से सहमत होने पर अक्षय होता है। कार्यालय परिसर को आम तौर पर चार साल की अवधि के लिए परिचालन पट्टे पर लिया जाता है और इसे पट्टेदार के विकल्प पर नवीनीकृत किया जाता है।

पट्टे के तहत दायित्व के संबंध में चालू वर्ष में पिछले वर्ष (पिछले वर्ष 7837.87 लाख रुपये) में कुल पट्टे के किराये की राशि 9830.42 लाख रुपये है।

34. Leases

The company has taken on operating lease Office and residential premises. The residential premises are generally taken for 11 months and are renewable at mutually agreed upon terms. The office premises are generally taken on operating lease for the period of four years and are renewed at the option of the lessor.

Aggregate lease rentals amounting to Rs. 9830.42 Lakhs in the current year (previous year Rs. 7837.87 Lakhs) in respect of obligation under lease are charged to Revenue Account in the current year.

35. लेखा मानक 20 – ‘प्रति शेयर आय’:

35. Accounting Standard 20 – “Earnings Per Share”:

		As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ (रु. लाख में)	Net Profit attributable to Shareholders (Rs. in Lakhs)	(29366.09)	150989.17
जारी किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	Weighted Average Number of Equity Shares issued	20,00,00,000	20,00,00,000
बेसिक/डायल्यूटेड आय प्रति शेयर रु. 10/-	Basic & Diluted Earnings per Share of Rs. 10/- each	(14.68)	75.49

36. लेखा मानक 22

भविष्य के कर योग्य लाभ की आभासी अनिश्चितता के अभाव में, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के लिए बिना किसी नुकसान के आगे लाई गई व्यावसायिक संपत्ति की आस्थगित कर मान्यता नहीं दी है।

36. Accounting Standard 22

In the absence of virtual uncertainty of future taxable profit, the company has not recognized deferred tax assets of unabsorbed brought forward business loss for Income Tax Act, 1961.

37. लेखा मानक 28

लेखांकन मानक –28 के अनुसार, प्रबंधन ने संपत्ति की हानि की संभावना का आकलन किया है और अचल संपत्ति के मूल्य में कोई हानि नहीं है।

37. Accounting Standard 28

In accordance with Accounting Standard-28, the Management has assessed the possibility of impairment of assets and there is no impairment in the value of fixed assets.

38. पुनर्बीमा स्वीकृति से संबंधित बकाया दावों के प्रावधानों के संदर्भ में (खाता संख्या नं. 6.1.इ देखें), वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियां अपनाई गईं:

38. In respect of outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptances (Refer Accounting Policy no.7.1.b), the following dates were adopted during the year:

1. वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देने की तारीख

1. In respect on Indian business up to the



- तक भारतीय व्यापार के संबंध में
2. विदेशी व्यापार के संबंध में:
- (i) वर्ष के अंत तक होने वाले सभी नुकसान और तुरंत सफल वर्ष के 30 अप्रैल तक प्राप्त संचार।
- (ii) रद्द की गई संधियों के मामले में, विदेशी कंपनियों द्वारा 15 मई तक प्राप्त पुनर्बीमा रिटर्न या कभी भी पहले के खातों को अंतिम रूप देने के लिए किए गए दावों को बकाया दावों के रूप में माना जाता है।
39. पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित 1957 लाख रुपये का आरएसबीवाई प्रीमियम, सरकार से वसूल करने योग्य है, जिसमें से 1563 लाख रुपये केंद्र सरकार से और 394 लाख रुपये राज्य सरकार से वसूलने योग्य है। कंपनी उसी के लिए पीछा कर रही है और निकट भविष्य में वसूली की उम्मीद कर रही है और इसलिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
40. कंपनी ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 ए के साथ पढ़े धारा 3 के प्रावधानों और बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत 23 मार्च, 2015 की अधिसूचना का अनुपालन किया है।
41. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के कारण राशि के रूप में जानकारी कंपनी के साथ आसानी से उपलब्ध नहीं है और इसलिए प्रकटीकरण, यदि कोई हो, वर्ष के अंत में बकाया राशि से संबंधित ब्याज भुगतान/देय के साथ जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत आवश्यक नहीं दिया गया है।
42. वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए दंडात्मक कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:
- date of finalization of financial statement
2. In respect on Foreign business:
- (i) All losses incurred up to the year-end and communications received up to 30th April of the immediately succeeding year.
- (ii) In the case of cancelled treaties, claims paid by the foreign companies as reported in reinsurance returns received up to 15th May or finalization of accounts which ever is earlier, was considered as outstanding claims.
39. RSBY premium of Rs. 1957 lakhs, pertaining to previous financial years, is recoverable from Government, out of which Rs. 1563 lakhs is recoverable from Central Government and Rs. 394 lakhs from State Government. Company is pursuing for the same and is hopeful of recovery in near future and hence no provision is required.
40. The Company has complied with the provisions of Section 3 read with Section 3A of the Insurance Act, 1938, and the notification dated 23 rd March, 2015 under the Insurance Laws (Amendment) Act,2015.
41. The information as to amount due to suppliers under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 is not readily available with the company and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/ payable as required under the said Act have not been given.
42. Details of penal actions taken by the various Government Authorities during the year are as under: **(Rs. in Lakhs)**

(Rs. in Lakhs)



Sl. No.	प्राधिकरण Authority	गैर अनुपालन /उल्लंघन Non Compliance/Violation	दंड दिया गया Penalty Awarded		जुर्माना अदा किया Penalty Paid		जुर्माना माफ / कम किया हुआ Penalty waived/ reduced	
			2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
1	आईआरडीएआई/IRDAI		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2	सेवा कर प्राधिकरण Service Tax Authorities	Service Tax demand raised by Deptt.	NIL	955.44**	NIL	0.93	NIL	NIL
3	आय कर प्राधिकरण Income Tax Authorities	Penalty under Section 271(1) (c) of I.. Tax Act, 1961	16.59	1.50	4.93	5142.86*	0.02	53333.23#
4	कोई अन्य कर अधिकारी/ Any other Tax Authorities		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
5	प्रवर्तन निदेशालय / संबद्ध प्राधिकरण/ न्यायाधिकरण या एफईएमए के तहत कोई प्राधिकरण Enforcement Directorate/Adjudicating Authority/Tribunal or any Authority under FEMA		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
6	आरओसी / सीएलबी / एमसीए/ ROC/CLB/MCA		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
7	दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय / ट्रिब्यूनल द्वारा दंडित किया गया हो, मुआवजे को छोड़कर Penalty awarded by any Court/Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation		NIL	0.10	NIL	0.10	NIL	NIL
8	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
9	भारत का प्रतिस्पर्धा कमीशन Competition Commission of India		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
10	Any other Central/State/Local Government/Statutory Authority		173.43	NIL	171.67	NIL	NIL	NIL

* वर्ष 2013-14 की वापसी 5123.79 लाख को दिनांक 23.05.2017 के आदेशनुसार लेखा में समायोजित किया गया।

* वर्ष 2000-01 की वापसी 18.01 लाख रुपये को दिनांक 23.05.2017 के आदेशनुसार लेखा में समायोजित किया गया।

जुर्माना 2007-08 = 19187.34 लाख और आयु 2011-12 = 34145.89 लाख का माफ कर दिया गया, कुल हटाने के लिए - 533333.23 लाख

** 955.44 सेवा कर विभाग के दंड के खिलाफ लाख एस.टैक्स पुरस्कार सेवा कर की कम कटौती के लिए और वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए मोटर डीलर इंफ्रा पर ब्छट।ज की अस्वीकृति। कंपनी ने ब्ज।ज में अपील दायर की।

*5123.79 Lakhs is being adjusted against refund of AY 2013-14 vide order dt 23.05.2017

* 18.01 Lakhs is being adjusted against refund of AY 2000-01 vide order dt 23.05.2017

Penalty waived off AY 2007-08 = 19187.34 Lakhs and AY 2011-12= 34145.89 Lakhs , To be delete

Total - 533333.23 Lakhs

** 955.44 Lakhs S.Tax award against penalty of S.tax deptt. For short deduction of S.Tax and disallowance of CENVAT on Motor Dealer Infra for the yrs. 2011-12 & 2012-13. Company filed appeal in CESTAT.



43. पॉलिसीधारक बकाया:

पॉलिसीधारकों के बकाया का आयु वार विश्लेषण यहां दिया गया है:
(प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा पर निर्भर)

43. Policyholders dues:

Age wise analysis of Policyholders dues is given hereunder:
(compiled by the Management and relied upon by Auditors)

Outstanding

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Upto 6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	> 36 months	Total
क. बीमाधारक / पॉलिसीधारकों से मुकदमेबाजी के अलावा किन्हीं कारणों से पॉलिसीधारकों/ बीमित को भुगतान किया गया, लेकिन दावा नहीं किया गया। A. Claim settled but not paid to the Policyholders / insured due to any reasons except under litigation from the insured / policyholders.	1575.34	20.54	16.76	9.54	19.23	10.31	132.52	1784.25
ख. प्रीमियम / कर या किसी भी अन्य शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारक की या तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण के निर्देशानुसार वापस किया जा सकता है, लेकिन अब तक वापस नहीं किया जाएगा। B. Any excess collection of premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholder/s either as per term of conditions of the policy or as per law or as per the direction of the Authority but not refundable so far.	26.90	18.10	19.25	-12.23	12.37	13.14	99.08	176.61
ग. पॉलिसी की शर्तों के पूरा होने पर या अन्यथा बीमित / पॉलिसीधारकों को देय / देय कोई अन्य राशि। C. Any other sum due / payable to the insured / policyholders on completion of the policy terms or otherwise.	1401.96	213.48	156.06	191.70	152.32	171.32	1171.82	3458.65
कंपनी द्वारा 'क', 'ख' या 'ग' और पॉलिसीधारकों द्वारा चेक के तहत जारी किए गए बीमा नकदीकरण नहीं किया गया है। D. Cheques issued by the company under "A", "B" or "C" and cheques have not been encashed by the policyholders/ insured.	382.88	218.81	136.35	173.58	157.26	143.16	1711.67	2923.70
कुल Total	3387.08	470.94	328.42	362.58	341.18	337.93	3115.08	8343.21

नोट: - 1. पॉलिसीधारकों को जारी किए गए 1.श्रेणी, जो कि 3 महीने से कम समय के लिए वैधता के अधीन हैं, पॉलिसीधारकों के बकाए में स्थानांतरित नहीं होते हैं क्योंकि ये चेक बासी नहीं हुए हैं। हालाँकि, ये राशि उपरोक्त कथन में शामिल / दर्शाई गई हैं।

Notes:- 1.Cheques issued to policyholders subject to encashment having validity for less than 3 months are not transferred to policyholders dues as these cheques have not become stale. However, these amounts are included/shown in the above statement.



1. IRDAI के परिपत्र संख्या IRDAI/F & A/ CIR/CLD/ 114/05/2015 दिनांक 28.05.2015 के अनुपालन में दावा न की गई पॉलिसीधारकों के फंड अलग से इस वर्ष से एक अनुसूचित बैंक के साथ एक निश्चित जमा में पार्क किए गए हैं और अनुसूची 12 में परिलक्षित होते हैं। (अग्रिम और अन्य संपत्ति)। प्रशासनिक और फंड प्रबंधन खर्च / 0.2% (पिछले वर्ष 0.5%) वसूल किया जा रहा है, हालांकि, इस फंड में जोड़ा गया निवेश आय दावा न की गई पॉलिसी धारक फंडों में 555.16 लाख (पिछले वर्ष 509.08 लाख) है।

1. In compliance of IRDAI circular no. IRDAI/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 dt. 28.05.2015, the unclaimed Policyholders funds are separately parked in a fixed deposit with a Scheduled Bank from this year onwards and are reflected in Schedule 12(Advances and other assets). The administrative and fund management expenses @0.2% (last year 0.5%) are being recovered However, the investment income added to this fund is Rs. 555.16 Lakhs (previous year 509.08 Lakhs) to unclaimed Policy holder funds.

31 मार्च, 2019 को जारी किए गए गैर-दावा राशि के निपटान की प्रगति
PROGRESS OF SETTLEMENT OF UNCLAIMED AMOUNTS DURING THE YEAR 31st MARCH, 2019

	शुरुआत में गैर-दावा मामले Unclaimed cases at the Beginning		गैर-दावा मामलों को जोड़ा गया Unclaimed cases added		गैर-दावा मामलों को निपटाया गया Unclaimed cases Settled		बकाया गैर-दावा मामलें Unclaimed cases Outstanding	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
पॉलिसी धारकों/लाभार्थियों से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्हीं कारणों से पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को भुगतान किए गए दावे का भुगतान नहीं किया गया है Claims settled but not paid to the policyholders/beneficiaries due to any reasons except under litigation from the policy holders/beneficiaries	7849	1607.44	142	18.01	1368	37.97	6623	1587.48
पॉलिसीधारकों / लाभार्थियों की परिपक्वता या अन्यथा के कारण योग Sum due to the policyholders/beneficiaries on maturity or otherwise	34941	113.80	12516	106.20	55	18.58	47402	201.41
प्रीमियम/कर या किसी भी शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को या तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है लेकिन अब तक वापस नहीं किया गया है। Any excess collection of the premium/tax or any charges which is refundable to the policyholders/beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	669709	3721.45	181124	11995.42	133440	11978.16	717393	3738.71
पॉलिसीधारक / लाभार्थियों द्वारा संलग्न नहीं किए गए चेक Cheques issued by not encashed by the policyholder/beneficiaries	48673	2480.68	5348	840.83	7240	505.89	46781	2815.61
कुल/ Total	761172	7923.37	199130	12960.45	142103	12540.61	818199	8343.21



**31.03.2019 को पॉलिसी धारक की बकाया राशि
Policy Holder Dues AS AT 31.03.2019**

(Rs. In Lakhs)

विवरण	Particulars	Current FY	Previous FY
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	7307.29	6807.48
जोड़ें: दावा न की गई राशि को हस्तांतरित राशि	Add: Amount transferred to unclaimed amount	13651.86	8982.40
जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक, लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा एन्कोड नहीं किए गए (केवल तभी चेक शामिल किए जाने पर बासी होना चाहिए)	Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the Policyholders (To be included only when the cheques are stale)	643.76	394.61
निवेश आय जोड़ें:	Add Investment Income:	555.16	509.08
घटायें: वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	Less: Amount paid during the year	13235.10	8834.50
घटायें: SCWF को हस्तांतरित राशि (पूर्व में हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का जाल)	Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amount transferred earlier)	579.77	551.78
दावा न की गई राशि का समापन शेष	Closing Balance of Unclaimed Amount	8343.21	7307.29

44. कंपनी ने इंटीग्रेटेड नॉन लाइफ इंश्योरेंस एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (फ़रस्पी) की शुरुआत की है, जिसे पूरी तरह से कुछ मॉड्यूल के रूप में लागू नहीं किया गया है, जैसे हेड ऑफिस अकाउंट्स कंसोलिडेशन मॉड्यूल, लॉन्ग मॉड्यूल और त्म- इंश्योरेंस अकाउंट्स मॉड्यूल जो कि विकास और परीक्षण के अंतर्गत हैं। कंपनी फ़रस्पी में शेष मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

44. The Company has introduced Integrated Non Life Insurance Application Software (INLIAS) which has not been fully implemented as some Modules, such as Head Office Accounts Consolidation Module, GUC Module and Re- insurance Accounts Module which are under development/testing. Company is taking necessary steps for implementation of remaining Modules in INLIAS.



45. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

जैसा कि कंपनी के अधिनियम, 2013 के लिए आवश्यक है

45. Corporate Social Responsibility

As required u/s 135 of the Company's Act, 2013

(Rs. In Lakhs)

सीएसआर गतिविधियाँ CSR Activities		01.04.2018 को खर्च की जाने वाली राशि Amount to be spent as on 01.04.2018	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए खर्च की जाने वाली राशि Amount to be spent for FY 2018-19	कुल राशि खर्च की जाएगी Total Amount to be spent	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि Amount spent during the year	राशि अभी तक खर्च नहीं की जा सकी है Amount yet to be spent
(i)	Construction/	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii)	acquisition of any asset On purpose other than above					
(i)		307.29*	NIL	307.29*	531.67*	NIL
(ii)		226.25**	NIL	226.25**	190.93**	35.32**.

* पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट पर किया गया। विशेष अनुमोदन पर, सीएसआर पहलों के लिए उपयोग की गई धनराशि 2018-19 के दौरान 531.67 लाख रुपये थी।

** फिरोजपुर डिवीजन को यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तर रेलवे को 226.25 रुपये का भुगतान करना शामिल है जिसके लिए काम चल रहा है और वित्त वर्ष 2018-19 में रु. 190.93 लाख का उपयोग और लेखांकन किया गया है। 35.32 लाख रुपये का काम चल रहा है और 30.06.2019 तक पूरा होने की संभावना है।

* Carried over budget of previous FY 2017-18. On special approval, the funds utilized for CSR initiatives amounted to Rs. 531.67 lakhs during 2018-19.

** Includes Rs. 226.25 paid to Northern Railways for providing passenger amenities to Firozpur Division for which work is underway and Rs. 190.93 lakhs has been utilized and accounted for in FY 2018-19. Work of Rs. 35.32 lakhs is underway and likely to be completed by 30.06.2019.

46. कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रति वार्षिक 8.80% की दर से 10 लाख रुपये के 7500 असुरक्षित, अधीनस्थ, पूरी तरह से भुगतान, सूचीबद्ध, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके अधीनस्थ ऋण के रूप में 75000 लाख रुपये जुटाए थे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पूंजी के अन्य प्रकार) विनियम, 2015 और IRDAI के पत्र संख्या 296-F&A (NL)/GOI/OFC/01/2018-19 कज द्वारा अनुमोदित। 2019/06/02। प्रतिभूतियों का

46. The company had raised Rs. 75000 lakhs as Subordinate Debt by issuing 7500 unsecured, subordinated, fully paid up, listed, redeemable and non-convertible debentures of Rs. 10 lakhs each at a coupon rate of 8.80% p.a. on private placement basis under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other forms of Capital) Regulations, 2015 and approved by IRDAI vide letter no. 296-F&A(NL)/GOI/OFC/01/2018-19 dt. 06.02.2019. The tenor of the securities is 10 years with a call option by



कार्यकाल कंपनी के पांच वर्षों के अंत में एक कॉल विकल्प के साथ 10 साल है। इस मुद्दे का उद्देश्य जारीकर्ता की सॉल्वेंसी को श्रृंखला के अन्य रूपों के तहत अपनी पूंजी बढ़ाने के रास्ते को मजबूत करने के लिए था कंपनी। डिसेंबर 20 मार्च, 2019 को एनएसई के डेट सेगमेंट में सूचीबद्ध हैं। 253.15 लाख (रुपये और शून्य लाख) रुपये के अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय और 69.35 लाख रुपये (संबंधित शून्य लाख) के लिए संबंधित खर्च लाभ और हानि खाते (शेयरधारक के खाते) से लिए गए हैं।

47. बीमा व्यवसाय पर ले जाने वाले व्यक्तियों या निकायों के कारण / के कारण राशि में प्रदर्शित होने वाले संतुलन में जीआईसी के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय, आतंकवाद पूल और परमाणु पूल शामिल हैं।
48. दिनांक 31.03.2019 को हाथ में आने वाला निस्तारण 488.14 लाख रुपये था और हमारी लेखा नीति संख्या 7 के अनुसार केवल वसूली के लिए जिम्मेदार होगा।
49. विदेशी एजेंसियों और कंपनी के खाते में शामिल शाखाओं के वित्तीय विवरण संबंधित देशों के स्थानीय नियमों और विनियमों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
50. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, फिर से इकट्ठा और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार संलग्न।

the Company at the end of five years. The object of the issue was to Strengthening the issuer's solvency by way of augmenting its capital under 'Other Forms of Capital' to facilitate growth of the company. The debentures are listed on Debt Segment of NSE on 20th March, 2019.

The Interest expenses on subordinated debt for Rs. 253.15 Lakhs (Rs. Nil lakhs) and related expenses for Rs. 69.35 Lakhs (Rs. Nil Lakhs) has been charged to Profit and Loss Account (Shareholder's Account).

47. The balance appearing in the amount due to/ due from persons or bodies carrying on insurance business includes reinsurance business, terrorism Pool and Nuclear Pool with GIC Re.
48. The salvage in hand as on 31.03.2019 was Rs. 488.14 Lakh and will be accounted for only on realization as per our Accounting Policy No. 8.
49. Financial statements of foreign agencies and branches incorporated in company's account are prepared in accordance with the local rules and regulations of respective countries.
50. Previous year's figures have been regrouped and reclassified wherever required.

As per our auditors report attached.

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N

सीए इंद्रजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089

सीए अभिनव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799



आईआरडीए विनियमों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन रिपोर्ट

MANAGEMENT REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS AS PER IRDA REGULATIONS

1. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि आईआरडीएआई द्वारा दिए गए पंजीकरण को वर्ष 2018-19 के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है।
 2. वैधानिक प्राधिकारियों को देय सभी देय राशि का विधिवत भुगतान किया गया है।
 3. वर्ष 2018-19 के दौरान शेयरहोल्डिंग पैटर्न और शेयरों के सभी हस्तांतरण वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार हैं।
 4. वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रबंधन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया है, भारत में जारी नीतियों के धारकों का धन।
 5. कंपनी ने आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन हासिल कर लिया है।
 6. हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि पर सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है और हमारे विश्वास में बैलेंस शीट में बताई गई संपत्ति वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं है और आईआरडीए विनियम और लेखा नीति के अनुसार है।
 7. पुनर्बीमा एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा कंपनी अपने जोखिमों को कम करने और प्रबंधित करने में सक्षम है, बैलेंस शीट के समग्र संरक्षण के अलावा विशाल जोखिमों को स्वीकार करने की क्षमता को बढ़ाती है। बड़े और जटिल जोखिमों को कम करने के लिए कंपनी की क्षमता उस क्षमता पर निर्भर करती है, जो पुनर्बीमा सहायता के माध्यम से प्राप्त करने में कामयाब रही है। कंपनी को अधिक से अधिक स्वचालित क्षमता से लैस करने पर जोर दिया जाता है ताकि विपणन टीम चुनौतियों का सामना करने और विकास को बनाए रखने की स्थिति में हो। हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम हमारे अपने देश और विदेशों में तेजी से बढ़ रहे व्यापार के अवसरों का सबसे अच्छा उपयोग करने का प्रयास करते हैं।
1. We confirm that the registration granted by IRDA has been renewed for the year 2018-19 vide their Registration no. 556.
 2. All dues payable to statutory authorities have been duly paid.
 3. The shareholding pattern and all transfers of shares during 2018-19 are in accordance with statutory and regulatory requirements.
 4. During 2018-19, the management has not directly or indirectly invested outside India, the funds of the holders of policies issued in India.
 5. Company has achieved the required Solvency Margin.
 6. We certify that the values of all assets have been reviewed on the date of balance sheet and in our belief the assets stated in the Balance Sheet do not exceed the realizable or market value and are in accordance with IRDA Regulations and accounting policy.
 7. Reinsurance serves as an important Risk Management tool whereby the Company is able to underwrite and manage its risks, enhance its capacity to accept huge risks besides the overall protection of Balance Sheet. The Company's ability to underwrite large and complicated risks depends upon the capacity it has managed to garner by way of Reinsurance support. The emphasis remains on equipping the Company with as much automatic capacity as is possible so that the marketing team is in a position to meet the challenges and sustain growth. Our Reinsurance Programme strives to make best use of the rapidly expanding business opportunities in our own country and overseas.



हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम आउटगो पर अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करना और आनुपातिक और गैर-आनुपातिक संधियों के उचित मिश्रण के माध्यम से स्वचालित पुनर्बीमा सुविधा प्रदान करना है। जबकि आनुपातिक संधियाँ जोखिमों को संभालने के लिए स्वचालित क्षमता प्रदान करती हैं, जो कंपनी की अपनी निवल प्रतिधारण से परे होती हैं, जिससे पूंजी पर दबाव डाले बिना ऐसे जोखिमों को सक्षम किया जा सकता है, कंपनी के निवल प्रतिधारण पर एक्सपोजर की एकाग्रता के जोखिम को इस प्रकार नुकसान की सुरक्षा के उपयोग से कम किया जाता है। प्रमुख घटनाओं के प्रभाव से बैलेंस शीट की रक्षा करना।

2018-19 में, अगस्त 2018 में केरल बाढ़ की भयावह हानि घटना के कारण भारतीय बीमा बाजार प्रभावित हुआ। इसके अलावा, संपत्ति के साथ-साथ व्यापार की समुद्री रेखाओं में भी कुछ जोखिम हानि हुई। ये दावे हमारी विभिन्न हानि संधियों के तहत वसूली योग्य हैं, जिससे हमारी बैलेंस शीट पर प्रभाव कम हो जाता है

संधियों की नियुक्ति पर बढ़ते तनाव के बावजूद, विशेषकर संधियों और भारतीय बाजारों में निरंतर नुकसान के मद्देनजर पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए पुनर्बीमाओं की प्रवृत्ति, समाप्ति की संधि सीमा आगामी वर्ष 2019-2020 के लिए जारी रही है, इस प्रकार स्वचालित क्षमताओं के संरक्षण के लिए व्यापार की सभी लाइनें। इसके अलावा, व्यवसाय के विविध वर्ग की कुछ लाभदायक लाइनों में अतिरिक्त क्षमताएँ बनाई गई हैं। कृषि/फसल कोटा हिस्सेदारी और स्टॉप लॉस पुनर्बीमा संधियों को भी सफलतापूर्वक हमारे फसल बीमा संचालन के लिए क्षमता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा गया है, इस प्रकार विभाग को व्यवसाय के इस बढ़ते वर्ग में क्षमता का दोहन करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। हमने अपने मौजूदा एक्सपोजर के लिए तबाही के मॉडलिंग परिणामों को देखते हुए नॉन मरीन कैट एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अतिरिक्त 190 करोड़ रुपये की सुरक्षा बढ़ा दी है। व्यवसाय की अन्य पंक्तियों के लिए, सीमाएं समाप्त हो रही हैं।

The aim of our Reinsurance Programme is to ensure maximum protection at minimum outgo and to provide automatic reinsurance facility through a proper mix of Proportional and Non-Proportional Treaties. While the Proportional Treaties provide automatic capacity to handle risks which are beyond Company's own Net Retention thereby enabling such risks to be undertaken without putting strain on the Capital, the risk of concentration of Exposures on Company's Net Retention is mitigated by using Excess of Loss Protection thus protecting the balance sheet from impact of major events.

In 2018-19, the Indian Insurance market was affected due to catastrophic loss event of Kerala Floods in August 2018. Further, there were a few risk losses in Property as well as Marine lines of business. These claims are recoverable under our various excess of loss treaties thereby mitigating the impact on our balance sheet

In spite of the increasing stress on placement of Treaties, particularly the Proportional treaties and propensity of reinsurers to introduce stricter measures in view of continued losses in Indian Markets, the expiring treaty limits have continued for the ensuing year 2019-2020 thus preserving the automatic capacities for all lines of business. Further, additional capacities have been created in a few profitable lines of miscellaneous class of business. The agriculture/crop quota share and stop loss reinsurance treaties have also been successfully placed to provide capacity and protection for our Crop insurance operations, thus providing impetus to the department to exploit the potential in this growing class of business. We have increased the protection for Non Marine Cat XL by additional Rs. 190 crores in view of the catastrophe modelling results for our current exposures. For other lines of business, the limits are as expiring.



इस प्रकार, 2019-20 के लिए ओरिएंटल के पुनर्बीमा कार्यक्रम, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो के साथ-साथ बैलेंस शीट सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत आवश्यक स्वचालित क्षमता प्रदान करना जारी रखता है।

जीआईसी रे ने हाल ही में भारतीय बाजार में बीमा की संपत्ति वर्गों के प्रदर्शन पर तनाव के मद्देनजर व्यापार की संपत्ति लाइनों के प्रदर्शन में सुधार को प्रभावित करने के उद्देश्य से अंडरराइटिंग और दरों में कई उपाय किए हैं। इन उपायों से संपत्ति पोर्टफोलियो विशेष रूप से जोखिम वाले मध्यम वर्गों के परिणामों में पर्याप्त सुधार लाने की उम्मीद है। इन उपायों से हमारे पोर्टफोलियो के प्रदर्शन में काफी सुधार होने की उम्मीद है

2019-2020 के लिए हमारी आनुपातिक और गैर-आनुपातिक संधियों को सफलतापूर्वक प्क्।५ विनियमों के दायरे में वित्तीय रूप से सुदृढ़ और रेटेड प्रतिभूतियों के साथ रखा गया है।

8. कंपनी के वर्तमान विदेशी परिचालन दुबई, कुवैत और नेपाल में हैं। कतर में एक कार्यालय खोला गया है। कंपनी की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में विदेशी कार्यालयों का योगदान पर्याप्त नहीं है। इसलिए विदेशी परिचालनों के कारण जोखिम बहुत कम है।
9. दावों के निपटान में दावों और रुझानों का बढ़ना:
भारत में बकाया दावों का आयु-वार विश्लेषण और औसत दावा निपटान में रुझान अनुबंध 1 में दिया गया है।
10. स्टॉक और शेयर सहित सभी निवेशों के मूल्य आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार आ गए हैं। भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों को मार्च के महीने में एनएसई में अंतिम उद्धृत मूल्य पर मूल्य दिया जाता है, जिसे प्राथमिक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है और अगर ऐसी सुरक्षा को सूचीबद्ध नहीं किया जाता है/प्राथमिक एक्सचेंज पर कारोबार नहीं किया जाता है, तो वे मूल्यवान हैं मार्च के महीने में बीएसई में अंतिम उद्धृत मूल्य पर जिसे द्वितीयक एक्सचेंज के रूप में चुना गया है।

Thus, Oriental's Reinsurance Programme for 2019-20, continues to provide the much needed automatic capacity in line with the requirements of individual portfolios as well as balance sheet protection.

GIC Re has recently taken various measures in underwriting and rates aimed at affecting improvements in the performance of property lines of business in view of the stress on performance of property classes of Insurance in the Indian market. These measures are expected to bring substantial improvement in the results of the property portfolio especially the medium classes of risk. These measures are also expected to substantially improve our portfolio performance

Our Proportional and Non Proportional Treaties for 2019-2020 have successfully been placed with financially sound and rated Securities within the ambit of IRDAI Regulations.

8. The present overseas operations of the Company are in Dubai, Kuwait and Nepal. An office at Qatar has been opened. The foreign offices' contribution to Gross Direct Premium income of the Company is not substantial. Therefore the risk exposure on account of the foreign operations is very minimal.
9. Ageing of claims and trends in settlement of claims:
Age-wise analysis of Outstanding Claims in India and trends in average claims settlement is given in Annexure 1.
10. The values of all investments including stock and shares have been arrived at in accordance with IRDA Regulations. The actively traded Equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such Security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same are valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange.



11. पोर्टफोलियो की दृष्टि से संपत्ति की गुणवत्ता और निवेश के प्रदर्शन की समीक्षा नीचे दी गई है:

11. A review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios are given below:

विवरण	Particulars	निवेश Investments	कुल निवेश का % % to Total Investments	आय % वित्त वर्ष 2018-19 Yield % FY 2018- 19	आय % वित्त वर्ष 2017-18 Yield % FY 2017-18	आय % वित्त वर्ष 2016-17 Yield % FY 2016-17	आय % वित्त वर्ष 2015-16 Yield % FY 2015-16	आय % वित्त वर्ष 2014-15 Yield % FY 2014-15
सरकारी प्रतिभूतियां	Govt Securities	8504.21	45.81	8.77	8.77	8.40	8.52	8.64
बांड और डिबेंचर	Bonds & Debenture	4061.70	21.88	8.33	9.03	9.13	9.41	9.44
म्यूचुअल फंड और वेंचर फंड	Mutual Funds & Venture Funds	1380.34	7.44	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण	Loans	32.44	.17	9.13	73.89	24.46	15.49	12.29
प्राथमिक शेयर	Preference Shares	2.35	.01	2.88	2.58	2.18	2.33	2.6
इक्विटी	Equity	3084.49	16.61	7.05	9.28	10.05	9.86	9.34
मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स	Money Market Instruments	1493.56	8.05	5.43	5.32	7.28	9.5	10.4
अल्पकालिक ऋण	Short Term Loan	6.18	0.03	0	0.00	0.00	0.00	0.00
आवेदन का पैसा	Application Money	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	Total	18565.27	100	7.38	8.66	8.72	9.1	9.12

इक्विटी / म्यूचुअल फंड्स में फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट पर विचार नहीं किया जाता है।

Fair Value Change Account is not considered in Equity/Mutual Funds.

12. हम इसकी पुष्टि करते हैं:

12. We confirm that :

(क) वित्तीय विवरणों की तैयारी में, लागू लेखा मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन किया गया है, यदि सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण, यदि कोई हो।

(a) In the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any.

(ख) प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय किए हैं और अनुमान है कि उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके। परिचालन लाभ या हानि और वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का;

(b) The management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the year;

(ग) प्रबंधन ने संपत्ति की सुरक्षा के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/कंपनी अधिनियम, 2013 (1 का 1956) के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

(c) the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938(4 of 1938)/ Companies Act, 2013 (1



कंपनी और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए;

- (घ) प्रबंधन ने वित्तीय विवरणों को एक चिंताजनक आधार पर तैयार किया है;
- (ङ) प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि व्यापार के आकार और प्रकृति के साथ एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है और प्रभावी ढंग से चल रही है।
- (च) 13 हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें कंपनी के निदेशक रुचि रखते हैं।

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O
DIN-08072065

Place: New Delhi
Dated: 28.05.2019

of 1956), for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

- (d) The management has prepared the financial statements on a going concern basis;
- (e) The management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.
- 13 We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which directors of the company are interested.

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(A V GIRIJAKUMAR)
Chairman-cum-Managing Director
DIN-02921377

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
RASHMI BAJPAI
Company Secretary



दि ओरियण्टल इंडियोरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2019 को भारत में बकाया दावों का अवधि वार विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2019

बकाया दावें	Claims O/s for		समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2019						
			अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.		
			NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	5	11.24	0	0.00	17065	13773.36
		गैर सूट	Non suit	228	12939.86	263	1789.67	35931	248695.84
30 दिन से 6 महीने	30 days to 6 months	सूट	Suit	7	215.46	3	2.00	7398	31545.78
		गैर सूट	Non suit	476	43721.79	539	1889.67	46039	43424.27
6 महीने से 1 वर्ष	6 months to 1 year	सूट	Suit	11	731.76	5	38.15	10183	47751.21
		गैर सूट	Non suit	577	39160.67	386	1658.88	19795	28382.51
1 साल से 5 साल	1 year to 5 years	सूट	Suit	107	1497.16	35	42.26	45197	187684.10
		गैर सूट	Non suit	431	48370.91	165	2279.83	9275	44492.10
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	231	3173.61	82	37.63	39010	127828.28
		गैर सूट	Non suit	499	4881.01	24	921.52	1390	5237.51
आने वाले सह-बीमा	Incoming co-insurance	सूट	Suit	4	16205.03	0	0.00	1362	8615.66
		गैर सूट	Non suit	72	28047.14	23	670.43	56	12070.42
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		93.63	0	9.38	0	5643.59
		गैर सूट	Non suit		379.55	0	8.41	0	786.93
कुल	TOTAL	सूट	Suit	365	21927.88	125	129.42	120215	422841.98
		गैर सूट	Non suit	2283	177500.92	1400	9218.40	112486	383089.58
कुल योग	GRAND TOTAL			2648	199428.80	1525	9347.83	232701	805931.56

दि ओरियण्टल इंडियोरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2018 को भारत में बकाया दावों का अवधि वार विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2018

बकाया दावें	Claims O/s for		समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2018						
			अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.		
			NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	14	327.08	4	7.81	3702	12264.26
		गैर सूट	Non suit	291	6913.24	311	1480.48	41813	54165.48
30 दिन से 6 महीने	30 days to 6 months	सूट	Suit	10	156.69	2	0.07	8906	32280.87
		गैर सूट	Non suit	499	25877.33	746	4174.78	43973	82038.04
6 महीने से 1 वर्ष	6 months to 1 year	सूट	Suit	34	783.69	10	184	16047	58031.9
		गैर सूट	Non suit	645	22918.2	568	5221.85	15381	29802.69
1 साल से 5 साल	1 year to 5 years	सूट	Suit	165	2264.38	46	60.4	50156	177560.92
		गैर सूट	Non suit	602	60402.26	406	13628.68	7393	38923.92
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	229	2943.9	84	21921.06	44271	119023.87
		गैर सूट	Non suit	123	3587.47	43	2129.1	920	5430.47
आने वाले सह-बीमा	Incoming co-insurance	सूट	Suit	4	15673.42	4	257.86	460	1295.31
		गैर सूट	Non suit	81	24058.33	123	12413.22	531	14684.58
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		131.79	0	26.54	0	5134.28
		गैर सूट	Non suit		274.56	0	1080.57	0	1253.62
कुल	TOTAL	सूट	Suit	456	22280.96	150	22457.74	123542	405591.39
		गैर सूट	Non suit	2241	144031.4	2197	40128.67	110011	226298.8
कुल योग	GRAND TOTAL			2697	166312.36	2347	62586.41	233553	631890.19



दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2017 को भारत में बकाया दावों का अवधि वार विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2017

बकाया दावें	Claims O/s for			समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2017					
				अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.	
				NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	5	4.22	3	14.80	3936	12856.79
		गैर सूट	Non- suit	209	5452.63	644	2292.24	39634	35832.81
30 दिन से 6 महीने	30 Days to 6 Months	सूट	Suit	13	43.87	13	30.68	11511	36252.80
		गैर सूट	Non- suit	859	24962.67	1197	5124.32	56995	39832.92
6 महीने से 1 वर्ष	6 Months to 1 Year	सूट	Suit	24	743.26	18	34.56	16779	50518.64
		गैर सूट	Non- suit	1078	51692.92	909	5674.75	21376	36995.05
1 साल से 5 साल	1 Year to 5 Years	सूट	Suit	165	2146.02	84	230.74	54228	161941.28
		गैर सूट	Non- suit	903	42182.78	698	16778.68	10045	35528.90
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	190	2001.49	104	4379.66	47683	106489.48
		गैर सूट	Non- suit	46	2368.75	31	671.54	757	5187.71
आने वाले सह-बीमा	Incoming Co-insurance	सूट	Suit	3	15144.82	4	283.16	2520	11320.91
		गैर सूट	Non- suit	178	22910.90	76	16382.32	366	15254.37
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		63.64		20189.40		5941.35
		गैर सूट	Non- suit		367.83		234.18		7166.33
कुल	TOTAL	सूट	Suit	400	20147.32	226	25163.00	136657	385321.25
		गैर सूट	Non- suit	3273	149938.48	3555	47158.03	129173	175798.09
कुल योग	GRAND TOTAL			3673	170085.80	3781	72321.03	265830	561119.34

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2016 को भारत में बकाया दावों का अवधि वार विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2016

बकाया दावें	Claims O/s for			समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2016					
				अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.	
				NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	8	15.47	17	12.62	2981	14950.14
		गैर सूट	Non- suit	303	10513.7	533	1463.58	35658	20236.39
30 दिन से 6 महीने	30 Days to 6 Months	सूट	Suit	25	221.19	28	20.37	11276	31451.53
		गैर सूट	Non- suit	1210	31099.07	1248	7767.3	48060	48529.49
6 महीने से 1 वर्ष	6 Months to 1 Year	सूट	Suit	15	2839.36	18	22.58	16749	45885.23
		गैर सूट	Non- suit	983	24938.1	960	4842	21635	29049.12
1 साल से 5 साल	1 Year to 5 Years	सूट	Suit	93	2012.75	45	382.93	60235	156648
		गैर सूट	Non- suit	546	50891.15	664	19544.13	10059	40629.12
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	174	2485.01	90	4372.65	49606	93455.97
		गैर सूट	Non- suit	87	4437.02	35	370.2	719	4290.81
आने वाले सह-बीमा	Incoming Co-insurance	सूट	Suit	2	14556.82	5	137.68	822	2591.68
		गैर सूट	Non- suit	109	19820.36	37	8170	446	22613.73
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		49.9		19391.71		4801.98
		गैर सूट	Non- suit		1068.2		340.06		1309.19
कुल	TOTAL	सूट	Suit	317	22180.5	203	24940.55	141669	349784
		गैर सूट	Non- suit	3238	142767.6	3477	41897.27	116577	166657.8
कुल योग	GRAND TOTAL			3555	164948.1	3680	66837.82	258246	516441.8



दि ओरियण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2015 को भारत में बकाया दावों का अवधि वार विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2015

बकाया दावों	Claims O/s for		समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2015						
			अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.		
			NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	11	62.25	3	13	4451	11170.94
		गैर सूट	Non- suit	520	10213.89	705	2126.5	33072	46100.91
30 दिन से 6 महीने	30 Days to 6 Months	सूट	Suit	3	8.38	7	33	12318	30566.83
		गैर सूट	Non- suit	1094	42166.4	1612	10800	37118	46161.45
6 महीने से 1 वर्ष	6 Months to 1 Year	सूट	Suit	19	294.45	10	32.7	14947	35026.33
		गैर सूट	Non- suit	803	54971.02	990	4844	17815	40541.08
1 साल से 5 साल	1 Year to 5 Years	सूट	Suit	146	418.86	64	329	68061	160259.7
		गैर सूट	Non- suit	637	49627.54	600	11070	11936	38832.79
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	133	16621.28	64	5852.28	49393	94081.2
		गैर सूट	Non- suit	95	2393.79	48	1067	1186	2099.31
आने वाले सह-बीमा	Incoming Co-insurance	सूट	Suit	0	0	5	139	406	827.83
		गैर सूट	Non- suit	150	13486.81	97	7152	519	-52137.2
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		320		84	0	5604.7
		गैर सूट	Non- suit		445.98		18844	0	10680.7
कुल	TOTAL	सूट	Suit	312	17725.22	153	6482.98	149576	337537.6
		गैर सूट	Non- suit	3299	173305.4	4052	55903.5	101646	132279
कुल योग	GRAND TOTAL			3611	191030.65	4205	62386.48	251222	469816.59

औसत दावा निपटान / AVERAGE CLAIM SETTLEMENT TIME

अवधि	Period	For the year ended 31.03.2018 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2017 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2016 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2015 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
		दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)
अग्नि	Fire	7394	297.28	6466	331.48	6595	318.21	6729	289.12	6916	285.13
समुद्री	Marine	11164	683.37	13329	188.29	13437	183.00	14197	173.31	15149	171.10
मोटर ओडी	MOTOR OD	500378	98.87	451143	121.15	389988	81.46	321957	90.69	266147	99.89
मोटर टी.पी.	MOTOR TP	86254	1155.6	79766	1068.07	86393	971.36	69318	873.39	76306	875.12
इंजीनियरिंग	ENGG	7347	186.08	7456	273.83	8404	207.14	8411	213.45	9370	190.51
कामगार की क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	1804	476.98	2014	371.36	2030	370.33	1822	436.58	1807	370.57
विमानन	AVIATION	146	454.11	182	471.23	133	540.09	195	295.22	190	622.08
निजी दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	29449	120.56	35207	102.04	19496	144.24	16283	186.76	15975	181.14
स्वास्थ्य	HEALTH	1046431	241.46	953708	184.94	1005694	166.83	739382	274.24	714956	29 0.42
देयता	LIABILITY	1070	1579.42	907	1838.85	3330	2593.80	796	1248.83	516	2054.08
फसल	CROP	360192	9.86	430	147.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00
अन्य डैट	OTHER MISC	50171	425	56289	439.97	54144	224.53	46698	1817.15	51231	622.93
कुल योग	Grand Total	2101800	5728.59	1606897	1181.85	1589644	1095.81	1225788	1126.83	1158563	1252.63



ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बीमाकर्ता का नामरू मूल बीमा कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण क्रमांक और प्ल। 556 दिनांक 25.02.2014 के साथ नवीकरण की
तारीख

समेकित रसीदें और भुगतान खाता (यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट)
31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (स्टैंडअलोन)

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated
25.02.2014

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT (I.E. CASH FLOW
STATEMENT)
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019 (STAND ALONE)

		31.03.2019	31.03.2018
क. ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो	A. Cash Flow from Operating Activities	(Rs:'000)	(Rs:'000)
1. अग्रिम रसीद सहित पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम	1. Premium received from Policyholders, including advance receipts	140018320	119551741
2. अन्य रसीदें (निवल)	2. Other receipts (net)	2977753	1823306
3. पुनर्विक्रेताओं को भुगतान, कमीशन और दावों का शुद्ध	3. Payment to reinsurers, net of commissions and claims	-18650388	-1369918
4. दावाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली का शुद्ध	4. Payment to coinsurers, net of claims recovery	16584561	-1781571
5. दावों का भुगतान	5. Payment of claims	-110133285	-95768027
6. कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान	6. Payment of commission and brokerage	-8929712	-7841613
7. अन्य परिचालन खर्चों का भुगतान	7. Payments of other operating expenses	-29776945	-31604271
8. प्रारंभिक और पूर्व-संचालन व्यय	8. Preliminary and pre-operative expenses	0	0
9. जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण	9. Deposits, advances and staff loans	-1628410	-730039
10. आयकर भुगतान (निवल)	10. Income taxes paid (net)	-6124	-662516
11. सेवा कर एकत्र / भुगतान (निवल)	11. Service Tax collected / paid (net)	3325007	3481589
12. अन्य भुगतान (निवल)	12. Other payments (net)	0	0
13. असाधारण वस्तुओं से पहले नकद प्रवाह	13. Cash flow before extraordinary items	-6219223	-14901319
14. असाधारण परिचालन से नकदी प्रवाह	14. Cash flow from extraordinary operations	0	0
15. ऑपरेटिंग गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	15. Net cash flow from operating activities	-6219223	-14901319
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो	B. Cash Flow from Investing Activities		
1. निश्चित संपत्तियों की खरीद (निवल)	1. Purchase of fixed assets (net)	-1654511	-1231709
2. निश्चित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	2. Proceeds from sale of fixed assets	57455	32906
3. निवेश की खरीद	3. Purchase of investments	-35340251	-29813078
4. ऋण वितरित किया गया	4. Loans disbursed	0	0
5. निवेश की बिक्री	5. Sale of Investments	23584084	22512538
6. चुकौती प्राप्ति	6. Repayments received	12862591	8286785
7. किराए / ब्याज / लाभांश प्राप्त	7. Rents/Interests/Dividends received	12366447	12460228
8. मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स और तरल म्यूचुअल फंड (निवल) में निवेश	8. Investments in money market instruments & liquid mutual funds (net)	-9806061	1779098
9. निवेश से संबंधित व्यय	9. Expenses relating to investments	-9292	-50412
10. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	10. Net cash flow from the investing activities	2060462	13976356



		31.03.2019	31.03.2018
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से कैश फ्लो	C. Cash Flow from Financing Activities		
1. शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	1. Proceeds from issuance of share capital	0	0
2. उधार लेने से आय	2. Proceeds from borrowing	7500000	0
3. उधार लेने की चुकौती	3. Repayments of borrowing	0	0
4. ब्याज / लाभांश (वितरण कर सहित) भुगतान किया	4. Interest/dividends(including distribution tax) paid	0	0
5. वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	5. Net cash flow from the financing activities	7500000	0
घ. नकद और नकद समकक्षों (शुद्ध) पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव	D. Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (net)	145453	904
ङ. नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (+)/ कमी (-)	E. Net increase(+)/decrease(-) in cash and cash equivalents	3486692	-924059
1. वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	1. Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	22642351	23566410
2. वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	2. Cash and Cash equivalents at the end of the year	26129043	22642351

नोट: (+) आंकड़ा प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है और (-) बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करता है

Note : (+) figure represents inflow and (-) represents outflow

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 006154एन
For H.K. CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants
FRN NO. 006154N
सीए इंदरजीत सोनी
साझेदार
सदस्यता संख्या 088694
CA INDERJIT SONI
Partner
M.No. 088694

एससीवी एंड कं. एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 000235एन/एन500089
For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN 000235N/N500089
सीए अभिनव खोसला
साझेदार
सदस्यता संख्या 087010
CA ABHINAV KHOSLA
Partner
M.No. 087010

ए. वी. गिरिजाकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
A.V. GIRIJAKUMAR
Chairman-cum-Managing Director
DIN 02921377

दिनेश आर वघेला
निदेशक, महाप्रबंधक एवं सीएफओ
DINESH R WAGHELA
Director, G.M. & C.F.O.
DIN 08072065

अनिल श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं एफए
ANIL SRIVASTAVA
General Manager & F.A.

Place: New Delhi
Dated : 28/05/2019

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. एफसीएस 8799
RASHMI BAJPAI
Company Secretary
M.No. FCS 8799



The Oriental Insurance Company Limited

Registered Office :

Oriental House: A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110002

Ph: 011-23279221

Visit us at: www.orientalinsurance.org.in

CIN - U66010DL1947GOI007158

